# करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

फरवरी, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

# अनुक्रम

## संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11


- फेशियल रिकॉग्निशन एप 11
- भारत में कैंसर का प्रभाव 12
- ग्राम न्यायालय 13
- राम मंदिर के निर्माण के लिये ट्रस्ट 15
- धन्यवाद प्रस्ताव 16
- असंसदीय भाषा एवं आचरण के विरुद्ध नियम 17
- जीवन सुगमता सूचकांक और नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक-2019 18
- मौलिक अधिकार और रिट 19
- स्वास्थ्य हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ 21
- ई- गवर्नेंस पर 23वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 22
- चिकित्सा उपकरणों को 'औषधि' का दर्जा 23
- सरोगेसी विनियमन विधेयक 24
- समान नागरिक संहिता (UCC) 25
- WHO द्वारा बीमारियों के नामकरण की प्रक्रिया 27
- अर्थ-गंगा परियोजना 28
- राजनीति के अपराधीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 30
- कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 31
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 32
- आंध्र सरकार में ST को 100% कोटा 33
- सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 34
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 35
- वन हेल्थ' संबंधी अवधारणा 36
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विशेष दर्जा 37
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 39
- नाइजीरिया में स्वास्थ्य आपातकाल 40
- वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 41
- स्वस्थ जीवन और भविष्य: लैंसेट रिपोर्ट 43
- प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 44
- SPICe + वेब फॉर्म का उद्घाटन 45
- आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 2016 में संशोधन 46
- जहाज़ों का संग्रहालयों में परिवर्तन 48
- असम समझौते की धारा-6 49
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत 51
- 'यू.के. इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव' 53
- NOTA का विकल्प 55


**नोट :**

## आर्थिक घटनाक्रम 57


- औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग की भूमिका का विस्तार 57
- पीसीए की पाबंदियों से मुक्त हुए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंक 57
- प्रमुख उद्योगों के विकास की गति हुई धीमी 58
- संघीय बजट 2020-21 की प्रमुख विशेषताएँ 59
- नीतिगत विशेषताएँ 61
- ब्लू डॉट नेटवर्क 65
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 66
- विशुद्ध टेरेप्थेलिक अम्ल 68
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 70
- संसाधन और सुरक्षा 71
- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 72
- जलवायु परिवर्तन और कृषि 73
- वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक-2020 74
- रिज़र्व बैंक विनियमन के तहत आने वाले सहकारी बैंक 77
- रेपो रेट अपरिवर्तित 77
- संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र 79
- डिजिटल भुगतान सूचकांक 80
- जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव 81
- जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था 81
- म्युनिसिपल बॉण्ड्स डेवलपमेंट कमेटी 83
- खुदरा भुगतान प्रणाली के लिये नई अम्ब्रेला इकाई 84
- SUTRA-PIC कार्यक्रम 85
- भारतीय रेलवे: कॉरपोरेट ट्रेन मॉडल 86
- निवेश सलाहकार के लिये योग्यता नियमों में सुधार 88
- RBI के लेखांकन वर्ष में परिवर्तन 89
- भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीप 90
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 92
- टैक्स हैवन देश 93
- भारत बना दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 94
- कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन 95
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 97
- डेयरी उद्योग से संबंधित पैनल का गठन 98
- भारतीय इस्पात उद्योग 99
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली वर्षगांठ 100
- दीर्घावधि रेपो परिचालन 102
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 103
- बाज़ार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली 104
- 11वाँ राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 105
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 107
- भूमि संघर्ष और उसका प्रभाव 109


## अंतर्राष्ट्रीय संबंध 111


- भारत और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह 111
- आईएनएफ संधि का खत्म होना तय 112
- भारत-टोगो संबंध 113
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन 115


नोट :

➢ भारतीय नौसेना की शांतिकालीन रणनीति 115
➢ स्टेप विद रिफ्यूजी' अभियान 117
➢ अफ्रीकी संघ की बैठक 118
➢ भारत- श्रीलंका संबंध 119
➢ बिम्सटेक सम्मेलन 121
➢ भारत-पुर्तगाल संबंध 122
➢ नीदरलैंड की डिजिटल पहचान योजना पर निर्णय 124
➢ यूएसटीआर, विकासशील देशों की सूची और भारत 125
➢ कानाक्कले/गैलीपोली की लड़ाई 127
➢ विदेश मंत्रालय का पुनर्गठन 128
➢ यूरोपीय संघ की डेटा रणनीति 129
➢ भारत और मालदीव 130
➢ भारत-अमेरिका व्यापार संबंध 132
➢ रियाद में G-20 देशों की बैठक 134
➢ अमेरिका-ईरान तनाव और भारत 135
➢ भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी 136
➢ अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता 138
➢ श्रीलंका गृहयुद्ध और मानवाधिकार संरक्षण 140
➢ अमेरिका का लिंचिंग विरोधी विधेयक 142

**विज्ञान एवं प्रद्योगिकी 144**

➢ भारत द्वारा छह पनडुब्बियों का निर्माण 144
➢ अंटार्कटिक ग्लेशियर में बड़ा छिद्र/विवर 145
➢ चमगादड़ और मनुष्यों पर वायरस संबंधी शोध 145
➢ सुखोई -30 एमकेआई 146
➢ क्वांटम तकनीक और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन 147
➢ जीनोम मैपिंग परियोजना 148
➢ कोरोनावायरस के लिये एंटी-HIV दवाएँ 150
➢ अंतरिक्ष प्रवास का रिकॉर्ड 150
➢ वायु रक्षा प्रणाली 152
➢ लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी उत्पादों के आयात में वृद्धि 153
➢ आरओ-आधारित जल निस्यंदन प्रणाली 154
➢ नासा के चार प्रस्तावित अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन 156
➢ GISAT-1 के प्रक्षेपण की तैयारी 157
➢ आदित्य एल- 1 मिशन 159
➢ अधिकार प्राप्त 'प्रौद्योगिकी समूह" 160
➢ आकाशगंगा XMM-2599 161
➢ डेटा स्थानीयकरण से संबंधित मुद्दे 162
➢ 2020 सीडी-3 163
➢ हवाई टेलीस्कोप विवाद 164
➢ इनसाइट लैंडर मिशन 166

**पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 168**

➢ आर्द्रभूमि: समस्त विश्व और भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों? 168
➢ जलवायु परिवर्तन शमन के लिये नाइट्रोजन प्रबंधन 169
➢ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 171

**नोट :**

दृष्टि The Vision

➢ 'फिलामेंट-फ्री केरल' 172
➢ महासागरीय जलधारा एवं यूरोपीय जलवायु 173
➢ जैव-चिकित्सा अपशिष्ट 175
➢ आर्सेनिक: जल प्रदूषण का एक अदृश्य कारक 176
➢ वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट 178
➢ टॉक्सिक एयर: द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिपोर्ट 180
➢ COVID-19 से बचाव के लिये प्लाज़्मा थेरेपी 181
➢ अवर फ्यूचर ऑन अर्थ 2020: रिपोर्ट 182
➢ भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीप 184
➢ उत्तरी यूरोप को घेरने वाले विशाल बाँध (NEED) 185
➢ शीत-रक्त प्रजातियाँ 187
➢ भारत के पक्षियों की स्थिति: 2020 रिपोर्ट 188
➢ थाईलैंड में सूखा 189
➢ प्रवासी प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण 190
➢ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट 192
➢ जनवरी 2020 में रिकार्ड तापमान 193
➢ राजमार्ग और बाघ संरक्षण 195
➢ शून्य मसौदा: वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 197
➢ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2019 199
➢ तटीय आपदा प्रबंधन 200
➢ COP-13 201
➢ वैश्विक मीथेन उत्सर्जन 205

**भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 207**

➢ दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ता मौसम 207
➢ जेबेल अली: एक नया प्राकृतिक गैस क्षेत्र 208
➢ गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना 209
➢ अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अध्ययन 210
➢ जलवायु परिवर्तन पर भारत व नार्वे का संयुक्त वक्तव्य 212
➢ प्रोजेक्ट साइनिंग: भू-जल संरक्षण परियोजना 213
➢ जलयुक्ता शिवार 215
➢ प्रतिमान और डेटा समावेशन सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 216
➢ भारत में प्रारंभिक मानव 217
➢ नवीन सागरीय सेवाएँ 219

**सामाजिक मुद्दे 222**

➢ बीजिंग +25 की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय परामर्श 222
➢ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरस्कार 223
➢ भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट 224
➢ शहरों में आँगनवाड़ी लाभार्थी 225
➢ जेल सुधार 227
➢ आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयाँ 228
➢ SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018: SC का निर्णय 230
➢ मानव तस्करी से प्रभावित व्यक्ति 231
➢ विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल 233
➢ भारत में कुपोषण उन्मूलन 234

दृष्टि The Vision

नोट :

- दो बच्चों की नीति: समय की आवश्यकता 235
- जनसंख्या नियंत्रण के अन्य उपाय 236
- माधव राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापन संबंधी मुद्दा 236
- साक्षी के रूप में बच्चों की उपस्थिति संबंधी दिशा-निर्देश 238
- मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि 239
- ऑनलाइन अपराध संबंधी रिपोर्ट 241
- बाल शोषण 242
- सड़क सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 243
- सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु निर्धारण संबंधी कार्यदल 245
- विश्व सामाजिक न्याय दिवस 246
- किशोर न्याय अधिनियम पर मंत्री समूह की बैठक 248
- केरल में छात्र आंदोलनों पर प्रतिबंध 249
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 251

**कला एवं संस्कृति 253**

- राखीगढ़ी 253
- पूम्पुहार- एक चोलकालिक बंदरगाह शहर 254
- बयाद-ए-गालिब समारोह 255
- दारा शिकोह 256

**आंतरिक सुरक्षा 258**

- सैन्य उपकरणों पर CAG की रिपोर्ट 258
- मेडिकल डेटा लीक 259
- असम का बोडो समुदाय 260
- अशांत क्षेत्र अधिनियम 261
- असम-मिज़ोरम सीमा संशोधन 262

**चर्चा में 264**

- सोमेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य 264
- मिज़री इंडेक्स 264
- वर्चुअल पुलिस स्टेशन 265
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस 265
- फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल 266
- बांदीपुर टाइगर रिज़र्व 266
- 34वाँ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 267
- मुक्ति कारवाँ 267
- बूढ़ी दिहिंग नदी 268
- क्लासिकल स्वाइन फीवर 268
- परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान 268
- उझ बहुउद्देशीय परियोजना 269
- संतुष्ट पोर्टल 269
- विक्रम साराभाई शताब्दी कार्यक्रम 270
- रथ सप्तमी 270
- अमराबाद टाइगर रिज़र्व 270
- डेफएक्सपो 2020 271
- श्री बृहदेश्वर मंदिर 271


**नोट :**

- वधावन बंदरगाह 272
- इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो 273
- औद्योगिक पार्क 274
- एंगुइला 274
- मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व 275
- नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 275
- लखनऊ घोषणा 276
- शारंग 276
- काकीनाडा पोर्ट 277
- भारत-बांग्लादेश रेल लिंक 277
- माउंट एकांकागुआ 277
- ग्रांड इथियोपियन रेनेसां डैम 278
- सोलर ऑर्बिटर प्रोब 278
- सरस 278
- रेम्डेसिविर 279
- गुरु रविदास जयंती 279
- सुपरकैम 280
- अजेय वारियर-2020 280
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 281
- चिंदू यक्षगानम् 281
- थ्वाइट्स ग्लेशियर 282
- थानाटोथेरिस्तेस 282
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट 283
- सिद्दी जनजाति 283
- डार्क फाइबर 284
- मन कृष्णा 284
- मुक्तोश्री 285
- यारावायरस 285
- बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 285
- जल जीवन मिशन 286
- वैनगंगा नदी 286
- हम्पी 287
- कोणार्क सूर्य मंदिर 288
- विवाद से विश्वास योजना 288
- एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 289
- इंडियन पैंगोलिन 289
- दिशा पुलिस स्टेशन 290
- राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव 291
- मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान 291
- कोरकू जनजाति 292
- रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल 292
- केव फिश 292
- स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का सचिवालय 293
- रैपिडजेन 293
- काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 294
- कंबाला 294
- ईज़ ऑफ डूइंग हज 295


**नोट :**

➢ रानी कमलापति 295
➢ अर्बन लिज़ार्ड 296
➢ एसपीआईसीई+ 296
➢ बेटेल्गेयूज़ 296
➢ कला कुंभ 297
➢ दीनदयाल बंदरगाह 297
➢ भारत-नार्वे डायलॉग 298
➢ हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका - द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस 299
➢ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 299
➢ 22वाँ भारतीय विधि आयोग 300
➢ वन सलाहकार समिति 301
➢ तिरूर वेटिला 302
➢ राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान 302
➢ मातृभाषा दिवस 303
➢ किलिकी भाषा 304
➢ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 305
➢ आस्कदिशा 305
➢ 5जी हैकथॉन 306
➢ स्वर्ण भंडार 306
➢ हैबिटेबल ज़ोन प्लैनेट फाइंडर 307
➢ नई एंटीबायोटिक 308
➢ कवाल टाइगर रिज़र्व 309
➢ मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य 309
➢ क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटाथनबर्ग 309
➢ बभनियाव: पुरातात्त्विक स्थल 310
➢ ओलिव रिडले कछुआ 310
➢ विट्टल मंदिर 311
➢ कलसा-बंडूरी नाला प्रोजेक्ट 312
➢ एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार- 2020 312
➢ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व 313
➢ उल्सूर झील 314
➢ हेनेगुया सालमिनिकोला 314
➢ इन्द्रधनुष 315
➢ आयुष शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 315
➢ यार्ड 45006 वज्र 316
➢ स्थानीय स्व शासन में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण का कार्यक्रम 316
➢ 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स 316
➢ स्यनेचोकॉकस एसपी. पीसीसी 7002 317
➢ नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र 318
➢ विज्ञान ज्योति और जीएटीआई 318
➢ मिशन पूर्वोदय 319
➢ पीएमजी पोर्टल 319
➢ सामाजिक सशक्तीकरण के लिये ज़िम्मेदार एआई 320

**विविध 321**

➢ पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित 323
➢ राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ मालदीव 324

**नोट :**

दृष्टि The Vision

- मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 324
- नाविकों के क्षमता प्रमाणपत्र 324
- कोरोना वायरस- केरल में राज्य आपदा घोषित 324
- 'संतुष्ट' पोर्टल 325
- ऑस्ट्रेलियन ओपन 325
- राम मंदिर निर्माण के लिये ट्रस्ट का गठन 325
- सतत् विकास कर 325
- किशोर कुमार सम्मान-2018 325
- जयपुर को विश्व धरोहर स्थल का प्रमाणपत्र 325
- राष्ट्रीय बागवानी मेला-2020 326
- किर्क डगलस 326
- अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 326
- बिहार में 15 वर्ष से पुराने डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध 326
- फिलिप बार्टन 326
- तकनीकी विकास के लिये समझौते 327
- जल शक्ति विभाग 327
- बासमती की दो किस्मों का जीनोम निरूपण 327
- 'पार्थ' गन शॉट लोकेटर 327
- गिरिराज किशोर 327
- 15 जनवरी के बाद चीन गए विदेशियों का भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध 328
- गगनयान हेतु यात्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत 328
- 92वें अकादमी पुरस्कार 328
- खानों को रेटिंग के लिये वेब पोर्टल 328
- क्षमता निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन 329
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष 329
- एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान 329
- उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिये इंटर्नशिप 329
- काम्या कार्तिकेयन 330
- जम्मू-कश्मीर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष परिषद 330
- हेल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर 330
- महाराष्ट्र में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह 330
- अतुल कुमार गुप्ता 330
- राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 331
- रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर समूह का गठन 331
- प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम परिवर्तन 331
- राजीव बंसल 331
- पुलेला गोपीचंद 331
- आर. के. पचौरी 332
- राष्ट्रीय महिला दिवस 332
- डैन डेविड पुरस्कार 332
- मनप्रीत सिंह: 332
- न्यूज़ीलैंड की पहली AI-आधारित पुलिस अधिकारी 332
- हाफिज़ सईद को सज़ा 333
- भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र 333
- INS शिवाजी को प्रेसीडेंट्स कलर 333
- सिल्वर' पुरस्कार 333
- अरब का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 333


**नोट :**

- 14 समझौतों पर हस्ताक्षर 334
- लिथियम का भंडार 334
- 'हिम्मत प्लस' एप 334
- एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 334
- पाकिस्तान की राद II मिसाइल 334
- INS कवरत्ती 335
- पक्षियों की दो नई प्रजातियाँ 335
- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 335
- मिकी राइट 335
- वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस 'एथनोलॉग' 335
- अशरफ गनी- अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति 336
- मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान 336
- तिलहन मिशन 336
- फूड प्लेनेट प्राइज़ 336
- भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 336
- संजय कोठारी 337
- श्री रामायण एक्सप्रेस 337
- बुड्ढा नाला का नवीनीकरण 337
- मोहल्ला मार्शल 337
- प्रधानमंत्री सलाहकार 337
- रॉस टेलर 338
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 338
- पाकिस्तान की ट्रांजिट कार्गो ट्रेन सेवा 338
- कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता 338
- घोंघे की एक नई प्रजाति 338
- विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 339
- लैरी टेस्लर 339
- सतत् विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 339
- दिल्ली विधानसभा स्पीकर 339
- महातिर मोहम्मद 339
- कॉमनवेल्थ निशानेबाज़ी और तीरंदाज़ी चैंपियनशिप 340
- बिहार विधानसभा में NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित 340
- नेशनल वॉर मेमोरियल की पहली वर्षगाँठ 340
- मोहम्मद होस्नी मुबारक 340
- फ्लोटिंग दर ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश 340
- EASE 3.0 341
- जावेद अशरफ 341
- मारिया शारापोवा 341
- भारत और म्याँमार के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर 341
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे 342
- मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 342
- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 342
- जॉन टेनिएल का 200वाँ जन्मदिवस 342
- पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक 342
- एस. एन. श्रीवास्तव 343
- ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी 343
- लीप वर्ष (Leap Year) 343


**नोट :**

# संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

## फेशियल रिकॉग्निशन एप

### चर्चा में क्यों ?

तेलंगाना में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सत्यापन और रियल टाइम प्रमाणीकरण के लिये फेशियल रिकॉग्निशन एप (Facial Recognition App) का उपयोग किया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, मेडचल-मलकाजगिरि (Medchal–Malkajgiri) ज़िले के कोमपल्ली नगरपालिका के चुनिंदा 10 मतदान केंद्रों में पायलट आधार पर इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।
- गौरतलब है कि इस प्रणाली द्वारा सत्यापन न होने की स्थिति में मतदाताओं को पहचान पत्र की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर आईडी कार्ड का उपयोग कर मतदान करने की अनुमति दी गई।
- राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता पहचान के लिये ली गई तस्वीरों को संग्रहीत या उन्हें किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

### फेशियल रिकॉग्निशन की प्रक्रिया

- इस प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त मतदान अधिकारी द्वारा पहले मतदाताओं के पहचान प्रमाण पत्र को सत्यापित किया जाता है और फिर उनकी तस्वीर लेकर उसे मोबाइल फोन में स्थापित फेस रिकॉग्निशन एप का उपयोग करके सर्वर पर अपलोड किया जाता है ताकि संबंधित मतदान केंद्र के सभी मतदाताओं की पहले से उपलब्ध तस्वीरों से मतदाता का मिलान किया जा सके।
- यह एप एक उपयुक्त संदेश के साथ मतदाताओं के साथ मिलान के आधार पर सत्यापन का परिणाम प्रदर्शित करता है।
- ध्यातव्य है कि इस प्रणाली का उपयोग मौजूदा पहचान सत्यापन प्रणाली के स्थान पर नहीं बल्कि एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में किया गया है। साथ ही इस एप में संग्रहित डेटा को चुनाव पश्चात् हटा दिया जाता है।

### प्रौद्योगिकी के उपयोग के उद्देश्य

- प्रौद्योगिकी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षण की नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके चुनाव में प्रतिरूपण (Impersonation) के मामलों को कम करना है। अर्थात् इस प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य फर्जी मतदान पर अंकुश लगाना है।
- यह प्रणाली डिजिटल ट्रेल (Digital Trail) तथा तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज (Telangana State Technology Services- TSTS) द्वारा विकसित और संचालित है।

### प्रौद्योगिकी की भविष्य में उपयोगिता

- इस प्रणाली के उपयोग से चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ बनाया जा सकता है।
- इस प्रणाली के माध्यम से चुनाव में फर्जी वोटिंग पर अंकुश लगाया जा सकता है जिससे वोटिंग के सही आँकड़े प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- इस प्रणाली के उपयोग से मौजूदा मतदाता सत्यापन प्रणालियों (Voter Verification Systems) को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- इस प्रणाली का उपयोग अपराधियों को पहचानने, सुरक्षा जाँच जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है।

भारत में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक

- भारत में यह एक नया विचार है जिसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोगिक स्तर पर शुरू किया गया है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने हवाई अड्डे में प्रवेश के दौरान चेहरे की पहचान करने हेतु "डिजीयात्रा (DigiYatra)" प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है।

नोट :

- तेलंगाना पुलिस ने इस संदर्भ में वर्ष 2018 में अपना स्वयं का सिस्टम विकसित किया है।
- केंद्रीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय ने 'रियूनाइट' (Re-unite) नामक एक मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप की सहायता से देश में खोए हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

### आगे की राह

- मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं स्वच्छ बनाने के लिये व्यापक स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिये और चुनाव सुधार (Electoral Reforms) की दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।
- तेलंगाना में किये गए पायलट परीक्षण की भाँति देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार के प्रयोग करने की आवश्यकता है तथा सकारात्मक परिणाम के साथ इसे मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।

---

## भारत में कैंसर का प्रभाव

### चर्चा में क्यों?

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने कैंसर पर दो वैश्विक रिपोर्ट् जारी की हैं। ध्यातव्य है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत में कैंसर के बोझ और पैटर्न पर WHO की रिपोट्र्स (WHO Reports on Cancer Burdens and Patterns in India) का उद्देश्य कैंसर पर वैश्विक एजेंडा तैयार करना, हितधारकों को जुटाना और कैंसर नियंत्रण एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में निवेश के लिये देशों की प्राथमिकताएँ निर्धारित करना है।
- WHO के अनुसार, कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और वर्ष 2018 में हुई अनुमानित 9.6 मिलियन मौतों के लिये ज़िम्मेदार है। ध्यातव्य है कि वैश्विक स्तर पर 6 में से 1 मौत कैंसर के कारण होती है।

रिपोर्ट में निहित मुख्य बिंदु

- WHO की रिपोट्र्स के अनुसार, प्रत्येक 10 में से 1 भारतीय अपने जीवनकाल में कैंसर के कारण प्रभावित होता है तथा भारत में प्रत्येक 15 कैंसर रोगियों में से 1 की मृत्यु हो जाती है।
- वर्ष 2018 में भारत में कैंसर के बोझ और पैटर्न पर WHO की रिपोट्र्स के अनुसार, भारत की 1.35 बिलियन जनसंख्या में कैंसर के अनुमानत: 1.16 मिलियन तथा कैंसर से मृत्यु के 7,84,800 मामले सामने आए हैं।
- रिपोट्र्स के अनुसार, भारत में कैंसर के 6 प्रमुख मामले स्तन का कैंसर (1,62,500 मामले), मुँह का कैंसर (1,20,000 मामले), सर्वाइकल कैंसर (97,000 मामले), फेफड़े का कैंसर (68,000 मामले), पेट का कैंसर (57,000 मामले) एवं कोलोरेक्टल कैंसर (57,000 मामले) के हैं। ध्यातव्य है कि यह कैंसर के कुल मामलों का 49% है।
- रिपोट्र्स के अनुसार, भारत में पुरुषों में कैंसर के 5.70 लाख नए मामलों में मुँह का कैंसर (92,000 मामले), फेफड़े का कैंसर (49,000 मामले), पेट का कैंसर (39,000 मामले), कोलोरेक्टल कैंसर (37,000 मामले), और ग्रासनली का कैंसर (34,000 मामले) प्रमुख है जो पुरुषों में कैंसर के कुल नए मामलों का 45% है।
- महिलाओं में कैंसर के 5.87 लाख नए मामलों में स्तन का कैंसर (1,62,500 मामले), सर्वाइकल कैंसर (97,000मामले), अंडाशयी कैंसर (36,000 मामले), मुँह का कैंसर (28,000 मामले) और कोलोरेक्टल कैंसर (20,000 मामले) प्रमुख है जो महिलाओं में कैंसर के कुल नए मामलों का 60% है।
- रिपोर्ट के अनुसार, तंबाकू से संबंधित कैंसर पुरुषों में कुल कैंसर मामलों का 34-69 प्रतिशत और महिलाओं में कुल कैंसर मामलों का 10-27 प्रतिशत है।
- गौरतलब है कि पुरुषों के जीवन में 40 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के दौरान मुँह के कैंसर की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है जिसका मुख्य कारण सुपारी और पान मसाला युक्त पदार्थों को चबाना है।

### विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day) से संबंधित तथ्य

- विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण के लिये संघ (Union for International Cancer Control- UICC) की एक पहल है।
- विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी, 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिये कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit Against Cancer for the New Millennium) में हुई थी।
- ध्यातव्य है कि पेरिस चार्टर का उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, कैंसर को रोकना, रोगी देखभाल सेवाओं में सुधार, जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक समुदाय को कैंसर की रोकथाम के लिये संगठित करना और विश्व कैंसर दिवस को अपनाना है।
- वर्ष 2020 में 20वाँ विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष इसका विषय (Theme) 'I Am And I Will' है।
- विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को इस बीमारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये जागरूक बनाकर कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है|

कैंसर के कारण

- कैंसर एक मल्टीस्टेज प्रक्रिया है जिसमें सामान्य कोशिकाएँ ट्यूमर कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं।
- कैंसर के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
  - भौतिक कारक, जैसे- पराबैंगनी और आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर होने का खतरा रहता है।
  - रासायनिक कारक, जैसे- एस्बेस्टस, तंबाकू के धुएँ के घटक, एफ्लाटॉक्सिन (एक खाद्य संदूषक) और आर्सेनिक युक्त जल का उपयोग कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है।
  - जैविक कारक, जैसे- वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी से संक्रमण भी कैंसर का एक प्रमुख कारण है।

### कैंसर से बचाव के उपाय

- जीवनशैली में अनुकूल परिवर्तन।
- वज़न को नियंत्रण में रखना।
- सक्रिय बने रहना।
- नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं समय- समय पर कैंसर की जाँच कराना।
- चेतावनी के संकेत एवं लक्षणों के बारे में जानना।
- सुरक्षित यौन व्यवहार को अपनाना।
- पर्यावरणीय कार्सिनोजेन तत्त्वों के जोखिम से बचाव।
- धूम्रपान और शराब का सेवन न करना।
- मसालेदार, तली हुई, संरक्षित और जंक फूड से परहेज करना।

आगे की राह

- विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश के नागरिकों की कैंसर जैसी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को दूर करने हेतु जागरूकता अभियान, बेहतर उपचार एवं उपचार पश्चात् देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिये।
- चूँकि देश में तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर के मामले ज़्यादा हैं, इसलिये धूम्रपान रहित तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिये राज्यों द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिये।

## ग्राम न्यायालय

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आठ राज्यों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण जुर्माना लगाया है।

नोट :

## मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-सरकारी संगठन 'नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस' (National Federation of Societies for Fast Justice) द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था।

## क्या था मामला ?

- PIL जारी करने के समय केवल 208 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे थे जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक, देश में 2500 ग्राम न्यायालयों की आवश्यकता थी।
- आवश्यक कार्यवाही न करने वाले राज्यों असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

## जुर्माना लगाने का उद्देश्य:

- सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आबादी की न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2008 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के मद्देनज़र ग्राम न्यायालय स्थापित करने में विफल रहने के मामले में कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर जुर्माना लगाया है।

ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya):

- विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जन-मानस के निकट ले जाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 39-A के अनुरूप 'ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008', संसद में पारित किया।
- इसके तहत 2 अक्तूबर, 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों ने कार्य करना शुरू किया।

## अनुच्छेद-39 ( a ):

समान न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान; राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर हो जो न्याय को बढ़ावा देता हो और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा,साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया गया है।

## ग्राम न्यायालय की संरचना:

- ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है जिसे 'न्यायाधिकारी' कहा जाता है।
- इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है।

## ग्राम न्यायालय का कार्यक्षेत्र:

- ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देखता है। यह आपराधिक मामलों में उन्हीं को देखता है जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा होती है।
- सिविल मामलों में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार अधिनियम 1955, बंधुआ मज़दूरी (उन्मूलन) अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले आते हैं।

## ग्राम न्यायालय की कार्यप्रणाली:

- इसमें सिविल मामलों को आपसी समझौतों से, जबकि आपराधिक मामलों में 'प्ली बार्गेनिंग' (Plea Bargaining) के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है।

## अपील का तरीका:

- आपराधिक मामलों में अपील सत्र न्यायालय में की जा सकती है जहाँ इस तरह की अपील की सुनवाई तथा निपटान अपील दायर करने की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाएगा।
- दीवानी मामलों में अपील ज़िला न्यायालय के पास की जाएगी, जिसकी सुनवाई और निपटान अपील दायर करने की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाएगा।

नोट :

### आगे की राह:

ऐसा अनुमान है कि ग्राम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में विलंबित मामलों की संख्या में 50% तक की कमी ला सकते हैं, अत: लोगों को अधिक जागरूक करने के साथ-साथ ग्राम न्यायालयों को अधिक स्वयायत बनाने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

## राम मंदिर के निर्माण के लिये ट्रस्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राम मंदिर के निर्माण के लिये एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट के गठन को मंज़ूरी दे दी है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- राम मंदिर के निर्माण के लिये 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' नाम से ट्रस्ट का गठन किया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा इस ट्रस्ट में 15 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है जिसमें एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित जाति से होगा।
- ध्यातव्य है कि 9 नवंबर, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में निर्णय देते हुए सरकार को मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था।

### ट्रस्ट से संबंधित मुख्य बातें

- आधिकारिक सूचना के अनुसार, मंदिर निर्माण के लिये लगभग 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दी जाएगी।
- केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिये ट्रस्ट को 1 रुपए का सांकेतिक अनुदान दिया है।
- ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके रखरखाव के लिये धन जुटाने की पूरी छूट प्राप्त होगी तथा इसके गठन के बाद सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
- ट्रस्ट को अपने क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों में परिवर्तन संबंधी लगभग सभी अधिकार प्राप्त हैं किंतु ट्रस्ट की मौजूदा संरचना में बदलाव का अधिकार नहीं होगा।
- इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है किंतु इसे अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं होगा।

### सदस्यों की नियुक्ति

- ट्रस्ट के 9 सदस्यों के नाम ट्रस्ट के गठन के साथ ही निर्धारित कर दिये गए हैं, जबकि अन्य सदस्यों में एक-एक सदस्य को केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा तथा अन्य दो सदस्यों को ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा।
- अयोध्या के ज़िला मजिस्ट्रेट इस ट्रस्ट के पदेन सदस्य होंगे जो अन्य दो सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे।
- एक अन्य पदेन सदस्य ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के विकास व प्रशासनिक देखरेख के लिये बनने वाली कमेटी का अध्यक्ष होगा।
- केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य एक आईएएस अधिकारी होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे की रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिये। यह अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत होना चाहिये।
- राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य भी आईएएस अधिकारी होगा और राज्य सरकार के तहत कार्यरत होगा। इसकी रैंक सेक्रेटरी से नीचे की नहीं होनी चाहिये।
- इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस ट्रस्ट में एक सदस्य निर्मोही अखाड़ा से अनिवार्य रूप से होना चाहिये।
- अन्य सदस्यों का चयन ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा।

नियुक्ति के लिये अनिवार्य शर्त

- ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हिंदू धर्मावलंबी होना अनिवार्य है।

### सदस्यता खत्म करने की शर्तें

- सदस्यों को ट्रस्ट से केवल निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ही बाहर किया जा सकता है:
  - सदस्य की मृत्यु हो जाने पर
  - इस्तीफा देने पर
  - पागल, दिवालिया, अपराधी या अयोग्य घोषित होने पर उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है।
  - किंतु ट्रस्ट में शामिल के परासरन को हटाने का अधिकार अन्य सदस्यों को नहीं होगा वे जीवनपर्यंत इस ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे।
- ट्रस्ट के हित में किसी सदस्य को हटाने का फैसला मतदान द्वारा दो-तिहाई बहुमत के आधार पर होगा।

ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य

- ट्रस्ट के गठन का मुख्य उद्देश्य मंदिर निर्माण एवं निर्माण के पश्चात् मंदिर की देखरेख करना है।

### इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में केंद्र सरकार को अयोध्या अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण के तहत मंदिर के निर्माण के अधिकार के साथ ट्रस्टियों के साथ-साथ ट्रस्ट या किसी अन्य उपयुक्त निकाय की स्थापना केलिये निर्देशित किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित शक्तियों के आधार पर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के एक सदस्य की अनिवार्यता को निर्धारित किया है।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट की संरचना, प्रबंधन, ट्रस्टियों की शक्तियाँ, मंदिर निर्माण एवं अन्य सभी आवश्यक, आकस्मिक और पूरक मामलों के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान करने का निर्देश दिया था।
- इस ट्रस्ट को अन्य अधिग्रहीत भूमि के साथ-साथ आंतरिक और बाहरी प्रांगणों पर कब्ज़ा मिलेगा जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र द्वारा प्रबंधित और विकसित किया जाएगा।

## धन्यवाद प्रस्ताव

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में बहस हुई।

### धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है?

- प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है।
- अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है।
- राष्ट्रपति के इस संबोधन को 'ब्रिटेन के राजा का भाषण' से लिया गया है, दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है इसे ही 'धन्यवाद प्रस्ताव' कहा जाता है।
- बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिये रखा जाता है।
- इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसको सरकार की पराजय माना जाता है।
- राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद- विवाद के मुद्दे उठाने और कमियों हेतु सरकार तथा प्रशासन की आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है।

संसद में सदस्यों द्वारा चर्चा के लिये लाए जाने वाले प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

- महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव
- स्थानापन्न प्रस्ताव

- पूरक प्रस्ताव- इसकी तीन श्रेणियाँ हैं:
  - सहायक प्रस्ताव
  - स्थान लेने वाला प्रस्ताव
  - संशोधन
- कटौती प्रस्ताव- सामान्यत: 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं:
  - साधारण कटौती
  - घटकों में कटौती
  - कंगारू कटौती
  - गिलोटिन प्रस्ताव
- विशेषाधिकार प्रस्ताव
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
- स्थगन प्रस्ताव
- अविश्वास प्रस्ताव
- विश्वास प्रस्ताव
- निंदा प्रस्ताव
- अनियत दिवस
- विलंबकारी प्रस्ताव

## असंसदीय भाषा एवं आचरण के विरुद्ध नियम

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद में बहस के दौरान असंसदीय भाषा एवं आचरण (Unparliamentary Speech and Conduct) के विरुद्ध नियमों के अनुपालन और उनकी प्रासंगिकता के संदर्भ में चर्चा हुई।

### प्रमुख बिंदु:

- संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अनुसार, संसद में या किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिये गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- एक संसद सदस्य जो कुछ भी कहता है वह संसद के नियमों के अनुशासन, सदस्यों की अच्छी समझ (Good Sense) और पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अधीन है।
- यह सुनिश्चित करता है कि संसद सदस्य सदन के अंदर "अपमानजनक या अभद्र या अनिर्दिष्ट या असंसदीय शब्द" का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालक विषयक नियम 380 के अनुसार, "यदि अध्यक्ष की राय है कि बहस में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमानजनक या अभद्र या असंसदीय या अनिर्दिष्ट हैं, तो संभव है कि अध्यक्ष विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तरह के शब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने का आदेश पारित करें।"
- लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालक विषयक नियम 381 के अनुसार, "सदन की कार्यवाही का वह भाग जो समाप्त हो गया है, तारांकन द्वारा चिन्हित किया जाएगा और कार्यवाही में एक व्याख्यात्मक टीका (Explanatory Footnote) इस प्रकार डाला जाएगा: 'अध्यक्ष द्वारा आदेशित'।"

नोट :

### असंसदीय शब्दावली निषेध संबंधी पुस्तक

- इस पुस्तक को पहली बार वर्ष 1999 में संकलित किया गया था। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय विधानसभा, भारत की संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा में पहली बार असंबद्ध घोषित किये गए बहस और वाक्यांशों के संदर्भ शामिल किये गए थे।
- ऐसे असंसदीय वाक्यांश और शब्द जो अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में हैं, को पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति) संसद के रिकॉर्ड से बाहर रखने का काम करते हैं।
- इस संदर्भ में सहायता हेतु लोकसभा सचिवालय ने वर्ष 2004 में एक नए संस्करण के अंतर्गत 'असंसदीय अभिव्यक्तियाँ (Unparliamentary Expressions)' शीर्षक से एक नियमावली प्रकाशित की।
- राज्य विधानमंडलों को भी मुख्य रूप से इसी पुस्तक द्वारा निर्देशित किया जाता है।

### असंसदीय शब्दावली के उदाहरण

- जिन शब्दों और वाक्यांशों को असंसदीय माना गया है उनमें स्कंबैग (Scumbag), शिट (Shit), बैड (Bad- जैसे संसद सदस्य एक बुरा आदमी है) और बैंडिकूट (Bandicoot), शब्द शामिल हैं।
- यदि पीठासीन अधिकारी महिला है तो कोई भी संसद सदस्य उसे "प्रिय अध्यक्ष (Beloved Chairperson)" के रूप में संबोधित नहीं कर सकता है।
- सरकार या किसी अन्य संसद सदस्य पर "झाँसा देने (Bluffing)" का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
- रिश्वत, ब्लैकमेल, रिश्वतखोर, चोर, डाकू, लानत, धोखा, नीच, और डार्लिंग जैसे शब्द असंसदीय हैं। इनका प्रयोग संसद सदस्यों के लिये नहीं किया जा सकता।
- संसद सदस्य या पीठासीन अधिकारियों पर "कपटी (Double Minded)" होने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है।
- एक संसद सदस्य को ठग, कट्टरपंथी, चरमपंथी, भगोड़ा नहीं कहा जा सकता। किसी भी सदस्य या मंत्री पर जान-बूझकर तथ्यों को छिपाने, भ्रमित करने या जानबूझकर भ्रमित होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
- किसी भी अनपढ़ संसद सदस्य को 'अँगूठा छाप' नहीं कहा जा सकता है।

## जीवन सुगमता सूचकांक और नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक-2019

### चर्चा में क्यों:

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs) द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक तथा नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक -2019 (Ease of Living Index and Municipal Performance Index) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

### मुख्य बिंदु:

- दोनों सूचकांकों को तैयार करने के लिये 100 स्मार्ट शहरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 14 शहरों को शामिल किया जाएगा।
- सूचकांकों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना है।

नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक-2019

- नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक में पाँच क्षेत्रों सेवा (Service), वित्त (Finance), योजना (Planning), प्रौद्योगिकी (Technology) और शासन (Governance) के आधार पर नगरपालिकाओं के कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।
- इन पाँच क्षेत्रों को पुन: 20 अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनका आकलन 100 संकेतों के आधार पर किया जाएगा।

### महत्त्व:

- इस सूचकांक के माध्यम से नगरपालिकाओं का बेहतर नियोजन और प्रबंधन किया जा सकेगा।
- सूचकांक नगर प्रशासन में उत्पन्न खामियों को दूर करने में भी मददगार साबित होगा।

नोट :

### जीवन सुगमता सूचकांक-2019

- इसके माध्यम से स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, प्रशासन की प्रभावशीलता, शहरों में रहने हेतु स्थान के संदर्भ में शहरों में प्रदत्त सेवाओं के द्वारा उत्पन्न परिणाम और इन सबके प्रति नागरिकों की सोच को शामिल किया गया है जो कि भारतीय शहरों के प्रति नागरिकों के एक समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

### उद्देश्य :

- जीवन सुगमता सूचकांक चार प्रमुख उद्देश्यों को शामिल करता है जिनमें शामिल हैं-

  साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के निर्देशन के लिये जानकारी उत्पन्न करना।

  सतत विकास लक्ष्य सहित व्यापक विकासात्मक परिणाम को प्राप्त करने के लिये कार्रवाई करना।

  विभिन्न शहरी नीतियों और योजनाओं से प्राप्त परिणामों का आकलन और उनकी तुलना करना।

  शहरी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में नागरिकों की अवधारणाओं को जानना।

### जीवन सुगमता सूचकांक के स्तंभ:

- जीवन सुगमता सूचकांक-2019 तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर नागरिकों के जीवन जीने में सुगमता का मूल्यांकन/निर्धारण करेगा-
  - जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life)
  - आर्थिक क्षमता (Economic Ability)
  - स्थिरता (Sustainability)
- इन तीन स्तंभों को 14 श्रेणियों तथा 50 संकेतकों में विभाजित किया गया है।
- पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक-2019 के मूल्यांकन में नागरिक अवधारणा सर्वेक्षण को भी शामिल किया जा रहा है जिसका सूचकांक में 30% अधिभार होगा।
- नागरिक अवधारणा मूल्यांकन, सर्वेक्षण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से शहरों में जीवन की गुणवत्ता के संबंध में नागरिकों की धारणा को जानने में मददगार होगा।
- सर्वेक्षण, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से संपन्न किया जा रहा है जो 1 फरवरी, 2020 से शुरू हो चुका है तथा 29 फरवरी, 2020 तक जारी रहेगा।
- ऑफलाइन संस्करण में लोगों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिये जाएंगे। यह 1 फरवरी से शुरू हो गया है जो ऑनलाइन संस्करण के साथ-साथ ही चल रहा है।
- सर्वेक्षण को बड़ी मात्रा में एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

विभिन्न पहलों के माध्यम से शहरों में हुई प्रगति का आकलन करने ,कार्य हेतु योजना बनाने, योजनाओं के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन तथा योजनाओं की निगरानी हेतु उपयोग किये जाने वाले माध्यमों के लिये इन सूचकांकों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

## मौलिक अधिकार और रिट

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सार्वजनिक पदों पर 'प्रोन्नति में आरक्षण' मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

### निर्णय के मुख्य बिंदु:

- प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 'प्रोन्नति में आरक्षण' के लिये परमादेश रिट जारी करने की बाध्यता नहीं है।

नोट :

### सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश:

- न्यायालय ने कहा है कि यद्यपि अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4-A) राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है लेकिन ऐसा करना राज्य सरकारों की विवेकशीलता पर निर्भर करता है, हालाँकि अगर वे (राज्य) अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं तो राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा।
- इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में आँकड़ों का संग्रहण आरक्षण प्रदान करने के लिये एक पूर्व आवश्यकता है।
- यदि राज्य सरकारों ने आरक्षण प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है।

### परमादेश क्या है ?

परमादेश अंग्रेज़ी कॉमन लॉज़ में एक प्रमुख लेख है जिसका अर्थ है 'साधारण कानूनी उपाय अपर्याप्त होने पर संप्रभु इकाई द्वारा जारी किया गया असाधारण रिट या आदेश'।

- परमादेश का शाब्दिक अर्थ है 'हम आज्ञा देंते हैं' अर्थात यह किसी व्यक्ति या निकाय को (सार्वजनिक या अर्द्ध-सार्वजनिक) उस स्थिति में कर्त्तव्य पालन का आदेश देता है यदि इन निकायों ने ऐसा कार्य करने से मना कर दिया हो और जहाँ उस कर्त्तव्य के पालन को लागू करने के लिये अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय मौजूद नहीं हैं।
- यह रिट तब तक जारी नहीं की जा सकती है जब तक कि कानूनी कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति का नहीं है और आवेदक का कानूनी अधिकार शामिल न हो।
- रिट जारी करने का उपाय एक विवेकाधीन प्रकृति का विषय है क्योंकि यदि अन्य वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं तो ऐसे में न्यायालय रिट जारी करने से मना कर सकता है। हालाँकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये वैकल्पिक उपाय उतना वज़न नहीं रखते है जितना कि रिट रखती है।
- रिट को अवर न्यायालयों या अन्य न्यायिक निकायों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, यदि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने और अपना कर्त्तव्य निभाने से इनकार कर दिया हो।
- रिट को एक निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहाँ राज्य और निजी पार्टी की मिलीभगत (Collusion) संविधान या किसी कानून के प्रावधान का उल्लंघन करती हो।
- अनुच्छेद 361 के तहत इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है।

### अनुच्छेद 361 (राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राजप्रमुखों का संरक्षण):

- राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्त्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किये जाने वाले किसी भी कार्य के लिये किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगा।
- 1951 में वेंकटरामन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास (Venkataramana vs State Of Madras) के मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने परमादेश रिट जारी की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता का अधीनस्थ नागरिक न्यायिक सेवा में चयन नहीं किया गया था। पीठ ने मद्रास राज्य को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और सांप्रदायिक रोटेशन (Communal Rotation Order) के नियम को लागू किये बिना मेरिट के आधार पर पद संबंधी मामले को निपटाने का आदेश दिया।

### रिट संबंधी प्रावधान:

- भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। ये हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-प्रच्छा (Quo-Warranto)।

  उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में अंतर:
- उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा तक ही है।

- उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है परंतु उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकते हैं।
- उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल किये गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट को सुनवाई के लिये स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।

# स्वास्थ्य हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रभावी निष्पादन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक सतर्कता प्रकोष्ठ बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

### प्रमुख बिंदु:

- प्रस्तावित प्रकोष्ठ राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा।
- प्रस्ताव के अनुसार, सतर्कता प्रकोष्ठ का प्रमुख एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी को बनाए जाने की संभावना है।
- सतर्कता प्रकोष्ठ चिकित्सा शिक्षा सेवा द्वारा चयनित डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएगा तथा निजी क्षेत्र में सरकारी डॉक्टरों और नैदानिक क्लीनिकों, फॉर्मेसियों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के बीच वित्तीय लेनदेनों पर नकेल कसेगा।
- यह स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों द्वारा किये जा रहे प्रचार-प्रसार तथा झूठे दावों की निगरानी करेगा, डॉक्टरों की सिफारिश के बिना लिखी जा रही आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर रोक लगाएगा तथा शिकायतों की जाँच करेगा।
- यह प्रकोष्ठ झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई करेगा जो सरकार के टीकाकरण कार्यक्रमों के बारे में संदेह को बढ़ावा देने के लिये सोशल मीडिया पर अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं।

### दो वर्ष पुराना प्रस्ताव

- केरल स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार, सतर्कता प्रकोष्ठ का प्रस्ताव लगभग दो वर्ष पुराना है जो अब कार्यरूप में परिणत हो रहा है।
- प्रमुख सचिव के अनुसार, निदेशालय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सतर्कता प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गई है।
- कुछ अन्य विभागों में भी शिकायतों के निपटारे हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, स्वास्थ्य विभाग अति संवेदनशील है। अत: यहाँ इसकी आवश्यकता है, हालाँकि पूर्व में शिकायतों के निपटारे हेतु आंतरिक जाँच समिति गठित की गई है।
- प्रस्तावित सतर्कता प्रकोष्ठ राज्य के गृह विभाग के अधीन एक पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगा परंतु औषधीय एवं चिकित्सा संबंधी सुझाव चिकित्सक समुदाय से ही मांगे जाएंगे।

### चिकित्सकों के विचार

- चिकित्सक समुदाय इस प्रस्ताव को लेकर आशंकित हैं। कई चिकित्सकों ने सतर्कता प्रकोष्ठ जैसी गहन निगरानी व्यवस्था को स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला बताया है।
- चिकित्सकों के अनुसार, सतर्कता प्रकोष्ठ का प्रमुख पेशेवर चिकित्सक नहीं है अत: वह चिकित्सकीय संवेदनशीलता को भलीभाँति नहीं समझ सकता है।

# ई- गवर्नेंस पर 23वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन

## चर्चा में क्यों ?

7-8 फरवरी,2020 को मुंबई में ई-गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में डिजिटल तकनीक के उपयोग से शासन में परिवर्तन: अवसर एवं चुनौतियाँ के विषय पर विचार-विमर्श का आयोजन भी किया गया था।

## प्रमुख बिंदु

- भारत 2020: डिजिटल परिवर्तन (India 2020: Digital Transformation) की व्यापक थीम के साथ सम्मेलन में निम्नलिखित छः उप विषयों पर भी चर्चा हुई-

### डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल अर्थव्यवस्था

सेवा वितरण में सुधार

डिजिटल सेवाओं के प्रति विश्वास निर्माण - पारदर्शिता, सुरक्षा और गोपनीयता

डिजिटल भुगतान और फिनटेक

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन/डिजिटल सेवा मानक

स्किलिंग और क्षमता निर्माण

- ई- गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुंबई घोषणा (Mumbai Declaration) के माध्यम से वर्ष 2019 के शिलॉन्ग घोषणा में उल्लिखित ई-गवर्नेंस के रोडमैप को आगे ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और भूमि में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सफल ई-गवर्नेंस समाधानों का प्रसार करना शामिल है।
- इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार के लिये प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवाओं में अधिक विश्वास निर्माण का समर्थन करना, भारत को एक वैश्विक क्लाउड हब के रूप में विकसित करना, ई-ऑफिस के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार करना मुंबई घोषणा के उद्देश्य हैं।
- ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पुरुस्कृत करने हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवाड्र्स 2020 इस सत्र में प्रस्तुत किए गए।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पुन:अभियांत्रिकी द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिये स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
- इस सम्मेलन में पहली बार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक ऑनलाइन हैकाथॉन आयोजित किया, जो नागरिक की शिकायतों के निवारण के लिये अभिनव समाधान प्रस्तुत कर रहा है।
- सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2020 में मुंबई में इंडिया फिनटेक फेस्टिवल (India Fintech Festival) आयोजित करने की घोषणा की।
- सम्मेलन में 28 राज्यों और नौ केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- इस सम्मेलन ने केंद्र तथा राज्य सरकारों, उद्योग जगत, शिक्षाविदों, शोधकर्त्ताओं और विभिन्न थिंक टैंकों को साथ लाकर नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया।
- इस सम्मेलन द्वारा सभी हितधारक ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं को लागू करने में सफलता के लिये योजनाबद्ध तरीके से डिजिटल संसाधनों को अपनाने में सक्षम होंगे, ताकि नागरिकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार हो सके और "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" संबंधी प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा सके।

नोट :

## चिकित्सा उपकरणों को 'औषधि' का दर्जा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act), 1940 की धारा-3 के अनुसार, 1अप्रैल 2020 से चिकित्सीय उपकरणों को 'औषधि (Drugs)' का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा।

### प्रमुख बिंदु

- अधिनियम की धारा-3 के अनुसार, चिकित्सा उपकरणों में इम्प्लांटेबल चिकित्सीय उपकरणों जैसे घुटने के प्रत्यारोपण (Knee Implants), सीटी स्कैन (CT Scan), MRI उपकरण (MRI Equipment), डीफिब्रिलेटर (Defibrillators), डायलिसिस मशीन (Dialysis Machine), पीईटी उपकरण (PET Equipment), एक्स-रे मशीन (X-ray Machine) आदि शामिल हैं।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को उम्मीद है कि इन मशीनों की सहायता से गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- अधिसूचना के अनुसार, सभी चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं को अब आयात और बिक्री के लिये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ( Central Drugs Standard Control Organisation-CDSCO ) से इन उपकरणों को प्रमाणित करवाने की आवश्यकता होगी।

### केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- देश भर में इसके छह ज़ोनल कार्यालय, चार सब-ज़ोनल कार्यालय, तेरह पोर्ट कार्यालय और सात प्रयोगशालाएँ हैं।
- विज़न: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना।
- मिशन: दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तय करना।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 (The Drugs & Cosmetics Act,1940 and rules 1945) के अंतर्गत CDSCO दवाओं के अनुमोदन, नैदानिक परीक्षणों के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रवर्तन में एकरूपता लाने के लिये उत्तरदायी है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

- भारत का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) औषधियों तथा प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री तथा संवितरण को विनियमित करता है।
- इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या फर्म राज्य सरकार द्वारा जारी उपयुक्त लाइसेंस के बिना औषधियों का स्टॉक, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता।
- वर्ष 1940 में इस कानून की धारा-26 को संशोधित कर मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संस्थाओं को औषधि तथा प्रसाधन सामग्री का नमूना परीक्षण तथा विश्लेषण करने के लिये अधिकृत किया गया।
- इस अधिनियम के अंतर्गत तकनीकी मामलों पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया।

नोट :

## सरोगेसी विनियमन विधेयक

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक प्रवर समिति (Select Committee) ने सरोगेसी विनियमन पर अपनी रिपोर्ट पेश की है।

### मुख्य बिंदु:

- इस प्रवर समिति का गठन राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में किया गया था।
- प्रवर समिति ने 'सरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019' पर अपनी रिपोर्ट पेश की है।

### समिति की प्रमुख सिफारिशें:

- विधेयक के 'करीबी रिश्तेदारों' (Close Relatives) वाले खंड को हटा दिया जाना चाहिये और किसी भी 'इच्छुक' (Willing) महिला को सरोगेट माँ बनने की अनुमति दी जानी चाहिये। साथ ही यदि उपयुक्त प्राधिकारी ने सरोगेसी को मंज़ूरी दे दी है तो अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये।
- वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
- 35-45 वर्ष आयु-वर्ग की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को 'सिंगल कमीशनिंग पैरेंट' (Single Commissioning Parent) होने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- नि:संतान विवाहित जोड़ों के लिये पाँच वर्ष की प्रतीक्षा अवधि को उस स्थिति में हटा देना चाहिये यदि चिकित्सा प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करता है कि वे गर्भधारण करने में असमर्थ हैं।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों को सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- समिति ने सिंगल कमीशन पैरेंट की परिभाषा में एकल पुरुष या महिलाओं को शामिल नहीं करने की सिफारिश है। इसका मतलब है कि तुषार कपूर, करण जौहर और एकता कपूर जैसे लोग बच्चों के लिये सरोगेसी मार्ग का उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे।
- प्रवर समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक [Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill] को सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 से पहले लाया जाना चाहिये।

### सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक:

- ART विधेयक को 2008 से बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य सभी आईवीएफ(IVF) क्लीनिकों और शुक्राणु बैंकों (Sperm Banks) को विनियमित करना है।
- यह ART क्लीनिकों और युग्मक बैंकों (Gamete Banks) को भी पृथक करेगा।

पूर्व में संसदीय पैनल द्वारा विधेयक पर दी गई सिफ़ारिशें:

- इस विधेयक की पहले भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा जाँच की गई थी।
- समिति ने सिफारिश की थी कि मुआवज़े की शर्त को अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिये और 'परोपकारी' (altruistic) शब्द को 'क्षतिपूर्ति' (Compensated) शब्द से प्रतिस्थापित कर देना चाहिये।
- 'लिव-इन रिलेशनशिप' को युगल (Couple) की परिभाषा में शामिल करना चाहिये और उन्हें परिवार के भीतर एवं बाहर दोनों से सरोगेट चुनने की अनुमति होनी चाहिये।
- 'निकट संबंधी' प्रावधान का पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना में दुरुपयोग हो सकता है जहाँ इच्छुक दंपत्ति के करीबी रिश्तेदार को सरोगेट बनने के लिये मजबूर किया जा सकता है जो वाणिज्यिक सरोगेसी की तुलना में और भी अधिक शोषणकारी होगा।
- ART और सेरोगेसी विधेयकों को अलग-अलग पेश करने के स्थान पर एक साथ पेश करना चाहिये तथा सरोगेसी विधेयक को ART विधेयक के एक भाग के रूप में शामिल करना चाहिये।

### निष्कर्ष:

प्रवर समिति ने अधिकांश वही सिफारिशें पुन: पेश की हैं जिनको सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। सरकार प्रवर समिति की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये स्वतंत्र है, हालाँकि मूल विधेयक जिसकी अनेक विद्वानों ने रूढ़िवादी विधेयक कहकर आलोचना की थी, में अंतत: कुछ प्रगतिशील संशोधन देखें जा सकते हैं।

नोट :

# समान नागरिक संहिता (UCC)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक गोवा निवासी की संपत्ति से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए गोवा को 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) लागू करने के संदर्भ में एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में वर्णित किया है।

### मुख्य बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने भारत के लिये एक समान नागरिक संहिता की 'आशा और अपेक्षा' की थी, लेकिन इसे लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

- समान नागरिक संहिता वह संहिता है जो पूरे देश के लिये एक समान कानून और सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि संबंधी कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
- संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 44 संविधान के भाग-4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy- DPSP) में से एक है।
- अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था मंस मौलिक प्रकृति के होंगे।
- मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तन के योग्य हैं।
- अनुच्छेद 44 में 'राज्य प्रयास करेगा' जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, परंतु इस अध्याय के अन्य अनुच्छेदों में 'विशेष रूप से प्रयास में', 'विशेष रूप से अपनी नीति को निर्देशित करेगा', 'राज्य की बाध्यता होगी' आदि शब्दों का उपयोग किया गया है।
- अनुच्छेद 43 में उल्लेख किया गया है कि 'राज्य उपयुक्त कानून द्वारा प्रयास करेगा' जबकि वाक्यांश 'उपयुक्त कानून द्वारा' अनुच्छेद 44 में अनुपस्थित है।
- इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी राज्य की DPSP को लागू करने की ज़िम्मेदारी अनुच्छेद 44 की तुलना में अन्य अनुच्छेदों के लिये अधिक है।

### मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्त्व:

- इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौलिक अधिकार DPSP से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में वर्णित किया था कि भारतीय संविधान की स्थापना भाग-III (मौलिक अधिकार) और भाग-IV (DPSP) के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। इनमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण अधिकार देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना है
- अनुच्छेद 31(C) जिसे वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इस बात की पुष्टि करता है कि यदि किसी भी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिये कोई कानून बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

वर्तमान में समान नागरिक संहिता की स्थिति:

- वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून, कई सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे- भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि।
- हालाँकि राज्यों ने कई कानूनों में सैकड़ों संशोधन किये हैं परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता है।
- यह तर्क दिया जाता है कि यदि संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता लागू करने की आशा की होती, तो उन्होंने इस विषय को संघ सूची में शामिल करके व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में संसद को विशेष अधिकार दिया होता। जबकि इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।

- वर्ष 2019 में भी विधि आयोग ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

क्या सभी धार्मिक समुदायों के लिये अपने सभी सदस्यों को नियंत्रित करने वाला एक सामान्य व्यक्तिगत कानून है?

- देश के न तो सभी हिंदू, न सभी मुसलमान और न ही सभी ईसाई एक कानून द्वारा शासित हैं।
- भारत के अलग-अलग हिस्सों में न केवल ब्रिटिश कानूनी परंपराएँ, यहाँ तक कि पुर्तगाली और फ्राँसीसी भी कुछ हिस्सों में सक्रिय हैं।
- जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त, 2019 तक स्थानीय हिंदू कानून केंद्रीय अधिनियमों से भिन्न थे।
- वर्ष 1937 के शरीयत अधिनियम को कुछ वर्ष पहले जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित किया गया था लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है।
- इस प्रकार कश्मीर के मुसलमान एक प्रथागत कानून द्वारा शासित थे, परंतु देश के बाकी हिस्सों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू था जो हिंदू कानून के करीब था।
- यहाँ तक कि मुसलमानों के बीच विवाह के पंजीकरण संबंधी कानून अलग-अलग स्थानों पर भिन्न होते हैं।
- पूर्वोत्तर में 200 से अधिक जनजातियाँ अपने स्वयं के विविध प्रथागत कानूनों को मानती हैं।
- संविधान नगालैंड, मेघालय और मिज़ोरम के स्थानीय रीति-रिवाजों की रक्षा का प्रावधान करता है।

समान नागरिक संहिता का धर्म संबंधी मौलिक अधिकारों से संबंध:

- अनुच्छेद 25 धर्म के संबंध में व्यक्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करता है; अनुच्छेद 26 (B) प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के अधिकार को 'धर्म के मामलों में प्रबंधन' करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 29 विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करता है।
- अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता 'सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता' और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रतिबंधों के अधीन है, लेकिन अनुच्छेद 26 के तहत एक धार्मिक समूह की स्वतंत्रता अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है।
- संविधान सभा में समान नागरिक संहिता संबंधी मौलिक अधिकार को इस अध्याय में रखने के मुद्दे पर विभाजन था। यह मामला एक वोट से तय हुआ।
- सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप-समिति ने 5: 4 के बहुमत से माना कि यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर था, इसलिये समान नागरिक संहिता को धार्मिक स्वतंत्रता से कम महत्त्वपूर्ण बताया गया।

## समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों का विचार:

- मोहम्मद इस्माइल नामक सदस्य जिन्होंने तीन बार मुस्लिम पर्सनल लॉ को अनुच्छेद 44 से मुक्त करने का असफल प्रयास किया था, ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को लोगों के व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।
- बी पोकर साहब नामक अन्य एक सदस्य ने कहा कि उन्हें विभिन्न संगठनों से एक समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें हिंदू संगठन भी शामिल हैं।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कोई भी सरकार अपने प्रावधानों का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकती है जो मुसलमानों को विद्रोह करने के लिये मजबूर करे।
- अल्लादी कृष्णस्वामी, जो एक समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, ने माना कि किसी भी समुदाय के मज़बूत विरोध की अनदेखी करते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करना नासमझी होगी।
- इन बहसों में लैंगिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया था।

समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा के हिंदू सदस्यों का विचार:

- जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि व्यक्तिगत कानून में बुनियादी परिवर्तन प्रारंभ करना पूरे हिंदू धर्म पर 'सूक्ष्म अल्पसंख्यक' संबंधी 'प्रगतिशील विचारों' को लागू करना था।
- हिंदू कानून में सुधार के विरोध में शामिल लोगों में सरदार पटेल, पट्टाभि सीतारमैय्या, एम ए अयंगार, एम एम मालवीय और कैलाश नाथ काटजू शामिल थे।
- दिसंबर 1949 में जब हिंदू कोड बिल पर बहस शुरू हुई तो 28 में से 23 वक्ताओं ने इसका विरोध किया।

नोट :

- 15 सितंबर, 1951 को राष्ट्रपति ने हिंदू कोड बिल को संसद में वापस करने या इसे वीटो करने की अपनी शक्तियों का उपयोग करने की धमकी दी।
- जवाहर लाल नेहरू ने संहिता को अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

# WHO द्वारा बीमारियों के नामकरण की प्रक्रिया

## चर्चा में क्यों?

11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने कोरोना विषाणु (Coronavirus) द्वारा जनित बीमारी के आधिकारिक नाम के रूप में COVID-19 को मान्यता दी है।

### प्रमुख बिंदु

- हुबेई प्रांत के वुहान शहर में निमोनिया (Pneumonia) जैसे कई मामलों के बारे में पता चलने पर चीन सरकार द्वारा सतर्क किये जाने के 40 दिन बाद WHO द्वारा इस बीमारी का नामकरण किया गया है।
- जिनेवा में COVID-19 के नाम की घोषणा करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने कहा कि हमें भविष्य में कोरोना विषाणु द्वारा जनित बीमारी की पहचान सुनिश्चित करने के लिये यह एक मानक प्रदान करेगा।
- WHO द्वारा इसका नामकरण वैश्विक एजेंसी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health) और खाद्य एवं कृषि संगठन ( Food and Agriculture Organization) द्वारा वर्ष 2015 में जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है।
- इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है।
- इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसका भारतीय मुख्यालय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं।
- वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) हैं।

### उद्देश्य

- इसका उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है।
- यह अंतरिम स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समन्वयकारी प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है तथा स्वास्थ्य मामलों में सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- इसके कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, रोग निवारण व नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संवर्द्धन, जैव-चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं, शोध व स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकास एवं प्रोत्साहन शामिल है।

### खाद्य एवं कृषि संगठन

- संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी।
- खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन

- यह दुनिया-भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उत्तरदाई एक अंतर-सरकारी संगठन (Iintergovernmental Organisation) है।
- इसे विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organizatio-(WTO) द्वारा संदर्भित संगठन (Reference Organisation) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

नोट :

- वर्तमान में कुल 182 देश इसके सदस्य थे।
- इसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में स्थित है।

COVID-19 से तात्पर्य

- WHO के अनुसार COVID-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि VI विषाणु को, D बीमारी को तथा संख्या 19 वर्ष 2019 (बीमारी के पता चलने का वर्ष) को चिन्हित करता है।

### बीमारी का नाम देने में शीघ्रता क्यों?

- WHO द्वारा बीमारी का नाम बताने की शीघ्रता इसलिये की जाती है ताकि इसके समरूप नामों के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- प्राय: वैज्ञानिक समुदाय से संबंध न रखने वाले लोग किसी नई बीमारी को सामान्य नामों से पुकारते हैं। परंतु एक बार जब ये नाम इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य तौर पर प्रयोग किये जाने लगते हैं तो उन्हें बदलना मुश्किल होता है, भले ही उस बीमारी के संबंध में अनुचित नाम का उपयोग क्यों न किया जा रहा हो।
- मई 2015 में WHO ने कहा कि पहली बार किसी नई बीमारी की रिपोर्ट मिलने पर यह आवश्यक हो जाता है कि उसे आधिकारिक रूप से उपयुक्त नाम दिया जाए जिससे यह वैज्ञानिक रूप से उचित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो।
- इसके पीछे मुख्य उद्देश्य 'व्यापार, यात्रा, पर्यटन या पशु कल्याण पर बीमारी के नामों के अनावश्यक नकारात्मक प्रभाव को कम करना था, और किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, पेशेवर या जातीय समूहों को अपराध करने से बचाना था'।

### नामकरण के संदर्भ में सुझाव

- किसी नई बीमारी के नाम में शब्दों का संयोजन होना चाहिये। इन शब्दों में नैदानिक लक्षणों (श्वसन), शारीरिक प्रक्रियाओं (दस्त), और शारीरिक या रोग संबंधी संदर्भ के आधार पर सामान्य वर्णनात्मक शब्द शामिल हो सकते हैं।
- यह विशिष्ट वर्णनात्मक शब्द जैसे कि पीड़ित (शिशु, किशोर या मातृ), मौसम (गर्मी या सर्दी) और गंभीरता (सामान्य या गंभीर) का उल्लेख कर सकता है।
- नाम में अन्य तथ्यात्मक तत्त्व भी शामिल हो सकते हैं जैसे कि पर्यावरण (महासागर या नदी), रोग का कारण (जीवाणु या विषाणु) और वर्ष, जब नई बीमारी का पहली बार पता चला।
- वर्ष का उल्लेख तब किया जाता है जब विभिन्न वर्षों में एक ही कारण से हुई कई घटनाओं के बीच अंतर करना हो। जैसे- विभिन्न वर्षों में COVID-19 व अन्य बीमारियों (गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम) के प्रसार में कोरोना विषाणु ही प्रमुख कारण रहा है।

### नामकरण के दौरान विशेष सावधानियाँ

- वर्ष 2015 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, रोगों का नामकरण करते समय भौगोलिक स्थिति जैसे देश, शहर या क्षेत्र के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिये। पूर्व में इबोला विषाणु तथा जापानी इंसेफेलाइटिस का नामकरण भौगोलिक स्थिति के आधार पर हुआ है।
- यदि रोग की पहचान किसी व्यक्ति, पशु या पक्षी में की गई है तो भी उनके नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिये।
- यदि रोग का नामकरण भौगोलिक स्थिति, व्यक्ति, पशु या पक्षी के आधार पर होगा तो उस स्थान, व्यक्ति को सामाजिक-आर्थिक क्षति पहुँच सकती है।

---

## अर्थ-गंगा परियोजना

### संदर्भ?

जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry Of Shipping) के अनुसार, अर्थ-गंगा परियोजना (Arth-Ganga Project) से गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

नोट :

## अर्थ गंगा के बारे में:

### पृष्ठभूमि:

- दिसंबर 2019 में संपन्न हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council- NGC) की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 'नमामि गंगे' परियोजना को 'अर्थ-गंगा' जैसे एक सतत् विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था।
- अर्थ गंगा:
    - इस प्रक्रिया में किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें शून्य बजट खेती, फलदार वृक्ष लगाना और गंगा के किनारों पर पौध नर्सरी का निर्माण करना शामिल है।
    - इन कार्यों के लिये महिला स्व-सहायता समूहों और पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
    - जल से संबंधित खेलों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास और शिविर स्थलों के निर्माण, साइकिलिंग एवं टहलने के लिये ट्रैकों आदि के विकास से नदी बेसिन क्षेत्रों में धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन जैसी महत्त्वपूर्ण पर्यटन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
    - पारिस्थितिक पर्यटन और गंगा वन्यजीव संरक्षण एवं क्रूज पर्यटन आदि को प्रोत्साहन देने से अर्जित आय को गंगा स्वच्छता के लिये आय का स्थायी स्रोत बनाने में सहायता मिलेगी।

### महत्त्व

- अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास "अर्थ-गंगा" परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है।
- जलमार्गों के विकास का नदियों के तटों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
- न केवल समावेशी विकास बल्कि राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित क्षेत्र में रोज़गारों के सृजन में भी इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- अर्थ-गंगा परियोजना किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीणों के लिये आर्थिक और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी।
- भारत लगभग आधी आबादी गंगा नदी क्षेत्र के आसपास अधिवासित है। जो कि भारत के समग्र माल भाड़े का लगभग 20% भाग प्राप्ति का स्रोत है तथा एक-तिहाई गंतव्य का क्षेत्र है।

### सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनकी महत्ता:

- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (बनारस से हल्दिया तक के 1400 किमी॰ क्षेत्र में) पर किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिये कई प्रकार की गतिविधियाँ, जैसे- छोटे घाटों (Jetties) आदि का विकास किया गया है।
- परिणामस्वरूप इससे किसानों को अपनी उपज के लिये बेहतर लाभ मिलेगा क्योंकि माल का परिवहन आसान और वहनीय होगा।
- इसके अलावा इससे ईज़ ऑफ लिविंग (Ease of Living) में वृद्धि और व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) होगी।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India- IWAI) माल/कार्गो के आसान और लागत प्रभावी परिवहन के लिये छोटे- छोटे घाटों (Jetties) और 10 रो-रो जहाज़ों को तैनात कर रहा है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।
- इसके अलावा जहाज़रानी मंत्रालय अंतर्देशीय जलमार्ग के साथ तालमेल बनाने के उद्देश्य से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) फ्रेट विलेज और साहिबगंज (झारखंड) औद्योगिक क्लस्टर-सह-लॉजिस्टिक्स पार्क को 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कर रहा है।
- यह विशेष क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा करेगा।

अन्य तथ्य:

- भारत एक राष्ट्र के रूप में आर्थिक परिवर्तन हेतु सदैव नेपाल का समर्थन करता रहा है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग- 1 त्रिपक्षीय तरीके से {वाराणसी से नौतनवा (280 किमी), रक्सौल (204 किमी) और साहिबगंज विराटनगर (233 किमी)} नेपाल के साथ संबंधों को सुधारने के लिये एक मुख्य संघटन के रूप में कार्य करेगा।
- इससे पहले नेपाल माल परिवहन के लिये कोलकाता और विशाखापत्तनम पोर्ट से जुड़ा था।

- अब भारत और नेपाल सरकार के मध्य कार्गो के पारगमन के लिये संधि (Treaty for Transit of Cargo) के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग, विशेष रूप से NW-1 को अनुमति दी जाएगी।
- इससे न केवल लॉजिस्टिक लागत घटेगी बल्कि कोलकाता पोर्ट पर भीड़ भी कम होगी।

राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council- NGC):

- इसकी स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act (EPA),1986) के तहत की गई थी।
- NGC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- इसका कार्य गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प का अधीक्षण करना है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga- NMCG), राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है।
- NMCG की स्थापना वर्ष 2011 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।

# राजनीति के अपराधीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को अपने विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया है।

### मुख्य बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ-साथ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल में प्रकाशित होनी चाहिये।
- यह अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख के दो सप्ताह से कम समय में (जो भी पहले हो) प्रकाशित किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के सामने 72 घंटे के भीतर अदालती कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें अन्यथा उन दलों पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित कार्रवाई की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय केंद्र और राज्य दोनों स्तर की पार्टियों पर लागू होता है।
- संवैधानिक पीठ ने कहा है कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल रहे राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और उम्मीदवार देश की राजनीतिक और चुनावी गरिमा का अतिक्रमण करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों से उन कारणों को भी बताने के लिये कहा है जो उन्हें सभ्य लोगों की तुलना में संदिग्ध अपराधियों को आगे लाने के लिये प्रेरित करते हैं।

### पृष्ठभूमि:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय वर्ष 2018 के 'पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ' (Public Interest Foundation vs Union of India) मामले में गठित एक संवैधानिक पीठ के फैसले के आधार पर दिया गया है जो कि राजनीतिक दलों द्वारा अपनी वेबसाइट और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण प्रकाशित करने और सार्वजनिक जागरूकता फैलाने संबंधी एक अवमानना याचिका पर आधारित था।
- इस फैसले (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और नागरिकों के बीच इस तरह के अपराधीकरण के बारे में जानकारी की कमी बताई थी।

### जानकारी का स्वरूप:

- उम्मीदवारों के पूर्व अपराधों पर प्रकाशित जानकारी विस्तृत होनी चाहिये जिसमें उनके अपराधों की प्रकृति, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप, संबंधित न्यायालय, मामले की संख्या आदि शामिल हैं।
- एक राजनीतिक दल को अपनी प्रकाशित सामग्री के माध्यम से जनता को यह भरोसा दिलाना होगा क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी की 'योग्यता या उपलब्धियाँ' आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण प्रभावित होती हैं।
- एक पार्टी को मतदाता को बताना होगा कि किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिये टिकट देने का निर्णय केवल चुनावों में विजय प्राप्त करना ही नहीं था।

### राजनीतिक अपराध संबंधी आँकड़े:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले चार आम चुनावों में राजनीतिक अपराधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2004 में संसद के 24% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे जो कि वर्ष 2009 में बढ़कर 30%, वर्ष 2014 में 34% और वर्ष 2019 में 43% हो गए।

### आगे की राह:

- देश की राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसद ऐसा कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें। जन प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग अपराध की राजनीति से ऊपर हों। राष्ट्र को संसद द्वारा कानून बनाए जाने का इंतजार है। भारत की दूषित हो चुकी राजनीति को साफ करने के लिये बड़ा प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

---

## कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 (Pesticides Management Bill, 2020) को मंज़ूरी दे दी है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह विधेयक कीटनाशकों के व्यवसाय को विनियमित करने के लिये लाया जा रहा है।

इस विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- कीटनाशकों का प्रयोग कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों मंन प्रभावित करता है, इसलिये कीटनाशकों के व्यवसाय का प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में कीटनाशक व्यवसाय को कीटनाशक अधिनियम, 1968 (Insecticides Act of 1968) के नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। यह कानून अत्यंत पुराना हो गया है और इसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है।

### कीटनाशक विधेयक, 2020 के मुख्य बिंदु

- कीटनाशक से संबंधित डेटा: यह कीटनाशकों की ताकत और कमज़ोरी, जोखिम और विकल्पों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करके किसानों को सशक्त करेगा। ध्यातव्य है कि सभी जानकारियाँ डिजिटल प्रारूप में और सभी भाषाओं में डेटा के रूप में खुले तौर पर उपलब्ध होंगी।
- मुआवज़ा: यह विधेयक नकली कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के संदर्भ में क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। ध्यातव्य है कि यह प्रावधान इस विधेयक का सबसे महत्त्वपूर्ण बिंदु है।
  - साथ ही इसमें यह भी वर्णित है कि यदि आवश्यक हुआ तो क्षतिपूर्ति के लिये एक केंद्रीय कोष भी बनाया जाएगा।
- यह विधेयक जैविक कीटनाशकों के निर्माण एवं उपयोग को भी बढ़ावा देता है।
- कीटनाशक निर्माताओं का पंजीकरण: इस विधेयक के पारित होने के बाद सभी कीटनाशक निर्माता नए अधिनियम के तहत पंजीकरण हेतु बाध्य होंगे। कीटनाशकों संबंधी विज्ञापनों को विनियमित किया जाएगा ताकि निर्माताओं द्वारा कोई भ्रम न फैलाया जा सके।

### भारत में कीटनाशकों का उपयोग:

- एशिया में भारत कीटनाशकों के उत्पादन में अग्रणी है।
- घरेलू बाज़ार में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सबसे अधिक कीटनाशक खपत वाले राज्यों में शामिल हैं।

### नकली कीटनाशकों के दुष्प्रभाव

- ये फसल, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं।
- इनकी बिक्री से न केवल कृषकों बल्कि कीटनाशक के वास्तविक निर्माताओं एवं सरकार को नुकसान होता है, ध्यातव्य है कि नकली कीटनाशकों की बिक्री से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि होती है।

### कीटनाशक अधिनियम, 1968

- यह अधिनियम मनुष्यों और जानवरों के लिये जोखिम को रोकने के लिये कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करने के दृष्टिकोण के साथ अगस्त, 1971 से लागू किया गया था।
- केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड इस अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया था और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।
  - यह बोर्ड केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रशासन में उत्पन्न तकनीकी मामलों और उसे सौंपे गए अन्य कार्यों को करने की सलाह देता है।

---

## केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण' (Central Administrative Tribunal-CAT) का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

### मुख्य बिंदु:

- इस एक दिवसीय सम्मेलन में CAT की सभी 17 न्यायपीठों के न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्यों ने भाग लिया।
- CAT बार एसोसिएशन के सदस्यों और प्रख्यात न्यायविदों ने अधिकरण से विभिन्न मुद्दों के साथ ही 2020 में अधिकरण की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया।

### चर्चा के प्रमुख मुद्दे:

- इस सम्मेलन में CAT की संरचनात्मक व संस्थागत समस्याएँ, अन्य कानूनी प्रणालियों पर CAT के कामकाज का प्रभाव, अधिकरण की कार्यप्रणाली जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिये दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया।
- उपर्युक्त मुद्दों के अलावा अधिनिर्णयन गुणवत्ता व निपटान-दर में सुधार के उपायों की पहचान करना, सदस्यों की सेवा शर्तों पर विचार, अधिकरण की न्यायपीठ की अवसंरचना आदि पर चर्चा की गयी

### अधिकरण की उपलब्धियाँ:

- सदस्यों की कमी के बावजूद मामलों के निपटान में CAT की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- CAT के अनेक निर्णय, देश में सेवा क्षेत्र के विकास की दिशा में मील के पत्थर साबित हुए हैं।

नवीन पहलों की आवश्यकता: सम्मेलन में निम्नलिखित पहलों की आवश्यकता पर बल दिया गया है जहाँ अविलंब सुधार करना है:

- CAT को आंतरिक न्यायिक अधिप्रभाव मूल्यांकन (In-house Judicial Impact Assessment) की आवश्यकता है।
- वर्तमान में अधिकांश कानून अस्पष्टता के दायरे में हैं जहाँ शासन में अधिक पारदर्शिता व सरकार के प्रति प्रतिबद्धता के लिये न्याय-शास्त्र की शिक्षा व प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यक है।

- अधिकरण के कामकाज में तेज़ी लाने के लिये कृत्रिम-बुद्धिमता के उपयोग की आवश्यकता है।
- 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' (Maximum Governance, Minimum Government) के प्रति प्रतिबद्धता की ज़रूरत है।
- 'प्रदर्शन, सुधार और कायाकल्प' (Perform, Reform, and Transform) सिद्धांत की प्राप्ति की दिशा में सेवा शर्तों के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने हेतु महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- CAT पिछले कुछ वर्षों में शिकायत-मुक्त सेवा वितरण प्रणाली की प्राप्ति की दिशा में सरकार का एक आवश्यक अंग रहा है और इसी दिशा में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा अन्य सेवाओं के मामलें में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में बताते हुए इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सदस्यों का कार्यकाल पर्याप्त अवधि का होना का होना चाहिये।
- सेवा संबंधी मामलों में मुकदमेबाजी वर्तमान में काफी बढ़ गई है। CAT में लगभग 50,000 मामले लंबित हैं, अत: मामलों में कमी लाने के लिये निर्णय स्पष्ट, तर्कपूर्ण और संक्षिप्त होने चाहिये तथा न्यायिक आदेशों को सभी तथ्यों, संबंधित कानूनों और पूर्ववर्ती फैसलों को ध्यान में रखकर जारी करना चाहिये।

सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training-DoPT) के समन्वय से इन सुझावों को आगे बढ़ाया जाएगा।

## आंध्र सरकार में ST को 100% कोटा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1988 में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) में शिक्षक पदों के लिये अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes-ST) हेतु 100% आरक्षण दिये जाने के फैसले पर सवाल उठाया।

### मुख्य बिंदु:

- पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का गठन आंध्र प्रदेश राज्य के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा 1988 में जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने के लिये किया गया था।

### क्या है संवैधानिक पीठ?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के अनुसार, संविधान की व्याख्या के रूप में यदि विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो तो उसका विनिश्चय करने अथवा अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिये संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा जिसमें कम-से-कम पाँच न्यायाधीश होंगे।
- हालाँकि इसमें पाँच से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं जैसे- केशवानंद भारती केस में गठित संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीश थे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न:

- सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल पूछा है कि ऐसी आरक्षण प्रणाली अपनाने पर अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SCs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBCs) क्या करेंगे? ये वर्ग समाज में काफी पिछड़े हुए हैं और यह व्यवस्था इन समुदायों को आरक्षण के लाभ से वंचित करती है।
- पीठ ने यह भी जानने की कोशिश की है कि क्या यह निर्णय उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर लिया गया था या इसका आधार राजनीतिक विचारधारा को समर्थन प्रदान करना था?
- 'अधिसूचना' (Notification) जारी करने का आधार यह था कि STs ही उस क्षेत्र में एकमात्र वंचित समूह हैं, जबकि क्या इस बात को प्रमाणित करने वाला कोई डेटा उपलब्ध है कि कोई अन्य समूह उस क्षेत्र में वंचित नहीं है?
- पीठ ने यह भी जानना चाहा कि दो दशक से अधिक पुराने इस "प्रयोग" से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?
- पीठ ने 'संविधान की 5वीं अनुसूची' के तहत राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

### आरक्षण प्रणाली के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या :

- इस तरह के भेदकारी प्रावधानों को दो दशकों से सहन किया जा रहा है यदि अभी भी इसकी अनुमति दी गई तो इस समस्या का कोई अंत नहीं होगा और अन्य राज्य भी ऐसे प्रावधान ला सकते हैं।
- यह प्रणाली योग्य उम्मीदवारों के लिये भी दरवाज़े बंद कर देती है, यहाँ तक कि यह उनको आवेदन करने की भी अनुमति नहीं देती है।
- राज्यपाल का निर्णय कानून से ऊपर नहीं हो सकता, अत: असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये। (इंदिरा साहनी वाद का निर्णय)
- जो आरक्षण दिया गया था वह व्यक्तिपरक (Subjective) था परंतु ऐसा करने के लिये पर्याप्त डेटा होना आवश्यक है।
- अब हम एक ऐसी अवस्था में है कि संविधान को उसके वास्तविक अर्थों में संचालित करना बहुत कठिन है यहाँ तक कि संविधान निर्माताओं ने भी ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की थी।
- पीठ ने कहा कि दिये गए इस आरक्षण के साथ यह समस्या रही कि आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिला जो वास्तव में इसके हक़दार थे।

## सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महिलाओं के कल्याण हेतु एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2020' को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

### पृष्ठभूमि

- 'सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2020' महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किये गए अनेक कानूनों की श्रृंखला में नवीनतम कदम है।
- इस विधेयक के जरिये राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, नेशनल रजिस्ट्री और राज्य पंजीकरण प्राधिकरण सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी से जुड़े क्लिनिकों एवं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों का नियमन एवं निगरानी करेंगे।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology-ART) का चलन काफी तेज़ी से बढ़ा है। प्रतिवर्ष ART केंद्रों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत भी शामिल है।
- इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (In Vitro Fertilization-IVF) सहित सहायक प्रजनन तकनीक ने बाँझपन के शिकार तमाम लोगों में नई उम्मीदें जगा दी हैं, लेकिन इससे जुड़े कई कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दे भी सामने आए हैं।

### सहायक प्रजनन तकनीक

- सहायक प्रजनन तकनीक का प्रयोग बाँझपन की समस्या के समाधान के लिये किया जाता है। इसमें बाँझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जो महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग करते हैं।
- इसमें महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लिये शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद भ्रूण को दोबारा महिला के शरीर में डाल दिया जाता है।
- इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, ART का सबसे सामान्य और प्रभावशाली प्रकार है।

### प्रमुख बिंदु

- संसद में पारित हो जाने एवं इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को अधिसूचित करेगी। इसके पश्चात राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय बोर्ड प्रयोगशाला एवं नैदानिक उपकरणों, क्लिनिकों एवं बैंकों के लिये भौतिक अवसंरचना तथा यहाँ नियुक्त किये जाने वाले विशेषज्ञों हेतु न्यूनतम मानक तय करने के लिये आचार संहिता निर्धारित करेगा, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
- केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के तीन महीनों के भीतर राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश इसके लिये राज्य बोर्डों और राज्य प्राधिकरणों का गठन करेंगे।

- संबंधित राज्य में क्लिनिकों एवं बैंकों के लिये राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य बोर्ड पर होगा।
- विधेयक में केंद्रीय डेटाबेस के रख-रखाव तथा राष्ट्रीय बोर्ड के कामकाज में सहायता के लिये राष्ट्रीय रजिस्ट्री एवं पंजीकरण प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में उन लोगों के लिये कठोर दंड का भी प्रस्ताव किया गया है, जो लिंग जाँच, मानव भ्रूण अथवा जननकोष की बिक्री का काम करते हैं और इस तरह के गैर-कानूनी कार्यों के लिये संगठन चलाते हैं।

### लाभ

- यह देश में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं का नियमन करेगा। जिससे बाँझ दंपत्तियों में ART के अंतर्गत अपनाए जाने वाले नैतिक तौर-तरीकों के प्रति विश्वास पैदा होगा।
- इस सेवा के कानूनी रूप से लागू होने पर भारत वैश्विक प्रजनन उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा।
- यह अनैतिक तौर-तरीकों को नियंत्रित कर इसके वाणिज्यीकरण पर रोक लगाएगा।
- ये विधायी उपाय महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को और अधिक सशक्त करेंगे।

## स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [Swachh Bharat Mission-Grameen] के दूसरे चरण को वर्ष 2024-25 तक के लिये मंज़ूरी दे दी है।

### मुख्य बिंदु:

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिये 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा यह वित्तपोषण विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल के माध्यम से किया जाएगा।

कैसे होगा वित्तपोषण?

- इस कार्यक्रम के लिये सरकार द्वारा आवंटित 1,40,881 करोड़ रुपए में से 52,497 करोड़ रुपए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट में से आवंटित किये जाएंगे।
- शेष धनराशि को 15वें वित्त आयोग को जारी फंड के माध्यम से तथा मनरेगा और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management- SLWM) के राजस्व सृजन मॉडलों के तहत जारी किये जाने वाले फंड से जुटाया जाएगा।

### कार्यक्रम का क्रियान्वयन:

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत ओडीएफ प्लस पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखा जाएगा तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी निम्नलिखित चार संकेतकों के आधार पर की जाएगी-
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
  - जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है)
  - धूसर जल प्रबंधन
  - मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन
- इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये मौजूदा मानदंडों के अनुसार नए पात्र परिवारों को 12,000 रुपए की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा।

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वित्तपोषण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है और घरों की संख्या संबंधी प्रावधान को प्रति व्यक्ति आय से बदल दिया गया है।
- ग्राम पंचायतों की ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दिया गया है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत बुनियादी ढाँचों जैसे कि खाद के गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, शोधन संयंत्र आदि का भी निर्माण किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के इस चरण में घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से रोज़गार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करना जारी रहेगा।

### कार्यान्वयन में केंद्र और राज्यों का हिस्सा:

- इस कार्यक्रम का परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- केंद्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिये फंड शेयरिंग का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 60:40 और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100:0 होगा।

मिशन का उद्देश्य तथा पृष्ठभूमि:

- भारत में 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत के समय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
- इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया जिसके परिमाणस्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्तूबर 2019 को ओडीएफ घोषित कर दिया।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सभी राज्यों को यह सलाह दी है कि वे इस बात की पुन: पुष्टि कर लें कि ऐसा कोई ग्रामीण घर न हो, जो शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहा हो और यह सुनिश्चित करने के दौरान अगर ऐसे किसी घर की पहचान होती हो तो उसको व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिये ज़रूरी सहायता प्रदान की जाए ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी घर न छूटे।

### आगे की राह:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के लिये मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने से ग्रामीण भारत को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती का प्रभावी रूप से सामना करने और देश में ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

---

## वन हेल्थ' संबंधी अवधारणा

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी एक सम्मेलन में परिचर्चा के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने 'वन हेल्थ' संबंधी अवधारणा की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में एक उभयनिष्ठ स्वास्थ्य मॉडल बनाने की सिफारिश की है।

### प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वन हेल्थ संबंधी कार्यक्रम ज़ूनोटिक रोग (Zoonotic Disease) की घटनाओं को कम कर सकता है।
- विभिन्न शोधों से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि मानव को प्रभावित करने वाली अधिकांश संक्रामक बीमारियाँ ज़ूनोटिक प्रवृत्ति की होती हैं।
- वन हेल्थ की अवधारणा को प्रभावी रूप से COVID-19 जैसे उभरते ज़ूनोटिक रोगों की घटनाओं को कम करने के लिये लागू किया जा सकता है।
- वन हेल्थ संबंधी अवधारणा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न विषयों को सामूहिक रूप से संबोधित कर सकता है।
- शोध के अनुसार, मनुष्यों को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों में से 65% से अधिक रोगों की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत जानवर हैं।

- विशेषज्ञों के अनुसार, यदि रोग के कारणों की वैज्ञानिक जाँच के दौरान अन्य विषयों पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाए तो जाँच के परिणामों की स्पष्ट पुष्टि हो सकती है।
- वन हेल्थ मॉडल (One Health Model) के सफल क्रियान्वयन के लिये एक टास्क फोर्स की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

### वन हेल्थ मॉडल

- यह एक ऐसा समन्वित मॉडल है जिसमें पर्यावरण स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा मानव स्वास्थ्य का सामूहिक रूप से संरक्षण किया जाता है।
- यह मॉडल महामारी विज्ञान पर अनुसंधान, उसके निदान और नियंत्रण के लिये वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मॉडल है।
- वन हेल्थ मॉडल, रोग नियंत्रण में अंत:विषयक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है ताकि उभरते हुए या मौजूदा ज़ूनोटिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके।
- इस मॉडल में सटीक परिणामों के लिये स्वास्थ्य विश्लेषण और डेटा प्रबंधन उपकरण का उपयोग किया जाता है।
- वन हेल्थ मॉडल इन सभी मुद्दों को रणनीतिक रूप से संबोधित करेगा और विस्तृत अपडेट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

### ज़ूनोटिक रोग

- पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों को ज़ूनोटिक रोग कहा जाता है। विशेषज्ञ इसे ज़ूनोटिक (जीव-जंतुओं से मनुष्यों में फैलने वाला) संक्रमण का नाम देते हैं।
- विश्व भर में इस प्रकार की लगभग 150 बीमारियाँ हैं। इनमें रेबीज़, ब्रूसेलोसिस, क्यूटेनियस लिसमैनियसिस, प्लेग, टी.बी., टिक पैरालाइसिस, गोलकृमि, साल्मोनिलोसिस जैसी बीमारियाँ शामिल हैं।
- प्रतिवर्ष 6 जुलाई को इन रोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये विश्व ज़ूनोटिक दिवस मनाया जाता है।

### टास्क फोर्स की आवश्यकता

- चिकित्सा, पशु चिकित्सा, पैरामेडिकल क्षेत्र और जैव विज्ञान के शोधकर्त्ताओं ने एक-दूसरे को दोष देने की बजाय मुद्दों को सुलझाने के लिये एक टास्क फोर्स के गठन की सिफारिश की है।
- स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, कृषि और जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय इसके गठन में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

आगे की राह

- हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में गिरावट को देखते हुए आने वाले दिनों में इस तरह के संक्रमणों का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये।
- सभी विकासशील देशों को एक स्थायी रोग नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिये 'वन हेल्थ रिसर्च' को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिये।

---

# उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विशेष दर्जा

## चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2020 को अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई है।

### मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार ने यह प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान करने वाले अनुच्छेद-371 से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने यह स्पष्टता इसलिये दी है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुच्छेद 371 हटाने की अफवाह फैलाई जा रही थी।
- केंद्र सरकार के अनुसार, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते, ब्रू-रियांग समझौते और बोडो समझौते के माध्यम से पूर्वोत्तर की कई समस्याओं का हल हुआ है।

नोट :

## राज्यों की विशेष स्थिति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के भाग-21 में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है।
- इस भाग में दो अनुच्छेद-370 और 371 सम्मिलित थे, जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के लिये विशेष प्रावधान किया गया था परंतु वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करते हुए उसे केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया।
- संविधान के भाग-21 में अनुच्छेद-371 के विभिन्न खंडों में अलग-अलग राज्यों से संबंधित उपबंध दिये गए हैं, वर्तमान में ऐसी व्यवस्था 11 राज्यों के लिये लागू है।

## अनुच्छेद-371 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिये विशेष प्रावधान:

### 1. नगालैंड:

- नगालैंड को वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में ही (छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र के रूप में) रखा गया था।
- संसद ने 'नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962' पारित करके नगालैंड राज्य का गठन किया गया।
- नगालैंड की सांस्कृतिक स्वायतत्ता और वहाँ मज़बूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये '13वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 के माध्यम से अनुच्छेद 371 (क) को शामिल किया गया।

### 2. असम:

- संविधान के '22वें संशोधन अधिनियम, 1969' द्वारा अनुच्छेद 371(ख) को स्थापित किया गया जो असम राज्य के लिये विशेष उपबंध करता है।
- इसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने आदेश द्वारा असम की विधानसभा के भीतर एक समिति का गठन कर सकेगा।
- इस समिति में असम के जनजातीय क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले विधानसभा सदस्यों के साथ-साथ होंगे उसी विधानसभा के शेष क्षेत्रों से संबंधित सदस्य शामिल होंगे, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट की गई हो।

### 3. मणिपुर:

- मणिपुर एक रियासत थी, जिसको वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान राज्य का दर्जा दिया गया।
- संविधान के '27वें संशोधन' के माध्यम से अनुच्छेद 371(ग) जोड़ा गया तथा मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध किये गए।

### 4. सिक्किम:

- मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था।
- वर्ष 1974 में संविधान के '35वें संशोधन अधिनियम' द्वारा भारत ने उसे 'संबद्ध राज्य' का दर्जा दिया।
- '36वें संविधान संशोधन' द्वारा वर्ष 1975 में उसे शेष राज्यों के समान दर्जा दिया गया एवं इसी के माध्यम से अनुच्छेद 371(च) भी शामिल किया गया।

### 5. मिज़ोरम:

- मिज़ोरम असम का हिस्सा था, जो छठी अनुसूची के तहत प्रशासित होता था एवं मिज़ो स्वायत्त ज़िलों (जिनमें- चकमा, मारा तथा लई जनजातीय ज़िले शामिल थे) के रूप में जाना जाता था।
- उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के आधार पर वर्ष 1972 में मिज़ोरम को असम से अलग कर केंद्रशासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था।
- 53वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986' के माध्यम से अनुच्छेद 371(छ) जोड़कर असम को राज्य का दर्जा दिया गया।

### 6. अरुणाचल प्रदेश:

- अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी (North-East Frontier Agency-NEFA) के नाम से जाना जाता था।
- राज्य के पुनर्गठन के दौरान वर्ष 1972 में इस क्षेत्र को 'संघ राज्यक्षेत्र' का दर्जा दिया गया एवं इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया।
- वर्ष 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया एवं '55वें संविधान संशोधन अधिनियम' के माध्यम से 371(ज) जोड़कर इस राज्य के लिये विशेष प्रावधान किया गया।

नोट :

### अनुच्छेद 371 से संबंधित अन्य राज्य:

- अनुच्छेद 371 में उपर्युक्त पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा निम्नलिखित राज्यों के संदर्भ में भी विशेष प्रावधान किये गए हैं-
  - महाराष्ट्र एवं गुजरात- अनुच्छेद 371
  - आंध्र प्रदेश- अनुच्छेद 371(घ) एवं 371 (ङ)
  - गोवा- अनुच्छेद 371(झ)
  - कर्नाटक- अनुच्छेद 371 (ञ)

### पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति तथा उसका शेष भारत पर प्रभाव:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विभिन्न कारणों से भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़ा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कई स्तरों पर ( अवसंरचना, विकास, शांति) सुधार देखा जा रहा है।
- इस क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ जहाँ कई चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं वहीं नवीन संभावनाओं (प्राकृतिक संसाधन) को भी प्रकट करती हैं।
- यदि विभिन्न चुनौतियों को एक रोडमैप के ज़रिये दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो न सिर्फ इससे पूर्वोत्तर के लोगों के जीवन में सुधार आएगा बल्कि भारत के आर्थिक विकास में भी यह क्षेत्र सहयोग दे सकेगा।
- भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति की सफलता भी इस क्षेत्र के विकास पर टिकी है। एक्ट ईस्ट नीति के साथ-साथ भारत बिम्सटेक तथा आसियान में भी अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है, जिसमें इस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
- भारत, इस क्षेत्र के माध्यम से ही पूर्वी एशिया में अपनी भौतिक पहुँच बढ़ा सकता है जिससे इस क्षेत्र के विकास के साथ-साथ भारत के दीर्घकालीन भू-राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की भी पूर्ति संभव हो सकेगी।

## श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

### चर्चा में क्यों?

21 फरवरी, 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission-SPMRM) के शुभारंभ की चौथी वर्षगाँठ मनाई जा रही है। इस मिशन की शुरुआत 21 फरवरी, 2016 को हुई थी।

### प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत स्थान संबंधी नियोजन के ज़रिये क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है।
- इस मिशन के तहत देश भर के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की जाती है, जहाँ शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर-कृषि रोज़गारों के उच्च स्तर, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने और अन्य सामाजिक-आर्थिक पैमाने जैसे शहरीकरण के बढ़ते संकेत प्राप्त हो रहे हैं।
- मिशन के तहत 300 ग्रामीण क्लस्टरों को समयबद्ध एवं समग्र ढंग से विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

उद्देश्य

मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन करके इन ग्रामीण क्लस्टरों में व्यापक बदलाव लाना है। इससे संबंधित क्षेत्र का समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

### पृष्ठभूमि

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन में धनराशि या वित्त से जुड़े दो घटक हैं:

1. विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों, CSR कोष के ज़रिये रूपांतरित धनराशि और,

2. कम पड़ रही अत्यंत आवश्यक धनराशि की व्यवस्था (CGF)।

- इसमें गैर-जनजातीय क्लस्टरों के लिये प्रति क्लस्टर 30 करोड़ रुपए और जनजातीय एवं पहाड़ी राज्यों वाले क्लस्टरों के लिये प्रति क्लस्टर 15 करोड़ रुपए तक के CGF का प्रावधान किया गया है।
- इन समूहों में नियोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी घरों को 24X7 पानी की आपूर्ति, घरेलू और क्लस्टर स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा, क्लस्टर के गाँवों में और गाँव के भीतर सड़कों की व्यवस्था, हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा शामिल है। क्लस्टर में आर्थिक सुविधाओं में कृषि सेवाओं एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में विभिन्न विषयगत क्षेत्र, पर्यटन और लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिये कौशल विकास को भी शामिल किया गया है।

---

# नाइजीरिया में स्वास्थ्य आपातकाल

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में नाइजीरियाई विज्ञान अकादमी (Nigerian Academy of Science) ने देश में लासा बुखार (Lassa Fever) के मौजूदा प्रकोप की गंभीरता के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल (National Health Emergency) घोषित करने का आह्वान किया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 1969 में जब इसे पहली बार पहचाना गया था तो यह केवल 2 राज्यों में फैला था जो वर्ष 2019 तक नाइजीरिया के 23 राज्यों में फैल चुका है।
- वर्ष 2018 में नाइजीरियन सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल (Nigerian Centre for Disease Control) ने 600 से अधिक पुष्ट मामलों और 170 से अधिक मौत से संबंधित मामलों की सूचना दी थी।
- इसके अतिरिक्त हाल ही में चीन में फैले कोरोना वायरस के व्यापक प्रसार एवं प्रभाव के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया है।

### संक्रमण का कारण

- लासा बुखार एक वायरल रक्तस्रावी रोग है जो लासा वायरस के कारण होता है। यह वायरस चूहों के मल-मूत्र के संपर्क में आने से मनुष्य में प्रेषित होता है।
- लासा वायरस खाँसी, छींक, स्तनपान और अन्य मानव संपर्क के साथ-साथ टिशू, रक्त, शरीर के तरल पदार्थ, स्राव या उत्सर्जन के संपर्क में आने से मानव में फैलता है तथा अस्पतालों में यह बीमारी दूषित उपकरणों से फैलती है।
- लासा बुखार जानलेवा रोग है लेकिन अगर इसके बारे में जल्द पता चल जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। बीमारी के इलाज के लिये दवा भी उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव कम नहीं हो रहा है क्योंकि नाइजीरिया में प्रयोगशालाएँ अक्षम हैं तथा रोगियों को अस्पताल में देर से भर्ती किया जाता है।
- इस रोग के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण देश में चूहों की संख्या में वृद्धि है जिसके कारण लोग प्रतिदिन चूहों के संपर्क में आते हैं और यह वायरस उन तक फैलता है।
- इसके अतिरिक्त बीमारी पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाना, टीकाकरण और दवाओं में शोध के लिये वित्तपोषण का अभाव, कमज़ोर रोग निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली इत्यादि कारणों से भी नाइजीरिया में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है।

### रोग के लक्षण:

- इस बुखार की इनक्यूबेशन अवधि लगभग 10 दिन (6-21 दिन की रेंज) है। शुरू में इसके लक्षण हल्के होते हैं और इनमें लो ग्रेड का बुखार एवं सामान्य कमज़ोरी शामिल है।
- इसके बाद सिरदर्द और खाँसी, उबकाई और उल्टी-दस्त, मुँह के छाले तथा लसिका ग्रंथियों में सूजन इत्यादि समस्याएँ आती हैं।

- इसके अतिरिक्त कुछ रोगियों को मांसपेशियों, पेट और सीने में दर्द की शिकायत भी होती है, बाद में मरीज़ों की गर्दन एवं चेहरे सूज जाते हैं तथा उनके मुँह और आंतरिक अंगों से खून निकलने लगता है।
- आखिरी चरण में सदमा, दौरे, कंपकंपाहट और कोमा की दशा हो सकती है।

### संक्रमण की रोकथाम के लिये संभावित उपाय

- राज्य और संघीय स्तर पर सरकारों द्वारा एक व्यापक और निरंतर सार्वजनिक लासा बुखार रोकथाम और नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।
- राज्यों को लासा बुखार पीड़ितों का उपचार करने हेतु एक अलग वार्ड निर्मित करना चाहिये जिससे कि यह अन्य रोगियों में न फैले।
- चूहों की जनसंख्या के साथ-साथ चूहों के साथ मानव संपर्क को कम करने के लिये पूरे देश में पर्यावरण स्वच्छता में सुधार हेतु एक तंत्र स्थापित करना चाहिये।
- लासा बुखार के इलाज के लिये नई दवाओं की खोज और लासा बुखार के टीके के विकास हेतु फंड भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का उद्देश्य

- वर्ष 2014 में नाइजीरिया ने इबोला वायरस के प्रकोप से निपटने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया था जिसके परिणामस्वरूप 93 दिनों में राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं पर्याप्त वित्तपोषण के कारण इसके प्रकोप को रोका जा सका था।
- इसी प्रकार लासा बुखार के प्रकोप को भी आपातकालीन स्तर पर प्रयासों के माध्यम से कम किया जा सकता है।
- संदिग्ध मामलों के विश्वसनीय और कुशल निदान के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किया जाना अपेक्षित है क्योंकि इसके अभाव में आमतौर पर लासा बुखार के संदिग्ध मामलों में से मात्र 20 प्रतिशत मामलों का ही निदान संभव हो पा रहा है।

### आगे की राह

- सरकार को संवेदनशील रोग निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली के लिये पर्याप्त धनराशि प्रदान करनी चाहिये।
- सरकार को देश में स्वास्थ्य गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखनी चाहिये तथा किसी भी अनियमितता की स्थिति में तुरंत रोकथाम का प्रयास करना चाहिये।

---

## वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (The Economist Intellligence Unit) नामक संस्था द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स (Worldwide Educating for the Future Index), 2019 में भारत को 35वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह सूचकांक छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की क्षमताओं के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
- यह रिपोर्ट कौशल आधारित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण, समस्या को सुलझाने की क्षमता, नेतृत्व, सहयोग, रचनात्मकता और उद्यमशीलता तथा डिजिटल एवं तकनीकी कौशल जैसे क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करती है।
- इस रिपोर्ट में दी जाने वाली रैंकिंग तीन श्रेणियों पर आधारित है:
    - नीतिगत वातावरण
    - शैक्षणिक वातावरण
    - समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण
- वर्ष 2019 में सूचकांक का विषय "नीति से अभ्यास तक" (From Policy to Practice) है।

## वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स

- इस सूचकांक (इंडेक्स) और रिपोर्ट को येडान प्राइस फाउंडेशन (Yidan Prize Foundation) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- तेज़ी से बदलते परिदृश्य में कार्य और बेहतर जीवनयापन के लिये छात्रों को तैयार करने में शिक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु इसे विकसित किया गया था।

## सूचकांक के मुख्य बिंदु

- फिनलैंड इस सूचकांक में शीर्ष पर है जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर है।
- वर्ष 2019 में तीनों श्रेणियों (नीतिगत वातावरण, शैक्षणिक वातावरण और समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण) के आधार पर 53 के कुल स्कोर के साथ भारत समग्र सूचकांक में 35वें स्थान पर रहा। वर्ष 2018 में इन्हीं श्रेणियों में 41.2 के समग्र स्कोर के साथ भारत 40वें स्थान पर था।
- भारत का स्कोर नीतिगत वातावरण के संदर्भ में वर्ष 2018 में 61.5 की तुलना में वर्ष 2019 में घटकर 56.3 हो गया है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक वातावरण श्रेणी एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण श्रेणी में भारत का स्कोर वर्ष 2018 में क्रमश: 32.2 एवं 33.3 की तुलना में बढ़कर क्रमश: 52.2 और 50.1 हो गया है।

सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार के कारण

- रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक की 'शैक्षणिक वातावरण' श्रेणी में भारत के बेहतर प्रदर्शन का प्रमुख कारण सरकार द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा नीति है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2019 की शुरुआत में प्रकाशित एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण, संचार और उद्यमिता जैसे भविष्योन्मुखी कौशल का उल्लेख करते हुए नीतिगत माहौल में प्रगति की है।
    - केंद्रीय बजट 2020 में 'एस्पिरेशनल इंडिया' के तहत नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला गया है जिसका उद्देश्य प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये वित्त की अधिक से अधिक प्राप्ति, नई प्रयोगशालाओं का निर्माण और नवाचार करना है।
- साथ ही 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ डिग्री स्तर के पूर्ण-ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है जो मार्च 2021 तक शुरू हो जाएगा।

गौरतलब है कि ये सभी कारण भारत के इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन के लिये ज़िम्मेदार हैं।

## भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- वर्ष 2018 की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अवसर का उपयोग करने से संबंधित भारतीय शिक्षा प्रणाली की अक्षमता पर प्रकाश डाला गया था।
- वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली भी भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है।
    - कौशल विकास से संबंधित सुविचारित नीतिगत लक्ष्य अक्सर ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं जो कि अमेरिका और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ी समस्या है।

## समाधान:

- भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना चाहिये ताकि वह उच्च शिक्षा के लिये पसंदीदा स्थान बन जाए।
- भारतीय शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव किया जाना चाहिये एवं शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

आगे की राह

- भारत को अपने शैक्षणिक वातावरण, नीतिगत वातावरण एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण में सुधार के प्रयास करने चाहिये।
- ध्यातव्य है कि भारत द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर गंतव्य बनने के लिये स्टडी इन इंडिया (Study In India) एवं वज्र योजना के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है किंतु इसे और व्यापक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

नोट :

# स्वस्थ जीवन और भविष्य: लैंसेट रिपोर्ट

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund-UNICEF) तथा 'द लैंसेट' द्वारा सम्मिलित रूप से गठित आयोग ने बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है।

## प्रमुख बिंदु

- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विश्व का कोई भी देश बच्चों के स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा उनके भविष्य को संरक्षित करने की दिशा में गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं कर रहा है।
- 'अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्डस चिल्ड्रेन (A Future for the World's Children)' नामक रिपोर्ट ने अपने शोध में पाया कि प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य और भविष्य पारिस्थितिक क्षरण, जलवायु परिवर्तन और हानिकारक वाणिज्यिक विपणन प्रथाओं (संसाधित फास्ट फूड, शराब तथा तंबाकू उत्पादों को प्रोत्साहन) जैसी समस्याओं के कारण खतरे में है।
- विगत 20 वर्षों में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद प्रगति रुक गई है तथा इसमें गिरावट भी देखी जा रही है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 250 मिलियन बच्चें बौनेपन की समस्या से ग्रस्त हैं और गरीबी के छद्म उपायों के कारण इनकी विकास क्षमता में वृद्धि नहीं हो पा रही है।
- रिपोर्ट में बाल और किशोर स्वास्थ्य के प्रति सभी देशों को अपने दृष्टिकोण में सुधार लाने की ज़रूरत पर बल दिया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि हम वर्तमान और भविष्य के संसाधनों को संरक्षित करने के प्रति गंभीर हैं।

जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिये रिपोर्ट में 180 देशों के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक को आधार बनाया गया है, इस सूचकांक में बाल अस्तित्व और कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सतत विकास, समानता एवं ग्रीन हाउस गैस जैसे विषयों को शामिल किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के सापेक्ष निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को स्वस्थ जीवन तथा अपने बच्चों की क्षमता का संवर्द्धन करने के लिये अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- यदि वैश्विक तापन वर्तमान अनुमान के अनुसार वर्ष 2100 तक 4°C से अधिक हो जाता है तो समुद्र के बढ़ते जलस्तर, उष्मीय तरंग, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के प्रसार और कुपोषण के कारण बच्चों के लिये यह विनाशकारी स्वास्थ्य परिणाम की स्थिति उत्पन्न करेगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2 अरब लोग उन देशों में रहते हैं जहाँ मानवीय संकटों, संघर्षों प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के कारण विकास बाधित है।

## हानिकारक वाणिज्यिक विपणन प्रथाओं का प्रभाव

- रिपोर्ट में हानिकारक वाणिज्यिक विपणन से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताया गया है। साक्ष्यों के अनुसार, कुछ देशों में बच्चे एक वर्ष में केवल टेलीविज़न पर 30,000 से अधिक बार शराब और तंबाकू से संबंधित विज्ञापन देखते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दो वर्षों में ई-सिगरेट के विज्ञापनों के कारण सिगरेट पीने वाले युवाओं की संख्या 250% से भी अधिक बढ़ गई है।
- जंक फूड और शर्करा युक्त पेय पदार्थों के व्यावसायिक विपणन के कारण बच्चें अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की खरीद के चलते अधिक वजन और मोटापे जैसी समस्याओं से प्रभावित होते हैं।
- वैश्विक स्तर पर मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों की संख्या वर्ष 1975 के 11 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2016 में 124 मिलियन हो गई है।

बच्चों के स्वास्थ्य सुधार संबंधी घोषणा-पत्र

- बच्चों का स्वास्थ्यप्रद भविष्य सुनिश्चित करने के लिये तत्काल प्रभाव से कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन रोकना होगा,
- स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिये बच्चों और किशोरों को प्रयासों के केंद्र में रखना चाहिये,
- बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकार को संरक्षित करने के लिये नीतियों का निर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश आवश्यक है,
- नीतिगत निर्णयों में बच्चों के मुद्दों को शामिल करना चाहिये,
- हानिकारक वाणिज्यिक विपणन प्रथाओं का विनियमन करना चाहिये।

नोट :

# प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन

## चर्चा में क्यों ?

नई दिल्ली में 23 फरवरी, 2020 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

सम्मलेन की थीम:

- इस सम्मेलन का विषय 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' (Judiciary and the Changing World) है।

### सम्मेलन का उद्देश्य:

- इस सम्मेलन का आयोजन 21वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में किया जा रहा है जो कि भारत सहित पूरी दुनिया में होने वाले बड़े बदलावों का दशक है।
- इन बदलावों को तर्कसंगत, न्यायसंगत, सर्वहितकारी तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिये, अत: 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' विषय पर मंथन किया जाना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

### सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दे:

- सम्मेलन में 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' विषय के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पक्षों से जुड़े निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

### गांधीजी के विचार:

- इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन उस काल खंड में हो रहा है जब भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है।
- गांधीजी खुद एक वकील थे और उन्हें बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त थी, उनका जीवन 'सत्य और सेवा' को समर्पित था, तथा ये मूल्य किसी भी न्याय तंत्र की नींव माने जाते हैं।
- उनकी न्यायिक सोच पर उनकी परवरिश, उनके संस्कार और भारतीय दर्शन के निरंतर अध्ययन का प्रभाव था।
- भारतीय समाज में 'कानून का नियम' (Rule of Law) सामाजिक संस्कारों पर आधारित रहा है। यही संस्कार हज़ारों वर्षों से भारत में न्याय के प्रति आस्था और संविधान की प्रेरणा का स्रोत रहा है।

### अंबेडकर के विचार:

- अंबेडकर के अनुसार, "संविधान महज़ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, यह जीवन को आगे बढ़ाने का माध्यम है और इसका आधार हमेशा ही विश्वास रहा है।"
- इसी भावना को हमारे देश की न्यायपालिका व सर्वोच्च न्यायालय तथा विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों ने जीवंत रखा है तथा एक-दूसरे की मर्यादाओं को समझते हुए तमाम चुनौतियों के बीच कई बार देश के लिये संविधान के तीनों स्तंभों ने उचित रास्ता ढूँढा है।
- बीते पाँच वर्षों में भारत की विभिन्न संस्थाओं ने इस परंपरा को और सशक्त किया है। देश में ऐसे करीब 1500 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है, जिनकी आज के दौर में प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी।
- समाज को मज़बूती देने वाले अनेक नवीन कानून भी बनाए गए हैं यथा- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा कानून, तीन तलाक के खिलाफ कानून, दिव्यांग-जनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून आदि।

### विश्व में लैंगिक न्याय:

- दुनिया का कोई भी देश या समाज लैंगिक न्याय के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न ही न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। हमारा संविधान समानता के अधिकार के तहत ही लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करता है तथा भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है, जिसने स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया।
- आज 70 साल के बाद अब चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। अब 21वीं सदी का भारत इस भागीदारी के दूसरे पहलुओं पर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 'बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ' जैसे सफल अभियानों, सैन्य सेवा में बेटियों की नियुक्ति, लड़ाकू पायलटों के चयन की प्रक्रिया हो, या खदानों में रात में काम करने की स्वतंत्रता, कार्यशील महिलाओं को 26 हफ्ते का सहवैतनिक अवकाश जैसे नवीन सुधार लागू किये गए हैं।

### विकास और पर्यावरण में संतुलन:

- न्यायपालिका ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की गंभीरता को समझा है तथा उसमें निरंतर मार्गदर्शन किया है। अनेक 'जनहित याचिकाओं' (Public Interest litigation- PIL) की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया है।

### शीघ्र न्याय की अवधारणा:

- शीघ्र न्याय की चुनौती न्यायपालिका के समक्ष हमेशा से रही है। इसका एक हद तक समाधान तकनीक से हो सकता है यथा- अदालत के प्रक्रियागत प्रबंधन में इंटरनेट आधारित तकनीक का प्रयोग, देश के प्रत्येक न्यायालय को ई-न्यायालय एकीकरण मिशन मोड परियोजना से जोड़ना, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमता और मानवीय विवेक के बीच तालमेल आदि को अपनाना।
- बदलते हुए समय में डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध जैसे विषय भी न्यायपालिका के लिये नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें दूर करने पर विचार किया जाना चाहिये।

### आगे की राह:

- नागरिकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए न्यायिक व्यवस्था का संचालन इस तरह से किया जाए कि यह अपनी राह में आने वाली बाधाओं से निपट सके तथा आम जनता को न्याय दिलाने का वास्तविक उपकरण बन सके।

---

## SPICe + वेब फॉर्म का उद्घाटन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs-MCA) ने 'SPICe+' वेब फॉर्म का उद्घाटन किया।

### क्या है SPICe+ वेब फॉर्म:

- भारत सरकार की 'इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' (Ease of Doing Business-EODB) पहल के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने SPICe+ (जिसे SPICe प्लस के रूप में जाना जाता है ) नामक एक वेब फॉर्म (डिजिटल प्लेटफॉर्म) को अधिसूचित किया है।
- इस वेब फॉर्म से व्यापार की सुगमता में आने वाली समस्याओं यथा- प्रक्रियागत जटिलता, समय की देरी और अधिक लागत आदि का समाधान संभव हो पायेगा।
- यह वेब फॉर्म केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों (कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग) तथा 1 राज्य (महाराष्ट्र) को लगभग 10 सेवाएँ प्रदान करेगा।

### SPICe+ वेब फॉर्म की विशेषताएँ:

- SPICe+ एक एकीकृत वेब फॉर्म होगा, जिसके दो भाग हैं:
  - भाग A- नई कंपनियों के नाम को आरक्षित करने के लिये।
  - भाग B- विभिन्न सेवाओं को एक साथ लिंक करने यथा-PAN (Permanent Account Number) का अनिवार्य मुद्दा, DIN (Director Identification Number) आवंटन आदि के लिये।
- नया वेब फॉर्म ऑन-स्क्रीन फाइलिंग और कंपनियों के निर्बाध समावेश (Incorporated) के लिये वास्तविक समय डेटा सत्यापन (Real Time Data Validation) की सुविधा प्रदान करेगा।
- नई कंपनियों को SPICe+ के माध्यम से समावेशन के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation- EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation-ESIC) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

- महाराष्ट्र राज्य की नई कंपनियों के लिये SPICe+ के माध्यम से व्यवसाय टैक्स (Profession Tax) हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- नई कंपनियों को बैंक खाते खोलने के लिये SPICe+ के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा।

### EODB के क्षेत्र:

- राष्ट्रीय स्तर पर सरकार निम्नलिखित 10 क्षेत्रों में सुधार के प्रयास कर रही है-
  - किसी व्यवसाय को शुरू करना,
  - निर्माण परमिट लेना
  - बिजली प्राप्त करना
  - संपत्ति को पंजीकृत करना
  - ऋण प्राप्त करना
  - लघु निवेशकों की रक्षा करना
  - करों का भुगतान करना
  - सीमा पार व्यापार
  - अनुबंधों को लागू करना
  - दिवालियापन की समस्या को हल करना

### EODB के लिये उठाए गए कदम:

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग, व्यावसायिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, परमिट के निर्माण में लगने वाले समय को कम करना।
- GST (Goods and Services Tax), मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी पहलें प्रारंभ की हैं, जिनकी सहायता से लोगों द्वारा व्यवसाय करना और व्यापार के लिये पूंजी प्राप्त आसान हो गया है।
- लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता को ठीक से पहचान कर इनमें वित्त के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिये छोटे-छोटे क्लस्टर विकसित करना, लघु और मध्यम उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिये MCLR (Marginal Cost of Fund Based Lending Rate) प्रणाली के स्थान पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की प्रणाली लागू की गई है।
- हाल ही में कॉर्पोरेट करों में कटौती की गई है ताकि निवेश लागत कम हो तथा निवेश को बढ़ावा मिले।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में भारत डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन कर रहा है जिसके तहत व्यापार प्रारंभ करना, संचालित करना, ऋण उपलब्धता अधिक आसान हो गई है।

### आगे की राह:

- विश्व बैंक के 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सूचकांक-2020' में भारत 63वें स्थान पर पहुँच गया है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर लगातार कम हो रही है, इस कम होती गति को पुन: तेज़ करने हेतु GST व्यवस्था, NPA और दोहरे तुलनपत्र जैसी समस्याओं, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी राजनीतिक निर्णयों में निवेशकों का विश्वास, IBC सुधार जैसे उपायों पर जल्द कार्यवाही की आवश्यकता है।

## आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 2016 में संशोधन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 2016 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- आयुध अधिनियम एवं आयुध नियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों द्वारा रखे जा सकने वाले अग्न्यायुधों की संख्या में वृद्धि करना है।
- शूटिंग भारत में एक महत्त्वपूर्ण ओलंपिक खेल है। भारतीय निशानेबाज़ों ने अंतराष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत भारतीय निशानेबाज़ों को अभ्यास के लिये अब पर्याप्त मात्रा में अग्न्यायुध तथा गोला बारूद रखने की अनुमति देगा। इस प्रावधान के उपरांत खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से अभ्यास कर सकेंगे।
- आयुध अधिनियम, 1959 देश के भीतर हथियारों के गैर-कानूनी संग्रहण को रोकने के लिये लाया गया था। ध्यातव्य है कि वर्ष 1959 के इस अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिये सरकार ने दिसंबर 2019 में आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया है।

आयुध अधिनियम, 1959 में संशोधन

- संशोधन के अनुसार, अब अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता एवं विख्यात निशानेबाज़ को अधिकतम 12 शस्त्र रखने की रियायत दी गई है, जबकि पहले यह संख्या केवल 7 थी।
- यदि कोई निशानेबाज़ किसी एक प्रतियोगिता में विख्यात है तो उसे अधिकतम 8 शस्त्र रखने की रियायत दी गई है, जबकि यह संख्या पहले केवल 4 थी।
- इस संशोधन के अनुसार, कनिष्ठ लक्ष्य शूटर/महत्त्वाकांक्षी शूटर भी अब किसी भी वर्ग के 2 शस्त्र रख सकते हैं जबकि पहले उनको केवल 1 शस्त्र ही रखने की अनुमति थी।
- इन रियायत प्राप्त वर्गों के शस्त्रों के अतिरिक्त भी खिलाड़ी आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 2 अतिरिक्त शस्त्र बतौर सामान्य नागरिक रख सकते हैं।
- आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा किये गए संशोधन के तहत किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले अग्न्यायुधों की अधिकतम संख्या को 3 से घटाकर 2 कर दिया गया है तथा जिन व्यक्तियों के पास 3 लाइसेंसी अग्न्यायुध हैं तो उन्हें अपना कोई भी एक अग्न्यायुध 13 दिसंबर, 2020 तक अधिनियम में दिये गए प्रावधान के अनुसार जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

## आयुध नियम, 2016 में संशोधन

- अधिनियम में संशोधन की ही भाँति गृह मंत्रालय ने आयुध नियम, 2016 की धारा 40 में भी संशोधन किया है जिसके अनुसार, खिलाड़ियों द्वारा अभ्यास के लिये एक वर्ष के दौरान क्रय किये जाने वाले गोला बारूद की मात्रा में भी भारी बढ़ोतरी की गई है।
- इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने आयुध अधिनियम, 1959 में संशोधन के कारण भी आयुध नियम, 2016 में अन्य ज़रूरी संशोधन किये हैं।
  - इन संशोधनों के अनुसार, 50 वर्ष से पुराने दुर्लभ वस्तु की श्रेणी में आने वाले लघु आयुधों को प्राप्त करने अथवा कब्ज़े के लिये भारतीय नागरिकों को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
  - किंतु ऐसे आयुधों के उपयोग, वहन या परिवहन के लिये उपयुक्त लाइसेंस की आवश्यकता होगी तथा लाइसेंस में प्रविष्टि के बिना धारक को उन शस्त्रों के उपयोग हेतु गोला-बारूद की बिक्री नहीं की जाएगी।

## संशोधन का महत्त्व

- आयुध अधिनियम एवं नियम में संशोधन के फलस्वरूप विभिन्न स्तर पर विख्यात निशानेबाजों को अभ्यास करने हेतु अलग-अलग प्रकार के शस्त्र उपलब्ध हो सकेंगे ताकि वे विभिन्न मंचों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
- इन संशोधनों में खिलाड़ियों को अतिरिक्त 2 शस्त्र रखने की भी अनुमति दी गई है जो कि खिलाड़ियों के लिये आत्मरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

## आगे की राह

- भारत में खेल एवं शिक्षा के मध्य समन्वय बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, ध्यातव्य है कि अधिकतर भारतीय अभिभावक अपने बच्चों के लिये खेल की अपेक्षा केवल शिक्षा को महत्त्व देते हैं।
- पुराने एवं उपयोगिता रहित कानूनों को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है तथा मौजूदा कानूनों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिये।

नोट :

# जहाज़ों का संग्रहालयों में परिवर्तन

## चर्चा में क्यों?

संघीय बजट 2020-21 में गुजरात के लोथल में एक समुद्री संग्रहालय स्थापित करने का उल्लेखनीय प्रावधान किया गया है।

### मुख्य बिंदु:

- संघीय बजट: 2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिये कई महत्त्वपूर्ण पहलों की घोषणा की थी, जिनमें से एक गुजरात के लोथल में समुद्री संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लेना है।
- सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज़ों को संग्रहालयों में संरक्षित करके देश की समुद्री पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में भारत का रिकॉर्ड कमज़ोर रहा है।

जहाज़ों को संग्रहालयों में परिवर्तित करने के संदर्भ में पूर्व में लिये गए निर्णय:

- समुद्री संग्रहालय की स्थापना के विचार के संदर्भ में वर्ष 2019 में दो निर्णय लिये गए थे।
- सबसे पहले, तमिलनाडु सरकार ने जुलाई में एक संग्रहालय के रूप में सेवानिवृत्त पनडुब्बी आईएनएस वागली को संरक्षित करने की परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया।
- आईएनएस विक्रांत को भी संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने का विचार छोड़ दिया गया।

### जहाज़ों को संग्रहालयों में परिवर्तित करने का उद्देश्य:

- सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज़ों के भंजन के बजाय उन्हें संरक्षित करने से वृहद् आर्थिक परिदृश्य का निर्माण होता है।
- सामान्य तौर पर संग्रहालय कई अर्थों में अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, उदाहरण के लिये पर्यटन को बढ़ावा देना, रोज़गार पैदा करना, सरकारी राजस्व में योगदान करना और स्थानीय समुदायों के विकास का समर्थन करना।

### अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संग्रहालयों का महत्त्व:

- वर्ष 2018 में किये गए 'म्यूज़ियम्स इन इकोनॉमिक इंजन' नामक एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिका में संग्रहालयों के माध्यम से 7,26,200 लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है तथा ये सकल घरेलू उत्पाद में हर साल $ 50 बिलियन का योगदान देकर प्रतिवर्ष $ 12 बिलियन कर राजस्व जुटाते हैं।
- अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में उत्पादित $ 100 की तुलना में संग्रहालय क्षेत्र $ 220 अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करता है।
- अमेरिका में ऐसे 60 पनडुब्बी आधारित संग्रहालय हैं।

### इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में संग्रहालयों का महत्त्व:

- 'द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़ियम इन इंग्लैंड' नामक एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि इंग्लैंड में संग्रहालय क्षेत्र कुल आय में £ 2.64 बिलियन का योगदान देता है तथा £ 1.45 बिलियन की शुद्ध आगत के रूप में 38,165 व्यक्तियों को नौकरियाँ प्रदान करता है।
- इंग्लैंड में ऐसे 11 पनडुब्बी आधारित संग्रहालय हैं।

### भारतीय संदर्भ में संग्रहालयों का महत्त्व:

- भारत के सामने एक बड़ी चुनौती युवा आबादी के लिये रोज़गार के पर्याप्त अवसर पैदा करने की है।
- ऐसे में सरकार का ध्यान उन सेवाओं तथा उद्योगों को बढ़ावा देने पर होना चाहिये जिनमें रोज़गार की संभावना अधिक है।
- पर्यटन और संबद्ध उद्योग रोज़गार की आवश्यकता की पूर्ति के लिये उपयुक्त विकल्प होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र दुनिया भर में शीर्ष रोज़गार सृजित करने वाले क्षेत्र साबित हुए हैं।
- उत्कृष्ट संग्रहालय प्राय: पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं जो स्थानीय और विदेशी आगंतुकों को आकर्षित करते हैं।
- संग्रहालय ऐतिहासिक मूल्यों को संरक्षित करने वाले स्थान के रूप में भी कार्य करते हैं।
- ये भविष्य की पीढ़ियों के लिये देश की विरासत को संरक्षित करते हैं और देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में आम जनमानस को जानकारी प्रदान करते हैं।

- सैन्य और समुद्री संग्रहालयों के कुछ अतिरिक्त लाभ भी होते हैं, जैसे- इनका उपयोग सैन्य नायकों का सम्मान करने, रक्षा कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में आम जनता को जागरूक करने और युवा पीढ़ी को सशस्त्र बलों में शामिल होने हेतु प्रेरित करने के लिये किया जा सकता है।

### जहाज़ों को संग्रहालयों में परिवर्तित करने के मार्ग में आने वाली समस्याएँ:

- नौसैनिक जहाज़ों को संग्रहालयों में परिवर्तित करने में एक महत्त्वपूर्ण समस्या उनके रखरखाव में आने वाली लागत है।
- ऐसे संग्रहालयों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से फंडिंग के साथ-साथ पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की भी आवश्यकता होती है।

### सुझाव:

- केवल सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज़ों का प्रदर्शन ही आगंतुकों की वांछित संख्या को आकर्षित नहीं करेगा। इसके लिये युद्धपोत संग्रहालयों को कई प्रकार की सेवाओं और मनोरंजन विकल्पों से युक्त करने की आवश्यकता है।
- सांस्कृतिक संस्थानों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी ने उन्नत देशों में बहुत अच्छा काम किया है।
- इन जहाज़ों पर वर्चुअल फ्लाइट ज़ोन बनाने और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता है।
- इस तरह के संग्रहालयों की व्यावसायिक क्षमता का एहसास कराने और उनके प्रबंधन में व्यावसायिकता प्रदान करने के लिये निजी क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है।
- यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेलों में कैसी क्रांति ला दी है। अतः यह उचित समय है जब सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज़ों को संरक्षित करने के लिये निजी क्षेत्र का उचित उपयोग किया जाना चाहिये।

### अन्य बिंदु:

- इंग्लैंड में 11, रूस और जर्मनी में 10 और फ्राँस में पाँच पनडुब्बी आधारित संग्रहालय हैं।
- कई देशों ने अपने सेवानिवृत्त नौसैनिक युद्धपोतों को संग्रहालयों के रूप में संरक्षित किया है, अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है।
- विशाखापत्तनम में पनडुब्बी संग्रहालय के रूप में भारत केवल एक नौसैनिक पोत आईएनएस कुरसुरा का संरक्षण कर रहा है।
- कई भारतीय शहरों में मनोरंजन के सीमित विकल्प हैं। नौसेना जहाज़ संग्रहालय मनोरंजन का एक उचित विकल्प प्रदान करेंगे।

---

## असम समझौते की धारा-6

### चर्चा में क्यों?

असम समझौते की धारा-6 के कार्यान्वयन हेतु गठित 15 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

### प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन जुलाई 2019 में न्यायमूर्ति बिप्लब कुमार सरमा की अध्यक्षता में असम समझौते की धारा-6 के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और इस संदर्भ में सिफारिश करने के लिये की गई थी।
- असम सरकार यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिये गृह मंत्रालय को भेजेगी।
- ज्ञात हो कि इस समिति में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (All Assam Students' Union-AASU) के तीन प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

### असम समझौता

- वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ के लगभग 10 लाख लोगों ने असम में शरण ली। हालाँकि बांग्लादेश बनने के पश्चात् इनमें से अधिकांश वापस लौट गए, किंतु फिर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी असम में ही अवैध रूप से रहने लगे।

नोट :

- वर्ष 1971 के बाद भी जब बांग्लादेशी अवैध रूप से असम आते रहे तो इस जनसंख्या परिवर्तन ने असम के मूल निवासियों में भाषायी, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी और वर्ष 1978 के आस-पास वहाँ एक आंदोलन शुरू हुआ।
- असम में घुसपैठियों के खिलाफ वर्ष 1978 से शुरू हुए लंबे आंदोलन और वर्ष 1983 की भीषण हिंसा के बाद समझौते के लिये बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई।
- इसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त, 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौते (Assam Accord) के नाम से जाना जाता है।
- असम समझौते के मुताबिक, 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से जाना होगा, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान।
- समझौते के तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार देने का फैसला लिया गया। साथ ही 1961 से 1971 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिये गए, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।

### असम समझौते की धारा-6

- असम समझौते की धारा-6 में असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान और धरोहर के संरक्षण तथा उसे बढ़ावा देने के लिये उचित संवैधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करने का प्रावधान है। इस संदर्भ में गठित समिति का कार्य इन प्रावधानों को लागू करने के लिये वर्ष 1985 से अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा करना था।
- तथापि यह महसूस किया गया है कि असम समझौते की धारा-6 को समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के लगभग 35 वर्ष बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है।
- इसलिये केंद्र सरकार ने असम समझौते की धारा-6 के संदर्भ में संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित सिफारिशें देने के लिये समिति का गठन किया था।

### धारा-6 के तहत की गई कार्यवाही:

- वर्ष 1961 में असम समझौते की धारा-6 के तहत असम सरकार ने ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो का गठन किया था। असम सरकार तथा भारत सरकार (असम समझौते के तहत) द्वारा की जा रही वित्तीय सहायता के कारण यहाँ सभी प्रकार की आधुनिक तकनीक उपलब्ध है।
    - ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपए की परियोजना को मंज़ूरी दी है, वर्तमान में आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
- वर्ष 1998 में असम के लोगों की संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन और उत्थान हेतु कार्य करने के लिये केंद्र व असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसायटी का गठन किया गया था।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा असम के पाँच स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास का कार्य आरंभ किया गया है। ये स्मारक हैं (1) सिंगरी मंदिर के अवशेष (2) उर्वशी पुरातत्त्व स्थल (3) पोवा-मेक्काय, हाजो (4) केदार मंदिर, हाजो (5) हयाग्रिवा माधव मंदिर, हाजो।

### चुनौती

- असम के पूर्व मुख्यमंत्री और AASU के प्रतिनिधि के रूप में असम समझौते के हस्ताक्षरकर्त्ता प्रफुल्ल महंत के अनुसार, असम समझौते की धारा-6 को असम की जनसांख्यिकी और राज्य की संस्कृति पर वर्ष 1951 और वर्ष 1971 के मध्य प्रवासन के प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करना चाहिये था, किंतु यह संभव नहीं हो पाया है।
- कई विशेषज्ञ नागरिकता संशोधन अधिनियम के असम समझौते पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी अपनी चिंता ज़ाहिर कर चुके हैं।

### आगे की राह

- राज्य में असमिया बनाम बाहरी का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि देश की आज़ादी के बाद से यह वहाँ के ज्वलंत मुद्दों में सबसे ऊपर रहा है।
- इस मुद्दों को सुलझाने के लिये अब तक कई प्रयास किये गए हैं, किंतु इसके बावजूद सफलता नहीं मिल सकी है।
- आवश्यक है कि इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर यथासंभव संतुलित उपाय खोजने का प्रयास करें।

नोट :

# न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 (International Judicial Conference 2020) में भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए कुछ 'महत्वपूर्ण निर्णयों' का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय की सराहना की थी। इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ती घनिष्ठता से संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

### मुख्य बिंदु:

- उपरोक्त घटनाक्रम को देखें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मेल-जोल प्रतीत होता है जबकि भारतीय संविधान में दोनों की स्वतंत्रता की बात कही गई है।

### न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of The Judiciary):

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ है। इसमें तीन आवश्यक शर्तें निहित हैं-

1. न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिये।
2. न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिये।
3. न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये।

### एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 (S.P. Gupta vs Union Of India 1981)

- वर्ष 1981 के एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि न्यायाधीशों को आर्थिक या राजनीतिक शक्ति के सामने सख्त होना चाहिये और उन्हें विधि के शासन (Rule of Law) के मूल सिद्धांत को बनाए रखना चाहिये।
- विधि का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत है जो वास्तविक सहभागी लोकतंत्र की स्थापना करने, एक गतिशील अवधारणा के रूप में कानून के शासन को बनाए रखने और समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय (Social Justice) प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण है।

### विधि का शासन (Rule of law):

- विधि का शासन या कानून का शासन (Rule of law) का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है।

### सामाजिक न्याय (Social Justice):

- सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध करना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ सामाजिक न्याय का अर्थ लैंगिक, जातिगत, नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मूलभूत अधिकारों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है।
- न्यायपालिका को संविधान में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करते समय विधि के शासन को ध्यान में रखना चाहिये।
- न्यायिक प्रशासन को संविधान से कानूनी मंजूरी प्राप्त है और इसकी विश्वसनीयता लोगों के विश्वास पर टिकी हुई है और उस विश्वास के लिये न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपरिहार्य है।

### वर्ष 1993 का द्वितीय न्यायाधीश केस (The Second Judges Case of 1993):

- वर्ष 1993 के 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन' (SCARA) बनाम भारत संघ मामले में नौ न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने वर्ष 1981 के एसपी गुप्ता मामले के निर्णय को खारिज़ कर दिया और उच्चतम/उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिये 'कॉलेजियम सिस्टम' नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार करने की बात कही।

- साथ ही संवैधानिक पीठ ने कहा कि उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये केवल उसी व्यक्ति को उपयुक्त माना जाना चाहिये जो सक्षम, स्वतंत्र और निडर हो।
    - कानूनी विशेषज्ञता, किसी मामले को संभालने की क्षमता, उचित व्यक्तिगत आचरण, नैतिक व्यवहार, दृढ़ता एवं निर्भयता एक श्रेष्ठ न्यायाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति के लिये आवश्यक विशेषताएँ हैं।

## आचरण का मानक (Standard of conduct):

- वर्ष 1995 के 'सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्जी एवं अन्य' मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक न्यायाधीश के लिये आचरण का मानक सामान्य जन के आचरण के मानक की अपेक्षा अधिक है। इसलिये न्यायाधीश समाज में आचरण के गिरते मानकों में आश्रय लेने से उनके द्वारा दिये गए निर्णयों से न्यायिक ढाँचा बिखर सकता है।
- उच्चतम/उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को मानवीय दुर्बलताओं और कमजोर चरित्र से युक्त नहीं होना चाहिये। बल्कि उन्हें किसी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी प्रकार दबाव में आये बिना जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिये। अर्थात् न्यायाधीशों का व्यवहार लोगों के लिये लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं न्याय प्राप्ति का स्रोत होता है तथा विरोधाभासी 'विधि के शासन' की बारीकियों तक पहुँचता है।

फ्रांसिस बेकन ने न्यायाधीशों के बारे में कहा है कि "न्यायाधीशों को मज़ाकिया से अधिक प्रबुद्ध, प्रशंसनीय से अधिक श्रद्धेय और आत्मविश्वास से अधिक विचारपूर्ण होना चाहिये। सभी चीजों के ऊपर सत्यनिष्ठा उनकी औषधि एवं मुख्य गुण है। मूल्यों में संतुलन, बार कौंसिल और न्यायिक खंडपीठ के बीच श्रद्धा, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की बुनियाद है।"

## न्यायिक चार्टर (Judicial Charter):

- इसे 'न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन' (The Restatement of Values of Judicial Life) नामक चार्टर भी कहा जाता है। इसे उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 1997 को अपनाया था।
- यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह न्यायिक नैतिकता के सिद्धांतों की एक पूरी संहिता है। जो निम्नलिखित हैं-

1. न्याय केवल होना ही नहीं चाहिये बल्कि इसे होते हुए देखा भी जाना चाहिये। उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों का व्यवहार एवं आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता के प्रति लोगों के विश्वास की पुष्टि करता है।
2. एक न्यायाधीश को एक क्लब के किसी भी कार्यालय, समाज या अन्य ऐसोसिएशन से चुनाव नहीं लड़ना चाहिये इसके अलावा वह कानून से जुड़े समाज को छोड़कर इस तरह के ऐच्छिक कार्यालय से संबद्ध नहीं रहेगा।
3. बार कौंसिल के व्यक्तिगत सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंधों विशेष रूप से जो एक ही अदालत में अभ्यास करते हैं, से परहेज़ करना चाहिये।
4. यदि बार कौंसिल का कोई सदस्य न्यायाधीश के समक्ष पेश होने के लिये उसके करीबी संबंधियों के साथ आता है तो एक न्यायाधीश को अपने परिवार के किसी भी सदस्य जैसे पति या पत्नी, बेटा, बेटी, दामाद या बहू या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार को अनुमति नहीं देनी चाहिये।
5. न्यायाधीशों के परिवार का कोई भी सदस्य जो बार का सदस्य है, को उस निवास का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें न्यायाधीश वास्तव में निवास करते हैं या पेशेवर काम के लिये अन्य सुविधाएँ हैं।
6. एक न्यायाधीश को अपने कार्यालय की गरिमा के अनुरूप पृथकता का स्तर (Degree of Aloofness) बनाये रखना चाहिए।
7. एक न्यायाधीश एक ऐसे मामले की सुनवाई एवं निर्णय नहीं करेगा जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य, कोई करीबी रिश्तेदार या मित्र संबंधित हो।
8. एक न्यायाधीश सार्वजनिक बहस में भाग नहीं लेगा तथा राजनीतिक मामलों पर या लंबित मामलों पर जनता के बीच अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा।
9. एक न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निर्णयों को अपने पास ही सुरक्षित रखे। अर्थात् वह मीडिया को साक्षात्कार नहीं देगा।
10. एक न्यायाधीश अपने परिवार, करीबी संबंधी एवं दोस्तों को छोड़कर उपहार या आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
11. एक न्यायाधीश उस कंपनी के मामलों को नहीं सुनेगा और न ही निर्णय करेगा जिसमें उसके शेयर हैं किंतु यदि उसने अपने हितों का खुलासा किया है तो उस कंपनी के मामलों की सुनवाई कर सकता है।

12. एक न्यायाधीश शेयर, स्टॉक आदि की अटकलें नहीं लगाएगा।
13. एक न्यायाधीश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिये। (एक कानूनी आलेख या एक शौक के रूप में किसी भी गतिविधि का प्रकाशन व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जाएगा)
14. एक न्यायाधीश को किसी भी उद्देश्य हेतु फंड की स्थापना में योगदान करने के लिये नहीं कहना चाहिये। तथा सक्रिय रूप से खुद को भी उससे संबद्ध नहीं करना चाहिये।
15. एक न्यायाधीश को अपने कार्यालय से जुड़े विशेषाधिकार के रूप में किसी भी वित्तीय लाभ की तलाश नहीं करनी चाहिये जब तक कि यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो। इस संबंध में किसी भी संदेह को मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से हल किया जाना चाहिए और स्पष्ट किया जाना चाहिये।
16. प्रत्येक न्यायाधीश को प्रत्येक समय इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिये कि वह जनता की निगाह में है और उसके द्वारा कोई चूक नहीं होनी चाहिये। वह जिस उच्च पद पर आसीन हो उसका सार्वजनिक सम्मान हो।

### न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability):

- एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका सार्वजनिक जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकती है।
- न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कभी-कभी मौलिक रूप से एक दूसरे के विपरीत माना जाता है किंतु न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही परस्पर जुड़े हुए हैं।
- न्यायिक स्वतंत्रता 'स्वतंत्रता का एक अनिवार्य स्तंभ और विधि के शासन' को संदर्भित करता है।
- एक लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक जवाबदेही का सबसे मजबूत संभव साधन महाभियोग है। यह भारत में उपलब्ध मुख्य जवाबदेही तंत्र है।

### न्यायिक नैतिकता (Judicial Ethics):

- न्यायिक नैतिकता न्यायाधीशों की सही कार्यवाही से संबंधित मूल सिद्धांत हैं। इसमें नैतिक कार्यवाही, न्यायाधीशों का आचरण एवं चरित्र, उनके उद्देश्य (जिनमें क्या सही है और क्या गलत) शामिल होते हैं।

  24 मई, 1949 को संविधान सभा में बहस के दौरान के. टी. शाह का वक्तव्य:
- यह संविधान न्यायाधीशों, राजदूतों या राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका के हाथों में इतनी शक्ति एवं प्रभाव को केंद्रित करने का विकल्प चुनता है तो कार्यपालिका की तानाशाही प्रवृत्ति उभर सकती है। इसलिये ऐसी कुछ नियुक्तियों को राजनीतिक प्रभाव से हटाना चाहिये और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह बाहर होना चाहिये।

### आगे की राह:

- कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपसी मेल-जोल न्यायपालिका की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता की अवधारणा को कम करने का काम करता है और न्यायपालिका के प्रति सामान्य जन के विश्वास को कम करता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि संवैधानिक सिद्धांतों एवं विधि के शासन को सर्वोपरि रखते हुए कार्यपालिका के खिलाफ मामले तय करेंगे।
- चूँकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान की मूल संरचना है अत: इस स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना चाहिये।

## 'यू.के. इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव'

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'यू.के इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव' (UK India Education and Research Initiative-UKIERI) के तत्त्वावधान में 'प्रशासकों के लिये उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम' (Higher Education Leadership Development Programme for Administrator) प्रारंभ किया गया है।

## मुख्य बिंदु:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्यक्रम का संचालन विश्व स्तर पर संस्थागत विशेषज्ञता और नेतृत्व उत्कृष्टता में मान्यता प्राप्त संस्थान यू..के. स्थित 'एडवांस एचई' (Advance HE) के साथ प्रशिक्षण भागीदार के रूप में करेगा, इसे भारत में ब्रिटिश काउंसिल द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च और मध्यम स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिये नेतृत्व विकास कार्यक्रम संचालित करना है।

## कार्यक्रम के बारे में?

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत यू.के. के प्रशिक्षकों द्वारा दो कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी, जिनके माध्यम से रजिस्ट्रार और संयुक्त/उप/ सहायक रजिस्ट्रार स्तर के 300 शैक्षणिक प्रशासकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक परिवर्तन लाने के लिये सक्षम बनाया जा सके।
- इस कार्यक्रम को भविष्य में स्थायी रूप से लागू करने के लिये 300 प्रतिभागियों में से 30 संभावित नेतृत्व विकास कार्यक्रम प्रशिक्षकों को चुना जाएगा और अन्य प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।

## कार्यक्रम के निहितार्थ:

- यह एक अनूठा कार्यक्रम है जो भारतीय विश्वविद्यालयों के मध्य और उच्च स्तर के पदाधिकारियों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- यह कार्यक्रम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये संस्थागत विकास की दिशा में सरकारों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हुए एक उपयुक्त कदम उठाने में सहायता करेगा।
- यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा समावेशी प्रणालियों को ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित करेगा तथा ऐसे वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेगा जो यू.के. और भारत में आर्थिक एवं सामाजिक विकास का समर्थन करते हैं।
- यह कार्यक्रम प्रशासकों के लिये उनके प्रदर्शन और क्षमताओं को बेहतर बनाने हेतु एक प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत में संस्थागत ढाँचा मज़बूत होगा तथा और विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अकादमिक प्रशासकों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे भारत के विश्वविद्यालयों में नए दृष्टिकोण, क्षमता, उपकरण और कौशल का प्रयोग करके प्रणालीगत बदलाव ला सकें।
- 'प्रशासकों के लिये उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम' विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

## भारत में उच्च शिक्षा संबंधी समस्याएँ:

- भारत में उच्च शिक्षा की खराब स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है-
  - भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन दर अत्यंत कम है।
  - उच्च शिक्षण संस्थानों में मानव संसाधन की भी अत्यधिक कमी है।
  - बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप भारत में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं बदला गया है।
  - इन संस्थानों में स्वायत्तता की कमी है।
  - शोध कार्यों का स्तर निम्न है।

## आगे की राह:

'प्रशासकों के लिये उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम' के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियामक संस्थाओं को मज़बूत और पारदर्शी बनाया जाए तथा भारत में शिक्षा के बजट में वृद्धि करने के साथ-साथ स्कूली शिक्षा को भी स्तरीय बनाया जाए, तभी भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकेगा।

# NOTA का विकल्प

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने नोटा (None of the Above- NOTA) से संबंधित आँकड़े जारी किये हैं।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- EVM में NOTA विकल्प की शुरुआत पहली बार वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और राजस्थान में संपन्न हुए चुनावों से हुई।
- NOTA विकल्प के शुरू होने से अब तक दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने दिल्ली में हुए 5 चुनावों (वर्ष 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव एवं वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव) में NOTA से संबंधित आँकड़ों को प्रदर्शित किया है। ध्यातव्य है कि NOTA विकल्प की शुरुआत के बाद दिल्ली में संपन्न हालिया विधानसभा चुनाव देश में 45वाँ चुनाव था।

## नोटा (NOTA) के बारे में

- इसका अर्थ है 'इनमें से कोई नहीं'।
- भारत में नोटा के विकल्प का उपयोग पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में दिये गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ, विदित हो कि 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत सरकार' (People's Union Of Civil Liberties vs Union Of India) मामले में शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया था कि जनता को मतदान के लिये नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
- इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वाँ देश बन गया।
- ईवीएम मशीन में नोटा (NONE OF THE ABOVE-NOTA) के उपयोग के लिये गुलाबी रंग का बटन होता है।
- यदि पार्टियाँ गलत उम्मीदवार खड़ा करती हैं तो जनता नोटा का बटन दबाकर पार्टियों के प्रति अपना विरोध दर्ज़ करा सकती है।

## NOTA की शुरुआत के कारण

- वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जिस प्रकार नागरिकों को मत देने का अधिकार है उसी प्रकार उन्हें किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके बाद जनवरी, 2014 में नोटा के प्रावधान संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी।
- लोकतंत्र में मतदाताओं द्वारा उम्मीदवारों को चुनने या न चुनने के अधिकार को सुरक्षित करने हेतु यह विकल्प लाया गया था। इसके पीछे का उद्देश्य चुनाव को साफ-सुथरा बनाना है।
- नोटा की माँग का एक उद्देश्य यह भी था कि लोकतंत्र में जनता के मालिकाना हक को सुनिश्चित किया जाए। यह जनप्रतिनिधियों को निरंकुश न होने तथा उन्हें उनके दायित्वों के प्रति ईमानदार बनाए रखने के लिये कारगर व्यवस्था हो सकती है। जनता को उम्मीदवारों को नकारने का विकल्प देना इस बात का परिचायक है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है।

## NOTA के पक्ष में तर्क

- इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि यह मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का अधिकार देकर चुनाव में प्रतिभागी उम्मीदवारों के प्रति असंतोष जाहिर करने का महत्त्वपूर्ण विकल्प है।
- इस विकल्प की सहायता से जनता को अब दो भ्रष्ट उम्मीदवारों में से कम भ्रष्ट उम्मीदवार को चुनने से राहत मिली है तथा मतदाता अपने मत का सही उपयोग कर सकता है।
- इस विकल्प के कारण राजनैतिक दल चुनाव में ईमानदार प्रतिभागी को ही उम्मीदवार के रूप में नामाँकित करने का प्रयास करेंगे जिससे राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया पर अंकुश लगेगा।
- यह विकल्प लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने में महत्त्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है।

### विपक्ष में तर्क

- इसके विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि चुनाव में यह विकल्प केवल नकारात्मक मताधिकार देता है, किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को निरस्त करने का नहीं। जिसका चुनाव में उम्मीदवार की जीत या हार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, यदि चुनाव में 100 मतदाताओं में से 99 मतदाताओं ने NOTA का विकल्प चुना है किंतु एक मतदाता ने किसी उम्मीदवार को चुना है तो वह उम्मीदवार विजयी घोषित होगा और उन 99 मतों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है।
- NOTA का विकल्प केवल नकारात्मक वोटिंग का अधिकार है, उम्मीदवार की उम्मीदवारी को निरस्त करने का नहीं। इसी कारण पूर्व चुनाव आयुक्त ने भारत में NOTA को दंतहीन विकल्प की संज्ञा दी।
- आलोचकों का मानना है कि वर्तमान नियमों पर आधारित NOTA का विकल्प एक महत्त्वहीन विकल्प है जो मतदाता के मतों की अवहेलना करता है।
- दरअसल जो लोग नोटा के मौजूदा स्वरूप से असंतुष्ट हैं, उनका तर्क यह है कि इससे मतदाता को चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों को खारिज करने का हक नहीं मिलता।

## NOTA से संबंधित अन्य तथ्य

- NOTA के संदर्भ में दिल्ली के मतदाताओं की प्राथमिकता राष्ट्रीय औसत से कम है। दिल्ली के मतदाताओं ने वर्ष 2013 में 0.63% तथा वर्ष 2015 में NOTA के पक्ष में 0.39% मतदान किया। किंतु हालिया विधानसभा चुनावों में NOTA का वोट प्रतिशत बढ़कर 0.46% हो गया है।
- वर्ष 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में NOTA को 1.8% मत प्राप्त होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (निर्दलीय को छोड़कर) के अलावा किसी भी राजनीतिक दल से अधिक वोट मिले थे।
- वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में NOTA, दो निर्वाचन क्षेत्रों - लातूर (ग्रामीण) और पलस-कडगाँव में दूसरे स्थान पर था।
- NOTA को सशक्त करने के संदर्भ में भी कई प्रयास किये गए-
  - वर्ष 2018 में पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की थी जहाँ जीत का अंतर NOTA की कुल संख्या से कम है।
  - NOTA के स्थान पर 'अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार' (Right to Reject) मांगने के लिये मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
  - वर्ष 2018 में महाराष्ट्र एवं हरियाणा राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission- SEC) ने एक आदेश जारी किया था कि यदि नोटा को सबसे अधिक वैध मत प्राप्त होते हैं तो उस विशेष सीट के लिये उक्त चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा और इस तरह के पद के लिये नए सिरे से चुनाव किया जाएगा।

### आगे की राह

- चुनाव में NOTA विकल्प को सार्थकता प्रदान करने हेतु इसे सशक्त करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में NOTA को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट मिलते हैं तो चुनाव को रद्द कर पुन: करवाना चाहिये साथ ही उक्त उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त राजनीति के अपराधीकरण एवं अपराधियों के राजनीतिकरण को रोकने हेतु व्यापक चुनाव सुधार की आवश्यकता है।
- साथ ही सरकार एवं चुनाव आयोग को मतदाताओं में नोटा के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिये जिससे कि मतदाता नोटा के निहितार्थ को समझ सके।

# आर्थिक घटनाक्रम

## औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग की भूमिका का विस्तार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु 'औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग' (Department of Industrial Policy & Promotion-DIPP) का नाम बदलकर 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) करते हुए इसकी भूमिका का विस्तार किया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग का नाम बदलते हुए इसमें परिवर्तन किया है।
- केंद्र सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना में पुनर्निमाण निकाय के प्रभार की चार नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है,जिसमें शामिल हैं -
    - आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना (खुदरा व्यापार सहित)
    - व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का कल्याण
    - ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की सुविधा से संबंधित मामले
    - स्टार्ट-अप से संबंधित मामले
- इस निर्देश के तहत शामिल निकाय DIPP की सामान्य औद्योगिक नीति, उद्योगों के प्रशासन (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951, औद्योगिक प्रबंधन, उद्योग की उत्पादकता और ई-कॉमर्स से संबंधित मामलों के अतिरिक्त है।
- इस निकाय का नाम बदलने और इसके अंतर्गत आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायित्वों को शामिल करने का कार्य 'ऑल इंडिया ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज़ेशन' द्वारा किया गया है।
- अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ (Confederation Of All India Traders-CAIT) के अनुसार, सरकार ने DIPP के तहत खुदरा व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत लंबे समय से की जा रही मांग को भी स्वीकार किया है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

- औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी तथा औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था।
- इससे पहले अक्तूबर 1999 में लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (Small Scale Industries & Agro and Rural Industries -SSI&A&RI) और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम (Heavy Industries and Public Enterprises- HI&PE) के लिये अलग-अलग मंत्रालयों की स्थापना की गई थी।

## पीसीए की पाबंदियों से मुक्त हुए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंक

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA) की पाबंदियों से मुक्त कर करने का फैसला किया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जिन तीन बैंकों को PCA की पाबंदियों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है उनमें बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India-BOI), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) शामिल हैं।
- RBI ने यह निर्णय सरकार द्वारा पूंजी लगाने और इन बैंकों के शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets) के अनुपात में हुई कमी को देखते हुए लिया है।
- रिज़र्व बैंक के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नियामकीय बाध्यताओं को पूरा कर लिया है। इसके अलावा, तीसरी तिमाही के परिणामों में इन बैंकों का शुद्ध NPA 6% से कम रहा है। इसलिये इन्हें PCA के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया गया है।
- इन तीन बैंकों के PCA दायरे से बाहर निकलने के बाद अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के आठ बैंक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं जिन पर खराब वित्तीय स्थिति के कारण प्रतिबंध लगाए गए थे।
- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सरकार की ओर से पर्याप्त पूंजी डाले जाने के बाद बैंक का शुद्ध NPA 6% से नीचे आ गया। जिसके चलते इस बैंक को भी PCA के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। हालाँकि, ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स पर कुछ प्रतिबंध लगे रहेंगे और उस पर नज़र रखी जाएगी।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA)

- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) एक ऐसा ढाँचा है जिसके तहत कमज़ोर वित्तीय तंत्र वाले बैंकों को RBI की निगरानी में रखा जाता है।
- RBI ने वर्ष 2002 में PCA फ्रेमवर्क को एक संरचित (Structured) त्वरित हस्तक्षेप तंत्र (Early-Intervention Mechanism) के रूप में उन बैंकों के लिये तैयार किया था जो परिसंपत्ति की ख़राब गुणवत्ता या लाभप्रदता के नुकसान के कारण ख़राब स्थिति में पहुँच चुके थे।
- इसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक कमज़ोर और संकटग्रस्त बैंकों पर आकलन, निगरानी, नियंत्रण और सुधारात्मक कार्रवाई के लिये कुछ सतर्कता बिंदु आरोपित करता है।

---

## प्रमुख उद्योगों के विकास की गति हुई धीमी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आठ प्रमुख कोर उद्योगों (Core Industries) के उत्पादन में वृद्धि के आँकड़े जारी किये गए, जिसमें दिसंबर 2018 में लगभग 2.6% की गिरावट दर्ज की गई।

### कोर इंडस्ट्रीज़

- कोर उद्योग को एक मुख्य उद्योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्थव्यवस्था पर 'गुणक प्रभाव' (Multiplier Effect) पड़ता है।
- ज्यादातर देशों में विशेष उद्योग स्थापित हैं जो अन्य सभी उद्योगों की रीढ़ (Backbone) माने जाते हैं तथा कोर उद्योग होने के योग्य प्रतीत होते हैं।
- आठ कोर इंडस्ट्रीज़ पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) में शामिल वस्तुओं का 40.27% भार है।
- उनके भार के घटते क्रम में आठ कोर इंडस्ट्रीज़ हैं - रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।
- इससे पहले जुलाई, 2018 में वी. के. सारस्वत (NITI आयोग सदस्य) की एक रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि सरकार को एल्यूमिनियम क्षेत्र को भारत के नौवें प्रमुख उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार करना चाहिये।

नोट :

## औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (Index of Industrial Production)

- औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP) एक सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण देता है, जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि।
- इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- अप्रैल 2017 में आठ कोर इंडस्ट्रीज़ के सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है।
- वर्तमान में IIPआईआईपी आँकड़ों का आधार वर्ष 2011-12 है। आईआईपी में आठ प्रमुख उद्योगों (Core Industries) का भारांश अवरोही क्रम में निम्नलिखित है –

| | |
|---|---|
| रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products) | 28.04% |
| विद्युत (Electricity) | 19.85% |
| इस्पात (Steel) | 17.92% |
| कोयला (Coal) | 10.33% |
| कच्चा तेल (Crude Oil) | 8.98% |
| प्राकृतिक गैस (Natural Gas) | 6.88% |
| सीमेंट (Cement) | 5.37% |
| उर्वरक (Fertilizers) | 2.63% |

# संघीय बजट 2020-21 की प्रमुख विशेषताएँ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को केंद्रीय बजट (वर्ष 2020-21) संसद में पेश किया।

## बजट संबंधी प्रमुख बिंदु:

- व्यय: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7 प्रतिशत अधिक है।
- प्राप्ति: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये केंद्र सरकार ने 22.46 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित की, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 16.3 प्रतिशत अधिक है।
- GDP वृद्धि: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में नॉमिनल GDP में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।
- घाटा: आगामी वित्त वर्ष के लिये राजस्व घाटा कुल GDP का 2.7 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो कि जो वित्त वर्ष 2019-20 में 2.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से अधिक है। राजकोषीय घाटा कुल GDP का 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में 3.8 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से कम है।

कर संबंधी प्रावधान

## प्रत्यक्ष कर

### आयकर

केंद्र सरकार ने आयकरदाताओं को राहत प्रदान करने और आयकर संबंधी कानूनों को सरल बनाने के उद्देश्य से एक नई और सरलीकृत आयकर व्यवस्था स्थापित करने प्रस्ताव किया ह। ध्यातव्य है कि नई व्यवस्था वैकल्पिक होगी अर्थात् करदाताओं को पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के मध्य चुनाव का विकल्प दिया जाएगा।

नोट :

| आयकर स्लैब (रुपए) | मौजूदा दरें (%) | नई दरें (%) |
|---|---|---|
| 0 से 2.5 लाख | छूट | छूट |
| 2.5 से 5 लाख | 5 | छूट |
| 5 से 7.5 लाख | 20 | 10 |
| 7.5 से 10 लाख | 20 | 15 |
| 10 से 12.5 लाख | 30 | 20 |
| 12.5 से 15 लाख | 30 | 25 |
| 15 लाख से ऊपर | 30 | 30 |

- लाभांश वितरण कर (DDT)

वर्तमान में कंपनियों को अपने शेयरधारकों को दिये गए लाभांश पर लागू अधिभार और उपकर सहित 15 प्रतिशत से अधिक लाभांश वितरण कर (DDT) देना पड़ता है, जो कि कंपनी द्वारा अपने लाभों पर दिये जाने वाले कर के अतिरिक्त होता है। निवेशकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार ने DDT को समाप्त कर दिया है और अब नई व्यवस्था के तहत लाभांश पर कर का दायित्व प्राप्तकर्त्ता पर होगा।

- स्टार्ट अप

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, 25 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार करने वाले स्टार्टअप को अपने प्रारंभिक 7 वर्षों में से लगातार 3 निर्धारित वर्षों के लिये लाभ की 100 प्रतिशत कटौती की अनुमति गई है, वित्त मंत्रालय ने यह सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही प्रारंभिक वर्षों की सीमा को भी 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्टार्ट अप को ई-सॉप्स पर कर भुगतान से भी राहत प्रदान की गई है।

- सहकारी संस्थाएं

सरकार ने केंद्रीय बजट के माध्यम से सहकारी संस्थाओं और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाने का प्रयास किया है। बजट के अंतर्गत वित्त मंत्रालय ने सहकारी संस्थाओं पर छूट/कटौती के बिना 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर के साथ 22 प्रतिशत कर भुगतान के विकल्प का प्रस्ताव किया है।

- विदेशी निवेश के लिये कर रियायत

प्राथमिताओं वाले क्षेत्र में विदेशी सरकारों के सॉवरिन धन कोष (Sovereign Wealth Fund) द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये उनके द्वारा 31 मार्च, 2024 से पहले और न्यूनतम तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ अवसंरचना और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किये गए निवेश के संबंध में उनके ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभों को 100 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

- सस्ते मकान

बीते वर्ष के बजट में वित्त मंत्रालय ने सभी के लिये सस्ते मकान की खरीदारी हेतु लिये गये ऋण के भुगतान के ब्याज में 1,50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। इस अतिरिक्त कटौती का लाभ उठाने के लिये ऋण की तिथि को 31 मार्च, 2020 से एक वर्ष और आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

## 'विवाद से विश्वास' योजना

'विवाद से विश्वास' योजना के तहत करदाता को केवल विवादित करों की राशि का दान करने की आवश्यकता होगी और उसे ब्याज तथा दंड से पूरी तरह छूट मिलेगी। हालाँकि यह आवश्यक है कि करदाता देय कर-राशि का भुगतान 31 मार्च, 2020 से पहले कर दे। 31 मार्च, 2020 के बाद जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे, उन्हें कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी।

### अप्रत्यक्ष कर

- वस्तु एवं सेवा कर (GST)

01 अप्रैल, 2020 से GST रिटर्न दाखिल करने की सरलीकृत प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया अपनी विभिन्न विशेषताओं जैसे- शून्य विवरणी के लिये SMS आधारित फाइलिंग और बेहतर इनपुट कर क्रेडिट प्रवाह आदि के माध्यम से GST रिटर्न दाखिल करना आसान बनाएगी। उपभोक्ता इनवॉयस के लिये इसमें डॉयनमिक क्यूआर कोड (Dynamic QR-code) का प्रस्ताव किया गया है जिसके द्वारा खरीदारी के समय QR कोड के माध्यम से GST मानकों का विवरण तत्काल हासिल कर लिया जाएगा।

### सीमा शुल्क

वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने और फर्नीचर वस्तुओं पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा वाहनों के कलपूर्जों और रसायन जैसी कुछ वस्तुएँ जिनका घरेलू उत्पादन भी होता है, पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। न्यूज़ प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि बीडी पर शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं है।

## नीतिगत विशेषताएँ

## कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास:

### कृषि ऋण

- केंद्रीय बजट में 15 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य।
- पीएम-किसान लाभार्थियों को KCC योजना के तहत लाने का प्रस्ताव।
- नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देना।

नीली अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपए तक पहुँचाना।
- वर्ष 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य।

### किसान रेल

- दूध, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिये बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने के लिये सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, इन एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतक डिब्बे लगाए जाएंगे।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरुआत करना

- पूर्वोत्तर ओर जनजातीय क्षेत्रों के ज़िलों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर सेवा का संचालन करना।

बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिये 'एक उत्पाद, एक ज़िला' की नीत

- इस योजना के तहत सभी तरह के पारंपरिक जैविक और नवोन्मेषी उवर्रकों का संतुलित प्रयोग करके जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तथा जैविक उत्पादों के ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ारों को मज़बूत बनाया जाएगा।

### पीएम-कुसुम योजना का विस्तार

- इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में तथा 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सैटों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में सहायता की जाएगी।

## ग्राम भंडारण योजना

- इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा कृषि भंडारों, कोल्ड स्टोरों तथा प्रशीतन वैन सुविधाओं का नक्शा बनाया जाएगा तथा उनकी जीओ टैगिंग की जाएगी तथा किसानों के लिये स्वयं-सहायता समूहों द्वारा भंडारण व्यवस्था संचालित की जाएगी ताकि उत्पादों पर लॉजिस्टिक लागत कम हो सके।

## पशुधन

- दूध प्रसंस्करण क्षमता को वर्ष 2025 तक 53.5 मिलियन टन से दोगुना कर 108 मिलियन टन के स्तर पर पहुँचाया जाएगा तथा कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना

- गरीबी उन्मूलन के लिये 58 लाख स्वयं सहायता समूहों के साथ 50 लाख परिवारों को जोड़ा गया।

## वेलनेस, जल एवं स्वच्छता

- सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत अस्पतालों के निर्माण के लिये कम पड़ रही राशि की पूर्ति के लिये वायबिलिटी गैप फंडिंग अथवा प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- ऐसे ज़िले जहाँ आयुष्मान योजना से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है, उन आकांक्षी ज़िलों को पहले चरण में कवर किया जाएगा।

## जन औषधि केंद्र योजना

- इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी ज़िलों में 2000 प्रकार की दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की सुविधा दी जाएगी।

'टीबी हारेगा देश जीतेगा' अभियान

- वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता।

## जल जीवन मिशन

- स्थानीय जल स्रोतों की संख्या बढ़ाना, मौजूदा जल स्रोतों का पुनर्भरण और जल संचय तथा खारेपन को दूर करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

## स्वच्छ भारत मिशन

- ODF से जुड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने हेतु 'ODF+' के लिये प्रतिबद्धता दिखाते हुए द्रव एवं धूसर जल के प्रबंधन पर विशेष बल देना तथा ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर ही अलग-अलग करते हुए प्रोसेसिंग पर भी फोकस करना।

## शिक्षा एवं कौशल

- इस बजट के तहत एक नई शिक्षा नीति की घोषणा का प्रावधान किया गया है।
- पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर-फॉरेंसिक, इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत एक मेडिकल कॉलेज को एक मौजूदा ज़िला अस्पताल से संबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।
- 'भारत में अध्ययन' कार्यक्रम
  - इस कार्यक्रम के तहत इंड-सैट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करने का प्रस्ताव है।

## आर्थिक विकास

- उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश
  - निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

नोट :

- पाँच नवीन 'स्मार्ट सिटी' को विकसित करने का प्रस्ताव है।
- वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2023-24 तक की चार वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के साथ 1480 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया जाएगा।
- ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिये नई योजना 'निर्विक' प्रारंभ की जाएगी।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के कारोबार को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँचाने का प्रस्ताव किया गया है।
- प्रधानमंत्री के ज़ीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट विनिर्माण विज़न के अनुरूप सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक जारी करेंगे।

- अवसंरचना:
  - विकास के चरण और आकार के आधार पर 6500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा।
  - 103 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन परियोजना की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत IIFCL तथा NIIF जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों की सहायता के लिये 22000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।
  - राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को जल्द ही जारी किया जाएगा।
  - एकल खिड़की की सुविधा आधारित लॉजिस्टिक बाज़ार की स्थापना की जाएगी।
  - वर्ष 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
  - राजमार्ग-
    - राजमार्गों के तेज़ी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा, इसमें शामिल हैं-
    - पहुँच नियंत्रण राजमार्ग- 2500 किलोमीटर
    - आर्थिक गलियारा- 9000 किलोमीटर
    - तटीय और भूमि पत्तन सड़कें- 2000 किलोमीटर
    - रणनीतिक राजमार्ग- 2000 किलोमीटर
    - चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे की शुरुआत होगी।
    - 6000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले 12 नए राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव।
  - भारतीय रेल:
    - रेल पटरियाँ के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी।
    - 148 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उप-नगरीय परिवहन परियोजना के लिये 18,600 करोड़ रुपए, मेट्रो प्रारूप के अनुसार किराया तय किया जाएगा। केंद्र सरकार 20 प्रतिशत का लागत वहन करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बाहरी सहायता से उपलब्ध कराने की सुविधा देगी।
    - भारतीय रेल की उपलब्धियाँ
    - 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा।
    - कोई मानवरहित क्रॉसिंग नहीं।
    - 27000 किलोमीटर की रेल लाईन का विद्युतीकरण।
  - पत्तन और जलमार्ग
    - कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सेंज में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा।
    - प्रधानमंत्री की अर्थ गंगा संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज़ किया जाएगा।
  - हवाई अड्डा
    - उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा।
    - इस अवधि के दौरान हवाई जहाज़ों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद की गई है।
  - विद्युत:
    - स्मार्ट मीटर को बढ़ावा।
    - बिजली वितरण कंपनियों में सुधार के लिये विभिन्न उपाय।

नोट :

- ऊर्जा:
  - राष्ट्रीय गैस-ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव।
  - पारदर्शी मूल्य और लेन-देन में आसानी की सुविधा के लिये और सुधार किया जाएगा।
- नई अर्थव्यवस्था
  - भारतनेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द-होम से जोड़ा जाएगा।
  - वर्ष 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम के लिये 6000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
  - नए और उभरते क्षेत्रों समेत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित किये जाएंगे।
  - भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिये एक व्यापक डाटाबेस के सृजन के लिये दो नवीन राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।
  - क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिये 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

## संस्कृति और पर्यटन

- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में पाँच पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा- राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात) और अदिचनल्लूर (तमिलनाडु)।
- कोलकाता में ऐतिहासिक टकसाल भवन में मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
- झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
- अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग के नौवहन स्थल लोथल में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिये निर्धारित मानकों के अनुरूप चलाने तथा खाली भूमि के वैकल्पिक उपयोग का प्रावधान।
- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिये राज्यों के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए प्रोत्साहन देना।
- प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली सचिवालय के साथ आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मेलन का शुभारंभ किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग के प्रारंभ के बाद यह दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पहल है।

## अभिशासन

- कर शासन में निष्पक्षता और कुशलता लाने के लिये करदाता चार्टर का गठन किया जाएगा।
- विधानों में कार्यों के लिये सिविल प्रकृति की आपराधिक ज़िम्मेदारी को ठीक करने के लिये कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। यह एजेंसी अराजपत्रित पदों की भर्ती के लिये कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। प्रत्येक ज़िले विशेष रूप से आकांक्षी ज़िलों में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- अनुबंध अधिनियम को मज़बूत बनाया जाएगा।
- आधिकारिक सांख्यिकीय पर नवीन राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी।
- भारत में 2022 में आयोजित होने वाले जी-20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिये तैयारियाँ शुरू करने हेतु कुल 100 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के विकास के लिये विशेष आर्थिक प्रावधान किये जाएंगे।
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिये 5958 करोड़ रुपए का प्रावधान।

नोट :

### वित्तीय क्षेत्र

- 10 बैंकों को 4 बैंकों के तौर पर विलय को मंज़ूरी दी जा चुकी है।
- 3,50,000 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की गई है।
- जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम ने जमा बीमा दायरे को प्रति जमाकर्त्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की अनुमति दी।
- बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण किया जाएगा।
- ऋण वसूली के लिये NBFC की पात्रता सीमा घटाई गई।
- सरकार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से IDBI बैंक में अपनी शेष हिस्सेदारी को निजी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों को बेचेगी।
- MSME के लिये एप आधारित इनवायस फाइनांसिंग लॉन प्रोडक्ट की शुरुआत।
- वित्तीय बाज़ार
  - कुछ विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की श्रेणियों को गैर निवासी निवेशकों के लिये भी पूरी तरह खोला जाएगा।
  - कारपोरेट बांडों में FPI की सीमा को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- IFSC गिफ्ट सिटी: इनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा सर्वोत्तम डेटा प्रोसेसिंग का केंद्र बनने की क्षमता है।
  - विनियामक के अनुमोदन से वैश्विक बाजार भागीदारों द्वारा व्यापार के लिये अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी।
- विनिवेश
  - सरकार द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश द्वारा LIC में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव लाया गया है।

### राजकोषीय प्रबंधन

- 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
- GST क्षतिपूर्ति निधि:
  - वर्ष 2016-17 और 2017-18 के GST संग्रहण में से देय बकाया राशि दो किस्तों में हस्तांतरित की जानी है।
  - इसके बाद इस निधि में स्थानांतरित GST क्षतिपूर्ति उपकर द्वारा संग्रहण तक ही सीमित होगा।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 3.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया था और वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में में 3.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिये सुधारों का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिये चला जाएगा जो 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है।

---

## ब्लू डॉट नेटवर्क

### चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लू डॉट नेटवर्क (Blue Dot Network- BDN) में भारत के शामिल होने की संभावना है।

### मुख्य बिंदु:

- BDN की औपचारिक घोषणा 4 नवंबर, 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में इंडो-पैसिफिक बिज़नेस फोरम (Indo-Pacific Business Forum) में की गई थी।
- इसका नेतृत्व जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी करेगा।

क्या है ब्लू डॉट नेटवर्क?

- यह वैश्विक अवसंरचना विकास हेतु उच्च-गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिये सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने की एक बहु-हितधारक पहल है।

नोट :

- यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ-साथ यह विश्व स्तर पर सड़क, बंदरगाह एवं पुलों के लिये मान्यता प्राप्त मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली के रूप में काम करेगा।
  - इसके तहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को ऋण, पर्यावरण मानकों, श्रम मानकों आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।
  - यह प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक देश की उन परियोजनाओं पर लागू होगी जहाँ नागरिक ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन करना चाहते हैं।
- विश्व स्तर पर BDN प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये मान्यता प्राप्त स्वीकृति के तौर पर काम करेगा जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना कि परियोजनाएँ टिकाऊ हैं न कि शोषणकारी।
- इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative- BRI) को काउंटर करने के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि BRI के विपरीत BDN किसी परियोजना के लिये सार्वजनिक ऋण की पेशकश नहीं करेगा।
- गौरतलब है कि भारत, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल नहीं है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):

- BRI एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक सेट है।
- इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। हालाँकि चीन इस बात से इनकार करता है किंतु इसका प्रमुख उद्देश्य चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर अपना भू-राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है।
- BRI पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्त्वाकांक्षी आधारभूत ढाँचा विकास एवं संपर्क परियोजना है जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है।
- BRI को 'सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट' और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है।
- विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाज़ारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी।
- BRI के तहत पहला रूट जिसे चीन से शुरू कर रूस और ईरान होते हुए इराक तक ले जाने की योजना है, जबकि इस योजना के तहत दूसरा रूट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाया जाना है।
- BRI वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात करने का माध्यम है जिसके ज़रिये वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिये कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है।

# राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

## चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020-21 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) जारी की जाएगी।

### मुख्य बिंदु:

- प्रस्तावित नई नीति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया जाएगा।
- भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 20 से अधिक सरकारी एजेंसियों, 37 निर्यात संवर्द्धन परिषदों (Export Promotion Councils), 500 प्रमाणपत्रों (Certifications), 10000 उत्पादों (Commodities) और 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार के साथ अत्यधिक जटिल एवं विभाजित है।
- इसके अलावा इसमें 12 मिलियन रोज़गार आधार (Employment Base), 200 शिपिंग एजेंसियाँ (Shipping Agencies), 36 लॉजिस्टिक्स सेवाएँ (Logistics Services), 129 अंतर्देशीय कंटेनर डिपोट्स (Inland Container Depots-ICDs), 168 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (Container Freight Stations- CFSs), 50 आईटी इकोसिस्टम (IT Ecosystems), बैंक और बीमा एजेंसियाँ भी शामिल हैं।

- भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, अत: इस क्षेत्र में सुधार करने से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी जिससे निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी।
- अगले दो वर्षों में भारतीय लॉजिस्टिक्स बाजार जो कि वर्तमान में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, बढ़कर 215 बिलियन अमेरीकी डॉलर होने की संभावना है।
- वर्तमान समय में लॉजिस्टिक्स लागत जो कि मौजूदा जीडीपी की 14% है, को वर्ष 2022 तक घटाकर जीडीपी के 10% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

## लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता क्यों?

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से भारत की व्यापार प्रतिस्पर्द्धा में सुधार होगा साथ ही, वैश्विक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में सुधार से भारत को वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने में यह नीति मददगार साबित होगी।
- इस नीति को अपनाने से सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक्स बाजार के गठन और रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये एक नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति बनाने की आवश्यकता है ।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के लिये बजट वर्ष 2020- 21 में की गई घोषणाएँ-

- लॉजिस्टिक्स नीति के बेहतर क्रियान्वयन और परिवहन लागत को कम करने के लिये जीएसटी को अपनाया गया है जिसने परिवहन लागत को 20% कम किया है।
- सभी वेयरहाउस की जियो-टैगिंग की जाएगी।
- मछली और नाशपाती के लिये कोल्ड स्टोरेज चेन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (Warehousing Development and Regulatory Authority-WDRA) संबंधी मानदंडों को बेहतर तरीके से अपनाने के लिये भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम की मदद से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership-PPP) मॉडल पर ब्लॉक/तालुक स्तर पर वेयरहाउसिंग स्थापित करने के लिये विजिबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding-VGF) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- बीजों को ग्राम भंडारण योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। इस उद्देश्य के लिये मुद्रा ऋण और नाबार्ड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- कृषि ट्रेनों को भी PPP Model पर चलाया जाएगा।
- जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की शीघ्र आवाजाही के लिये रेफ्रिजरेटेड वैन को पैसेंजर ट्रेनों के साथ जोड़ा जाएगा।
- शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को वायुमार्ग के माध्यम से ले जाने के लिये 'कृषि उड़ान योजना' (Krishi Udan scheme) को बढ़ावा दिया जाएगा/लॉन्च किया जाएगा, जिसके चलते विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। यह निश्चित रूप से उत्पादन से उपभोग तक खाद्य पदार्थों की आवाजाही में मददगार साबित होगा।
- जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय जैविक ई-बाज़ार विकसित किया जाएगा।
- बागवानी को बढ़ावा देने के लिये क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके लिये 'एक उत्पाद एक जिले' को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- वेयरहाउसिंग के वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जाएगा और ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (National Agriculture Market) के साथ इसके एकीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- उदय योजना के तहत 100 और हवाई अड्डे स्थापित किये जाएंगे।
- वर्तमान के 600 हवाई जहाज़ो में और 1200 हवाई जहाज़ो को शामिल किया जाएगा।
- वर्ष 2020-21 के संघीय बजट में परिवहन क्षेत्र के लिये 7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- अंतर्देशीय जलमार्ग, विशेष रूप से जल विकास मार्ग-1 (NW1) को शुरू किया जाएगा।

नोट :

- वर्ष 2022 तक असम में धुबरी से सदिया तक अंतर्देशीय जलमार्ग का विस्तार किया जाएगा।
- अंतर्देशीय जलमार्ग को अर्थ-गंगा (Arth-Ganga) नामक कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाएगा अर्थात, जिसमें नदी तट के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल हैं।
- दिल्ली-मुंबई और चेन्नई-बंगलूरु एक्सप्रेस हाई वे वर्ष 2023 तक चालू किये जाएंगे।
- 6000 किलोमीटर से अधिक के 12 राजमार्गों के निर्माण के लिये वर्ष 2024 तक फंड की पेशकश की जाएगी।
- एक और प्रमुख बंदरगाह के निगमीकरण के लिये शासकीय संरचना प्रस्तुत की जाएगी।
- 100 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की गई है जिसमें 6500 से अधिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शामिल हैं।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में सड़कों के लिये 19.6 लाख करोड़ रुपए, रेलवे के लिये 13.69 लाख करोड़ रुपये, हवाई अड्डों के लिये 14.3 लाख करोड़ रुपए और बंदरगाहों के लिये रुपए 1.01 लाख रुपए की परियोजनाएँ शामिल हैं।

## विशुद्ध टेरेप्थेलिक अम्ल

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने पॉलिएस्टर निर्माण में प्रयुक्त रसायन शुद्ध टेरेप्थेलिक अम्ल (Purified Terephthalic Acid) पर लगने वाले एंटी डंपिंग शुल्क (Anti Dumping Duty) को हटाने का निर्णय लिया है।

### मुख्य बिंदु

- सरकार ने बजट सत्र के दौरान सार्वजानिक हित में PTA पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है।
- पॉलिएस्टर के घरेलू निर्माताओं ने सरकार के इस कदम को राहत वाला बताया है। ध्यातव्य है कि इससे उन्हें कम दाम पर कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा और लागत कम होगी।

### शुद्ध टेरेप्थेलिक अम्ल (Purified Terephthalic Acid- PTA) क्या है?

- यह एक महत्त्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग पॉलिएस्टर कपड़ों सहित विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिये किया जाता है।
- यह मानव निर्मित कपड़ों या उनके घटकों के निर्माण में शामिल लोगों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- इससे निर्मित उत्पादों में पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, स्पून यार्न, खेलों के लिये कपड़े, स्विम सूट, पर्दे, सोफा कवर, जैकेट, कार सीट कवर और बेड शीट में पॉलिएस्टर का एक निश्चित अनुपात होता है।

सरकार के फैसले का प्रभाव

### सकारात्मक

- सरकार द्वारा इस रसायन पर एंटी डंपिंग शुल्क हटाने से इस रसायन को सस्ती दर पर विभिन्न बाह्य स्रोतों से आयात किया जा सकता है।
- प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर इनपुट की आसान उपलब्धता रोज़गार निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी तथा कपड़ा उद्योग में अपार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।
- शुल्क लगने के कारण चीन, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया और थाईलैंड जैसे देशों से आयात करने पर आयातक को PTA के प्रत्येक 1,000 किलोग्राम के लिये 27 से 160 डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा था, जबकि शुल्क हटने से यह प्रति 1,000 किलो 30 डॉलर सस्ता हो जाएगा।

### नकारात्मक

- सरकार द्वारा PTA से डंपिंग शुल्क हटाए जाने से PTA के घरेलू उत्पादकों को बाह्य बाज़ार से चुनौती मिलेगी।

सरकार ने PTA पर शुल्क क्यों लगाया था?

- PTA पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिये दो घरेलू निर्माताओं MCC PTA India Corp Pvt Ltd. और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड (Reliance Industries Ltd.) द्वारा अक्तूबर 2013 में व्यापार उपचार महानिदेशालय वाणिज्य विभाग (Directorate General of Trade Remedies- DGTR) से अनुरोध किया गया था।

नोट :

- इन कंपनियों का तर्क था कि कुछ देश अपने घरेलू बाज़ारों में मूल्य से कम कीमत पर भारत को इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। भारतीय बाज़ार में PTA की डंपिंग से घरेलू उद्योग पर एक महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- जाँच के बाद DGTR ने MCCPI और RIL के दावों के प्रति सहमति जताई और वर्ष 2014 एवं 2015 में दक्षिण कोरिया तथा थाईलैंड से आयातित PTA पर और वर्ष 2015 एवं 2016 में चीन, इंडोनेशिया, ताइवान, ईरान तथा मलेशिया से आयातित PTA पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया।

## सरकार द्वारा उठाया गया कदम विवादास्पद क्यों था?

- पॉलिएस्टर उत्पादों के निर्माण के लिये PTA का उपयोग करने वाली कंपनियों ने दावा किया था कि यह कदम सरकार द्वारा कपड़ा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी उद्योग बनाने के दृष्टिकोण के विपरीत है।
- PTA पर डंपिंग शुल्क लगाने से पॉलिएस्टर उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियों को केवल घरेलू स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था और घरेलू बाजार में इसकी कीमत भी ज्यादा थी जिसके कारण सरकार के इस कदम को लेकर विवाद उत्पन्न हुए थे।
- घरेलू उत्पादक उद्योगों के लिये आवश्यक मात्रा में कच्चा माल उत्पादन करने में असमर्थ थे, जिसके कारण उद्योगों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई।
- सरकार के इस कदम के फलस्वरूप वर्ष 2014-16 के दौरान पॉलिएस्टर से बने कुछ उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई और उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई क्योंकि इन डाउनस्ट्रीम पॉलिएस्टर-आधारित उत्पादों के सस्ते संस्करणों के आयात के खिलाफ कोई शुल्क आरोपित नहीं था।

## इस संदर्भ में अन्य मुद्दे

- मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल (Mono Ethylene Glycol- MEG) जो पॉलिएस्टर के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल है, के संदर्भ में DGTR एंटी डंपिंग शुल्क लगाने संबंधी जाँच कर रहा है।
- यह जाँच रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एवं इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के दावे के बाद शुरू की गई। ध्यातव्य है कि इनके द्वारा दावा किया गया है कि कुवैत, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे MEG निर्यातक इस उत्पाद को डंप कर रहे हैं और परिणामस्वरूप घरेलू MEG उद्योग इससे प्रभावित हो रहे हैं।
- साथ ही अन्य कपड़ा उद्योग संगठन DGTR से मिलकर डंपिंग शुल्क न लगाने की सिफारिश कर रहे हैं, उनका तर्क है कि MEG पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से कपड़ा उद्योग पर भी उसी तरह प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिस तरह से PTA पर लगाए गए शुल्क के मामले में देखा गया था।

व्यापार उपचार महानिदेशालय वाणिज्य विभाग (DGTR) के बारे में

- इसका गठन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 1998 में किया गया था।
- DGTR द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:
  - एंटी डंपिंग जाँच का आयोजन।
  - विरोधी सब्सिडी की (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) जाँच।
  - विरोधी-घेरे की जाँच का आयोजन।
  - विदेशी एजेंसियों द्वारा किये जा रहे विभिन्न काउंटरवेलिंग ड्यूटी जाँच से भारतीय निर्यातकों का बचाव।

## एंटी डंपिंग शुल्क के बारे में

- किसी देश द्वारा दूसरे मुल्क में अपने उत्पादों को लागत से भी कम दाम पर बेचने को डंपिंग कहा जाता है। इससे घरेलू उद्योगों के उत्पाद महँगे हो जाते हैं जिसके कारण वे प्रतिस्पर्द्धा में पीछे रह जाते हैं।
- सरकार इसे रोकने के लिये निर्यातक देश में उत्पाद की लागत और अपने यहाँ मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगा देती है। इसे ही डंपिंगरोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है।

### आगे की राह

- सरकार को कच्चे माल एवं वस्तु दोनों के उत्पादन एवं उत्पादकों को ध्यान में रख कर अपनी नीतियों का निर्धारण करना चाहिये।
- सरकार को घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही उद्योगों को शुरू करने एवं बंद करने से संबंधित नियमों को समय के साथ संशोधित किया जाना चाहिये।

## मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

### चर्चा में क्यों?

PIB द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, उर्वरकों के उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्त्वों में होने वाली कमी दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में शुरू की गई 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' (Soil Health Card scheme) के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

### प्रमुख बिंदु

- योजना के दूसरे चरण में बीते दो वर्षों में कृषि मंत्रालय ने किसानों को 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण (वर्ष 2015 से 2017) में 10.74 करोड़ कार्ड और दुसरे चरण (वर्ष 2017-2019) में 11.69 करोड़ कार्ड वितरित किये गए हैं।
- इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिये पोषक तत्त्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council- NPC) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10 प्रतिशत तक की कमी आई है, साथ ही उपज में 5-6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु इस योजना के तहत राज्यों के लिये अब तक 429 नई स्टेटिक लैब (Static Labs), 102 नई मोबाइल लैब (Mobile Labs), 8752 मिनी लैब (Mini Labs), 1562 ग्रामस्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना और 800 मौजूदा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण को मंज़ूरी दी गई हैं।

### योजना के बारे में

- 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी 'राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड' योजना का शुभारंभ किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जाने में राज्यों का सहयोग करना है।
- इस योजना की थीम है: स्वस्थ धरा, खेत हरा।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं।
- प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रूपए तक का खर्च आता हैं, जिसका 75 प्रतिशत केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियाँ, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिये भी यहीं प्रावधान है।
- योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है, ताकि पोषक तत्त्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सकें।

इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- देश के सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्त्वों की कमियों को पूरा करने का आधार प्राप्त हो सके।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संपर्क में क्षमता निर्माण, कृषि विज्ञान के छात्रों को शामिल करके मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्रियाकलाप को सशक्त बनाना।

नोट :

- राज्यों में मृदा नमूनों को एकीकृत करने के लिये मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ मृदा उर्वरता संबंधी बाधाओं का पता लगाना और विश्लेषण करना तथा विभिन्न ज़िलों में तालुका/प्रखंड स्तरीय उर्वरक संबंधी सुझाव तैयार करना।
- पोषक तत्त्वों का प्रभावकारी इस्तेमाल बढ़ाने के लिये विभिन्न ज़िलों में पोषण प्रबंधन आधारित मृदा परीक्षण सुविधा विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना।
- पोषक प्रबंधन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिये ज़िला और राज्यस्तरीय कर्मचारियों के साथ-साथ प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना।

### आदर्श गाँवों का विकास नामक पायलेट प्रोजेक्ट

- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आदर्श गाँवों का विकास नामक पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों की सहभागिता से कृषि जोत आधारित मिट्टी के नमूनों के संग्रहण और परीक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक कृषि जोत पर मिट्टी के नमूनों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक आदर्श गाँव का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को वर्ष 2019-20 में अब तक 13.53 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

### निष्कर्ष:

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना जहाँ एक ओर किसानों के लिये वरदान साबित हो रही है, वहीं ग्रामीण युवाओं के लिये यह रोज़गार का माध्यम भी बनी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उर्वरकों की फसलवार सिफारिशें मुहैया कराई जाती हैं और इसके साथ ही किसानों को यह भी बताया जाता है कि कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। इससे किसानों को अपनी भूमि की सेहत जानने तथा उर्वरकों के विवेकपूर्ण चयन में मदद मिलती है। मृदा यानि कृषि भूमि की सेहत और खाद के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के चलते किसान आम तौर पर नाइट्रोजन का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जो न सिर्फ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिये खतरनाक है बल्कि इससे भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के ज़रिये इन समस्याओं से बचा जा सकता है।

## संसाधन और सुरक्षा

### चर्चा में क्यों ?

कनाडा स्थित यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वॉटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ (UNU-INWEH) के एक नए अध्ययन के अनुसार, नगर निगम के अपशिष्ट जल से मूल्यवान ऊर्जा, कृषि पोषक तत्त्वों और जल को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

### मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन जल, पोषक तत्त्वों और ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपशिष्ट जल की संभावनाओं में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- यह अध्ययन चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने पर बल देता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था:

- इसमें एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा पर काम किया जाता है जो टिकाऊ (Sustainable) हो और उसमें नवीन संसाधनों का इस्तेमाल न्यूनतम हो।
- इसमें एक बार इस्तेमाल करो और फेंको (Use Once & Throw) मॉडल की जीवनशैली में बदलाव की बात की जाती है। यह रैखिक अर्थव्यवस्था के विपरीत है।
- यह एक पुनर्सर्जक व्यवस्था है जिसमें निविष्ट संसाधन, बर्बादी, उत्सर्जन, ऊर्जा लीकेज आदि को विभिन्न उपाय अपनाकर न्यूनतम कर दिया जाता है।
- संसाधनों की कमी और अभाव जैसी परिस्थितियों में संसाधनों का न्यायोचित उपयोग केवल संसाधन सक्षमता या दक्षता से संभव है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था में गौण संसाधन अर्थात् अनुपयोगी सामग्री का इस्तेमाल वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है।
- संसाधन सक्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था न केवल भौतिक जीवन चक्र में, बल्कि खपत के बाद के चरण में भी सतत् विकास के प्रमुख तत्त्व हैं।

### अध्ययन में अनुमानित आंकड़े:

- दुनिया भर में हर साल लगभग 380 बिलियन क्यूबिक मीटर ($m^3$ = 1000 लीटर) अपशिष्ट जल का उत्पादन किया जाता है
- अपशिष्ट जल में निहित ऊर्जा: यह 158 मिलियन घरों को बिजली प्रदान कर सकती है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के सभी घरों की संख्या के बराबर है।
- प्रमुख पोषक तत्त्व: अपशिष्ट जल में 16.6 मिलियन मीट्रिक टन नाइट्रोजन, 3 मिलियन मीट्रिक टन फॉस्फोरस और 6.3 मिलियन मीट्रिक टन पोटेशियम मौजूद है, यह मात्रा NPK की वैश्विक कृषि मांग के 13.4% भाग की पूर्ति कर सकती है।
- मीथेन की प्राप्ति: 380 बिलियन वर्ग मीटर अपशिष्ट जल से प्राप्त ऊर्जा का मूल्य 53.2 बिलियन वर्ग मीटर मीथेन के मूल्य से अधिक होने का अनुमान है। यह 158 मिलियन घरों तक या 474 मिलियन से 632 मिलियन लोगों को बिजली प्रदान करने के लिये पर्याप्त है।
- पुन: प्रयोज्य जल: अपशिष्ट जल से पुनर्प्राप्त पानी की मात्रा 31 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ सकती है, यह यूरोपीय संघ में लगभग 20% खेतों के बराबर है।

### अन्य निष्कर्ष:

- एशिया सबसे बड़ा अपशिष्ट उत्पादक है जो विश्व का लगभग 42% शहरी अपशिष्ट जल का उत्पादन करता है और 2030 तक इसके बढ़कर 44% तक होने का अनुमान है। अपशिष्ट जल में मौजूद पोषक तत्त्व लगभग $ 13.6 बिलियन का राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं।

### अपशिष्ट से ऊर्जा प्रोज़ेक्ट:

बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जीवन के पैटर्न में परिवर्तन ने आर्थिक विकास के साथ-साथ नवीन पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। ऐसे में प्रौद्योगिकी विकास ने विकेंद्रिकरण ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा के उत्पादन करने में मदद की है, साथ में कचरे के सुरक्षित निपटान में भी प्रमुख भूमिका निभाई है।

### अध्ययन का महत्व:

- SDG 6 जो स्वच्छ जल और स्वच्छता का लक्ष्य रखता है, की प्रति संभव हो सकेगी।
- इस डेटा का उपयोग जल संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपाय, पोषक तत्त्व प्रबंधन ऊर्जा उत्पादन प्रणाली आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्ययोजना विकसित करने में किया जा सकता है।
- राष्ट्रों की प्रगति के लिये विनियामक की वित्तीय वातावरण में हरित-अर्थव्यवस्था में निवेश करने की आवश्यकता है जहाँ नगरपालिका-अपशिष्ट जल निजी क्षेत्र की लागत वसूली में पर्याप्त योगदान देकर इसे व्यावसायिक रूप प्रदान कर सकता है।
- छोटे और मध्यम आकार के शहर जहाँ आसपास के उपनगरों में कृषि की जाती है, वहाँ यह बहुत कारगर हो सकती है।
- 'अपशिष्ट से ऊर्जा' की प्राप्ति में यह भारतीय ऊर्जा प्रणालियों के अनुकूल है।
- साथ ही भारतीय राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (INDCs) लक्ष्यों के अनुकूल है।

## प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में बजट सत्र के दौरान सरकार ने संसद में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश किया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान प्रत्यक्ष कर के विवादों के निपटारे हेतु 'विवाद से विश्वास योजना' की शुरुआत की है।
- ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष बजट में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को कम करने के लिये 'सबका विश्वास योजना' लाई गई थी और सरकार के अनुसार, इस योजना के परिणामस्वरूप 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020

- इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को तीव्र गति से हल करना है।

- ध्यातव्य है कि वित्त मंत्री ने बजट में प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के निपटारे हेतु विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख किया है।
- वर्तमान में विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लगभग 4,83,000 प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामले लंबित हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में मुकदमेबाज़ी को कम करना है।
- इस विधेयक में लगभग 9.32 लाख करोड़ रुपए से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान का प्रावधान है।
- सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से विवादित कर का एक बड़ा हिस्सा तेज़ी से और सरल तरीके से वसूला जा सकेगा।

### विवाद से विश्वास योजना

- प्रस्तावित विवाद से विश्वास योजना के तहत, एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और उसे ब्याज एवं जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी, बशर्ते वह 31 मार्च, 2020 तक भुगतान करे।
- 31 मार्च, 2020 के बाद इस योजना का लाभ उठाने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। हालाँकि यह योजना केवल 30 जून, 2020 तक मान्य रहेगी। यह योजना उन सभी मामलों पर भी लागू होती है जो किसी भी स्तर पर लंबित हैं।

### विधेयक से संबंधित विवाद

- विपक्ष ने विधेयक के हिंदी नाम के संदर्भ में आलोचना की है और तर्क दिया है कि सरकार विधेयक का नाम हिंदी में रखकर गैर-हिंदी भाषियों पर हिंदी भाषा को आरोपित करना चाहती है।
- साथ ही विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि यह विधेयक ईमानदार और बेईमान लोगों के साथ समान व्यवहार करता है।

### सबका विश्वास योजना

- यह योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में अप्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के निपटारे हेतु शुरू की गई थी।
- सरकार को अंतिम गणना में सबका विकास योजना से 39,500 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद थी। सबका विश्वास योजना से संबंधित एमनेस्टी विंडो 15 जनवरी, 2020 को बंद हो गई है और तब तक लगभग 90,000 करोड़ रुपए के करों के संबंध में करीब 1.90 लाख करोड़ आवेदन आए हैं।
- इस योजना की सफलताओं में से एक मोंडेलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले कैडबरी इंडिया के नाम से जाना जाता था) ने इस योजना के तहत सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश के बद्दी (Baddi) में अपने कथित संयंत्र से संबंधित सबसे विवादास्पद कर विवादों में से एक का निपटारा किया है।
- ध्यातव्य है कि फर्म पर 580 करोड़ रुपए (कर और जुर्माने को छोड़कर) की कर चोरी का आरोप लगाया गया था। अंततः मोंडेलेज ने इस स्कीम के तहत 20 जनवरी, 2020 को 439 करोड़ रुपए का भुगतान कर विवाद का निपटारा किया।

### विवाद से विश्वास योजना के संभावित लाभ

- ऐसे समय जब सरकार कर राजस्व में कमी कर रही है, तब इस योजना के माध्यम से विवादित कर की प्राप्ति सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- चूँकि इसके पहले विवाद निपटारे में अत्यधिक समय के नुकसान के साथ दोनों पक्षों को अत्यधिक खर्च उठाना पड़ता था किंतु अब इस योजना के कारण करदाता एवं सरकार दोनों को फायदा होगा।

---

# जलवायु परिवर्तन और कृषि

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च तापमान और सूखे जैसी परिस्थितियों ने मिट्टी में रोगजनक कवक पाइथियम को पनपने में सबसे अधिक योगदान दिया है।

### मुख्य बिंदु:

- अनुसंधान ने इस वैज्ञानिक प्रमाणिकता को बढ़ाया है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में कृषि उत्पादकता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है।

नोट :

- इन निष्कर्षों को एप्लाइड सॉइल इकोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित किया गया था।

क्या था प्रयोग का तरीका?

- वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मिट्टी के विभिन्न प्रकारों की प्रतिरोध क्षमता का आकलन करने के लिये यूरोप में विभिन्न जलवायु स्थानों से ली गई मिट्टी का उपयोग किया जहाँ ये नमूने शीत (COOL) एवं तर (WET) स्कॉटलैंड, समशीतोष्ण पूर्वोत्तर जर्मनी और शुष्क एवं गर्म पूर्वी हंगरी से एकत्र किये गए थे।
- जलवायु-नियंत्रित कक्षों में सूखे जैसी परिस्थितियों यथा; अत्यधिक गर्म (40 डिग्री सेल्सियस) और शुष्क (केवल आधी नमी की उपलब्धता) वातावरण वाली मिट्टी में मटर की बुवाई करके कृषि उत्पादकता का परीक्षण किया गया।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- आमतौर पर मिट्टी में सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं जो पौधों के लिये ढाल के रूप में कार्य करते हैं और कवक से उनकी रक्षा करते हैं। हालाँकि उच्च तापवृद्धि ने पौधों की रक्षा के लिये इन सूक्ष्म जीवों की क्षमता को कम कर दिया।
- इसने पहले से ही आक्रामक पायथियम (Pythium Ultimum) को और भी व्यापक बना दिया।

Pythium Ultimum: एक पादप रोगजनक है। यह मक्का, सोयाबीन, आलू, गेहूँ, देवदार और कई सजावटी प्रजातियों सहित अन्य सैकड़ों पौधों में युवा रोपों का पतन और मृत्यु (Damping off) तथा जड़-सड़न रोगों (Root Rot Diseases) का कारण बनता है।

- जो मिट्टी शुष्कता और गर्मी की अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, चरम स्थितियों के कारण ठीक नहीं हो पाती है। यहाँ समय आयाम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA):

- यह एक दृष्टिकोण है, जो बदलती हुई जलवायु में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कृषि प्रणालियों को परिवर्तित और पुनर्जीवित करने के लिये आवश्यक क्रियाओं को निर्देशित करने में मदद करता है। CSA के निम्न तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
  1. कृषि उत्पादकता और आय में लगातार वृद्धि प्राप्त करना
  2. जलवायु परिवर्तन के प्रति लोचशीलता का निर्माण करना
  3. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना या हटाना।
- CSA स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है तथा विभिन्न हितधारकों को उनकी स्थानीय स्थितियों के अनुकूल कृषि रणनीतियों की पहचान करने में मदद करता है।
- CSA, FAO के रणनीतिक उद्देश्यों के तहत संसाधन जुटाने के लिये 11 कॉर्पोरेट क्षेत्रों में से एक है। यह सतत् खाद्य और कृषि के लिये FAO के दृष्टिकोण के अनुरूप है तथा कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन को अधिक उत्पादक व अधिक टिकाऊ बनाने के लिए FAO के लक्ष्य का समर्थन करता है।

आगे की राह:

- बढ़ते जलवायु परिवर्तन ने भारतीय मौसम आधारित फसलों की सुभेद्यता को और तीव्र कर दिया है जहाँ नवीन तथा परंपरागत कृषि प्रणालियों यथा- जैविक कृषि, ज़ीरो बज़ट नेचुरल फार्मिंग, परमाकल्चर, प्राकृतिक कृषि आदि को अपनाया जाना चाहिये।

## वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक-2020

### चर्चा में क्यों?

यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (US Chambers of Commerce Global Innovation Policy Center) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2020 में भारत को 53 देशों में 40वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

### मुख्य बिंदु

- यह 'वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक' का आठवाँ संस्करण है जिसका शीर्षक आर्ट ऑफ़ द पॉसिबल (Art of the Possible) है।
- इस सूचकांक के शीर्ष पाँच देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, स्वीडन एवं जर्मनी है।

नोट :

- सूचकांक में शामिल 53 देशों की वैश्विक GDP में 90% की भागीदारी है।
- इस वर्ष तीन और नई अर्थव्यवस्थाओं (कुवैत, ग्रीस, डोमिनिकन गणराज्य) को इस सूचकांक में शामिल किया गया है।
- सूचकांक में भारत के बौद्धिक संपदा और कॉपीराइट से संबंधित मुद्दों के संरक्षण से संबंधित स्कोर में भी सुधार देखा गया है।
- सूचकांक 50 से अधिक अद्वितीय संकेतकों के साथ प्रत्येक उस अर्थव्यवस्था के लिये बौद्धिक संपदा ढाँचे का मूल्यांकन करता है जो सबसे प्रभावी बौद्धिक संपदा प्रणालियों के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ये संकेतक किसी अर्थव्यवस्था के समग्र आईपी पारिस्थितिकी तंत्र का एक ढाँचा तैयार करते हुए सुरक्षा की नौ श्रेणियाँ प्रदान करते हैं-

1. पेटेंट (Patents)
2. कॉपीराइट (Copyrights)
3. ट्रेडमार्क (Trademarks)
4. डिज़ाइन का अधिकार (Design Rights)
5. व्यापार में गोपनीयता (Trade Secrets)
6. आईपी संपत्तियों का व्यावसायीकरण (Commercialization of IP Assets)
7. प्रवर्तन (Enforcement)
8. सर्वांगी दक्षता (Systemic Efficiency)
9. सदस्यता और अंतराष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन (Membership and Ratification of International Treaties)

## नए संकेतक

- यह सूचकांक बौद्धिक संपदा के संबंध में आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने हेतु मानक निर्धारित करने का प्रयास करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के इस संस्करण में पाँच नए संकेतकों और पहले से मौजूद संकेतकों में दो अतिरिक्त संकेतकों को भी शामिल किया गया है जो निम्नलिखित हैं-

पादप विविधता सुरक्षा तथा सुरक्षा की अवधि (Plant Variety Protection, term of Protection)

- आईपी-गहन उद्योग, राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाव विश्लेषण (IP-Intensive Industries, National Economic Impact Analysis)
- पादपों की नई किस्मों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अधिनियम, 1991 की सदस्यता (Membership of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, act of 1991)
- साइबर अपराध पर सम्मेलन, 2001 की सदस्यता (Membership of the Convention on Cybercrime, 2001)
- औद्योगिक डिज़ाइनों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में हेग समझौता (The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिह्नों को पंजीकृत करने से संबंधित मैड्रिड समझौता प्रोटोकॉल (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)
- पेटेंट सहयोग संधि (Patent Cooperation Treaty)

## भारत की स्थिति

- वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत 38.46% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में 36.04% के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था।
- सूचकांक में शामिल दो नए देशों, ग्रीस और डोमिनिकन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है। गौरतलब है कि फिलीपीन्स और उक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं।
- हालाँकि धीमी गति से ही सही भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है।

नोट :

### भारत की स्थिति में सुधार के कारण

- वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के स्कोर के बढ़ने का मुख्य कारण देश में बौद्धिक संपदा संचालित नवाचार और रचनात्मकता में निवेश का बढ़ना है।
- सूचकांक के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति- 2016 (Intellectual Property Rights Policy) के पश्चात् नवाचार एवं संरचनात्मक निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- वर्ष 2016 के बाद से, भारत में पेटेंट और ट्रेडमार्क हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया में तेज़ी आई है, भारतीय नवोन्मेषकों (Innovators) और सृजनकर्त्ताओं (Creators) के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है तथा पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिये पंजीकरण एवं अधिकारों को लागू करना अब आसान हो गया है।
- इस सूचकांक में पिछले वर्ष के कई सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया है जो भारत के समग्र बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूती प्रदान करते हैं।
- ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के अनुसार, भारत सर्वांगी दक्षता संकेतक (Systemic Efficiency indicator) में 28 अन्य अर्थव्यवस्थाओं से लगातार आगे बना हुआ है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा नीति निर्माण के दौरान हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना और बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्त्व के बारे में ओर अधिक जागरूकता पैदा करने के लिये उठाए गए ठोस कदम है।
- छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिये लक्षित प्रोत्साहन में भारत अग्रणी बना हुआ है।

ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और भारत

- वर्ष 2019 में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कॉपीराइट-उल्लंघन सामग्री की ऑनलाइन पहुँच को रोकने के लिये गतिशील निषेधाज्ञा (Dynamic Injunctions) का उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कॉपीराइट से संबंधित दो संकेतकों में भारत का स्कोर बढ़ा है।
- कॉपीराइट-उल्लंघन हेतु निषेधाज्ञाओं का उपयोग करने के मामले में भारत ब्रिटेन और सिंगापुर के साथ है। सूचकांक में भारत कॉपीराइट संकेतकों के संदर्भ में 24 अन्य देशों से आगे है।

### GIPC के अनुसार भारत के समक्ष चुनौतियाँ:

- GIPC द्वारा भारत हेतु कई चुनौतियों की पहचान की गई है जो इस प्रकार हैं-
  - पेटेंट की आवश्यकता
  - पेटेंट प्रवर्तन या लागू करना
  - लाइसेंस की अनिवार्यता
  - पेटेंट का विरोध
  - डेटा सुरक्षा नियामक

### पेटेंट कानून संधि, ट्रेडमार्क हेतु सिंगापुर संधि में पारदर्शीता का अभाव

- रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के मज़बूत होने से सबसे अधिक फायदा भारत को ही होगा। उदाहरण के लिये- मज़बूत बौद्धिक संपदा अधिकार के अभाव में बॉलीवुड को प्रत्येक वर्ष 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है।
- मजबूत बौद्धिक संपदा मानक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूती प्रदान कर सकते हैं तथा व्यापार करने हेतु एक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को और मज़बूती दे सकते हैं।
- इस प्रकार विदेशी व्यवसायों की निवेश करने की क्षमता तथा 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम' भारत के अपने अभिनव (Innovative) और रचनात्मक (Creative) उद्योगों के विकास का समर्थन करते है।

### आगे की राह

भारत की इस वृद्धि को बनाए रखने के लिये भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढाँचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं मज़बूत बौद्धिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिये गंभीर कदम उठाए जाने की भी ज़रूरत है।

## रिज़र्व बैंक विनियमन के तहत आने वाले सहकारी बैंक

### चर्चा में क्यों?

5 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India- RBI) विनियमन के तहत शामिल करने के लिये बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दी है।

### प्रमुख बिंदु

- हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (Punjab & Maharashtra Cooperative-PMC) बैंक संकट को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है।
- 1500 सहकारी बैंकों में कुल 8.6 लाख खाताधारक हैं, जिनकी कुल जमा राशि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है।
- सहकारी बैंकों के प्रशासनिक मामले सहकारिता रजिस्ट्रार के अंतर्गत ही रहेंगे। हालाँकि अब इन बैंकों को RBI के बैंकिंग दिशा-निर्देशों के तहत विनियमित किया जाएगा। इनकी ऑडिटिंग भी इसके मानदंडों के अनुसार ही की जाएगी। इससे पहले RBI निजी और सरकारी बैंकों को नियंत्रित और विनियमित करता था।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य सदस्यों की नियुक्तियों के लिये योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। प्रमुख पदों पर नियुक्ति के लिये RBI से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी और नियामक ऋण माफी जैसे मुद्दों का निपटान किया जा सकेगा।
- वित्तीय संकट में RBI के पास किसी भी सहकारी बैंक के बोर्ड को पृथक करने की शक्ति होंगी।
- इन मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
- बैंक जमा पर 1 से 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस कवर में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय के साथ-साथ प्रस्तावित संशोधनों से सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होगी तथा बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

### सहकारी बैंक

- सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ जैसे- ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं।
- सहकारी बैंक संगठन, उद्देश्यों, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है।
- सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण इसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं।
- ये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किये जाते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत आते हैं।
- सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किये जाते हैं।

## रेपो रेट अपरिवर्तित

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अपनी छठी और अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर (Repo Rate) को 5.15% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।

## प्रमुख बिंदु

- RBI ने चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। परिणामस्वरूप, LAF के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 5.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी है।
- MPC ने यह भी निर्णय लिया कि (यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है), जब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है, निभावकारी रुख बरकरार रखा जाए।
- RBI ने नीतिगत दरों और अपने रुख को यथावत रखा है लेकिन बैंकों के लिये फंड की लागत कम करने हेतु गैर-परंपरागत उपायों का सहारा लिया। इससे बैंक अपनी उधारी दरों में और कटौती कर सकेंगे, साथ ही उन्हें खपत मांग को पटरी पर लाने के लिये खुदरा उधारी को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
- RBI ने बैंक से स्पष्ट किया कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर दरों में कटौती की जाएगी। अभी मुद्रास्फीति की दर 7.4 फीसदी है और ऐसी स्थिति में दरों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है।
- RBI ने बैंकों से स्पष्ट कहा है कि यदि वे वाहन, आवास और SME क्षेत्रों को ऋण देते हैं तो उनके जमा आधार में से उतनी रकम कम हो सकती है जिससे उन्हें निर्धारित 4 फीसदी नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में राहत मिल सकती है।
- RBI ने बैंकिंग व्यवस्था में नकदी झोंकने और निकालने के तरीकों में भी बदलाव किया है। हालाँकि उसने स्पष्ट किया है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वह परंपरागत तरीके अपनाने से नहीं हिचकेगा। नई व्यवस्था के तहत RBI ने दीर्घकालिक रेपो परिचालन शुरू किया है। ये दो तरह की नकदी प्रतिभूतियाँ होंगी जिन्हें बैंक मौजूदा रेपो दर पर एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिये पैसा उधार लेने हेतु इस्तेमाल कर सकेंगे। हालाँकि इसका इस्तेमाल केवल एक लाख करोड़ रुपए तक के उधार लेने में ही किया जा सकता है।

## विश्लेषणात्मक रूप से इसका प्रभाव

- RBI का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक मुद्रास्फीति घटकर 3.2 फीसदी हो जाएगी। हालाँकि अभी काफी अनिश्चितता बनी हुई है। यदि मुद्रास्फीति में RBI के अनुमान के अनुसार कमी आती है तो वह नीतिगत दरों में 25 आधार अंक की कमी कर सकता है। इस स्थिति में रेपो दर 4.9 फीसदी हो जाएगी।
- मौद्रिक नीति के माध्यम से इससे अधिक सहयोग हेतु वृद्धि करना मुश्किल होगा। यदि अनुमान से अधिक अवस्फीति होती है तो कुछ संभावना बन सकती है। ऐसा कोरोनावायरस के कारण वैश्विक वृद्धि में धीमापन आने से हो सकता है।
- केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 6 फीसदी की दर से बढ़ेगी। चूँकि भविष्य में मौद्रिक राहत की गुंजाइश सीमित है इसलिये केंद्रीय बैंक अब प्रेषण और ऋण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
  - उदाहरण के लिये उसने वाहन, आवास और सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों (MSME) को ऋण देने के मामले में बैंकों को 30 जुलाई, 2020 तक नकद आरक्षित अनुपात बरकरार रखने के मामले में राहत दी है।
- RBI ने अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मझोले उपक्रमों को दिये जाने ऋण का बाह्य मानकीकरण करने का भी निर्णय लिया है। यह अगले वित्त वर्ष के आरंभ में शुरू किया जाएगा।
- इन हस्तक्षेपों के अलावा RBI एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिये दीर्घावधि की रेपो दर की व्यवस्था भी करेगा। करीब एक लाख करोड़ रुपए की इस राशि से बैंकिंग तंत्र में अधिक पैसा आएगा और ऋण दरों में कमी आएगी। लंबी अवधि के बॉण्ड और बैंक ऋण दर के मामलों में मौद्रिक पारेषण धीमा रहा है।
  - उदाहरण के लिये 10 वर्ष के सरकारी बॉण्ड के मामले में प्रतिफल 76 आधार अंक तक घटा है जबकि नीतिगत दर में 135 आधार अंकों की कमी की गई है।

## निष्कर्ष

RBI ने जिन नीतिगत हस्तक्षेपों की घोषणा की उनके पीछे इसका उद्देश्य पारेषण में सुधार लाने और बैंकिंग प्रणाली को ऋण देने के लिये प्रोत्साहित करना है। परंतु इन उपायों से ऋण में सुधार होगा या नहीं यह देखना होगा। उदाहरण के लिये बाह्य मानक से बैंकों के ब्याज मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हालाँकि घोषणा के बाद प्रतिफल में कमी आई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि लंबी अवधि की रेपो दर किस सीमा तक बैंकिंग तंत्र के लिये सहायक साबित होगी। ध्यातव्य है कि वर्तमान में करीब 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य की नकदी तरलता मौजूद है। ऐसे में दीर्घावधि

की दरें, उच्च सरकारी उधारी और घटती घरेलू बचत के कारण एक विशेष दायरे में सिमट सकती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार अनिवासी निवेशकों के लिये विशेष प्रतिभूतियों की घोषणा करके बचत में वृद्धि करने का प्रयास करेगी। इससे मुद्रा की लागत कम करने में तो सहायता मिलेगी लेकिन इससे RBI के नकदी और मुद्रा प्रबंधन के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो सकती है।

## संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र

### चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 9 फरवरी 2020 को घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र (Protected Special Agriculture Zone-PSAZ) के रूप में घोषित किया जाएगा।

### मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार के अनुसार, कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी परियोजनाओं के लिये मंज़ूरी प्रदान नहीं की जाएगी।
- राज्य सरकार के अनुसार केंद्र सरकार यहाँ कोई भी परियोजना शुरू कर सकती है परंतु राज्य सरकार के अनुमति पत्र के बिना उसे लागू नहीं किया जा सकेगा।

### क्या है संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र?

- किसी क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित करने से इस क्षेत्र को ऐसी गतिविधियों तथा परियोजनाओं से सुरक्षा मिलती है जो किसानों के लिये शोषणकारी होती हैं।
- इस क्षेत्र में खेती के साथ-साथ कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

PSAZ के रूप में घोषित क्षेत्र:

- डेल्टाई क्षेत्रों की रक्षा और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिये कावेरी डेल्टाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िलों जैसे- तंजावुर, तिरुवूर, नागप्पट्टिनम, पुदुकोट्टई, कुड्डलोर, अरियालुर और त्रिची के डेल्टाई क्षेत्रों को PSAZ के तौर पर शामिल किया जाएगा।

### PSAZ घोषित करने की आवश्यकता क्यों?

- कावेरी डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु में एक महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है जहाँ किसान विभिन्न जलवायु चुनौतियों के बावजूद कृषि कर रहे हैं।
- यहाँ हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी परियोजनाओं ने किसानों और अन्य कृषि पर आधारित मज़दूरों के बीच चिंता पैदा की है, चूँकि यह डेल्टाई क्षेत्र समुद्र के भी काफी करीब है इसलिये इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुकोट्टई, कुड्डलोर, अरियालुर, करूर और तिरुचिरापल्ली ज़िलों में कृषि प्रभावित न हो, इन कावेरी डेल्टाई क्षेत्रों को एक संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा।

### PSAZ घोषित करने के लाभ:

- तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों को PSAZ घोषित करने से राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- PSAZ का विचार खाद्य और पारिस्थितिक सुरक्षा के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे खाद्य उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन से संबंधित उद्योग, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पर रोक लगाए जाने से पर्यावरण की सुरक्षा होगी।

### आगे की राह:

- वित्त कई वर्षों में कृषि केंद्र तथा राज्य सरकारों की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता के रूप में उभरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादकता तथा लाखों किसान जो देश को भोजन प्रदान करने के लिये कार्य करते हैं, के जीवन स्तर को सुधारने के लिये विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र को PSAZ क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी घोषणा को अन्य राज्यों द्वारा भी गंभीरता से लिया जाना चाहिये तथा देश में विभिन्न उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र को PSAZ घोषित किया जाना चाहिये।

# डिजिटल भुगतान सूचकांक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा जारी विकासात्मक एवं विनियामक नीति संबंधी वक्तव्य (Statement on Developmental and Regulatory Policies) में डिजिटल भुगतान संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई है।

### मुख्य बिंदु:

- RBI द्वारा जारी इस वक्तव्य में डिजिटल भुगतानों की सीमा का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिये एक डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index- DPI) प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
- RBI द्वारा जारी यह वक्तव्य क्रेडिट प्रवाह में सुधार, मौद्रिक संचरण को सुदृढ़ करने, विनियमन और पर्यवेक्षण को मज़बूत करने, वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाने तथा भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार के लिये विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

### क्या है डिजिटल भुगतान सूचकांक?

- RBI द्वारा दिये गए विकासात्मक एवं विनियामक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार, भारत में डिजिटल भुगतान तेज़ी से बढ़ रहा है। RBI समय-समय पर भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिये एक समग्र 'डिजिटल भुगतान सूचकांक' का निर्माण करेगा।
- DPI कई मापदंडों पर आधारित होगा और विभिन्न डिजिटल भुगतान के तरीकों की पहुँच और गहनता को सटीक रूप से आकलित करेगा।
- DPI को जुलाई 2020 से प्रारंभ किया जाएगा।

### भुगतान एवं निपटान प्रणाली संबंधी अन्य प्रावधान:

- डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिये स्व-विनियामक संगठन (Self-Regulatory Organisation- SRO) की स्थापना की रूपरेखा:
  - RBI द्वारा जारी विकासात्मक एवं विनियामक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार, भुगतान तंत्र में डिजिटल भुगतान में पर्याप्त संवृद्धि और संस्थाओं की भुगतान प्रणाली में प्राप्त परिपक्वता सहित संस्थाओं के व्यवस्थित परिचालन के लिये स्व-नियामक संगठन होना आवश्यक है।
  - RBI धन की सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और मूल्य निर्धारण की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 तक डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिये एक स्व-नियामक संगठन की स्थापना की रूपरेखा तैयार करेगा।

### अखिल भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली (Pan India Cheque Truncation System-CTS):

- चेक ट्रंकेशन प्रणाली वर्तमान में देश के प्रमुख समाशोधन गृहों में ही परिचालित है तथा इसने अच्छी तरह से स्थिर होकर दक्षता हासिल की है।
- इसको देखते हुए एक अखिल भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली को सितंबर 2020 तक परिचालित कर दिया जाएगा।

### अन्य प्रयास:

- बैंकिंग नियामक संस्थाएँ और सरकार डिजिटल वॉलेट्स, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड जैसी कैशलेस भुगतान प्रणालियों को अपनाने की सुविधा पर काम कर रही है।
- सरकार ने हाल ही में रुपे डेबिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से किये जाने वाले भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rates-MDR) को समाप्त कर दिया है।

डिजिटल इंडिया एक ऐसा विचार है जिसको व्यावहारिक रूप में अपनाना आवश्यक है लेकिन इसके लिये कारगर उपाय करने होंगे, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी अधिक गतिमान और समृद्ध बनाया जा सके।

नोट :

# जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में रोम में आयोजित इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (The International Fund for Agricultural Development- IFAD) की गवर्निंग काउंसिल की 43वीं बैठक में कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संदर्भित किया गया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- IFAD के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक लगभग 100 मिलियन लोग गरीबी से प्रभावित हो सकते हैं जिनमें से लगभग आधे लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित होंगे।
- वैश्विक विकास और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीण विकास पर अधिक खर्च करने की अपील की गई, ताकि जलवायु आपातकाल से उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति से बचा जा सके।

### कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित तथ्य

- कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव मौजूदा संघर्षों को बढ़ा रहे हैं जो कि दुनिया भर में नए संघर्ष पैदा करने की क्षमता रखते हैं। चूँकि संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं अत: संसाधनों पर अधिकार की महत्त्वाकांक्षा आपसी संघर्ष को जन्म देगी।
- वर्ष 2018 में आपदाओं के कारण लगभग 17.2 मिलियन लोग विस्थापित हुए जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत लोग मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं से प्रभावित थे।
- केवल अफ्रीका में वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के बीच संघर्षों में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि यहाँ भूख और गरीबी में वृद्धि का प्रमुख कारण है। ध्यातव्य है कि आपसी संघर्ष कृषि उत्पादन में बाधा उत्पन्न करता है और लाखों लोगों के गरीबी से बाहर निकलने की प्रक्रिया को बाधित करता है।
- गरीबी में वृद्धि प्राय: प्राकृतिक आपदाओं के कारण होती है, जैसे- पूर्वी अफ्रीका में टिड्डी दलों द्वारा फसलों को नष्ट करना जो कि मौजूदा संकट और जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीकी खाद्य प्रणालियों के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं। साथ ही ये प्रवासन और संघर्ष के सबसे बड़े कारक हैं।
- इसके अतिरिक्त वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जलवायवीय दशाओं में परिवर्तन होता है जिसका कृषि क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- IFAD की गवर्निंग काउंसिल ने जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में व्याप्त संकट का सामना करने के लिये ग्रामीण विकास में अधिक निवेश के लिये अपील की है।

### इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1977 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में हुई।
- इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना है।

# जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में मैक्किंज़े ग्लोबल इंस्टीट्यूट (McKinsey Global Institute) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती ऊष्मा (Heat) से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी।

### मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में मुख्यत: बढ़ती ऊष्मा और श्रमबल पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है।
- रिपोर्ट में अगले तीन दशकों में जलवायु परिवर्तन के भौतिक जोखिमों और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण एक सामान्य व्यावसायिक परिदृश्य में किया गया है।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- अगले तीन दशकों में अत्यधिक ऊष्मा के कारण भारत के श्रमबल की कार्यक्षमता में काफी कमी आएगी तथा भारत की लगभग 75% श्रम शक्ति (लगभग 380 मिलियन लोग) ऊष्मा संबंधी तनाव से प्रभावित होगी।
- वर्ष 2030 तक दिन के कार्य घंटों (Daylight Working Hours) में कमी होने से सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में सालाना 2.5%-4.5% तक नुकसान हो सकता है।
- यदि प्रमुख अनुकूलन और शमन उपायों को नहीं अपनाया गया तो भारत का एक बड़ा हिस्सा बहुत गर्म हो जाएगा जहाँ जीवित रहना और खुले में काम करना मुश्किल होगा।
- बढ़ती ऊष्मा और आर्द्रता का स्तर वर्ष 2030 तक 160 मिलियन से 200 मिलियन भारतीयों को भीषण गर्म-लहरों से प्रभावित कर सकता है।

आर्द्र बल्ब तापमान (Wet Bulb Temperature):

- 'आर्द्र बल्ब तापमान' में ऊष्मा और आर्द्रता दोनों पर विचार किया जाता है, अर्थात् यदि सापेक्ष आर्द्रता 100% है, तो 'आर्द्र बल्ब' का तापमान वायु के तापमान के बराबर होता है तथा यदि आर्द्रता 100% से कम है तो तापमान वायु के तापमान से कम होगा।

घातक उष्म-धाराएँ (Lethal Heat Waves) व शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island):

- यदि तीन या अधिक दिनों तक 34°C तापमान हो तथा आर्द्र बल्ब तापमान' की स्थिति हो तब घातक उष्म-धाराएँ उत्पन होंगी परंतु यदि तापमान 35°C से अधिक हो तो 'शहरी ऊष्मा द्वीप' प्रभाव होगा।

100% आर्द्रता और तापमान 35°C के ऊपर होने पर मानव शरीर, पसीना आने तथा ठंडा होने की अपनी प्राकृतिक क्षमता को खो देता है। 35°C तापमान से अधिक के 'आर्द्र बल्ब' के तापमान पर हम कुछ घंटे ही खुले में रह सकते हैं।

- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2050 तक सिर्फ 700 मिलियन से 1.2 बिलियन लोग 'घातक उष्म-धाराएँ' जैसे गैर-शून्य संभावना क्षेत्र (Non-Zero Chance Zone) में रह रहे होंगे।
- उच्च तापमान और 'घातक उष्म-धाराएँ' श्रम शक्ति की बाह्य कार्यक्षमता में बाधा उत्पन्न करेंगी।
- अनुमान बताते हैं कि अत्यधिक ऊष्मा के कारण कार्यशील घंटों की संख्या में होने वाली कमी वर्ष 2050 तक वर्तमान के 10% से बढ़कर 15-20% हो जाएगी तथा इससे आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित होगा।
- कई अध्ययनों से पता चला है कि विकासशील गरीब देश जिनका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कम है वे अपनी भौतिक थ्रेसहोल्ड सीमा (वह न्यूनतम स्तर जिस पर परिसंपत्ति का प्रदर्शन और स्थिति स्वीकार्य है) के करीब हैं तथा आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित होंगे।

### अन्य प्रभाव:

1. ग्लोबल वार्मिंग और महासागर:

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण अतिरिक्त ऊष्मा का एक बड़ा भाग (लगभग 90%) महासागरों में संग्रहीत हो रहा है जो सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाएगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते सागरीय तापमान के कारण कम होती मत्स्य संख्या इस उद्योग से जुड़े 650-800 मिलियन लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगी।
- दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन से शीतोष्ण कटिबंधीय विकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यथा उत्तरी यूरोप और कनाडा के कृषि, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ते तापमान से कुछ फायदा हो सकता है।

2. टिपिंग पॉइंट्स (Tipping Points) प्रभाव:

- परिवर्तन की एक सीमा को पार करने के बाद जलवायु के गैर-रेखीय प्रभाव उत्पन्न होते है इस सीमा को 'टिपिंग पॉइंट्स' कहते है। टिपिंग पॉइंट्स के बाद छोटे-छोटे परिवर्तन या घटनाएँ एक बड़े तथा अधिक परिवर्तन का कारण बन जाती हैं। अत्यधिक ऊष्मा के उपर्युक्त प्रभावों के अलावा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र पर 'टिपिंग पॉइंट्स' प्रभाव पड़ेगा।
- उदाहरण के लिये वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी मानसून व तूफान के कारण बाढ़ से प्रभावित है जहाँ अनुकूलन के बिना 100 वर्षों की बाढ़ से बुनियादी ढाँचे को होने वाला प्रत्यक्ष नुकसान 2050 तक 1 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है।

3. खाद्य उत्पादन पर प्रभाव:

- यह वैश्विक उष्णता के 'टिपिंग प्रभाव' से प्रभावित होने वाला अन्य क्षेत्र है। यहाँ कृषि पद्धतियों को विशिष्ट मौसम और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विकसित तथा अनुकूलित किया गया है। अत: इन सामान्य परिस्थितियों में कोई भी बदलाव, उत्पादकता को उच्च जोखिम में डालता है।
- वैश्विक अनाज उत्पादन का लगभग 60% केवल पाँच 'अनाज की टोकरी' (Breadbasket) क्षेत्रों में होता है। 'अनाज की टोकरी' एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो मिट्टी और लाभप्रद जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूँ या अन्य अनाज पैदा करती है। जलवायु परिवर्तन के कारण इन क्षेत्रों को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान का वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह:

- रिपोर्ट में सरकारों और व्यापार जगत से आग्रह किया गया है कि वे जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिये सही उपकरणों और विश्लेषण क्षमता को आगे बढ़ाएँ।
- जलवायु जोखिम को संबोधित करने के लिये उचित शासन व्यवस्था एवं कम कार्बन वाली तकनीकों पर काम करें।

## म्युनिसिपल बॉण्ड्स डेवलपमेंट कमेटी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में बाज़ार नियामक 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' [Securities and Exchange Board of India-(SEBI-सेबी)] ने म्युनिसिपल बॉण्ड्स डेवलपमेंट कमेटी (Municipal Bonds Development Committee) का गठन किया है।

### मुख्य बिंदु:

- म्युनिसिपल बॉण्ड्स डेवलपमेंट कमेटी का गठन सेबी के कार्यकारी निदेशक सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया है।
- सितंबर 2019 में सेबी ने स्मार्ट शहरों के साथ-साथ नगर नियोजन और शहरी क्षेत्रों के विकास के कार्यों को करने वाली संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं को ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से धन जुटाने में मदद देने के लिये 'मुनी बॉण्ड' (Municipal Bond) जारी करने के नियमों में ढील प्रदान की थी।

### क्या है मुनी बॉण्ड/म्युनिसिपल बॉण्ड?

- भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारें कार्य करती हैं।
- केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों को अपने व्यय के वित्तपोषण के लिये धन की आवश्यकता होती है।
- इन तीनों में केंद्र के पास अपने बजटीय वित्तपोषण के लिये राजस्व और उधार के विभिन्न स्रोत होते हैं।
- इसी तरह राज्य सरकारों के लिये राज्य विकास ऋण होता है, जो बॉण्ड का ही एक रूप है जिसे बाज़ार में बेचा जाता है।
- स्थानीय निकायों जैसे-नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिये केवल सीमित राजस्व स्रोत और बाज़ार से उधार लेने के लिये बहुत सीमित विकल्प होते हैं।
- ऐसे समय जब स्थानीय निकायों को अपने मुख्य विकास कार्यों को वित्त प्रदान करने हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है तो ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ही सेबी ने वर्ष 2015 में शहरी स्थानीय निकायों को मुनी बॉण्ड के माध्यम से पैसा जुटाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये थे।
- मुनी बॉण्ड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गए बॉण्ड हैं, इनके माध्यम से विशेष रूप से नगरपालिका और नगर निगम (नगर निकाय के स्वामित्व वाली संस्थाएं) संरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु धन जुटाती हैं।

म्युनिसिपल बॉण्ड्स डेवलपमेंट कमेटी का कार्य:

- नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना।
- प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण तथा पारदर्शिता लाने के लिये कानूनी ढाँचे में परिवर्तन हेतु आवश्यक मामलों पर सेबी को सलाह देना।

- नगरपालिकाओं को नगरपालिका ऋण प्रतिभूति जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर सेबी को सिफारिश करना।
- प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार में निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मध्यस्थों के विनियमन से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देना।
- नगरपालिका ऋण प्रतिभूति बाज़ार के विकास से संबंधित नीतिगत मामलों पर सिफारिश करना।

### भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
- इसकी प्रस्तावना (Preamble) के अनुसार इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
    - प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
    - प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

## खुदरा भुगतान प्रणाली के लिये नई अम्ब्रेला इकाई

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई (New Umbrella Entity- NUE) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- प्रस्तावित इकाई विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी।
- ऐसी इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित कंपनी होगी।
- यह एटीएम, व्हाइट लेबल PoS, आधार-आधारित भुगतान और प्रेषण सेवाएँ, भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, संबंधित मुद्दों पर निगरानी रखने तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अलावा अन्य समस्याओं को भी ध्यान में रखेगी।
- RBI ने निदेशकों की नियुक्ति को मंज़ूरी देने के अधिकार के साथ ही NUE के बोर्ड में एक सदस्य को नामित करने का अधिकार बरकरार रखा है।
- NUE को अपने बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये उपयुक्त और उचित मानदंडों के साथ-साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिये।

  इकाई के कार्य:
- समाशोधन (Clearing) और निपटान प्रणाली संचालित करना।
- निपटान, ऋण, तरलता और परिचालन जैसे प्रासंगिक जोखिमों की पहचान एवं प्रबंधन और सिस्टम की अखंडता को बनाए रखना तथा खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास की निगरानी करना।
- इसके अतिरिक्त इसका कार्य आर्थिक धोखाधड़ी (Fraud) से बचने के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास और संबंधित मुद्दों की निगरानी करना है जो कि सामान्य रूप से प्रणाली और अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

### इस संदर्भ में RBI की शर्तें

- NUE की स्थापना के लिये आवेदन में एक विस्तृत व्यवसाय योजना होनी चाहिये जिसमें भुगतान प्रणाली को शामिल करने का प्रस्ताव हो या भुगतान दस्तावेज़ पारिस्थितिकी तंत्र में अपने अनुभव को विधिवत स्थापित करने के लिये अन्य दस्तावेज़ों के साथ संचालित हो।

- एक अम्ब्रेला इकाई के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के संदर्भ में एक प्रस्तावित संगठनात्मक रणनीति भी व्यवसाय योजना में दी जानी चाहिये।
- RBI के अनुसार, किसी भी प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह को इकाई की पूंजी में 40 प्रतिशत से अधिक निवेश की अनुमति नहीं है।
- प्रवर्तकों को संस्था की स्थापना के लिये आवेदन करते समय कम-से-कम 10 प्रतिशत (या कम-से-कम 50 करोड़ रुपए) का पूंजी योगदान करना चाहिये।
- व्यवसाय शुरू होने के 5 साल बाद प्रमोटर या प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी कम से कम 25 प्रतिशत तक कम होनी चाहिये।
- RBI के अनुसार, 300 करोड़ रुपए का न्यूनतम नेटवर्थ हमेशा बना रहना चाहिये।
- भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (Payment System Operator- PSO) या भुगतान सेवा प्रदाता (Payment Service Provider- PSP) या प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता (Technology Service Provider- TSP) के रूप में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ NUE के लिये प्रमोटर या प्रमोटर समूह के रूप में आवेदन हेतु योग्य इकाई 'निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित' होनी चाहिये।
- शेयरधारिता पैटर्न में विविधता होनी चाहिये तथा NUE में भुगतान की गई पूंजी का 25 प्रतिशत से अधिक रखने वाली किसी भी इकाई को प्रवर्तक माना जाएगा।

### आगे की राह

- खुदरा भुगतान प्रणाली से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिये बेहतर एवं परिणामोन्मुख रणनीतियों की आवश्यकता है।
- नई नीतियों एवं वर्तमान नीतियों का सफल क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है अन्यथा नई नीतियों के निर्माण का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा।

## SUTRA-PIC कार्यक्रम

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'स्वदेशी' गायों पर शोध करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) के नेतृत्व में SUTRA-PIC (Scientific Utilization through Research Augmentation- Prime Products from Indigenous Cows) नामक कार्यक्रम की योजना के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान किये हैं।

### मुख्य बिंदुः

- इसे संचालित करने में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सहयोग किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों, ग्रासरूट्स ऑर्गनाइजेशन के वैज्ञानिकों/शिक्षाविदों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर अनुसंधान विकास कार्य, प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता निर्माण हो सके।

### क्या है SUTRA-PIC कार्यक्रम?

- SUTRA-PIC कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाँच थीम्स (Themes) के आधार पर प्रस्ताव रखे गए हैं-
  - स्वदेशी गायों की विशिष्टता (Uniqueness of Indigenous Cows):
    - इस थीम के तहत एक प्रमुख उद्देश्य शुद्ध देशी गायों की विशिष्टता की व्यवस्थित वैज्ञानिक जाँच करना है।
    - स्वदेशी गायों से चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये प्रमुख उत्पाद प्राप्त करना (Prime-products from Indigenous Cows for Medicine and Health):
    - इस थीम के अंतर्गत ऐसे अनुसंधान प्रस्ताव रखे गए हैं जिनके अंतर्गत केमिकल प्रोफाइलिंग (Chemical Profiling) तथा ऐसे जैव सक्रिय सिद्धांतों की जाँच की जाएगी जो कि एंटीकैंसर दवाओं और एंटीबॉडीज़ की संख्या को बढ़ाने में सक्षम हैं तथा आधुनिक दृष्टिकोण से देशी गाय के प्रमुख उत्पादों के औषधीय गुणों के संबंध में अनुसंधान किया जाएगा।

नोट :

- कृषि अनुप्रयोगों के लिये देशी गायों से प्रमुख उत्पाद प्राप्त करना (Prime-products from Indigenous Cows for Agricultural Applications):
  - इस थीम के अंतर्गत मुख्य उत्पादों की भूमिका की वैज्ञानिक जाँच करने, पौधों की वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य और पादप प्रणाली में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली देशी गायों, कृषि में जैविक खाद एवं जैव कीटनाशक के रूप में उसके उपयोग संबंधी अनुसंधान का प्रस्ताव रखा गया है।
- खाद्य और पोषण के लिये देशी गायों से प्रमुख उत्पाद प्राप्त करना (Prime-products from Indigenous Cows for Food and Nutrition):
  - इस थीम के तहत भारतीय देशी गायों से प्राप्त दूध और दुग्ध उत्पादों के गुणों तथा उनकी शुद्धता पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने संबंधी प्रस्ताव रखा गया है।
  - इसके अंतर्गत पारंपरिक तरीकों से गायों की देशी नस्लों से तैयार दही और घी के पोषण और चिकित्सीय गुणों पर वैज्ञानिक शोध करने के संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया है।
  - घी की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिये जैव/रासायनिक मार्का की पहचान करने के संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया है।
- स्वदेशी गायों पर आधारित उपयोगी वस्तुओं से संबंधित प्रमुख उत्पाद प्राप्त करना: (Prime-products from indigenous cows-based utility items):
  - इस विषय के तहत देशी गायों के प्रमुख घटकों से प्राप्त उपयोगी उत्पादों को प्रभावी, आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल तैयार करने के उद्देश्य से प्रस्ताव रखा गया है।

### कौन कर सकता है प्रस्तावों के लिये आवेदन?

- इस कार्यक्रम के लिये अकादमिक/अनुसंधान एवं विकास संस्थाएँ/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की संस्थाएँ या भारत में सक्रिय सक्षम गैर-सरकारी संगठनों (जिनका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के निष्पादन में उपलब्धि का रिकॉर्ड हो) द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रस्ताव किया जा सकता है।

देशी गायों के संरक्षण से संबंधित अन्य तथ्य:

- वर्ष 2017 में DST के अंतर्गत स्थित प्रभाग Science For Equity Empowerment and Development-SEED ने 'पंचगव्य के वैज्ञानिक मूल्यांकन और अनुसंधान' (Scientific Validation and Research on Panchgavya- SVAROP) हेतु एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गौ-उत्पादों को विकसित करने के साथ-साथ देशी मवेशियों की नस्लों की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना था।

### पंचगव्य:

- पंचगव्य एक आयुर्वेदिक रामबाण औषधि है जो गाय (गव्य) के पाँच (पंच) उत्पादों (दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र) का मिश्रण है।
- कहा जाता है कि यह कई तरह की बीमारियों का उपचार कर सकता है।

## भारतीय रेलवे: कॉरपोरेट ट्रेन मॉडल

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा संचालित काशी महाकाल एक्सप्रेस (Kashi Mahakal Express) को तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन का दर्ज़ा प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व यह दर्ज़ा दिल्ली-लखनऊ और मुंबई-अहमदाबाद रूट के बीच संचालित दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों को प्राप्त था।

### कॉरपोरेट ट्रेन मॉडल

- भारतीय रेलवे द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (Indian Railway Catering and Tourism Corporation-IRCTC) के लिये नियमित यात्री ट्रेनों को 'आउटसोर्स' करने का एक नया सक्रिय मॉडल कॉरपोरेट ट्रेन मॉडल है।

- यह मॉडल एक पायलट परियोजना है। इस मॉडल के सफल होने पर निजी क्षेत्र को लगभग 100 रेलवे रूट्स पर 150 ट्रेनों को संचालित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

## नए मॉडल की कार्यप्रणाली

- इस मॉडल में किराया, भोजन, ट्रेन के भीतर मूलभूत सविधाएँ तथा शिकायत जैसी सेवाओं का संचालन IRCTC द्वारा किया जाएगा।
- भारतीय रेलवे अब सेवा प्रदाता की भूमिका से मुक्त होगी तथा रेलवे अवसंरचना के उपयोग की अनुमति देने के लिये IRCTC से पूर्व निर्धारित राशि प्राप्त करेगी।
- इस मॉडल के तीन प्रमुख घटक ढुलाई (Haulage), लीज़ (Lease), और कस्टडी (Custody) हैं।
- कॉरपोरेट ट्रेन तेजस के लिये IRCTC द्वारा दिया जाने वाला ढुलाई शुल्क (Haulage Charge) 800 रुपए प्रति किलोमीटर है। इसमें ट्रैक, सिग्नलिंग, ड्राइवर, स्टेशन स्टाफ जैसे निश्चित बुनियादी ढाँचे के उपयोग का शुल्क भी सम्मिलित है।
- इसके अतिरिक्त IRCTC को लीज़ शुल्क (Lease Charges) और कस्टडी शुल्क (Custody Charge) भी देना पड़ता है। इनमें से प्रत्येक घटक द्वारा दिल्ली-लखनऊ रूट पर भारतीय रेलवे को 2 लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी प्राप्त होती है।

## भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम

- IRCTC, भारतीय रेलवे का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह खानपान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट वितरण के कार्य का संचालन करती है।
- IRCTC ने निजी ट्रेनों के संचालन का कार्य भी प्रारंभ किया है।
- IRCTC द्वारा 4 अक्तूबर, 2019 को भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन दिल्ली-लखनऊ रूट पर किया गया।

## IRCTC को प्राप्त शक्तियाँ

- एक कॉर्पोरेट इकाई होने के कारण IRCTC इस बात पर बल देता है कि रेलवे से इसे मिलने वाले कोच अच्छी स्थिति में तथा नए हो, जैसा कि सामान्य ट्रेनों में देखा जाता है कि कोच पुराने और बहुत ख़राब स्थिति में होते हैं। इससे IRCTC के व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
- नए मॉडल में IRCTC के पास रेल मंत्रालय और इसकी समितियों द्वारा निर्मित नीतियों के मापदंडों को तय करने तथा उन्हें बदलने का भी पूर्ण अधिकार होगा।
- IRCTC को अपने व्यवसाय मॉडल की ज़रूरतों के आधार पर किसी मार्ग पर ट्रेनों के स्टॉपेज को बढ़ाने तथा कम करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है।
- उदाहरण के तौर पर दिल्ली-लखनऊ रूट पर तेजस के दो स्टॉप हैं, जबकि मुंबई-अहमदाबाद रूट पर तेजस के छह स्टॉप हैं। स्टॉपेज को बढ़ाने तथा कम करने का निर्णय व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

भारतीय रेलवे को प्राप्त होने वाले लाभ

- दिल्ली-लखनऊ रूट पर तेजस एक्सप्रेस के संचालन से सामान्य तौर पर सभी शुल्कों और करों को मिलाकर भारतीय रेलवे को IRCTC से लगभग 14 लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी होती है।
- इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे को कम किराए और अपने स्वयं के भारी ओवरहेड्स के कारण लागत की कम वसूली की स्थिति में इन ट्रेनों के संचालन के साथ जुड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- इससे रेलवे के कोचों का रखरखाव भी अच्छी तरह से हो पाएगा।

क्या यह मॉडल निजी ट्रेन संचालकों के लिये भी समान है?

- निजी ट्रेन संचालकों से संबंधित मॉडल अलग है। इसमें ढुलाई शुल्क कॉरपोरेट ट्रेन मॉडल के सापेक्ष 668 रुपए प्रति किलोमीटर है।
- इस मॉडल में राजस्व का उच्चतम प्रतिशत साझा करने वाली कंपनियां ही अनुबंध हासिल कर पाएंगी।
- निजी संचालकों को लीज़ और कस्टडी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- सरकार चाहती है कि निजी संचालकों के साथ भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी निजी ट्रेनों के संचालन के भार को साझा करें।
- यह मॉडल रेलवे में निजीकरण की दिशा में बढ़ने का भी एक प्रयास है।

नोट :

# निवेश सलाहकार के लिये योग्यता नियमों में सुधार

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) ने निवेश सलाहकारों के लिये योग्यता नियमों में सुधार करने फैसला लिया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- निवेशकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, पूंजी बाज़ार नियामक सेबी निवेश सलाहकारों के लिये योग्यता मानदंडों को कड़ा बनाने और अधिकतम फीस तय करने की तैयारी में है।
- इसके अतिरिक्त नियामक जल्द ही कार्वी (Karvy) जैसे मामलों से बचने के लिये एक सर्कुलर जारी करेगा। ध्यातव्य है कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड (Karvy Stock Broking Services Limited) पर ग्राहकों की अनुमति के बिना उनकी प्रतिभूतियों का उपयोग निजी लाभ के लिये करने का आरोप है।
- इसके अतिरिक्त नियामक मिड कैप (Mid Cap) और स्माल कैप (Small Cap) म्यूचुअल फंड स्कीम्स को दोबारा श्रेणीबद्ध करने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि in सुधारों के माध्यम से म्यूचुअल फंड के निवेश का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

### SEBI द्वारा किये गए हालिया सुधार

- सेबी ने निवेश सलाहकारों के रूप में पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में स्वतंत्र 'फाइनेंसियल एडवाइज़र' या 'वेल्थ एडवाइज़र' जैसे टाइटल के प्रयोग पर भी रोक लगा दी है।
- सेबी के अनुसार, नए नियम चार परामर्श पत्रों और सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने के बाद बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य फीस के भुगतान में पारदर्शिता लाना और निवेशकों से वसूल की जाने वाली फीस पर ऊपरी सीमा तय करना है।
- सेबी निवल योग्यता (Networth Qualification) और अनुभव (Experience) सहित निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण के लिये इनहांस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (Enhanced Eligibility Criteria) भी लागू करेगा।
- सेबी के अनुसार, अधिक पारदर्शिता के लिये सलाहकार और क्लाइंट को सभी नियमों एवं शर्तों को शामिल करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- सेबी के अनुसार, नए नियमों के अंतर्गत सलाह एवं वितरण की सेवाएँ किसी व्यक्तिगत सलाहकार द्वारा दिये जाने की अनुमति नहीं होगी।

SEBI द्वारा किये गए सुधारों का महत्त्व

- सेबी द्वारा किये गए सुधारों से पूंजी बाज़ार से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करेंगे।
- निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिये प्रेरित किया जा सकेगा।
- निवेश सलाहकार के रूप में नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता मानदंडों को कठोर बनाए जाने से बेहतर निवेश सलाहकार व्यवस्था में शामिल होंगे तथा निवेशकों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

### SEBI द्वारा किये गए सुधारों के प्रभाव

- इससे निवेश सलाहकारों द्वारा मनमाने ढंग से फीस में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं कर पाएँगे जिससे निवेशकों पर पड़ने वाला फीस का अतिरिक्त भार कम होगा।
- नए नियमों के अंतर्गत सलाह एवं वितरण की सेवाएँ किसी व्यक्तिगत सलाहकार द्वारा दिये जाने की अनुमति नहीं होने से व्यवस्था के औपचारिकरण में मदद मिलेगी।

### भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

नोट :

- इसके मुख्य कार्य हैं -
  - प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
  - प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

आगे की राह

- SEBI को पूंजी बाज़ार में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, गौरतलब है कि SEBI निरंतर इनसाइडर ट्रेडिंग और निवेश जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करता रहा है।
- ग्राहकों की अनुमति के बिना उनकी प्रतिभूतियों का उपयोग निजी लाभ के लिये नहीं किया जा सके, इससे संबंधित कड़े मानदंडों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता है जिससे कि निवेशकों का इस व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।

# RBI के लेखांकन वर्ष में परिवर्तन

## चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of india- RBI) अपने लेखांकन वर्ष (Accounting Year) को जुलाई-जून से परिवर्तित कर अप्रैल-मार्च करने पर विचार कर रहा है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- RBI देश के वित्त के अधिक प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु अपने लेखांकन वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष (Fiscal Year) के साथ संरेखित करना चाहता है।

### पृष्ठभूमि:

- जब 1 अप्रैल, 1935 में सर ऑसबोर्न स्मिथ (तत्कालीन गवर्नर) की अध्यक्षता में RBI का परिचालन शुरू हुआ तो इसका लेखांकन वर्ष जनवरी-दिसंबर था किंतु 11 मार्च, 1940 को बैंक ने अपना लेखांकन वर्ष बदलकर जुलाई-जून कर दिया था।
- अब लगभग आठ दशकों के बाद RBI एक और बदलाव कर रहा है। ध्यातव्य है कि अगला लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक नौ महीने की अवधि का होगा और उसके बाद सभी लेखांकन वर्ष सरकार के वित्तीय वर्ष की भाँति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे।

## RBI के लेखांकन का महत्त्व

- RBI की बैलेंस शीट देश की अर्थव्यवस्था की कार्यपद्धति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो बड़े पैमाने पर इसके मुद्रा संबंधी मुद्दे के साथ-साथ मौद्रिक नीति और आरक्षित प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में की गई गतिविधियों को दर्शाती है।
- RBI अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय बैंक केंद्र सरकार के खाते के लिये धनराशि स्वीकार करने तथा क्रेडिट करने के लिये राशि का भुगतान और विनिमय के अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के साथ-साथ प्रेषण एवं अन्य बैंकिंग कार्यों का प्रबंधन करता है।
- RBI देश का मौद्रिक प्राधिकरण, नियामक, वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षक, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक, मुद्रा जारी करने वाला, भुगतान और निपटान प्रणाली का नियामक तथा पर्यवेक्षक, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बैंकर के साथ-साथ बैंकों का भी बैंकर है। ध्यातव्य है कि ये सभी कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिये इन दायित्वों का निर्वहन करने के कारण RBI का लेखांकन अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

## RBI द्वारा लेखांकन वर्ष में परिवर्तन के कारण

- RBI के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (Economic Capital Framework- ECF) पर बिमल जालान समिति ने RBI के वार्षिक खातों की अधिक पारदर्शी प्रस्तुति और वित्तीय वर्ष 2020-21 से इसके लेखांकन वर्ष को जुलाई-जून के स्थान पर अप्रैल-मार्च करने का प्रस्ताव दिया था।
- समिति के अनुसार, इससे RBI बजटीय उद्देश्यों हेतु वित्त वर्ष के लिये सरकार को अनुमानित अधिशेष के हस्तांतरण (Estimated Surplus Transfer) का बेहतर अनुमान प्रदान करने में सक्षम होगा।

- समिति का मानना था कि इससे सरकार को प्राप्त लाभांश या अधिशेष के हस्तांतरण का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकारें, कंपनियाँ और अन्य संस्थान जो अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष का पालन करते हैं, को उनके लेखांकन के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलेगी।

### लेखांकन वर्ष में परिवर्तन का प्रभाव

- वित्तीय वर्ष में बदलाव RBI द्वारा भुगतान किये जाने वाले अंतरिम लाभांश की आवश्यकता को कम किया सकता है और इस तरह के भुगतान असाधारण परिस्थितियों तक सीमित हो सकते हैं। ध्यातव्य है कि पिछले वित्त वर्ष में RBI ने अंतरिम लाभांश के रूप में 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।
- इससे RBI द्वारा प्रकाशित मौद्रिक नीति अनुमानों और रिपोर्टों में अधिक सामंजस्य बनाया जा सकेगा। क्योंकि इनके लिये RBI वित्तीय वर्ष को ही आधार वर्ष मानता है।
- लेखांकन वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष से संरेखित करने से सरकारी नीतियों एवं RBI की मौद्रिक नीतियों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है तथा देश की आर्थिक स्थितियों का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

### आगे की राह

- RBI को वर्तमान आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिये, साथ ही इसे सरकार की नीतियों के साथ परस्पर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त RBI को बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है तथा बैंकिंग क्षेत्र में NPA, प्रबंधन में समस्या जैसी अन्य समस्याओं से निपटने की दिशा में व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे बैंकिंग व्यवस्था में नागरिकों का विश्वास बना रहे तथा वित्तीय समावेशन को बल मिले।

---

## भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीप

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institutes of Technology-IIT) खड़गपुर ने 'भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीपों के विस्तार में मानवजनित कारक' नाम से एक शोधपत्र जारी किया।

### मुख्य बिंदु:

- इस शोध में नगरीय और उपनगरीय भूमि के सतही तापांतर का अध्ययन किया गया।
- यह शोध वर्ष 2001-2017 के दौरान 44 प्रमुख शहरों में किये गए अध्ययन पर आधारित है।

अध्ययन में मुख्य निष्कर्ष:

- पहली बार शहरी ऊष्मा द्वीपों का सतही औसत दैनिक तापमान (इसे Urban Heat Island-UHI तीव्रता भी कहते हैं।) 2°C से अधिक होने के प्रमाण पाए गए। दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू, हैदराबाद और चेन्नई जैसे सभी नगरों में ऐसे प्रमाण मिले हैं।
- यह विश्लेषण मानसून और उत्तर- मानसून काल में उपग्रह आधारित तापमान मापन पर आधारित है।

### नगरीय ऊष्मा द्वीप:

नगरीय ऊष्मा द्वीप वह सघन जनसंख्या वाला नगरीय क्षेत्र होता है, जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2°C अधिक होता है।

### ऐसा क्यों होता है?

- फुटपाथ, सड़क, छत जैसी अवसंरचनाएँ कंक्रीट, डामर (टार) और ईंटों जैसी अपारदर्शी सामग्री से निर्मित होती हैं जो प्रकाश को संचारित नहीं होने देती हैं।
- इनकी ऊष्मा-क्षमता (किसी वस्तु के विकिरण को अवशोषित कर गर्म होने की क्षमता) एवं तापीय-चालकता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उच्च होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खुला स्थान, पेड़-पौधे और घास पाई जाती है। और पेड़-पौधों में वाष्पी-वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) की क्रियाएँ होती हैं जबकि नगरों में इन क्रियाओं का अभाव रहता है, अत: नगरों का तापमान अधिक हो जाता है।

### वाष्पी-वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration):

यह शब्द दो शब्दों, वाष्पीकरण (Evaporation) और वाष्पोत्सर्जन (Transpiration से मिलकर बना है।

### वाष्पीकरण:

- इसमें स्थल भाग से आसपास की वायु में जल की आवाजाही होती है।

### वाष्पोत्सर्जन:

- पौधे के भीतर जल की गतिशीलता तथा उसकी पत्तियों में स्टोमेटा (Stomata: पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों) के माध्यम से जल में होने वाली कमी।

## UHI का जलवायु पर प्रभाव:

- UHI के कारण नगरीय वायु गुणवत्ता में भी कमी आती है।
- नगरीय उच्च तापमान के कारण UHI में उच्च तापमान पसंद करने वाली प्रजातियों यथा- चींटियों जैसे-कीड़े, छिपकली और जेकॉस (Geckos) का अतिक्रमण बढ़ता है। ऐसी प्रजातियों को एक्टोथर्म (Ectotherms) कहा जाता है।
- इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में ऊष्मा का अनुभव किया जाता है जो मानव और पशु दोनों के स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक हैं, इसके कारण शरीर में ऐंठन, अनिद्रा और मृत्यु दर में वृद्धि देखी जाती है।
- UHI आसपास के जल क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है जहाँ से गर्म जल शहर की सीवर नालियों से होता हुआ आसपास की झीलों और खाड़ियों में पहुँचता है और इनके जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता खराब करता है।

## UHI नगर की केस स्टडी:

- बंगलूरू जो कभी अपनी स्वास्थ्यवर्द्धक जलवायु के लिये जाना जाता था अब यह नगर UHI से प्रभावित है।
- नगर के आसपास के उपनगरों में इमारतों, औद्योगिक पार्कों और अपार्टमेंट्स का तेजी से विस्तार हुआ है, जैसे-इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइटफील्ड (Whitefield) उपनगरों के विस्तार ने नगर को अस्वास्थ्यकर बना दिया है। इसकी कुछ सुंदर झीलों का जल गँदला और रोगकारक हो गया हैं।
- नगर में जहाँ पहले रात में एयर कंडीशन या पंखों की जरूरत नहीं रहती थी वहाँ आज UHI की स्थिति है। औद्योगिक पार्क, कारखानें और संबंधित इमारतों से युक्त आसपास का क्षेत्र जो कभी एक विशाल उपनगर था वर्तमान में इसे तीसरे नगर 'साइबराबाद' (Cyberabad) के रूप में जाना जाता है।
- इनकी वजह से न केवल नगर में UHI का निर्माण हुआ है बल्कि 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' (Air Quality Index-AQI) में भी भारी कमी आई है। हालाँकि बंगलूरू में AQI का स्तर सुरक्षित (Safe) श्रेणी पर है परंतु इस स्तर को बनाए रखने के लिये अभी से कदम उठाने की आवश्यकता है। AQI का 'सुरक्षित' स्तर 61-90 अंको के बीच माना जाता है।

## UHI का शमन और नियंत्रण:

औद्योगीकरण और आर्थिक विकास देश के लिये महत्त्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन साथ ही UHI स्थिति पर नियंत्रण पाना भी आवश्यक है। इसके लिये निम्न तरीके कारगर हो सकते हैं:

- हल्के रंग के कंक्रीट ( डामर के साथ चूना पत्थर) का उपयोग करना , हरित छतों का उपयोग करना, सड़क की सतह धूसर या गुलाबी रंग करना, ये काले रंग की अपेक्षा 50% बेहतर होते हैं क्योंकि ये कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और अधिक सूर्यताप को परावर्तित करते हैं। इसी तरह हमें छतों को हरे रंग में रंगना चाहिये और हरे रंग की पृष्ठभूमि वाले सौर पैनल स्थापित करने चाहिये।
- अधिक-से-अधिक पेड़ और पौधे लगाने चाहिये। 'ट्री पीपल संगठन' (Tree people) ने पेड़ और पौधों से होने वाले ऐसे 22 लाभों को सूचीबद्ध किया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
    - पेड़-पौधे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहायता करते हैं।
    - वे प्रदूषक गैसों को अवशोषित करके आसपास की हवा को साफ करते हैं (यथा- $NXOy$, $O_3$, $NH_3$, $SO_2$ आदि)।

- वे शहर और सड़कों को ठंडा रखते हैं, इस तरह ऊर्जा संरक्षण में मदद करते हैं (एयर कंडीशनिंग लागत में 50% की कटौती)।
- जल संरक्षण को बढ़ाते हैं और जल प्रदूषण को रोकते हैं।
- मृदा अपरदन को रोकना।
- पराबैंगनी किरणों से लोगों और बच्चों की रक्षा करने।
- नगर में अप्रत्यक्षत: व्यापारिक क्रियाओं को बढ़ाने में मदद करना।
- अत: अधिक-से-अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिये परंतु पौधारोपण के साथ-साथ उनकी निरंतर देखभाल भी की जानी चाहिये तथा 'टोकन पौधारोपण' (विशेष एकल किस्म के पौधों को बढ़ावा देना) नहीं करना चाहिये।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजनाओं को नवीन सुधारों के साथ पुन: प्रारंभ करने की मंज़ूरी दी है।

### मुख्य बिंदु:

- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana-PMFBY) और 'पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना' (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme-RWBCIS) दोनों में सुधार किये गए हैं।
- इन सुधारों का उद्देश्य फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है।
- केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर और सभी हितधारकों के इनपुट के आधार पर इन योजनाओं में बदलाव किये हैं।

निम्नलिखित मापदंडों/प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव:

- फसल बीमा योजनाओं की मौजूदा सब्सिडी की प्रीमियम दर को (वर्ष 2020 के खरीफ फसल से) 50% से घटाकर सिंचित क्षेत्रों में 25% और असिंचित क्षेत्रों के लिये 30% तक कर दिया जाएगा।
- मौजूदा फसल ऋण वाले किसानों सहित सभी किसानों के लिये इन उपर्युक्त योजनाओं में नामांकन को स्वैच्छिक कर दिया है, जबकि 2016 में जब PMFBY योजना प्रारंभ की गई थी तब सभी फसल ऋण धारकों के लिये इस योजना के तहत बीमा कवर हेतु नामांकन करवाना अनिवार्य था।

### योजनाओं में अन्य बदलाव:

- बीमा कंपनियों इन योजनाओं में केवल तीन वर्ष तक व्यवसाय कर सकेगी।
- राज्यों/संघशासित राज्यों को अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं के चयन का विकल्प प्रदान करने के साथ ही योजना को लागू करने में लचीलापन प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये प्रीमियम सब्सिडी दर को 90% तक बढ़ाया जाएगा।
- योजना के लिये आवंटित कुल राशि का कम-से-कम 3% खर्च प्रशासनिक कार्यों पर किया जाएगा।

### बदलाव का उद्देश्य:

- किसान बेहतर तरीके से कृषि उत्पादन जोखिम का प्रबंधन करने और कृषि आय को स्थिर करने में सफल होंगे।
- इन बदलाओं के बाद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बीमा कवरेज बढ़ेगा, जिससे इन राज्यों के किसान बेहतर तरीके से कृषि जोखिम का प्रबंधन कर सकेंगे।
- इन परिवर्तनों के बाद त्वरित और सटीक उपज अनुमान प्राप्त करना संभव हो पाएगा जो बीमा दावों के निपटान में मदद करेगा।
- उपर्युक्त दोनों योजनाओं में नामांकित 58% किसान ऐसे हैं जिन्हें अब बीमा कवर नामांकन के लिये बाध्य नहीं होना पड़ेगा।

### सुधारों का संभावित प्रभाव:

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार PMFBY योजना के तहत फसल बीमा कवरेज केवल 30% है तथा इसके तहत नामांकित किसानों की इस संख्या में नवीन सुधारों के बाद और भी कमी आ सकती है।
- वर्तमान में केंद्र और राज्य के प्रीमियम योगदान का अनुपात 50:50 है, अत: इन सुधारों के बाद राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

### योजनाओं के साथ जुड़ी समस्याएँ:

- विभिन्न हितधारकों का आरोप है कि योजना का अधिकांश लाभ निजी बीमा कंपनियों को प्राप्त हुआ है, किसानों को इसका बहुत कम लाभ मिला है।
- कुछ बीमा कंपनियाँ यथा- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard), टाटा एआईजी (Tata AIG) सहित कई प्रमुख बीमा कंपनियाँ वर्ष 2019-20 में योजना से बाहर हो गई थीं। इन कंपनियों का कहना था कि उच्च फसल बीमा दावों के अनुपात की वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा था।
- पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने पहले ही इस योजना में भाग लेने से इनकार कर दिया है।
- केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि फसल बीमा योजनाओं का अंतिम उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना होना चाहिये।

## टैक्स हैवन देश

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने विभिन्न देशों को टैक्स हैवन के रूप में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यूरोपियन यूनियन ने पनामा, सेशेल्स, केमैन आईलैंड और पलाऊ को टैक्स हैवन देशों के रूप में ब्लैक लिस्ट में डाला है, जबकि तुर्की को ब्लैक लिस्टेड होने से बचने के लिये कुछ समय दिया है।

### टैक्स हैवन से आशय

- टैक्स हेवन (Tax Haven) देश उन्हें कहा जाता है जहाँ अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम कर लगता है या बिलकुल कर नहीं लगता। गौरतलब है कि ये ऐसे देश होते हैं जो विदेशी नागरिकों, निवेशकों एवं उद्यमियों को यह सुविधा प्रदान करते हैं कि वे उस देश में रहकर जो व्यवसाय या निवेश करेंगे या वहाँ किसी उद्यम की स्थापना करेंगे तो उस पर उनको कर नहीं देना होगा या कर की दरें बहुत ही कम होंगी।
- ऐसे देश टैक्स में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते न ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं। ये देश उन लोगों के लिये स्वर्ग (हैवन) के समान हैं, जो टैक्स चोरी करके पैसे इन देशों में जमा कर देते हैं।
- ऐसे देशों में पैसे जमा करने पर वे पैसे जमा करने वाले व्यक्ति या संस्था के बारे में कुछ भी नहीं पूछते। यही कारण है कि टैक्स चोरों के लिये ऐसे देश स्वर्ग जैसे होते हैं, जो अपने देश से पैसे लाकर इन देशों में काले धन के रूप में जमा कर देते हैं।
- मॉरीशस, साइप्रस और पनामा जैसे देश अपने यहाँ निवेशित पूंजी से प्राप्त लाभ पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाते हैं।

### टैक्स हैवन का विश्व पर प्रभाव

- नकारात्मक प्रभाव
  - टैक्स हैवन से वैश्विक स्तर पर कर चोरी को बढ़ावा मिलता है जिससे वैश्विक स्तर पर काले धन की समस्या में लगातार वृद्धि होती है।
  - टैक्स हैवन के कारण घरेलू टैक्स संग्रहण पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात् कर अपवंचन में वृद्धि होती है जिससे संबंधित देश के राजस्व संग्रह में कमी आती है। साथ ही वित्त का देश से बाहर की ओर प्रवाह बढ़ता है जिससे देश में वित्तीय अस्थिरता एवं वित्तीय नियंत्रण में कमी जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
  - टैक्स हैवन में टैक्स की दरों के कम या नगण्य होने के कारण शेल कंपनियों को बढ़ावा मिलता है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- इसके कारण वैश्विक स्तर पर मनी लॉड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग जैसे आर्थिक अपराधों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता की कमी देखि जाती है।

- सकारात्मक प्रभाव
  - टैक्स हैवन के कारण वैश्विक स्तर पर टैक्स प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हो सकती है जिससे बड़े विकसित एवं विकासशील देशों में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु कर की दर कम की जा सकती है और निवेशकों को कर की कम दरों का लाभ प्राप्त हो सकता है।

ध्यातव्य है कि टैक्स हैवन देश विभिन्न देशों की घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये एक बड़ी समस्या बन चुके हैं, इसलिये यदि इनके कारण कोई देश अपने कर की दरों में कमी कर भी लेता है तो इसके नकारात्मक प्रभावों की तुलना में यह लाभ अत्यंत नगण्य होगा।

### टैक्स चोरी को रोकने से संबंधित वैश्विक प्रयास

- टैक्स चोरी को रोकने के लिये एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (Common Reporting Standard- CRS) विकसित किया गया है जो स्वचालित रूप से वित्तीय सूचनाओं के सीमा-पार आदान-प्रदान एवं विनियमन से संबंधित एक नियम है ताकि कर अधिकारियों को अपने करदाताओं की ऑफशोर होल्डिंग (Offshore Holdings) को ट्रैक करने में मदद मिल सके।
- OECD द्वारा वैश्विक स्तर पर कर अपवंचन को रोकने के लिये आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS) रणनीति को विकसित किया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अपने लाभ को देश से बाहर ले जाने और देश की सरकार को कर राजस्व से वंचित करने से रोकना है।
- इसके अतिरिक्त भारत द्वारा देश में कर चोरी को रोकने के लिये विभिन्न देशों के साथ किये गए दोहरे कराधान अपवंचन समझौतों (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA) में संशोधन किये गए हैं।

### आगे की राह:

- वैश्विक स्तर पर सभी देशों को मिलकर टैक्स चोरी, मनी लॉड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग और हवाला जैसे आर्थिक अपराधों से निपटने का प्रयास करना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर चोरी से संबंधित कड़े कानून बनाए जाने चाहिये।
- लोगों को उनके कर दायित्वों के प्रति जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।

---

## भारत बना दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) के अक्तूबर 2019 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook) रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- IMF के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत नॉमिनल GDP के आधार पर 2.94 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
- दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में भारत ने फ्राँस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 2.83 ट्रिलियन डॉलर और फ्राँस का 2.71 ट्रिलियन डॉलर है।
- भारत की आर्थिक संवृद्धि के बावजूद स्थिरता से लेकर बुनियादी ढाँचे तक की अनेक चुनौतियाँ अभी भी देश में बनी हुई हैं।

### भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण

- भारत की GDP वृद्धि दर पिछले एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक रही है। यह नियमित रूप से 6-7% के बीच वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रही है जो कि भारत के पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। हालाँकि मुद्रास्फीति एवं अन्य कारणों के चलते वास्तविक GDP की वृद्धि दर में कमी का अनुमान है।

- मैकिंजे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, शहरीकरण, प्रौद्योगिकियों में सुधार और उत्पादकता में सुधार जैसे कई कारकों की वज़ह से अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई है। ध्यातव्य है कि भारत वर्ष 2010 तक ब्राज़ील एवं इटली से भी नीचे (9वें स्थान पर) था।
- पिछले 25 वर्षों में भारत की आर्थिक संवृद्धि में अत्यंत तेज़ी देखी गई है। वर्ष 1995 के बाद से देश की नॉमिनल GDP में लगभग 700% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- विश्व बैंक के अनुसार, भारत सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी अपनी नीतियों को समायोजित करते हुए भविष्य में होने वाले विकास को और अधिक टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिये उपाय कर रहा है।

5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से भारत को लाभ

- इससे भारत की वैश्विक ख्याति में वृद्धि होगी।
- वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा।
- भारत निवेशकों को आसानी से अपनी नीतियों एवं योजनाओं से प्रभावित कर अत्यधिक निवेश आकर्षित कर सकेगा।
- भारत की वैश्विक साख में वृद्धि होने से विश्व बैंक, IMF जैसे संस्थओं से आसानी से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- भारत दक्षिण एशिया के नेता के रूप में अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर सकेगा।

### भारत के सामने भविष्य की चुनौतियाँ

- मज़बूत आर्थिक संवृद्धि के बावजूद देश में अभी भी अनेक चुनौतियाँ हैं। विश्व बैंक के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत में विकास और नए अवसरों तक सभी वर्गों की आसान पहुँच का अभाव है।
- इसके अलावा दुनिया की कुल गरीब जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई भाग भारत में निवास करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत के 39% ग्रामीण निवासी स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं और लगभग आधी आबादी अभी भी खुले में शौच करती है।
- ध्यातव्य है कि भारत तेज़ी से आर्थिक संवृद्धि तो कर रहा है किंतु देश में समावेशी विकास का अभाव बना हुआ है जो कि भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

### आगे की राह

- भारत को आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ समावेशी आर्थिक विकास की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि समावेशी विकास के बिना आर्थिक संवृद्धि का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है।
- वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त सुस्ती से निपटने की दिशा में व्यापक प्रयास किये जाने चाहिये।

---

## कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन

### चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिये अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2019-2022 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान 10,000 नए FPOs के गठन को स्वीकृति दी है।

### लाभ

- छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्य संवर्द्धन सहित उत्पादन तकनीक, सेवाओं और विपणन को अपनाने के लिये आर्थिक क्षमता नहीं होती है। FPOs के गठन से, किसान सामूहिक रूप से अधिक सुदृढ़ होने के साथ-साथ अधिक आय अर्जित करने हेतु अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तरों के लाभ के माध्यम से ऋण और बेहतर विपणन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पाद और प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने में सक्षम होंगे।

### कार्यान्वयन एजेंसियाँ

प्रारंभिक तौर पर, FPOs के गठन और प्रोत्साहन के लिये तीन कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी:

- स्मॉल फारमर्स एग्री-बिज़नेस कन्सोर्टियम (Small Farmers Agri-business Consortium-SFAC),

- नेशनल कोओपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (National Cooperative Development Corporation-NCDC),
- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (National Bank for Agriculture and Rural Development-NABARD)

## प्रमुख बिंदु

- पाँच वर्ष की अवधि (2019-2022 से 2023-24) के लिये 4496.00 करोड़ रुपए के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10,000 नए FPOs के गठन और संवर्द्धन के लिये "कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन" नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक नवीन योजना।
    - इसमें प्रत्येक FPOs को पाँच वर्षों के लिये आवश्यक सहयोग देने के लिये वर्ष 2024-25 से 2027-28 की अवधि के लिये 2369 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देनदारी भी शामिल है।
- DAC&FW एजेंसियों को कार्यान्वित करने के लिये समूह/राज्यों का आबंटन करेगा, जो इसी क्रम में राज्यों में समूह आधारित व्यापारिक संगठन का गठन करेगा।
- FPOs को कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा राज्य/समूह स्तर पर जुड़े समूह आधारित व्यापार संगठनों (Cluster Based Business Organizations-CBBOs) के माध्यम से गठित और प्रोत्साहित किया जाएगा।
    - CBBOs में फसल कृषि कर्म, कृषि विपणन/मूल्य संवर्द्धन एवं संसाधन, सामाजिक संग्रहण, विधि और लेखा एवं सूचना प्रौद्योगिकी/MIS जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञों की पाँच श्रेणियाँ होगी।
- एकीकृत पोर्टल और सूचना प्रबंधन एवं निगरानी के माध्यम से समग्र परियोजना दिशा-निर्देश, डाटा-संग्रहण और रखरखाव जैसी सुविधा प्रदान करने के लिये SFAC के स्तर पर एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (National Project Management Agency-NPMA) होगी।
- प्रारंभ में मैदानी क्षेत्र में FPOs में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 300 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। हालाँकि DAC&FW केंद्रीय कृषि मंत्री की स्वीकृति के साथ आवश्यकता और अनुभव के आधार पर न्यूनतम सदस्यों की संख्या में संशोधन कर सकता है।
- देश में आकांक्षी ज़िलों के प्रत्येक ब्लॉक में कम-से-कम एक FPOs के साथ आकांक्षी ज़िलों में FPOs के गठन को प्राथमिकता दी जाएगी।
- FPOs द्वारा विशेष और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये 'एक ज़िला एक उत्पाद' समूह के अंतर्गत FPOs को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- FPOs के इक्विटी आधार को मज़बूत करने के लिये इसमें इक्विटी अनुदान का भी प्रावधान होगा।
- DAC&FW और नाबार्ड द्वारा समान योगदान के साथ नाबार्ड में 1,000 करोड़ रुपए तक का ऋण गारंटी कोष और DAC&FW तथा NCDC द्वारा समान योगदान के साथ NCDC में 500 करोड़ रुपए का ऋण गारंटी कोष होगा, ताकि FPOs को ऋण प्रदान करने के मामले में वित्तीय संस्थानों के जोखिम को न्यूनतम करते हुए FPOs को संस्थागत ऋण के निरंतर प्रवाह हेतु उपयुक्त ऋण गारंटी प्रदान की जा सके।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिये वैध श्रेणी के रूप में FPOs के लिये समान सुविधा केंद्र/कस्टम हायरिंग सेंटर सहित विपणन एवं संबद्ध बुनियादी ढाँचे द्वारा GrAMs में कृषि विपणन और संबद्ध बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये नाबार्ड में गठन के लिये स्वीकृत कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष (Agri-Market Infrastructure Fund-AMIF) के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश निर्धारित ब्याज की रियायती दरों पर ऋण की प्राप्ति को स्वीकृति देंगे।
- FPOs को पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। CBBOs शुरूआती प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

## पृष्ठभूमि

किसानों की आय को दोगुना करने की नीति आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2022 तक 7,000 FPOs के गठन की सिफारिश और 'किसानों की आय को दोगुना' करने पर बल दिया गया है। केंद्रीय बजट 2019-20 में सरकार ने 10,000 नए FPOs के सृजन की घोषणा की थी ताकि आगामी पाँच वर्षों में किसानों के लिये अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिये एक समर्पित सहायता और समग्र योजना के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की योजना को FPOs के लक्षित विकास और इसकी दीर्घकालिकता के लिये प्रस्तावित किया गया है।

नोट :

# ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Eastern Dedicated Freight Corridor- EDFC) के अंतिम खंड के निर्माण के लिये वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।

### प्रमुख बिंदु:

- विश्व बैंक ने बिहार के सोननगर और पश्चिम बंगाल के दनकुनी के बीच लगभग 528 किलोमीटर लंबे गलियारे के हिस्से के वित्तपोषण में दिलचस्पी दिखाई है। इस प्रकार प्रोजेक्ट के सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership- PPP) प्रक्रिया से पूरा किया किया जा सकता है।
- अपेक्षित विकल्पों में सुधार हेतु इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे के पास प्रस्तुत किया गया है। विकल्पहीनता की स्थिति में इसका वित्तपोषण व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding-VGF) के माध्यम से किया जाएगा। रेलवे ने EDFC के इस प्रस्ताव को पहले ही अनुमति प्रदान कर दी है कि निजी कंपनियाँ इन गलियारों में निवेश कर सकती हैं।

### व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (VGF):-

- यह एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढाँचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो (Economically Justified but not Financially Viable) ऐसा अनुदान दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजना को प्रदान किया जाता है।
- इस हिस्से के PPP मॉडल के आधार पर निर्माण संबंधी परियोजना दस्तावेज़ अभी वित्त मंत्रालय की PPP मूल्यांकन समिति (PPP Appraisal Committee- PPPAC) के पास है। PPP मूल्यांकन समिति मुख्यत: केंद्रीय स्तर पर PPP परियोजना मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव इसकी अध्यक्षता करता है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अलावा संपूर्ण EDFC को विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के सहयोग से बनाया जा रहा है। अत: इस परियोजना में निजी निवेशकों और विश्व बैंक दोनों से वित्तपोषण का विकल्प सरकार के पास है।

### डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor- DFC)

- यह माल (माल और वस्तु) के परिवहन के लिये विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया गया एक रेल मार्ग होता है।
- DFC तेज़ी से पारगमन, कम लागत, उच्च ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करता है।
- सरकार द्वारा दो DFC (ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) बनाए जा रहे हैं।

### ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर:

- यह लुधियाना (पंजाब) से दनकुनी (पश्चिमी बंगाल) तक है, जहाँ लुधियाना से सोननगर तक की लंबाई 1318 किलोमीटर तथा सोननगर से दनकुनी तक की लंबाई 538 किलोमीटर है।

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर:

- यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (महाराष्ट्र) से दादरी (उत्तर प्रदेश) तक है जिसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है।

### DFC के लाभ:

- यह औद्योगिक क्षेत्रों, निवेश क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।
- इससे रोज़गार के बेहतर अवसरों का सृजन होगा।
- कॉरिडोर के साथ लगे ग्रीनफील्ड शहरों में रियल एस्टेट को फायदा होगा साथ ही बुनियादी ढाँचे का विकास होने की संभावना है। इससे उद्योगों और संबंधित द्वितीयक गतिविधियों के साथ-साथ इनसे संबंधित प्राथमिक उद्योगों का भी विकास होगा।

## डेयरी उद्योग से संबंधित पैनल का गठन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से डेयरी उद्योग के लिये एक परामर्शदात्री निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निकाय डेयरी उद्योगों के विकास के लिये सरकार को सुझाव देगा तथा दोनों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

### प्रमुख बिंदु

- डेयरी उद्योग की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने तथा दोनों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के लिये निकाय दो माह के अंतराल पर एक समन्वय बैठक आयोजित करेगा।
- आँकड़ों के अनुसार पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी लगभग 50% है।
- इसमें लगभग 60% दुग्ध संग्रहण निजी डेयरी संचालकों जैसे लैक्टेलिस प्रभात, पराग डेयरी, इंदापुर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। शेष दुग्ध संग्रहण कोल्हापुर ज़िला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, पुणे ज़िला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, संगमनेर तालुका ज़िला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ तथा अन्य सहकारी संघों के द्वारा किया जाता है।
- दुग्ध विपणन के शीर्ष निकाय राज्य दुग्ध विपणन महासंघ द्वारा दुग्ध संग्रहण और विपणन के कार्य में सक्रिय भूमिका न होने के कारण महाराष्ट्र के डेयरी उद्योग गुजरात और कर्नाटक के डेयरी उद्योगों के समान एकीकृत रूप से संगठित नहीं हो पाए हैं।
- दुग्ध उत्पादों की कीमतों को लेकर निजी डेयरी उद्योग और सहकारी संघों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के चलते कई बार संघों को नुकसान उठाना पड़ता है।
- अत्यधिक दुग्ध उत्पादन की स्थिति में निजी डेयरी उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि इनके अधिकतर उत्पाद स्किम्ड मिल्क पाउडर से मिलकर बने होते हैं और अधिक उत्पादन की स्थिति में इन उत्पादों की मांग में कमी आ जाती है।

### निकाय की आवश्यकता

- राज्य विधानमंडल के नागपुर सत्र के दौरान डेयरी उद्योग प्रमुखों ने सरकार के सम्मुख इस क्षेत्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिये एक निकाय के गठन का आग्रह किया था।
- दोनों के मध्य डेयरी उद्योग से संबंधित एक समिति के निर्माण पर सहमति हुई और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board-NDDB) द्वारा इस क्षेत्र के लिये एक सेतु के रूप में कार्य करने का आश्वासन भी दिया गया।

निकाय की संरचना

- निकाय की कुल सदस्य संख्या 15 निर्धारित की गई है जिसमें 5 सदस्य सहकारी संघों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 4 सदस्य निजी डेयरी उद्योग से संबंधित होंगे।
- शेष 6 सदस्य सरकार तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

- NDDB की स्थापना जुलाई 1965 में गुजरात के आणंद नामक स्थान पर की गई थी।
- इसकी स्थापना 'मिल्क मैन' के उपनाम से प्रसिद्ध डॉ. वर्गीज़ कुरियन ने की थी।

### उद्देश्य

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना उत्पादकों के स्वामित्व और उनके द्वारा नियंत्रित संगठनों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियों का उद्देश्य कृषक सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा उन राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करना है जो ऐसी संस्थाओं के विकास के अनुकूल हैं।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के गठन के केंद्र में सहकारी सिद्धांत एवं सहकारी नीतियाँ हैं।

नोट :

### निकाय के उद्देश्य

- निकाय का मुख्य उद्देश्य डेयरी उद्योग क्षेत्र और व्यापार की गतिशीलता पर सरकार को सलाह देना है।
- निकाय डेयरी उद्योग की आवश्यकताओं को समझकर उसके विकास हेतु सरकार को परामर्श देगा।
- डेयरी उद्योग और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा।

डेयरी उद्योग के प्रतिनिधियों की राय

- प्रदेश के सभी डेयरी संचालकों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे डेयरी उद्योग के विकास की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया।
- इससे पूर्व सरकार के पास इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी एकत्र करने का कोई विकल्प नहीं था।
- इस क्षेत्र को उम्मीद है कि यह निकाय नीतिगत सुधारों पर ज़ोर देगा तथा डेयरी उद्योग के लिये प्रत्यक्ष उत्पादन प्रोत्साहन नीति को लागू करने की मांग का समर्थन करेगा।
- डेयरी उद्योग के प्रतिनिधियों का सुझाव है कि अधिशेष दुग्ध उत्पादन की स्थिति में दूध की खपत हेतु मिड-डे-मील की भाँति एक अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

## भारतीय इस्पात उद्योग

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में इस्पात मंत्रालय के लिये संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। 'इस्पात क्लस्टर विकास' (Steel Cluster Development) विषय पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई।

### प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि इस्पात भारत के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह बुनियादी ढाँचा, निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिये एक आवश्यक इनपुट है।
- नवीन आँकड़ों के अनुसार, भारतीय इस्पात क्षमता में 142 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Million Tonnes Per Annum-MTPA) तक की वृद्धि हुई है, इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है।
- वर्ष 2024-25 तक कुल इस्पात की खपत लगभग 160 MTPA होने की उम्मीद है, साथ ही भारत सरकार इस्पात के घरेलू उत्पादन और खपत को भी प्रोत्साहित कर रही है।
- बैठक के दौरान सभी भागीदारों ने इस्पात उद्योग और विशेष रूप से क्लस्टर नीति के संदर्भ अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

### इस्पात उद्योग का महत्त्व

- किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये एक जीवंत घरेलू इस्पात उद्योग का होने आवश्यक है क्योंकि यह निर्माण, बुनियादी ढाँचे, मोटर वाहन, पूंजीगत वस्तुओं, रक्षा, रेल आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिये एक महत्त्वपूर्ण इनपुट होता है।
- इस्पात को इसकी पुनर्चक्रण प्रकृति (Recyclable Nature) के कारण पर्यावरणीय रूप से स्थायी आर्थिक विकास के लिये भी एक महत्त्वपूर्ण चालक माना जाता है।
- आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में इस्पात उद्योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण भी इसका महत्त्व काफी अधिक बढ़ जाता है।
- इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत का स्तर किसी भी देश में सामाजिक-आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर के एक महत्त्वपूर्ण सूचकांक के रूप में माना जाता है।

### भारतीय इस्पात क्षेत्र

- इस्पात उद्योग भारत में औद्योगिक विकास का एक मुख्य आधार रहा है। स्वतंत्रता के समय 1 MTPA की क्षमता के साथ शुरुआत करने वाला भारतीय इस्पात उद्योग आज 142 MTPA की क्षमता पर पहुँच गया है।

- ◆ आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वर्ष 2018 में कुल कच्चे इस्पात का उत्पादन 1789 MTPA पहुँच गया था, जिसमें वर्ष 2017 के मुकाबले 4.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक (923 MTPA) था।
- इसके अलावा चीन और अमेरिका के पश्चात् भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता है।
- सरकार ने इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाए हैं जिसमें राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और स्वचालित मार्ग के तहत इस्पात उद्योग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दे दी गई है।

### इस्पात उद्योग का विकास

- वर्ष 1991 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए आर्थिक सुधारों ने सामान्य रूप से औद्योगिक विकास और विशेष रूप से इस्पात उद्योग में नए आयाम शामिल किये।
- इन सुधारों के तहत क्षमता निर्माण हेतु लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। कुछ स्थानीय प्रतिबंधों को छोड़कर इस्पात उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय इस्पात उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने लगी और उद्योग तीव्र गति से विकास करने लगा।
- इसके पश्चात् सरकार ने उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी।

### इस्पात उद्योग की चुनौतियाँ

- इस्पात उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है। अनुमानतः 1 टन स्टील बनाने की क्षमता स्थापित करने के लिये लगभग 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इस प्रकार का वित्तपोषण उधार ली गई राशि के माध्यम से किया जाता है। किंतु भारत में चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों की अपेक्षा वित्त की लागत काफी अधिक है जो कि इस उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आया है।
- अधिकांश भारतीय इस्पात निर्माताओं के लिये लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं का प्रबंधन करना काफी कठिन, चुनौतीपूर्ण और महँगा होता है।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ लगातार केंद्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करती जा रही हैं, हालाँकि भारत के भविष्य के लिये यह एक अच्छी खबर है, किंतु ये चिंताएँ कई उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, जिनमें इस्पात उद्योग भी शामिल है।

### आगे की राह

- आर्थिक विकास में इस्पात उद्योग की भूमिका को देखते हुए इस्पात उद्योग का अनवरत विकास भारतीय दृष्टिकोण से अच्छी खबर है।
- हालाँकि इस उद्योग के विकास में अभी भी कई बाधाएँ मौजूद हैं, जिन्हें जल्द-से-जल्द संबोधित कर उद्योग का विकास सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। किंतु इसके परिणामस्वरूप होने वाली पर्यावरणीय क्षति को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिये।

## प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली वर्षगांठ

### चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू हुई महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना ने एक वर्ष पूरा कर लिया है।

### प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पीएम-किसान मोबाइल एप भी लॉन्च किया है।
- इस एप का उद्देश्य योजना की पहुँच को और अधिक व्यापक बनाना है। इस एप के माध्यम से किसान अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं, साथ ही योजना से संबंधित अन्य मापदंडों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

## पीएम-किसान योजना की मौजूदा स्थिति

- मौजूदा वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लिये 75,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 50,850 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।
- आँकड़ों के अनुसार, अब तक 8.45 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इस योजना का लाभ पहुँचाया जा चुका है, जबकि इस योजना के तहत कवर किये जाने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या 14 करोड़ है।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने घोषणा की है कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card-KCC) प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आसानी से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें।

## प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- आरंभ में यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर से कम जोत वाले) के लिये ही शुरू की गई थी, किंतु 31 मई, 2019 को कैबिनेट द्वारा लिये गए निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई।
- इस योजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना पर अनुमानतः 75 हज़ार करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आएगा।

## योजना का उद्देश्य

- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी निवेश एवं अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आय का एक निश्चित माध्यम प्रदान करती है।
- योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को साहूकारों तथा अनौपचारिक ऋणदाता के चंगुल से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

## चुनौतियाँ

- ध्यातव्य है कि पश्चिम बंगाल अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के डेटा को सत्यापित (Verified) नहीं किया है। अनुमानित आँकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में लगभग 70 लाख लोग योजना के लिये पात्र हैं।
    - पश्चिम बंगाल के कुल पात्र किसानों में से लगभग 10 लाख किसानों ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन किया है, किंतु किसानों के संपूर्ण डेटाबेस का राज्य सरकार द्वारा सत्यापित किया जाना अभी शेष है।
- बिहार में लाभार्थियों की संख्या 158 लाख है, जबकि केवल 59.7 लाख किसानों का डेटा ही अपलोड किया गया है। राज्य ने लाभार्थी आवेदन के लिये अलग पद्धति अपनाई है जिसके कारण पहचान और डेटा अपलोड करने में देरी हो रही है।

## निष्कर्ष

देश में किसानों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता की यह योजना किसानों को एक आर्थिक आधार प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। हालाँकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि योजना के तहत दी जा रही सहायता राशि अपेक्षाकृत काफी कम है, किंतु हमें यह समझना होगा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक आर्थिक आधार प्रदान करना है, ताकि वे फसल उत्पादन में नवीन तकनीक और गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग कर उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें। आवश्यक है कि योजना के मार्ग में स्थित विभिन्न बाधाओं को समाप्त कर इसे अधिक-से-अधिक किसानों के लिये लाभदायी बनाया जा सके।

# दीर्घावधि रेपो परिचालन

## चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयों के प्रसारण और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिये दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Long Term Repo Operation- LTRO) शुरू करने का निर्णय लिया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- RBI द्वारा शुरू किये गए ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist) के साथ यह नया उपाय केंद्रीय बैंक द्वारा बॉण्ड यील्ड के प्रबंधन और ब्याज दर में कटौती का लाभ जनता तक पहुँचाने का एक प्रयास है।
- ध्यातव्य है कि RBI ने इसके पहले ब्याज दरों को नीचे लाने के लिये यूएस-स्टाइल के आधार पर ऑपरेशन ट्विस्ट को शुरू किया है।

क्या है दीर्घावधि रेपो परिचालन?

- LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक साल से तीन साल की अवधि के लिये 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा तथा कोलेटरल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को लंबी अवधि के लिये स्वीकार करेगा।
- RBI तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility- LAF) और सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility- MSF) के माध्यम से बैंकों को उनकी तत्काल ज़रूरतों हेतु 1 से 28 दिनों के लिये ऋण मुहैया कराता है, जबकि LTRO के माध्यम से RBI द्वारा रेपो रेट पर ही उनको 1 से 3 वर्ष के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

LTRO महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- RBI ने बाज़ार की मौजूदा परिस्थितियों में उचित लागत पर टिकाऊ तरलता उपलब्धता के बारे में बैंकों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से LTRO की शुरुआत की है।
- देश में आर्थिक मंदी से निपटने के लिये RBI आसान ऋण नीतियों के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहा है। RBI बाज़ार में आसान ऋण उपलब्ध करवाकर देश के उपभोग में वृद्धि करना चाहता है।
- जनवरी 2019 से रेपो रेट (जिस दर पर बैंक RBI से त्वरित ऋण लेते हैं) में 139 आधार अंकों की कटौती की गई है। लेकिन इन दरों में कटौती के केवल एक हिस्से का लाभ ही अभी तक बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया गया है।
- RBI का मानना है कि रेपो दर (5.15 फीसदी) पर बैंकों को लंबी अवधि के लिये धन उपलब्ध कराने से बैंकों को अपने मार्जिन को बनाए रखते हुए खुदरा और औद्योगिक ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने में मदद मिलेगी।
- LTRO बॉण्ड मार्केट में अल्प अवधि की प्रतिभूतियों (1-3 वर्ष की अवधि) के लिये यील्ड (Yield) कम करने में भी मदद करेगा।

### LTRO से संभावित लाभ

- RBI द्वारा रेपो रेट में कमी किये जाने के बावजूद बैंक उसका लाभ ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को नहीं दे रहे थे किंतु अब दीर्घ अवधि के लिये ऋण प्राप्त होने से बैंक आसानी से एवं कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकते हैं।
- ऋण तक आसान पहुँच के कारण उपभोग में वृद्धि की जा सकेगी जो कि वर्तमान आर्थिक सुस्ती का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है।
- यह एक ऐसा उपाय है जिससे बाज़ार सहभागियों को उम्मीद है कि बैंक अल्पकालिक ब्याज दरों को काम करेंगे तथा कॉर्पोरेट बॉण्ड में निवेश को भी बढ़ावा देंगे।

### ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist):

- 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के अंतर्गत केंद्रीय बैंक दीर्घ अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिये अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिससे लंबी अवधि के ऋणपत्रों पर ब्याज दरों के निर्धारण में आसानी होती है।
- ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist) पहली बार वर्ष 1961 में अमेरिकी डॉलर को मज़बूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिये लाया गया था।
- इसके तहत RBI द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के तहत 10,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री की जाएगी।

- इसके अंतर्गत RBI द्वारा दीर्घ अवधि की परिपक्वता वाले (2029 तक परिपक्व होने वाले) 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉण्ड खरीदे जाएंगे और साथ ही 10,000 करोड़ रुपये के कम अवधि की परिपक्वता (वर्ष 2020 में परिपक्व होने वाले) वाले सरकारी बॉण्ड बेंचे जाएंगे।
- पात्र प्रतिभागी आरबीआई के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में बोली लगा सकते हैं या ऑफर जमा कर सकते हैं।

आगे की राह

- वर्तमान समय में व्याप्त आर्थिक सुस्ती से निपटने एवं उपभोग बढ़ाने के लिये व्यापक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- अर्थव्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर कर आर्थिक चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया जाना चाहिये।

# राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

## चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 1,480 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission) की स्थापना को मंज़ूरी दी है। ज्ञात हो कि इस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान रखा था।

## मिशन से संबंधित प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को चार साल की अवधि (2020-21 से 2023-24 तक) में कार्यान्वित किया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत 1,480 करोड़ रुपए है।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है।
- इस मिशन के मुख्यत: 4 घटक हैं:
  - अनुसंधान, नवाचार और विकास

1,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले मिशन का पहला घटक अनुसंधान, नवाचार और विकास पर केंद्रित होगा। इस घटक के तहत (1) कार्बन, फाइबर, अरामिड फाइबर, नाइलॉन फाइबर और कम्पोज़िट में अग्रणी तकनीकी उत्पादों के उद्देश्य से फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान (2) भू-टेक्सटाइल, कृषि-टेक्सटाइल, चिकित्सा-टेक्सटाइल, मोबाइल-टेक्सटाइल और खेल-टेक्सटाइल के विकास पर आधारित अनुसंधान अनुप्रयोगों दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

  - संवर्द्धन और विपणन विकास

इस घटक का उद्देश्य बाज़ार विकास, बाज़ार संवर्द्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से प्रतिवर्ष 15 से 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ घरेलू बाज़ार के आकार को वर्ष 2024 तक 40 से 50 अरब डॉलर करना है।

  - निर्यात संवर्द्धन

इस घटक के तहत तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 तक 20,000 करोड़ रुपए किये जाने का लक्ष्य है जो कि वर्तमान में लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। साथ ही वर्ष 2023-24 तक प्रतिवर्ष निर्यात में 10 प्रतिशत औसत वृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी। इस घटक में प्रभावी तालमेल और संवर्द्धन गतिविधियों के लिये एक तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना की जाएगी।

  - शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

मिशन के इस चरण के तहत उच्चतर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके अनुप्रयोग का दायरा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत किया जाएगा। साथ ही कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और मानव संसाधन को अत्यधिक कुशल बनाया जाएगा ताकि परिष्कृत तकनीकी वस्त्र विनिर्माण इकाइयों की आवश्यकता पूरी की जा सके।

## देश का तकनीकी वस्त्र बाज़ार और मिशन की आवश्यकता

- भारतीय तकनीकी वस्त्र बाज़ार का अनुमानित आकार 16 अरब डॉलर है जो 250 अरब डॉलर के वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाज़ार का लगभग 6 प्रतिशत है। हालाँकि देश में तकनीकी वस्त्रों की पहुँच काफी कम (मात्र 5 से 10 प्रतिशत) है, जबकि विकसित देशों में यह आँकड़ा 30 से 70 प्रतिशत के आस-पास है।

नोट :

- देश में शिक्षा, कौशल विकास और मानव संसाधन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और तेज़ी से उभरते तकनीकी वस्त्र क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अत: इस क्षेत्र में कार्य किया जाना आवश्यक है।

### तकनीकी वस्त्र

- तकनीकी वस्त्र (Technical Textile) उन वस्त्रों को कहते हैं जिनका निर्माण सौंदर्य विशेषताओं के स्थान पर मुख्य रूप से तकनीकी तथा उससे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इनके निर्माण का मुख्य उद्देश्य कार्य-संपादन (Functionality) होता है।
- तकनीकी वस्त्रों का उपयोग कृषि, वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, उद्योग तथा खेलकूद के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर होता है। तकनीकी वस्त्रों के उपयोग से कृषि, मछली पालन तथा बागवानी की उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- ये सेना, अर्द्ध-सैनिक बल, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों की बेहतर सुरक्षा के लिये भी अहम हैं। इसके अलावा यातायात अवसंरचना (Transportation Infrastructure) को मज़बूत और टिकाऊ बनाने के लिये इनका प्रयोग रेलवे, बंदरगाहों तथा हवाई जहाज़ों में किया जाता है।

---

## बाज़ार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली

### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्री ने हाल ही में बाज़ार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली (Market Intelligence and Early Warning System- MIEWS) पोर्टल की शुरुआत की।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह पोर्टल केंद्रीय खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industry-MoFPI) की पहल है।
- टमाटर, प्याज़ और आलू (Tomato,Onion,Poteto- TOP) के मूल्यों की वास्तविक निगरानी करने और साथ ही ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens) योजना की शर्तों के तहत हस्तक्षेप करने संबंधी चेतावनी जारी करने के लिये MIEWS डैशबोर्ड और पोर्टल अपने तरह का पहला प्लेटफॉर्म है।
- यह पोर्टल TOP फसलों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी जैसे- मूल्य और आगमन, क्षेत्र, उपज एवं उत्पादन, आयात और निर्यात, फसल कैलेंडर, फसल कृषि विज्ञान आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी का दृश्य फ़ॉर्मेट (Visual Format) में प्रसार करेगा।

### MIEWS पोर्टल के कार्य

यह प्रणाली किसानों को परामर्श देने के लिये तैयार की गई है ताकि आधिक्य की स्थिति में पूर्व चेतावनी मिलने के साथ-साथ चक्रीय उत्पादन से बचा जा सके।

- बाज़ार हस्तक्षेप के लिये आपूर्ति स्थिति की निगरानी करना।
- आधिक्य की स्थिति में त्वरित प्रक्रिया द्वारा सहायता करना ताकि जल्द-से-जल्द आधिक्य वाले क्षेत्रों से उत्पादों को उन क्षेत्रों तक ले जाया जा सके जहाँ इनकी कमी है।
- निर्यात/आयात से संबंधित निर्णय लेने के लिये जानकारी प्रदान करना।

### MIEWS पोर्टल की विशेषताएँ

- यह एक ऐसा डैशबोर्ड है जो कम कीमत और अधिक कीमत की चेतावनी का संकेत देने के साथ-साथ आने वाले तीन महीनों के लिये मूल्यों की जानकारी देगा।
- इस पोर्टल में देश में TOP फसलों के मूल्य और फसलों के आगमन से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध हैं, साथ ही इसमें चार्ट के माध्यम से पिछले मौसम से तुलना और परस्पर प्रभाव का आकलन किया जाता है।

- यह पोर्टल TOP फसलों के क्षेत्र, उपज और उत्पादन से संबंधित जानकारियाँ भी उपलब्ध कराता है।
- इस पोर्टल के माध्यम से TOP फसलों की बाज़ार स्थिति के बारे में नियमित और विशेष रिपोर्ट प्रदान की जाएगी।

इस पोर्टल में सार्वजनिक और निजी दो वर्ग होंगे जिनके मध्य उपरोक्त विशेषता को विभाजित किया जाएगा। मूल्य एवं आगमन, उपज और उत्पादन, फसल कृषि वैज्ञानिक तथा व्यापार संबंधी रूपरेखा जैसे वर्ग तक लोगों की आसान पहुँच होगी किंतु नियमित एवं विशेष बाज़ार बुद्धिमत्ता रिपोर्ट और मूल्यों की भविष्यवाणी तक केवल नीति निर्धारकों की पहुँच होगी।

### ऑपरेशन ग्रीन्स योजना (Operation Green Scheme)

- 2018-19 के बजट में 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज़ पर किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations-FPOs), कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ एक नई योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' की घोषणा की गई थी।
- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की शुरुआत देश भर में पूरे वर्ष मूल्यों में बिना उतार-चढ़ाव के टमाटर, प्याज़ और आलू की आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।

### उद्देश्य:

- TOP (Tomato,Onion,Poteto) उत्पादन समूहों और उनके FPO को मज़बूत कर तथा उन्हें बाजार से जोड़कर TOP किसानों की आय को बढ़ाना।
- TOP समूहों में उचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग जैसी किस्मों की शुरुआत द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिये मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना।
- फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स के विकास और उपभोग केंद्रों को जोड़ने वाली उचित भंडारण क्षमता को विकसित कर कटाई के बाद फसल के नुकसान में कमी करना।
- उत्पादन समूहों का फर्म के साथ संपर्क बढ़ाने के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि और टमाटर,आलू और प्याज़ (TOP) की मूल्य शृंखला में मूल्यवर्धन करना।
- TOP फसलों की मांग एवं आपूर्ति तथा कीमतों का रियल टाइम डेटा एकत्र करने और तुलना करने के लिये एक बाज़ार बुद्धिमत्ता नेटवर्क की स्थापना करना।

### पोर्टल से संभावित लाभ

- इस पोर्टल की सहायता से ऑपरेशन ग्रीन्स के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, साथ ही रियल टाइम डेटा के आधार पर बेहतर नीति निर्माण में सहायता प्राप्त होगी।
- इससे सरकार को किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी, साथ ही बेहतर आपूर्ति व्यवस्था के माध्यम से TOP फसलों के नुकसान को काम किया जा सकेगा।

### आगे की राह

- चूँकि कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिये आवश्यक है कि कृषि को बेहतर बनाए जाने के लिये निरंतर प्रयास किया जाए।
- किसानों को कृषि की उन्नत एवं वैज्ञानिक तकनीकों और तरीकों से अवगत कराने का प्रयास किया जाना चाहिये जिससे कि कृषि में नुकसान को काम किया जा सके।

## 11वाँ राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन

### चर्चा में क्यों?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 28 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन (National Krishi Vigyan Kendra Conference) के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है।

### मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- इस सम्मेलन का विषय 'प्रौद्योगिकी आधारित कृषि के लिये युवाओं को सशक्त करना' (Empowering Youth for Technology Led Farming) है।

### सम्मेलन के बारे में:

- कृषि विज्ञान केंद्रों का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी आधारित कृषि और युवा उद्यमिता पर आधारित होगा जिसमें पूरे भारत के सभी कृषि विज्ञान केंद्र शामिल होंगे।
- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, कृषि विज्ञान केंद्र प्रयोगशालाओं और खेतों के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाते हैं।
- वर्ष 1974 में पुदुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के बाद अब पूरे देश में 717 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं।

### अन्य तथ्य:

- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिये ई-नाम पोर्टल का सृजन किया गया है।
- ई-नाम पोर्टल पर पहले ही 585 मंडियाँ शामिल की जा चुकी हैं और नियत समय में 415 अन्य मंडियों को भी शामिल किया जाएगा। ई-नाम पोर्टल पर 91 हज़ार करोड़ रुपए का ई-व्यापार (ई-ट्रेड) हो चुका है।

## ई-नाम (e-National Agriculture Market: eNAM):

- ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक पैन इंडिया ई-व्यापार प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है।
- इसके तहत किसान नज़दीकी बाज़ार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं तथा व्यापारी कहीं से भी उनके उत्पाद का मूल्य चुका सकते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे प्रतिस्पर्द्धा में भी बढ़ोतरी होगी।
- इसके माध्यम से मूल्यों का निर्धारण भलीभाँति किया जा सकता है तथा किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होता है।

### कृषि विज्ञान केंद्र तथा उनकी भूमिका:

- KVK राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है।
- KVK योजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग के तहत शत-प्रतिशत केंद्रीय वितपोषण के ज़रिये संचालित किया जा रहा है।
- KVK की गतिविधियों में प्रौद्योगिकियों का खेतों में परीक्षण एवं प्रदर्शन करना, किसानों एवं कृषिकर्मियों की क्षमता का विकास करना, कृषि प्रौद्योगिकियों का ज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करना और किसानों के हित वाले विभिन्न विषयों पर ICT तथा अन्य मीडिया साधनों का उपयोग कर कृषि परामर्श जारी करना शामिल है।
- इसके अलावा KVK प्रौद्योगिकी आधारित गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद (बीज, रोपण सामग्री, बॉयो–एजेंट, पशुधन) मुहैया करने में सहायता करते हैं एवं इन्हें किसानों को उपलब्ध कराके जागरूकता बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं, चयनित कृषि नवाचारों की पहचान करने के साथ-साथ उनका प्रलेखन करते हैं और पहले से ही जारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करते हैं।

### सुझाव:

- KVK को मज़बूत करने के लिये किसानों को बेहतर बीज, फसलों के लिये सिंचाई और खाद, फसल कटाई के लिये मशीनें और उत्पादों का सर्वोत्तम मूल्य देने वाला एक बाज़ार उपलब्ध कराने पर बल देना होगा।

नोट :

- प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों का डेटाबेस अपडेट करना होगा।
- KVK को किसानों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एकल खिड़की सेवा प्रदान करनी चाहिये।

### आगे की राह:

आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के तीन प्रमुख कारक हैं- पहला किसानों की मेहनत, दूसरा कृषि वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों की भूमिका और तीसरा केंद्र एवं राज्य सरकारों की किसान कल्याण नीतियाँ, योजनाएँ और प्रोत्साहन। हमें एक ऐसी आदर्श स्थिति बनानी होगी, जिससे कृषि क्षेत्र को आकर्षक बनाया जा सके। किसानों को अपने उत्तराधिकारियों को न केवल जमीन के टुकड़े, बल्कि एक पेशे के रूप में कृषि विरासत भी सौंपनी होगी।

## प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI) की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (Inter-Ministerial Approval Committee- IMAC) द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana- PMKSY) के तहत 32 नवीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

### मुख्य बिंदु:

- इन परियोजनाओं के तहत 17 राज्यों में लगभग 406 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

### परियोजनाओं का उद्देश्य:

- परियोजनाओं के तहत 15 हज़ार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गारों के सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि, कृषि उपज की शेल्फ-लाइफ (Shelf-Life) में वृद्धि के लिये आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों की शुरुआत, किसानों की आय में स्थिरता आदि की परिकल्पना की गई है।

### खाद्यान प्रसंस्करण का महत्त्व:

- भारतीय किसानों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के उपभोक्ताओं से जोड़ने में खाद्य प्रसंस्करण की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

### खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries):

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्द्धन किया जाता है। उदाहरण के लिये डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, सरकार एवं बेरोज़गार युवाओं के बीच कड़ी का कार्य कर भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान कर सकता है।
- चीन के बाद भारत खाद्य पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, साथ ही विशाल जनसंख्या तथा बढ़ती आर्थिक समृद्धि के कारण भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये बड़ा बाज़ार उपलब्ध है।
- सस्ते श्रम बल की उपस्थिति के कारण भी भारत में खाद्य प्रसंस्करण अपेक्षाकृत कम लागत पर किया जा सकता है। इससे वैश्विक व्यापार में भारत को लाभ प्राप्त हो सकता है।

उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ:

- भारत में बुनियादी अवसंरचनाओं का अभाव है। भारत में न तो राष्ट्रीय राजमार्गों और न ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थिति इतनी अधिक सशक्त है कि देश के प्रत्येक हिस्से में मौजूद किसान को स्टोर मालिकों से संबद्ध किया जा सके।
- वर्तमान में यह उद्योग विभिन्न राज्य स्तरीय एवं केंद्रीय कानूनों से शासित होता है, जिससे उद्योग संबंधी कानूनों में स्पष्टता का अभाव है।

- भारत में खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु आधुनिक तकनीक से युक्त प्रयोगशालाओं तथा जाँच मानकों में एकरूपता का अभाव है।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की कमी है, जिसके कारण इस उद्योग में न तो नवाचार हो पाता है और न ही जागरूकता का वातावरण तैयार हो पाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
- खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं / इकाइयों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिये 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD) ने 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया गया है।
- खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण' (Priority Sector Lending-PSL) के लिये कृषि गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभ पर आयकर में 100% छूट जैसे राजकोषीय उपाय।
- 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ टमाटर, प्याज़ और आलू (Tomato, Onion and Potato- TOP) की फसलों की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिये केंद्रीय क्षेत्र योजना "ऑपरेशन ग्रीन्स" का प्रारंभ।

## PMKSY योजना का उद्देश्य:

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण, मूल्य संवर्द्धन, खाद्यान अपव्यय में कमी के लिये प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना तथा मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करना है।
- व्यक्तिगत प्रसंस्करण इकाइयों की गतिविधियों में फसल कटाई के बाद की विभिन्न प्रक्रियाओं (Post-harvest Processes) यथा- मूल्य संवर्द्धन, उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने जैसी सुविधाएँ, संरक्षण कार्य आदि शामिल हैं।

## योजना के प्रावधान:

- PMKSY योजना को MoFPI मंत्रालय लागू कर रहा है जिसके कार्यान्वयन की अवधि वर्ष 2016-20 है तथा कुल परिव्यय राशि 6,000 करोड़ रुपए है।
- इस योजना की सात घटक योजनाएँ हैं-

1. मेगा फूड पार्क
2. एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना
3. कृषि-प्रसंस्करण समूहों ( Agro-Processing Clusters) के लिये बुनियादी ढाँचा
4. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण
5. खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण / विस्तार
6. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
7. मानव संसाधन और संस्थान

## कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (Agro Processing Cluster):

- यह किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations- FPOs) को आधुनिक बुनियादी अवसंरचना युक्त आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से बाज़ारों से जोड़ता है।
- क्लस्टर आधारित प्रणाली से लागत में कमी आती है तथा लाभ बढ़ जाता है, क्योंकि क्लस्टर में विभिन्न इकाइयाँ आपस में जुड़कर परिवहन लागत, श्रम लागत तथा समय की बचत करते हैं।

उद्योग में संभावना:

- भारत में मूल्यवर्द्धन की अपार क्षमता एवं संभावनाओं के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उच्च विकास और उच्च लाभ के क्षेत्र के रूप में उभरा है। पिछले पाँच वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate- CAGR) लगभग 8% रही है।

नोट :

- खाद्यान प्रसंस्करण बाज़ार 14.6% के CAGR के साथ वर्ष 2016 के 322 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 543 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से बड़े-बड़े निवेशक इस क्षेत्र में शामिल होंगे और संविदा पर आधारित खेती का विकास होगा, जिससे भारत में कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान संभव होगा।

# भूमि संघर्ष और उसका प्रभाव

## चर्चा में क्यों ?

28 फरवरी, 2020 को लैंड कंफ्लिक्ट वॉच (Land Conflict Watch- LCW) नामक अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भूमि संघर्ष एवं उसका विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव को प्रकाशित किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- यह रिपोर्ट तीन वर्ष में किये गए शोध पर आधारित है जिसमें भूमि संघर्ष के क्षेत्रों एवं उससे प्रभावित लोगों की गणना की गई है।
- रिपोर्ट में भूमि के संघर्ष को 6 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें बुनियादी ढाँचा, बिजली, संरक्षण और वानिकी, भूमि उपयोग, खनन तथा उद्योग शामिल हैं।
- पूरे भारत में भूमि संघर्ष से लगभग 6.5 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कारण भूमि संघर्ष से सबसे अधिक क्षेत्र प्रभावित है। ध्यातव्य है कि बुनियादी ढांचे पर भूमि संघर्ष से 15,62,362.59 हेक्टेयर भूमि प्रभावित है जो लगभग नगालैंड के आकार के बराबर है।
  - बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के अंतर्गत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में संघर्ष के सबसे अधिक 68 मामले सामने आए हैं।
  - इसके बाद बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं (63), बागानों (51) और संरक्षित क्षेत्रों (44) में भूमि संघर्ष से संबंधित मामले सामने आए हैं तथा रेलवे परियोजनाओं (22) तथा पर्यटन क्षेत्र (19) में सबसे कम संघर्ष संबंधी मामले हैं।
- बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के बाद सबसे ज़्यादा भूमि संघर्ष के मामले खनन क्षेत्र से संबंधित हैं।
- कुल प्रलेखित भूमि संघर्ष के मामलों में से सबसे अधिक 43% या 300 मामले बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के तहत थे।
- दूसरी सबसे अधिक संख्या 15% या 105 मामले संरक्षण और वानिकी परियोजनाओं से संबंधित थे।
- खनन क्षेत्र में भूमि संघर्ष से प्रभावित लोगों की संख्या बुनियादी ढाँचा क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है, ध्यातव्य है कि खनन क्षेत्र में भूमि संघर्ष से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 21,312 है तथा बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में भूमि संघर्ष से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 12,354 है।
- अध्ययन के अनुसार सभी प्रकार के भूमि संघर्ष में प्रत्येक से औसतन 10,688 लोग प्रभावित होते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भूमि संघर्ष को ऐसे किसी भी उदाहरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियाँ भूमि और उससे जुड़े संसाधनों पर पहुँच या नियंत्रण का प्रयास करती हैं।
- गौरतलब है कि ये टकराव भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्याप्त हैं।

### भूमि संघर्ष के कारण

- भूमि कानूनों में व्याप्त अनियमितताएँ विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में भूमि संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है।
- इसके अतिरिक्त लोगों की बढती महत्त्वाकांक्षाएँ भी भूमि संघर्ष के कारणों में से एक हैं।
- भूमि अधिग्रहण संबंधी डेटा का अभाव एवं भूमि संबंधी विवरण में अनियमितताएँ भी भूमि संघर्ष को बढ़ावा देती हैं।
- भूमि संबंधी मामलों में नियमों एवं विनियमों का लचीला होना।

## भूमि संघर्ष के प्रभाव

- भूमि संघर्ष के कारण विभिन्न प्रकार की परियोजनाएँ लंबित रह जाती हैं जिससे परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और देश को आर्थिक नुकसान होता है।
- भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ निवेशकों को भारत में निवेश करने से हतोत्साहित करती हैं फलस्वरूप देश का विकास बाधित होता है।

## भूमि संघर्ष को कम करने के उपाय

- भूमि कानूनों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किया जाना चाहिये तथा पुराने कानून जो विनियमन में बाधा डालते हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये।
- भूमि अधिग्रहण संबंधी डेटा का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिये जिससे कि लोगों को आसानी से भूमि से संबंधित जानकारियाँ एवं विवरण प्राप्त हो सकें।
- इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी नियमों एवं विनियमों को सख्त किये जाने की आवश्यकता है साथ ही इन नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिये।

## आगे की राह

- ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा भूमि संबंधी डेटा को डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराया जा रहा है। अत: इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी भूमि संबंधित डेटा का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिये।
- साथ ही, मौजूदा सभी भूमि अभिलेखों को यह सुनिश्चित करने हेतु अद्यतन किया जाना चाहिये कि वे किसी भी प्रकार के भार से मुक्त हैं।

The Vision

# अंतर्राष्ट्रीय संबंध

## भारत और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में प्रवेश को लेकर चीन ने अपना पुराना राग अलापा है। चीन का कहना है कि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में प्रवेश लेने के लिये भारत को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करना होगा।

### प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) के स्थायी सदस्यों (जिन्हें P5 देश भी कहा जाता है) चीन, फ्राँस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने परमाणु नि:शस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिये बीजिंग में अपनी दो बैठकें संपन्न की हैं।
- इसी बैठक के निष्कर्ष स्वरूप चीन का यह रुख सामने आया है। परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Supplier Group-NSG) में प्रवेश हेतु भारत के आवेदन पर विचार के संदर्भ में कहा गया कि P5 देश परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty-NPT) तंत्र को बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- चीन का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि परमाणु संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रणाली की आधारशिला है।
- भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, इसलिये चीन 48-सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) में भारत के प्रवेश का विरोध करता रहा है। हालाँकि भारत के परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड के आधार पर अमेरिका और रूस सहित अन्य P5 सदस्यों ने भारत का समर्थन किया है।

### क्यों भारत के खिलाफ है चीन ?

- दरअसल, परमाणु अप्रसार संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने का मामला उठाकर चीन, पाकिस्तान के साथ गठजोड़ में निहित अपने हितों का पालन करता है।
- पिछले कुछ दिनों से परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में भारत के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह के सदस्य देशों को नया मसौदा प्रस्ताव दिया गया है, जिससे भारत के इस विशिष्ट समूह का सदस्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

### क्या है NSG?

- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) 48 देशों का समूह है। NSG की स्थापना 1975 में की गई थी।
- परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक इसी के दायरे में आता है।
- भारत में इस समय परमाणु संयंत्र लगाए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है।
- भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उसका उद्देश्य बिजली तैयार करना है और NSG की सदस्यता मिलने से उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन NSG की सदस्यता के लिये भारत को कई शर्तों को भी मंज़ूर करना होगा, जैसे कि परमाणु परीक्षण न करना आदि।

### क्या है परमाणु अप्रसार संधि ?

- परमाणु अप्रसार संधि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। इस संधि की घोषणा 1970 में की गई थी।
- अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 188 सदस्य देश इसके पक्ष में हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते।
- हालाँकि, वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency-IAEA) के पर्यवेक्षक करेंगे।

### भारत के लिये क्यों ज़रूरी है NSG की सदस्यता?

- गौरतलब है कि भारत ने अमेरिका और फ्राँस के साथ परमाणु करार किया है तथा कई अन्य देशों से भी करार की संभावनाएँ बनी हुई हैं।
- फ्राँसीसी परमाणु कंपनी अरेवा जैतापुर, महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र लगा रही है। वहीं, अमेरिकी कंपनियाँ गुजरात के मिठी वर्डी और आंध्र प्रदेश के कोवाडा में संयंत्र लगाने की तैयारी में हैं।
- NSG की सदस्यता हासिल करने से भारत बिना किसी विशेष समझौते के परमाणु तकनीक और यूरेनियम हासिल कर सकेगा।
- परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने में भी सदस्य राष्ट्रों से मदद मिलेगी। देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह ज़रूरी है कि भारत को NSG में प्रवेश मिले।

### परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty -NPT)

- परमाणु नि:शस्त्रीकरण की दिशा में परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty) को एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है।
- यह 18 मई, 1974 को तब सामने आया जब भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया ।
- भारत का मानना है कि 1 जुलाई, 1968 को हस्ताक्षरित तथा 5 मार्च, 1970 से लागू परमाणु अप्रसार संधि भेदभावपूर्ण है, साथ ही यह असमानता पर आधारित एकपक्षीय व अपूर्ण है।
- भारत का मानना है कि परमाणु आयुधों के प्रसार को रोकने और पूर्ण नि:शस्त्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहियें।
- परमाणु अप्रसार संधि का मौजूदा ढाँचा भेदभावपूर्ण है और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के हितों का पोषण करता है।
- यह परमाणु खतरे के साए तले जी रहे भारत जैसे देशों के हितों की अनदेखी करता है।
- भारत के अनुसार, वे कारण आज भी बने हुए हैं जिनकी वज़ह से भारत ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- कह सकते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत का रुख बेहद स्पष्ट है। वह किसी की देखा-देखी या दबाव में इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।
- इस पर हस्ताक्षर करने से पहले भारत अपने हितों और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए मामले के औचित्य पर पूरी तरह से विचार करेगा।
- भारत इस अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता रहा है।

इसके लिये भारत दो तर्क देता है:

- इस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि भारत अपने विकसित परमाणु अनुसंधान के आधार पर परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता।

---

## आईएनएफ संधि का खत्म होना तय

### चर्चा में क्यों?

पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ की गई मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (Intermediate-Range Nuclear Forces-INF Treaty) से अलग होने की बात की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह आरोप था कि रूस कई वर्षों से इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है।

### प्रमुख बिंदु

- अमेरिका ने अंतत: इस संधि के तहत आने वाले अपने दायित्वों को खत्म करने की घोषणा कर दी है जो कि 2 फरवरी, 2019 से प्रभावी होगी और अगले छह महीने में वह संधि से हट जाएगा।
- अमेरिका रूस और संधि में शामिल अन्य दलों को एक औपचारिक रूप से नोटिस देगा कि वह संधि के अनुच्छेद XV के तहत अलग हो रहा है। अनुच्छेद XV अलग होने से पहले छह महीने की नोटिस अवधि को अनिवार्य करता है।

- हालाँकि अमेरिका का यह भी कहना है कि यदि रूस INF संधि का उल्लंघन करने वाली मिसाइलों, मिसाइल लॉन्चर और संबंधित उपकरणों को नष्ट कर दे तो संधि को छह महीने की नोटिस अवधि के दौरान बचाया भी जा सकता है।
- नाटो ने भी अमेरिका के पक्ष में इस निर्णय का समर्थ किया है।

### पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty-INF) की अवधि अगले दो साल में खत्म होनी है। 1987 में हुई यह संधि अमेरिका और यूरोप तथा सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती है।
- यह संधि अमेरिका तथा रूस की 300 से 3,400 मील दूर तक मार करने वाली, ज़मीन से छोड़े जाने वाले क्रूज मिसाइल के निर्माण को प्रतिबंधित करती है। इसमें ज़मीन आधारित सभी मिसाइलें शामिल हैं।
- 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके तत्कालीन यूएसएसआर समकक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं करने के लिये INF संधि पर हस्ताक्षर किये थे।

### क्या है आईएनएफ संधि?

- यह संधि प्रतिबंधित परमाणु हथियारों और ग़ैर-परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग को रोकती है। अमेरिका की नाराज़गी रूस की एसएस-20 की यूरोप में तैनाती के कारण है। इसकी रेंज 500 से 5,500 किलोमीटर तक है।
- इस संधि के तहत 1991 तक क़रीब 2,700 मिसाइलों को नष्ट किया जा चुका है। दोनों देश एक-दूसरे की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती पर नज़र रखने की अनुमति देते हैं।
- 2007 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इस संधि से उनके हितों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। रूस की यह टिप्पणी 2002 में अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से बाहर होने के बाद आई थी।

### संधि से क्या हासिल हुआ?

- शीतयुद्ध के दौरान हुए आईएनएफ संधि का ऐतिहासिक नतीजा सामने आया था।
- इसके तहत 2,700 मिसाइलों के साथ ही उनके लॉन्चर भी नष्ट कर दिये गए थे।
- इससे अमेरिका-सोवियत संघ के संबंधों को प्रोत्साहन मिला था।

### आगे की राह

- ट्रंप प्रशासन को लगता है कि रूस में मिसाइल सिस्टम को लेकर हो रहा काम और इनकी तैनाती चिंताजनक विषय है। लेकिन ट्रंप का इस समझौते से बाहर निकलने की वज़ह से हथियारों के नियंत्रण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- कई विश्लेषकों का मानना है कि अभी वार्ता जारी रहेगी और उम्मीद है कि रूस इस बात को समझेगा।
- डर है कि हथियारों की होड़ पर शीतयुद्ध के बाद जो लगाम लगी थी वह होड़ कहीं फिर से न शुरू हो जाए।

## भारत-टोगो संबंध

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में टोगोलीज़ गणतंत्र (Togolese Republic), जिसे टोगो के नाम से भी जाना जाता है) और भारत 'दापोंग'(दलवाक क्षेत्र) एवं 'मैंगो' (सवेंस क्षेत्र) में लगभग 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

### मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation:NTPC) लिमिटेड इन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (Project Management Consultant- PMC) के रूप में कार्य करेगा।

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (nternational Solar Alliance: ISA) में टोगो पहला देश होगा जो NTPC की सेवाओं का लाभ उठाएगा।
- टोगो ने अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही वर्ष 2030 तक बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।

### राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC)

- भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी, एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी।
- हालाँकि एनटीपीसी एक ताप विद्युत कंपनी है, लेकिन वर्तमान में यह विद्युत उत्पादन व्यापार की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति के साथ एक वैविध्यपूर्ण विद्युत कंपनी के रूप में उभर रही है।
- इसका मिशन नवप्रवर्तन एवं स्फूर्ति द्वारा संचालित रहते हुए किफायती, दक्षतापूर्ण एवं पर्यावरण-हितैषी तरीके से विश्वसनीय विद्युत-ऊर्जा एवं संबद्ध सेवाएँ प्रदान करना है।
- NTPC को वर्ष 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 58,000 मेगावाट से अधिक है जिसमें 870 मेगावाट की सौर परियोजनाएँ शामिल है और 1062 मेगावाट की परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

मुख्य बिंदु

- NTPC ने सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सदस्य देशों को परियोजना प्रबंधन परामर्श देने के लिये ISA के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- इस प्रस्ताव को ISA की वेबसाइट पर स्विस चुनौती(Swiss challenge ) के लिये रखा गया और बाद में ISA वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे अक्टूबर 2019 में आयोजित ISA की द्वितीय सम्मेलन में मंजूरी दी गई।

स्विस चैलेंज (Swiss Challenge)

- स्विस चैलेंज बोली लगाने की एक विधि है, जिसका उपयोग अक्सर सार्वजनिक परियोजनाओं की बोली लगाने में किया जाता है, जिसमें एक इच्छुक पार्टी किसी परियोजना के लिए अनुबंध या बोली के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।
- इसके बाद सरकार परियोजना का विवरण जनता के समक्ष रखती है और इसे क्रियान्वित करने के इच्छुक अन्य लोगों से प्रस्तावों को आमंत्रित करती है।
- प्राप्त बोलियों के आधार पर मूल प्रस्तावक को सर्वश्रेष्ठ बोली के साथ मिलान करने का मौका दिया जाता है। यदि मूल प्रस्तावक बोली का मिलान करने में विफल रहता है, तो परियोजना सर्वश्रेष्ठ बोली लगाने वाले को दे दी जाती है।

टोगो गणतंत्र (Togo Republic):

यह पश्चिम अफ्रीकी देश है जो दक्षिण में गिनी की खाड़ी तक फैला हुआ है इसकी सीमा उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में बेनिन और पश्चिम में घाना तक है

- टोगो की राजधानी लोम (Lomé) है जो गिनी की खाड़ी में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह भी है।
- टोगो एक उप-सहारा राष्ट्र है,जिसकी जलवायु कृषि हेतु अनुकूल है जो कृषि पर इसकी निर्भरता की दृष्टि से सहायक है।
  - इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि उत्पादों जैसे कॉफी, कोको बीन्स और मूंगफली आदि पर निर्भर है।
  - फॉस्फेट के व्यापक भंडारों की अवस्थिति के कारण यह दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट उत्पादकों देशों में से एक है।
- टोगो की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है और गबे परिवार (Gbe family) की कई अन्य भाषाएँ भी यहाँ बोली जाती हैं।

### इतिहास

- टोगो को शुरू में विभिन्न जनजातियों द्वारा आबाद किया गया था और बाद में 16 वीं शताब्दी में दास व्यापार के केंद्र के रूप में 'स्लेव कोस्ट' के रूप में जाना जाने लगा।
- बाद में यह प्रथम विश्व युद्ध तक जर्मनी का उपनिवेश था जब इसे इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा विभाजित किया गया था।

नोट :

- वर्ष 1914 में टोगोलैंड टोगो बन गया। ब्रिटिश टोगोलैंड अंततः घाना और फ्रांसीसी टोगोलैंड का हिस्सा बन गया।
- टोगो ने वर्ष 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त की।

# अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन

## चर्चा में क्यों?

5 फरवरी, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन (International Religious Freedom Alliance) के शुभारंभ की घोषणा की है, यह गठबंधन दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण में एक सामूहिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करेगा।

### प्रमुख बिंदु

- यह "समान विचारधारा वाले साझीदारों का एक गठबंधन है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को सहेजते है और उसके लिये संघर्ष करते हैं।
- इस गठबंधन में शामिल होने वाले प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, इज़रायल, यूक्रेन, नीदरलैंड और ग्रीस प्रमुख हैं।
- सभी लोगों को उनके जीवन को उनके विवेकानुसार जीने का अधिकार देना, इसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी व्यक्तियों के विश्वास योग्य अधिकारों की रक्षा करेगा, जिसमें उन्हें विश्वास करने या नहीं करने की जो वह चाहें उसकी स्वतंत्रता प्रदान करेगा।
- इस गठबंधन की लॉन्चिंग के दौरान भागीदार देशों को प्रौद्योगिकी और धार्मिक उत्पीड़न, निंदा और धर्म त्याग कानून, आदि जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिये।
- हालाँकि अपने बाहरी रूप में यह एक रूढ़िवादी निकाय (Consensual Body) प्रतीत हो रहा है। परंतु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस गठबंधन में शामिल होना किसी भी देश के लिये बाध्यकारी नहीं है।

# भारतीय नौसेना की शांतिकालीन रणनीति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मेडागास्कर (Madagascar) में चक्रवात डायने (Diane) से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिये ऑपरेशन वनीला (Operation Vanilla) के तहत भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस ऐरावत (INS Airavat) को भेजा।

### मुख्य बिंदु:

- चक्रवात के कारण आई बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना (Andry Rajoelina) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील के बाद भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर के लोगों को मदद पहुँचाई गई।

### शांतिकालीन रणनीति के घटक (Component Of Peacetime Strategy)

- हाल के वर्षों में भारत हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारतीय नौसेना की शांतिकालीन रणनीति के तहत मानवीय सहायता प्रदाता के रूप में उभरा है।
  - मोज़ांबिक को मदद: मार्च 2019 में जब चक्रवात ईदाई (Idai) ने मोज़ाम्बिक में तबाही मचाई तब भारतीय नौसेना ने मोज़ांबिक की मदद के लिये चार युद्धपोतों को तैनात किया था।
  - इंडोनेशिया को मदद: वर्ष 2019 में जब इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर उच्च तीव्रता के भूकंप आया तब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री (Operation Samudra Maitri) के तहत इंडोनेशिया को तत्काल चिकित्सा सहायता पहुँचाई थी।

- वर्ष 2019 में भारतीय नौसेना ने टाइफून हागिबिस (Hagibis) से प्रभावित जापान को मदद पहुँचाने के लिये दो युद्धपोत भेजे थे।

भारतीय नौसेना का यह नया मानवीय दृष्टिकोण हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री के विज़न 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास- Security and Growth for all in the Region) की एक अभिव्यक्ति है।

### सागर- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं संवृद्धि (SAGAR- Security And Growth for All in the Region):

- सागर (SAGAR) कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मॉरीशस यात्रा के दौरान वर्ष 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत; सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों का सम्मान, एक-दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता, समुद्री मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान तथा समुद्री सहयोग में वृद्धि इत्यादि है।

हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रुप में-

- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हिंद महासागरीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव मिशन को अंजाम देकर स्वयं को 'क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता' (Regional Security Provider) के रूप में स्थापित किया है।
    - गौरतलब है कि वर्ष 2004 में भारत में आई सुनामी के बाद भारतीय नौसेना की मानव केंद्रित समुद्री सुरक्षा रणनीति पर अधिक ज़ोर दिया गया इसके तहत पहली बार भारतीय नौसेना के कमांडरों ने हिंद महासागरीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव मिशन के महत्त्व को पहचाना।
- भारतीय नौसेना ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों की मदद के लिये अपनी वित्तीय स्थिति को मज़बूत किया है तथा विशेष उपकरणों की अधिक-से-अधिक तैनाती के साथ जटिल मिशनों को पूरा करने की क्षमता हासिल कर ली है।
    - जटिल मिशनों के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने वर्ष 2015 में अदन की खाड़ी पर नियंत्रण को लेकर यमन में हुए संघर्ष के दौरान वहाँ फंसे 1500 भारतीयों और 1300 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकला था।
    - यमन संकट के तीन वर्ष बाद भारतीय नौसेना ने यमन के पास चक्रवात से प्रभावित सोकोत्रा (Socotra) द्वीप पर फंसे 38 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की थी।
- विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह के मिशनों से भारत की सॉफ्ट पावर की छवि को मज़बूती मिलती है और इससे हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

### चुनौतियाँ:

- यद्यपि मानव केंद्रित सुरक्षा रणनीति के तहत हिंद महासागरीय देशों में सीमित नौसैनिकों की उपस्थिति भारत के लिये रणनीतिक क्षमता का निर्माण करती है किंतु विदेशी जलक्षेत्र में लंबे समय तक युद्धपोतों की उपस्थिति भागीदार देशों को चिंतित कर सकती है।
- विशेषज्ञों द्वारा भारतीय नौसेना की शक्ति को सूक्ष्म तरीके से रेखांकित करना चाहिये न कि किसी धारणा के आधार पर अर्थात् किसी मिशन के अंतर्निहित इरादे को भू-राजनीतिक लाभ लेने के तौर पर प्रदर्शित न होने दें।

### क्षमता निर्माण और सहयोग की आवश्यकता:

- गौरतलब है कि इन मिशनों के दौरान प्रदान की गई सहायता कुशल और लागत प्रभावी है इसके लिये समर्पित आपदा-राहत प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया है।
    - किंतु अमेरिका और चीन के विपरीत भारत नियमित युद्धपोतों एवं सर्वेक्षण जहाज़ों को चिकित्सा सहायता के किये उपयोग करता है। जबकि अमेरिका और चीन के इन्वेंट्री अस्पताल जहाज़ पूरी तरह से चिकित्सा सहायता के लिये सुसज्जित हैं।
- भारत के कामचलाऊ आपदा-राहत जहाज़ अमेरिकी नौसेना के चिकित्सा जहाज़ यूएसएनएस मर्सी (USNS Mercy) या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पीस आर्क (Peace Ark) से मेल नहीं खाते हैं जो विशेष चिकित्सा सेवाओं देने में सक्षम हैं।
    - अत: भारतीय नौसेना को हिंद-प्रशांत नौ सेनाओं विशेष रूप से अमेरिकी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और जापानी सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज के साथ अधिक समन्वय की आवश्यकता है। इन देशों की नौ सेनाओं के पास मानवीय खतरों को कम करने के लिये अधिक अनुभव है और इनकी वित्तीय स्थिति भी अधिक मज़बूत है।

### आगे की राह

- चूंकि हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएँ लगातार और तीव्र होती जा रही हैं इसलिये भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता की भूमिका बढ़ने की संभावना है। इसके लिये भारतीय नौसेना के मानवीय सहायता मिशन एक बड़े सहकारी प्रयास के अंतर्गत समुद्री साझा क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

## स्टेप विद रिफ्यूजी' अभियान

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) द्वारा प्रारंभ किये गए 'स्टेप विद रिफ्यूजी' (Step with Refugee) अभियान में कई भारतीय व्यक्तियों द्वारा भाग लिया जा रहा है।

### मुख्य बिंदु:

- कई भारतीय तथा अन्य देशों के व्यक्ति शरणार्थी समस्या को समझने के संदर्भ में इस अभियान में भाग ले रहे हैं।

### क्यों प्रारंभ किया गया अभियान?

- पूरे विश्व में कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें पलायन के लिये मज़बूर किया गया है तथा वे जीवित रहने के लिये असाधारण प्रयास करते हैं।
- ऐसे समय में जब अधिक-से-अधिक परिवार विभिन्न वैश्विक संकटों के कारण अपने घरों से पलायन के लिये मज़बूर हो रहे हैं, UNHCR द्वारा उनके परिवारों को सुरक्षित रखने के लिये तथा उनके जुझारूपन और दृढ़ संकल्प का सम्मान करने के लिये इस अभियान की शुरुआत की गई है।
- इस सामूहिक प्रयास के माध्यम से वैश्विक एकजुटता स्थापित करने, शरणार्थियों के संबंध में बेहतर समझ बनाने और शरणार्थियों की रक्षा के लिये धन जुटाने के साथ-साथ उनके जीवन के पुनर्निर्माण में सहायता की जाएगी।

### क्या है स्टेप विद रिफ्यूजी' अभियान?

- इस अभियान में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा 12 महीनों में दो बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिये स्वयं को चुनौती दी जाएगी क्योंकि विश्व में शरणार्थियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिये हर वर्ष लगभग इतने किमी. की यात्रा तय की जाती है।
- इस अभियान में प्रतिभागी पैदल चलकर, साइकिल चलाकर या दौड़कर शामिल हो सकते हैं तथा फिटनेस एप फिटबिट, स्ट्रवा या गूगलफिट के माध्यम से भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और वे जितने किलोमीटर तक यात्रा करेंगे वह अभियान में स्वत: जुड़ जाएगा।
- इस अभियान में प्रतिभागियों को एक ऑनलाइन कोच की सहायता देने की भी सुविधा है।
- इस अभियान के तहत UNHCR कई शरणार्थियों की दुखद और साहसिक यात्राओं को भी विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है।

### शरणार्थियों की बेहतर समझ का निर्माण:

- UNHCR ने शरणार्थियों को लेकर फैली कई तरह की भ्रांतियों को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है-
  - शरणार्थी हमेशा युद्ध या उत्पीड़न के कारण दूसरे देशों में जाने के लिये मजबूर होते हैं। उन्हें "शरणार्थी" के रूप में मान्यता इसलिये दी जाती है, क्योंकि उनके लिये प्रवासियों के समान घर वापस आना बहुत जोखिमपूर्ण होता है।

### शरणार्थी एवं प्रवासी के मध्य अंतर:

- शरणार्थी अपने देश में उत्पीड़न अथवा उत्पीड़ित होने के भय से पलायन को मज़बूर होते हैं। जबकि प्रवासी का अपने देश से पलायन विभिन्न कारणों जैसे-रोज़गार, परिवार, शिक्षा आदि के कारण भी हो सकता है किंतु इसमें उत्पीड़न शामिल नहीं है।
- इसके अतिरिक्त प्रवासी को (चाहे अपने देश में हो अथवा अन्य देश में) को स्वयं के देश द्वारा विभिन्न प्रकार के संरक्षण का लाभ प्राप्त होता रहता है।
- अधिकांश शरणार्थी घर के निकट रहने के लिये पड़ोसी देशों में सर्वाधिक पलायन करते हैं, इनमें से केवल 1% अन्य देशों में जाकर बसते हैं।

- दुनिया भर में, एक तिहाई से भी कम लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अधिकांश शरणार्थी जीवन-यापन के लिये शहरों और कस्बों में जीवित रहने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

### भारत में शरणार्थियों की समस्या:

- भारत भी पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत और म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है। वर्तमान में रोहिंग्या, चकमा-हाजोंग, तिब्बती और बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण भारत मानवीय, आंतरिक सुरक्षा आदि समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत भी शरणार्थियों के संबंध में एक ऐसी घरेलू नीति तैयार करे, जो धर्म, रंग और जातीयता की दृष्टि से तटस्थ हो तथा भेदभाव, हिंसा और रक्तपात की विकराल स्थिति से उबारने में कारगर हो।

### वैश्विक शरणार्थी संकट तथा आगे की राह:

- शरणार्थी संकट विश्व के समक्ष पिछली एक शताब्दी का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाएँ जैसे- भूकंप, बाढ़, युद्ध, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण पिछली एक शताब्दी में लोगों के विस्थापन की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- इनसे निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं।
- शरणार्थी संकटों ने विभिन्न देशों को प्रभावित किया है जिसमें भारत भी शामिल है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है।
- 'स्टेप विद रिफ्यूजी' अभियान वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों के संबंध में बेहतर समझ बनाने और शरणार्थियों की रक्षा के लिये धन जुटाने में सहायता करेगा।

---

# अफ्रीकी संघ की बैठक

## चर्चा में क्यों?

9-10 फरवरी, 2020 को इथोपिया के आदिस अबाबा (Addis Ababa) में अफ्रीकी संघ की 33वीं बैठक का आयोजन किया गया।

### प्रमुख बिंदु:

- अफ्रीकी संघ की 33वीं बैठक की थीम- साइलेंसिंग द गन्स: क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडीशंस फॉर अफ्रीकाज़ डेवलपमेंट (Silencing the Guns: Creating conducive conditions for Africa's development) है।
- इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (Cyril Ramaphosa) द्वारा की गई।
- अपने उद्घाटन भाषण में अफ्रीकी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिरिल रामफोसा ने एजेंडा 2063 (Agenda 2063) की रूपरेखा सहित उन प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसके अंतर्गत अफ्रीका के विकास पथ में हो रही प्रगति को बढ़ावा देने के लिये यूनियन का ध्यान केंद्रित करना होगा।
- जुलाई 2020 में प्रारंभ होने वाले अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (African Continental Free Trade Area-AfCFTA) पर रामफोसा ने कहा कि यह औद्योगीकरण का एक प्रमुख चालक होगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- अफ्रीका में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर रामफोसा ने योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- अफ्रीका के विकास एजेंडा में महिलाओं को शामिल करने के लिये अफ्रीकी संघ द्वारा किये जा रहे प्रयासों के अनुरूप महासभा ने वर्ष 2020 से 2030 के दशक को महिलाओं के लिये वित्तीय समावेशन का दशक घोषित किया है।

### एजेंडा 2063

- यह संकल्प मई 2013 में अफ्रीकी संघ की महासभा द्वारा पारित किया गया।
- यह अफ्रीका महाद्वीप का एक रणनीतिक ढाँचा है जिसका उद्देश्य समावेशी और संवहनीय विकास लक्ष्य को प्राप्त करन है और एकता, आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, उन्नति तथा सामूहिक समृद्धि के लिये पैन-अफ्रीकन अभियान की ठोस अभिव्यक्ति है।

- इसका उद्देश्य अगले 50 वर्षों (वर्ष 2013-2063) में अफ्रीका महाद्वीप को पावर हाउस के रूप में स्थापित करना है।
- एजेंडा 2063 भविष्य के लिये न केवल अफ्रीका की आकांक्षाओं को कूटबद्ध करता है, बल्कि प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों की भी पहचान करता है जो अफ्रीका के आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और परिवर्तित हो रही वैश्विक भूमिका में महाद्वीप का नेतृत्व कर सकते हैं।

### अफ्रीकी संघ

- अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं।
- इसे वर्ष 1963 में स्थापित अफ्रीकी एकता संगठन (Organisation of African Unity) के स्थान पर आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित किया गया।
- अफ्रीकी संघ का सचिवालय आदिस अबाबा में स्थित है।

### उद्देश्य

- अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना।
- अपने सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण का प्रयास करना।
- महाद्वीप और उसके लोगों के हित के मुद्दों को बढ़ावा देना तथा उनका बचाव करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना।
- लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों, लोकप्रिय भागीदारी और सुशासन को बढ़ावा देना।
- संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मौजूदा और भविष्य के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के बीच नीतियों का समन्वय करना।
- व्यापार, रक्षा और विदेशी संबंधों पर सामान्य नीतियों को विकसित करना और बढ़ावा देना, ताकि महाद्वीप की रक्षा और इसकी वार्ता की स्थिति को मजबूत किया जा सके।
- अफ्रीका के युवाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिये कौशल विकास संस्थानों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है।
- इस बैठक में एजेंडा 2063 के कार्यान्वयन पर पहली महाद्वीपीय रिपोर्ट (First Continental Report) लॉन्च की गई है।

## भारत- श्रीलंका संबंध

### चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने 8-11 फरवरी, 2020 तक भारत का दौरा किया।

- अपनी भारत यात्रा के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर भी गए।

### मुख्य बिंदु:

- तमिल मुद्दा:
  - श्रीलंका में तमिल मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये भारत ने श्रीलंका पर भरोसा जताया है।
  - भारत ने श्रीलंका में समानता, न्याय, शांति और सम्मान हेतु तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी अनुरोध किया है।
- युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में विकास:
  - श्रीलंका ने भारत से उत्तर और पूर्व में अधिक घर बनाने का अनुरोध किया है। जबकि भारत ने अब तक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में 46,000 घरों का निर्माण करने में मदद की है।
  - श्रीलंका ने गहरे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की तकनीक के लिये सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया है जिससे श्रीलंकाई लोगों के लिये रोज़गार सृजित करने में मदद मिलेगी।

- संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण (Joint Marine Resources Management Authority):
  - क्षेत्रीय जल से निकटता (विशेष रूप से पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी में) के कारण दोनों देशों के मछुआरों के भटकने की घटनाएँ आम हैं। ऐसी स्थिति के मद्देनज़र दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने वाले मछुआरों के कारण उत्पन्न विवाद के समाधान के लिये कुछ व्यावहारिक व्यवस्थाओं पर सहमति व्यक्त की है।
  - श्रीलंका ने दो देशों के बीच एक संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है।
  - इस प्राधिकरण में दोनों देशों के सात सदस्य होंगे जिनमें नौकरशाह, शोधकर्त्ता, मछुआरों के संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
  - प्रस्तावित प्राधिकरण से पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर होने वाले मत्स्य संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने में मदद मिलेगी।
    - पाक जलडमरूमध्य, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना ज़िले के बीच स्थित है।
- ऋण जाल (Debt Trap):
  - भारत ने चीन की ऋण जाल कूटनीति में फँसे श्रीलंका से इस ऋण जाल के संबंध में चर्चा की।
    - ऋण जाल कूटनीति का तात्पर्य चीन द्वारा विकासशील या अविकसित देशों जैसे- अफ्रीकी देश जो अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिये धन उधार लेते हैं, को लुभाने या फँसाने की रणनीति है।
- हिंद महासागरीय क्षेत्र:
  - दोनों देशों ने हिंद महासागरीय क्षेत्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि के लिये आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई।
  - भारत ने अपनी पड़ोसी पहले (Neighbourhood First) की नीति और सागर- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं संवृद्धि (SAGAR- Security and Growth for all in the Region) के तहत हिंद महासागर की सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया।
    - सागर (SAGAR) कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मॉरीशस यात्रा के दौरान वर्ष 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शुरू किया गया था।
    - इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
    - इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों का सम्मान, एक-दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता, समुद्री मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान तथा समुद्री सहयोग में वृद्धि करना इत्यादि है।
- आतंकवाद:
  - दोनों देशों ने अपनी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के बीच संपर्क एवं सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

## भारत - श्रीलंका संबंध: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

- भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच संबंध 2,500 साल से अधिक पुराना है और दोनों पक्षों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषायी सहयोग की विरासत का निर्माण किया है।
- श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान भारत ने विद्रोही ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था।
- भारतीय आवास परियोजना (Indian Housing Project) भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को विकासात्मक सहायता देने के लिये प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के तहत गृहयुद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तथा चाय बागान क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये 50,000 घरों का निर्माण करना है।
- भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास (मित्र शक्ति- Mitra Shakti) और नौसेना अभ्यास (स्लीनेक्स- SLINEX) का आयोजन करते हैं।
- हाल ही में 41 वर्षों के अंतराल के बाद भारत के चेन्नई शहर से श्रीलंका के जाफना के लिये उड़ान सेवा फिर से शुरू हुई जिसे श्रीलंकाई गृहयुद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था।

# बिम्सटेक सम्मेलन

## चर्चा में क्यों?

13 फरवरी 2020 को मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से नई दिल्ली में दो दिवसीय बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) सम्मेलन का आयोजन किया गया।

## प्रमुख बिंदु

- यह सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिये आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा।
- सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं व्यापार को नियंत्रित करने के लिये जो नीति बनाई है उससे भारत में न तो मादक पदार्थों को प्रवेश करने दिया जाएगा और न ही भारत की ज़मीन का प्रयोग मादक पदार्थों की तस्करी में होने दिया जाएगा।
- सरकार का यह विचार है कि पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिये एकजुट होना आवश्यक है और भारत इस कार्य में विश्व का नेतृत्व करने के लिये तैयार है।
- भारत ने बहुत कम समय के अंदर ही देश में मादक पदार्थों के नियंत्रण के प्रति कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव सामने आया है।
- सरकार की मादक पदार्थों संबंधी एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की कुल आबादी का लगभग 5% मादक पदार्थों के प्रभाव से ग्रसित है अर्थात विश्व के 27 करोड़ से अधिक लोग ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो कि गंभीर चिंतन का विषय है।
- मादक पदार्थों का सेवन करना स्वयं, परिवार, समाज के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिये भी खतरा है और यह देश विरोधी तत्त्वों की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया बन गया है। आँकड़े बताते हैं कि विश्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के चलते एक बड़ी राशि का लेन-देन होता है जिसका उपयोग अवैध सामाजिक गतिविधियों में किया जाता है।

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल- बिम्सटेक

- एक उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह के रूप में बिम्सटेक का गठन जून 1997 में बैंकाक में किया गया था।
- प्रारंभ में इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे और इसका नाम BIST-EC यानि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इकॉनोमिक को-ऑपरेशन था।
- दिसंबर 1997 में म्याँमार भी इस समूह से जुड़ गया और इसका नाम BIMST-EC हो गया।
- इसके बाद फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी इस समूह में शामिल हो गए।
- जुलाई 2004 में बैंकाक में आयोजित इसके प्रथम सम्मेलन में बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, म्याँमार, श्रीलंका और थाईलैंड तकनीकी और आर्थिक सहयोग) का नाम बदलकर बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) रखा गया।

## उद्देश्य

- सात देशों का यह संगठन मूल रूप से एक सहयोगात्मक संगठन है जो व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्यपालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर शुरू किया गया था लेकिन बाद में इसमें कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया।
- बिम्सटेक के मुख्य उद्देश्यों में बंगाल की खाड़ी के तट पर दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना शामिल है।

## भारत के लिये बिम्सटेक का महत्त्व

- बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। इस समूह में दो देश दक्षिण-पूर्व एशिया के हैं। म्याँमार और थाईलैंड भारत को दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ने के क्रम में अति महत्त्वपूर्ण है।

- बिम्सटेक देशों के बीच मज़बूत संबंध भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकता है। इससे भारत-म्याँमार के बीच परिवहन परियोजना और भारत-म्याँमार-थाईलैंड राजमार्ग परियोजना के विकास में भी तेज़ी आएगी।
- चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्सटेक देशों में भारी निवेश कर रखा है। ऐसे में हिन्द महासागर तक पहुँचने के लिये बंगाल की खाड़ी तक पहुँच बनाना चीन के लिये ज़रूरी होता जा रहा है। जबकि भारत बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुँच और प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है, इस उद्देश्य की सफलता में भी बिम्सटेक भारत के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका के चलते भारत बिम्सटेक को काफी महत्त्व देता है। इससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रवर्तन और समन्वय गतिविधियों को मज़बूत करने के लिये कई पहल की हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा अधिक सामंजस्य पूर्ण और समन्वित कार्यों को सुनिश्चित करने के लिये काम किया जा रहा है।
- सरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau-NCB) के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये भोपाल में केंद्रीय अकादमी की स्थापना कर रही है।

### नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना स्वापक औषधियाँ और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act), 1985 द्वारा मार्च 1986 में की गई।
- यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बंगलूरु, गुवाहाटी और पटना में स्थित हैं।

### उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना है।
- देश के सीमांत क्षेत्रों पर नज़र रखना ताकि विदेशी तस्करों की गतिविधियों को सीमा पर ही नियंत्रित किया जा सके।
- यह मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
- भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जागरुकता बढ़ाने की पहल की गई है।
- भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर पिछले 5 वर्षों में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्याँमार, सिंगापुर आदि देशों से मादक पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर चर्चा की है।
- भारत सरकार ने 'ड्रग फ्री इंडिया (Drug Free India)' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मज़बूती से अपने कदम बढ़ाएं हैं।

## भारत-पुर्तगाल संबंध

### चर्चा में क्यों?

14 फरवरी 2020 को पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सूजा (Marcelo Rebelo de Sousa) भारत की यात्रा पर आए। इस बीच भारत और पुर्तगाल के मध्य 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

### प्रमुख बिंदु

- पुर्तगाली राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि पुर्तगाल-भारत के संबंध बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच 500 वर्षों का साझा इतिहास है।
- दोनों देश संस्कृति, भाषा और वंश परंपरा के माध्यम से गोवा तथा मुंबई के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।
- भारत-पुर्तगाल द्विपक्षीय कार्ययोजना ने कई गुना विस्तार किया है। दोनों देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, नवाचार और स्टार्ट-अप, पानी तथा पर्यावरण सहित अन्य विषयों पर सहयोग कर रहे हैं।

- आतंकवाद पूरी दुनिया के लिये गंभीर खतरा है। दोनों देशों को इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिये आपसी सहयोग को और मज़बूत करना चाहिये।
- जलवायु परिवर्तन आज एक दबावकारी वैश्विक चुनौती है। भारत निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पुर्तगाल के शामिल होने की उम्मीद कर रहा है।
- दोनों देशों के बीच समुद्री विरासत, समुद्री परिवहन एवं बंदरगाह विकास, प्रवास तथा गतिशीलता, स्टार्ट-अप, बौद्धिक संपदा अधिकार, उत्पादन, योग, राजनयिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, सार्वजनिक नीति, एयरोस्पेस, नैनो-जैव प्रौद्योगिकी और ऑडियो विज़ुअल के क्षेत्र में 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और पुर्तगाल के बीच लगभग 500 वर्षों का साझा इतिहास है। पुर्तगाली नाविक वास्को-डी-गामा ने अफ्रीका महाद्वीप के रास्ते मई 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचकर यूरोप और दक्षिण एशिया के मध्य प्रत्यक्ष मार्ग स्थापित कर दिया।
- इससे पूर्व वेटिकन और अरब के व्यापारियों द्वारा यूरोप से भारत जाने के लिये भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर का मार्ग चुना जाता था।
- भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक युग का प्रारंभ 1502 ई में हुआ, जब पुर्तगाली साम्राज्य ने कोल्लम (पूर्व में क्विलोन), केरल में पहला यूरोपीय व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली सहित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कई अन्य परिक्षेत्रों का अधिग्रहण किया।
- 1510 ई में गोवा पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना।
- भारत और पुर्तगाल के बीच आत्मीय संबंध वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अनवरत रूप से ज़ारी हैं, साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत वर्ष 1949 में होती है।

## गोवा विवाद व स्वतंत्रता

- वर्ष 1946 में समाजवाद के प्रणेता डॉ राम मनोहर लोहिया गोवा पहुँचे, वहाँ पर गोवा की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा हुई। लोहिया ने गोवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। आंदोलन का महत्त्व यह था कि गोवा 435 वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता के लिये आवाज उठा रहा था।
- स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक संघ राज्य का रूप दिया। वे गोवा को भी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि 1510 ई से गोवा और दमन एवं दीव में पुर्तगालियों का औपनिवेशिक शासन था।
- 27 फरवरी, 1950 को भारत सरकार ने पुर्तगाल से भारत में मौजूद कॉलोनियों के संबंध में बातचीत करने का आग्रह किया। लेकिन पुर्तगाल ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। पुर्तगाल का कहना था कि गोवा उसका उपनिवेश नहीं है बल्कि महानगरीय पुर्तगाल का हिस्सा है, इसलिये इसे भारत को नहीं दिया जा सकता। इसके चलते भारत के पुर्तगाल के साथ कूटनीतिक संबंध खराब हो गए।
- वर्ष 1954 में गोवा से भारत के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिये वीज़ा लेना ज़रूरी हो गया। इसी बीच गोवा में पुर्तगाल के खिलाफ आंदोलन तेज़ हो गया और वर्ष 1954 में ही दादरा एवं नगर हवेली के कई क्षेत्रों पर भारतीयों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया।
- भारत सरकार ने एक बार पुन: पुर्तगाली सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया परंतु वार्ता के विफल रहने पर गोवा में सामान्य जन-जीवन बहाल करने के उद्देश्य से 18 दिसंबर, 1961 को भारत की सेना ने गोवा, दमन और दीव में हमला कर दिया।
- 19 दिसंबर, 1961 को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस (Goa Libration Day) के रूप में मनाया जाता है।

## वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में भारत-पुर्तगाल संबंध आत्मीय व मित्रतापूर्ण हैं। पुर्तगाल बहु क्षेत्रीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये अनवरत रूप से समर्थन करता रहा है। पुर्तगाल ने वर्ष 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिये भी भारत का समर्थन किया था।
- अक्तूबर 2005 में पुर्तगाल ने अबू सलेम और मोनिका बेदी को भारत में प्रत्यर्पित किया। भारत में जघन्य आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति का प्रत्यर्पण कराने वाला पुर्तगाल यूरोपीय संघ का पहला देश बना।

- अक्तूबर 2015 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करने में सहयोग हेतु भारत सरकार के साथ समझौता करने वाला पुर्तगाल यूरोपीय संघ का पहला देश बना।
- नवंबर 2017 में भारत ने लिस्बन में आयोजित वेब समिट में भाग लिया और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिये रोडमैप पर चर्चा की।
- फरवरी 2018 में जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के विषय पर विमर्श करने के लिये गोवा सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पुर्तगाल की यात्रा पर गया था।
- अक्तूबर 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा (Antonio Costa) भारत की यात्रा पर आए।

# नीदरलैंड की डिजिटल पहचान योजना पर निर्णय

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीदरलैंड की एक अदालत ने डेटा गोपनीयता और मानवाधिकारों की चिंता के कारण सिस्टम रिस्क इंडिकेटर (System Risk Indicator- SyRI) नामक एक डिजिटल पहचान तंत्र के खिलाफ फैसला सुनाया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- ऐसे समय जब भारत में पहचान, नागरिकता और गोपनीयता जैसे प्रासंगिक प्रश्न हैं, डच ज़िला न्यायालय का यह फैसला दुनिया के कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली एवं गोपनीयता से संबंधित मुद्दों को संदर्भित करता है।

डिजिटल पहचान योजना क्या थी?

- डच सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2014 में SyRI को उन लोगों के लिये विकसित किया था जो धोखाधड़ी के माध्यम से सरकारी लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
- डच संसद द्वारा पारित इस विधान ने सरकारी एजेंसियों को एक निजी कंपनी के साथ कल्याणकारी डेटा जैसे- कर, भूमि रजिस्ट्री, रोज़गार रिकॉर्ड और वाहन पंजीकरण से संबंधित 17 श्रेणियों के डेटा को साझा करने की अनुमति दी थी।

## SYRI की कार्यप्रणाली

- यह एल्गोरिदम पर आधारित है जो सरकार द्वारा प्रदान किये गए डेटा (जैसे कर, भूमि रजिस्ट्रियाँ, रोज़गार रिकॉर्ड आदि) का विश्लेषण करता है और जोखिम स्कोर की गणना करता है।
- गणना किये गए जोखिम स्कोर प्रासंगिक संस्थाओं को भेजे जाते हैं, जो इन्हें अधिकतम दो वर्षों के लिये सरकारी डेटाबेस पर संग्रहीत करता है।
- सरकार इस समयावधि में लक्षित व्यक्ति की जाँच शुरू कर सकती है।

### डच ज़िला न्यायालय के तर्क

- डच ज़िला न्यायालय का मानना है कि SyRI यूरोपीय मानवाधिकार कानून के साथ-साथ यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन द्वारा प्रदत्त गोपनीयता की गारंटी का उल्लंघन करता है।
- आलोचकों द्वारा इसकी इस आधार पर आलोचना की गई कि एल्गोरिथमिक व्यवस्था गरीबी और अप्रवासी जैसी स्थितियों को धोखाधड़ी के जोखिम के साथ जोड़ती है।
- डच न्यायालय का मानना था कि इस प्रकार के अपारदर्शी एल्गोरिथमिक निर्णय से नागरिकों को नुकसान हो सकता है जिससे देश की लोकतांत्रिक विशेषताओं को नुकसान होगा।
- न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि SyRI पारदर्शिता और डेटा न्यूनता (Data Minimisation) के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

### डच सरकार के तर्क

- सरकार का तर्क था कि इस नई तकनीक ने धोखाधड़ी को रोकने में सफलता पाई है और यह अंतिम निर्धारण के बजाय आगे की जाँच के लिये केवल एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- डच सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि वह संपूर्ण निर्णय का अध्ययन करेगा तथा उनके सिस्टम को पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा।

### न्यायालय के निर्णय का महत्त्व

- यह निर्णय सरकारी निगरानी के खिलाफ डेटा संरक्षण विनियमन का उपयोग करने का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
  - ध्यातव्य है कि स्वीडन और फ्राँस में छात्रों पर फेसिअल रिकॉग्निशन प्रणाली के उपयोग सहित अन्य यूरोपीय तकनीकी पहलों को यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन द्वारा रोक दिया गया है।
- यह निर्णय वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम करता है, ध्यातव्य है कि वैश्विक स्तर पर यह पहला मामला है जब डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं मानवाधिकारों के आधार पर सरकारी अधिकारियों द्वारा डिजिटल जानकारी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- उक्त निर्णय यह भी प्रदर्शित करता है कि विधायी नियमों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

नीदरलैंड के न्यायालय का निर्णय एवं भारत

- इसी प्रकार गोपनीयता संबंधी मुद्दे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधार (Aadhar) आईडी के उपयोग को सीमित किया था, जिस प्रकार हेग के न्यायालय ने व्यक्तिगत गोपनीयता के साथ सामाजिक हित को संतुलित करने का प्रयास किया। हालाँकि आधार निर्णय एल्गोरिथमिक निर्णय लेने से संबंधित नहीं था बल्कि यह डेटा संग्रह से संबंधित था।
- भारत के प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 में कई खामियाँ हैं जिनका अमेरिका के कानून की तरह फायदा उठाया जा सकता है। इस प्रकार इस निर्णय से सीख ली जा सकती है और विधेयक में व्याप्त खामियों को दूर किया जा सकता है।

---

## यूएसटीआर, विकासशील देशों की सूची और भारत

### चर्चा में क्यों?

अमेरिकी वाणिज्य मामलों की एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (United States Trade Representative-USTR) ने विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की नई सूची जारी की है।

### मुख्य बिंदु:

- USTR द्वारा जारी की गई इस सूची के अंतर्गत शामिल देशों को 'काउंटर वेलिंग ड्यूटी' इन्वेस्टीगेशन के संदर्भ में रियायत दी जाती है।

क्या है काउंटर वेलिंग ड्यूटी (CVD)?

- यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक कर है जिसका प्रयोग आयातित वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडी के प्रभाव को न्यून करने के लिये होता है।
- इस कर का उद्देश्य आयातित वस्तु के संदर्भ में किसी समान प्रकृति के घरेलू उत्पाद को मूल्य प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ने से बचाना है।
- यह एक प्रकार का एंटी-डंपिंग टैक्स होता है। डंपिंग अर्थात् जब कोई वस्तु/उत्पाद किसी देश द्वारा दूसरे देश को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है। यह एक अनुचित व्यापार अभ्यास है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक विकृत प्रभाव डाल सकता है।

### पृष्ठभूमि:

- ध्यातव्य है कि अमेरिकी एजेंसी USTR ने वर्ष 1998 में विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी व काउंटर वेलिंग ड्यूटी से संबंधित अनुबंधों के आलोक में विभिन्न देशों को उनके विकास स्तर के अनुसार सूचीबद्ध किया था।
- इस सूची के प्रयोग से USTR यह तय करता है कि किन देशों को रियायत दी जाएगी और कौन से देश काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अंतर्गत शामिल होंगे।

- आमतौर पर जिन देशों को इन विशिष्ट श्रेणियों में नहीं रखा जाता है वे काउंटर वेलिंग ड्यूटी से अपेक्षाकृत कम सुरक्षित रहते हैं।
- आयात बहुत कम होने या आयात पर मिलने वाली सब्सिडी अति-न्यून होने की स्थिति में CVD को समाप्त किया जा सकता है।
- 10 फरवरी, 2020 तक भारत USTR के विकासशील देशों की सूची में शामिल था जिसकी वजह से उसे आयात पर नियत सीमा से अधिक छूट प्राप्त थी किंतु सूची से बाहर होने के कारण अब भारतीय उत्पादों को आयात और सब्सिडी से संबंधित रियायतें नहीं दी जाएंगी।
- नई सूची में 36 विकासशील और 44 अल्पविकसित देश शामिल किये गए हैं।
- यदि कोई देश किसी वस्तु का 3% से कम आयात (अमेरिका में उस वस्तु के कुल आयात का) करता है तो इसे उस वस्तु का नगण्य आयात माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में यह सीमा 4% है।
- किसी वस्तु का अमेरिका में विभिन्न देशों का कुल आयात 7% होने पर उसे नगण्य आयात की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।
- कोई देश कम आय वाले देशों की श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं इसका निर्धारण USTR निम्नलिखित बिंदुओं के आलोक में करता है ।
    - प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या GNI
    - विश्व व्यापार में हिस्सेदारी
    - अन्य कारक जैसे आर्गेनाईजेशन फॉर इकोनोमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) की सदस्यता या सदस्यता के लिये आवेदन, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता या G20 की सदस्यता।
- भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। जहाँ इन सभी देशों की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी कम-से-कम 0.5% है, वहीं सकल राष्ट्रीय आय 12,375 डॉलर (विश्व बैंक के द्वारा उच्च आय वाले देशों की सीमा) से कम है।
- USTR के अनुसार, G20 का सदस्य होने के कारण भारत को विकासशील देशों की सूची में स्थान नहीं दिया गया है।
- USTR के अनुसार, G20 का आर्थिक प्रभाव और विश्व व्यापार में हिस्सेदारी सदस्य देशों का विकसित होना सुनिश्चित करती है।

### भारत पर प्रभाव:

- अब तक भारत के लिये भारत-अमेरिका व्यापार संबंध काफी फ़ायदेमंद रहा है। वर्ष 2018 में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार (कुल निर्यात का तक़रीबन 16.0%) था। तथाकथित नियमों में बदलाव के कारण भारतीय निर्यात प्रभावित होगा।

अमेरिका पर प्रभाव:

- USTR के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत और अमेरिका के बीच 142.6 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ इसमें अमेरिकी निर्यात 58.7 बिलियन डॉलर का तथा भारतीय आयात 83.9 बिलियन डॉलर मूल्य का था जिसके कारण अमेरिका का भारत से व्यापार घाटा वर्ष 2018 में 25.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- अमेरिका के द्वारा व्यापारिक नियमों में बदलाव कर व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है।

### आगे की राह:

- भारत और अमेरिका के बीच चल रहे द्विपक्षीय व्यापार मतभेदों का हल निकालने के लिये दोनों देशों की तरफ से प्रयास किये जा रहे हैं।
- भारत और अमेरिका एशिया में एक बड़े सामरिक साझीदार बनकर उभर रहे हैं ऐसे में भारत के द्वारा चीन को काउंटर करने के लिये अमेरिका के साथ संबंधों का बेहतर होना बेहद ज़रूरी है।

### क्या है USTR ?

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना सन 1962 ई. में स्पेशल ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में हुई थी।
- यह एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये व्यापार नीति विकसित करने और इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से सिफारिश करने के लिये उत्तरदायी है तथा इसके द्वारा ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर व्यापार वार्ता आयोजित की जाती है ।

## कानाक्कले/गैलीपोली की लड़ाई

### चर्चा में क्यों ?

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने पाकिस्तान में जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत की नीति की आलोचना की और इसकी तुलना प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान तुर्की में कानाक्कले/गैलीपोली की लड़ाई (Battle of Canakkale/Gallipoli) से की।

### मुख्य बिंदु:

- कानाक्कले की लड़ाई जिसे गैलीपोली अभियान (Gallipoli Campaign) या डार्डानेल्स अभियान (Dardanelles Campaign) के रूप में भी जाना जाता है, प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान की सबसे अधिक रक्तपात वाली घटनाओं में से एक मानी जाती है।
- प्रथम विश्वयुद्ध में ओटोमन सेना ने मित्र देशों की सेना के खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें दोनों तरफ के दस हज़ार से भी अधिक लोग मारे गए थे।
- मार्च 1915 में यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान पहले विंस्टन चर्चिल ने फिर ब्रिटेन के पहले लॉर्ड एडमिरल्टी ने तुर्की के डार्डानेल्स (Dardanelles) को नियंत्रण में लेने की योजना तैयार की।

### डार्डानेल्स ( Dardanelles ) का सामरिक महत्त्व:

- डार्डानेल्स सामरिक जलसंधि है जो मरमारा सागर (Marmara) को एजियन सागर (Aegean Sea) और भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) से जोड़ती है।
- डार्डानेल्स पर ब्रिटेन का अधिकार हो जाने से वे (मित्र देश) कांस्टेंटिनोपल (Constantinople) जिसे आज का इस्तांबुल कहा जाता है, तक पहुँच गए।
    - गौरतलब है कि कांस्टेंटिनोपल बोस्पोरस (Bosporus) के मुहाने पर स्थित है। बोस्पोरस अंतर्राष्ट्रीय नेवीगेशन के लिये इस्तेमाल की जाने वाली विश्व की सबसे संकरी जलसंधि है। बोस्पोरस काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है।
- मित्र देशों ने उम्मीद जताई कि कांस्टेंटिनोपल पर कब्ज़ा करके तुर्की को विभाजित किया जा सकता है जो जर्मनी के पक्ष में युद्ध कर रहा था।
- मित्र राष्ट्रों ने डार्डानेल्स के तट पर स्थित किलों में भारी बमबारी की किंतु वे विफल हो गए। इस ऑपरेशन में मित्र राष्ट्रों ने नौसेना का इस्तेमाल किया जो उस समय के सबसे बड़े नौसैनिक ऑपरेशनों में से एक था।
- जनवरी 1916 तक चली इस नौ महीनों की लड़ाई में लगभग 8,000 ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के साथ 40,000 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए, जबकि तुर्की के लगभग 60,000 सैनिक मारे गए।

### इस लड़ाई का परिणाम:

- इस लड़ाई के परिणामस्वरूप विंस्टन चर्चिल की पदावनति हुई और मुस्तफा कमाल अतातुर्क (Mustafa Kemal Ataturk) के युवा नेतृत्व में तुर्की का उदय हुआ।
    - किंतु गैलीपोली की विरासत अपने सैन्य पहलुओं से बहुत आगे निकल जाती है, यह घटना आज आधुनिक तुर्की की पहचान के केंद्रीय स्तंभों में से एक है।
- इस गैलीपोली अभियान में ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड के कई सैनिकों के शहीद हो जाने के कारण इन दोनों देशों में भी राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण हुआ।

नोट :

# विदेश मंत्रालय का पुनर्गठन

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने भारत के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ साम्यता स्थापित करने के लिये स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े प्रशासनिक सुधारों में से एक, विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs-MEA) के पुनर्गठन का फैसला किया है।

## प्रमुख बिंदु

- सरकार ने संस्कृति, व्यापार और विकास जैसे विषयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिये विदेश मंत्रालय के पुनर्गठन का निर्णय लिया है।
- इस पुनर्गठन द्वारा सात अतिरिक्त सचिवों (Additional Secretaries) को सशक्त कर विभिन्न डिवीज़नों का कार्य विभाजन किया जाएगा।
- इस पुनर्गठन का उद्देश्य दीर्घकालिक प्रभाव क्षेत्रों की पहचान कर अतिरिक्त सचिवों को एकीकृत कार्यों की निगरानी के लिये सशक्त बनाना है।
- साथ ही व्यापार और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में बाहरी विशेषज्ञता को शामिल करना तथा सांस्कृतिक शक्ति एवं विकास भागीदारी में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।

## पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों?

- सचिव स्तर के अधिकारी दिन-प्रतिदिन के कर्त्तव्यों के साथ विभिन्न मंत्रालयों से समन्वय भी स्थापित करते हैं जिससे उन पर अत्यधिक कार्य दबाव और आवश्यक रणनीतिक कार्यों के लिये समय का अभाव था।
- सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, पर्यटन जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देने और प्रवासी भारतीयों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिये सरकार के प्रयासों को मज़बूत करने की आवश्यकता थी।
- यह भारत को सॉफ्ट पावर (Soft Power) के वाहक के रूप में स्थापित करने में सहायता करेगा।

## महत्त्व

- पुनर्गठन के बाद निर्मित संरचना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वार्ता के दौरान दूसरे पक्ष की वार्ता रणनीति तथा अंतिम चरण में होने वाले अपरिहार्य ट्रेड-ऑफ ( एक परिस्थितिजन्य निर्णय है जिसमें विशेष लाभ के लिये किसी अन्य लाभ की गुणवत्ता या मात्रा को कम करना या समाप्त करना शामिल है) के अग्रिम निहितार्थ का आकलन करने में सक्षम होगी।
- इस पुनर्गठन से यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर कार्यरत डिवीज़न तथा हिंद महासागर और भारत-प्रशांत क्षेत्र में कार्यरत डिवीज़न का एकीकरण कर दिया गया है।
- एकीकरण के बाद गठित डिवीज़न वैश्विक स्थलीय सुरक्षा के साथ समुद्री सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

## सॉफ्ट पावर

- इसके अंतर्गत कोई देश परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है।
- इसमें आक्रामक नीतियों या मौद्रिक प्रभाव का उपयोग किये बिना अन्य देशों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है।
- सॉफ्ट पॉवर की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ न्ये (Juseph Nye) द्वारा किया गया था।

## चिंताएँ

- रणनीतिक लक्ष्यों पर अधिक ध्यान न दे पाना तथा वैश्विक मुद्दों पर समसामयिक जानकारी का अभाव होना।
- वैश्विक भूमिका निभाने की हमारी क्षमता और प्रदर्शन के बीच विद्यमान अंतर को समाप्त करने के लिये सकारात्मक विज़न का अभाव।
- प्रोद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने हेतु सॉफ्ट पावर रणनीति का अत्यधिक प्रयोग।

नोट :

- सार्वजनिक नीति और अनुसंधान डिवीज़न की अस्पष्ट भूमिका।
- भारत के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ समरूपता का अभाव।

### दीर्घकालिक सामरिक रणनीति

- सामरिक रणनीति तब अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब संसाधनों की आपूर्ति कम हो, कोई भी राष्ट्र वैश्विक महत्त्वाकांक्षाओं का दावा तभी कर सकता है जब उसका सकल घरेलू उत्पाद अधिक हो।
- भारत को सामरिक क्षेत्र में मुख्य अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित होने के लिये दीर्घकालिक प्रतिक्रिया नीति की आवश्यकता है।
- दीर्घकालिक सामरिक रणनीति के निर्माण में बेहतर आर्थिक विकास दर एक प्रमुख कारक है।

### आगे की राह

- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत को स्थापित करने के लिये भारतीय विदेश नीति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
- विदेश मंत्रालय के प्रत्येक डिवीज़न की स्पष्ट भूमिका का होना अति आवश्यक है। भूमिका के स्पष्ट विभाजन से आपसी समन्वय स्थापित करने में आसानी होती है।
- सरकार को शीघ्रता से दीर्घकालिक सामरिक रणनीति के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

## यूरोपीय संघ की डेटा रणनीति

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के मानव-केंद्रित विकास को सुनिश्चित करने के लिये यूरोपीय संघ की डेटा रणनीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक श्वेत-पत्र जारी किया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- नया दस्तावेज़ यूरोपीय संघ (European Union- EU) की विभिन्न परियोजनाओं, विधायी रूपरेखा और पहलों के लिये एक समयसीमा प्रस्तुत करता है।
- यह रणनीति सिलिकन वैली (Silicon Valley) के अधिकारियों और ब्रसेल्स के नियामकों के बीच बैठकों की शृंखला का अनुसरण करती है।
- मार्क ज़ुकरबर्ग के यूरोप के अधिकारियों से मिलने के बाद फेसबुक ने भी कंटेंट रेगुलेशन के लिये अपना प्रस्ताव जारी किया था जिसे यूरोपीय नियामकों ने खारिज कर दिया।

### EU की डेटा रणनीति के मुख्य बिंदु

- EU डेटा रणनीति के माध्यम से यूरोपीय संघ के भीतर डेटा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करना चाहता है साथ ही यह वर्ष 2030 तक डेटा एकल बाज़ार (Data Single Market) निर्मित कर यूरोप के स्थानीय प्रौद्योगिकी बाज़ार को मज़बूत करना चाहता है।
- डेटा एजाइल अर्थव्यवस्था (Data Agile Economy) के विकास के लिये आयोग वर्ष के उत्तरार्द्ध तक "सामान्य यूरोपीय डेटा स्पेस के शासन के लिये सक्षम विधायी फ्रेमवर्क" को लागू करना चाहता है।
- वर्ष 2021 की शुरुआत तक यूरोपीय आयोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application Programming Interfaces- APIs) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उच्च मूल्य वाले डेटा को मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। ध्यातव्य है कि API दो अलग-अलग एप्लीकेशन्स के बीच आपसी संपर्क स्थापित करने का एक विकल्प है।
- वर्ष 2021 से 2027 के बीच डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिये एक उच्च प्रभाव वाली परियोजना में निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लाउड सेवा बाज़ार सहित कई अन्य पहलें भी इस रणनीति के तहत प्रस्तावित हैं।

### इस संदर्भ में भारतीय प्रयास

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2012 में नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (National Data Sharing and Accessibility Policy- NDSAP) को मंज़ूरी दी थी। इस पहल के तहत सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ सार्वजनिक उपयोग के लिये सरकारी डेटा की साइट data.gov.in को जारी किया था।
- वर्ष 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया था।
- नीति आयोग द्वारा नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (The National Data & Analytics Platform), स्मार्ट सिटीज़ मिशन (इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (DISHA डैशबोर्ड) के माध्यम से डेटा एकीकरण से संबंधित अन्य प्रयास किये जा रहे हैं।
- वर्ष 2018 से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र PwC और अन्य विक्रेताओं के साथ डेटा विश्लेषण के लिये उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर काम कर रहा है। ग़ौरतलब है कि इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य डेटा विश्लेषण प्रदान करना है।

### EU के इस कदम के महत्त्व

- प्रौद्योगिकी विनियमन में यूरोप सबसे आगे रहा है। वर्ष 2018 में जारी इसका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (General Data Protection Regulation- GDPR) एक गेम-चेंजर साबित हुआ। हालिया रणनीति में भी GDPR को डिजिटल ट्रस्ट के लिये ठोस रूपरेखा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार यह वैश्विक स्तर पर डेटा रणनीति के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- भारत के वर्तमान व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (Personal Data Protection-PDP) विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) द्वारा चर्चा की जा रही है। इस विधेयक में विभिन्न संस्थाओं के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे सरकार को आवश्यकतानुसार गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रदान करें। ध्यातव्य है कि यह अक्तूबर 2018 में न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति द्वारा प्रस्तावित मसौदे में शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त इस विधेयक के अनेक उपबंध भारत की डेटा इकोनॉमी को सुदृढ़ करने से संबंधित हैं।
- ध्यातव्य है कि EU की यह डेटा रणनीति, भारत को अपनी डेटा रणनीति बनाने तथा डेटा संरक्षण एवं डेटा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- EU के इस कदम का यूरोपीय देशों एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों पर प्रभाव
- इससे यूरोपीय देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकेगी तथा प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं सरकारों के बीच चल रहे संघर्ष को कम किया जा सकता है।
- EU का यह कदम विभिन्न देशों को इस दिशा में व्यक्तिगत कानून एवं रणनीतियाँ बनाने के लिये प्रेरित करेगा।

आगे की राह:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानव-केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है तथा भारत को भी इस दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयास करना चाहिये।
- सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा की मुफ्त उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही डेटा सुरक्षा से संबंधित प्रयास किये जाने चाहिये।

## भारत और मालदीव

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और मालदीव के उनके समकक्ष के बीच मुलाकात में सुरक्षा, पुलिसिंग एवं कानून प्रवर्तन, आतंकवाद-रोधी अभियान, कट्टरता-रोधी सहयोग, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और क्षमता निर्माण जैसे द्विपक्षीय मुद्दों के सहयोग पर चर्चा की गई।

### संबंधों की पृष्ठभूमि:

- ऐतिहासिक दृष्टि से भारत-मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जहाँ प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषायी, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक जैसे साझा संबंध रहे हैं। वर्ष 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र मालदीव को मान्यता देने तथा उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रारंभिक देशों में भारत शामिल था।

## मालदीव गणराज्य:

- मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किमी. है, जो हिंद महासागर में श्रीलंका के 600 किमी. दक्षिण पश्चिम में 1,200 प्रवाल द्वीपों में विस्तृत है, जिनमें से केवल 202 द्वीपों पर ही निवास है।
- इन द्वीपों की औसत ऊँचाई लगभग एक मीटर है।
- यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम धर्म है जो की कुल जनसंख्या का लगभग 99.04% है।

## राजनीतिक संबंध:

- राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने मालदीव का दौरा किया, मालदीव की ओर से भी पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के कई दौरे किये। इसके अलावा उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय यात्राओं का भी नियमित आदान-प्रदान होता रहा है।
- भारत और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा दक्षेस जैसे बहुपक्षीय मंचों में लगातार एक-दूसरे का समर्थन किया है।

## द्विपक्षीय सहायता:

- मालदीव के विकास में भारत एक प्रमुख भागीदार रहा है और उसने मालदीव के कई प्रमुख संस्थानों की स्थापना करने में मदद की है।
- भारत ने मालदीव को उसकी आवश्यकता के समय हमेशा सहायता की पेशकश की है, 26 दिसंबर 2004 को मालदीव में आई सुनामी के बाद मालदीव को राहत और सहायता पहुँचाने वाला भारत पहला देश था।
- जुलाई 2007 में भी ज्वारीय घटनाओं में वृद्धि के बाद भारत ने 10 करोड़ रुपए प्रदान किये।
- वर्तमान में भारत ने मालदीव को 100 मिलियन डॉलर की स्टैंड-बाय क्रेडिट सुविधा (SCF) प्रदान की है।

## क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:

- भारत अनेक योजनाओं के तहत मालदीव के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है और उसने मालदीव के शिक्षा क्षेत्र में 'तकनीक अनुकूलन कार्यक्रम' के तहत 5.30 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण किया।
- इनके अलावा मालदीव के कई राजनयिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

## आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

- भारत और मालदीव ने वर्ष 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये थे जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। इस मामूली शुरुआत से आगे बढ़कर द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

## मालदीव में भारतीय व्यापार:

- भारतीय स्टेट बैंक फरवरी 1974 से मालदीव के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- साथ ही ताज ग्रुप ऑफ इंडिया, रेजीडेंसी समूह, टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जैसी अनेक कम्पनियाँ वर्तमान में मालदीव में कार्य कर रही हैं।

## पीपल-टू-पीपल संपर्क:

- दोनों देशों की निकटता और हवाई संपर्क में सुधार के कारण पर्यटन तथा व्यापार के लिये मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं भारत भी शिक्षा, चिकित्सा उपचार, मनोरंजन एवं व्यवसाय के लिये मालदीव का पसंदीदा स्थान है।

## सांस्कृतिक संबंध:

- दोनों देशों का लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है और इन संबंधों को और मज़बूत करने के लिये निरंतर प्रयास जारी है।
- जुलाई 2011 में माले में स्थापित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र योग, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है।

### भारतीय समुदाय:

- मालदीव में लगभग 26,000 भारतीय रह रहे हैं, यह दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

### वर्तमान परिदृश्य एवं संबंधित समस्याएँ:

- भारत द्वारा हाल ही के वर्षों में 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ' (SAARC) के स्थान पर 'बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी की पहल' (BIMSTEC) को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप भारत का मालदीव के प्रति बदलता दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है।
- मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के नज़दीक और हिंद महासागर में महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। मालदीव में चीन जैसी किसी प्रतिस्पर्द्धी शक्ति की मौजूदगी भारत के सुरक्षा हितों के संदर्भ में उचित नहीं है।
- चीन वैश्विक व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के माध्यम से मालदीव जैसे देशों में तेज़ी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन भी 'इंडिया फर्स्ट' की नीति अपनाने का ज़ोर-शोर से दावा करते थे लेकिन जब भारत ने उनके निरंकुश शासन का समर्थन नहीं किया तो उन्होंने चीन और पाकिस्तान का रुख कर लिया। इस संदर्भ में तीन वजहों से भारत की चिंताएँ उभरकर सामने आई थीं।
  - पहली, मालदीव में चीन की आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति में वृद्धि।
  - दूसरी, भारतीय परियोजनाओं और विकास गतिविधियों में व्यवधान, जिसकी वजह से भारत के तकनीकी कर्मचारियों को मालदीव द्वारा वीज़ा देने से इनकार किया जाना।
  - तीसरी, इस्लामी कट्टरपंथियों का बढ़ता डर।

### समस्या से निपटने के प्रयास:

- भारत ने विश्वास बहाली उपायों को अपनाने को लगातार महत्त्व दिया है।
- प्रत्यक्ष सहायता के स्थान पर विकास कार्यों में सहयोग करने की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों में वृद्धि हुई है।

### आगे की राह:

- मालदीव का भारत के लिये बहुत अधिक रणनीतिक महत्त्व है, अत: भारत के लिये मालदीव के साथ मधुर संबंध बनाए रखना समय और परिस्थिति दोनों दृष्टिकोणों से आवश्यक है। हाल ही में मालदीव में सत्ता परिवर्तन भारत के लिये सकारात्मक प्रतीत होता है, किंतु मालदीव में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने हेतु भारत को यह अवसर भुनाना होगा। अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को नई सत्ता के साथ समझदारी से काम लेते हुए मालदीव का साथ देना होगा।

## भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

### चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पहले दो दिवसीय भारतीय दौरे पर आए हैं। भारत एवं अमेरिका विभिन्न मौकों पर आपसी व्यापार संबंधों को मज़बूत बनाने का संकल्प लेते रहे हैं।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अमेरिका के टेक्सास में 'हाउडी मोदी कार्यक्रम' के बाद यह दूसरा मौका है जब भारत के मोटेरा स्टेडियम में 'नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम' के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति एवं भारतीय प्रधानमंत्री एक मंच पर साथ दिखाई देंगे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा को भारत-अमेरिका के मज़बूत कूटनीतिक रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है तथा इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न प्रकार के द्विपक्षीय समझौतों के संपन्न होने की भी संभावना है।

### भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

- भारत अपने उद्योग और सेवा क्षेत्रों के विकास हेतु विकसित बाज़ारों में अपनी बेहतर पहुँच बना रहा है। इनमें अमेरिका भी शामिल है जो पिछले दो दशकों से वस्तु और सेवाओं दोनों मामलों में भारत का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है।

- भारत, अमेरिका के साथ व्यापार आधिक्य की स्थिति में है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017-18 में भारत का व्यापार आधिक्य 21 बिलियन डॉलर का रहा। हालाँकि अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा, अमेरिका के चीन के साथ व्यापार घाटे (वर्ष 2019 में लगभग 340 बिलियन डॉलर) का केवल 1 प्रतिशत है।
- चीन के बाद अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार वर्ष 2018 में 142.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। वर्ष 2019 में भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार आधिक्य 16.9 बिलियन डॉलर का था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका वस्तु व्यापार के संदर्भ में के लिए भारत के शीर्ष व्यापार भागीदारों में से है एवं भारत इसका आठवाँ सबसे बड़ा भागीदार है।
- भारत-अमेरिका के बीच सैन्य व्यापार दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में अहम भूमिका निभा रहा है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की निर्भरता इस क्षेत्र में रूस से कम होकर अमेरिका पर बढ़ गई है।

## भारत-अमेरिका के मध्य व्यापार से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे

- भारत-अमेरिकी व्यापार सौदे पर बातचीत वर्ष 2018 से चल रही है, लेकिन टैरिफ (आयातों पर कर या शुल्क), सब्सिडी, बौद्धिक संपदा, डेटा संरक्षण और कृषि एवं डेयरी उत्पादों तक पहुँच इत्यादि बिंदुओं पर असहमति के कारण यह अभी तक सफल नहीं हो सकी।
- हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हुए अमेरिका सदैव यह शिकायत करता रहा है कि भारत एक टैक्स किंग है जो अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं के आयात पर टैरिफ लगाता है। अत: भारत-अमेरिका के बीच व्यापार में भारत द्वारा टैरिफ में वृद्धि एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
- वर्ष 2018 में अमेरिका ने भारत सहित विभिन्न देशों से स्टील आयात पर 25% और एल्युमीनियम आयात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया था जिसके कारण भारत के इस्पात निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 के 3.3% से कम होकर वर्ष 2018-19 में 2.5% रह गई है। भारत ने मार्च 2018 में WTO में अमेरिकी फैसले को चुनौती भी दी थी। अत: अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया जाने वाला कर भी दोनों देशों के बीच अहम मुद्दा है।
- अमेरिका ने जून 2019 में सामान्य प्राथमिकता प्रणाली (Generalized System of Preferences- GSP) के तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस प्रकार GSP भी भारत और अमेरिकी व्यापार संबंधों में एक बड़ा मुद्दा है। ध्यातव्य है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से भी हटा दिया है जो कि GSP विवाद को एक नया आयाम प्रदान करता है क्योंकि GSP का फायदा केवल विकासशील देशों को प्रदान किया जाता है।
- अमेरिका लंबे समय से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों एवं चिकित्सा उपकरणों की भारत में अधिक पहुँच की माँग करता रहा है। भारत द्वारा अपने घरेलू कृषि और डेयरी उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु RCEP समझौते से बाहर निकलने का एक प्रमुख कारण था, साथ ही भारत अपने बाज़ार एवं देशवासियों के हितों की रक्षा हेतु अमेरिकी वस्तुओं के व्यापक आयात का विरोध करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे से द्विपक्षीय संबंधों पर संभावित प्रभाव

- अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे से भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न मुद्दों, जैसे- मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement- FTA), GSP, निवेश संवर्द्धन, IPR इत्यादि के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है।
- इसके अतिरिक्त आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के समाधान को लेकर दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रयास किया सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी वीज़ा नियमों में ढील देने संबंधी वार्ता भी हो सकती है जो भारत-अमेरिका संबंधों को एक अलग आयाम प्रदान करेगा।
- अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा न केवल व्यापारिक या कूटनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है बल्कि दोनों देशों के सांस्कृतिक, सामरिक एवं लोकतांत्रिक संबंधों की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। गौरतलब है कि भारत द्वारा ईरान एवं रूस के संदर्भ में अमेरिकी प्रतिबंधों को नज़रअंदाज़ किये जाने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत दौरा अमेरिका और भारत के मज़बूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है।
- इसके अतिरिक्त अमेरिका का साथ भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे- NSG, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने इत्यादि में अहम साबित हो सकता है।
- साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के विकास एवं हस्तक्षेप के संदर्भ आपसी समझौतों की उम्मीद है।]
- वैश्विक आर्थिक मंदी के समय जहाँ भारत का वैश्विक निर्यात लगातार गिर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा देश के लिये अन्य बाज़ारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में विविधता लाने और उन्हें मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

### आगे की राह

- भारत एवं अमेरिका को अपने कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है तथा दोनों देशों के बीच उत्पन्न व्यापार मुद्दों को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिये।
- भारत को अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में प्रैगमैटिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

## रियाद में G-20 देशों की बैठक

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में G-20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि किसी अरब देश में पहली बार इस बैठक का आयोजन किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस बैठक का आयोजन वैश्विक अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस महामारी के खतरों पर चर्चा करने के लिये किया गया।
- भारतीय वित्त मंत्री ने 23 फरवरी, 2020 को आह्वान किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजस्व एजेंसियों के बीच करीबी सहयोग स्थापित किया जाए ताकि कर जाँच से बचने के लिये सीमा पार करने वाले अपराधियों के कर मामलों की जाँच की जा सके।
- इस बैठक की थीम 'सभी के लिये 21वीं सदी के अवसरों का एहसास' (Realising Opportunities of the 21st Century for All) थी।

### भारत द्वारा दिये गए सुझाव

- भारतीय वित्त मंत्री ने बैठक में कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट (Corporate Bond Market) को मज़बूत करने और निजी ऋण एवं सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।
- उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास लागत कुशल विवाद निवारण तंत्र (Cost Efficient Dispute Prevention Mechanism) के साथ डिजिटलीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिये एक नई अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली (International Tax System) को डिज़ाइन/तैयार करने का एक अनूठा अवसर है।
- बुनियादी ढाँचे के विकास के संबंध में वित्त मंत्री ने सभी राष्ट्रों को किसी भी सामान्य निर्धारित दृष्टिकोण को विकसित करने से परहेज करने का सुझाव दिया क्योंकि विभिन्न देश बुनियादी ढाँचे में प्रौद्योगिकी को अपनाने के विभिन्न चरणों में हैं।

### पूंजी बाज़ार को सशक्त करने हेतु किये गए भारतीय प्रयास

- ध्यातव्य है कि भारत द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पहचान की गई श्रेणियों के लिये पूंजी नियंत्रण को समाप्त करने और कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार पर FPI की सीमा में वृद्धि जैसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- 1 फरवरी को घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्तमंत्री ने कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को विस्तृत और मज़बूत करने के लिये कई कदमों की घोषणा की थी।
- केंद्र सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfilio Investors- FPIs) के लिये निवेश सीमा को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर कॉर्पोरेट बॉण्ड के बकाया स्टॉक के 15 प्रतिशत तक कर दिया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले साल दिसंबर में सरकारी प्रतिभूतियों के साथ-साथ अल्पकालिक बॉण्ड में FPI निवेश की सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट (Cradit Default Swaps Market) के विस्तार के लिये एक कानून बनाने का भी प्रस्ताव दिया है।
- केंद्र सरकार ने एक नया डेट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (Debt Exchange Traded Fund) बनाए जाने का भी प्रस्ताव किया है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities) शामिल होंगी, ताकि खुदरा निवेशकों को प्रस्तावित Debt ETF में इकाइयों के माध्यम से सरकारी बॉण्ड की एक बास्केट खरीदने में आसानी हो। ध्यातव्य है कि खुदरा निवेशक वे हैं जिन्होंने अभी तक सरकारी प्रतिभूति मार्केट (G-Sec Market) में ज़्यादा निवेश नहीं किया है।

### बैठक का महत्त्व

- बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक चर्चा की गई जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक सुधारों की दृष्टि से किये गए घरेलू प्रयासों को साझा किया गया जो अन्य देशों को चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे।
- कोरोना वायरस जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा की गई जो कि इस बीमारी पर नियंत्रण पाने में सहायक सिद्ध होगा।
- बैठक में उल्लिखित नई अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली वैश्विक स्तर पर कर चोरी की समस्या को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- इसके अतिरिक्त G-20 देशों की यह बैठक इन देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2020 का G-20 सम्मेलन भी रियाद में ही 21-22 नवंबर, 2020 को आयोजित किया जाना है।

### आगे की राह

- सभी देशों को मिलकर कोरोना वायरस जैसी बीमारी से निपटने एवं उसके प्रभाव को कम करने की दिशा में व्यापक प्रयास करना चाहिये।
- इसके अलावा बैठक में चर्चित नई अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिये जिससे वैश्विक स्तर पर कर चोरी पर अंकुश लगाया जा सके।
- इसके अतिरिक्त सभी देशों को मिलकर विश्व कल्याण को ध्यान में रखते हुए आगामी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिये।

## अमेरिका-ईरान तनाव और भारत

### चर्चा में क्यों?

वर्तमान में अमेरिका-ईरान तनाव का दौर अपने चरम पर है। ऐसी स्थिति में भारत के लिये दोनों देशों के साथ अपने संबंधों में संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहता है परंतु तेहरान और वाशिंगटन के बीच उत्पन्न तनाव नई दिल्ली के प्रयासों में बाधक बन रहा है।

### प्रमुख बिंदु

- भारत के आर्थिक और राजनीतिक हित ईरान में केंद्रित हैं। ईरान वर्ष 2019 में भारतीय चाय के शीर्ष खरीदार के रूप में उभरा है।
- नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, ईरान ने वर्ष 2019 में 53.3 मिलियन किलोग्राम चाय का भारत से आयात किया।
- चाय के व्यापार को सुचारु रूप से संचालित करने तथा अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिये दोनों देशों ने रुपया-रियाल आधारित भुगतान प्रणाली विकसित की है।
- चाय निर्यात में इस वृद्धि के बावजूद खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण भारत-ईरान वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार बाधित हुआ है।

### भारत के रणनीतिक हित

- अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ईरानी बंदरगाह चाबहार भारत के लिये एक रणनीतिक महत्त्व के केंद्र के रूप में उभरा है।
- बंदरगाह के विस्तार एवं विकास के लिये ईरान ने भारत और अफगानिस्तान के साथ सहयोग करने का वादा किया है।
- ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) पर स्थित चाबहार बंदरगाह इस क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव में एक फ्लैशपॉइंट बन गया है क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (The Strait of Hormuz) से गुज़रना नहीं पड़ता है।

### स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़

- यह जलमार्ग ईरान को ओमान से अलग करता है तथा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- खाड़ी देशों से अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी जलमार्ग के माध्यम से किया जाता है।

- विश्व में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (liquefied natural gas-LNG) के सबसे बड़े निर्यातक कतर द्वारा भी गैस के परिवहन के लिये इसी नौवहन मार्ग का उपयोग किया जाता है।
- अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं किया है क्योंकि वे इसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के एक अवसर के रूप में देखते हैं।
- अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध न लगाए जाने से भारतीय निवेशक निवेश हेतु उत्साहित हैं।

### खाड़ी संकट का प्रभाव

- ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से वैश्विक रूप से तेल का एक-चौथाई और प्राकृतिक गैस के एक-तिहाई हिस्से का परिवहन किया जाता है।
- भारत अपने 65% तेल का आयात इस नौवहन मार्ग से करता है। अगर सैन्य तनाव के कारण इस यातायात को बाधित किया गया, तो तेल की वैश्विक कीमत पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से खतरनाक तो है ही, ऊर्जा सुरक्षा को भी गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है। कच्चे तेल की कीमत में तेज़ी से भारत के बजट और चालू खाता घाटे पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
- खाड़ी में किसी भी प्रकार के संघर्ष से लगभग आठ मिलियन भारतीयों पर प्रभाव पड़ेगा जो इस क्षेत्र से रोज़गार पा रहे हैं और यहाँ निवास करते हैं।
- यहाँ किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में उन्हें अपना रोज़गार और निवास स्थान छोड़ना पड़ेगा जिसके कारण भारत को प्रेषण के रूप में प्राप्त होने वाले लगभग 40 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा।
- खाड़ी में किसी भी प्रकार का संकट अफगानिस्तान में स्थिति को बदतर बना सकता है और मध्य-पूर्व में शांति-प्रक्रिया को ठप कर सकता है। अफगानिस्तान की स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिये काफी मायने रखती है।

### सऊदी प्रायद्वीप का महत्त्व

- तात्कालिक रूप से भारत के संबंध तेहरान के अलावा सऊदी प्रायद्वीप से भी समान रूप से उपयोगी हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी और एक प्रमुख निवेशक भी है।
- सरकार को सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात से संप्रभु धन कोष और विप्रेषित धन (Remittance) प्राप्त होता है जिसका उपयोग भारत में बुनियादी ढाँचा निर्माण में किया जाता है।
- दोनों देश भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को निवेश के लिये एक प्रमुख गंतव्य के रूप में देखते हैं।
- दूसरी ओर ईरान को पश्चिम एशिया में भारत की क्षेत्रीय नीति के तीन स्तंभों में से एक माना जाता है क्योंकि यह भारत के लिये विशाल तेल और गैस संसाधनों के साथ-साथ भू-राजनीतिक महत्त्व रखता है।
- ईरान भारत को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिसके माध्यम से भारत, पाकिस्तान द्वारा अवरुद्ध अपनी यूरेशियाई महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है।

# भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिये विज़न और सिद्धांतों (Vision and Principles) पर संयुक्त वक्तव्य (Joint Statement) जारी किया।

### भारत-अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र (Agreement Letter):

- मानसिक स्वास्थ्य पर सहमति पत्र
- चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा पर सहमति पत्र
- सहयोग पत्र

## व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी:

- भारत-अमेरिका ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिये आपसी विश्वास, साझा हित, साख तथा नागरिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया।
- रक्षा क्षेत्र:
  - रक्षा और सुरक्षा सहयोग की मज़बूती जिसमें विशेष रूप से समुद्री और अंतरिक्ष में जागरूकता एवं सूचना साझा करने के माध्यम से सहयोग पर दोनों राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
  - सैन्य संपर्क, उन्नत प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, उन्नत रक्षा घटकों का सह-उत्पादन तथा रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर बल देने के साथ ही दोनों देशों ने 'बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते' (Basic Exchange and Cooperation Agreement- BECA) सहित अन्य रक्षा समझौतों को शीघ्र पूरा करने के लिये तत्परता ज़ाहिर की है।
  - दोनों देशों ने मानव तस्करी, आतंकवाद और हिंसक अतिवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा साइबर अपराध से लड़ने के लिये सहयोग हेतु सहमति दी तथा द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, समृद्धि, निवेश और रोज़गार सृजन को पूरी क्षमता से आगे बढ़ाने पर बल दिया।
- ऊर्जा सुरक्षा:
  - अपनी सामरिक ऊर्जा भागीदारी के माध्यम से भारत और अमेरिका ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, संबंधित ऊर्जा क्षेत्रों में नवाचार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत भी अपने कोकिंग/धातुकर्म कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात में विविधता लाना चाहता है।
  - भारत में छह परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिये जल्द-से-जल्द तकनीकी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने हेतु दोनों देशों ने कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग पर दोनों देशों ने संतोष व्यक्त किया है। दुनिया के पहले दोहरे-आवृत्ति वाले 'नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह' (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar-NISAR) उपग्रह को वर्ष 2022 तक विकसित कर उसे लॉन्च किया जाएगा।
  - इसके अलावा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मंगल और अन्य ग्रहों के लिये मिशन, हेलियोफिज़िक्स (Heliophysics), मानव स्पेसफ्लाइट तथा वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग में अग्रिम मदद पर सहमति दी गई।
  - 'यंग इनोवेटर्स' इंटर्नशिप के माध्यम से उच्च शिक्षा में सहयोग को बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती दवाओं तक उपभोक्ताओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding-MoU) पर हस्ताक्षर करना।
  - भारत और अमेरिका ने एक ऐसे नवीन डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया जो सुरक्षित तथा विश्वसनीय हो।
  - इंडो-पैसिफिक में सामरिक अभिसरण:
- आसियान और हिंद महासागर:
  - दोनों देश एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना चाहते हैं तथा इस सहयोग को आसियान को केंद्र में रखकर आगे बढ़ाना चाहते हैं।
  - अमेरिका, भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के शुद्ध प्रदाता (Net Provider of Security) के साथ-साथ विकासात्मक और मानवीय सहायता के रूप में सराहना करता है।
- दक्षिण चीन सागर:
  - भारत और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में एक सार्थक आचार संहिता (Meaningful Code of Conduct) के निर्माण की दिशा में कार्य करने पर बल दिया है।
- मंचों का निर्माण:

दोनों देश विभिन्न मंचों के माध्यम से समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं-

  - भारत-अमेरिकी-जापान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन।

- ◆ 2+2 भारत तथा अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की मंत्रिस्तरीय बैठक।
- ◆ अमेरिकी-भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान विमर्श के लिये चतुर्भुज।

### ग्लोबल लीडरशिप के लिये साझेदारी:

- संगठनात्मक सुधार:
  - ◆ संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मज़बूती, संरचनात्मक सुधार तथा उनकी सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिये मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की।
  - ◆ अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता, परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group- NSG) में भारत के प्रवेश का समर्थन करने का आश्वासन दिया है।
- विभिन्न क्षेत्रों में पहल:
  - ◆ ब्लू डॉट नेटवर्क (Blue Dot Network) की अवधारणा में दोनों देशों ने रुचि दिखाई है।

### ब्लू डॉट नेटवर्क:

- यह एक बहु-हितधारक पहल है जो वैश्विक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिये सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाएगी।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में अमेरिका की 'वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी' (Women's Global Development and Prosperity- W-GDP) पहल और भारत सरकार के 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग करना।

### W-GDP पहल:

- इस पहल को व्हाइट हाउस अमेरिका ने फरवरी 2019 में वैश्विक महिला आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिये प्रयास के रूप में शुरू किया था। इसके तीन स्तंभ है-
  - ◆ कार्यबल में समृद्ध महिलाएँ
  - ◆ उद्यमी के रूप में सफल होने वाली महिलाएँ
  - ◆ महिलाएँ और सक्षम अर्थव्यवस्था
- इसमें वर्ष 2025 तक विकासशील देशों की 50 मिलियन महिलाओं तक पहुँच स्थापित करना है।

### अफगान नीति:

- भारत और अमेरिका संप्रभु, लोकतांत्रिक, समावेशी, स्थिर तथा समृद्ध अफगानिस्तान चाहते हैं। वे अफगानिस्तान के नेतृत्व व अफगानिस्तान के स्वामित्व वाली ऐसी सरकार चाहते हैं जो शांति और सुलह प्रक्रिया का समर्थन करती हो ताकि वहाँ स्थायी शांति स्थापित की जा सके।

### आतंकवाद रोधी पहल:

- दोनों देशों ने किसी भी प्रकार के आतंवाद तथा सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और अल-कायदा, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल-मुजाहिदीन, हक्कानी-नेटवर्क, डी-कंपनी, एवं उनके सहयोगियों सहित सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया।

### आगे की राह:

- वर्तमान अमेरिकी प्रशासन अपने व्यापार को सामरिक नज़रिये से देखने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में भारत को अपने पड़ोसियों के साथ भी संबंधों को प्रगाढ़ बनाए रखने की आवश्यकता है।

---

## अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता

### चर्चा में क्यों?

अफगानिस्तान में करीब दो दशकों से जारी हिंसा को रोकने के लिये 29 फरवरी, 2020 को खाड़ी देश कतर की राजधानी दोहा में होने वाले अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते के लिये कतर द्वारा भारत को भी आमंत्रित किया गया है।

### मुख्य बिंदु:

- भारत ने दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये अपना प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया है। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिये कतर में भारत के राजदूत 'पी. कुमारन' को भेजने का फैसला किया है।
- यह पहला अवसर होगा कि भारत का कोई आधिकारिक प्रतिनिधि एक ऐसे समारोह में भाग लेगा जहाँ तालिबान के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
- वर्ष 1996 और 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में था, तब भारत ने इसे कूटनीतिक और आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी।

### पृष्ठभूमि:

- तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सोवियत संघ सेना की वापसी के पश्चात् हुआ। उत्तरी पाकिस्तान के साथ-साथ तालिबान ने पश्तूनों के नेतृत्व में अफगानिस्तान में भी अपनी मज़बूत पृष्ठभूमि बनाई।
- विदित है कि तालिबान की स्थापना और प्रसार में सबसे अधिक योगदान धार्मिक संस्थानों एवं मदरसों का था जिन्हें सऊदी अरब द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था।
- अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी के पश्चात् वहाँ कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था और इससे जन-सामान्य बुरी तरह से परेशान था ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक स्थिरता को ध्यान में रखकर अफगानिस्तान में भी तालिबान का स्वागत किया गया।
- प्रारंभ में तालिबान को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर अंकुश लगाने तथा विवादित क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर शांति स्थापित करने जैसी गतिविधियों के कारण सफलता मिली।
- प्रारंभ में दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना प्रभाव बढ़ाया तथा इसके पश्चात् ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर अधिकार कर लिया।
- धीरे-धीरे तालिबान पर मानवाधिकार का उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगने लगे। तालिबान द्वारा विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करने की विशेष रूप से आलोचना की गई।
- तालिबान द्वारा न्यूयॉर्क पर किये गए हमले के पश्चात् इसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव बढ़ा इसके शीर्ष नेता ओसामा बिन लादेन को इन हमलों का दोषी बताया गया।
- पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा फिर से बढ़ा है और पाकिस्तान में भी उसकी स्थिति मज़बूत हुई है।
- अमेरिका द्वारा किसी भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से पहले संघर्ष विराम की मांग की गई थी। शांति समझौते के बाद अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में 19 वर्ष से सक्रिय सैन्य अभियान को समाप्त कर अपने सैनिकों को वापस लाया जा सकेगा।

### समझौते के बारे में:

- 21 फरवरी, 2020 को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा था कि अफगानिस्तान में लंबी अवधि से हिंसा में कमी को देखते हुए 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
- वर्ष 1999 में IC-814 विमान के अपहरण के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत सरकार के प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से तालिबान से जुड़े मामलों में शामिल होंगे।
- माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया भारत दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता के बाद यह नीतिगत बदलाव आया है। वैसे मॉस्को में वर्ष 2018 में तालिबान की मौजूदगी वाली वार्ता में भारत ने अनौपचारिक शिरकत की थी।

### नए परिप्रेक्ष्य में पहला कदम:

- अफगानिस्तान में नई वास्तविकताओं को देखते हुए, भारत अब तालिबान के साथ राजनयिक रूप से जुड़ने के लिये आगे बढ़ रहा है।
- समझौता-हस्ताक्षर समारोह में भारत की उपस्थिति संभवत: कूटनीतिक संबंधों के उदघाटन का पहला संकेत है।
- भारत के अफगानिस्तान में कई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हित हैं, यहाँ भारत ने कई विकास परियोजनाओं पर काम किया है।

### क्या हैं भारतीय चिंताएँ?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान जारी किये गए संयुक्त बयान में अफगानिस्तान पर भारत की चिंताओं को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया था।

- यह संयुक्त बयान अफगान के नेतृत्व वाली और अफगान के स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया के बारे में बात करता है लेकिन यह अफगान को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि यह प्रक्रिया अमेरिका सहित अन्य देशों द्वारा नियंत्रित की जाती है।
- तालिबान का अफगानिस्तान में फिर से स्थापित होने से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये भी एक बड़ा खतरा है। ऐसे में भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि यदि ये समझौता होता है तो क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में न पड़ने पाए।
- भारत की चिंता यह भी है कि अगर अमेरिका अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा लेता है पाकिस्तान अपने यहाँ उत्पन्न हो रहे आतंकवाद को तालिबान और अफगानिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है।
- कई पश्चिमी पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह समझौता अफगानिस्तान में शांति के लिये एक मौका का प्रतिनिधित्व कर सकता है, परंतु भारत और अधिक सतर्क है क्योंकि इससे पाकिस्तान को बल मिलने की संभावना है।

### भारत-अमेरिका और अफगानिस्तान:

- भारत और अमेरिका एकजुट, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समावेशी, स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान में अपने-अपने हित रखते हैं।
- ये दोनों देश अफगान के नेतृत्व वाली और अफगान के स्वामित्व वाली शांति और सुलह प्रक्रिया का समर्थन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान में स्थायी शांति स्थापित हो जिसके फलस्वरूप हिंसा की समाप्ति हो तथा आतंकवादी ठिकानों का विनाश किया जा सके।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को स्थिर बनाने में सहायता करने के लिये विकास और सुरक्षा सहायता प्रदान करने में भारत की भूमिका का स्वागत किया।
- वर्ष 2017 में नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान जारी अंतिम संयुक्त बयान में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र, स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारतीय योगदान का स्वागत किया था।
- अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधित सामरिक भागीदारी के महत्त्व को समझते हुए दोनों देशों ने अफगानिस्तान के भविष्य के समर्थन में परामर्श और सहयोग जारी रखने के लिये प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।
- इस मुद्दे पर भारत अमेरिका के अलावा, अफगानिस्तान, रूस, ईरान, सऊदी अरब और चीन जैसे सभी राजनीतिक सक्रिय पक्षों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है।

### आगे की राह:

- अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत के स्थायी लक्ष्य स्पष्ट हैं- अफगानिस्तान में विकास में लगे करोड़ों डॉलर व्यर्थ न जाने पाएँ, काबुल में मित्र सरकार बनी रहे, ईरान-अफगान सीमा तक निर्बाध पहुँच बनी रहे और वहाँ के पाँचों वाणिज्य दूतावास बराबर काम करते रहें। इस एजेंडे की सुरक्षा के लिये भारत को अपनी कूटनीति में कुछ बदलाव करने भी पड़ें तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिये, क्योंकि यही समय की मांग है।

---

## श्रीलंका गृहयुद्ध और मानवाधिकार संरक्षण

### चर्चा में क्यों?

श्रीलंका ने युद्धोत्तर जवाबदेही एवं सुलह पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से स्वयं को अलग करने की आधिकारिक घोषणा की है। श्रीलंका के विदेश मंत्री के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को इस संदर्भ में आधिकारिक सूचना दे दी गई है।

### क्या है संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव?

- दरअसल श्रीलंका के गृहयुद्ध (वर्ष 2009) के अंतिम दौर में श्रीलंकाई सेना पर लगभग 45000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।
    - ज्ञात हो कि श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति, गोतबाया राजपक्षे गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका के रक्षा सचिव थे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति थे।

- इसी विषय को लेकर वर्ष 2015 में गृहयुद्ध के 6 वर्षों बाद तत्कालीन श्रीलंकाई सरकार ने 11 अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया था, जिसमें श्रीलंका के गृहयुद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जाँच की बात कही गई।
    - इस प्रस्ताव में व्यापक सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से श्रीलंका में घरेलू जवाबदेही तंत्र विकसित करने का प्रावधान है।
    - प्रस्ताव के अनुसार, श्रीलंका राष्ट्रमंडल और अन्य विदेशी न्यायाधीशों, बचाव पक्ष के वकीलों और जाँचकर्त्ताओं की भागीदारी के साथ एक विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रिया स्थापित करेगा।

## निर्णय का प्रभाव

- श्रीलंका के इस कदम के परिणामस्वरूप गृहयुद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की निष्पक्षता से जाँच संभव नहीं हो पाएगी जिसके कारण पीड़ितों के लिये न्याय प्राप्त करना अपेक्षाकृत काफी कठिन हो जाएगा।
- यदि स्थिति ऐसी ही रहती है तो संभव है कि गृहयुद्ध के दौरान हुई घटनाएँ श्रीलंका में एक बार पुन: देखने को मिलें।
    - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट के अनुसार, कल्याणकारी राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह देश में सभी समुदायों को एक साथ लेकर चले, न कि किसी समुदाय विशिष्ट को।

## श्रीलंका का गृहयुद्ध

- वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद से ही श्रीलंका या तत्कालीन 'सीलोन' जातीय संघर्ष का सामना कर रहा था।
- वर्ष 2001 की सरकारी जनगणना के अनुसार, श्रीलंका की मुख्य जातीय आबादी में सिंहली (82%), तमिल (9.4%) और श्रीलंकाई मूर (7.9%) शामिल हैं।
- सिंहलियों ने औपनिवेशिक काल के दौरान तमिलों के प्रति ब्रिटिश पक्षपात का विरोध किया और आज़ादी के बाद के वर्षों में उन्होंने तमिल प्रवासी बागान श्रमिकों को देश से विस्थापित कर दिया तथा सिंहल को आधिकारिक भाषा बना दिया।
- वर्ष 1972 में सिंहलियों ने देश का नाम 'सीलोन' से बदलकर श्रीलंका कर दिया और बौद्ध धर्म को राष्ट्र का प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया।
- तमिलों और सिंहलियों के बीच जातीय तनाव और संघर्ष बढ़ने के बाद वर्ष 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में लिट्टे (LTTE) का गठन किया गया और इसने उत्तरी एवं पूर्वी श्रीलंका, जहाँ अधिकांश तमिल निवास करते थे, में 'एक तमिल मातृभूमि' के लिये प्रचार करना प्रारंभ कर दिया।
- वर्ष 1983 में लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया, इसमें 13 सैनिकों की मौत हो गई। विदित है कि इस घटनाक्रम से श्रीलंका में दंगे भड़क गए जिसमें लगभग 2,500 तमिल लोग मारे गए।
- इसके पश्चात् श्रीलंकाई तमिलों और बहुसंख्यक सिंहलियों के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो गया। ध्यातव्य है कि भारत ने श्रीलंका के इस गृहयुद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई और श्रीलंका के संघर्ष को एक राजनीतिक समाधान प्रदान करने के लिये वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत ने ऑपरेशन पवन के तहत लिट्टे को समाप्त करने के लिये श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स (IPKF) तैनात कर दी। हालाँकि हिंसा बढ़ने के 3 वर्षों बाद ही IPKF को वहाँ से हटा दिया गया।

## निष्कर्ष

श्रीलंका सरकार का युद्धोत्तर जवाबदेही एवं सुलह पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से स्वयं को अलग करने का निर्णय स्पष्ट तौर पर मानवाधिकार संरक्षण को लेकर वैश्विक समुदाय के प्रयासों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। आवश्यक है कि श्रीलंकाई सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे ताकि मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को कमज़ोर होने से बचाया जा सके।

नोट :

# अमेरिका का लिंचिंग विरोधी विधेयक

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी संसद (United States Congress) के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव (House of Representatives) ने लिंचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है।

### प्रमुख बिंदु

- अमेरिका के निचले सदन द्वारा पारित इस प्रस्ताव में लिंचिंग को अपराध घोषित करते हुए आजीवन कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
- अमेरिका में हत्या उन अपराधों में शामिल है जिनके लिये मुकदमा राज्य या स्थानीय स्तर पर चलाया जाता है। किंतु अमेरिका का यह नया विधेयक लिंचिंग को एक संघीय अपराध घोषित करता है।
- ध्यातव्य है कि इस विधेयक का नाम एम्मेट टिल (Emmett Till) नाम पर रखा गया है, जिसकी मात्र 14 वर्ष की उम्र में वर्ष 1955 में लिंचिंग कर दी गई थी।

### लिंचिंग का अर्थ

- जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किये अपराध के लिये या कभी-कभी अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किये भी तत्काल सज़ा दी जाए अथवा उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या लिंचिंग कहते हैं।
  - इस तरह की हिंसा में किसी कानूनी प्रक्रिया या सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता और यह पूर्णत: गैर-कानूनी होती है।

### अमेरिका में लिंचिंग

- विधेयक के अनुसार, अमेरिका में वर्ष 1882 से वर्ष 1968 के मध्य लगभग 4,700 लोग, मुख्य रूप से अफ्रीकी-अमेरिकी लिंचिंग का शिकार हुए और इन लिंचिंग के 99 प्रतिशत अपराधियों को दंडित नहीं किया जा सका।
- अमेरिकी गृहयुद्ध के पश्चात् 1800 के दशक के अंत में जब दासों को मुक्त कर दिया गया तो अमेरिका में लिंचिंग की संख्या अचानक बढ़ने लगी। 1930 के दशक में इसमें कमी आने के पश्चात् 1960 के दशक में लिंचिंग में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली।
- दरअसल गृहयुद्ध के पश्चात् अमेरिका में जब गोरे अमेरिकी अपना सामाजिक प्रभुत्व बनाए रखने में असमर्थ रहे तब कई विद्रोही समूहों का जन्म हुआ।
- इन समूहों ने आम लोगों को गोरों की सत्ता बनाए रखने के लिये हिंसा करने को उकसाया और खुद भी कई हत्याओं को अंजाम दिया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1918 के बाद से अमेरिकी कॉन्ग्रेस में 200 से अधिक एंटी-लिंचिंग विधेयक प्रस्तुत किये गए हैं, किंतु इनमें से कोई भी पारित नहीं हो सका।

### भारतीय परिदृश्य

- भारत में भी मॉब लिंचिंग एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है। देश में वर्ष 2017 का पहलू खान हत्याकांड मॉब लिंचिंग का एक बहुचर्चित उदाहरण है, जिसमें कुछ तथाकथित गौ रक्षकों की भीड़ ने गौ तस्करी के झूठे आरोप में पहलू खान की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
  - यह तो सिर्फ राजस्थान का ही उदाहरण है, इसके अतिरिक्त देश के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही घटनाएँ सामने आई हैं।
- भारत में धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़ें काफी मज़बूत हैं। देश में लगातार बढ़ रहीं लिंचिंग की घटनाएँ अधिकांशत: असहिष्णुता और अन्य धर्म तथा जाति के प्रति घृणा का परिणाम है।
  - वर्ष 2002 में हरियाणा के पाँच दलितों की गौ हत्या के आरोप में लिंचिंग कर दी गई थी। वहीं सितंबर 2015 में एक अज्ञात समूह ने मोहम्मद अखलाक और उसके बेटे दानिश पर गाय की हत्या करने और मांस का भंडारण करने का आरोप लगाते हुए पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी थी।
  - इन घटनाओं से मॉब लिंचिंग में धर्म और जाति का दृष्टिकोण स्पष्ट तौर पर ज़ाहिर होता है।

नोट :

### आगे की राह

- लिंचिंग जैसी घटनाएँ ज़ाहिर तौर पर किसी भी समाज की प्रगति में बाधक होती हैं। अत: नीति निर्माताओं के लिये इन्हें जल्द-से-जल्द रोकना आवश्यक हो जाता है।
- देश में मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं।
- हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव द्वारा किया गया यह प्रयास अवश्य ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शोषित वर्गों और हाशिये पर मौजूद समुदायों के मध्य विश्वास पैदा करेगा।

दृष्टि The Vision

नोट :

# विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

## भारत द्वारा छह पनडुब्बियों का निर्माण

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई पीढ़ी की छह पारंपरिक स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण की लंबित परियोजना को 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership-SP) मॉडल के तहत पूरा किये जाने का औपचारिक निर्णय लिया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के अंतर्गत नई पीढ़ी की छह पारंपरिक स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण को 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership-SP) मॉडल के तहत निष्पादित किया जाएगा, जिसमें 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत भारतीय शिपयार्ड एवं विदेशी शिपयार्ड दोनों का सहयोग प्राप्त होगा।
- इस परियोजना को 'सभी पनडुब्बियों के सौदों की जननी' नाम दिया गया, क्योंकि इसमें कम –से-कम 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद के अंतर्गत 'P-75I परियोजना के तहत 111' (Twin-Engine Naval Light Utility Choppers) हेलिकॉप्टरों के निर्माण के लिये 21,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंज़ूरी दी गई है जो SP मॉडल की दूसरी परियोजना है।
- 'प्रोजेक्ट -75 इंडिया (P -75I)' नामक पनडुब्बी परियोजना को पहली बार नवंबर 2007 में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन सामान्य राजनीतिक-नौकरशाही उदासीनता संबंधी अवरोधों के कारण इस पर कार्य नही किया जा सका।
- जुलाई 2017 में चार विदेशी जहाज़ निर्माताओं ने पहले SP मॉडल के तहत सहयोग करने की बात कही थी जो निम्नलिखित हैं –
  - नेवल ग्रुप-DCNS (फ्राँस)
  - थिससेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (जर्मनी)
  - रोसोबोरोनेक्सपोर्ट रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो (रूस)
  - साब कोकम्स (स्वीडन)

### भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शक्तियाँ

- अनुमोदित योजना के अनुसार, नौसेना के पास 18 पारंपरिक डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ होने के साथ-साथ चीन और पकिस्तान के खिलाफ प्रभावी निरोध के लिये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली छह हमलावर पनडुब्बियाँ (जिन्हें SSN कहा जाता है) और चार अन्य पनडुब्बियाँ हैं।
- वर्तमान में नौसेना के पास 13 पनडुब्बियाँ हैं जिनमें से सिर्फ आधे को ही किसी भी ऑपरेशन पर भेजा जा सकता है। छह फ्रेंच स्कॉर्पीन पनडुब्बियों में से एक मझगांव डॉक्स (MDL) में 23,652 करोड़ रुपए के 'प्रोजेक्ट -75' के तहत बनाई जा रही है।
- सेना के पास रूस से लीज़ पर ली गई दो परमाणु-पनडुब्बियाँ, स्वदेशी INS अरिहंत (SSBN) और INS चक्र (SSN) भी हैं।
- SP मॉडल का उद्देश्य वैश्विक आयुध की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर नई पीढ़ी की हथियार प्रणालियों के उत्पादन में भारतीय निजी क्षेत्र की भूमिका को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना है। लेकिन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के बाद डिफेंस शिपयार्ड MDL किसी भी निजी शिपयार्ड के बजाय 'P -75I' को स्वचालित रूप से चलाने के लिये प्रथम दावेदार होगा।
- कई घोषणाओं और नीतियों के बावजूद 'मेक इन इंडिया' के तहत कोई बड़ी रक्षा परियोजना वास्तव में पिछले चार वर्षों में धरातल पर नहीं आ सकी है। लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों से लेकर हेलीकॉप्टर और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों तक की 3.5 लाख करोड़ रुपए की कम-से-कम छह बड़ी मेगा परियोजनाएं विभिन्न चरणों में अटकी हुई हैं।

- पूरी प्रक्रिया में 'पारदर्शिता' लाने और निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों(Defence Public Sector Units-DPSUs) व आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board-OFB) दोनों हेतु एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के 'सूत्रीकरण' के कारण SP मॉडल को संचालित करने में बहुत देरी हुई है।

## अंटार्कटिक ग्लेशियर में बड़ा छिद्र/विवर

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक ग्लेशियर (Antarctic Glacier) में लगभग 300 मीटर लंबे विशाल विवर/ छिद्र की खोज की है, जो पश्चिमी अंटार्कटिका में थवाइट्स ग्लेशियर (Thwaites Glacier) के तल पर बढ़ रहा है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- थवाइट्स ग्लेशियर के तल पर बढ़ रहा विशाल छिद्र बर्फ की चादर के तेज़ी से क्षय और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि का संकेत देता है।
- 'साइंस एडवांस' पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्ष अंटार्कटिक ग्लेशियरों के विस्तृत अवलोकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो यह बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया से समुद्र स्तर कितनी तेज़ी से बढेगा।
- नासा के शोधकर्त्ताओं के अनुसार थवाइट्स ग्लेशियर के तल में उपस्थित बर्फ और आधारशैल के बीच कुछ अंतराल पाया गया है, जहां से समुद्र का पानी बह सकता है और ग्लेशियर को पिघला सकता है।
- हाल में पाए गए छिद्र के आकार और विस्फोटक में वृद्धि दर चिंताजनक है। यह काफी बड़ा है जिसमें 14 बिलियन टन बर्फ है, तथा इसमें से अधिकांश बर्फ पिछले तीन वर्षों में पिघल गई है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि लगभग 4% के लिये थवाइट्स ग्लेशियर ज़िम्मेदार है।
- 2010 में नासा के एक हवाई अभियान ऑपरेशन आइसब्रिज में आइस-मर्मज्ञ रडार (Ice-Penetrating Radar) द्वारा छिद्र का पता चल पाया था, जो ध्रुवीय क्षेत्रों एवं वैश्विक जलवायु के बीच संबंध का अध्ययन करता है।

## चमगादड़ और मनुष्यों पर वायरस संबंधी शोध

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने नगालैंड में अमेरिका, चीन और भारत के शोधकर्त्ताओं द्वारा चमगादड़ और मनुष्यों पर किये गए इबोला जैसे घातक वायरस संबंधी एंटीबॉडीज़ के प्रसार से संबंधित शोध की जाँच के आदेश दिये हैं।

### मुख्य बिंदुः

- चीन के वुहान से लगभग 20 देशों में प्रसारित नोवल कोरोनोवायरस (Novel Coronavirus) के कारण यह शोध जाँच के दायरे में आया है।
- कोरोनावायरस के कारण लगभग 300 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) ने उक्त शोध प्रकरण की जाँच के लिये पाँच सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी है।

क्या था शोध?

- यह शोध भारत के 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' (Tata Institute of Fundamental Research), नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ (National Centre for Biological Sciences- NCBS), चीन के 'वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी' (Wuhan Institute of Virology), अमेरिका के 'यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ़ द हेल्थ साइंसेज़' और सिंगापुर की 'ड्यूक-नेशनल यूनिवर्सिटी' (Duke-National University) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था।

नोट :

- इस शोध को 'फिलोवायरस रीएक्टिव एंटीबॉडीज़ इन ह्यूमंस एंड बैट्स इन नॉर्थईस्ट इंडिया इम्प्लाई ज़ूनोटिक स्पिलओवर' (Filovirus-reactive antibodies in humans and bats in Northeast India imply Zoonotic spillover) नाम से एक अमेरिकी जर्नल में प्रकाशित किया गया।
- इस शोध में शोधकर्त्ताओं ने पाया कि पूर्वोत्तर भारत में चमगादड़ों और इनके शिकारियों दोनों में फिलोवायरस (जैसे इबोलावायरस मार्बर्गव वायरस और डायनलोवायरस) के प्रतिक्रियाशील एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति है।
- जबकि इस क्षेत्र में इबोला वायरस रोग का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है।
- इस शोध से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में चमगादड़ विविध श्रेणी के फिलोवायरस के मेज़बान के रूप में कार्य करते हैं तथा इन चमगादड़ों के संपर्क में आने से फिलोवायरस फैल जाता है।
- इस शोध में पाया गया कि चमगादड़ में मौजूद वायरस विभिन्न प्रकोपों के लिये ज़िम्मेदार वायरस के प्रतिरूप नहीं होते हैं।

### क्यों आया यह शोध जाँच के दायरे में?

- यह शोध जाँच के दायरे में इसलिये आया था क्योंकि 12 में से दो शोधकर्त्ता 'वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलोजीज़ डिपार्टमेंट ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शस डिज़ीज़' (Wuhan Institute of Virology's Department of Emerging Infectious Diseases) से संबंधित थे।
- यह शोध संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की रक्षा खतरा निवारण एजेंसी (Defense Threat Reduction Agency-DTRA) द्वारा वित्त पोषित था।
- सरकार का आरोप है कि वैज्ञानिकों ने बिना अनुमति के चमगादड़ों और उनके शिकारियों (मनुष्यों) के रक्त के नमूनों को एकत्रित किया।
- ऐसी संस्थाओं को विदेशी संस्थाओं के रूप में विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

### विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) के अनुसार, चमगादड़ प्राय: इबोला, रेबीज़, मारबर्ग और सार्स कोरोनावायरस के वाहक होते हैं।
- कई उच्च स्तरीय महामारियाँ चमगादड़ द्वारा वाहित हैं तथा वैज्ञानिक हर समय नए चमगादड़ जनित वायरस की खोज करते रहते हैं।
- इबोला ने वर्ष 2013 से 2016 तक कई बार वैश्विक स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा किया है।
- यह एक जानलेवा बीमारी है, इससे होने वाली मृत्यु दर लगभग 50 प्रतिशत है।

नए खोजे गए कोरोनावायरस की व्यापक चुनौतियों को देखते हुए इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिये प्रयास किये जाने की आवश्यकता है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि देश में किये जाने वाले चिकित्सा संबंधी शोधों में सभी मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए।

## सुखोई -30 एमकेआई

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos missile) से लैस चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट सुखोई- 30 एमकेआई (Sukhoi-30 MKI) के एक दस्ते (Squadron) को दक्षिणी वायु कमान के तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन में शामिल किया गया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- इस दस्ते को औपचारिक रूप से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस (Chief of Defence- CDS) द्वारा दक्षिणी वायु कमान में शामिल किया गया।
- यह दस्ता, टाइगर्स 222 दस्ते का पुनरुत्थान है। ध्यातव्य है कि टाइगर्स 222 दस्ते को वर्ष 1969 में सुखोई- 7 विमान के साथ स्थापित किया गया था और जुलाई 1971 में इस दस्ते को हलवारा (Halwara) में स्थानांतरित किया गया था और इसका प्रयोग वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में किया गया था।

- CDS के अनुसार, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई- 30 MKI हमारे सशस्त्र बलों के लिये गेम-चेंजर साबित होगा।
- सुखोई- 30 जेट को ब्रह्मोस (हवा से सतह पर मार करने वाली) मिसाइलों को ले जाने के लिये संशोधित किया गया है, जिससे उन्हें लंबी दूरी के सटीक हमले करने की क्षमता मिलती है।

### सुखोई- 30 एमकेआई और ब्रह्मोस का एकीकरण

- वर्ष 2014 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited- HAL) और ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (BrahMos Aerospace Pvt Ltd- BAPL) ने मिसाइल के साथ एकीकरण के लिये दो सुखोई- 30 एमकेआई विमानों को संशोधित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे।
- यह दुनिया में पहली बार था जब किसी लड़ाकू विमान में इतनी भारी वज़न वाली मिसाइल को एकीकृत किया गया।
- 2.5 टन वाली ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई- 30 MKI लड़ाकू विमान पर स्थापित किया जाने वाला सबसे भारी हथियार है।

सुखोई- 30 एमकेआई को दक्षिणी कमान में शामिल करने के निहितार्थ

- दक्षिणी कमान के तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन में इसे शामिल करने से हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी तंत्र को मज़बूत किया जा सकता है।
- यह दस्ता न केवल समुद्री डोमेन की सुरक्षा को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा बल्कि कमज़ोर क्षेत्रों की रक्षा करने वाली थल सेना के समर्थन में भी कार्य कर सकता है।
- यह भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) में हवाई और समुद्री प्रभुत्व बनाए रखने में मदद करेगा।

सुखोई- 30 MKI के बारे में

- यह रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से निर्मित लंबी दूरी का फॉइटर जेट है।
- यह एक बार में 3000 किमी. तक की दूरी तय कर सकता है तथा इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है।

---

## क्वांटम तकनीक और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में क्वांटम तकनीक और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Quantum Technologies & Applications- NMQTA) की घोषणा की है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस मिशन के अंतर्गत क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु 5 वर्षों के लिये 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इस मिशन का क्रियान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) द्वारा किया जाएगा।
- चूँकि नई अर्थव्यवस्था नवाचार पर आधारित है तथा वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को बाधित करती है क्योंकि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स, 3 डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डेटा स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि द्वारा दुनिया के आर्थिक विकास का पुन: निर्धारण किया जा रहा है इसलिये क्वांटम तकनीक के विकास एवं विस्तार की दिशा में उठाया गया यह कदम महत्त्वपूर्ण है।
- यदि भारत इस प्रौद्योगिकी (क्वांटम) में सफल रहता है तो भारत इस तकनीक में कामयाब होने वाला विश्व का तीसरा देश होगा।

### मिशन का उद्देश्य

- इस मिशन का उद्देश्य भारत में क्वांटम तकनीक को विकसित कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर प्रगतिशील बनाना है।
- क्वांटम तकनीक के विकास से कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा क्षेत्र में नए आयाम सृजित किये जा सकते हैं।

### मिशन के फोकस क्षेत्र

- आधारभूत विज्ञान से संबंधित क्षेत्र
- अनुवाद संबंधी अनुसंधान

नोट :

- तकनीक का विकास
- राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च कौशल युक्त नौकरियों, मानव संसाधन का विकास, स्टार्ट-अप और उद्यमिता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो तकनीकी विकास का नेतृत्व करता है।

## मिशन का महत्त्व

- यह मिशन अगली पीढ़ी के लिये कौशल युक्त जनशक्ति तैयार करने, अनुवाद संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने और उद्यमिता एवं स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा।
- क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी विकास और उच्च शिक्षा विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विषयों में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को अन्य उन्नत देशों के समकक्ष लाया जा सकता है और कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।
- क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ तेज़ी से एक बड़ी विघटनकारी क्षमता के साथ विश्व स्तर पर विकसित हो रही हैं। अगली पीढ़ी की परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों जैसे- क्वांटम कंप्यूटर और कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम कुंजी वितरण, एन्क्रिप्शन, क्रिप्ट विश्लेषण, क्वांटम डिवाइस, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम सामग्री, क्वांटम घड़ी आदि को इस मिशन के तहत प्रेरित किया जा सकता है।
- क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विस्तार एयरो-स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन (Numerical Weather Prediction), सिमुलेशन, संचार और वित्तीय लेनदेन, साइबर सुरक्षा, उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा इत्यादि क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- यह मिशन समाज की बढ़ती तकनीकी आवश्यकताओं को संबोधित करने में सक्षम होगा और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रमुख देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रुझानों और सड़कों के मानचित्रण को ध्यान में रखेगा।
- इस मिशन के कार्यान्वयन से क्वांटम कंप्यूटर, अवरोध मुक्त सुरक्षित संचार व्यवस्था, क्वांटम एन्क्रिप्शन, क्रिप्ट-विश्लेषण और इससे संबंधित तकनीकें विकसित होंगी जिससे देश में विशिष्ट राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में सहायता प्राप्त होगी।
- क्वांटम प्रौद्योगिकियों की सीमा एक प्रमुख प्रौद्योगिकी व्यवधान है, जो गणना, संचार और एन्क्रिप्शन के संपूर्ण प्रतिमान को बदल देगी। किंतु यह माना जाता है कि इस प्रौद्योगिकी से उभरते हुए क्षेत्र में बढ़त हासिल करने वाले देशों को बहुपक्षीय आर्थिक विकास और नेतृत्व की भूमिका निभाने से अधिक लाभ प्राप्त होगा।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में

- क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जो परमाणु और उप-परमाणु स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करती है।
- इस तकनीक की सहायता से डेटा और इन्फॉर्मेशन को कम-से-कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है।
- क्वांटम कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटिंग से जुड़े टास्क कम-से-कम समय में किए जा सकते हैं।
  - क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम टू लेवल सिस्टम (क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स) का उपयोग करके जानकारी संग्रहीत करते हैं और जो क्लासिकल बिट्स के विपरीत सुपर स्पेशल स्टेट्स में तैयार किये जा सकते हैं।
  - यह महत्त्वपूर्ण क्षमता क्वांटम कंप्यूटरों को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बेहद शक्तिशाली बनाती है।

## आगे की राह

- सरकार और उद्योग दोनों के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि वे इन उभरती और विघटनकारी तकनीकों को विकसित करने के लिये तत्पर रहें जिससे कि संचार, वित्तीय लेन-देन, प्रतिस्पर्द्धी सामाजिक प्रगति, रोज़गार, आर्थिक विकास और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
- सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम अत्यंत प्रगतिशील है किंतु अब सरकार को इस मिशन की सफलता की दिशा में व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है।

# जीनोम मैपिंग परियोजना

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी जीनोम मैपिंग परियोजना (Genome Mapping Project) को मंज़ूरी प्रदान की है।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सरकार की महत्त्वाकांक्षी जीनोम मैपिंग परियोजना को भारत की अनुवांशिक विविधता के निर्धारण की दिशा में पहला प्रयास माना जा रहा है।
- इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 238 करोड़ रुपए है।
- इस परियोजना में बंगलूरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science- IISc) एवं कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology- IITs) सहित लगभग 20 संस्थान शामिल होंगे।
- परियोजना से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार, अब तक के आनुवंशिक अध्ययन लगभग 95% सफेद कोकेशियान नमूनों (White Caucasian Samples) पर आधारित थे।

## परियोजना से संबंधित मुख्य तथ्य

- जनवरी, 2020 के अंत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT) द्वारा इस परियोजना को मंज़ूरी प्रदान की गई।
- इस परियोजना के पहले चरण में देश भर से 10,000 लोगों के नमूनों को एकत्रित किया जाएगा।
- भारत के आनुवंशिक पूल की विविधता का मानचित्रण वैयक्तिकृत चिकित्सा के आधार पर होगा।
- IISc का मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (Center for Brain Research) जो कि एक स्वायत्त संस्थान है, इस परियोजना के नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा तथा इसकी निदेशक प्रो. विजयलक्ष्मी रवींद्रनाथ इस परियोजना की समन्वयक होंगी।
- इस परियोजना में शामिल संस्थान परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगे जिसमें नैदानिक नमूने प्रदान करना और अनुसंधान में सहायता करना, इत्यादि शामिल हैं तथा कुछ IITs द्वारा गणना के नए तरीकों में मदद की जाएगी।
- इस परियोजना के लिये एक व्यापक डेटाबेस बनाने हेतु दो नई राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाएँ शुरू की जाएंगी।
- इन्फोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन द्वारा उम्र बढ़ने और अल्ज़ाइमर जैसे रोगों के लिये IISc में ब्रेन रिसर्च के लिए मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना किये जाने के बाद वर्ष 2017 में इस परियोजना को शुरू करने की दिशा में कदम उठाया गया।

## परियोजना का महत्त्व

- देश में जनसांख्यिकी विविधता और मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य आदि सहित जटिल विकारों वाले रोगों के बोझ को ध्यान में रखते हुए आनुवंशिक आधार की उपलब्धता से किसी रोग की शुरुआत से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सकती है।
- भारत के आनुवंशिक परिदृश्य का मानचित्रण अगली पीढ़ी के चिकित्सा, कृषि और जैव-विविधता प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- आधुनिक जीवन-शैली से उत्पन्न बीमारियों जैसे- हृदय संबंधी बीमारियाँ, मधुमेह या अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिये, तकनीकी और कंप्यूटेशनल प्रयासों के साथ अधिक सहयोग किये जाने की आवश्यकता है और जीनोम मैपिंग परियोजना के तहत होने वाली खोजें इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
- यह परियोजना कैंसर से जुड़ी मृत्यु दर को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- यह परियोजना दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्त्वपूर्ण परियोजना है और इसके माध्यम से आनुवंशिक अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। साथ ही देश की आनुवंशिक विविधता का निर्धारण भी किया जा सकता है।

## संभावित चिंताएँ

- पक्षपात: जीनोटाइप (Genotype) पर आधारित पक्षपात, जीनोम अनुक्रमण का एक संभावित परिणाम है। उदाहरण के लिये, नियोक्ता कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले उनकी आनुवंशिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी अवांछनीय तरीके से कार्यबल के प्रति आनुवंशिक रूप से अतिसंवेदनशील पाया जाता है तो नियोक्ता द्वारा उसके जीन प्रारूप/जीनोटाइप (Genotype) के साथ पक्षपात किया जा सकता है।
- स्वामित्व और नियंत्रण: गोपनीयता और इससे संबंधित मुद्दों के अलावा आनुवंशिक जानकारी के स्वामित्व और नियंत्रण का प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- आनुवंशिक डेटा का अनुचित उपयोग: इससे बीमा, रोज़गार, आपराधिक न्याय, शिक्षा, आदि क्षेत्रों में आनुवंशिक डेटा के अनुचित प्रयोग संबंधी चिंताएँ हैं।

### आगे की राह

- जीनोम मैपिंग परियोजना चिकित्सा, आनुवंशिक विविधता आदि की जानकारी जैसे विभिन्न उद्देश्यों को समाहित किये हुए है, इसलिये इस परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
- इस परियोजना में निहित चिंताओं का समाधान किया जाना भी आवश्यक है।

## कोरोनावायरस के लिये एंटी-HIV दवाएँ

### चर्चा में क्यों?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research-ICMR) ने दो दवाओं के उपयोग के लिये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drug Controller General of India-DCGI) से आपातकालीन स्वीकृति मांगी थी।

इस संदर्भ में DCGI ने नोवल कोरोनावायरस के उपचार के लिये HIV इन्फेक्शन के नियंत्रण हेतु इस्तेमाल होने वाली दवाओं के संयोजन के "प्रतिबंधित उपयोग" को मंज़ूरी दी है।

### प्रमुख बिंदु

- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research-ICMR) ने साँस की बीमारी के इलाज के लिये इस्तेमाल होने वाली दो दवाओं- लोपिन्विर (Lopinavir) और रितोंविर (Ritonavir) के संयोजन के "प्रतिबंधित उपयोग" के लिये DCGI से आपातकालीन स्वीकृति मांगी थी।
- अन्य दवाओं के साथ इस संयोजन का उपयोग चीन में क्लिनिकल परीक्षण में किया गया है, जहाँ पहली बार कोरोनावायरस का मामला सामने आया था।
- हालाँकि यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी मरीज़ पर दवाओं के इस संयोजन के उपयोग से पहले डॉक्टर को रोगी से एक सूचित सहमति लेनी होगी।

### एक उच्च स्तरीय बैठक

- हाल ही में प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल सचिव ने नोवल कोरोनावायरस (Novel Coronavirus-nCoV) के प्रबंधन और राज्यों की तैयारियों के संबंध में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिये उच्च स्तरीय बैठक की।
- 2019-nCoV से जुड़े परिदृश्य को देखते हुए निम्नलिखित संशोधित यात्रा परामर्श जारी किये गए हैं:
  - चीन से आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के लिये वर्तमान वीज़ा (पहले से जारी ई-वीज़ा सहित) वैध नहीं माना जाएगा।
  - लोगों को सलाह दी जा चुकी है कि पूर्व के परामर्श के मुताबिक वे चीन की यात्रा पर जाने से बचें। चीन जाने वाले लोगों को वापस आने पर क्वारेनटाइन में रखा जाएगा।
  - अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमाओं पर सभी यात्रियों का व्यक्तिगत परीक्षण किया जा रहा है।

## अंतरिक्ष प्रवास का रिकॉर्ड

### चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच (Christina Koch) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) पर 328 दिनों के रिकॉर्ड प्रवास के बाद हाल ही में पृथ्वी पर लौटी है।

### मुख्य बिंदु:

- क्रिस्टीना कोच को 14 मार्च, 2019 को अंतरिक्ष में भेजा गया और वह अंतरिक्ष में 328 दिन पूरे करने के बाद पृथ्वी पर लौटी है।
- वह रोसोस्मोस (Roscosmos) के सोयुज कमांडर अलेक्जेंडर स्कोवर्त्सोव (Alexander Skvortsov) और यूरोपीय स्पेस एजेंसी (European Space Agency) के लुका परमिटानो (Luca Parmitano) के साथ यात्रा करने के बाद पृथ्वी पर पहुँचीं।

### ऐतिहासिक रिकॉर्ड:

- किसी महिला द्वारा दर्ज पिछला सबसे लंबा सिंगल स्पेसफ्लाइट रिकार्ड 289 दिनों का था, जिसे पैगी व्हिटसन नामक एक अमेरिकी महिला द्वारा वर्ष 2017 में प्राप्त किया गया।
- पुरुषों के मामले में यह विश्व रिकार्ड रूस के वालेरी पॉलाकोव (Valery Polyakov) द्वारा दर्ज किया गया था जो 438 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे।
- अमेरिकियों में स्कॉट केली (Scott Kelly) 340 दिनों के रिकार्ड के साथ क्रिस्टीना कोच से आगे हैं।

### महत्त्व:

- यह मिशन शोधकर्त्ताओं को यह निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगा कि एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान महिला के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- इससे भविष्य के मानवयुक्त चंद्र और मंगल मिशनों पर विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों की समझ बढ़ेगी।
- इससे माइक्रोग्रैविटी क्रिस्टल जाँच (Microgravity Crystals investigation) के क्षेत्र में भी समझ बढ़ेगी जो कैंसर उपचार के विकास में उपयोगी हो सकता है जहाँ यह प्रोटीन को अधिक प्रभावी और कम दुष्प्रभावों के साथ लक्षित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन:

- यह पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला एक बड़ा अंतरिक्षयान है जो एक घर के रूप में कार्य करता है जहाँ अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट के चालक दल रहते हैं, साथ में यह एक अद्वितीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी है।
- यह लगभग 250 मील की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है जहाँ इसकी गति 17,500 मील प्रति घंटे है अर्थात् यह हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।

### अंतरिक्ष स्टेशन कितना पुराना है?

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला हिस्सा नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था जिसे एक रूसी रॉकेट ने लॉन्च किया था

अंतरिक्ष स्टेशन कितना बड़ा है?

- अंतरिक्ष स्टेशन पाँच-बेडरूम वाले घर या दो बोइंग 747 जेटलाइनर्स के समान आकार वाला है। यह छह लोगों के चालक दल और आगंतुकों के लिये सक्षम है।
- पृथ्वी पर अंतरिक्ष स्टेशन का वज़न लगभग एक मिलियन पाउंड होगा।
- इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के प्रयोगशाला मॉड्यूल शामिल हैं।

### मानव अंतरिक्षयान की 5 प्रमुख चुनौतियाँ:

1. विकिरण: अंतरिक्ष-विकिरण मानव की आँखों के लिये अदृश्य है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के ऊपर विकिरण के कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है साथ में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और संज्ञानात्मक क्रियाएं(पहचान संबंधी समस्याएं) भी प्रभावित हो सकते हैं।
2. अलगाव: एक लंबे समय तक एक छोटी सी जगह में लोगों के समूहों को रखा जाता है, तो उनके बीच व्यवहार संबंधी मुद्दे उभर ही आते हैं चाहे वे कितने भी प्रशिक्षित क्यों न हों।
3. पृथ्वी से दूरी: एक अंतरिक्ष यात्री को संचार में देरी, उपकरणों की विफलता या चिकित्सा- आपातकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

नोट :

4. गुरुत्वाकर्षण: मानक गुरुत्वाकर्षण के बिना हडि‍्डयों, मांसपेशियों, हृदय प्रणाली सभी पर प्रभाव पड़ता है।
5. बंद वातावरण: रॉकेट में यात्रियों के लिये आवश्यक तापमान, दबाव, प्रकाश, ध्वनि आदि को मानव आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करना होता है।

### यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency - ESA)

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) यह अंतरिक्ष के लिये यूरोप का प्रवेश द्वार है, जिसका लक्ष्य यूरोप की अंतरिक्ष क्षमता के विकास को सुनिश्चित करना है।
- इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है। इसका मुख्यालय पेरिस में है जहाँ ESA की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है।

## वायु रक्षा प्रणाली

### चर्चा में क्यों:

हाल ही में अमेरिकी राज्य विभाग ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली की भारत को बिक्री की मंज़ूरी प्रदान की है।

### मुख्य बिंदु:

- अमेरिकी राज्य विभाग ने भारत को संभावित $1.867 बिलियन की एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) की बिक्री को मंज़ूरी दी है।
- इस बिक्री प्रकिया को विदेशी सैन्य बिक्री (Foreign Military Sales-FMS ) मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।
- बिक्री के इस प्रस्ताव को विचारार्थ अमेरिकी कॉन्ग्रेस (अमेरिकी संसद) में रखा गया है जहाँ कॉन्ग्रेस 30 दिनों की समयावधि में इस पर कोई आपत्ति दर्ज करा सकती है।

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली ( IADWS ):

- IADWS प्रणाली को राष्ट्रीय सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल प्रणाली (National Advanced Surface to Air Missile System-NASAMS) के रूप में भी जाना जाता है।
- इस एकीकृत वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली को वर्तमान में वाशिंगटन के आसपास तैनात किया गया है।
- IADWS प्रणाली में राडार (RADAR), लॉन्चर्स (Launchers), लक्ष्यीकरण (Targeting) मार्गदर्शन प्रणाली (Guidance Systems), मध्यम परास की हवा से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल ( Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile-AMRAAM), स्टिंगर मिसाइल, संबंधित उपकरण और सहायक उपकरण आदि शामिल हैं।

### खरीद प्रक्रिया में शामिल उपकरण:

मिसाइल एवं राडार: इस खरीद प्रकिया में 5 AN/MPQ-64Fl प्रहरी राडार सिस्टम, 118 AMRAAM AIM-120C-7/C-8 आदि मिसाइलें शामिल है।

राइफल व सहायक उपकरण: इसमें 32 M4 A1 राइफल, 40,320 M 855 5.56 mm कारतूस, अग्नि वितरण केंद्र (Fire Distribution Centres-FDC) आदि उपकरण शामिल हैं

अन्य पैकेज: संचार, परीक्षण, प्रशिक्षण उपकरण संबंधी पैकेज।

### भारत-अमेरिका प्रमुख सुरक्षा समझौतें:

- सैन्य-सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security of Military Information Agreement-GSOMIA): भारत कई वर्ष पूर्व ही अमेरिका के साथ इस पर हस्ताक्षर कर चुका है।
- औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (Industrial Security Annex-ISA): ISA सामान्य सुरक्षा समझौते (GSOMIA) का ही एक भाग है।

- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता ( Communications Compatibility and Security Agreement-COMCASA): वर्ष 2018 में 2 + 2 वार्ता में भारत और अमेरिका ने COMCASA पर हस्ताक्षर किये थे जो उच्च-स्तरीय एन्क्रिप्टेड (High-End-Encrypted) संचार और उपग्रह डेटा साझा करने से संबंधित था।
- भू-स्थानिक सहयोग के लिये बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation-BECA): यह समझौता अभी विचाराधीन है जिसमे भू-स्थानिक सूचनाओं के आदान-प्रदान में पारस्परिकता के मुद्दे पर मतभेद हैं और दोनों पक्ष उन्हें सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।
- रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (Defence Technology and Trade Initiative-DTTI): भारत और अमेरिका ने वर्ष 2012 में DTTI पर हस्ताक्षर किये थे। दोनों पक्षों ने DTTI के तहत नवीन संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की है। हाल ही में एक विस्तृत योजना बनाने के साथ ही एक स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट (SOI) पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

# लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी उत्पादों के आयात में वृद्धि

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत द्वारा लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी उत्पादों का आयात बढ़कर वर्ष 2016 के स्तर का चार गुना हो गया है।

### प्रमुख बिंदु:

- भारत का लिथियम-आयन बैटरी आयात बिल वर्ष 2016-2018 के दौरान बढ़कर चार गुना हो गया जबकि संबंधित उत्पादों का आयात बिल लगभग तीन गुना से अधिक हो गया।
- मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016 में 175 मिलियन, 2017 में 313 मिलियन, 2018 में 712 मिलियन और 1 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2019 तक 450 मिलियन बैटरियों का आयात किया गया।
- इन आयातों की लागत वर्ष 2016 की 383 मिलियन डॉलर ( 2,600 करोड़ रूपए लगभग ) से बढ़कर वर्ष 2017 में 727.24 मिलियन डॉलर (5,000 करोड़ रूपये लगभग), 2018 में 1254.94 मिलियन डॉलर (8,700 करोड़ रूपये लगभग ) और 2019 में बढ़कर 929 मिलियन डॉलर (6,500 करोड़ रूपये लगभग ) हो गयी।
- भारतीय विनिर्माता दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक हैं और वे मुख्यतया चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से आयात करते है।

### लिथियम-त्रिकोण (Lithium Triangle):

- 'लीथियम त्रिकोण' दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया देश शामिल हैं।
- भारत लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
- लिथियम की मांग में वृद्धि को देखते हुए लिथियम त्रिकोण देशों ने भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने की पेशकश की है।

### भारत में लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ऐसी बैटरियों का विनिर्माण करता है लेकिन इसकी मात्रा सीमित हैं और वे अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिये प्रतिबंधित हैं।
- जून 2018 मे केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान (Central Electro Chemical Research Institute-CECRI) जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific & Industrial Research-CSIR) के अधीनस्थ है तथा RAASI सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी परियोजना के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Agreement-MoA) पर हस्ताक्षर किये।
- ऐसी बैटरियों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक कार्यक्रम को मंज़ूरी दी, जिसे 'परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage) कहा जाता है।

नोट :

- इसका उद्देश्य स्वच्छता, साझेदारी को बढ़ावा देनी वाली और सतत् और समग्र गतिशीलता संबंधी पहलों को बढ़ावा देना है।

चीन का एकाधिकार:

- लिथियम-आयन बैटरी बाज़ार पर चीन का एकाधिकार है। ब्लूमबर्गएनईएफ (BloombergNEF) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैटरी सेल निर्माण क्षमता में लगभग तीन-चौथाई हिस्सा चीन का है और साथ ही घरेलू तथा विदेशी बैटरी कच्चे माल एवं प्रसंस्करण सुविधाओं पर चीनी कंपनियों का नियंत्रण है।

### भारत में मांग का पैटर्न:

- भारत में लिथियम-आयन बैटरी की मांग वृद्धि में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी की होने की उम्मीद है लेकिन वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रिक कारों की उच्च कीमत के कारण ऐसा होने की उम्मीद नहीं है।
- दहन-इंजन आधारित (Combustion-Engine) कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों काफी महंगी हैं।
- सरकार ने इस माँग को पूरा करने और 2040 तक भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाने के लिए $ 1.4 बिलियन के निवेश की घोषणा की है।

### आगे की राह:

- इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन एक पूंजी गहन (Capital Intensive) क्षेत्र है जहाँ सरकारी नीतियों में अनिश्चितता इस उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करती है अत: दीर्घकालिक स्थिर नीति बनाने की आवश्यकता है।
- चार्जिंग स्टेशनों, ग्रिड़ स्थिरता जैसी अवसंरचनात्मक समस्याओं समाधान शीघ्र करना चाहिये।
- भारत में लिथियम और कोबाल्ट का कोई ज्ञात भंडार नहीं है जबकि ये तत्त्व बैटरी उत्पादन के लिये आवश्यक है, अत: इनका आयात सुनिश्चित करना चाहिये।

---

## आरओ-आधारित जल निस्यंदन प्रणाली

### चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MoEFCC) ) द्वारा रिवर्स ओस्मोसिस (Reverse Osmosis-RO) पर आधारित जल निस्यंदन प्रणाली (RO- based Water Filtration System) को विनियमित करने हेतु मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) प्रस्तुत की गई है।

### हालिया संदर्भ:

- यह अधिसूचना मार्च, 2019 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal- NGT) के समक्ष दिल्ली में RO वाटर फिल्टर के उपयोग को प्रतिबंधित करने से संबंधित है, क्योंकि रिवर्स ओस्मोसिस शोधन प्रक्रिया द्वारा पानी की काफी मात्रा बर्बाद हो जाती है।
- वाटर फिल्टर निर्माताओं के संघ (Association of Water Filter Manufacturers) द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

### मुख्य बिंदु:

- यह मसौदा उन क्षेत्रों में झिल्ली-आधारित जल निस्यंदन प्रणालियों (Membrane-Based Water Filtration Systems) को विनियमित करेगा जहाँ पेयजल के स्रोत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।
- यह रिवर्स ओस्मोसिस (Reverse Osmosis-RO) आधारित जल निस्यंदन में प्रयोग होने वाली प्रणालियों एवं नियमों को प्रभावित करेगा।
- यह मसौदा घरों में झिल्ली आधारित जल शोधन (Membrane-Based Water Purification) यानी RO सिस्टम के प्रयोग को भी प्रतिबंधित करेगा।

- यह अधिसूचना मुख्य रूप से वाणिज्यिक आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये बनाए गए नियमों के एकीकरण से संबंधित है जो उपभोक्ताओं को कुल घुलनशील ठोस (Total Dissolved Solids-TDS) के स्तरों के बारे में भी सूचित करती है।

## रिवर्स ओस्मोसिस:

- RO सिस्टम, ओस्मोसिस/परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- इस सिद्धांत के अनुसार, मीठे/साफ पानी की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिये ट्यूब पर कुछ और बाह्य दवाब (External Pressure) बढ़ाने की आवश्यकता होगी, ताकि खारे पानी की सारी मात्रा को मीठे पानी में परिवर्तित किया जा सके।
- RO ट्यूब में बाह्य दवाब उत्पन्न करने के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर तथा पंप का प्रयोग किया जाता है।
- इसमें सक्रिय कार्बन के घटकों का उपयोग किया जाता है जिनमें शामिल है-लकड़ी का कोयला (ब्लैक कार्बन) जो दूषित पदार्थों के साथ-साथ हानिकारक बैक्टीरिया और कार्बनिक पदार्थों को भी फिल्टर कर देता है।
- परंतु यह सब फिल्टर किये जाने वाले पदार्थों और फिल्टर्स की संख्या पर निर्भर करता है जिनसे होकर नल का पानी गुज़रता है।
- हालाँकि इसमें पानी में मिश्रित विलेय जैसे- आर्सेनिक, फ्लोराइड, हेक्सावलेंट क्रोमियम, नाइट्रेट, बैक्टीरिया इत्यादि को दूर करने के लिये एक विस्तृत झिल्ली तथा कई स्तरों पर फिल्टर का प्रयोग किया जा सकता है।
- RO द्वारा पानी में कुल घुलनशील ठोस (Total Dissolved Solids -TDS) पदार्थों जैसे- रसायन, वायरस, बैक्टीरिया और लवण को कम करके पीने योग्य पानी का मानक स्तर प्राप्त किया जा सकता है।

## रिवर्स ओस्मोसिस प्रणाली:

- मूल रूप से यह समुद्री जल को अलवणीकृत करने की एक विधि है जो ओस्मोसिस (Osmosis) के सिद्धांत पर कार्य करती है।
- इसमें एक नलिका को 'यू' आकार में मोड़ते है और घुमाव वाले स्थान पर एक महीन अर्ध-पारगम्य झिल्ली (Semi-Permeable Membrane) को जोड़ा जाता है जो केवल कुछ निश्चित अणुओं को ही फिल्टर करती है।
- अब ट्यूब को आधे खारे तथा उसके आधे हिस्से को मीठे पानी से भरते हैं। यह मीठा पानी खारे पाने वाली भुजा की तरफ तब तक जाता है जब तक कि ट्यूब की दोनों भुजाओं में पानी का अनुपात सामान न हो जाए।
- ऐसा ओस्मोसिस प्रभाव के कारण होता है जो उच्च सांद्रता वाले विलेय को पतला/घुलनशील बना देता है (नमक के मामले में)।

## रिवर्स ओस्मोसिस प्रणाली से संबंधित समस्याएँ:

- RO द्वारा पानी को शुद्ध किये जाने के दौरान लगभग तीन से चार गुना पानी की मात्रा बर्बाद हो जाती है जो शहरी क्षेत्रों में सरकारों के समक्ष पेयजल की चुनौती उत्पन्न करती है।
- यह पानी में घुलनशील आवश्यक लवण जैसे- कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम को छान देता है, जो कि शरीर के लिये आवश्यक होते हैं तथा ऐसे पानी का दीर्घावधि तक सेवन करना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकता है।
- कई निर्माताओं ने पानी के 'पोस्ट ट्रीटमेंट' (Post Treatment) के माध्यम से इस समस्या के समाधान की बात कही है परंतु इससे पानी को साफ करने में अधिक लागत आती है। साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति के लिये सार्वजनिक-वित्तपोषित जल वितरण प्रणालियाँ भी हतोत्साहित हो सकती हैं।
- 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी' (National Institute of Virology- NIV) के अनुसार, पानी को शुद्ध करने के लिये प्रयोग होने वाली अधिकांश निस्यंदन विधियों द्वारा हेपेटाइटिस ई वायरस (Hepatitis E virus) को खत्म नहीं किया जा सकता है।

## स्वच्छ जलापूर्ति की चुनौतियाँ

- अधिकांश देशों में पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति करने के लिये वित्त का अभाव है।
- नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index- CWMI) के अनुसार, आपूर्ति किया जाने वाला 70% पानी दूषित है।
- गैर सरकारी संगठन, वाटर एडस (Water Aid's) द्वारा जारी जल गुणवत्ता सूचकांक-2019 में भारत 122 देशों में 120 वें स्थान पर है। सूचकांक में भारत की इस स्थिति का कारण पेयजल के स्रोतों का सीमित होना है।

### भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का निहितार्थ:

- इस अधिसूचना का निहितार्थ, फिल्टर के प्रयोग को निषिद्ध करने से है वह भी तब जब घर में जलापूर्ति भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रही हो।
- हालाँकि कई राज्य और शहरों के जल बोर्ड BSI मानकों को पूरा करने का दावा करते हैं फिर भी घरों में की जाने वाली जलापूर्ति निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।
- BSI मानदंड सार्वजनिक एजेंसियों के लिये स्वैच्छिक हैं जो पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति करते हैं लेकिन बोतलबंद पानी के उत्पादकों के लिये ये मानदंड अनिवार्य हैं।

### पानी के पाइप की गुणवत्ता:

- प्रधानमंत्री द्वारा 'जल जीवन मिशन' के तहत वर्ष 2024 तक पूरे देश में पेयजल हेतु नल का पानी उपलब्ध करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
- पिछले साल उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से देश में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु प्रयोग किये जा रहे पाइप्स की गुणवत्ता को जाँचने के लिये एक अध्ययन किया गया।
- अध्ययन में यह बात सामने आई कि देश के अधिकांश हिस्सों में पेयजल हेतु प्रयोग में लाये गए पाइप्स की गुणवत्ता अत्यधिक निम्न श्रेणी की है।
- विभिन्न स्थानों से लिये गए नमूनों के आधार पर देखा गया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित आवश्यक मानकों को पूरा नहीं किया गया है।

### आगे की राह:

- जारी मसौदा अधिसूचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2022 के बाद उपचारित पानी का 25% से अधिक हिस्सा बर्बाद न हो जो अभी लगभग 80% है।
- घरेलू कार्यों या फिर अन्य गतिविधियों में प्रयोग किया जाने वाला जल जो कि अपशिष्ट के रूप में बचता है, का पुन: प्रयोग किया जा सके।
- अधिसूचना को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य अंतिम उपभोक्ता तक भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के आधार पर गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति करना है।
- विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ अभी भी लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाई है। वहाँ बिना किसी अतिरिक्त लागत के पेयजल की आपूर्ति की जानी चाहिये।

---

## नासा के चार प्रस्तावित अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration-NASA) ने घोषणा की है कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन के लिये चार अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है।

### मुख्य बिंदु:

- NASA ने चार आगामी मिशनों का प्रस्ताव रखा है जिनमें से दो मिशनों को शुक्र ग्रह और एक-एक मिशन का प्रस्ताव बृहस्पति के उपग्रह आयो (Io) और वरुण के उपग्रह ट्राइटन (Triton) के परीक्षण के लिये रखा है।
- इन मिशनों का अंतिम चयन वर्ष 2021 में किया जाएगा।

NASA के प्रस्तावित अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन:

### डेविंसी प्लस (DAVINCI+):

- NASA द्वारा प्रस्तावित इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह पर उपस्थित नोबल गैसों, इसके रासायनिक संगठन, इमेजिंग प्लस (दृश्यों के माध्यम से शुक्र की आतंरिक सतह का परीक्षण) तथा वायुमंडलीय सर्वेक्षण करना है।

- इस मिशन के माध्यम से शुक्र के वायुमंडल तथा इसके गठन और विकास का विश्लेषण किया जाएगा तथा इस ग्रह पर पूर्व में महासागर की उपस्थिति की जाँच की जाएगी।
- यह मिशन स्थलीय ग्रहों के गठन की समझ को विकसित करने में सहायता करेगा।

- आयो वॉल्केनो ऑब्ज़र्वर (Io Volcano Observer-IVO):
  - NASA द्वारा प्रस्तावित IVO मिशन का उद्देश्य बृहस्पति के उपग्रह आयो का परीक्षण करना है, जिस पर कई सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित हैं।
  - इस मिशन के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी कि ज्वारीय बल ग्रहों की आकृति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
  - इस मिशन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सौरमंडल में चट्टानों, स्थलीय निकायों और बर्फीले महासागरों के गठन और विकास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- ट्राईडेंट (TRIDENT):
  - इसका उद्देश्य वरुण ग्रह के बर्फीले उपग्रह ट्राइटन (Triton) का अवलोकन करना है ताकि वैज्ञानिक सौरमंडल में रहने योग्य ग्रहों के विकास को समझ सकें।
  - वेरिटस (VERITAS):
  - इस मिशन का विस्तृत नाम 'वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी' (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) है।
  - इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की सतह का अध्ययन करके यह पता लगाना है कि शुक्र ग्रह की विशेषताएँ पृथ्वी से अलग क्यों हैं।

### संभावित लाभ:

- इन अभियानों से सौरमंडल के कुछ सबसे सक्रिय और जटिल तथ्यों के बारे में मानव समझ को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- नासा ने चार मिशनों में से प्रत्येक मिशन के लिये $ 3 मिलियन का प्रावधान किया है जो सौरमंडल के अनुसंधान संबंधी मानवीय स्वप्नों को वास्तविकता प्रदान करेंगे।

### भारत की स्थिति:

- भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान की शुरुआत से लेकर अब तक के छोटे से काल और सीमित संसाधनों में कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं।
- वर्तमान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो कम लागत में जटिल कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये विश्व भर में प्रसिद्ध है।
- भारत की यह विरासत भविष्य में अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत को योग्य बनाती है।
- ऐसे में भारत अपने सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग और सही तकनीकों का निर्माण करके आने वाली चुनौतियों से निपट सकता है तथा NASA की तरह अन्य ग्रहों संबंधी मिशनों को भी संचालित कर सकता है।

---

## GISAT-1 के प्रक्षेपण की तैयारी

### चर्चा में क्यों ?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (indian Space Research Organisation- ISRO) एक नए भू प्रेक्षण (Earth Observation- EO) उपग्रह GISAT-1 को मार्च के पहले सप्ताह में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 2019-20 के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान इसरो द्वारा 10 भू प्रेक्षण (Earth Observation) उपग्रहों को भेजे जाने की योजना है।

- इसरो की वार्षिक योजना के अंतर्गत 36 मिशनों का उल्लेख किया गया है जिसमें एक वर्ष के दौरान उपग्रह और उनके लॉन्चर दोनों के विकास एवं प्रक्षेपण को शामिल किया गया है।
- चालू वित्त वर्ष 2019-20 में 17 मिशनों को शुरू करने की योजना बनाई गई है और इनमें से 6 मिशनों को 31 मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ध्यातव्य है कि इसरो को हाल ही में अगले वित्त वर्ष के लिये लगभग 13,480 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

## GISAT के बारे में

- GISAT-1 एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है।
- यह 36,000 किमी. दूर स्थित भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किये जाने वाले दो योजनाबद्ध भारतीय EO अंतरिक्षयानों में से पहला होगा।
- इसे एक निश्चित स्थान पर स्थापित किया जाएगा जिससे यह हर समय भारतीय महाद्वीप पर नज़र रख सकेगा। ध्यातव्य है कि अभी तक सभी भारतीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को केवल 600 किमी. की दूरी की कक्षा में स्थापित किया जाता था, ये उपग्रह ध्रुव-से-ध्रुव के बीच चक्कर लगाते थे।
- GISAT-1 को श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया जा सकता है।
- इसे GSLV MK II के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा।

## GISAT- 1 का महत्त्व

- GISAT- 1 में पाँच प्रकार के मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरे होंगे जिनकी सहायता से देश के विभिन्न क्षेत्रों की रियल टाइम इमेज प्राप्त की जा सकती है।
- साथ ही इस उपग्रह की सहायता से देश की भौगोलिक स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की निगरानी भी की जा सकती है।
- भू प्रेक्षण उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि एवं कृषि संबंधी निगरानी के लिये किया जाता है किंतु सेना के लिये सीमा की निगरानी करने हेतु इसके द्वारा ली गई इमेजेस का भी बहुत महत्त्वपूर्ण उपयोग है। ध्यातव्य है कि RISAT जैसे उपग्रह, जो सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस होते हैं, सुरक्षा एजेंसियों को 24-घंटे सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं।

## अंतरिक्ष में भारत की वर्तमान स्थिति

- इसरो के अनुसार, वर्तमान समय में 19 राष्ट्रीय भू प्रेक्षण उपग्रह, 18 संचार उपग्रह और 8 नौपरिवहन उपग्रहों (Navigation Satellites) की सेवा ली जा रही है।
- ये उपग्रह प्रसारण, टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएँ, मौसम और कृषि से संबंधित पूर्वानुमान, सुरक्षा, आपदा के समय बचाव एवं राहत और स्थान आधारित सेवाएँ प्रदान करते हैं। ध्यातव्य है कि संचार उपग्रहों में से तीन उपग्रह सैन्य संचार और नेटवर्किंग के लिये समर्पित हैं।

## इसरो के भविष्य के मिशन

- 10 भू प्रेक्षण उपग्रहों में से चालू वित्त वर्ष के लिये इसरो ने 6 EO उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था जिनमें से दो उपग्रहों का प्रक्षेपण आगामी कुछ दिनों में किया जाएगा, जबकि आठ EO उपग्रहों को वित्त वर्ष 2021-22 में प्रक्षेपित किये जाने की योजना है।
- GISAT- 1 के अलावा अंतरिक्ष एजेंसी एकल PSLV लॉन्चर पर एक त्रिगुट के रूप में उच्च रिज़ॉल्यूशन HRSAT की एक नई श्रृंखला लॉन्च करने की योजना बना रही है।
- आगामी EO उपग्रहों में रडार इमेजिंग उपग्रह RISAT-2BR2, RISAT- 1A और 2A, ओशनसैट -3 एवं रिसोर्ससैट -3 / 3 एस शामिल हैं।
- RISAT-2BR2 अपने पूर्ववर्तियों RISAT-2B और RISAT-2B1 के साथ एक ट्रायड बेड़ा बनाएगा जो लगभग 120 डिग्री के आसपास घूमेंगे तथा वे अंतरिक्ष से मौसम, दिन/रात इमेजिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अवलोकन की आवृत्ति में वृद्धि करेंगे।
- इसरो का एक दशक के भीतर अमेरिका एवं चीन की भाँति स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य भी है।
- इसके अतिरिक्त इसरो के आगामी वर्षों में चंद्रयान- 3, गगनयान, आदित्य L-1 जैसे बड़े एवं महत्त्वाकांक्षी मिशन प्रस्तावित हैं।

नोट :

### इसरो द्वारा प्रस्तावित एवं सक्रिय मिशन का महत्त्व

- इसके माध्यम से भारत को अंतरिक्ष कूटनीति के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाया जा सकता है।
- इसके ज़रिये अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सुलझाया जा सकता है जिसके उपयोग से भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये उपाय खोजे जा सकते हैं।
- साथ ही संचार सेवा, सुरक्षा एवं नौवहन तकनीक के उपयोग से राष्ट्र की सीमाओं, मौसम एवं कृषि संबंधी पूर्वानुमान जैसे अनेक क्षेत्रों की निगरानी एवं सुरक्षा संभव है।

### आगे की राह

- अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिये जाने की आवश्यकता है तथा युवा विज्ञानी कार्यक्रम (YUVIKA) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष खोजों के प्रति रुचि पैदा करने की आवश्यकता है।
- शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से शिक्षा पद्धति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सैद्धांतिक शिक्षा के साथ प्रायोगिक शिक्षा को भी महत्त्व प्रदान किया जाना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों हेतु इसरो को आवंटित धन में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि इसरो अपने कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से संचालित कर पाए।

---

## आदित्य एल- 1 मिशन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा के सूर्य मिशन पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe) से प्राप्त आँकड़ों के आकलन से संबंधित जानकारी को प्रकाशित किया गया। ध्यातव्य है कि भारत भी सूर्य का अध्ययन करने के लिये पहला वैज्ञानिक अभियान भेजने की तैयारी में है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- इसरो अगले वर्ष चंद्रयान- 3 तथा वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की तैयारी के साथ सूर्य से संबंधित परीक्षण के लिये आदित्य एल-1 मिशन को भेजने की तैयारी कर रहा है।

### आदित्य एल-1 मिशन के बारे में

- Aditya L-1 Mission के वर्ष 2020 में शुरू होने की उम्मीद है यह सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा।
- ISRO ने आदित्य L-1 को 400 किलो-वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान- XL (PSLV-XL) से लॉन्च किया जाएगा।
- यह मिशन भारतीय खगोल संस्थान (Indian Institute of Astrophysics- IIA), बंगलूरू, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics- IUCAA), पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस , एजुकेशन एंड रिसर्च (Indian Institute of Science, Education and Research- IISER), कोलकाता के साथ-साथ ISRO की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सहयोग से संचालित होगा।
- सितंबर 2015 में एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य एल-1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा।
- इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला में सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और फ्लेयर्स तथा कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejections- CME) का अध्ययन करने के लिये बोर्ड पर 7 पेलोड (उपकरण) होंगे।
- ध्यातव्य है कि मिशन के सभी प्रतिभागी संस्थान वर्तमान में अपने संबंधित पेलोड को विकसित करने के अंतिम चरण में हैं। कुछ उपकरणों का निर्माण किया जा चुका है और परीक्षण चरण में प्रत्येक घटक की जाँच की जा रही है तथा कुछ पेलोड के अलग-अलग घटकों को असेम्बल किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि आदित्य एल- 1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित एल-1 लग्रांज बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा।

### सूर्य का अध्ययन क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

- पृथ्वी सहित हर ग्रह और सौरमंडल से परे एक्सोप्लैनेट्स विकसित होते हैं और यह विकास अपने मूल तारे द्वारा नियंत्रित होता है। सौर मौसम और वातावरण जो सूरज के अंदर और आसपास होने वाली प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है, पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित करता है।
    - सोलर सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव उपग्रह की कक्षाओं को बदल सकते हैं या उनके जीवन को बाधित कर सकते हैं या पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित कर सकते हैं या अन्य गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इसलिये अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिये सौर घटनाओं का ज्ञान होना महत्त्वपूर्ण है।
- पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के बारे में जानने एवं उन्हें ट्रैक करने तथा उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिये निरंतर सौर अवलोकन की आवश्यकता होती है, इसलिये सूर्य का अध्ययन किया जाना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

मिशन से संबंधित चुनौतियाँ

- सूर्य से संबंधित मिशनों के लिये सबसे बड़ी चुनौती पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, इसके अतिरिक्त सौर वातावरण में अत्यधिक तापमान एवं विकिरण भी महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। हालाँकि आदित्य एल 1 सूर्य से बहुत दूर स्थित होगा और उपग्रह के पेलोड (Payload) /उपकरणों के लिये अत्यधिक तापमान चिंता का विषय नहीं है। लेकिन इस मिशन से संबंधित अन्य चुनौतियाँ भी हैं।
- इस मिशन के लिये कई उपकरणों और उनके घटकों का निर्माण देश में पहली बार किया जा रहा है जो भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष समुदायों के लिये एक अवसर के रूप में चुनौती पेश कर रहा है। ऐसा ही एक घटक उच्च पॉलिश दर्पण (Highly Polished Mirrors) है जो अंतरिक्ष-आधारित दूरबीन पर लगाया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त इसरो के पहले के मिशनों में पेलोड अंतरिक्ष में स्थिर रहते थे किंतु इस मिशन में कुछ उपकरण अंतरिक्ष में गतिशील अवस्था में होंगे जो कि सबसे बड़ी चुनौती है।

---

## अधिकार प्राप्त 'प्रौद्योगिकी समूह"

### चर्चा में क्यों ?

19 फरवरी, 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अधिकार प्राप्त 'प्रौद्योगिकी समूह' के गठन की मंज़ूरी दी है।

### प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 12 सदस्य वाले प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंज़ूरी दी है।
- इस समूह को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में समय पर नीतिगत सलाह देना, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैपिंग करना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों में विकसित प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग का वाणिज्यीकरण, चुनिंदा प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिये स्वदेशी रोड मैप विकसित करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिये उचित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है।

### कार्य

### यह प्रौद्योगिकी समूह निम्न कार्य करेगा:

- प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्त्ता के लिये विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी खरीददारी रणनीति पर संभावित सर्वश्रेष्ठ सलाह देना।
- नीतिगत पहलों और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में इन-हाउस विशेषज्ञता विकसित करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों में विकसित/विकसित की जा रही सार्वजनिक क्षेत्र प्रौद्योगिकी की निरंतरता सुनिश्चित करना।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य

इस प्रौद्योगिकी समूह के कार्य के तीन स्तंभ इस प्रकार हैं:

1. पूंजीगत सहायता,
2. खरीदारी सहायता और
3. अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव पर मदद करना।

नोट :

### प्रौद्योगिकी समूह निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगा:

- कि भारत के पास आर्थिक विकास और सभी क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के सतत् विकास के लिये नवीनतम तकनीकों के प्रभावी, सुरक्षित और संदर्भ के हिसाब से उपयोग करने के लिये आवश्यक नीतियाँ और रणनीतियाँ हों।
- प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार को सलाह देना और सभी क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान की रणनीतियाँ तैयार करना।
- देश भर में प्रौद्योगिकियों के अद्यतन नक्शे, इसके मौजूदा उत्पादों और विकसित की जा रही तकनीकों का रखरखाव करना।
- चयनित महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिये स्वदेशीकरण रोडमैप विकसित करना।
- सरकार को इसके प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्त्ता और खरीद रणनीति पर सलाह देना।
- सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों को विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल तथा नीति पर विशेषज्ञता विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करना। इसके लिये क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विकसित करने पर भी बल देना।
- विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में सहयोग एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/प्रयोगशालाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रौद्योगिकी की स्थिरता के लिये नीतियाँ तैयार करना।
- अनुसंधान एवं विकास के लिये प्रस्तावों के पुनरीक्षण में लागू होने वाली सामान्य शब्दावली और मानक तैयार करना।

### पृष्ठभूमि

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पाँच महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिये जाने की आवश्यकता होती हैं:

1. प्रौद्योगिकी के विकास के लिये साइलो-केंद्रित दृष्टिकोण।
2. प्रौद्योगिकी मानक विकसित या लागू नहीं किये जाने से उच्च मानक से कम औद्योगिक विकास।
3. दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों का पूरी तरह व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पाना।
4. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जिनका प्रौद्योगिकी विकास में पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया।
5. समाज और उद्योग में अनुप्रयोगों के लिये महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानचित्रण की आवश्यकता।

वस्तुत: इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी समूह का गठन उपरोक्त समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास है।

---

## आकाशगंगा XMM-2599

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक आकाशगंगा XMM-2599 की खोज की है। आकार में असामान्य रूप से बड़ी यह आकाशगंगा लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी। इसके अस्तित्त्व के समय ब्रह्मांड महज़ 1.8 बिलियन वर्ष पुराना था।

### प्रमुख बिंदु

- बिग बैंग की घटना (जो कि 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई) और 12 बिलियन वर्ष के मध्य किसी समय इसमें तीव्र विस्फोट हुआ और तारों का तीव्र गति से निर्माण हुआ लेकिन यह विकास प्रक्रिया अचानक से बंद हो गई। इस परिघटना के पीछे की वज़हें अब भी अस्पष्ट हैं।
- उल्लेखनीय है कि आकाशगंगा XMM-2599 ने ब्रह्माण्ड की आयु 1 अरब वर्ष होने से पूर्व ही 300 बिलियन तारों (सोलर मास) का विकास कर लिया था और ब्रह्माण्ड की आयु 1.8 अरब वर्ष होने तक यह निष्क्रिय भी हो गई।
- खगोलविदों ने कुछ वर्ष पूर्व ZF-COSMOS-20115 नामक एक अन्य विशालकाय आकाशगंगा की भी खोज की थी जिसकी उत्पत्ति ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के 1.7 अरब वर्ष बाद हुई थी किंतु अचानक इसमें तारों का निर्माण बंद हो गया। हालाँकि ZF-COSMOS-20115 में XMM-2599 के सोलर मास की तुलना में केवल 170 अरब सोलर मास मौजूद थे।
- वर्ष 2008 में EQ J100054+023435 नामक एक आकाशगंगा की खोज की गई थी जिसमें तारों का निर्माण प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक सोलर मास की दर से हुआ था। आकर में यह आकाशगंगा XMM-2599 से बहुत छोटी है जिसमें केवल 10 अरब सोलर मास हैं।
- अवलोकनों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विशाल आकार प्राप्त करने हेतु इस आकाशगंगा में 500 मिलियन वर्षों तक लगभग 1,000 सौर द्रव्यमान प्रतिवर्ष की दर से तारों का निर्माण हुआ होगा।

- ध्यातव्य है कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी (Milky Way) में प्रतिवर्ष 3 से 4 सौर द्रव्यमान ही निर्मित होते हैं।

अब तक के शोध से विपरीत परिघटना

- खगोलविदों के मध्य अब तक यह मान्यता थी कि शुरुआती ब्रह्माण्ड में इतनी बड़ी आकाशगंगा का निर्माण नहीं हुआ होगा। हालाँकि हमारी तकनीक के उन्नत होने और दिक्-काल के दूरगामी क्षेत्रों में पहुँच स्थापित होने के साथ ही इन धारणाओं को चुनौती मिल रही है।
- इस खोज से यह पता चला है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर सोलर मास निर्मित हो रहे थे जो ब्रह्मांड संबंधी हमारे मॉडल से अलग है।
- संख्यात्मक (Numerical) मॉडल अब XMM-2599 जैसी विशाल आकाशगंगाओं की गणना कर सकते हैं किंतु शुरुआती चरण में तारों का तीव्रता से निर्माण और फिर इस प्रक्रिया के अचानक से रुक जाने की परिघटना शोध और आश्चर्य का विषय बनी हुई है।

# डेटा स्थानीयकरण से संबंधित मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

डेटा स्थानीयकरण वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, इसी संदर्भ में भारत सरकार ने भी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया था।

- विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिये संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है जहाँ विधेयक में शामिल बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून एक व्यापक कानून है जो व्यक्तियों को इस बात पर अधिक नियंत्रण देने का प्रयास करता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्रित, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है।
- एक बार पारित होने के बाद यह कानून वर्तमान भारतीय गोपनीयता कानून में भारी सुधार का वादा करता है जो कि अपर्याप्त और अनुचित रूप से लागू किया गया है।

विधेयक में डेटा स्थानीयकरण संबंधी प्रावधान

- विधेयक में स्पष्ट उल्लेख है कि व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट सहमति देने और विशेष शर्तों पर ही संवेदनशील पर्सनल डेटा को भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। हालाँकि ऐसे संवेदनशील पर्सनल डेटा को भारत में भी स्टोर किया जाना चाहिये।
- जिस संवेदनशील डेटा को सरकार महत्त्वपूर्ण डेटा के तौर पर अधिसूचित करेगी, उसे केवल भारत में ही प्रोसेस किया जा सकता है।

डेटा स्थानीयकरण के पक्ष में तर्क

डेटा स्थानीयकरण के संदर्भ में मूलत: 3 तर्क दिये जाते हैं:

- डेटा स्थानीयकरण के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि स्थानीय स्तर पर डेटा संग्रहीत करने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी अपराध का पता लगाने या साक्ष्य इकट्ठा करने के लिये आवश्यक जानकारी का उपयोग करने में मदद मिलती है।
  - गौरतलब है कि जहाँ डेटा का स्थानीयकरण नहीं होता है वहाँ जाँच एजेंसियों को जानकारी प्राप्त करने के लिये पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (Mutual Legal Assistance Treaties-MLATs) पर निर्भर रहना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप जाँच-पड़ताल में विलंब होता है।
- डेटा स्थानीयकरण से स्थानीय अवसंरचना, रोज़गार और AI पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान के मामले में स्थानीय उद्योग को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
- नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में तर्क यह है कि डेटा की स्थानीय होस्टिंग भारतीय कानून को डेटा पर लागू करने और उपयोगकर्त्ताओं को स्थानीय उपचार तक पहुँच प्रदान कर डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा में वृद्धि करेगा।

## विपक्ष में तर्क

- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सभी देश डेटा के संरक्षण पर बल देने लगे तो यह भारत की उन कंपनियों के लिये बेहद हानिकारक हो सकता है, जो वैश्विक विस्तार की आकांक्षी हैं।

- जहाँ एक ओर भारत और चीन डेटा स्थानीयकरण के पक्ष में हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सरकार तथा कंपनियाँ निर्बाध डेटा प्रवाह को ज़रूरी समझते हैं।
- आलोचकों का मानना है कि डेटा स्थानीयकरण की संकल्पना वैश्वीकरण की संकल्पना के विपरीत है तथा यह संरक्षणवाद को बढ़ावा देता है।

### कंपनियाँ डेटा भंडारण और स्थानीयकरण में असमर्थ क्यों हैं?

- उच्च लागत- डेटा के स्थानीयकरण का कार्य कंपनियों के लिये उच्च लागत वाला है क्योंकि इसके लिये उन्हें सर्वर, यू.पी.एस., जनरेटर, भवन और कर्मियों सहित बहुत सी अन्य भौतिक एवं अवसंरचनात्मक लागतों को वहन करना पड़ेगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी के लिये आधारिक संरचना: कंपनियों को लगता है कि भारत में अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी के लिये अनुकूल परिस्थितियों तथा आधारिक अवसंरचना का अभाव है। भारत में किसी भी बड़े ई-कॉमर्स व्यापारी हेतु कानूनी प्रावधानों के तहत यह लागत 10% से 50% के बीच हो सकती है।
- भारत में सेवाएँ प्रदान करने वाली छोटी कंपनियों के लिये मानदंडों का अनुपालन कर पाना मुश्किल होगा। वास्तव में डेटा स्थानीयकरण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत में स्टार्ट-अप क्षेत्र को बढ़ावा देना भी है। लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सख्त मानदंड छोटी कंपनियों के लिये इसे काफी महँगा बना सकते हैं जिससे सरकार के उद्देश्य को पूरा करना संभव नहीं होगा।

### आगे की राह

- देश में डेटा स्थानीयकरण के साथ-साथ डेटा की सुरक्षा पर भी व्यापक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, साथ ही साइबर सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- भारत को नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा के लिये डेटा के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में कदम उठाना चाहिये।
- नीति निर्माताओं को विश्व स्तर पर सफल होने के लिये भारतीय उद्यमियों की परिवर्तनकारी शक्ति पर विश्वास करना चाहिये और इन उद्यमियों को गोपनीयता और डेटा प्रवाह के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करना चाहिये।
- भारतीय नीतियों में यूरोपीय संघ के डेटा स्थानांतरण मॉडल (EU's Data Transfer Model) और CLOUD अधिनियम से भी कुछ प्रावधानों का समावेश किया जाना चाहिये।

## 2020 सीडी-3

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक छोटी सी वस्तु देखी, जिसे उन्होंने 'मिनी-मून' या पृथ्वी के 'दूसरे उपग्रह' की संज्ञा दी है।

### मुख्य बिंदु:

- खगोलविदों ने इस अस्थायी मिनी-मून को '2020 CD3' नाम दिया है।
- 2020 सीडी-3 नामक मिनी-मून की खोज 15 फरवरी को नासा द्वारा वित्तपोषित एरिज़ोना स्थित 'कैटालिना स्काई सर्वे' (Catalina Sky Survey-CSS) के कैस्पर विर्ज़चोस (Kacper Wierzchos) और टेडी प्रुइने (Teddy Pruyne) नामक खगोलविदों द्वारा की गई।
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (International Astronomical Union-IAU) के 'माइनर प्लैनेट सेंटर' (Minor Planet Center) ने इस खोज के संदर्भ में कहा कि इसके ऑर्बिट इंटीग्रेशन से यह ज्ञात होता है कि यह अस्थायी रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बँधा हुआ है।
- यह वास्तव में एक क्षुद्रग्रह है, जो कि एक कार के आकार का है; इसका व्यास लगभग 1.9-3.5 मीटर है और यह हमारे स्थायी उपग्रह चंद्रमा के समान नहीं है।
- यह एक अस्थायी मिनी-मून है, कुछ समय बाद यह पृथ्वी की कक्षा से मुक्त हो जाएगा और अपने रास्ते से हट जाएगा।

### क्या होता है अस्थायी मिनी-मून?

- ये एक प्रकार के क्षुद्रग्रह होते हैं जो कभी-कभी अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर उसके प्राकृतिक ग्रह की तरह उसकी परिक्रमा करने लगते हैं परंतु यह परिक्रमण अस्थायी होता है अत: इसे अस्थायी मिनी-मून कहते हैं।
- 2020 सीडी-3 पृथ्वी से कुछ दूरी पर परिक्रमा कर रहा है। इस तरह के क्षुद्रग्रह को 'टेंपररली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट' (Temporarily Captured Object- TCO) कहा जाता है।
- ऐसे क्षुद्रग्रहों की कक्षा अस्थिर होती है।
- ऐसे ग्रहों को हमारे स्थायी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के साथ-साथ सूर्य के प्रभाव का भी सामना करना पड़ता है।
- एक बार पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद ऐसी वस्तुएँ आमतौर पर मुक्त होने के पश्चात् सूर्य के आस-पास की स्वतंत्र कक्षा में चली जाती हैं।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, 2020 सीडी 3 को तीन वर्ष पहले पृथ्वी की कक्षा में देखा गया था।

### पूर्व उदहारण:

- यह पहली बार नहीं है जब पृथ्वी के एक से ज़्यादा चंद्रमा का पता चला हो। इसके पहले वर्ष 2006 में RH120 नामक पृथ्वी के अस्थायी चंद्रमा का पता चला था।
- RH120 सितंबर 2006 से जून 2007 तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के भीतर बना रहा। इसके बाद यह पृथ्वी के गुरुत्त्वीय क्षेत्र से बाहर निकल गया।

### अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ:

- यह पेशेवर खगोलविदों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी।
- इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस में है।
- इस संघ का उद्देश्य खगोलशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है।
- जब भी ब्रह्मांड में कोई नई वस्तु पाई जाती है तो खगोलीय संघ द्वारा दिये गए नाम ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की महासभा की बैठक तीन वर्ष में एक बार की जाती है।
- अगली IAU की बैठक का आयोजन वर्ष 2021 में दक्षिण कोरिया के बुसान में किया जाएगा।

## हवाई टेलीस्कोप विवाद

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक दशक से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शनों के फलस्वरूप प्रस्तावित थर्टी मीटर टेलीस्कोप (Thirty Metre Telescope- TMT) को परियोजना के सह-निर्माता देश (भारत सहित ) किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं।

### थर्टी मीटर टेलीस्कोप:

- दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप, TMT का निर्माण हवाई द्वीप समूह के मौना की (Mauna Kea) द्वीप पर किया जा रहा है अत: इसे हवाई टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है।
- TMT, एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) परियोजना है जिसमें पाँच देश- कनाडा, अमेरिका, चीन, भारत तथा जापान शामिल हैं।
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 2 बिलियन डॉलर है।
- TMT टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष तथा ब्रह्मांडीय वस्तुओं का व्यापक निरीक्षण किया जा सकेगा।
- यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक बेहतर रिज़ॉल्यूशन प्रदान करेगा।

### विवाद का कारण:

- प्रस्तावित स्थल मौना की द्वीप को स्थानीय हवाईयन लोगों द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है जिससे वे प्रस्तावित परियोजना का प्रारंभ से विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि वहाँ पहले से ही बहुत अधिक वेधशालाएँ हैं तथा अब वहाँ इस प्रकार का एक और टेलीस्कोप स्थापित किया गया तो इससे स्थानीय संस्कृति प्रभावित होगी।

### मौना की (Mauna Kea):

- मौना की द्वीप हवाई द्वीप समूह का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जिसकी सागर तल (Sea Level) तथा सागर आधार तल (Sea Base) से ऊँचाई क्रमशः 4,207.3 मीटर और 10,200 मीटर है।
- सागर तल के आधार यह हवाई राज्य का सबसे ऊँचा स्थान है जबकि सागर आधार तल के आधार पर दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत है।
- इसके अलावा मौना की द्वीप को हवाई राज्य द्वारा संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया है तथा विभिन्न पर्यावरणीय प्रभाव अभिकथन (Environmental Impact Statement- EIS) रिपोर्टों से पता चला है कि इन परियोजनाओं ने क्षेत्र में पर्यावरण कुप्रबंधन को बढ़ाया है।

### पर्यावरणीय प्रभाव अभिकथन:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्यावरण कानून के तहत एक पर्यावरणीय प्रभाव अभिकथन, मानव के पर्यावरण को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने से पूर्व अपनाई जाने वाली विशिष्ट कार्यप्रणाली है।
- यह कार्य वर्ष 1969 के अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम (National Environmental Policy Act- NEPA) में बताई गयी प्रक्रिया के तहत होता है।
- NEPA के तहत पर्यावरण समीक्षा में विश्लेषण के तीन अलग-अलग स्तर शामिल हो सकते हैं।
  1. श्रेणीबद्ध निष्कासन निर्धारण (Categorical Exclusion- CATEX)
  2. पर्यावरणीय आकलन (Environmental Assessment- EA)
  3. पर्यावरणीय प्रभाव कथन अभिकथन (EIS)
- पर्यावरणीय प्रभाव अभिकथन पर्यावरण समीक्षा के विश्लेषण का तीसरा चरण होता है जिसका कार्य किसी भी परियोजना का विस्तृत आकलन करना है।
- इस परियोजना को विज्ञान बनाम संस्कृति के मध्य विवाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है।

### विज्ञान बनाम संस्कृति (Science vs culture):

- मौना की द्वीप के संरक्षण की वकालत करने वाले हवाईवासी लोगों को विज्ञान विरोधी और पिछड़ा कहा जा रहा है।
- विज्ञान बनाम संस्कृति के मध्य विवाद का जन्म 1600 के दशक से माना जाता है जब कैथोलिक चर्च पादरियों द्वारा कॉपरनिकस और गैलीलियो जैसे खगोलविदों को परेशान किया गया था।
- लेकिन वर्तमान में पश्चिमी परंपराओं को गैर-पश्चिमी परंपराओं से श्रेष्ठ बताने के लिये इसका प्रयोग किया जा रहा है।
- इस परियोजना के स्थापना स्थल मौना की द्वीप को लेकर वर्ष 2014 से ही विवाद चल रहा था, जिसे वर्ष 2018 में हवाई सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त किया तथा परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
- लेकिन परियोजना के समर्थकों देशों ने तब से कोई प्रगति नहीं की है, क्योंकि निर्माण कार्य वर्ष 2015 और वर्ष 2019 में पहले ही दो बार बाधित हो चुके थे तथा इसके आगे भी विरोध की संभावना नज़र आ रही है।
- इस परियोजना में लगभग पाँच साल की देरी हुई है इसलिये वर्ष 2025 तक इसका परिचालन प्रारंभ होने की संभावना है ।

टेलीस्कोप का निर्माण यहाँ क्यों?

- वैज्ञानिकों ने चिली, मैक्सिको, भारत और हवाई में विभिन्न स्थलों पर परीक्षण किये तथा वर्ष 2009 में मौना की द्वीप को आदर्श स्थल के रूप में चुना।
- टेलीस्कोप के लिये आवश्यक आदर्श परिस्थितियाँ यथा- आदर्श ऊँचाई, वायुमंडलीय दशाएँ जैसे कि बादल निर्माण, वायु की गति, वायु का तापमान, सौर विकिरण, जमीन की शीतलन दर आदि सभी यहाँ अनुकूल है।

### भारत की भागीदारी:

- भारत भी परियोजना से जुड़े पाँच देशों में से एक हैं तथा भारत की तरफ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy- DAE) संयुक्त रूप से इस परियोजना में शामिल होंगे।
- भारत एक दिए गए वर्ष में उपलब्ध समय स्लॉट के 10% का उपयोग कर सकेगा, जिसका निर्धारण मौद्रिक और अवसंरचनात्मक योगदान के आधार पर किया जाएगा। भारत का योगदान 200 मिलियन डॉलर होगा, जो प्रस्तावित योजना की लागत का दसवाँ हिस्सा है।
- टेलीस्कोप निर्माण में कुल 492 पॉलिश किए गए दर्पणों की आवश्यकता होगी जिनमें से भारत को 83 दर्पणों का निर्माण करना है। परियोजना में देरी होने से इन दर्पणों के विनिर्माण अनुबंधों में भी देरी हो रही है।

### आगे की संभावना:

- टेलीस्कोप लगाने के लिये दूसरी सबसे अच्छी अवस्थिति स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा (La Palma) द्वीप है, जिसे नवीन परियोजना स्थल के रूप में चुना जा सकता है।
- हानले, लद्दाख (Hanle, Ladakh) भी TMT की मेजबानी करने के लिये एक स्थल चुना जा सकता है।

### कैनरी द्वीपसमूह (Canary Islands):

- यह स्पेन द्वारा नियंत्रित द्वीपों का एक समूह है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी छोर पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस द्वीपसमूह में कई द्वीप है यथा तेनरीफ (Tenerife), ला पाल्मा (La Palma), ला गोमेरा (La Gomera) आदि।

### भारत की मेजबानी में विवाद:

- महत्वाकांक्षी विज्ञान परियोजनाओं की मेजबानी के साथ भारत की भी अपनी समस्याएँ रही हैं यथा- तमिलनाडु में थेनी (Theni) में प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (Indian Neutrino Observatory- INO), राज्य में विरोध के कारण पहले ही ठप हो गई है, ऐसे में नवीन परियोजनाओं की मेजबानी करना भारत के लिये आसान नहीं होगी।

### हनले (Hanle):

- यह भारतीय संघशासित प्रदेश लद्दाख का एक ऐतिहासिक गाँव है, जो प्राचीन लद्दाख-तिब्बत व्यापार मार्ग पर हनले नदी घाटी में स्थित है।
- यह खगोलीय अवलोकन के लिये दुनिया के सबसे ऊँचे स्थलों में से एक है।

### थेनी (Theni):

- यह तमिलनाडु का एक ज़िला है जो पश्चिमी घाट के समीप स्थित है। इसके तहत लगभग 1200 मीटर ऊँचे चट्टानी पहाड़ों के नीचे सुरंग में विस्तरीय प्रयोगशाला बनायी जायेगी, जिससे पश्चिमी घाट की जैव विविधता प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह:

- ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाओं में विज्ञान और संस्कृति के बीच की लड़ाई जैसे रंग देने के स्थान पर स्थानीय लोगों के अधिकारों तथा संस्कृति को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाना चाहिये।

---

## इनसाइट लैंडर मिशन

### चर्चा में क्यों?

नासा के इनसाइट लैंडर मिशन (InSight Lander Mission) को मंगल ग्रह की सतह पर एक वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। इनसाइट लैंडर द्वारा मंगल ग्रह के संदर्भ में प्रदान की गई सूचनाओं को लेकर नासा ने 6 पत्रों का एक संग्रह प्रकाशित किया है।

नोट :

## इनसाइट लैंडर मिशन

- इनसाइट का पूरा नाम 'इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट' (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport- InSight) है।
- इनसाइट लैंडर मिशन मंगल ग्रह की सतह के नीचे विस्तृत अध्ययन के लिये समर्पित पहला मिशन है।
- मंगल ग्रह के अध्ययन के लिये भेजा गया इनसाइट लैंडर 26 नवंबर, 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था।
- इस मिशन के दौरान विस्तृत अध्ययन करने हेतु भूकंपमापी यंत्र (Seismometer), हवा के दबाव को मापने के लिये सेंसर, मैग्नेटोमीटर (Magnetometer) और ग्रह के तापमान का अध्ययन करने के लिये एक ताप प्रवाह यंत्र मौजूद है।
- इनसाइट मिशन नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम-1992 (Discovery Program-1992) का हिस्सा है।

## इनसाइट लैंडर का अध्ययन

- इनसाइट लैंडर द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, मंगल ग्रह पर उम्मीद से अधिक कंपन होती है, किंतु यह कंपन काफी हल्की होती है। यह निष्कर्ष अति-संवेदनशील भूकंपमापी यंत्र द्वारा किये गए अध्ययन से सामने आया है।
  - यह उपकरण वैज्ञानिकों को सैकड़ों से हज़ारों मील दूर तक कंपन की घटनाओं को 'जानने' में सक्षम बनाता है।
- मंगल के पास पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट (Tectonic Plates) नहीं हैं, किंतु इसमें ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र हैं जो कंपन का कारण हो सकते हैं।
- भूकंपमापी यंत्र ने अब तक 450 से अधिक कंपन के संकेत प्राप्त किये हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार, इनमें से अधिकांश भूकंप के संकेतक हैं। इसके अलावा कई संकेतक मंगल ग्रह के पर्यावरणीय कारकों जैसे- हवा से भी उत्पन्न हुए हैं।
- अध्ययन के अनुसार, अरबों वर्ष पूर्व मंगल ग्रह पर एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद था, यद्यपि यह अब मौजूद नहीं है, किंतु इसके कारण ग्रह की सतह के नीचे कुछ चुंबकीय चट्टानें बची हुई हैं। इनसाइट के मैग्नेटोमीटर ने इन चुंबकीय चट्टानों के संकेतकों का पता लगाया है।
- अब वैज्ञानिक इन सूचनाओं और पहले से ज्ञात तथ्यों का उपयोग कर मंगल ग्रह की सतह के नीचे मौजूद चुंबकीय परतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

ग्रह के कोर से संबंधित सूचना

- इनसाइट लैंडर में दो रेडियो हैं जिसमें से पहला नियमित रूप से डेटा भेजने और प्राप्त करने का कार्य कर रहा है। इनसाइट लैंडर का दूसरे रेडियो, जो कि अधिक शक्तिशाली है, को ग्रह की घूर्णन गति और आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह रेडियो यह बताने में सक्षम है कि ग्रह का कोर ठोस है या तरल। ठोस कोर वाले ग्रह की घूर्णन गति में एक तरल कोर वाले ग्रह की तुलना में कम अनियमितताएँ होंगी।

## आगे की राह

- नासा ने कहा है कि मंगल ग्रह को लेकर इनसाइट लैंडर से प्राप्त अब तक की सूचना इस मंगल के विस्तृत अध्ययन को लेकर एक नए दौर की शुरुआत है।
- ज्ञात हो कि मंगल ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के दो वर्षों के सामान होता है। नासा का मानना है कि मंगल ग्रह का एक पूरा वर्ष वैज्ञानिकों को ग्रह की गति और तापमान से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर प्रदान करेगा।

नोट :

# पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

## आर्द्रभूमि: समस्त विश्व और भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों?

### संदर्भ

2 फरवरी, 2020 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetlands Day) मनाया गया। वर्ष 1971 में इसी दिन आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention on Wetlands) को (रामसर, ईरान में) अपनाया गया था। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि रामसर कन्वेंशन ने भारत से 10 आर्द्रभूमियों को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व' के स्थलों के रूप में घोषित किया गया है, जिसके बाद देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 37 हो गई हैं।

### आर्द्रभूमियों पर अधिक ध्यान क्यों दिया जा रहा है?

- रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा में दलदली भूमि, बाढ़ के मैदान, नदियाँ और झीलें, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जो कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं हैं, साथ ही मानव निर्मित आर्द्रभूमियों जैसे अपशिष्ट-जल उपचार वाले तालाब और जलाशय भी इसमें शामिल हैं।
- IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), वैश्विक मूल्यांकन ने आर्द्रभूमि को सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में चिह्नित किया है।
- यूनेस्को के अनुसार, यह दुनिया की 40% वनस्पतियों और वन्यजीवों को प्रभावित करता है जो आर्द्रभूमियों में निवास या प्रजनन करते हैं।
- भूमि आधारित कार्बन का तीस प्रतिशत पीटलैंड में संग्रहीत है; एक अरब लोग अपनी आजीविका के लिये आर्द्रभूमि पर निर्भर हैं; आर्द्रभूमियाँ आवश्यक सेवाओं में सालाना 47 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करती हैं।
- इस वर्ष आर्द्रभूमि दिवस की थीम 'वेटलैंड्स और जैव-विविधता' (Wetlands and Biodiversity) है।

### भारत में आर्द्रभूमि स्थिति

- आर्द्रभूमियों को आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम (Wetlands (Conservation and Management) Rules,), 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (Central Wetland Regulatory Authority) के लिये प्रदत्त नियमों का 2010 संस्करण; 2017 के नियमों ने इसे राज्य-स्तरीय निकायों के साथ परिवर्तित कर एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति (National Wetland Committee) बनाई, जो एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती है। नए नियमों ने 'आर्द्रभूमि' की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को हटा दिया, जिनमें बैकवाटर, लैगून, क्रीक और एश्च्युरी शामिल हैं।
- भारत में कुल आर्द्रभूमि 1,067,939 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं, जो भारत के लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर या 4.5% क्षेत्र को कवर करती हैं।
- फरवरी 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 के नियमों (के नियम 4) के तहत इनमें से 2,01,503 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षण प्रदान किया है और अधिकारियों को इन स्थलों को अधिसूचित करने का आदेश दिया। 2017 के नियम लागू होने के 180 दिन बाद (25 सितंबर, 2017) तक आर्द्रभूमियों को 25 मार्च, 2019 तक अधिसूचित किया जाना था। हालाँकि अभी तक एक भी आर्द्रभूमि को अधिसूचित नहीं किया गया है। इसरो की सैटेलाइट इमेजरी (ISRO's satellite imagery) के ज़रिये 2.25 हेक्टेयर में फैले 2,01,503 वेटलैंड्स की पहचान की गई है।
- अक्तूबर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्द्रभूमियों के गायब होने पर चिंता व्यक्त की, यदि कोई आर्द्रभूमि नहीं बचेगी, तो यह कृषि और कई अन्य चीजों को भी प्रभावित करेगा। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

### रामसर स्थल घोषित किये जाने का क्या अर्थ है ?

- हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल किये गए भारतीय स्थलों को 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि' के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन स्थलों को न केवल उन देशों के लिये महत्त्वपूर्ण माना गया है, जहाँ वे स्थित हैं, बल्कि समग्र मानवता के लिये महत्त्वपूर्ण माना गया है।

### नवघोषित 10 आर्द्रभूमि स्थल

- घोषित नए 10 आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल हैं- नंदुर मदमहेश्वर (Nandur Madhameshwar), महाराष्ट्र केशोपुर-मियाँ (Keshopur-Mian), पंजाब ब्यास कंज़र्वेशन रिज़र्व (Beas Conservation Reserve), पंजाब नांगल (Nangal), पंजाब नवाबगंज (Nawabganj), उत्तर प्रदेश पार्वती आगरा (Parvati Agara), उत्तर प्रदेश समन (Saman), उत्तर प्रदेश समसपुर (Samaspur), उत्तर प्रदेश सांडी (Sandi) आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश सरसई नवार (Sarsai Nawar), उत्तर प्रदेश।

## जलवायु परिवर्तन शमन के लिये नाइट्रोजन प्रबंधन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) द्वारा प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन (Reactive Nitrogen) के बारे में फ्रंटियर्स रिपोर्ट (Frontiers Report) का प्रकाशन किया गया।

### मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन द्वारा उत्पन्न किया जा रहा एक मिश्रण स्वास्थ्य, जलवायु तथा पारिस्थितिक तंत्र के लिये खतरा बनकर उभरा है।
- यह अध्ययन 2018 -2019 के दौरान किया गया, जिसने नाइट्रोजन प्रदूषक को एक व्यापक चेतावनी के रूप में पेश किया है, फिर भी यह समस्या बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक समझ के परे अज्ञात और अनजान बनी हुई है।

रिपोर्ट से संबंधित महत्त्वपूर्ण पक्ष:

- यूरोपीय नाइट्रोजन मूल्यांकन (European Nitrogen Assessment) में नाइट्रोजन प्रदूषण के पाँच प्रमुख खतरों की पहचान की गई है:

1. पानी की गुणवत्ता
2. वायु गुणवत्ता
3. ग्रीनहाउस गैस संतुलन
4. पारिस्थितिक तंत्र
5. जैव विविधता

- नाइट्रोजन प्रदूषण और संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के स्तर में तेज़ वृद्धि के कारकों में कृषि, परिवहन, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्रों की बढ़ती मांग मुख्यतया ज़िम्मेदार है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि नाइट्रस ऑक्साइड ($N_2O$), ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना अधिक शक्तिशाली है।

### नाइट्रोजन जनित समस्याएँ:

- एल्गी प्रस्फुटन:

उर्वरक, जल-वाह (Run-off) झीलों और जलमार्गों में एल्गी प्रस्फुटन (Algal Blooms) के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- मृत क्षेत्र :
    - 'मृत क्षेत्र' हाइपोक्सिया (Hypoxia) के लिये एक अधिक सामान्य शब्द है, जो पानी में ऑक्सीजन के कम स्तर को संदर्भित करता है।

- हाइपोक्सिक क्षेत्र स्वाभाविक रूप से भी निर्मित हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानव गतिविधियों द्वारा निर्मित या विकसित के बारे में चिंतित हैं। हालाँकि कई भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक हैं जो मृत क्षेत्रों के निर्माण के लिये ज़िम्मेदार है, लेकिन पोषक तत्त्वों से युक्त प्रदूषण मानव द्वारा बनाए गए इन क्षेत्रों का प्राथमिक कारण है।
- इसके अतिरिक्त पोषक तत्त्व जो भूमि से बाहर निकलते हैं या अपशिष्ट जल के रूप में नदियों और तटों में जमा होते हैं, शैवालों की अतिवृद्धि की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि एक सीमा के बाद पानी के तल में बैठ जाते हैं और विघटित हो जाते हैं। अपघटन प्रक्रिया ऑक्सीजन का उपभोग करती है और स्वस्थ समुद्री जीवन के लिये उपलब्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करती है तथा 'मृत क्षेत्र' का निर्माण करती है ।

- ग्लोबल वार्मिंग:

जीवाश्म ईंधन और बायोमास दहन प्रक्रियाएँ नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ($NO_2$) छोड़ती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से NOx कहा जाता है। NOx एक अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिये ज़िम्मेदार गैस है।

- अम्ल-वर्षा:

कृषि से अमोनिया ($NH_3$) का उत्सर्जन होता है जो अंततः प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों तक पहुँचता है तथा ग्रीनहाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को बढ़ाता है।यह अंतिम उत्पाद के रूप में अम्लीय वर्षा के लिये उत्तरदायी है।

- शीतलन प्रभाव:

अमोनिया गौण पार्टिकुलेट मैटर (PM-2.5) बनाने के लिये NOx के उत्पादों के साथ प्रतिक्रिया करता है जिसके परिणामस्वरूप PM-2.5 का वास्तव में जलवायु पर शीतलन प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह प्रकाश बिखेरता है और बादलों के निर्माण को बढ़ावा देता है।

### अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी:

- स्कॉटलैंड अपने 2019 जलवायु परिवर्तन विधेयक में नाइट्रोजन बजट शामिल करने वाले देशों में से एक है।
- श्रीलंका की सरकार UNEP और अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली के साथ सतत् नाइट्रोजन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक अभियान शुरू करने के लिये तैयार है।

### नाइट्रोजन चक्र:

एक पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य से नाइट्रोजन चक्र में निम्न चरणों का समावेश होता है:

- नाइट्रोजन फिक्सेशन (Nitrogen Fixation):

वायुमंडलीय नाइट्रोजन मुख्य रूप से निष्क्रिय रूप ($N_2$) में होता है जो कुछ जीवों द्वारा उपयोग किया जा सकता हैं; इसलिये इसे नाइट्रोजन निर्धारण (Fixation) नामक प्रक्रिया में जैविक या किसी अन्य निश्चित रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

- नाइट्रीफिकेशन (Nitrification):

अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन- नाइट्रोसोमोनस जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में तथा नाइट्रोबेक्टर द्वारा नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदला जाता है।

- एस्सिमिलेशन (Assimilation):

विभिन्न रूपों में नाइट्रोजन यौगिक, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और अमोनियम के रूप में मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रवेश।

- अमोनीफिकेशन (Ammonification):

जैविक अपशिष्ट या जब जानवर अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन मिट्टी में पुनः प्रवेश करता है जहाँ अन्य विघटनकारी जीव इसे तोड़ने का कार्य करते हैं। इस विघटन से अमोनिया उत्पन्न होती है जो अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिये उपलब्ध होती है।

- डिनाइट्रीफिकेशन (Denitrification):

यदि जलाक्रांत जैसी अवस्था होती है तो स्यूडोमोनास जैसे जीवाणु नाइट्रेट को अंतिम रूप से नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन में बदल देते हैं।

# केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) ने 6 राज्यों के 14 थर्मल पावर प्लांटस (Thermal Power Plants) को बंद करने की चेतावनी दी है।

### मुख्य बिंदु:

- CPCB ने इन 14 थर्मल पॉवर प्लांट को यह चेतावनी सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 31 दिसंबर, 2019 की समयसीमा तक सीमित नहीं करने के संदर्भ में दी है।
- इन थर्मल पॉवर प्लांट में हरियाणा के 5, पंजाब के 3, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दो-दो संयत्र और तमिलनाडु का 1 संयत्र शामिल है।
- इन 14 थर्मल पॉवर प्लांटस की कुल क्षमता लगभग 15 गीगावाट है।
- थर्मल पावर प्लांट्स द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक याचिका दायर की गई थी।

### पृष्ठभूमि:

- केंद्र सरकार ने देश के 166,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले 440 थर्मल प्लांट्स से पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने के लिये दिसंबर 2022 तक का समय निर्धारित किया है।
- दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 प्लांट्स को 31 दिसंबर, 2019 तक उत्सर्जन को कम करने के लिये निर्देशों का पालन करना था क्योंकि इन संयत्रों के कारण न केवल दिल्ली शहर बल्कि गंगा के मैदानी क्षेत्र भी खराब वायु गुणवत्ता के शिकार हो रहे हैं।

### CPCB का आदेश:

- CPCB ने इन 14 प्लांट्स को इस महीने के अंत तक इस संबंध में जवाब देने के लिये कहा है कि उन्होंने मानदंडों का अनुपालन क्यों नहीं किया और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिये?
- CPCB द्वारा दिये गए आदेश के जवाब में इन थर्मल प्लांट्स के प्रबंधन ने फ्लू-गैस डिसल्फराइज़ेशन तकनीक (Flu-Gas Desulphurisation Technology) अपनाने को दावा किया था हालाँकि कुछ प्लांट्स के प्रबंधन का कहना था कि अभी उन्हें इस तकनीक को अपनाने के लिये टेंडर जारी करवाने हैं।
- इनमें से केवल एक ही थर्मल प्लांट वास्तव में $SO_2$ उत्सर्जन को सीमित करने के लिये प्रौद्योगिकी को लागू कर पाया है।

### अन्य बिंदु:

- CPCB को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) के प्रावधानों के तहत कठोर जुर्माना लगाने या इकाई को बंद करने की शक्ति है।
- सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (Centre for Science and Environment-CSE) के अनुमान के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों से संबंधित मानदंडों को लागू करके वर्ष 2026-27 तक PM उत्सर्जन में लगभग 35%, NOx उत्सर्जन में लगभग 70% और $SO_2$ उत्सर्जन को 85% से अधिक घटाया जा सकता है।

### केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: (Central Pollution Control Board):

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

### आगे की राह:

CPCB द्वारा उठाए गए इस कदम के साथ-साथ भारत में वायु प्रदूषण सहित अन्य सभी प्रकार के प्रदूषणों से स्थायी तौर पर राहत प्रदान करने वाले वाले उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम केवल सरकार पर न छोड़कर इसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सहयोग देना होगा क्योंकि बिना जन-सहयोग के इसे नियंत्रित कर पाना संभव नहीं है।

## 'फिलामेंट-फ्री केरल'

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल सरकार द्वारा सीएफएल (CFL-Compact Fluorescent Lamps) और फिलामेंट बल्ब (Filament Bulbs) की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है।

### मुख्य बिंदु:

- केरल सरकार के अनुसार, यह प्रतिबंध नवंबर 2020 से सतत् उर्जा नीति (Sustainable Energy Policy) के तहत लगाया जाएगा।
- केरल इस प्रकार के प्रतिबंध की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- केरल सरकार द्वारा हाल ही में पेश किये गए अपने बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिये 1,765 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, वहीं केरल सरकार को सौर ऊर्जा उपकरणों से 500MW बिजली उत्पादन की उम्मीद है।

### पृष्ठभूमि:

- सरकार द्वारा यह घोषणा वर्ष 2018 में राज्य के 'उर्जा केरल मिशन' (Urja Kerala Mission) के हिस्से के रूप में परिकल्पित 'फिलामेंट-फ्री केरल' (Filament-free Kerala) नामक सरकारी योजना को प्रारंभ करने के लिये की गई है।

### योजना का कार्यान्वयन:

- 'फिलामेंट-फ्री केरल' नामक योजना का कार्यान्वयन केरल राज्य विद्युत बोर्ड (Kerala State Electricity Board-KSEB) और ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, केरल (Energy Management Centre, Kerala) द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं को LED बल्ब (Light-Emitting Diode- LED) प्रदान किये जाएंगे।
- राज्य में उपभोक्ता मौजूदा फिलामेंट बल्ब के बदले KSEB वेबसाइट पर LED बल्ब के लिये ऑर्डर दे सकते हैं।
- LED बल्ब के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा नौ वॉट के बल्ब को काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है।
- केरल सरकार के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों तथा स्ट्रीट लाइट्स (Streetlights) में प्रयुक्त बल्बों को LED बल्बों में परिवर्तित किया जाएगा।

### योजना प्रारंभ करने की घोषणा का उद्देश्य:

- यह योजना पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने और नवीकरणीय स्रोतों जैसे-सौर और जल-विद्युत की अधिकतम क्षमता स्थापित करने के लिये केरल सरकार की दीर्घकालिक सतत् ऊर्जा नीति का हिस्सा है।
- LED बल्ब फिलामेंट या सीएफएल बल्ब की तुलना में ऊर्जा-कुशल होते हैं, इसलिये यह कम अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं।
- इसके अतिरिक्त फिलामेंट बल्ब में पारा तत्त्व होता है, जो टूटने पर प्रकृति में प्रदूषक का कार्य करता है।

### योजना से संबंधित अन्य तथ्य:

- KSEB द्वारा घरों और आवासीय परिसरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करने की योजना फिलामेंट-फ्री केरल योजना की दिशा में एक बढाया गया एक कदम है।

नोट :

- वर्ष 2019 में कासरगोड (Kasaragod) जिले की पीलीकोड (Peelikode) पंचायत पूरी तरह से फिलामेंट-मुक्त देश की पहली पंचायत बन गई है।
- केरल सरकार द्वारा पीलीकोड पंचायत को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पहल के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- केरल सरकार के अनुसार, सार्वजनिक खपत के लिये राज्य में बड़े पैमाने पर लगभग 2.5 करोड़ LED बल्बों का उत्पादन किया गया है।

भारत में LED बल्ब के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये किये गए अन्य प्रयास:

- उजाला योजना: (Unnat Jeevan by Affordable LED and Appliances for All -UJALA):
  - उजाला योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम' (National LED Programme) के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा की बचत करना और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है।
- राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम: (Street Lighting National Programme-SLNP):
  - SLNP देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसकी शुरुआत 5 जनवरी, 2015 को की गई थी तथा इसके तहत सरकार का लक्ष्य देश में 3.5 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल LED लाइट्स से बदलना है।
- सौभाग्य योजना:
  - इस योजना को सर्वप्रथम सितंबर 2017 में आरंभ किया गया था और इसे दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समयावधि को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया।
  - सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।
  - इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वॉट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया गया, जिसमें हर घर के लिये 5 LED बल्ब, एक पंखा भी शामिल था।

### आगे की राह:

केरल सरकार द्वारा घोषित 'फिलामेंट-फ्री केरल' जैसी योजनाओं को देश के अन्य राज्यों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रयोग के लिये व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिये क्योंकि इससे ऊर्जा की कम खपत के साथ-साथ लोगों को अच्छी रोशनी भी प्राप्त होगी।

## महासागरीय जलधारा एवं यूरोपीय जलवायु

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि आर्कटिक की बर्फ पिघल कर महासागरीय जलधारा (Ocean Current) को बाधित करती है जिससे पश्चिमी यूरोप की जलवायु में व्यापक परिवर्तन हो सकता है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- शोधकर्त्ताओं ने यह पता लगाया है कि आर्कटिक के ताज़े जल के अटलांटिक महासागर में मिलने से अटलांटिक महासागर की धाराओं के प्रवाह में परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र की जलवायु में व्यापक स्तर पर बदलाव आ सकता है।
- ध्यातव्य है कि ऐसी जलधाराएँ जो पश्चिमी यूरोप को गर्म रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आर्कटिक में बर्फ के पिघलने से अटलांटिक महासागर में ठंडे पानी की अत्यधिक मात्रा के कारण इसकी जलधाराओं के सामान्य गुणों में परिवर्तन आ सकता है। जिससे ये जलधाराएँ अपने आस-पास के क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

### शोध के मुख्य बिंदु

- अध्ययन के अनुसार, हर पाँच से सात वर्षों में हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है लेकिन दशकों से पश्चिमी हवा आर्कटिक क्षेत्र के लिये अपरिवर्तित रही है।
- किंतु यदि हवा की दिशा बदल जाती है तो यह वामावर्त दिशा में चलने लगेगी तथा धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ एकत्र पूरा ताज़ा जल अटलांटिक महासागर में प्रवाहित हो जाएगा।

## पश्चिमी यूरोप या अटलांटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण

- यदि ब्यूफोर्ट गायर से अटलांटिक महासागर में ताज़ा जल प्रवाहित होगा तो इससे अटलांटिक क्षेत्र की जलवायु प्रभावित होगी और पश्चिमी यूरोप में जलवायु परिवर्तन सहित इस गोलार्द्ध में व्यापक प्रभाव प्रदर्शित होंगे।
- गौरतलब है कि आर्कटिक महासागर से उत्तरी अटलांटिक में ताज़े पानी का प्रवाह सतह के जल के घनत्व को परिवर्तित कर देगा। जिससे जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन संभव है।
- अध्ययन के अनुसार, समुद्री बर्फ का पिघलना वास्तव में हमारे जलवायु प्रणाली पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इससे उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु प्रभावित होगी।
- आर्कटिक का जल वायुमंडल में गर्मी और नमी खो देता है और महासागर के नीचे तक चला जाता है, जहाँ यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से नीचे कटिबंधों तक जल को एक कन्वेयर-बेल्ट की तरह प्रवाहित करता है, जिसे वर्तमान में अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (Atlantic Meridional Overturning Circulation) कहा जाता है।
- यह धारा उष्णकटिबंधीय उष्मीय जल को यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे उत्तरी अक्षांशों तक ले जाकर इस क्षेत्र की जलवायु को विनियमित करने में मदद करती है किंतु यदि यह प्रक्रिया धीमी हो जाएगी तो यह जीवन के सभी रूपों विशेषकर समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

## आर्कटिक एवं अटलांटिक क्षेत्र: सामान्य स्थिति में

- वैज्ञानिकों के अनुसार, एक समुद्री जलधारा जिसे ब्यूफोर्ट गायर (Beaufort Gyre) कहा जाता है, आर्कटिक महासागर की सतह के पास ताज़े जल के भंडारण से ध्रुवीय वातावरण को संतुलित रखती है।
- ध्यातव्य है कि ब्यूफोर्ट गायर आर्कटिक महासागर की प्राथमिक परिसंचरण विशेषताओं में से एक है, जो कनाडा के बेसिन में मीठे पानी, समुद्री बर्फ और ऊष्मा का भंडारण और परिवहन करती है और क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- ब्यूफोर्ट गायर में हवा कनाडा के उत्तर में पश्चिमी आर्कटिक महासागर के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा (Clockwise) में चलती है। ध्यातव्य है कि गायर इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से ग्लेशियरों के पिघलने से और नदी अपवाह से ताजा पानी एकत्र करती है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह ताज़ा जल आर्कटिक के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह जल गर्म एवं नमकीन पानी के ऊपर तैरता है और समुद्री बर्फ को पिघलने से बचाने तथा पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, गायर लगभग 8,000 क्यूबिक किलोमीटर ताज़ा जल या अमेरिका में मिशिगन झील में उपलब्ध जल की मात्रा का लगभग दोगुना जल संचय करता है।
- ध्यातव्य है कि मीठे/ताज़े जल की प्राप्ति एवं संकेंद्रण का प्रमुख कारण गर्मियों और शरद ऋतु में समुद्री बर्फ का पिघलना है।
- पश्चिम की ओर चलने वाली तेज़ हवाएँ लगातार 20 वर्षों से अपनी गति और आकार को बढ़ाने के साथ-साथ आर्कटिक महासागर के ताज़े जल को निम्न अक्षांश की ओर जाने से रोकती हैं।

## आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने के अन्य प्रभाव

- बर्फ पिघलने से समुद्री जल-स्तर में वृद्धि होगी जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।
- इसके अतिरिक्त ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमगलन के कारण वैश्विक जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है जिससे महाद्वीपीय क्षेत्रों में सूखे एवं बाढ़ जैसे अनेक प्रभाव देखे जा सकते हैं।

## आगे की राह:

- जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिये देशों को पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- विभिन्न राष्ट्रों को आपसी सहयोग से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में कदम उठने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रों को विकासात्मक गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण में संतुलन बनाने की आवश्यकता है तथा वैश्विक तापमान को कम करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिये।

नोट :

- इसके अतिरिक्त लोगों को जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों के प्रति जागरूक कर उन्हें पर्यावरण हितैषी गतिविधियों को अपनाने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।

# जैव-चिकित्सा अपशिष्ट

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) के संदर्भ में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में संसद में दिया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ध्यातव्य है कि अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। जबकि तारांकित प्रश्न में मंत्री द्वारा मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति होती है।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट में मानव या पशु के शारीरिक अपशिष्ट, उपचार उपकरण जैसे- सुइयाँ, सीरिंज (सुई) तथा उपचार और अनुसंधान की प्रक्रिया में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रयुक्त अन्य सामग्रियाँ सम्मिलित हैं।
- ध्यातव्य है कि ये अपशिष्ट अस्पतालों, नर्सिंग होमों, पैथोलॉजी (विकृति विज्ञान) प्रयोगशालाओं, रक्त बैंक आदि में उपचार या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं।

### जैव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित तथ्य

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाना आवश्यक है और इसका इस नियम की अनुसूची 1 में निपटान के निर्दिष्ट तरीकों के अनुसार उपचारित और निपटान किया जाता है।
- अस्पतालों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा द्वारा किया जाता है।
- 28 राज्यों में जैव चिकित्सा अपशिष्टों के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निपटान के लिये 200 अधिकृत कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज़ल सुविधाएँ (Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facilities-CBWTFs) हैं। शेष 7 राज्यों गोवा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, नगालैंड और सिक्किम में CBWTF नहीं हैं।
- आम सुविधाओं के अलावा हेल्थकेयर सुविधाओं (Healthcare Facilities) द्वारा स्थापित 12,296 कैप्टिव उपचार और निपटान सुविधाएँ हैं।
- प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा (जो बेडेड और गैर-बेडेड दोनों हैं) को बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन के लिये संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति (State Pollution Control Boards- SPCB /Pollution Control Committees-PCC) से अनुमति (Authorization) लेना आवश्यक है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रति दिन स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या 2,60,889 है जिससे लगभग 608 मीट्रिक टन बायो-मेडिकल अपशिष्ट निकलता है जिसमें से 528 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार और निपटान CBWTTF या कैप्टिव निपटान सुविधा के माध्यम से किया जाता है।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियों के उपचार और निपटान के सामान्य तरीके निम्नलिखित हैं:
    - येलो श्रेणी के अपशिष्ट: इस प्रकार के अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान भस्मीकरण / प्लाज़्मा पायरोलिसिस /गहरे गड्ढे में दफनाकर किया जाता है।
    - रेड श्रेणी के अपशिष्ट: इस प्रकार के अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान आटोक्लेविंग / माइक्रोवेविंग / रासायनिक कीटाणुशोधन द्वारा किया जाता है।

- व्हाइट श्रेणी के नुकीले अपशिष्ट: इस प्रकार के अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान कीटाणुशोधन और कतरन, फाउंड्री / एन्कैप्सुलेशन के माध्यम से कंक्रीट के गड्ढे में दफनाने एवं रीसाइक्लिंग के बाद कीटाणुशोधन कर किया जाता है।
- ब्लू श्रेणी के काँच के अपशिष्ट: इस प्रकार के अपशिष्टों का उपचार एवं निपटान रीसाइक्लिंग के बाद धुलाई, कीटाणुशोधन द्वारा किया जाता है।

- जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 4 श्रेणियों में बाँटा गया है:
  - येलो श्रेणी: इसमें पशु अपशिष्ट, मिट्टी का कचरा, एक्स्पायर्ड दवाएँ, रासायनिक कचरा, रासायनिक तरल अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य नैदानिक प्रयोगशाला अपशिष्ट आदि शामिल हैं।
  - रेड श्रेणी: इसमें दूषित अपशिष्ट, ट्यूबिंग जैसे डिस्पोज़ेबल आइटम से उत्पन्न कचरा, सीरिंज, पेशाब की थैलियाँ, दस्ताने इत्यादि अपशिष्ट शामिल हैं।
  - ब्लू श्रेणी: इसमें नुकीली धातुओं वाले अपशिष्ट शामिल हैं।
  - व्हाइट श्रेणी: इसमें काँच के बने पदार्थों के अपशिष्ट शामिल हैं।

### जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board - CPCB) राज्यों / क्षेत्रों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये सभी SPCB/PCC के साथ काम कर रहा है।
- CPCB ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उचित उपचार और निपटान सुनिश्चित करने के लिये हितधारकों की सुविधा हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश तैयार किये हैं:
  - सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं के लिये संशोधित दिशा-निर्देश।
  - जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हेल्थकेयर अपशिष्ट प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश।
  - जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिये बार कोड प्रणाली हेतु दिशा-निर्देश
  - उपयोग के लिये बायोमेडिकल वेस्ट से निपटने हेतु दिशा-निर्देश
  - HCF और CBWTF के खिलाफ पर्यावरण मुआवज़ा के प्रभाव के लिये दिशा-निर्देश।

## आर्सेनिक: जल प्रदूषण का एक अदृश्य कारक

### चर्चा में क्यों?

भूमिगत जल में आर्सेनिक संदूषण (Arseic Contamination) भारत के पेयजल परिदृश्य में सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है।

### प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (Central Ground Water Board-CGWB) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 21 राज्यों में आर्सेनिक का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards-BIS) द्वारा निर्धारित 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुमन्य सीमा से अधिक हो गया है।
- गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी बेसिन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम इस मानव-प्रवर्तित भू-गर्भीय घटना से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- भारत में आर्सेनिक संदूषण की आधिकारिक तौर पर पुष्टि पहली बार वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसके चार दशक बाद यह परिदृश्य और भी गंभीर हो गया है।
- जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Programme-NRDWP) द्वारा प्रकाशित नवीनतम आँकड़ो के अनुसार, पश्चिम बंगाल में लगभग 9.6 मिलियन, असम में 1.6 मिलियन, बिहार में 1.2 मिलियन, उत्तर प्रदेश में 0.5 मिलियन और झारखंड में 0.013 मिलियन लोग भूमिगत जल में आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित हैं।

## केंद्रीय भूमि जल बोर्ड

- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जल संसाधन मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय), भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- वर्ष 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत समन्वेषी नलकूप संगठन को पुन:नामित कर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना की गई थी। वर्ष 1972 के दौरान इसका आमेलन भू-विज्ञान सर्वेक्षण के भूजल स्कंध के साथ कर दिया गया था।
- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड एक बहु संकाय वैज्ञानिक संगठन है जिसमें भूजल वैज्ञानिक, भूभौतिकविद्, रसायनज्ञ, जल वैज्ञानिक, जल मौसमवैज्ञानिक तथा अभियंता कार्यरत हैं ।
- इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है।

## उद्देश्य

- यह भूजल संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन पर राज्यों तथा अन्य प्रयोक्ता अभिकरणों को सुझाव देने के अतिरिक्त विभिन्न हितधारकों को वैज्ञानिक भूजल अन्वेषण, विकास एवं प्रबंधन की दिशा में तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराता है।
- बोर्ड विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से उत्सर्जित आँकड़ो के आधार पर नियमित रूप से वैज्ञानिक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है तथा दावाधारकों के मध्य इसका प्रचार-प्रसार करता है।
- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का कार्य वैज्ञानिक अध्ययन, ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण करना, भूमिजल प्रणाली की निगरानी करना, आकलन, संवर्धन, प्रबंधन और देश के भूमिगत जल संसाधनों का विनिर्माण करना है।

## राज्यों की स्थिति

- गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी बेसिन में प्रभावित राज्यों में से प्रत्येक के लिये विभिन्न स्रोतों द्वारा निर्दिष्ट आर्सेनिक संदूषण (प्रदूषण) की उपस्थिति एक हैरान करने वाली स्थिति निर्मित करती है। उदाहरण के लिये, बिहार में वर्ष 2016 से राज्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department-PHED) के आँकड़ो का दावा है कि 13 ज़िलों के भूमिगत जल में आर्सेनिक का प्रदूषण है। जबकि वर्ष 2018 में CGWB द्वारा प्रकाशित डेटा राज्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आँकड़ो का खंडन करता है, इसके अनुसार बिहार में 18 ज़िले खतरे में हैं। हालाँकि, उसी वर्ष NRDWP द्वारा प्रकाशित डेटा 11 ज़िलों के आर्सेनिक प्रभावित होने का दावा करता है।
- पश्चिम बंगाल में वर्ष 2014 में राज्य PHED द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का दावा था कि 11 ज़िले आर्सेनिक संदूषण का सामना कर रहे थे। लेकिन CGWB द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 के आँकड़ो के अनुसार प्रभावित ज़िलों की संख्या 8 है, जबकि NRDWP द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 के आँकड़ो के अनुसार यह संख्या बढ़कर 9 हो जाती है।
- असम में NRDWP के वर्ष 2018 के आँकड़ो के अनुसार 18 ज़िले प्रभावित हैं, तो वहीं CGWB के वर्ष 2018 के आँकड़ो के अनुसार प्रभावित ज़िलों की संख्या 8 है। राज्य PHED द्वारा वर्ष 2017 में प्रकाशित आँकड़े 17 ज़िलों को आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित बताते हैं।
- CGWB द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 के आँकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रभावित ज़िलों की संख्या 12 है, जबकि वर्ष 2018 में प्रकाशित NRDWP की रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित ज़िलों की संख्या 17 है। इसी प्रकार झारखंड में CGWB द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 के आँकड़ो के अनुसार 2 ज़िले प्रभावित हैं तो वहीं वर्ष 2018 में प्रकाशित NRDWP की रिपोर्ट में तीन ज़िलों को शामिल किया गया है।

## संदूषण श्रृंखला

- हाल ही में प्रकाशित कुछ शोधपत्रों में बताया गया है कि भूमिगत जल में आर्सेनिक संदूषण खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गया है।
- किसानों द्वारा सिंचाई के लिये दूषित जल का उपयोग करने से जल के माध्यम से भोजन में आर्सेनिक के स्थानांतरण के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं।
- वर्ष 2008 में फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, उबले हुए चावल, सब्जियों और दालों में आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा पाई गई। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उबले या पके हुए चावल में आर्सेनिक की मात्रा कच्चे चावल के दानों की तुलना में लगभग 2.1 गुना अधिक थी।

नोट :

- संयोगवश गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी बेसिन के मैदान कृषि के लिये अनुकूल हैं, यही कारण है कि इन राज्यों की खाद्य फसलों जैसे चावल, मक्का, मसूर और गेहूं तथा बागवानी फसलों में व्यापक रूप से आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है।
- खाद्य शृंखला में आर्सेनिक के प्रवेश से मानव समुदाय को त्वचा कैंसर व त्वचा संबंधी गंभीर क्षति का सामना करना पड़ता है।

### उपाय

- सरकार को कृषि उपज के लिये इस्तेमाल होने वाले जल में आर्सेनिक की जाँच करनी चाहिये।
- सरकार व गैर सरकारी संगठनों को पेयजल और कृषि उत्पादों के लिये आर्सेनिक मुक्त जल सुनिश्चित करने के लिये अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।
- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस विषय पर अनुसंधान को सुगम बनाने की दिशा में काम करना चाहिये जो फसलों में आर्सेनिक के संचय की जाँच कर सके और प्रभावित क्षेत्रों की कृषि चिंताओं को दूर कर सके।

## वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (World Wide Fund for Nature) ने 'ग्लोबल फ्यूचर्स: द ग्लोबल इकोनॉमिक इमपैक्टस ऑफ एन्वायरनमेंट चेंज टू सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग' (Global Futures: Assessing The Global Economic Impacts of Environmental Change To Support Policy-Making) नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

### मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारणों पर वैश्विक आर्थिक प्रभावों का पता लगाने के लिये अत्याधुनिक मॉडलिंग का उपयोग करते हुए एक ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है।
- इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा 'द ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट' (The Global Trade Analysis Project) द्वारा 'नेचुरल कैपिटल प्रोजेक्ट' (Natural Capital Project) के सहयोग से तैयार किया गया है।

### द ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट:

- द ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट को वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था।
- यह 17,000 से अधिक व्यक्तियों के वैश्विक नेटवर्क के साथ 170 से अधिक देशों में व्यापार और पर्यावरण नीतियों के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करता है।

### नेचुरल कैपिटल प्रोजेक्ट:

- द नैचुरल कैपिटल प्रोजेक्ट (NatCap) चार विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों- स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज़, मिनसोटा विश्वविद्यालय और स्टॉकहोम रेजिलिएशन सेंटर तथा दुनिया के दो सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से बना समूह है।
- यह अध्ययन 140 देशों और सभी प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में पर्यावरण निम्नीकरण लागत की गणना के लिये नए आर्थिक और पर्यावरणीय मॉडल का उपयोग करता है।

### रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु:

- यह रिपोर्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित छह महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का विश्लेषण करती है-
  - कृषि के लिये पानी की आपूर्ति
  - लकड़ी की आपूर्ति
  - समुद्री मत्स्य पालन
  - फसलों का परागण

- बाढ़, तूफान की वृद्धि और कटाव से सुरक्षा
- जलवायु परिवर्तन से बचने के लिये कार्बन संग्रहण

- यह रिपोर्ट पर्यावरण और जैव विविधता के नुकसान की स्थिति में कार्रवाई करने में विफल रहने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिये भविष्य की लागत का विश्लेषण करती है।

### नया परिदृश्य:

- इस रिपोर्ट को तैयार करने में अब 'ग्लोबल कंज़र्वेशन' (Global Conservation) के साथ -साथ 'बिज़नेस एज़ यूज़ुअल' (Business as Usual) नामक नया परिदृश्य जोड़ा गया है।
- जिसका उद्देश्य यह बताना है कि प्रकृति के निरंतर नुकसान के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे तथा भविष्य में वैश्विक आर्थिक समृद्धि के लिये प्रकृति में निवेश किया जाना आवश्यक है।

### वैश्विक स्थिति:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण का संरक्षण नहीं किये जाने से वर्ष 2050 तक दुनिया को लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की विफलता के कारण वर्ष 2050 तक वार्षिक वैश्विक जीडीपी में 0.67 प्रतिशत की गिरावट आएगी।
- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर दुनिया ने जीवन यापन का उत्कृष्ट सतत् मॉडल अपनाया तो वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2050 तक 0.02 प्रतिशत अधिक होगा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को 'बिज़नेस एज़ यूज़अल' परिदृश्य के तहत वर्ष 2050 तक महत्त्वपूर्ण वार्षिक जीडीपी घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और जापान को वर्ष 2050 तक एक वर्ष में $80 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है।

### भारत की स्थिति:

- ब्रिटेन और भारत को भी इस सदी के मध्य तक एक वर्ष में $20 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत को सर्वाधिक नुकसान पानी की कमी के कारण होगा।
- इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन, भारत और अमेरिका द्वारा दुनिया का लगभग 45% फसल उत्पादन किया जाता है, जो कि गंभीर रूप से प्रभावित होगा।

### प्राकृतिक असंतुलन का खतरा:

- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जंगल, आर्द्रभूमि और प्रवाल भित्ति जैसे प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन प्रभावित हो रहा है। इससे मछलियों के भंडार में कमी हो रही है, इमारती और जलावन में उपयोग की जाने वाली लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं तथा पादपों के परागण के लिये कीट समाप्त हो रहे हैं।
- मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन, मौसमी घटनाओं और बाढ़ में बढ़ोतरी, पानी की कमी, मिट्टी का क्षरण जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी एवं प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं।

### खाद्य सुरक्षा भी होगी प्रभावित:

- अगर पर्यावरणीय क्षरण इसी प्रकार जारी रहा तो दुनिया में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू सकती हैं।
- प्रकृति के नुकसान का सर्वाधिक नकारात्मक असर कृषि को झेलना पड़ता है। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक लकड़ी 8 प्रतिशत तक महँगी हो सकती है। कॉटन, ऑयल सीड और फल व सब्जियों की कीमतों में क्रमश: 6, 4 एवं 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।

नोट :

### आगे की राहः

प्रकृति को नुकसान पहुँचाने के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगे हैं। असमय बाढ़, सूखा, मौसम चक्र में बदलाव, कृषि उत्पादकता में कमी, जैव विविधता का क्षरण और सबसे गंभीर समस्या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आई है। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट में प्रकृति से छेड़छाड़ के आर्थिक नुकसान का आकलन सामने आया है। अतः मानव समुदाय को इन बदलावों को देखते हुए सचेत होना चाहिये तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाने चाहिये।

## टॉक्सिक एयरः द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया (Greenpeace Southeast Asia) नामक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से नुकसान की लागत का आकलन किया गया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदुः

- ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया एवं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (Centre for Research on Energy and Clean Air- CREA) ने "टॉक्सिक एयरः द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल (Toxic Air: The Price of Fossil Fuels)" नामक रिपोर्ट में तेल, गैस और कोयले से होने वाले वायु प्रदूषण से नुकसान का आकलन किया है।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान की वैश्विक लागत प्रतिवर्ष लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर या प्रतिदिन 8 बिलियन डॉलर है। ध्यातव्य है कि यह लागत वैश्विक जीडीपी (Global GDP) का लगभग 3.3% है।
- वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष होने वाले नुकसान की लागत चीन में लगभग 900 बिलियन डॉलर तथा अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर है।
- भारत में वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष होने वाले नुकसान की लागत लगभग 150 बिलियन डॉलर या देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.4 % है। ध्यातव्य है कि वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान की लागत के मामले में भारत चीन व अमेरिका के बाद तीसरे पायदान पर है।
- वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के कारण हर साल 4.5 मिलियन लोगों की अकाल मृत्यु होने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर PM2.5 के कारण लगभग 3 मिलियन मौतें होती हैं, जो दिल्ली सहित उत्तरी भारतीय शहरों में प्रमुख प्रदूषकों में से एक है।
- जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न PM 2.5 और ओज़ोन से प्रतिवर्ष 7.7 मिलियन लोग में अस्थमा से पीड़ित होते हैं, जबकि केवल PM 2.5 के कारण लगभग 2.7 मिलियन लोग अस्थमा से प्रभावित होते हैं।
- वायु प्रदूषण कम आय वाले देशों में बच्चों के स्वास्थ्य के लिये एक बड़ा खतरा है। ध्यातव्य है कि PM2.5 प्रदूषक के संपर्क में आने के कारण दुनिया भर में अनुमानतः 40,000 बच्चे अपने पाँचवें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं।
- PM 2.5 के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 2 मिलियन बच्चों का जन्म समय से पहले या अपरिपक्व अवस्था में होता है। गौरतलब है कि इन 2 मिलियन अपरिपक्व बच्चों में लगभग 981,000 बच्चों का जन्म भारत में और लगभग 350,000 से अधिक बच्चों का जन्म चीन में होता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ($NO_2$) भी बच्चों में अस्थमा के लगभग 350,000 नए मामलों का कारण है। ध्यातव्य है कि $NO_2$ जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाला उप-उत्पाद है और $NO_2$ से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 350 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाला वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान का कारण है।

### लागत को कम करने के उपाय

- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा-संचालित जन परिवहन प्रणाली न केवल विषाक्त वायु प्रदूषण को कम करती है, बल्कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।

- ध्यातव्य है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को इतनी जल्दी कम नहीं किया जा सकता है, इसलिये जब तक पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग संभव न हो तब तक जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा के दुरुपयोग को कम करके एवं ऊर्जा संरक्षण के अन्य उपायों के माध्यम से भी जीवाश्म ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचनाओं को भी सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

### आगे की राह

- जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने हेतु वैश्विक स्तर पर विकसित एवं विकासशील देशों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैश्विक एवं राष्ट्रीय नीतियाँ बनाई जानी चाहिये।
- वायु प्रदूषण एवं इसके दुष्प्रभावों तथा ऊर्जा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है, ताकि सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से भी वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।

## COVID-19 से बचाव के लिये प्लाज़्मा थेरेपी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन के शोधकर्त्ताओं द्वारा COVID-19 से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिये एक विशेष प्लाज़्मा तैयार किया गया है।

### मुख्य बिंदु:

- COVID-19 से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिये किसी भी निवारक वैक्सीन या विशिष्ट एंटीवायरल की अनुपस्थिति में नोबल कोरोनावायरस SARS-CoV-2 से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिये यह प्लाज़्मा उन लोगों से लिया गया है जो कोरोना वायरस से ग्रस्त थे और अब स्वस्थ हो चुके हैं।

### COVID-19 से बचाव के लिये प्लाज़्मा:

- चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा इस प्लाज़्मा को एक चिकित्सीय विधि (Therapeutic Method) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- स्वस्थ हो चुके COVID-19 के रोगियों के शरीर में कोरोनावायरस के लिये बहुत से एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाते हैं।
- इस पद्धति में स्वस्थ हो चुके COVID-19 के रोगियों के शरीर से इस प्लाज़्मा को प्राप्त किया जाता है तथा रोगी के शरीर में इन्हें प्रविष्ट कराकर उसका उपचार किया जाता है।
- गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिये इन एंटीबॉडी का उपयोग करने से उनके बचने की उम्मीद जगी है।

### उपचार:

- चीन की एक दवा कंपनी ने चिकित्सीय उत्पादों जैसे-प्लाज़्मा और प्रतिरक्षा ग्लोब्युलिन (Globulin) को तैयार करने के लिये कुछ स्वस्थ हो चुके COVID-19 के रोगियों के शरीर से प्लाज़्मा एकत्र किया।
- 20 जनवरी 2020 से वुहान में COVID-19 के रोगियों के शरीर से लिये गए प्लाज़्मा से एक दर्जन से अधिक रोगियों का उपचार किया जा रहा है।
- जिन रोगियों का उपचार प्लाज़्मा थेरेपी द्वारा किया गया, उनमें थेरेपी दिये जाने के 12-24 घंटे बाद नैदानिक लक्षणों में सुधार दिखाई दिया।
- उपचार के बाद ही रक्त में ऑक्सीजन के संचार में सुधार हुआ और बीमारी बढ़ाने वाले वायरस की संख्या में कमी पाई गई।

पहले भी हो चुके हैं ऐसे प्रयोग:

- यह पहली बार नहीं है जब स्वस्थ हो चुके रोगियों के प्लाज़्मा का उपयोग वायरस से संक्रमित उन लोगों के उपचार के लिये किया गया है, जिनके लिये दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

- वर्ष 2014 में जब इबोला वायरस से गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया प्रभावित हुए थे तब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने इस वायरस से उबरने वाले रोगियों से प्राप्त होने वाले प्लाज़्मा से उपचार किये जाने प्राथमिकता दी थी।

### प्रारंभिक परीक्षण:

- वर्ष 2015 में फरवरी के मध्य और अगस्त की शुरुआत में गिनी में इबोला के रोगियों में किये गए एक परीक्षण में वायरस से उबरने वाले रोगियों से प्राप्त प्लाज़्मा से उपचारित 84 रोगियों में बहुत कम लाभ देखने को मिला।
- इस प्लाज़्मा से रोगी का उपचार किया जाना एक पुरानी विधि है, इसका उपयोग खसरा, चेचक और रेबीज़ के खिलाफ किया जा चुका है।
- रेबीज़ के मामले में इस पद्धति को कुत्ते के काटने के बाद और रोग विकसित होने से पहले निष्क्रिय टीकाकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है।

### अन्य तथ्य:

- एंटीबॉडी युक्त प्लाज़्मा द्वारा उपचार करने का सबसे अच्छा समय बीमारी विकसित होने से पहले का होता है। यही कारण है कि स्वस्थ हो चुके रोगियों के प्लाज़्मा का उपयोग करने वाली यह पद्धति अन्य वायरल रोगों के लिये लोकप्रिय नहीं है
- COVID-19 के मामले में जब तक निमोनिया का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

## अवर फ्यूचर ऑन अर्थ 2020: रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों:

हाल ही में 'फ्यूचर अर्थ' (Future Earth) नेटवर्क के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science-IISC) के 'दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज' द्वारा 'अवर फ्यूचर ऑन अर्थ-2020 (Our Future On Earth) रिपोर्ट जारी की गई है।

### मुख्य बिंदु

- यह रिपोर्ट 52 देशों के 222 प्रमुख वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण पर आधारित है।
- यह रिपोर्ट वर्ष 2050 तक 'कार्बन फुटप्रिंट' में कमी लाने और वैश्विक तापमान वृद्धि में पूर्व-औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने के उद्देश्य से जारी की गई।
- रिपोर्ट निम्नलिखित पाँच वैश्विक जोखिमों की पहचान करती है:
  - जलवायु परिवर्तन के प्रति शमन और अनुकूलन (Mitigation and Adaptation) की विफलता।
  - चरम मौसमी घटनाएँ।
  - जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन।
  - खाद्यान संकट।
  - जल संकट।
- रिपोर्ट में इन जोखिम कारकों के परस्पर अंतर्संबंधों के परिणामस्वरूप संभाव्य वैश्विक जलवायु संकट की बात कही गई है और इसके उदाहरण प्रस्तुत किये है। उदाहरणत: अत्यधिक ऊष्म तरंगें (Heat Wave) पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन की बड़ी मात्रा का निष्कासन करके न केवल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है बल्कि जल व खाद्यान संकट भी उत्पन्न करती है।
- इसी प्रकार जैव विविधता में हानि से कृषि प्रणालियों की चरम जलवायु घटनाओं से निपटने की क्षमता कमजोर होती तथा इससे खाद्य संकट की सुभेद्यता बढ़ जाती है।

### फ्यूचर अर्थ (Future Earth):

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क है जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका की दिशा में समझ में वृद्धि तथा सतत् विकास की दिशा में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है।

- 'फ्यूचर अर्थ' की शासन परिषद में बेलमोंट फोरम (Belmont Forum), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU), अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद (ISC), विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एसटीएस (STS) मंच शामिल है।

### रिपोर्ट से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी

1. ऊष्मा में कमी के प्रयास (Dialing Down the Heat):

- सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु किये जाने वाले प्रयासों का समय लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान प्रयास इस दिशा में पर्याप्त नहीं है।
- यथा हाल ही में 700 से अधिक शहरों, राज्यों और सरकारों के नेताओं को जलवायु संकट या जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के लिये प्रेरित किया है।
- फिर भी वर्ष 2019 के दौरान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 415 PPM (Parts Per Million) से अधिक पाई गई साथ ही वर्ष 1880 के बाद वर्ष 2014-2018 के बीच पाँच वर्षों की अवधि में स्थल और सागर दोनों ही सबसे अधिक गर्म रहे हैं।

2. लोकलुभावन नीतियाँ बनाम ज़मीनी आंदोलन (Populism Versus Grassroots Movements):

- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चलने वाले आंदोलन, दक्षिणपंथी लोकलुभावनवादी राजनीति, आर्थिक क्षेत्र में गिरावट और बढ़ती असमानता के चलते पर्यावरण संरक्षण के आकांक्षी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते।
- लोकलुभावन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के चलते देश की सीमाओं को बाहरी लोगों के लिये बंद करने तथा आप्रवासियों (Immigrants) को अस्वीकार करने पर केंद्रित हैं।
- ये आन्दोलन जलवायु परिवर्तन संबंधी तथ्यों तथा प्रभावों का खंडन करते हैं।

3. प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण की आवश्यकता (Need for conservation of natural areas):

- हमारे ग्रह के भूमि क्षेत्र का 75% हिस्सा मनुष्य ने अब 'काफी बदल' दिया है।
- पौधे और पशु समूहों की लगभग एक-चौथाई प्रजातियाँ खतरे में हैं।
- वर्ष 2018 में दुनिया के अंतिम मेल (Male) उत्तरी सफेद गैंडे (Northern White Rhino) की केन्या में मृत्यु हो गई, जबकि ब्राज़ीलियाई नीले तोते स्पिक्स मैकॉ (Spix's Macaw) को जंगल से विलुप्त घोषित किया गया।
- इस ग्रह पर जीवन की क्षति को रोकने के लिये संरक्षण के नवीन तरीकों की आवश्यकता होगी।

4. वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर पुनर्विचार (Rethinking Global Food Security):

- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, बढ़ती वैश्विक आबादी जैसे विभिन्न कारकों के कारण खाद्य उत्पादन पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

5. दुष्प्रचार को रोकना (Industrializing Disinformation):

- दुनिया में सूचना का प्रवाह प्रारूप बदल रहा है, क्योंकि आज ग्रह के 7.6 बिलियन लोगों में से लगभग आधे लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा हैं, वे सोशल मीडिया, सर्च इंजन और ई-कॉमर्स एल्गोरिदम (Algorithms) आदि से गहराई से प्रभावित हैं।
- ये 'डिजिटल प्लेटफॉर्म', भावनाओं को तर्क (Reason) के साथ जोड़ने के अनुरूप तैयार की गई जानकारी को महत्त्व देते हैं जो 'फ़ेक समाचार' (Fake News) के प्रचार का कारण बन सकते हैं, चूँकि 'फ़ेक समाचार' छह गुना तेज़ी और 100 गुना से अधिक लोगों तक पहुँच सकती है।
- यह विश्वास-क्षरण (Erosion of Trust) करके सामाजिक-हानि कर सकता हैं। अत: मिडिया यहाँ प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

6. पर्यावरणीय स्वास्थ्य और शिक्षा (Environmental Health and Education):

- माध्यमिक शिक्षा के अंतिम चार वर्ष, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये एक उचित आधार प्रदान कर सकते हैं।
- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' में स्कूल स्तर पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रश्न को संबोधित किया जाए, इसके बिना कोई भी सरकारी नियम और नीतियाँ मददगार नहीं हो सकती हैं।

# भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीप

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institutes of Technology-IIT) खड़गपुर ने 'भारत में नगरीय ऊष्मा द्वीपों के विस्तार में मानवजनित कारक' नाम से एक शोधपत्र जारी किया।

### मुख्य बिंदु:

- इस शोध में नगरीय और उपनगरीय भूमि के सतही तापांतर का अध्ययन किया गया।
- यह शोध वर्ष 2001-2017 के दौरान 44 प्रमुख शहरों में किये गए अध्ययन पर आधारित है।

### अध्ययन में मुख्य निष्कर्ष:

- पहली बार शहरी ऊष्मा द्वीपों का सतही औसत दैनिक तापमान (इसे Urban Heat Island-UHI तीव्रता भी कहते हैं।) 2□C से अधिक होने के प्रमाण पाए गए। दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू, हैदराबाद और चेन्नई जैसे सभी नगरों में ऐसे प्रमाण मिले हैं।
- यह विश्लेषण मानसून और उत्तर- मानसून काल में उपग्रह आधारित तापमान मापन पर आधारित है।

### नगरीय ऊष्मा द्वीप:

नगरीय ऊष्मा द्वीप वह सघन जनसंख्या वाला नगरीय क्षेत्र होता है, जिसका तापमान उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2□C अधिक होता है।

### ऐसा क्यों होता है?

- फुटपाथ, सड़क, छत जैसी अवसंरचनाएँ कंक्रीट, डामर (टार) और ईंटों जैसी अपारदर्शी सामग्री से निर्मित होती हैं जो प्रकाश को संचारित नहीं होने देती हैं।
- इनकी ऊष्मा-क्षमता (किसी वस्तु के विकिरण को अवशोषित कर गर्म होने की क्षमता) एवं तापीय-चालकता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उच्च होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खुला स्थान, पेड़-पौधे और घास पाई जाती है। और पेड़-पौधों में वाष्पी-वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) की क्रियाएँ होती हैं जबकि नगरों में इन क्रियाओं का अभाव रहता है, अत: नगरों का तापमान अधिक हो जाता है।

### वाष्पी-वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration):

यह शब्द दो शब्दों, वाष्पीकरण (Evaporation) और वाष्पोत्सर्जन (Transpiration से मिलकर बना है।

### वाष्पीकरण:

- इसमें स्थल भाग से आसपास की वायु में जल की आवाजाही होती है।

### वाष्पोत्सर्जन:

- पौधे के भीतर जल की गतिशीलता तथा उसकी पत्तियों में स्टोमेटा (Stomata: पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों) के माध्यम से जल में होने वाली कमी।

## UHI का जलवायु पर प्रभाव:

- UHI के कारण नगरीय वायु गुणवत्ता में भी कमी आती है।
- नगरीय उच्च तापमान के कारण UHI में उच्च तापमान पसंद करने वाली प्रजातियों यथा- चींटियों जैसे-कीड़े, छिपकली और जेकॉस (Geckos) का अतिक्रमण बढ़ता है। ऐसी प्रजातियों को एक्टोथर्म (Ectotherms) कहा जाता है।
- इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में ऊष्मा का अनुभव किया जाता है जो मानव और पशु दोनों के स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक हैं, इसके कारण शरीर में ऐंठन, अनिद्रा और मृत्यु दर में वृद्धि देखी जाती है।
- UHI आसपास के जल क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है जहाँ से गर्म जल शहर की सीवर नालियों से होता हुआ आसपास की झीलों और खाड़ियों में पहुँचता है और इनके जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता खराब करता है।

The Vision

नोट :

## UHI नगर की केस स्टडी:

- बंगलूरू जो कभी अपनी स्वास्थ्यवर्द्धक जलवायु के लिये जाना जाता था अब यह नगर UHI से प्रभावित है।
- नगर के आसपास के उपनगरों में इमारतों, औद्योगिक पार्कों और अपार्टमेंट्स का तेजी से विस्तार हुआ है, जैसे-इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइटफील्ड (Whitefield) उपनगरों के विस्तार ने नगर को अस्वास्थ्यकर बना दिया है। इसकी कुछ सुंदर झीलों का जल गँदला और रोगकारक हो गया हैं।
- नगर में जहाँ पहले रात में एयर कंडीशन या पंखों की जरूरत नहीं रहती थी वहाँ आज UHI की स्थिति है। औद्योगिक पार्क, कारखानें और संबंधित इमारतों से युक्त आसपास का क्षेत्र जो कभी एक विशाल उपनगर था वर्तमान में इसे तीसरे नगर 'साइबराबाद' (Cyberabad) के रूप में जाना जाता है।
- इनकी वजह से न केवल नगर में UHI का निर्माण हुआ है बल्कि 'वायु गुणवत्ता सूचकांक' (Air Quality Index-AQI) में भी भारी कमी आई है। हालाँकि बंगलूरू में AQI का स्तर सुरक्षित (Safe) श्रेणी पर है परंतु इस स्तर को बनाए रखने के लिये अभी से कदम उठाने की आवश्यकता है। AQI का 'सुरक्षित' स्तर 61-90 अंको के बीच माना जाता है।

## UHI का शमन और नियंत्रण:

औद्योगीकरण और आर्थिक विकास देश के लिये महत्त्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन साथ ही UHI स्थिति पर नियंत्रण पाना भी आवश्यक है। इसके लिये निम्न तरीके कारगर हो सकते हैं:

- हल्के रंग के कंक्रीट ( डामर के साथ चूना पत्थर) का उपयोग करना , हरित छतों का उपयोग करना, सड़क की सतह धूसर या गुलाबी रंग करना, ये काले रंग की अपेक्षा 50% बेहतर होते हैं क्योंकि ये कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और अधिक सूर्यताप को परावर्तित करते हैं। इसी तरह हमें छतों को हरे रंग में रंगना चाहिये और हरे रंग की पृष्ठभूमि वाले सौर पैनल स्थापित करने चाहिये।
- अधिक-से-अधिक पेड़ और पौधे लगाने चाहिये। 'ट्री पीपल संगठन' (Tree people) ने पेड़ और पौधों से होने वाले ऐसे 22 लाभों को सूचीबद्ध किया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - पेड़-पौधे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहायता करते हैं।
  - वे प्रदूषक गैसों को अवशोषित करके आसपास की हवा को साफ करते हैं (यथा- $NXOy$, $O_3$, $NH_3$, $SO_2$ आदि)।
  - वे शहर और सड़कों को ठंडा रखते हैं, इस तरह ऊर्जा संरक्षण में मदद करते हैं (एयर कंडीशनिंग लागत में 50% की कटौती)।
  - जल संरक्षण को बढ़ाते हैं और जल प्रदूषण को रोकते हैं।
  - मृदा अपरदन को रोकना।
  - पराबैंगनी किरणों से लोगों और बच्चों की रक्षा करने।
  - नगर में अप्रत्यक्षत: व्यापारिक क्रियाओं को बढ़ाने में मदद करना।

अत: अधिक-से-अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिये परंतु पौधारोपण के साथ-साथ उनकी निरंतर देखभाल भी की जानी चाहिये तथा 'टोकन पौधारोपण' (विशेष एकल किस्म के पौधों को बढ़ावा देना) नहीं करना चाहिये।

# उत्तरी यूरोप को घेरने वाले विशाल बाँध (NEED)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोधपत्र में 637 किमी. की संयुक्त लंबाई के दो बांधों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है ताकि बढ़ते सागरीय जल स्तर को रोका जा सके।

### मुख्य बिंदु:

- इस शोधपत्र को अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसायटी (American Meteorological Society) के बुलेटिन में प्रकाशन के लिये स्वीकार किया गया है।
- इस शोधपत्र में उल्लेख किया गया है कि उत्तरी सागर के चारों ओर उत्तरी यूरोप को घेरने वाले विशाल बाँध (Northern European Enclosure Dam-NEED) का निर्माण किया जाएगा।

नोट :

### बाँध निर्माण का प्रस्ताव:

वैज्ञानिकों ने 637 किमी. की संयुक्त लंबाई के दो बांधों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है:

- पहला बाँध उत्तरी स्कॉटलैंड और पश्चिमी नॉर्वे के बीच बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 476 किमी और गहराई 121 मीटर (321 मीटर अधिकतम) होगी।
- दूसरा बाँध फ्रांस और दक्षिण-पश्चिमी इंग्लैंड के बीच बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 161 किमी और गहराई 85 मीटर (102 मीटर अधिकतम) होगी।

### चयनित स्थान:

- अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर से अलग करना ही उत्तरी यूरोप के सागरीय जल स्तर में वृद्धि (Sea Level Rise-SLR) से रक्षा का सबसे व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।
- इन वैज्ञानिकों ने दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे स्थानों की पहचान की है जहाँ ऐसे बाँध बनाए जा सकते हैं। इन स्थानों के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये स्थान मेगा-एनक्लोज़र (Mega-Enclosures) यानी वे सागरीय क्षेत्र है जहाँ सागर (Sea) और महासागर (Ocean)आपस में मिलते हैं, यथा- फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर और लाल सागर आदि।

### प्रोजेक्ट के पक्ष में तर्क:

- शोधपत्रों में यह दावा किया गया है कि जब वित्तीय लागत और इतने बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट की तुलना उपलब्ध अन्य वैकल्पिक समाधानों से की जाती है तो यह प्रोजेक्ट अन्य की तुलना में अधिक अनुकूलित (Potentially Favourable) नज़र आता है।
- शोधकर्त्ता SLR के समाधानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं:
    - कोई कार्रवाई नहीं (No Action)
    - सुरक्षा (Protection)
    - समस्या में कमी के लिये प्रबंधन (Managed Retreat)
- शोधकर्त्ताओं ने NEED को दूसरी श्रेणी में रखा है।
- उपर्युक्त तीसरी श्रेणी में 'प्रवास का प्रबंधन' जैसे विकल्प शामिल हैं जो 'सुरक्षा' श्रेणी की तुलना में महँगे हैं।
- तीसरी श्रेणी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अस्थिरता, मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ आप्रवासियों की संस्कृति और विरासत को नुकसान जैसी अमूर्त लागत शामिल है, जबकि NEED का लोगों के दैनिक जीवन पर बहुत कम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।
- इन बाँधों का निर्माण 'उचित लागत' पर किया जा सकता है तथा निर्माण के तुरंत बाद ही ये आवश्यक दक्ष भूमिका निभा सकेंगे।

प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता:

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, NEED प्रोजेक्ट में बाँधों की निर्माण लागत 250-550 बिलियन यूरोपीय यूरो होगी, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है।
- निर्माण की लागत अन्य देशों की तुलना में UK (United Kingdom), डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम में अधिक होगी क्योंकि इन देशों की न केवल SLR के प्रति सुभेद्यता अधिक है अपितु यहाँ के लोगों का जागरूकता स्तर भी उच्च है, ये दोनों कारक मिलकर इन देशों की बाँध निर्माण की लागत को बढ़ाते है।
- निर्माण कार्य से समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होंगे (बाँध के अंदर और बाहर दोनों)।
- इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा यह पर्यटन और मत्स्य पालन को भी प्रभावित कर सकता है।

अत: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय जैसे आयामों पर विचार करने के बाद ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिये।

नोट :

# शीत-रक्त प्रजातियाँ

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण शीत-रक्त प्रजातियाँ (Cold-Blooded Species) तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं।

### शीत-रक्त प्रजातियाँ:

जानवरों द्वारा उपयोग किये जाने वाले ऊर्जा स्रोत के आधार पर जानवरों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है:

1. शीत-रक्त प्रजातियाँ 2. गर्म-रक्त वाली प्रजातियाँ शीत-रक्त वाले जानवरों के शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं रहता अपितु उनका तापमान अस्थिर होता है और वह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है।

### मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट (Queen's University Belfast ) और तेल अवीव विश्वविद्यालय (Tel Aviv University) के शोध पर आधारित है।
- इस अध्ययन को ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोग्राफी (Global Ecology and Biogeography) जर्नल में प्रकाशित किया गया।
- अध्ययन में दुनिया भर से 4,100 भूमि कशेरुक (Vertebrate) प्रजातियों के उपापचय क्रियाओं का विश्लेषण किया गया।

### अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- इस अध्ययन में 'रेट ऑफ लिविंग' (Rate of Living) सिद्धांत और जीवनकाल (Lifespan) के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया।
- जबकि अध्ययन में सरीसृप (Reptiles) और उभयचर (Amphibians) जैसे शीत-रक्त प्रजातियों की जीवन प्रत्याशा पर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत विपरीत प्रभाव पाया गया।

### रेट ऑफ लिविंग :

- "उम्र का बढ़ना उपापचय की दर से संबंधित होता है, शरीर जितना तेजी से कार्य करेगा उतनी ही कम आयु में संतानोत्पत्ति क्षमता होगी और प्रजातियों का जीवनकाल उतना ही कम अवधि का होगा।"
- 100 साल से अधिक पुराने इस सिद्धांत का परीक्षण वैश्विक स्तर पर सभी भूमि कशेरुकों के साथ नहीं किया गया था और इस सिद्धांत का जिन प्रजातियों पर परीक्षण किया गया उनकी भी अनेक प्रजातियों के साथ अनेक सीमाएँ थीं।
- गर्म जलवायु ने वास्तव में ऐसी प्रजातियों के जीवनकाल को छोटा कर दिया है जिसके कारण इन प्रजातियों के तेज़ी से विलुप्त होने का खतरा उत्पन हो गया है।
- शोधकर्त्ताओं ने अब 'रेट ऑफ लिविंग' के लिये एक वैकल्पिक परिकल्पना प्रस्तावित की है: "वातावरण जितना अधिक गर्म होगा, 'रेट ऑफ लिविंग' उतनी ही तेज़ होगी, जिससे अधिक तेज़ी से उम्र बढ़ेगी और जीवनकाल छोटा होगा।"

### शोध का महत्त्व:

- दुनिया भर में जैव विविधता में गिरावट की स्थिति में इस शोध के निष्कर्ष, विलुप्त होते जीवों के पीछे के कारकों को समझने में मदद करेंगे।
- शीत-रक्त वाली प्रजातियाँ ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब और अधिक असुरक्षित हैं। क्योंकि तापमान बढ़ने से इन जीवों की आयु कम हो जाती है तथा इन प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, अत: इन जीवों को अधिक संरक्षण उपायों की आवश्यकता होगी।

## भारत के पक्षियों की स्थिति: 2020 रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 'प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के पार्टियों के 13वें अभिसमय' (United Nations 13th Conference of the Parties to the Convention on Migratory Species) में स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स 2020 (State of India's Birds- SoIB) नामक रिपोर्ट जारी की गई है।

### प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में पक्षियों की 867 प्रजातियों को शामिल किया गया जिनका विश्लेषण पक्षी प्रेमियों द्वारा ऑनलाइन मंच, ई-बर्ड (eBird) पर अपलोड किये गए डेटा की मदद से किया गया।
- लगभग 867 भारतीय प्रजातियों का यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि समग्र रूप से पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है। उल्लेखनीय है कि भारत में अब तक पक्षियों की कुल 1,333 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं।
- भारत में पक्षियों की कुल आबादी के पाँचवें हिस्से को 25 वर्षों में दीर्घकालिक गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- हालिया वार्षिक रुझान कई सामान्य पक्षियों की आबादी में 80% तक की कमी की ओर इंगित करते हैं।
- मुख्य रूप से मानव निवास क्षेत्रों में जीवित रहने की उनकी क्षमता के कारण 126 प्रजातियों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। इसमें मोर, घरेलू गौरैया, एशियाई कोयल, रोज़-रिंग पाराकेट और आम टेलोरबर्ड शामिल हैं।
- आवास, आहार, प्रवासी स्थिति और स्थानिकता (Endemicity) के विश्लेषण से पता चलता है कि रैप्टर (चील, बाज आदि) की संख्या में गिरावट आ रही है।
- प्रवासी तटीय तथा कुछ विशेष आवासों में रहने वाले पक्षी पिछले दशकों में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।
- घास के मैदानों, स्क्रबलैंड और वेटलैंड में रहने वाले पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई है।
- पश्चिमी घाट में भी पक्षियों की संख्या में भी वर्ष 2000 के बाद से लगभग 75 प्रतिशत की गिरावट आई है। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट को दुनिया की सबसे अग्रणी जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में गौरैया की आबादी में लंबे समय से गिरावट दर्ज की जा रही थी किंतु इनकी संख्या वर्तमान में स्थिर बनी हुई है। हालाँकि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में यह अब भी दुर्लभ हैं।

### संभावित कारण

- गौरैया की संख्या में कमी के संभावित कारणों में आहार और आवास, मोबाइल फोन टावर्स के रेडिएशन जैसे कारक शामिल हैं। हालाँकि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि मोबाइल फोन टावर्स के रेडिएशन का इनकी संख्या पर कोई प्रभाव पड़ता है।
- निवास स्थान की क्षति, विषाक्त पदार्थों की व्यापक उपस्थिति तथा शिकार इनकी कमी के प्रमुख कारण बताए गए हैं। लेकिन गिरावट के कारणों को इंगित करने के लिये लक्षित अनुसंधान की आवश्यकता है।

### हाई कंज़र्वेशन कंसर्न

- रिपोर्ट के अनुसार, पक्षियों की 101 प्रजातियों को हाई कंज़र्वेशन कंसर्न (High Conservation Concern) नामक श्रेणी में रखा गया है।
- हाई कंजर्वेशन कंसर्न सूची में शामिल रूफस-फ्रंटेड प्रिंसिया, नीलगिरि थ्रश, नीलगिरि पिपिट और भारतीय गिद्ध की आबादी में वर्तमान में गिरावट की पुष्टि की गई है।

### रिपोर्ट के सुझाव

- स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार IUCN की विलुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट में संशोधन किया जाए।
- वैज्ञानिकों तथा नागरिकों द्वारा सहयोगात्मक शोध के ज़रिये सूचनाओं के अंतराल को कम करने पर विशेष ध्यान देते हुए नीति निर्माण किया जाए।

नोट :

- हाई कंसर्न प्रजातियों के मामले में विशेष रूप घास के मैदानों, स्क्रबलैंड, वेटलैंड तथा पश्चिमी घाट के आवासों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

### रिपोर्ट के बारे में

- स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स 2020 एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है जिसे 10 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है।
- इस रिपोर्ट द्वारा भारत में नियमित रूप से पाई जाने वाली अधिकांश पक्षी प्रजातियों के लिये वितरण रेंज, उनकी आबादी के रुझान और संरक्षण की स्थिति का पहली बार व्यापक मूल्यांकन किया गया है।
- इन पक्षियों का डेटा नागरिक विज्ञान ऐप ई-बर्ड (e-Bird) के माध्यम से एकत्र किया गया है, जिसके तहत लगभग 15,500 नागरिक वैज्ञानिकों द्वारा भेजी गई रिकॉर्ड दस मिलियन प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं।

### प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय

- प्रजातियों पर अभिसमय (Convention on Migratory Species- CMS), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्त्वावधान में एक पर्यावरण संधि के रूप में प्रवासी जीवों और उनके आवास के संरक्षण तथा स्थायी उपयोग के लिये एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।

## थाईलैंड में सूखा

### चर्चा में क्यों ?

15 फरवरी, 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) के अर्थ ऑब्ज़र्वेटरी द्वारा जारी एक मानचित्र में दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े हिस्से में सतह की मिट्टी की नमी सामान्य से कम देखी गई तथा थाईलैंड इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- नासा का सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव (Soil Moisture Active Passive- SMAP) मिशन मिट्टी में पानी की मात्रा को मापता है और ज़मीन के नीचे पाँच सेंटीमीटर के क्षेत्र में पानी का पता लगा सकता है। ध्यातव्य है कि इसी की सहायता से दक्षिण-पूर्व एशिया में मिट्टी में नमी की मात्रा का आकलन किया गया है।

### सूखे का कारण

- मानसून का सामान्य से कम होना, सामान्य से कम वर्षा और अल-नीनो की स्थिति तथा असामान्य रूप से उच्च तापमान आदि कारक थाईलैंड को पिछले 40 से अधिक वर्षों में सबसे खराब सूखे की ओर धकेल रहे हैं।
  - मेकांग नदी आयोग के अनुसार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम सहित निचले मेकांग बेसिन के सभी देश मानसून में देरी और कमी से प्रभावित हैं।
- एक अल-नीनो घटना के कारण इस क्षेत्र के उच्च तापमान और उच्च वाष्पीकरण की समस्या में वृद्धि हुई है।

### सूखे का प्रभाव

- सूखे के कारण दक्षिण-पूर्व एशियाई देश के प्रमुख जलाशय सूखने की कगार पर हैं।
- नदियों का जल स्तर इतना कम हो गया है कि उनमें समुद्र का खारा पानी प्रवेश कर गया है जिसके कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ध्यातव्य है कि निचले इलाके खारे पानी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
- सूखे से थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। ध्यातव्य है कि थाईलैंड में कृषि क्षेत्र 11 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है।
- दुनिया के प्रमुख चीनी निर्यातकों में से एक इस देश में पिछले वर्षों की तुलना में 30 प्रतिशत कम चीनी उत्पादन का अनुमान है।
- अन्य लोअर मेकांग बेसिन के देश भी खराब स्थिति में हैं। दक्षिण-पश्चिम वियतनाम के मेकांग डेल्टा में पिछले मानसून की अपेक्षा इस वर्ष के मानसून से लगभग 8 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

### सूखे से निपटने से संबंधित उपाय

- सूखे से निपटने के लिये सर्वप्रथम उपलब्ध जल का दोहन एवं संरक्षण बड़ी ही सावधानी से किया जाना चाहिये।
- वर्षा जल संग्रहण जैसी तकनीक का प्रयोग भी सूखे की समस्या से कुछ हद तक राहत दे सकता है।
- इसके अतिरिक्त सूखे के प्रभावों को कम करने हेतु ऐसी फसलों के उत्पादन को वरीयता दी जानी चाहिये जिनमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती हो, साथ ही तकनीक के प्रयोग से जल के पुनर्चक्रण पर बल दिया जाना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों के सहयोग से इस समस्या से निपटने हेतु रणनीति बनाई जानी चाहिये। साथ ही देश में जल संरक्षण के संबंध में लोगों को जागरूक करना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त क्लाउड सीडिंग भी एक महत्त्वपूर्ण उपाय है जिसमें वर्षा को प्रेरित करने के लिये कृत्रिम रूप से मौसम में परिवर्तन किया जाता है। साथ ही तकनीक के उपयोग से खारे समुद्री जल को सामान्य जल में परिवर्तित कर कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में उपयोग करना चाहिये।

### सूखाः

सूखा एक असामान्य व लंबा शुष्क मौसम होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में स्पष्ट जलीय असंतुलन पैदा करता है। सूखे के लिये मानसून की अनिश्चितता के अतिरिक्त कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी कारक हो सकता है। 'सूखे' की तीन स्थितियाँ होती हैं-

(i) मौसमी सूखा: किसी बड़े क्षेत्र में अपेक्षा से 75% कम वर्षा होने पर उत्पन्न स्थिति।

(ii) जलीय सूखा: जब 'मौसमी सूखे' की अवधि अधिक लंबी हो जाती है तो नदियों, तालाबों, झीलों जैसे- जल क्षेत्रों के सूखने से यह स्थिति उत्पन्न होती है।

(iii) कृषिगत सूखा: इस स्थिति में फसल के लिये अपेक्षित वर्षा से काफी कम वर्षा होने पर मिट्टी की नमी फसल विकास के लिये अपर्याप्त होती है।

### आगे की राह

- गौरतलब है कि पानी की कमी वर्तमान समय की सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है तथा यह भी माना जाता है कि अगला विश्वयुद्ध पानी के लिये ही लड़ा जाएगा इसलिये वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण से संबंधित समावेशी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि वैश्विक तापन में वृद्धि इन सभी समस्याओं का प्रमुख कारण है, इसलिये वैश्विक तापन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध पेरिस जलवायु समझौते में निहित शर्तों एवं सुझावों को देशों द्वारा अपनी नीतियों एवं रणनीतियों में अपनाने की आवश्यकता है।

---

## प्रवासी प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण

### चर्चा में क्यों?

गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किये जा रहे 'प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के कॉप-13 सम्मेलन (United Nations 13th Conference of the Parties to the Convention on Migratory Species) में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन को प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के परिशिष्ट-I में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

### एशियाई हाथी

- भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। भारतीय हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध करके कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।
- CMS अभिसमय के परिशिष्ट I में भारतीय हाथी के शामिल होने से भारत की सीमाओं पर इसके प्राकृतिक प्रवास को सुरक्षित किया जा सकेगा। इससे हमारी भावी पीढ़ियों के लिये इस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- मुख्य भूमि से संबंधित एशियाई या भारतीय हाथी भोजन तथा आवास की खोज में एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में विचरण करते हुए चले जाते हैं। अधिकांश एशियाई हाथी आवास स्थान की हानि एवं विखंडन, मानव-हाथी संघर्ष, अवैध शिकार तथा अवैध व्यापार जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- भारत मुख्यभूमि से संबंधित एशियाई हाथियों का प्राकृतिक घर है, इसलिये वह हाथियों के संरक्षण के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

## ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय, संरक्षण पर निर्भर और पारगमन संकेतों को प्रदर्शित करने वाली प्रजाति है, इसका प्रवासन भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में इसके अवैध शिकार और विद्युत तारों से टकराने जैसे खतरों को उजागर करता है।
- इसे CMS के परिशिष्ट I में शामिल करने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण निकायों तथा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौते द्वारा सुव्यवस्थित संरक्षण प्रयासों में सहयोगी होगा।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। इसकी लगभग 100–150 की संख्या में एक छोटी आबादी है जो भारत में राजस्थान के थार रेगिस्तान तक सीमित है। इस प्रजाति की 50 वर्षों (छह पीढ़ियों) के भीतर 90% आबादी कम हो गई है और भविष्य में इस पर खतरे बढ़ने की आशंका है।

## बंगाल फ्लोरिकन

- बंगाल फ्लोरिकन IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। पारगमन प्रवासन के कारण आवास क्षेत्र में बदलाव तथा प्रवास के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर विद्युत तारों की चपेट में आने से इनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है।
- आवास कम होने और अत्यधिक शिकार के कारण इनकी आबादी कम हो रही है। यह प्रजाति असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप में संरक्षित क्षेत्रों से बाहर प्रजनन नहीं करती हैं।
- इसे CMS के परिशिष्ट I में शामिल करना संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास होगा।
- बंगाल फ्लोरिकन असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के संरक्षित क्षेत्रों से बाहर नहीं पाए जाते हैं।

## भारत के कौन से प्रस्ताव स्वीकार किये गए?

- भारत ने इस कन्वेंशन के परिशिष्ट- I में तीन प्रजातियों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया।
- परिशिष्ट- I में ऐसी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा है।
- परिशिष्ट- II में ऐसी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता हैं जिन्हें आवश्यक अनुकूल संरक्षण स्थिति के लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
- यदि किसी प्रजाति को परिशिष्ट- I में सूचीबद्ध किया जाता है, तो इससे प्रजाति विशेष के सीमा-पार संरक्षण प्रयास सहज हो जाते हैं।

भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार तो कर लिया गया है लेकिन पाकिस्तान, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रेंज वाला एक अन्य देश है, ने प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में भाग नहीं लिया। हालाँकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है।

## अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ

- IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय ग्लैंड (स्विटज़रलैंड) में स्थित है।
- IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है।
- IUCN द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिये कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग किया जाता है। ये मानदंड दुनिया की अधिकांश प्रजातियों के लिये प्रासंगिक हैं।

## प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिये सम्मेलन

- CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे बॉन कंवेंशन के नाम से भी जाना जाता है। CMS का उद्देश्य स्थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है।

- यह कन्वेंशन अप्रवासी वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवास पर विचार-विमर्श के लिये एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
- इस संधि पर वर्ष 1979 में जर्मनी के बॉन में हस्ताक्षर किये गए थे। यह संधि वर्ष 1983 में लागू हुई थी।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- उक्त तीन प्रजातियों के अलावा, सात अन्य प्रजातियों को भी CMS परिशिष्टों में सूचीबद्ध करने लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं, इनमें शामिल हैं- जगुआर, यूरियाल, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन अल्बाट्रॉस, ओशनिक व्हाइट-टिप शार्क, स्मूथ हैमरहेड शार्क और टोपे शार्क।
- COP13 के तहत समुद्री ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, कीटों की संख्या में अत्यधिक व्वृद्धि से उत्पन्न मुद्दे आदि पर भी चर्चा की जा रही है।

## केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) ने पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (Bio-chemical Oxygen Demand-BOD) के मानक पर लगभग 60 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की है।

### प्रमुख बिंदु

- दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (Centre for Science and Environment-CSE) द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर प्रकाशित एक वार्षिक वक्तव्य में संपूर्ण भारत की नदियों पर किये गए शोध के बारे में बताया गया है।
- शोध के अनुसार, CPCB ने संपूर्ण भारत में 350 से अधिक नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की है और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
- शोध में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदूषित नदियों का विस्तार असम में भरालू, बसीठा, कोलॉन्ग, बोको, कोपिली तथा मेघालय में वमुखराह, उम्शिरपी, विखिर्वी, रावका, कमइ-उम, उम-म्यनेसेह, उम्पई, म्यनेसेह और सारबंग तक है।
- मणिपुर में यह विस्तार नम्बुल और कोंगबा, मिज़ोरम में चिते, नगालैंड में धनसिरी और त्रिपुरा में गुमति नदियों तक है।

### सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट

- यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो भारत में पर्यावरण-विकास के मुद्दों पर थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है।
- इस संगठन ने वायु और जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संबंधी पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी।
- पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण की दिशा में इसके योगदान के कारण वर्ष 2018 में इसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिये इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- शोध में पाया गया है कि औद्योगिक और खनन अपशिष्टों के निष्कासन तथा कचरे की डंपिंग से नदियों के प्रमुख प्रवाह क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण का स्रोत अधिकतर कस्बों और शहरों के पास स्थित कारखाने और फैक्टरियाँ हैं।
- शोध में बताया गया है कि 60% से अधिक अनुपचारित सीवेज को नदियों और नहरों में छोड़ दिया जाता है। परिणामस्वरूप देश की आधी नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं, जिनमें गंगा, यमुना, साबरमती तथा दामोदर प्रमुख हैं।
- शोध में नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट (Composition Water Management Index-CWMI) 2018 का संदर्भ लेते हुए बताया गया है कि देश में लगभग 70% ताज़े पानी के स्रोत दूषित हैं और 600 मिलियन से अधिक लोग अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं।

### केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सितंबर, 1974 में किया गया था।
- इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981 के अधीन भी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं।
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन के रूप में कार्य करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

### कार्य

- जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- राज्य बोर्डों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनके बीच मतभेदों को सुलझाना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और इसमें कमी हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के लिये योजना बनाना एवं उसका संचालन करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और इसमें कमी लाने के कार्य में लगे हुए कार्मियों हेतु प्रशिक्षण की योजना बनाना एवं प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण से संबधित तकनीकी आँकड़े एकत्रित करना, संग्रहण एवं प्रकाशित करना और जल एवं वायु प्रदूषण के प्रभावी निवारण, नियंत्रण या इसमें कमी हेतु उपाय करना।
- शोध में यह भी बताया गया है कि पूर्वोत्तर भारत, जो कि देश के जल संसाधनों के लगभग 30% का प्रतिनिधित्व करता है, के कई क्षेत्रों में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- शोध के अनुसार, स्वच्छ और पर्याप्त पानी की उपलब्धता के आधार पर भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें स्थान पर है।

## जनवरी 2020 में रिकार्ड तापमान

### चर्चा में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) के अनुसार जनवरी 2020, वर्ष 1919 के बाद से भारत का दूसरा सबसे गर्म महीना रहा, जिसका मापन औसत न्यूनतम तापमान के मानकों के अनुसार किया गया।

### मुख्य बिंदु:

- यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वर्ष 1880 के बाद (भूमि और समुद्र की सतह के औसत तापमान के अनुसार) जनवरी 2020 सबसे गर्म रहा।

### भारत में तापमान का स्वरूप:

- जनवरी माह का औसत न्यूनतम तापमान 20.59°C की तुलना में जनवरी 2020 में 21.92°C रहा जो कि औसत से 1.33°C अधिक रहा। इससे पहले जनवरी 1919 सर्वाधिक गर्म रहा जो कि लगभग 22.13°C रहा था।
- इसके अलावा वर्ष 1901, 1906 और 1938 के जनवरी माह का तापमान भी सामान्य से अधिक रहा था।
- वर्ष 1901 के बाद से जनवरी माह के औसत तापमान में पहली बार 1°C से अधिक की विसंगति देखी गई।
- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों सहित संपूर्ण उत्तर भारत में इस बार सर्दियाँ कठोर रहीं।
- दिल्ली में दिसंबर माह में शीतकालीन ठंड ने उस समय कई रिकॉर्ड तोड़ दिये जब 17 दिनों तक लगातार तापमान 4°C तक गिर गया था। इसी तरह पंजाब और राजस्थान में भी दिसंबर और जनवरी में ठंड की स्थिति कठोर रही।

नोट :

### वैश्विक तापमान का स्वरूप:

- NOAA के अनुसार, जनवरी 2020 में वैश्विक स्तर (भूमि और महासागर की सतह से तापमान का औसत तापमान )141 वर्षों की समयावधि में सबसे अधिक रहा है।
- जनवरी 2016 और 2020 केवल ऐसे वर्ष रहे है जिनका तापमान विचलन 1°C से अधिक रहा है।
- जनवरी 2020 में उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव नहीं होने के बावजूद तापमान में यह विचलन रहा।

### ग्लोबल वार्मिंग:

ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है "वैश्विक दीर्घकालिक औसत तापमान में धनात्मक वृद्धि"।

### ग्लोबल वार्मिंग के कारण:

- ग्रीनहाउस गैसें: आधुनिक युग में जैसे-जैसे मानवीय गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है जिसके कारण वैश्विक तापमान/ग्लोबल वार्मिंग में भी वृद्धि हो रही है।
- भूमि के उपयोग में परिवर्तन: वृक्ष न सिर्फ हमें फल और छाया देते हैं, बल्कि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी महत्त्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस को अवशोषित भी करते हैं। वर्तमान समय में जिस तरह से वृक्षों की कटाई की जा रही हैं, वह काफी चिंतनीय है, क्योंकि वृक्ष वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं।
- शहरीकरण: शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण लोगों के जीवन जीने के तौर-तरीकों में काफी परिवर्तन आया है। जीवन-शैली में परिवर्तन ने खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में काफी अधिक योगदान दिया है।

### ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव:

- वर्षा के पैटर्न में बदलाव: पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा और वर्षा आदि की अनियमितता काफी बढ़ गई है। यह सभी जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही हो रहा है।
- समुद्र जल के स्तर में वृद्धि: वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ग्लेशियर पिघल जाते हैं और समुद्र का जल स्तर में भी वृद्धि होती है जिसके प्रभाव से समुद्र के आस-पास के द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ जाता है।
- वन्यजीव प्रजाति का नुकसान: तापमान में वृद्धि और वनस्पति पैटर्न में बदलाव ने कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिये मज़बूर कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, पृथ्वी की एक-चौथाई प्रजातियाँ वर्ष 2050 तक विलुप्त हो सकती हैं।
- रोगों का प्रसार और आर्थिक नुकसान: जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ और अधिक बढ़ेंगी तथा इन्हें नियंत्रित करना कठिन होगा।
- वनाग्नि: जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक चलने वाली ऊष्म-लहरों ने वनाग्नि के लिये उपयुक्त गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ पैदा की हैं।

### समाधान के प्रयास

- वैश्विक स्तर पर:
  - संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC): यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च, 1994 को इसे लागू किया गया।
  - पेरिस समझौता: इस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की संकल्पना को अपनाया गया है। वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की।
- भारत के प्रयास:
  - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (The National Action Plan on Climate Change-NAPCC): जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे तथा इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA): यह सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्राँस ने 30 नवंबर, 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की।
- भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (India's Nationally Determined Contribution-INDC): पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया है, इसमें प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिये उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करें।

### समाधान से संबंधित चुनौतियाँ:

- पेरिस समझौते जैसे पर्यावरणीय समझौतों में उन देशों के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है, जो इसकी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं करते। यहाँ तक कि पेरिस समझौते में जवाबदेही तय करने व जाँच के लिये भी कोई नियामक संस्था नहीं है।
- अमेरिका के वर्तमान रुख के प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिये प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों यथा; हरित जलवायु कोष पर असर पड़ेगा, अत: इसकी अनुपस्थिति में समझौते के लक्ष्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

### हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GEF)

UNFCCC के ढाँचे के भीतर स्थापित एक कोष है जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये यह अनुकूलन और शमन प्रथाओं को अपनाने में विकासशील देशों की सहायता करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांत यथा; समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्वों का सिद्धांत (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities- CBDR-RC) ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कारगर नज़र नहीं आ रहा है।

### समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्वों का सिद्धांत:

- इसका अर्थ यह है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई में विकासशील और अल्पविकसित देशों की तुलना में अधिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये क्योंकि विकसित होने की प्रक्रिया में इन देशों ने सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन किया है और ये देश जलवायु परिवर्तन के लिये सबसे अधिक ज़िम्मेदार हैं।
- पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए विभेदित उत्तरदायित्त्वों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत का पालन किया गया है।

### आगे की राह:

- इस संबंध में कार्बन टैक्स की अवधारणा का प्रयोग कर वैश्विक स्तर पर कार्बन के उत्सर्जन पर टैक्स लगाया जा सकता है, इससे सभी देशों के कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की प्रतिबद्धता में बढ़ोतरी होगी।
- सभी देशों की जवाबदेही तय करने और इस संबंध में उनके प्रयासों की जाँच करने के लिये एक नियामक संस्था का भी निर्माण किया जा सकता है, साथ ही जो देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहेंगे उन पर प्रतिबंध और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने से प्राप्त हुई राशि का प्रयोग हरित परियोजनाओं के लिये किया जा सकता है।
- वर्तमान में दुनिया भर की सरकारें जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी के लिये बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं, जिसके कारण जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है। आवश्यक है कि सभी जीवाश्म ईंधनों की सब्सिडी पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया जाए।

## राजमार्ग और बाघ संरक्षण

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 'पक्के टाइगर रिज़र्व' से होकर जाने वाली एक सड़क के निर्माण की परियोजना को राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

### पक्के टाइगर रिज़र्व:

- पक्के टाइगर रिज़र्व, जिसे 'पखुई टाइगर रिज़र्व' के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग ज़िले में स्थित एक टाइगर रिज़र्व है।
- यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिज़र्व के पश्चिम भाग में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किमी. है।
- इस टाइगर रिज़र्व ने 'संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण' की श्रेणी में 'हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम' के लिये भारत जैव विविधता पुरस्कार (India Biodiversity Award-IBA) जीता था।
- यह उत्तर-पश्चिम में भारेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है।
- पक्के टाइगर रिज़र्व (नवंबर से मार्च तक ठंडे मौसम वाली) उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है।
- यहाँ बिल्ली परिवार की तीन बड़ी प्रजातियाँ- बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ पाई जाती हैं।
- यहाँ विश्व स्तर पर लुप्तप्राय सफेद पंखों वाला 'व्हाइट विंग्ड वुड डक' (White-winged Wood Duck), अनोखा आईबिसबिल (Ibisbill) और दुर्लभ ओरिएंटल बे उल्लू (Oriental Bay Owl) और हॉर्नबिल जैसे पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

### क्या है परियोजना ?

- इस परियोजना के तहत पूर्वी कामेंग ज़िले के पक्के टाइगर रिज़र्व से होकर 692.7 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाने की योजना है
- इसका निर्माण पूर्वी-पश्चिम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में किया जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले में भैराभुंडा (Bhairabhunda) और अरुणाचल प्रदेश-असम सीमा पर स्थित चांगलांग ज़िले (अरुणाचल प्रदेश) के मानमाओ (Manmao) को जोड़ेगा।
- पक्के टाइगर रिज़र्व' के 'कोर एरिया' (Core Area) से होकर 40 किलोमीटर लंबाई के 'एलिवेटेड स्ट्रेच' (Elevated Stretch) मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2,550 करोड़ रुपए है।

### कहाँ है समस्या ?

- इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 'एलिवेटेड स्ट्रेच' के निर्माण में पेड़ नहीं काटे जाएंगे तथा वन्यजीवों को कोई नुकसान नहीं होगा।
- पूर्व के मूल प्रस्ताव में इस गलियारे के सुबानसिरी नदी जलविद्युत परियोजना के पास से गुजरने का प्रस्ताव था, जिसे क्यों बदल दिया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

अरुणाचल प्रदेश के अन्य महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र:

### नामदफा:

- यह पूर्वी हिमालय में अवस्थित एक 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspot) है। यह 27° उत्तरी अक्षांश पर तराई सदाबहार वर्षावन क्षेत्र में अवस्थित है।

### कमलांग टाइगर रिज़र्व:

- वर्ष 1989 में स्थापित कमलांग वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित ज़िले में स्थित है।

### सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:

वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' (National Tiger Conservation Authority-NTCA) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में बाघ अभयारण्यों के कोर क्षेत्र में पर्यटन सहित सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, हालाँकि बाद में विशेष उपायों के तहत पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई थी।

### MAB कार्यक्रम:

- MAB कार्यक्रम को वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मानव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के सुधार के लिये एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।

### MAB कार्यक्रम में जैवमंडल रिज़र्व के विभिन्न भाग:

- कोर क्षेत्र:
  अंतरतम भाग जहाँ केवल निरीक्षण कार्यों की अनुमति हो।
- बफर ज़ोन:
  मध्यवर्ती भाग जहाँ पर्यटन, शिक्षा और शोध-कार्यों की अनुमति हो।
- ट्रांज़िशन क्षेत्र:
  सबसे बाहरी हिस्सा जहाँ मानव अधिवास की अनुमति हो।

### आगे की राह:

हमें ऐसी परियोजनाओं में मैन एंड द बायोस्फियर प्रोग्राम (Man and the Biosphere Programme-MAB) के आधारभूत नियमों को स्थापित करना चाहिये।

## शून्य मसौदा: वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (वर्ष 2020 के बाद के लिये) के शून्य मसौदे (Zero Draft) में विश्व की जैव विविधता की गिरती स्थिति और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

### मुख्य बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (Conservation of Migratory Species of Wild Animals- CMS) पर 13वें COP (Conference of Parties) में इस मसौदे पर चर्चा हुई।
- 6 मई, 2019 को पेरिस में जैव विविधता पर जारी रिपोर्ट 'जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)' का पालन करते हुए जनवरी 2020 को शून्य मसौदा को जारी किया गया।
- शून्य मसौदे के अनुसार-

'जैव विविधता वाले क्षेत्रों तथा पारिस्थितिकी तंत्र में मानव जनित गतिविधियों के कारण अतीत एवं वर्तमान में तेज़ी से गिरावट का मतलब है कि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्य जैसे- आइची जैव विविधता लक्ष्य (Aichi Biodiversity Targets) और सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) इस आधार पर हासिल नहीं किये जा सकेंगे।'

### नया फ्रेमवर्क:

- नया फ्रेमवर्क 'परिवर्तन के सिद्धांत' पर आधारित होगा। इस फ्रेमवर्क में वर्तमान वैश्विक रुझानों और भविष्य के परिदृश्यों को भी समाहित किया गया है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे-
  - संसाधन जुटाना।
  - वंचित समूहों को मुख्य धारा में लाना।
  - डिजिटल अनुक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त करना।
  - सतत् उपयोगी क्षमता-निर्माण।
  - राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करना।
  - रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
  - ज़िम्मेदारी एवं पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर ध्यानाकर्षण।

नोट :

  - लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करने के लिये संकेतकों का प्रयोग।
- इसे एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके और 'अंतर-पीढ़ी इक्विटी के सिद्धांत' को मान्यता देते हुए लागू किया जाएगा। जबकि फ्रेमवर्क के विवरण को इस वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा, इसे वर्ष 2020-30 के बीच लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

## उद्देश्य:

- इस कार्रवाई का उद्देश्य विज़न 2050 के तहत जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है।
- इस फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकारों एवं समाज के सभी देशज लोगों और स्थानीय समुदायों, नागरिक समाज तथा औद्योगिक समूहों के साथ मिलकर तत्काल एवं परिवर्तनकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

## परिवर्तन का सिद्धांत (Theory of Change):

- इस फ्रेमवर्क में परिवर्तन के सिद्धांत के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय मॉडल को बदलने के लिये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई है ताकि अगले 10 वर्षों (वर्ष 2030 तक) में जैव विविधता के नुकसान को कम करने वाली प्रवृत्तियों में स्थिरता लाई जा सके और अगले 20 वर्षों तक (वर्ष 2050 तक) प्रमुख सुधारों के साथ प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में सुधार करके वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- परिवर्तन का सिद्धांत सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 का पूरक एवं सहायक है। यह जैव विविधता से संबंधित तथा रियो सम्मेलनों सहित अन्य बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों की दीर्घकालिक रणनीतियों और लक्ष्यों को भी ध्यान में रखता है।
- असमान व्यापार परिदृश्यों के कारण जैव विविधता में गिरावट जारी रहने या बिगड़ने का अनुमान लगाया गया है।
- शून्य मसौदे के अनुसार, यह फ्रेमवर्क जैव विविधता के साथ समाजिक संबंधों में परिवर्तन लाने के लिये व्यापक कार्रवाई को लागू करने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का साझा विज़न पूरा हो।
- जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये लोगों की भागीदारी को लेकर मसौदे में बताया गया है कि फ्रेमवर्क के लिये परिवर्तन का सिद्धांत लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, युवा, लैंगिक उत्तरदायी दृष्टिकोण की उचित पहचान की आवश्यकता को स्वीकार करता है और इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में स्वदेशी लोगों एवं स्थानीय समुदायों की पूर्ण व प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- इस फ्रेमवर्क में जैव विविधता के लिये 2050 विज़न से संबंधित वर्ष 2050 हेतु पाँच दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में से प्रत्येक लक्ष्य वर्ष 2030 के परिणाम से संबद्ध है। ये पाँच दीर्घकालिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
  - अनुवांशिक विविधता, पारिस्थिकी तंत्र और प्रजातियों का संरक्षण।
  - संसाधनों का सतत् उपयोग।
  - लाभांश का सामान वितरण।
  - स्वस्थ्य एवं सुदृढ पारिस्थिकी तंत्र तथा स्वस्थ्य प्रजातियाँ।
  - मनुष्य की जरूरत को पूरा करना।
- यह फ्रेमवर्क सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन में योगदान देगा। साथ ही सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति से फ्रेमवर्क को लागू करने में मदद मिलेगी।

## आईची जैव विविधता लक्ष्य:

- वर्ष 2010 में नगोया, जापान के आईची प्रांत में आयोजित जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता की अद्यतन रणनीतिक योजना जिसे आईची लक्ष्य नाम दिया गया, को स्वीकार किया गया।
- जैव विविधता अभिसमय के एक भाग के रूप में लघु अवधि की रणनीतिक योजना-2020 के तहत 2011-2020 के लिये जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। इसके अंतर्गत सभी पक्षकारों को जैव विविधता के लिये कार्य करने हेतु एक 10 वर्षीय ढाँचा उपलब्ध कराया गया है।

नोट :

- यह लघुवधि की योजना 20 महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिसे सम्मिलित रूप से आईची लक्ष्य (Aichi Targets) कहते हैं, का एक समूह है।
- भारत ने 20 वैश्विक आईची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (NBT) विकसित किये है।

# वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2019

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट-2019 (World Air Quality Report) के अनुसार, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिये सबसे गंभीर खतरों में से एक है और विश्व की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी असुरक्षित वायु में साँस लेने के लिये विवश है।

## रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में दी गई रैंकिंग के अनुसार, वर्ष 2019 में बांग्लादेश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में पहले स्थान पर था। हालाँकि बांग्लादेश के समग्र प्रदूषण में तो कमी हुई है, किंतु वह अपेक्षाकृत काफी कम है।
- बांग्लादेश के पश्चात् इस रैंकिंग में पाकिस्तान (दूसरा), मंगोलिया (तीसरा) और अफगानिस्तान (चौथा) का स्थान आता है।
- चीन को इस रैंकिंग में 98 देशों में 11वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। हालाँकि अभी भी चीन के 98 प्रतिशत शहरों में PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित मापदंडों से अधिक है।
    - भारत के अन्य पड़ोसी देशों में नेपाल 8वें स्थान पर और म्याँमार 20वें स्थान पर है।

PM2.5 का आशय उन कणों या छोटी बूँदों से होता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर (0.000001 मीटर) या उससे कम होता है और इसीलिये इसे PM2.5 के नाम से भी जाना जाता है।

- 98 देशों की इस रैंकिंग में बहामास (Bahamas) को वायु प्रदूषण के मामले में सबसे स्वच्छ देश का स्थान प्राप्त हुआ है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया और चीन जैसे देशों में वनाग्नि और खुले में कृषि अवशेषों को जलाने जैसी प्रथाओं का वायु की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
- इसके अलावा मध्य पूर्व और पश्चिम चीन में मरुस्थलीकरण तथा सैंडस्टॉर्म (Sandstorms) बड़ी भूमिका निभाते हैं।

भारत से संबंधित बिंदु

- इस रिपोर्ट में प्रदूषण को लेकर दी गई रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में गाज़ियाबाद विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर था।
- हालाँकि भारत के समग्र वायु प्रदूषण में वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में कमी देखने को मिली है, किंतु अभी भी विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 30 शहरों में से 21 शहर भारत के हैं। भारतीय शहरों को लेकर वायु प्रदूषण के उक्त आँकड़े चौंकाने वाले हैं।

रिपोर्ट के निहितार्थ

- वर्ष 2019 के वायु गुणवत्ता संबंधी आँकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष तौर पर वनाग्नि और सैंडस्टॉर्म आदि के माध्यम से वायु प्रदूषण के जोखिम को बढ़ा सकता है।
- इसी प्रकार कई क्षेत्रों में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना आदि आपस में जुड़े हुए हैं।

## वायु प्रदूषण और उसका प्रभाव

- वायुमंडल की गैसों के विभिन्न घटकों की आदर्श स्थिति में रासायनिक रूप से होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो वातावरण/पर्यावरण को किसी-न-किसी रूप में दुष्प्रभावित करता है, वायु प्रदूषण कहलाता है।
- जून 2015 में चिली ने वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए सेंटियागो में पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया था। इसी तरह दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 में चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण के कारण दो बार रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है।
- हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमज़ोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियाँ पैदा होती हैं।

- वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि ज़हरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है इससे पेड़-पौधे, भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुँचता है।

### आगे की राह

- वायु प्रदूषण वैश्विक समाज के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। हालाँकि वैश्विक स्तर पर इसे लेकर कई सराहनीय प्रयास भी किये गए हैं, किंतु इसके बावजूद यह विश्व की अधिकांश आबादी को प्रभावित कर रहा है।
- मानव सभ्यता व समाज को प्रकृति एवं औद्योगीकरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना अति आवश्यक है।
- अत: हमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज व आम आदमी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा।

## तटीय आपदा प्रबंधन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन: 2020' (National Conference on Coastal Disaster Risk Reduction and Resilience: 2020- CDRR&R) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

### मुख्य बिंदु:

- इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management-NIDM) द्वारा नई दिल्ली में किया गया।
- इस सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य संगठनों/विभागों के 175 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सम्मेलन का उद्घाटन 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (National Disaster Management Authority-NDMA) के अध्यक्ष द्वारा किया गया।

### सम्मेलन का उद्देश्य:

- तटीय आपदा जोखिमों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिये मानव क्षमता को बढ़ाना ताकि आपदा जोखिम को कम करने में मदद मिल सके तथा आपदा से निपटने में लोचशीलता (Resilience) बढ़ सके।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आपदा प्रबंधन पर 'प्रधानमंत्री का 10-सूत्री एजेंडा' (Prime Minister's 10-point Agenda) और 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क' (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) को लागू करना है।

### आपदा प्रबंधन पर प्रधानमंत्री का 10-सूत्री एजेंडा:

- नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आपदा जोखिम को कम करने के विषय पर आधारित 'एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' में प्रधानमंत्री ने सेंदाई फ्रेमवर्क के 10 सूत्री एजेंडे को लागू करने की रूपरेखा पेश की, जिसके तहत आपदा प्रबंधन में महिला-बलों की संख्या में बढ़ोतरी और आपदा से निपटने एवं इसे रोकने के लिये देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।

### चर्चा के मुख्य विषय:

- आपदा पर राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीतियों से संबंधित सूचना के प्रसार को बढ़ाना ताकि तटीय आपदा जोखिम को कम करने में सहयोग तथा लोचशीलता में वृद्धि हो सके और इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न संस्थानों, शोधकर्त्ताओं एवं विशेषज्ञों के साथ जुड़कर सूचना अंतराल को कम करने हेतु रोडमैप विकसित करना।
- तटीय आपदा प्रबंधन में नैतिक दृष्टिकोण अपनाकर आपदा प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं की पहचान करना।
- देश की समग्र अर्थव्यवस्था के विकास पर तटीय आपदाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- सम्मेलन में पहचाने गए विभिन्न अंतराल के क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण का कार्य करना।

## प्रमुख तटीय आपदाएँ:

### चक्रवात:

- भारतीय उपमहाद्वीप विश्व में चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। भारत की 8041 किलोमीटर की लंबी तटरेखा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है।
- इनमें से अधिकांश चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों का अनुपात लगभग 1 : 4 है।
- अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई-जून और अक्तूबर-नवंबर के महीनों में उत्पन्न होते हैं।

### सूनामी:

- भारतीय तटीय भाग सूनामी के प्रति सुभेद्य है। वर्ष 2004 में सूनामी के समय अंडमान में आए भूकंप की तीव्रता 9.3 थी, जो मुख्य रूप से आंतरिक प्लेटों में थ्रस्ट (Thrust) के कारण सागर-नितल (Seafloor) के ऊर्ध्वाधर विस्थापन से उत्पन्न हुआ था।

### सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सागरीय सूचना सेवा केंद्र (Indian National Center for Ocean Information Services- INCOIS), हैदराबाद ऐसी महासागरीय आपदाओं के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System- EWS) प्रदान करने का कार्य कर रहा है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD), भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यह मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है।

### आगे की राह:

- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को कुशल प्रबंधन के तहत मज़बूत बनाने तथा आपदा प्रतिक्रिया, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिये आवश्यक तैयारी व राष्ट्रीय समन्वय में सुधार करने पर बल दिया जाना चाहिये।

# COP-13

## चर्चा में क्यों?

15-22 फरवरी, 2020 तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 'वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (Conservation of Migratory Species of Wild Animals-CMS) की शीर्ष निर्णय निर्मात्री निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP) के 13वें सत्र का आयोजन किया गया।

### विषय (Theme)

"प्रवासी प्रजातियाँ पृथ्वी को जोड़ती हैं और हम मिलकर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं।"

(Migratory species connect the planet and together we welcome them home)

### शुभंकर (Mascot)

गिबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड)

### प्रतीक चिह्न (Logo)

COP-13 के प्रतीक चिह्न में दक्षिण भारत की एक पारंपरिक कला 'कोलम' का प्रयोग करते हुए भारत के महत्त्वपूर्ण प्रवासी जीवों-अमूर फाल्कन, मरीन टर्टल को दर्शाया गया है।

### COP-13 की पृष्ठभूमि:

- CMS सदस्य देशों का यह सम्मेलन प्रवासी पक्षियों, उनके प्रवास स्थान और प्रवास मार्ग के संरक्षण पर होने वाला विश्व का एकमात्र सम्मेलन है।

- इस सम्मेलन का आयोजन हर 3 वर्ष में किया जाता है।
- यह सम्मेलन इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि मई 2019 में 'जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान नीति मंच (IPBES)' द्वारा जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर जारी एक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में वन्यजीवों और वनस्पतियों की लगभग 10 लाख प्रजातियाँ लुप्तप्राय की स्थिति में हैं।
- सम्मेलन में लिये गए निर्णय 'पोस्ट 2020 वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क' रणनीति के लिये आधार प्रदान करेंगे।
- वर्ष 2020 में ही 'पोस्ट 2020 वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क' के तहत भविष्य की नीतियों की रूपरेखा तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अंतिम दशक (2020-2030) के लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। अत: COP-13 सम्मेलन में लिये गए निर्णय आगामी दशक में विकास और प्रकृति के बीच समन्वय के लिये महत्त्वपूर्ण होंगे।

## वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण (CMS)

- CMS एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, इसे बॉन कन्वेंशन (Bonn Convention) के नाम से भी जाना जाता है।
- वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nation Environment Programme-UNEP) के तहत जर्मनी के बॉन (Bonn) शहर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- यह समझौता वर्ष 1983 में आधिकारिक रूप से लागू हुआ और वर्तमान में इस समझौते के 130 सक्रिय सदस्य (यूरोपियन यूनियन व 129 अन्य देश) हैं।
- CMS का मुख्यालय बॉन (Bonn), जर्मनी में स्थित है।

## CMS के कार्य:

- CMS के अनुसार, सभी वन्यजीव अपनी विविधताओं के साथ पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना का महत्त्वपूर्ण अंग हैं और हर स्थिति में इनका संरक्षण किया जाना चाहिये।
- CMS प्रवासी जीवों के प्रवास मार्ग और प्रवास क्षेत्र से संबंधित देशों को एक साथ लाने का काम करता है।
- इसके साथ ही CMS प्रवासी जीवों के संरक्षण के लिये संबंधित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों को कानूनी आधार प्रदान करता है।
- प्रवासी प्रजातियों, उनके आवास और प्रवास मार्गों के संरक्षण में विशेषज्ञता वाले एकमात्र वैश्विक सम्मेलन के रूप में CMS कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संगठनों एवं मीडिया के साथ मिलकर काम करता है।
- वर्तमान में CMS के तहत 173 प्रजातियों को संरक्षण प्राप्त है।

## CMS और भारत

- भारत वर्ष 1983 से इस सम्मेलन का सदस्य रहा है।
- इसके साथ ही भारत ने कुछ प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये गैर-बाध्यकारी MOU पर हस्ताक्षर भी किये हैं। इनमें साइबेरियन क्रेन (1998), मरीन टर्टल (2007), डूगोंग (2008) और रैप्टर (2016) शामिल हैं।

## COP-13 के परिणाम

- COP-13 में CMS की संरक्षित प्रजातियों की सूची में 10 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है।
- इस सूची के परिशिष्ट-I में 7 प्रजातियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन, जगुआर, वाइट-टिप शार्क, लिटिल बस्टर्ड और एंटीपोडियन अल्बाट्रॉस को शामिल किया है। ध्यातव्य है कि CMS के परिशिष्ट-I में वन्यजीवों की लुप्तप्राय (Endangered) प्रजातियों को रखा जाता है।
- परिशिष्ट-II में प्रवासी जीवों की 3 प्रजातियों को जोड़ा गया है। परिशिष्ट-II में वन्यजीवों की उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है, जिनकी संख्या में असामान्य कमी दर्ज की गई हो तथा उनके संरक्षण के लिये वैश्विक सहयोग की ज़रूरत हो।
- परिशिष्ट-II में जोड़ी गई प्रजातियों में उरियल (Urial), स्मूथ हैमरहेड शार्क और टोपे शार्क (Tope shark) शामिल हैं।
- इसके साथ ही वन्य जीवों की लक्षित 14 अन्य प्रजातियों के संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाने के लिये कार्ययोजना पर सहमति।

नोट :

### गांधीनगर घोषणा ( डिक्लेरेशन ):

- COP-13 सम्मेलन के दौरान "गांधीनगर डिक्लेरेशन" नामक एक घोषणा-पत्र जारी किया गया, इस घोषणा-पत्र में प्रवासी पक्षियों और उनके वास स्थान के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में CMS की भूमिका की सराहना की गई।
- इस घोषणा-पत्र में प्रवासी जीवों के वास स्थान के क्षरण और उनके अनियंत्रित दोहन को प्रवासी जीवों के अस्तित्व के लिये सबसे बड़ा खतरा बताया गया।
- घोषणा-पत्र में वर्तमान वैश्विक 'पारिस्थितिक संकट' (Ecological Crisis) को स्वीकार करते हुए इस समस्या से निपटने के लिये शीघ्र और मज़बूत कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- घोषणा-पत्र में CMS और अन्य जैव-विविधता से संबंधित सम्मेलनों के लक्ष्यों की प्राप्ति में 'जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC' के पेरिस समझौते के महत्त्व को स्वीकार किया गया।

### पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क:

- आगामी दशकों में जैव-विविधता में सकारात्मक सुधार के लिये नीति-निर्धारण में 'Post 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क' के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।
- घोषणापत्र में 'पोस्ट-2020 वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क' के अंतर्गत पर्यावरण संवर्द्धन के क्षेत्र में बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों, क्षेत्रीय और सीमा पार सहयोग प्रणाली, आदि के माध्यम से वैश्विक सहयोग बढ़ाने तथा सामुदायिक स्तर पर योजनाओं के बीच अनुभव साझा करने जैसे प्रयास शामिल करने की सलाह दी गई है।
- इसके साथ ही 'पोस्ट-2020 वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क' के तहत योजना की सफलता (लक्ष्यों पर प्रगति की स्थिति, जैव-विविधताओं को जोड़ने पर कार्य-प्रगति) के मूल्यांकन के लिये प्रवासी प्रजातियों की स्थिति के विभिन्न सूचकांकों जैसे-वाइल्ड बर्ड इंडेक्स, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, आदि को शामिल करने की बात कही गई है।

- गांधीनगर घोषणा-पत्र में CMS सदस्यों और अन्य हितधारकों को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण तथा जैव-पारिस्थितिकी के क्षेत्र में संपर्क एवं कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिये 'पोस्ट-2020 वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क', 2030 सतत् विकास लक्ष्य आदि योजनाओं के तहत वैश्विक सहयोग बढ़ाने व आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

### रैप्टर समझौता-ज्ञापन ( Raptor MOU ):

COP-13 सम्मेलन में पूर्वी अफ्रीका के देश इथिओपिया (Ethiopia) ने CMS द्वारा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिये स्थापित 'CMS एमओयू ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया' नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, इस समझौते को 'रैप्टर समझौता-ज्ञापन (Raptor MOU)' के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता अफ्रीका और यूरेशिया क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। भारत ने मार्च 2016 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

### अन्य महत्त्वपूर्ण समझौते:

COP-13 सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिये विभिन्न प्रयासों को आम सहमति से स्वीकार किया गया, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- जैव-विविधता और प्रवासी प्रजातियों के मुद्दों को राष्ट्रीय ऊर्जा तथा जलवायु नीति में शामिल करना एवं वन्यजीव अनुकूल अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- प्रवासी पक्षियों के गैर-कानूनी शिकार और उनके व्यापार को रोकने के लिये प्रयासों को तेज़ करना।
- मूलभूत आधारिक संरचनाओं (सड़क, रेल आदि) के विकास के दौरान प्रवासी प्रजातियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना।
- जलीय वन्यजीवों के मांस के अनियंत्रित उपयोग पर अंकुश लगाना।
- समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान शार्क या अन्य संरक्षित प्रजातियों के अनैच्छिक शिकार की निगरानी करना एवं इसके समाधान के लिये नीति बनाना।
- संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिये जीवों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति समझ को बढ़ाना।
- CMS के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण और उनके संवर्द्धन के लिये सामूहिक प्रयास।

## CMS राजदूत:

CMS के कार्यों और प्रवासी प्रजातियों की समस्याओं के प्रति विश्व भर में जागरूकता फैलाने के लिये COP-13 में तीन नए CMS राजदूत नियुक्त किये गए हैं:

1. ईयन रेडमंड - स्थलीय प्रवासी प्रजातियों के लिये
2. साशा डेंच (पर्यावरणविद्) - प्रवासी पक्षियों के लिये
3. रणदीप हुड्डा (अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्त्ता) - प्रवासी जलीय जीवों के लिये

## COP-13 में भारत की भूमिका

- COP-13 समेलन में CMS के 'चैंपियन प्रोग्राम'(Champion Programme) के तहत भारत को 'स्माल ग्रांट्स प्रोग्राम' (Small Grants Program) के लिये अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- इस सम्मेलन के बाद भारत को अगले तीन वर्षों के लिये COP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- भारत सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे (CAF) के मुद्दे का नेतृत्व करते हुए CAF के लिये एक फ्रेमवर्क का निर्माण करेगा।
- CAF के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कार्ययोजना जारी की गई है, इसके तहत सभी हितधारकों के सहयोग से प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के साथ आर्द्रभूमि (wetland) का संरक्षण एवं विकास किया जाएगा।
- भारत प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिये संस्थान की स्थापना करेगा।
- मरीन टर्टल पॉलिसी: भारत सरकार द्वारा समुद्री कछुओं की प्रवासी प्रजातियों और उनके वास स्थान (Habitat) के संरक्षण तथा विकास के लिये कार्ययोजना का निर्माण किया जा रहा है।
    - इसके तहत समुद्री कछुओं के प्रवास स्थान की पहचान कर उनके संरक्षण और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने जैसे प्रयास किये जाएंगे।
    - संबंधित क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के साथ ही योजना के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों (मछुआरों आदि) को शामिल किया जाएगा।
    - इस योजना में सर्वेक्षण के लिये केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की सहायता ली जाएगी, इस परियोजना पर 5 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती देशों के साथ प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिये 'ट्रांस-बाउंड्री संरक्षित क्षेत्र' चिह्नित करने जैसे प्रयास किये जाएंगे।

### कौन हैं प्रवासी प्रजातियाँ?

प्रवासी प्रजातियाँ जीवों की वे प्रजातियाँ हैं, जो वर्ष के विभिन्न समयों/भागों में भोजन, तापमान, जलवायु जैसे विभिन्न कारकों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अलग-अलग प्रवास स्थानों के बीच प्रवासी जीवों की यह यात्रा कई बार हज़ारों किमी. से अधिक होती है।

### भारत में प्रवासी प्रजातियों के प्रमुख प्रवास क्षेत्र:

हिंद महासागर के साथ लंबी तटीय सीमा होने के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप इस क्षेत्र में पक्षियों के महत्त्वपूर्ण प्रवास मार्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (Central Asian Flyway-CAF) का हिस्सा है। इसके कारण वर्ष भर बहुत से प्रवासी जीव भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रवास के लिये आते रहते हैं। भारत के कुछ प्रवासी क्षेत्रों में 'नलबाना पक्षी अभयारण्य' (ओड़िसा) बार-हेडेड गीज (कलहंस) के लिये, 'केवलादेव नेशनल पार्क' (राजस्थान) साइबेरियाई पक्षियों के लिये और नगालैंड का वोखा (Wokha) ज़िला- अमूर फाल्कन के लिये जाने जाते हैं।

### प्रवास में होने वाली समस्याएँ:

पिछले कुछ वर्षों में प्रवासी जीवों की संख्या में भारी कमी देखी गई है, जीवों की घटती संख्या और उनके प्रवास में होने वाली समस्याओं में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और इनका अवैध शिकार प्रमुख हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी जीवों को अपने प्राकृतिक स्थान को छोड़कर नए स्थानों पर जाना पड़ता है, असुरक्षित तथा प्रतिकूल वातावरण का प्रभाव प्रजातियों की उत्तरजीविता और उनकी प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। इसके साथ ही नए स्थानों पर प्रवास से उनका शिकार किये जाने का भी खतरा बढ़ जाता है।

- अवैध शिकार: कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संरक्षित घोषित होने के बावजूद प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार ऐसे जीवों के अस्तित्व के लिये एक बड़ी समस्या है। उदाहरण- नगालैंड में अमूर फाल्कन या पाकिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार आदि।
- प्रदूषण: प्रदूषण के कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रवासी जीवों की घटी संख्या का कारण रहे हैं। इनमें समुद्री कचरे से प्रवासी कछुओं के वास स्थान को क्षति, पक्षियों के प्राकृतिक आवास का क्षरण व जल प्रदूषण शामिल हैं।
- अन्य कारण: प्रवासी प्रजातियों की उत्तरजीविता की अन्य चुनौतियों में कई मानवीय विकास गतिविधियाँ जैसे-सड़क या रेल मार्ग, विद्युत तार, कृषि में प्रयोग किये जाने वाले कीटनाशक आदि हैं।

### क्या है फ्लाई-वे (Flyway)?

प्रवासी जीवों द्वारा, विभिन्न देशों या महाद्वीपों में अपने प्रवास के दौरान, उपयोग किये जाने वाले एक निश्चित मार्ग को फ्लाई-वे के रूप में जाना जाता है।

वस्तुत: फ्लाई-वे विभिन्न देशों और महाद्वीपों के पारिस्थितिक तंत्रों तथा प्रवास स्थानों को जोड़ने का कार्य करते हैं।

Central Asian Flyway-CAF: सेन्ट्रल एशियन फ्लाई-वे प्रवासी पक्षियों के विश्व के 9 प्रवास मार्गों में से एक है, इस फ्लाई-वे के अंतर्गत आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के लगभग 30 देश शामिल हैं। संपूर्ण विश्व के जलीय प्रवासी पक्षियों की लगभग 182 प्रजातियाँ CAF क्षेत्र में प्रवास करती हैं, जिनमें से 29 प्रजातियों को वैश्विक रूप से संकटग्रस्त या निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। यह मार्ग इन प्रजातियों के प्रवास और प्रजनन के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

### चुनौतियाँ:

- कई महत्त्वपूर्ण देशों जैसे-इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया,दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय संघ आदि ने संरक्षित प्रजातियों के आयात या निर्यात से संबंधित जानकारी CMS सचिवालय को साझा करने को अनिवार्य नहीं माना है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, CMS के पास अपने निर्णयों को अनिवार्य रूप से लागू कराने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सदस्य देश किसी समझौते का हिस्सा बनकर भी उसका पालन नहीं करते हैं तो CMS उस समझौते के सफल क्रियान्वयन के लिये कुछ नहीं कर सकता।

### आगे की राह:

- प्रवासी प्रजातियाँ देशों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के साथ ही पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अत: सभी देशों को इनके संरक्षण के लिये मिलकर प्रयास करना चाहिये।
- विभिन्न वैश्विक संगठनों के माध्यम से सतत् विकास और प्रकृति संरक्षण में समन्वय के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
- प्रवासी प्रजातियों व जैव-विविधता के संवर्द्धन में सभी देशों की भूमिका और उनके अनिवार्य योगदान को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

## वैश्विक मीथेन उत्सर्जन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'पर्यावरण अनुसंधान संचार' (Environmental Research Communication) पत्रिका में "वर्ष 2050 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के उपशमन में मानवीय तकनीकी क्षमता और लागत" शीर्षक से एक शोध प्रकाशित किया गया।

### मुख्य बिंदु:

- अध्ययन के अनुसार यदि मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाले उपाय नहीं अपनाए गए तो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन वर्ष 2050 तक वर्तमान स्तर से 30% अधिक हो जाएगा। वर्ष 2010 के बाद से मीथेन उत्सर्जन में बहुत तेज वृद्धि दर्ज की गई जिससे वर्ष 2050 वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति के स्तर के 1.5°C की वृद्धि से नीचे रखना असंभव हो जाएगा।
- उपलब्ध शमन प्रौद्योगिकी को अपनाकर कुल मीथेन उत्सर्जन का 38% तक कम किया जा सकता है लेकिन फिर भी वर्ष 2020-2050 की अवधि में इसका उत्सर्जन जारी रहेगा।

### उत्सर्जन वृद्धि के कारण:

- उत्तरी अमेरिका में शेल गैस उत्पादन
- इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन
- एशिया और अफ्रीका में बढ़ती जनसंख्या तथा आर्थिक विकास से अपशिष्ट एवं अपशिष्ट जल की वृद्धि का होना

शमन का प्रयास (Mitigation Efforts):

- शोध के अनुसार, भविष्य में वैश्विक उत्सर्जन के 30-50% उत्सर्जन को 50 यूरो प्रति टन $CO_2$ से कम लागत में हटाया जा सकता है। इसे तकनीकी भाषा में तकनीकी उपशमन क्षमता (Technical Abatement Potentials- TAP) के रूप में जाना जाता है।
- तकनीकी उपशमन क्षमता पहल की कृषि में सीमित संभावना है अत: गैर-तकनीकी उपायों जैसे संस्थागत उपाय, सामाजिक-आर्थिक सुधार, व्यवहार में बदलाव (Behavioural Changes) का आह्वान आदि को प्रयुक्त किया जाना आवश्यक है, उदाहरण- डेयरी और माँस की खपत को व्यवहार में बदलाव द्वारा कम करना, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में छोटे पशुपालकों में जोखिम प्रबंधन का प्रयोग।
- विश्व के अलग-अलग क्षेत्रो में मीथेन उज्सर्जन के अलग-अलग स्रोत है यथा- पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में तेल उत्पादन, यूरोप एवं लैटिन अमेरिका में डेयरी और गोमाँस उत्पादन, उत्तरी अमेरिका में शेल गैस निष्कर्षण। अत: किसी एक उपाय से समस्या का समाधान संभव नहीं है क्योंकि एक उपाय सभी पर लागू नहीं होता है (No One-size Fits all Solution)। अत: शमन रणनीतियों को सेक्टर-विशिष्ट दृष्टिकोण से तैयार किया जाना चाहिये।

### मीथेन उत्सर्जन के मुख्य स्रोत:

- वैश्विक रूप से कुल $CH_4$ उत्सर्जन का 50-65% मानव गतिविधियों से होता है जो ऊर्जा, उद्योग, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से मुख्यत: उत्सर्जित होती है।

### ऊर्जा और उद्योग:

- प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मीथेन गैस का प्राथमिक घटक है। मीथेन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, संचरण और वितरण के दौरान वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। इसके अलावा कोयला खनन भी $CH_4$ उत्सर्जन का एक स्रोत है।

### कृषि:

- मवेशी, सूअर, भेड़, बकरी जैसे घरेलू पशुधन अपनी सामान्य पाचन प्रक्रिया के दौरान भी मीथेन का उत्सर्जन होता है।
- जब जानवरों की खाद को लैगून या भंडारण टैंक में संग्रहित किया जाता है तब भी मीथेन का उत्सर्जन होता है।

### घर तथा औद्योगिक अपशिष्ट:

- लैंडफिल में अपशिष्ट अपघटन और अपशिष्ट जल के उपचार से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है।

### अन्य स्रोत:

- प्राकृतिक आर्द्रभूमि (Wetlands), ऑक्सीजन से अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने वाले जीवाणु, दीमक, महासागर, तलछट जमाव, ज्वालामुखी, वनाग्नि आदि प्राकृतिक स्रोतों से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है।

### मीथेन उत्सर्जन में कमी:

उत्सर्जन स्रोत कैसे उत्सर्जन कम किया जा सकता है?

- उद्योग तेल और गैस के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिये उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उन्नयन करके।
- कोयला खदानों से उत्सर्जित मीथेन को भी ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि बेहतर खाद प्रबंधन प्रथाओं और खाद प्रबंधन रणनीतियों अपनाया जाए।
- घर व औद्योगिक अपशिष्ट लैंडफिल से मीथेन को कैप्चर और स्टोरेज (Capture & Storage) करना एक प्रभावी रणनीति है।

# भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

## दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ता मौसम

### चर्चा में क्यों?

कुछ ही हफ्तों के अंतराल में, इस साल दुनिया भर में मौसम के तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक ओर जहाँ अमेरिका के मध्य-पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई वहीं ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया।

- अमेरिका के शहर शिकागो का तापमान शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया जो कि जनवरी 1985 के -32° सेल्सियस के तापमान से थोड़ा ऊपर है।
- मध्य-पश्चिमी राज्यों- विस्कॉन्सिन, मिशिगन और इलिनॉय के साथ ही आमतौर पर गर्म रहने वाले दक्षिणी राज्यों-अलबामा और मिसीसिपी में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
- अत्यधिक ठंड की स्थिति आर्कटिक की तेज़ हवाओं के कारण हुई है, जिन्हें ध्रुवीय भंवर/पोलर वोर्टेक्स (Polar Vortex) घटना के रूप में जाना जाता है।

क्या है पोलर वोर्टेक्स?

- यह पृथ्वी के ध्रुवों के आस-पास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है।
- यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है तथा गर्मियों में कमज़ोर पड़ता है, जबकि सर्दियों में प्रबल हो जाता है।
- शब्द 'वोर्टेक्स' हवा के प्रतिप्रवाह (Counter-Clockwise) को संदर्भित करता है जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रोकने में मदद करता है।
- उत्तरी गोलार्द्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वोर्टेक्स में विस्तार होता है जो जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर ठंडी हवा को भेजता है।
- यह मौसम की ऐसी विशेषता के बारे में बताता है, जो हमेशा से मौजूद रही है। हालाँकि जब भी हम पृथ्वी की सतह पर आर्कटिक (Arctic) क्षेत्रों से आने वाली बेहद ठंडी हवाओं को महसूस करते हैं, तो यह घटना कभी-कभी पोलर वोर्टेक्स से जुड़ी होती है।

### पोलर वोर्टेक्स : कुछ अन्य तथ्य

- पोलर वोर्टेक्स कोई नया शब्द नहीं है बल्कि यह हाल के वर्षों में अधिक लोकप्रिय हुआ है। यह शब्द पहली बार लिट्टेल्स लिविंग एज (Littell's Living Age) के 1853 के अंक में सामने आया था।
- यह एक ऐसी आकृति (Feature) भी नहीं है जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद है।
- यह केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। यूरोप और एशिया के हिस्से भी पोलर वोर्टेक्स के कारण ठंड बढ़ने का अनुभव करते हैं।
- यह स्वयं बहुत अधिक खतरनाक नहीं है लेकिन इसके साथ आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवा से लोगों को खतरा हो सकता है।

कब अत्यधिक ठंड का कारण बनता है पोलर वोर्टेक्स?

- सर्दियों के दौरान पोलर वोर्टेक्स कभी-कभी कम स्थिर होता है और इसमें विस्तार होता है। कई बार सर्दियों के दौरान उत्तरी गोलार्द्ध में पोलर वोर्टेक्स (उत्तरी) का विस्तार होता है जिसके कारण जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर ठंडी हवा प्रवाहित होती है। इस घटना को पोलर वोर्टेक्स नाम दिया गया है।
- आमतौर पर, जब वोर्टेक्स प्रबल अवस्था में होता है, तो यह हवा के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है, जिसे दुनिया भर में घूमने वाले जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है। यह धारा उत्तर की ओर ठंडी हवा और दक्षिण की ओर गर्म हवा को बनाए रखती है।

क्या सभी ठंडे मौसम पोलर वोर्टेक्स का परिणाम हैं?

- नहीं, यद्यपि पोलर वोर्टेक्स हमेशा उत्तर की ओर विद्यमान रहता है, फिर भी यह बहुत ही असामान्य स्थितियों में कमज़ोर पड़ता है और दक्षिण की ओर पलायन करता है।

नोट :

# जेबेल अली: एक नया प्राकृतिक गैस क्षेत्र

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates- UAE) ने एक नया प्राकृतिक गैस क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की है।

### मुख्य बिंदु:

- इस प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अनुमानित क्षमता 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट (Trillion Standard Cubic Feet) है।
- यह एक सतही गैस स्रोत है।

### अवस्थिति:

- 'जेबेल अली' (Jebel Ali) नाम का जलाशय, दुबई और अबू धाबी अमीरात के बीच स्थित है।

### अमीरात:

- अमीरात एक ऐसे राजनैतिक क्षेत्र को कहते हैं जिस पर अमीर की उपाधि रखने वाला वंशानुगत तानाशाह शासन करता है।
- अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैराह, रास अल खैमाह, शारजाह और उम्म अल क्वाइन, नामक सात अमीरातों के महासंघ से संयुक्त अरब अमीरात का निर्माण हुआ है।
- UAE द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटरके क्षेत्र में फैला है।

पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र:

- ब्लूमबर्ग (Bloomberg) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 'जेबेल अली' (Jebel Ali) प्राकृतिक गैस क्षेत्र, वर्ष 2005 में खोजे गए तुर्कमेनिस्तान के गाल्किनिश (Galkynysh) क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है।
- 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट अनुमानित क्षमता वाला यह जलाशय आकार के संदर्भ में मध्य-पूर्व का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र होगा।
- मध्य-पूर्व में इससे बड़े तीन प्राकृतिक गैस क्षेत्र क्रमशः कतर स्थित उत्तरी मैदान (North Field) क्षेत्र, ईरान में दक्षिणी पारस (South Pars) और अबूधाबी में बाब क्षेत्र (Bab field) हैं।
- कतरी और ईरानी क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस के क्षेत्र पाए जाते हैं।

### विकास कार्ययोजना:

- अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (The Abu Dhabi National Oil Company-ADNOC) और दुबई सप्लाई अथॉरिटी (Dubai Supply Authority-DUSUP) मिलकर इस सतही गैस परियोजना का विकास और निष्कर्षण करेंगे।
- इस क्षेत्र से उत्पादित गैस की आपूर्ति DUSUP को दुबई की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये की जाएगी।

### अन्य देशों पर निर्भरता में कमी:

- इस खोज से UAE की कतर से बिजली के लिये गैस आपूर्ति पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है, कतर के साथ वर्ष 2017 से UAE के संबंधों में कड़वाहट देखी जा रही है।
- वर्ष 2017 के बाद UAE उन चार देशों में से एक था जिसने कतर के साथ संबंध तोड़ लिये।
- कतर पर आरोप था कि वह क्षेत्रीय आतंकी समूहों तथा ईरान की सहायता कर रहा है। इन्हीं कारणों को आधार बनाते हुए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (U.A.E), मिस्र तथा बहरीन ने कतर से सभी प्रकार के भौतिक व राजनीतिक संबंध तोड़ लिये।
- संबंधों में कड़वाहट के बावजूद कतर ने डॉल्फिन पाइपलाइन के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को गैस की आपूर्ति जारी रखी है

भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापारिक संबंध:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पारंपरिक व्यापार मोती और मत्स्य के क्षेत्र में होता था परंतु संयुक्त अरब अमीरात में तेल की खोज के बाद व्यापारिक क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव आया।

नोट :

- वर्ष 1962 में पहली बार भारत और अबू धाबी के बीच तेल व्यापार शुरू हुआ।
- वर्ष 1971 में संयुक्त अरब अमीरात के एकीकृत इकाई के रूप में उभरने के साथ ही भारत के लिये निर्यात भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा।
- 1970 के दशक में भारत-UAE व्यापार लगभग 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष था जो कि वर्तमान में लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष के आस-पास पहुँच गया है।
- भारत ने वर्ष 2018-19 में संयुक्त अरब अमीरात से 17.49 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया।

### भारत को लाभ:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के सामरिक हित एक-दूसरे से जुड़े हैं, जिसका असर उनके रिश्तों पर दिख रहा है। ऐसी परियोजनाओं के विकास से UAE और भारत के बीच प्राकृतिक गैस के व्यापार में बढ़ोतरी होगी।
- UAE भारत में विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा रहा है और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देशों के विचारों में समानता आ रही है।
- इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से UAE भारत के लिये प्राकृतिक गैस के आयातक देश के विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगा जिससे भारत की प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में रूस जैसे देशों पर निर्भरता कम हो सकेगी।

## गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report-DPR) तैयार करने का कार्य पूरा किया गया ताकि परियोजना से संबंधित राज्य अपना पक्ष रख सकें।

### मुख्य बिंदु:

- DPR का कार्य राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (National Water Development Agency- NWDA) द्वारा पूरा किया गया है।

### राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी:

- NWDA जल शक्ति मंत्रालय में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी।
- इसकी स्थापना का उद्देश्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National perspective plan) के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक को ठोस आकार देना है ।
- यह प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण और जाँच करता।
- यह अंतर-बेसिन जल अंतरण अर्थात नदी जोड़ो योजना को व्यावहारिक बनता है।

### परियोजना से संबंधित मुख्य बिंदु:

- गोदावरी (इनचम्पल्ली / जनमपेट) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना में 3 लिंक शामिल हैं:
  1. गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट) - कृष्णा (नागार्जुनसागर)
  2. कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमाशिला Somasila)
  3. पेनार (सोमाशिला) - कावेरी
- प्रारूप के अनुसार, लगभग 247 TMC (Thousand Million Cubic Feet) पानी को गोदावरी नदी से नागार्जुनसागर बाँध (लिफ्टिंग के माध्यम से) और आगे दक्षिण में भेजा जाएगा जो कृष्णा, पेन्नार और कावेरी बेसिनों की जल आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- यह परियोजना आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, नेल्लोर, कृष्णा, गुंटूर और चित्तूर ज़िलों के 3.45 से 5.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी।
- परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 2018-19 में 6361 करोड़ रुपए थी।

नोट :

- संबंधित राज्यों की सर्वसम्मति से DPR तैयार कर आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही इस परियोजना के कार्यान्वयन का चरण पूरा हो पाएगा।

परियोजना से जुड़ी नदियों का विवरण:

- गोदावरी नदी
  - उद्गम स्थल: यह महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है।
  - अपवाह बेसिन: इस नदी बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुद्दुचेरी के कुछ क्षेत्रों में है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किमी. है।
  - सहायक नदियाँ: प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, वर्धा, प्राणहिता (वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा का संयुक्त प्रवाह), इंद्रावती, मनेर और सबरी।
- कृष्णा नदी
  - उद्गम स्थल: इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के पास होता है।
  - अपवाह बेसिन: यह नदी चार राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नागार्जुनसागर बाँध इसी नदी पर स्थित है।
  - सहायक नदियाँ: तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, यरला, वर्ना, बिंदी, मूसी और दूधगंगा।
- पेन्नार नदी
  - उद्गम स्थल: कर्नाटक के चिकबल्लापुर ज़िले में नंदी पहाड़ से।
  - अपवाह बेसिन: यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
  - सहायक नदियाँ: जयमंगली, कुंदरू, सागरलेरू, चित्रावती, पापाघनी और चीयरू।
- कावेरी नदी
  - उद्गम स्थल: यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है।
  - अपवाह बेसिन: यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे 'दक्षिण भारत का बगीचा' (Garden of Southern India) कहा जाता है।
  - सहायक नदियाँ: अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मणतीर्थ, शिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी आदि।

# अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अध्ययन

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका के अध्ययन के लिये दक्षिण महासागर में पहुँचा।

### मुख्य बिंदु:

- भारतीय वैज्ञानिक दक्षिण अफ्रीकी समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत (Vessel) एसए अगुलहास (SA Agulhas) से इस मिशन पर गए हैं।
- भारतीय वैज्ञानिकों का यह दल दक्षिण महासागर के 2 महीने के अभियान के लिये मॉरीशस के पोर्ट लुईस बंदरगाह से 11 जनवरी 2020 को रवाना हुआ जिसमें 34 भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं।
- वर्तमान में यह पोत अंटार्कटिका में भारत के तीसरे स्टेशन 'भारती' के तटीय जल क्षेत्र प्राइड्ज़ खाड़ी (Prydz Bay) में पहुँचा है।
- यह दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर के लिये भारत का 11वाँ अभियान है, जबकि पहला अभियान दल वर्ष 2004 में भेजा गया।

### अभियान का उद्देश्य:

- नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च केंद्र (NCOPR) गोवा के नेतृत्व में 18 संस्थानों से मिलकर बनी एक टीम क्रूज ट्रैक (Cruise Track) के लगभग समानांतर 60 स्टेशनों से हवा और जल के नमूने एकत्र कर रही है। इन नमूनों के अध्ययन से इस दूरस्थ वातावरण के समुद्र और वायुमंडल की स्थिति की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी जो जलवायु पर दक्षिण महासागर के प्रभावों को समझने में मदद करेगा।

- इस अभियान में भारतीय मानसून जैसी वृहद् पैमाने पर होने वाली मौसमी घटनाओं में परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के प्रभावों की पहचान करना शामिल है।
- इस अध्ययन का उद्देश्य मुख्यतया दक्षिण महासागर की पारिस्थितिकी तथा वायुमंडलीय परिवर्तन और उष्णकटिबंधीय जलवायु व मौसम पर इसके प्रभावों का अध्ययन करना है।
- यह अभियान इन क्षेत्रों में $CO_2$ आगत-निर्गत अनुपात चक्र को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करेगा।

कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) चक्र:

- उत्सर्जित $CO_2$ वायुमंडल में प्रवेश करती है, जहाँ से वायुमंडलीय परिसंचरण के माध्यम से यह अंटार्कटिक और कम ध्रुवीय तापमान वाले क्षेत्रों में पहुँचती है।
- चूँकि इन क्षेत्रों का तापमान बहुत कम होता है, अत: ये गैसें यहाँ अवशोषित होकर घुलनशील अकार्बनिक कार्बन या कार्बनिक कार्बन में परिवर्तित हो जाती हैं।
- यहाँ से $CO_2$ जलराशि (Water Masses) जल परिसंचरण द्वारा पुन: उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पहुँचती है जहाँ यह गर्म होकर पुन: वायुमंडल में प्रवेश करती है।
- सभी महासागर आपस में दक्षिण महासागर में मिलते हैं, ये महासागर ऊष्मा जैसे कारकों के परिवहनकर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये महासागर ऊष्मा को संतुलित करने वाली कन्वेयर बेल्ट (Conveyor Belt) के माध्यम से दक्षिण महासागर से जुड़ी हैं जो यह समझने में मदद करेगा कि मानवजनित कारणों से जलवायु कैसे प्रभावित होती है।
- इस अभियान की 4-5 मुख्य प्राथमिकताएँ हैं जिनमें इस समझ को व्यापक करने का प्रयास करना है कि जलवायु प्रणाली महासागरों से कैसे प्रभावित होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि वर्तमान में इस बात के पर्याप्त आँकड़े मौजूद हैं कि दक्षिणी महासागर एक अलग वातावरण नहीं है और वह विश्व के अन्य भागों को भी प्रभावित कर रहा है।

अभियान में शामिल परियोजनाएँ: इस अभियान में मुख्यत: निम्नलिखित 6 परियोजनाओं का अध्ययन किया जाएगा।

1. जलगतिकी और जैवभूरसायन (Hydrodynamics and Biogeochemistry):

- हिंद महासागर क्षेत्र में जलगतिकी और जैवभूरसायन का अध्ययन किया जाएगा, जहाँ अलग-अलग गहराई से सागरीय पानी के नमूने लिये जाएंगे। यह अंटार्कटिक के अगाध सागरीय जल की संरचना को समझने में मदद करेगा।

2. ट्रेस गैसों का अवलोकन (Observations of Trace Gases):

- महासागर से वायुमंडल में प्रवेश करने वाली हैलोजन और डाइमिथाइल सल्फर जैसी ट्रेस गैसों का अवलोकन किया जाएगा जो वैश्विक मॉडलों में उपयोगी मापदंडों को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

3. कोकोलिथोपर्स जीवों का अध्ययन (Study of Organisms called Coccolithophores):

- कोकोलिथोपर्स कई मिलियन वर्षों से महासागरों में मौजूद हैं जहाँ तलछट में उनकी सांद्रता पुरा- जलवायु को समझने में मदद करेगी।

4. एरोसोल और उनके प्रकाशकी व विकिरण गुण (Aerosols and their Optical and Radiative Properties):

- इनका निरंतर मापन पृथ्वी की जलवायु पर इनके प्रभाव को समझने में मदद करेगा।

5. भारतीय मानसून पर प्रभाव (Impact on Indian Monsoons):

अभियान में भारतीय मानसून पर दक्षिणी महासागर के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा जो मुख्यत: सागरीय तल से ली गई तलछट कोर (Sediment Core) पर आधारित होगा।

**तलछट कोर:**

यह एक प्रकार का चट्टानीय नमूना होता है जो अलग-अलग कालक्रम की तलछटों को विभिन्न स्तरीय परतों के रूप में संरक्षित रखता है (युवा तलछट शीर्ष पर और पुराने तलछट नीचे )।

6. खाद्य जाल की गतिकी (Dynamics of the Food Web):

- दक्षिणी महासागर में खाद्य जाल की गतिशीलता का अध्ययन करना ताकि सतत् मत्स्यपालन को बढ़ावा मिल सकेगा।

नोट :

### अभियान की अब तक की प्रगति:

मिशन ने दक्षिणी महासागर के बड़े तलछट कोरों में से एक, 3.4 मीटर लंबाई का तलछट कोर की खोज की है जो कि 30,000 से एक मिलियन वर्ष पुराना हो सकता है। तलछट कोर न केवल पुरा-जलवायु को अपितु भविष्य के जलवायु परिवर्तनों को भी समझने में मदद करता है।

### पुरा-जलवायविक अध्ययन (Paleoclimate Studies):

दक्षिणी महासागर के तलछट कोर, अंटार्कटिका की झीलें, फियोर्ड तट जैसे प्राकृतिक अभिलेखागार का उपयोग अलग-अलग कालानुक्रम की जलवायु परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने के लिये किया जाता है।

## जलवायु परिवर्तन पर भारत व नार्वे का संयुक्त वक्तव्य

### चर्चा में क्यों?

17-22 फरवरी 2020 के मध्य गुजरात के गांधीनगर में आयोजित COP-13 सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत ने नार्वे के साथ समुद्री प्लास्टिक कचरे (Marine Plastic Litter) और माइक्रोप्लास्टिक (Microplastics) को कम करने की दिशा में सहयोग हेतु एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया हैं।

### प्रमुख बिंदु

- जैव विविधता पर 'सुपर ईयर 2020' के प्रारंभ होने पर दोनों देशों ने 2020 को जलवायु परिवर्तन की महत्त्वपूर्ण कार्रवाइयों के दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
- दोनों देशों ने महासागरीय जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों समेत पर्यावरण और जलवायु पर पारस्परिक लाभकारी सहयोग जारी रखने तथा इसे और मज़बूत करने की इच्छा व्यक्त की है।
- जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को लक्षित करने वाले कार्य विजयी स्थिति निर्मित करते हैं। दोनों पक्षों ने माना कि इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, और इस एजेंडे को बढ़ाने के लिये मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों का मानना है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के उपयोग को बढ़ाने के लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किये गए किगाली संशोधन सदी के अंत तक 0.40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को बढ़ने से रोक सकता है।
- जलवायु परिवर्तन की दिशा में नार्वे द्वारा समर्थित परियोजनाओं के कुशलतम परिणामों को देखते हुए इन परियोजनाओं को जारी रखने पर सहमति हुई।
- यदि महासागरीय संसाधनों को ठीक से प्रबंधित किया जाता है, तो महासागर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। एकीकृत महासागर प्रबंधन एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

### नीली अर्थव्यवस्था

- विश्व बैंक के अनुसार, महासागरों के संसाधनों का उपयोग जब आर्थिक विकास, आजीविका तथा रोज़गार एवं महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के अंतर्गत आता है।
- नीली अर्थव्यवस्था को प्राय: मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था एवं महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है।
- नीली अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि, रोज़गार के अवसर में तेजी लाने की क्षमता है। यह नई औषधियों, कीमती रसायनों और प्रोटीन फूड का पता लगाने में मदद करती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जानकारी देती है।
- भारत के लिये नीली अर्थव्यवस्था का महत्त्व काफी अधिक है। भारत समुद्री अधोसंरचना, अंतर्देशीय जलमार्गों तथा तटीय शिपिंग इत्यादि का विकास कर रहा है। इसके लिये भारत ने 'सागरमाला कार्यक्रम' लॉन्चकिया है। जिसका उद्देश्य समुद्री लॉजिस्टिक्स तथा बंदरगाहों का विकास करना है।
- वर्ष 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने भारत-नार्वे महासागर वार्ता में सतत विकास के लिये नीली अर्थव्यवस्था पर संयुक्त कार्य बल की स्थापना को लेकर सहमति व्यक्त की थी।

- दोनों देशों ने रसायनों और कचरे के स्थायी प्रबंधन के महत्व को स्वीकार किया तथा भारत और नॉर्वे के बीच स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा जैविक प्रदूषकों पर कार्यान्वयन और समुद्री कचरे के न्यूनीकरण पर संतुष्टि व्यक्त की।
- दोनों देशों ने समुद्री प्लास्टिक कचरे और माइक्रोप्लास्टिक की वैश्विक और तात्कालिक प्रकृति की एक साझा समझ विकसित करने पर जोर देते हुए रेखांकित किया कि इस मुद्दे को अकेले किसी एक देश द्वारा हल नहीं किया जा सकता है।
- वे प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिये वैश्विक कार्रवाई का समर्थन करने और प्लास्टिक प्रदूषण पर एक नया वैश्विक समझौता स्थापित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- दोनों देशों ने प्रवासी प्रजातियों तथा जंगली जानवरों के संरक्षण पर चर्चा की।

### कॉप-13 (COP-13)

- गुजरात के गांधीनगर में 17-22 फरवरी, 2020 तक 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का संक्षिप्त नाम CMS-COP-13 (13th Conference of Parties (COP) of the Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals) है।
- भारत को अगले तीन वर्ष के लिये इस कांफ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के लिये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोदावण) को शुभंकर बनाया गया है।
- COP-13 माइग्रेटरी स्पीसीज़ कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम (Migratory species Connect the Planet and we welcome them home) की थीम के साथ आयोजित किया गया है।

### प्रवासी वन्यजीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिये सम्मेलन (Conservation of Migratory Species of Wild Animals-CMS)

- CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है।
- CMS का उद्देश्य स्थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। इस कन्वेंशन द्वारा अप्रवासी वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवास पर विचार विमर्श के लिये एक वैश्विक प्लेटफार्म तैयार होता है।
- इस संधि पर वर्ष 1979 में जर्मनी के बॉन में हस्ताक्षर किये गए थे। यह संधि वर्ष 1983 में लागू हुई थी।

## प्रोजेक्ट साइनिंग: भू-जल संरक्षण परियोजना

### चर्चा में क्यों?

भारत के चुनिंदा राज्यों में भू-जल प्रबंधन में सुधार लाने के लिये विश्व बैंक ने एक नवीन ऋण आधारित परियोजना 'प्रोजेक्ट साइनिंग' (Project Signing) को प्रारंभ किया है।

### मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार और विश्व बैंक ने देश के गिरते भू-जल स्तर में सुधार लाने तथा भू-जल संस्थानों को मज़बूत करने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को समर्थन देने के लिये 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- यह परियोजना विश्व बैंक समर्थित 'अटल भू -जल योजना' (Atal Bhujal Yojana-ABHY) को ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रारम्भ की गई है।
- केंद्र सरकार भू-जल प्रबंधन की दिशा में प्रोत्साहन उपायों के रूप में स्थानीय सरकारों (ज़िलों और ग्राम पंचायतों सहित) को धन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 80 प्रतिशत) हस्तांतरित करेगी।
- शेष धनराशि का उपयोग भू-जल के सतत् प्रबंधन की दिशा में तकनीकी सहायता प्रदान करने और चयनित राज्यों में संस्थागत व्यवस्थाओं को मज़बूत करने के लिये किया जाएगा।

### परियोजना में शामिल राज्य:

- प्रोजेक्ट साइनिंग के माध्यम से अटल भू-जल योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 78 ज़िलों को शामिल किया गया है।
- इन राज्यों में प्रायद्वीपीय भारत के कठोर चट्टानी एक्वीफर्स (Aquifers) एवं इंडो-गैंगेटिक (Indo-Gangetic) मैदानों के जलोढ़ एक्वाफर्स दोनों फैले हैं।
- इन राज्यों का चुनाव कई मानदंडों के आधार पर किया गया है, यथा-
  - भू-जल निष्कासन और गिरावट की तीव्रता।
  - स्थापित विधिक और नियामक उपकरण।
  - संस्थागत तैयारी एवं भू-जल प्रबंधन से संबंधित पहलों को लागू करने का अनुभव।

### अटल भू-जल परियोजना में शामिल कार्यक्रम:

- एक्वीफर्स के पुनर्भरण में वृद्धि करना और जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना।
- जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल संरेखण (ये सभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जल संबंधी क्रियाएँ हैं) से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- सतत् भू-जल प्रबंधन की दिशा में संस्थागत संरचना (Institutional Structure) का निर्माण करना।
- भू-जल प्रबंधन संबंधी पहलों को लागू करने में अनुभव बढ़ाना।

### अटल भू-जल परियोजना के अन्य उद्देश्य:

- सहभागी भू-जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करना एवं सतत् भू-जल संसाधन प्रबंधन के लिये सामुदायिक स्तर पर व्यावहारिक परिवर्तन उपायों को प्रोत्साहित करना।
- कटिंग-एज तकनीकों (Cutting-edge Technology) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग से कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू करना।
- यह कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका में योगदान देगा साथ ही जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लचीलेपन का निर्माण करने में सहायता करेगा।
- फसल प्रबंधन और विविधीकरण की दिशा में व्यापक पहल की जाएगी। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि भू-जल सिंचित क्षेत्र में 1% की वृद्धि होने से ग्रीनहाउस गैस (Green House Gas-GHG)) उत्सर्जन में 2.2% की वृद्धि होती है। सिंचाई दक्षता में 1% की वृद्धि से GHG उत्सर्जन में 20% की कमी आती है, अत: कार्यक्रम में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों यथा- स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी अपितु साथ ही कम जल सघन फसलों (Water Intensive) की दिशा में इन फसलों का विस्थापन होगा।

### जल-बजट और जल सुरक्षा योजनाएँ ( Water Budgets and Water Security Plans-WSPs ):

- योजना में समुदाय-संचालित विकास की प्राप्ति की दिशा में बॉटम-अप (Bottom-Up) नियोजन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। WSPs योजना के अंतर्गत भू-जल स्तर में सुधार लाने और प्रस्तावित कार्यों को लागू करने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- सामुदायिक नेतृत्व आधारित प्रबंधन उपायों को अपनाने से जल उपयोगकर्त्ताओं को जल उपभोग प्रतिरूप को समझने में मदद मिलेगी, साथ ही यह उन आर्थिक उपायों को अपनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा जो भू-जल खपत में कमी लाएं।

### भारत में भू-जल का महत्त्व:

- पिछले कुछ दशकों में लाखों निजी कुओं के निर्माण के कारण भू-जल के दोहन में तेजी आई है 1950- 2010 दशकों के मध्य ड्रिल नलकूपों की संख्या 1 मिलियन से बढ़कर लगभग 30 मिलियन हो गई। इसके कारण भू-जल सिंचित क्षेत्र 3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 35 मिलियन हेक्टेयर से अधिक हो गया। वर्तमान में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित है।

नोट :

- भारत में 80% से अधिक ग्रामीण और शहरी घरेलू जलापूर्ति भू-जल द्वारा होती है, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा भू-जल का उपयोगकर्त्ता बनाता है, अत: इसकी कमी चिंता का प्रमुख कारण है।
- यदि यही स्थिति जारी रही तो लगभग 60% ज़िले अगले दो दशकों में गंभीर भू-जल गिरावट के स्तर तक पहुँच सकते हैं। इसके कारण कम-से-कम 25% कृषि उत्पादन क्षेत्र जोखिम में होगा, साथ ही जलवायु परिवर्तन से भू-जल संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ेगा।

# जलयुक्त शिवार

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पाँच वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना 'जलयुक्त शिवार' (Jalyukta Shivar) को समाप्त कर दिया है।

### क्या है जलयुक्त शिवार?

- महाराष्ट्र में लगातार सूखे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था।
- इस परियोजना का उद्देश्य, व्यवस्थित तरीके से सर्वाधिक सूखा प्रभावित गाँवों में जल की कमी को दूर करना था।
- महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ सहित राज्य का लगभग 52% भौगोलिक क्षेत्र सूखे से प्रभावित है।

महाराष्ट्र राज्य का भौगोलिक विभाजन:

- महाराष्ट्र में कुल 36 ज़िले हैं जिन्हें भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधारों पर पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

1. कोंकण: 'कोंकण' जिसका शाब्दिक अर्थ 'तट' है, भारत के पश्चिमी तट का भाग है जिसे कोंकण तट के रूप में जाना जाता है।
2. देश: यह पश्चिमी घाट के पूर्व, खानदेश के दक्षिण, मराठवाड़ा के पश्चिम तथा कर्नाटक उत्तर दिशा में स्थित है।
3. खानदेश: यह मध्य भारत में एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्से का निर्माण करता है।
4. मराठवाड़ा: यह विदर्भ के पश्चिम में और खानदेश के पूर्व में स्थित है। औरंगाबाद मराठवाड़ा का सबसे बड़ा शहर है।
5. विदर्भ: यह महाराष्ट्र राज्य के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में है, जिसमें नागपुर और अमरावती संभाग शामिल हैं।

- इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा जल संसाधनों जैसे- नहरों, बाँधों और तालाबों में मानसून के दौरान अधिकतम वर्षावाही-जल (Run-off Rainwater) को संरक्षित करना था।
- संसाधनों की मज़बूती के लिये प्राकृतिक जल-धाराओं को चौड़ा व गहरा करना, उन्हें निकटवर्ती जल भंडारण स्रोतों से जोड़ना, मिट्टी या कंक्रीट के चेक-डैम निर्माण करना आदि कार्य शामिल था।
- परियोजना के पहले चरण (वर्ष 2015-2019) के दौरान प्रति वर्ष 5,000 गाँवों को सूखा मुक्त बनाने की परिकल्पना की गई थी।

### परियोजना का मूल्यांकन:

- सरकार का मानना है कि उसने 16,000 सूखाग्रस्त गाँवों का कायाकल्प कर दिया है, सिंचाई कवर 34 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है तथा 24 लाख ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जल का स्टॉक किया गया।
- यद्यपि सरकार के पास इस संबंध में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि जल-दबाव (Water Stress) में कमी लाकर कितने ज़िलों को सूखा मुक्त घोषित किया गया।

### जल की कमी (Water Scarcity):

- इसमें केवल जल की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाता है।

### जल-तनाव (Water Stress):

- जल-तनाव से तात्पर्य जलाभाव की उस स्थिति से है जब ताज़े जल की उपलब्धता मानवीय और पारिस्थितिक मांग को पूरा नहीं कर पाती है।

नोट :

- जल की कमी की तुलना में 'जल का तनाव' एक अधिक समावेशी और व्यापक अवधारणा है। यह जल संसाधनों से संबंधित कई भौतिक पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें पानी की उपलब्धता, पानी की गुणवत्ता और पानी की पहुँच शामिल है।

### जल-जोखिम (Water Risk):

- यह जलसंबंधी चुनौती का सामना करने वाली इकाई की संभावना को दर्शाता है जो विशिष्ट कारक की सुभेद्यता पर निर्भर करता है।

### परियोजना की समाप्ति:

- परियोजना में जल संरक्षण संबंधी 10,094 कार्यों को पूरा करना था परंतु लगभग 1,300 कार्यों में विसंगतियाँ पाई गईं जिससे यह विपक्षी दलों के लिये राजनीतिक हथियार बन गया था, अत: महाराष्ट्र की नवगठित सरकार ने इसे हटाने का फैसला किया।

### आगे की राह:

- जलयुक्त शिवार जैसी नवीन योजना को राज्य में लागू करना होगा तथा जल संकट से निपटने हेतु राज्य सरकार को नवीन ठोस कदम उठाने होंगे।

---

## प्रतिमान और डेटा समावेशन सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

### चर्चा में क्यों?

24 फरवरी, 2020 से नोएडा में तीन दिवसीय 'समष्टि विधियों द्वारा प्रतिमान और डेटा समावेशन सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' [Ensemble Methods in Modelling and Data Assimilation (EMMDA)] का आयोजन किया जा रहा है।

### मुख्य बिंदु:

- इस सम्मेलन का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के अंतर्गत स्थापित 'राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र' [National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF)] द्वारा किया जा रहा है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और साथ ही 'एसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम (Ensemble Prediction System-EPS) के इष्टतम उपयोग पर ठोस चर्चा और विचार-विमर्श करना है।

### 'एसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम' (Ensemble Prediction System-EPS):

- एसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम मौसम की भविष्यवाणी करने की एक संख्यात्मक प्रणाली है जो मौसम के पूर्वानुमान के साथ-साथ संभावित परिणाम में अनिश्चितता का अनुमान लगाने में सहायता करती है। संख्यात्मक प्रणाली के अंतर्गत मौसम की भविष्यवाणी केवल एक नियतकालिक पूर्वानुमान के स्थान पर अलग-अलग प्रारंभिक स्थितियों के आधार पर की जाती है।
- भारत द्वारा हाल ही में दो वैश्विक EPS को प्रचलन में लाया गया है जिसका विश्व में उच्चतम रेज़ोल्यूशन है।

### सम्मेलन के प्रमुख विषय: (The Major themes of the Conference):

- मौसम की वैश्विक भविष्यवाणी के लिये एक सामूहिक प्रणाली विकसित करना।
- डेटा समावेशन के लिये एक सामूहिक प्रणाली विकसित करना।
- मासिक और मौसमी पूर्वानुमान हेतु एक सामूहिक प्रभाव प्रणाली विकसित करना।
- संवहन प्रभाव संबंधी पूर्वानुमान के लिये सामूहिक प्रणाली विकसित करना।
- मौसम के पूर्वानुमान के सामूहिक प्रभाव का सत्यापन करना।
- मौसम के पूर्वानुमान के सामूहिक प्रभाव के अनुप्रयोगों पर चर्चा करना।

नोट :

### सम्मेलन से संबंधित अन्य बिंदु:

- इस सम्मेलन में विभिन्न देशों की निम्नलिखित संस्थाएँ तथा विशेषज्ञ भाग लेंगे-
  - ब्रिटेन के मौसम कार्यालय के विशेषज्ञ
  - अमेरिका का नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन
  - दक्षिण कोरिया का मौसम विभाग
  - ऑस्ट्रेलिया का मौसम विभाग
  - अमेरिका का मेरीलैंड विश्वविद्यालय
  - ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी
  - न्यूजीलैंड का मौसम विभाग
  - सउदी अरब का मौसम विभाग
  - थाइलैंड के मौसम विभाग के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ
- उपर्युक्त प्रमुख संगठनों के जाने-माने विशेषज्ञ भारतीय वैज्ञानिकों के साथ डेटा के सामूहिक समावेशन और प्रतिमान के क्षेत्र में तथा नवीनतम घटनाक्रमों के संबंध में चर्चा करेंगे।
- लगभग 20 युवा वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्त्ता अपने अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रस्तुत करेंगे।
- इनके अलावा सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के साझेदार, भविष्यवक्ताओं सहित करीब 100 प्रतिनिधि शामिल होंगे।

### राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र: (National Centre for Medium Range Weather Forecasting- NCMRWF):

- राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम और जलवायु मॉडलिंग में उत्कृष्टता का केंद्र है।
- इस केंद्र का उद्देश्य उन्नत संख्यासूचक मौसम भविष्यवाणी प्रणालियों को लगातार विकसित करना है जिसका कार्य भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करना है। साथ ही नए अनुप्रयोगों के माध्यम से ज्ञान और कौशल के उच्चतम स्तर को बनाए रखते हुए मौसम पूर्वानुमान में विश्वसनीयता और सटीकता बढ़ाना है।

### आगे की राह:

हालाँकि अत्याधुनिक संख्यासूचक पूर्वानुमान प्रणालियों (Numerical Weather Prediction) को लागू करके और डेटा समावेशन की नवीनतम तकनीक को अपना कर पूर्वानुमान प्राप्त करने की दिशा में बेहतर कौशल हासिल कर लिया गया है, लेकिन यह सर्वविदित है कि मौसम की संख्यासूचक भविष्यवाणी से जुड़ी कुछ अनिश्चितताओं का हल खोजा जाना अभी भी ज़रूरी है।

## भारत में प्रारंभिक मानव

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने भारत की सोन नदी घाटी में 80,000-65,000 वर्ष पूर्व के मनुष्यों की निरंतर उपस्थिति के प्रमाण खोजे हैं।

### मुख्य बिंदु:

- ये शोध कार्य मध्य भारत के ऊपरी सोन नदी-घाटी में ढाबा (Dhaba) नामक स्थल की की 'ट्रेंचेज़' (Trenches) में किये गए।
- इस पुरातात्त्विक उत्खनन से लगभग 80,000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में मानव व्यवसाय (लिथिक या पत्थर उद्योग) के प्रमाण मिले हैं।
- मेगालिथिक उपकरण लगभग 80,000-65,000 वर्ष पूर्व के हैं, जबकि सूक्ष्म-पाषाण उपकरण लगभग 50,000 वर्ष पूर्व के हैं।

### पाषाण काल:

- पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पुरा पाषण काल कहा है, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्त्व को बताता है।

### पुरापाषाण काल:

- 20 लाख-12 हज़ार वर्ष पूर्व का समय।
- इसको भी तीन काल आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया जाता है।

### मध्यपाषण काल (मेसोलिथ):

- इसे माइक्रोलिथिक या सूक्ष्मपाषण काल भी कहा जाता है क्योंकि औजारों में लकड़ी या हड्डियों के मुट्ठे लगे होते हैं।

### नवपाषाण काल:

- 10 हज़ार वर्ष पूर्व के बाद का समय।

### शोध का महत्त्व:

- यह शोध दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में मानव आबादी की पहली उपस्थिति तथा अफ्रीका से मानव विसरण (Dispersal) को समझने में मदद करेगा।
- ढ़ाबा का लिथिक उद्योग अफ्रीकी एवं अरब के मध्य पाषाण युग के विभिन्न उपकरणों तथा ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती कलाकृतियों से मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है की ये संभवत: होमो सेपियन्स के उत्पाद है क्योंकि उनका अफ्रीका से बाहर पूर्व दिशा में विसरण हुआ था।
- यह अध्ययन इस सामान्य दृष्टिकोण का खंडन करता है कि आधुनिक मानव का 50,000 वर्ष पूर्व ही अफ्रीका से बाहर विसरण हुआ है जबकि बताता है की टोबा ज्वालामुखी महाविस्फोट के दौरान भी यहाँ मानव की उपस्थिति रही है।
- अफ्रीका और अरब में पहले पाए गए उपकरणों की समानता के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि वे होमो सेपियन्स द्वारा बनाए गए थे।

### टोबा ज्वालामुखी विस्फोट तथा मानव प्रजाति:

- लगभग 74,000 वर्ष पूर्व, सुमात्रा के टोबा ज्वालामुखी में सुपर-विस्फोट हुआ जिससे पृथ्वी के कई हिस्सों में लगभग एक दशक से अधिक लंबी अवधि के लिये शीत मौसम की दशाएँ व्याप्त हो गई। यह विस्फोट पिछले 2 मिलियन वर्षों में सबसे बड़ा था।
- ऐसा माना जाता है इस ज्वालामुखी जनित शीतकाल से पृथ्वी की सतह लगभग एक हज़ार साल तक ठंडी रही तथा इससे मानव (Hominins) की विशाल आबादी नष्ट हो गई।
- यह माना गया कि इससे नाटकीय रूप से जलवायु परिवर्तन हुआ और इसने पूरे एशिया में आबादी को कम कर दिया। हालाँकि, भारत के पुरातात्विक साक्ष्य इन सिद्धांतों का समर्थन नहीं करते हैं।
- 'ज्वालामुखी शीतकाल' (Volcanic Winter) परिकल्पना के अनुसार, इस ज्वालामुखी के कारण मनुष्यों के जीन पूल (जीनों से संबंधित संपूर्ण सूचना) में बाधा उत्पन्न हुई तथा अफ्रीका के अलावा संपूर्ण मनुष्य जाति नष्ट हो गई तथा यह आबादी अफ्रीका से विसरित हो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बस गई।

### ज्वालामुखी शीतकाल संकल्पना:

- इसे वायुमंडलीय धूलि परिकल्पना (Atmospheric Dust Hypothesis) के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया में एयरोसोल्स (Aerosols), ज्वालामुखी धूल-कण, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में कमी आती है क्योंकि ये सौर्यिक विकिरण को परावर्तित करके (जिसे ऐल्बिडो (Albedo) भी कहा जाता है) अल्पकालिक शीतलन प्रभाव पैदा करते है।
- दीर्घकालिक शीतलन प्रभाव मुख्य रूप से समतापमंडल में सल्फर गैसों के उत्सर्जन पर निर्भर होते हैं, जहाँ वे सल्फ्यूरिक अम्ल बनने की प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजरकर एरोसोल का निर्माण कर सकते हैं।
- यह समतापमंडलीय एरोसोल सौर्यिक विकिरण का ऐल्बिडो कर पार्थिव सतह को ठंडा तथा पार्थिव विकिरण को अवशोषित करके समतापमंडल को गर्म करते हैं।

- इस प्रकार वायुमंडलीय ऊष्मन एवं शीतलन प्रभाव, क्षोभमंडल और समतापमंडल पर अलग अलग होता है।
- इस शोध के अनुसार विस्फोट से पूर्व से ही उत्तरी भारत में बसे प्रारंभिक मनुष्यों की आबादी (74,000 वर्ष पूर्व ) थी और यह तबाही की अवधि के दौरान तथा बहुत बाद तक रही।
- जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि आधुनिक मानव का अफ्रीका से 200,000 वर्ष पूर्व ग्रीक, अरब और चीन में 80-100,000 वर्ष पूर्व, सुमात्रा में टोबा ज्वालामुखी विस्फोट से ठीक पूर्व तथा ऑस्ट्रेलिया में 65,000 वर्ष पूर्व विवरण हो चुका था।

सोन नदी

- सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकल कर उत्तर प्रदेश, झारखंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है।
- इस नदी में बालू का रंग पीला होने से इसके सोने की तरह चमकने के कारण इसका नाम सोन पड़ा।
- सोन घाटी भू-गर्भिक तौर पर दक्षिण-पश्चिम में नर्मदा नदी घाटी का लगभग अनवरत विस्तार है।

यह शोध मानव प्रजाति की उत्पति को समझने में वैज्ञानिक सोच को अधिक व्यापक करेगा तथा वैश्विक समुदाय का ध्यान पुन: अपनी ओर आकर्षित करेगा।

---

## नवीन सागरीय सेवाएँ

### चर्चा में क्यों?

इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (The Indian National Centre for Ocean Information Services-INCOIS), हैदराबाद ने अपने विविध उपयोगकर्त्ताओं को बेहतर ढंग से सागरीय सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु तीन नवीन सेवाएँ प्रारम्भ की है।

### INCOIS:

- वर्ष 1999 में स्थापित यह संस्थान, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ( Ministry of Earth Sciences)के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

#### कार्य:

- INCOIS सागरीय क्षेत्र में उपयोगकर्त्ताओं को कई प्रकार की नि:शुल्क सेवाएँ प्रदान करता है। यह मछुआरों से लेकर अपतटीय तेल अन्वेषण उद्योगों जैसे विशिष्ठ उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है।
- यह भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (Indian Tsunami Early Warning Centre- ITEWC) के माध्यम से सुनामी, तूफान की लहरों आदि पर तटीय आबादी के लिये निगरानी और चेतावनी सेवाएं प्रदान करता है।

### ITEWC:

- इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर (ITEWC), INCOIS, हैदराबाद की एक इकाई है जो वैश्विक महासागरों में होने वाली सुनामी की घटनाओं में सलाह तथा पूर्वानुमान जारी करता है।
- ITEWC प्रणाली में17 ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशनों का नेटवर्क ( जो वास्तविक समय में भूकंपीय निगरानी करता है), 4 बॉटम प्रेशर रिकार्डर (Bottom Pressure Recorders- BPR) और 25 ज्वार गेज (Tide Gauge)( जो विभिन्न तटीय स्थानों पर स्थापित हैं) शामिल हैं।
- यह केंद्र पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक महासागरों में होने वाली सुनामी हेतु उत्तरदायी भूकंपों का पता लगाने में सक्षम है।

#### प्रारंभ की नवीन सेवाएँ:

- लघु पोत सलाहकार और पूर्वानुमान सेवा प्रणाली (Small Vessel Advisory and Forecast Services System-SVAS):
  - इसे विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले जहाजों के परिचालन में सुधार करने के लिए प्राम्भ किया गया

- महातरंग महोर्मि पूर्वानुमान प्रणाली (Swell Surge Forecast System- SSFS):
    - यह भारत की विशाल तटीय आबादी के लिये तरंगों के संदर्भ में पूर्वानुमान सूचना जारी करेगा।
- एल्गी ब्लूम सूचना सेवा (Algal Bloom Information Service- ABIS):
    - इस सेवा के द्वारा हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन के संदर्भ में सूचना जारी की जाएगी।

सेवाओं की आवश्यकता:

## SVAS:

- छोटे मछली पालक जहाज दिशा की तथा सागरीय क्षेत्र के संबंध में उचित समय पर सही जानकारी के अभाव में अन्य देशों यथा- पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि के सागरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
- SWAS प्रणाली भारतीय तटीय जल क्षेत्र में में काम करने वाले छोटे जहाजों के लिये सलाहकार और पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध करायेगी। SWAS प्रणाली उपयोगकर्ताओं को संभावित क्षेत्रों के बारे में चेतावनी देती है ताकि जहाज पुन: लौट सके।

## SSFS:

- महातरंग महोर्मि (विशाल तरंगे) के कारण तटीय इलाकों में फ्लैश-बाढ़ (अचानक तेज बारिश या तटीय तरंगों के कारण बाढ़) की घटनाएँ होती हैं, जिससे तटीय इलाकों में विशाल जन-धन की हानि होती है।
- SSFS प्रणाली के माध्यम से महातरंग महोर्मि की पूर्व सूचना दी जा सकेगी।
- इस प्रकार की तरंगे मुख्यतया भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होती है।

## महातरंग महोर्मि ( Swell Surge ):

- ये विशेष प्रकार की सागरीय तरंगे होती है जिनकी उत्पति सागर तट से काफी दूर होती है तथा ये लंबी दूरी तय करने के बाद तटीय क्षेत्रों में पहुँचती है।
- इन तरंगों की उत्पत्ति के समय स्थानीय हवाओं या तटीय वातावरण में कोई बदलाव नहीं होता है अत: इनका पूर्वानुमान करना आसान नहीं होता।

भारतीय मौसम विभाग ने निम्नलिखित तरंग सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान की है-

- पूर्वी तटीय भाग
    - उत्तरी उड़ीसा एवं बंगाल तट
    - मछलीपट्नम (आंध्र प्रदेश)
    - नागपट्टनम (तमिलनाडु)
- पश्चिमी तट
    - उत्तरी महाराष्ट्र तट
    - दक्षिणी गुजरात
    - मुंबई तट
    - कच्छ की खाड़ी (गुजरात)

## ABIS:

- 'एल्गी प्रस्फुटन' के कारण तटीय मत्स्य पालन, समुद्री जीवन और जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती हैं अत: मछुआरों, पर्यावरण विशेषज्ञ आदि को इसके पूर्वानुमान की आवश्यकता पड़ती थी।
- INCOIS-ABIS उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर फाइटोप्लैंकटन प्रस्फुटन के अनुपात तथा सागरीय भौतिक दशाओं के आधार पर इन घटनाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।

नोट :

- एल्गी प्रस्फुटन के ऐसे चार संभावित क्षेत्रों की पहचान ब्लूम हॉटस्पॉट्स (Bloom Hotspots) के रूप में की गई है।
  - उत्तर पूर्वी अरब सागर
  - केरल का तटीय जल
  - मन्नार की खाड़ी और
  - गोपालपुर (उड़ीसा) का तटीय जल

## सेवाओं का महत्त्व:

- पड़ोसी देशों से मत्स्यन की सागरीय सीमा से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
- मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा मिलने से 'नीली अर्थव्यवस्था' (Blue economy)के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- "सागर हमारे गृह के सीमांत संसाधन है।" ( Oceans are the Frontier Resource of our Earth) अत: इन सेवाओं से गहन सागरीय अर्थव्यवस्था (Deep sea economy) पर भारत की समझ को बढ़ावा मिलेगा।

के.एम.पणिक्कर ने 'भारतीय इतिहास पर समुद्री शक्ति के प्रभाव' निबंध में हिन्द महासागर के महत्त्व को उजागर करते हुए लिखा है कि भारत को सागरीय संसाधनों का अधिकतम दोहन करना चाहिये। अत: हाल ही में प्रारंभ की गयी सेवाएँ उनके इस अभिकथन की पुष्टि करते हैं।

दृष्टि The Vision

# सामाजिक मुद्दे

## बीजिंग +25 की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय परामर्श

### चर्चा में क्यों?

चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन और बीजिंग घोषणापत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अंगीकरण (World Conference on Women and adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action) की 25वीं वर्षगाँठ पर बीजिंग +25 की समीक्षा हेतु एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- यह परामर्श महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women & Child Development- MWCD), राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) तथा संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) द्वारा आयोजित किया गया था।
- इस परामर्श का मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता (Gender Equality) निर्धारित करने हेतु सिविल सोसायटी, भारत की महिलाओं एवं युवाओं को साथ लाना है।
- इस परामर्श के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
    - पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में बीजिंग घोषणा पत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के कार्यान्वयन की प्रगति एवं उसकी चुनौतियों का आकलन करना।
    - वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को निर्धारित करने हेतु आवश्यक प्राथमिकता वाले कार्यों पर संवाद करना।
    - महिला सशक्तीकरण को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों पर चर्चा करना।

### बीजिंग +25 के बारे में

- बीजिंग +25 महिला विश्व सम्मेलन और बीजिंग घोषणापत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अंगीकरण की 25वीं वर्षगाँठ से संबंधित है।
- बीजिंग में आयोजित वर्ष 1995 का चतुर्थ संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक था तथा विश्व में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

चतुर्थ संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन (बीजिंग) 1995

- सितंबर 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला अधिकारों पर बीजिंग घोषणा पत्र को भी अपनाया गया था।
- इस सम्मेलन का लक्ष्य वर्ष 1975 में मैक्सिको में आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन में औपचारिक रूप से शुरू की गई प्रक्रिया को गति प्रदान करना था।
    - ध्यातव्य है कि मैक्सिको सम्मेलन में सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पुरुषों एवं महिलाओं में व्याप्त विषमताओं को मिटाने की दिशा में चल रहे सरकारी प्रयासों के मार्गदर्शन के लिये एक विश्व कार्ययोजना का निर्धारण किया था।
- बीजिंग सम्मलेन में प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (Platform for Action–PFA) को अपनाया गया था।
    - यह महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने हेतु अभिसमय (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women–CEDAW) और संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास संगठन (ECOSCO) द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक प्रस्तावों को अनुमोदित करता है।

- अन्य महिला विश्व सम्मेलन:
  - प्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन (मैक्सिको), 1975
  - द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन (कोपेनहेगन), 1980
  - तृतीय संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन (नैरोबी), 1985

### भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए कदम

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार 640 ज़िलों में किया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश के लिंगानुपात में 13 अंकों का सुधार हुआ है और लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 (प्रति हज़ार में) से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 931 (प्रति हज़ार में) हो गया है।
  - साथ ही प्राथमिक स्तर पर महिला नामांकन दर 93.55% हो गया है और लड़कों तथा लड़कियों के समग्र ड्रॉप-आउट दर में भी 19.8% की गिरावट आई है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PM Matri Vandna Yojna- PMMVY) के अंतर्गत 17.43 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुँच बनाई गई एवं उन्हें मातृत्व लाभ प्रदान किया गया।
- 18.6 लाख से अधिक महिलाओं को सितंबर 2018 तक देश भर में महिला हेल्पलाइन नंबर (181) के माध्यम से संबोधित किया गया।
- पुलिस विभाग में लिंगानुपात बेहतर करने के लिये एवं महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई।
- कामकाजी महिलाओं की कार्यदशाओं को सुधारने एवं आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है तथा कार्यस्थलों में क्रेच (Creche) की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है।
- गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए विषम परिस्थितियों में गर्भपात कराने की अवधि को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता के लिये भारत में जेंडर बजटिंग का प्रावधान किया गया है।

## प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरस्कार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ज़िलों को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन के लिये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana-PMMVY) पुरस्कार प्रदान किये गए।

### मुख्य बिंदु:

- इन पुरस्कारों की घोषणा 2 से 8 दिसंबर, 2019 तक आयोजित मातृ वंदना सप्ताह के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के योजना संबंधी कार्य प्रदर्शन के लिये की गई थी।
- 2 से 8 दिसंबर, 2019 तक आयोजित मातृ वंदना सप्ताह का विषय 'स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की ओर – सुरक्षित जननी, विकसित धारिणी' (Towards building a healthy nation – Surakshit Janani, Viksit Dharini) था।

### पृष्ठभूमि:

- PMMVY एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जो 01 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत मातृत्व और बाल स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले परिवारों के पहले जीवित बच्चे के जनन पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में 5,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

नोट :

### योजना का क्रियान्वयन:

- यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है।
- इस योजना के लिये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों मे संचालित आँगनवाड़ी सर्विसेज़ स्कीम ऑफ अम्ब्रेला (Anganwadi Services Scheme of Umbrella ICDS) के प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
- यह योजना एमआईएस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग (MIS Software Application) आधारित वेब के माध्यम से चलाई जा रही है और कार्यान्वयन का केंद्रबिंदु आँगनवाड़ी केंद्र और आशा/एएनएम हैं।

### PMMVY पुरस्कारों का वितरण:

- एक करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इस योजना के प्रारंभ होने से वर्तमान समय तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा हरियाणा को प्रदान किया गया।
- एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली को पहला स्थान, हिमाचल प्रदेश को दूसरा और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- एक करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये ज़िला स्तर पुरस्कारों में पहला स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और तीसरा स्थान असम के दक्षिण सलमारा मनकाचार (South Salmara Mankachar) को प्राप्त हुआ।
- एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के ज़िलों में पहला स्थान मिज़ोरम में सेरछिप (Serchhip), दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश के ऊना (Una) और तीसरा स्थान पुदुचेरी को प्राप्त हुआ।
- एक करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिये पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ।
- एक करोड़ से कम आबादी वाले उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों जिन्होंने मातृ वंदना सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिये पहला स्थान दादरा एवं नगर हवेली दूसरा स्थान सिक्किम को और तीसरा स्थान मणिपुर को प्राप्त हुआ।

### पुरस्कार वितरण का उद्देश्य:

- इन पुरस्कारों को बाँटने का उद्देश्य PMMVY के कार्यान्वयन में बढ़ोतरी करना तथा राज्यों में स्वस्थ प्रतियोगिता का सृजन करना है।

### आगे की राह:

- इस समारोह में प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि मातृत्व में प्रवेश करने वाली युवा लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये वे ज़िलों में जन जागरूकता अभियान चलाएँ।
- ध्यातव्य है कि पोषण माह मार्च 2020 में मनाया जाएगा।
- तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन की सफलता ने यह सिद्ध किया है कि अगर ज़िला प्रशासन, राज्य और केंद्र सरकार किसी योजना की सफलता के लिये मिलकर काम करने का निर्णय लें तो कुछ भी असंभव नहीं है।

## भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा 'भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट' (Report on Missing Women and Children in India) जारी की गई है।

### मुख्य बिंदु:

- NCRB की इस रिपोर्ट में वर्ष 2016, 2017 और 2018 में जारी 'भारत में वार्षिक अपराध संबंधी रिपोर्ट' (Annual Crime in India Report) के आँकड़ों को आधार बनाया गया है।
- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने NCRB को लापता व्यक्तियों (विशेषकर महिलाओं और बच्चों) से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया था, ताकि इन व्यक्तियों की तस्करी किये जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

### रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख आँकड़े:

- देश में लापता होने वाली महिलाओं और बच्चों की सर्वाधिक संख्या के मामले में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर हैं।
- इन दोनों राज्यों में वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान सभी राज्यों की तुलना में लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई।

### महिलाओं से संबंधित आँकड़े:

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएँ लापता हुईं।
- महाराष्ट्र में वर्ष 2016 में 28,316 महिलाएँ, वर्ष 2017 में 29,279 और 2018 में 33,964 महिलाएँ लापता हुईं।
- महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में ऐसी घटनाओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई, मुंबई में जहाँ वर्ष 2017 और 2018 में क्रमश: 4,718 और 5,201 महिलाएँ लापता हुईं, वहीं पुणे में समान अवधि के दौरान क्रमश: 2,576 और 2,504 महिलाएँ लापता हुईं।
- पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान लापता महिलाओं की संख्या क्रमश: 24,937, 28,133 और 31,299 थी।
- मध्य प्रदेश में वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान क्रमश: 21,435, 26,587 और 29,761 महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई।

### बच्चों से संबंधित आँकड़े:

- वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान देश भर में क्रमश: 63,407, 63,349 और 67,134 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई।
- वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान सर्वाधिक लापता बच्चों की रिपोर्ट क्रमश: महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर में सर्वाधिक लापता बच्चों से संबंधित रिपोर्ट में यह संख्या वर्ष 2017 और 2018 के दौरान क्रमश: 596 और 823 थी।
- मध्य प्रदेश के ही सतना ज़िले में लापता बच्चों की संख्या वर्ष 2017 के 360 से बढ़कर वर्ष 2018 में 564 हो गई।
- पश्चिम बंगाल के कोलकाता ज़िले में वर्ष 2018 के दौरान लापता बच्चों की सर्वाधिकसंख्या (989) पाई गई।
- बांग्लादेश की सीमा से सटे नादिया ज़िले में लापता बच्चों की संख्या वर्ष 2017 के 291 से बढ़कर वर्ष 2018 में 474 हो गई।

### आँकड़े जारी करने का उद्देश्य:

- NCRB के अनुसार, इस अध्ययन का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है जहाँ लापता व्यक्तियों (विशेषकर महिलाओं और बच्चों) के पंजीकृत मामले अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक हैं।
- देश के कुछ हिस्से जिनमें ऐसी घटनाओं की दर उच्च है, ऐसे क्षेत्र बच्चे/महिलाओं की तस्करी (Child/Women Trafficking) के स्रोत या पारगमन गंतव्यों में से एक हो सकते हैं। इन स्थानों के बारे में जानकारी होने से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये किये जाने वाले प्रयासों में वृद्धि होगी।

## शहरों में आँगनवाड़ी लाभार्थी

### चर्चा में क्यों?

समाचार पत्र 'द हिंदू' द्वारा सूचना के अधिकार (Right to Information- RTI) के तहत दायर एक याचिका के जवाब में सरकार द्वारा भारतीय शहरों में आँगनवाड़ी लाभार्थियों की स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान की गई है।

### मुख्य बिंदु:

- सरकार ने बताया है कि देश में प्रत्येक 100 आंगनवाड़ी लाभार्थियों में से केवल सात शहरी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं।

नोट :

**पृष्ठभूमि:**

- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Services-ICDS) के तहत छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करने के लिये आँगनवाड़ी केंद्रों या डे-केयर सेंटर्स (Day-Care Centres) की स्थापना की जाती है।
- ये छ: सेवाएँ हैं-
  - पूरक पोषण (Supplementary Nutrition)
  - प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा (Pre-School Non-Formal Education)
  - प्रतिरक्षा (Immunisation)
  - पोषण (Nutrition)
  - स्वास्थ्य शिक्षा (Health Education)
  - रेफरल सेवाएँ (Referral Services)
- इन आँगनवाड़ी केंद्रों का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण को कम करना है।
- आँगनवाड़ी लाभार्थियों में छह महीने से छह वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ शामिल हैं।

सरकार द्वारा प्रदत्त आँकड़े:

- शहरी क्षेत्रों की स्थिति:
  - सरकार द्वारा दिये गए RTI के जवाब के अनुसार, 30 सितंबर, 2019 को देश में आँगनवाड़ी योजना के तहत पंजीकृत कुल 7.95 करोड़ लाभार्थियों में से केवल 55 लाख लाभार्थी शहरी आँगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत थे।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल आबादी में से 32% शहरों में निवास करती है, हालाँकि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शहरी अवस्थापन की परिभाषा को व्यापक कर दिया जाए तो शहरी आबादी का हिस्सा बहुत अधिक हो जाएगा।
  - देश भर में लगभग 13.79 लाख आँगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 9.31 लाख केंद्र सरकार की वेब-आधारित डेटा प्रविष्टि प्रणाली (Web-enabled Data Entry System) से जुड़े हुए हैं जिसे रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (Rapid Reporting System) कहा जाता है।
- पूरे देश में बच्चों की स्थिति:
  - पोषण स्थिति पर हाल ही में हुए एक अखिल भारतीय अध्ययन 'व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण-2016-18' (Comprehensive National Nutrition Survey 2016-18) के अनुसार पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में से 35% बच्चे बौनेपन (Stunting) और 17% बच्चे लंबाई के अनुसार कम वज़न (Wasting) की समस्या से प्रभावित पाए गए।
  - यह भी देखा गया कि देश में 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग के कुल बच्चों में से 22% बच्चे बौनेपन (Stunting) और 23% बच्चे उम्र के अनुसार कम वज़न (UnderWeight) से ग्रस्त पाए गए।
- ग्रामीण क्षेत्रों से तुलना:
  - केंद्र सरकार की वेब-आधारित डेटा प्रविष्टि प्रणाली से संबंधित आँगनवाड़ी केंद्रों में से 1.09 लाख शहरी क्षेत्रों में और शेष 8.22 लाख देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
  - आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों के बच्चों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक मोटापे की समस्या देखी गई है।
- कारण:
  - शहरों में यह स्थिति मुख्य रूप से आँगनवाड़ी केंद्रों की भारी कमी के कारण है।
  - शहरी क्षेत्रों में आँगनवाड़ी केंद्रों की कमी के कारण शिशु एवं बाल विकास के लिये सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों तक शहरी आबादी की पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाती है।

### आगे की राह:

नीति आयोग ने शहरों में प्रवासन, जनसंख्या घनत्व एवं श्रमिकों और लाभार्थियों के समक्ष लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में ICDS कार्यक्रम को मज़बूत करने हेतु एक मसौदा संबंधी कार्य पत्र तैयार किया है।

## जेल सुधार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने जेल सुधारों से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2018 में जस्टिस अमिताव रॉय की अध्यक्षता में दोषियों के जेल से छूटने और पैरोल के मुद्दों पर उनके लिये कानूनी सलाह की उपलब्धता में कमी एवं जेलों की विभिन्न समस्याओं की जाँच करने के लिये एक समिति का गठन किया था।
- इस समिति में जस्टिस अमिताव रॉय के अतिरिक्त ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के IG और तिहाड़ जेल के DG शामिल थे।

### समिति द्वारा उल्लिखित जेल की समस्याएँ

- समिति के अनुसार, अंडर-स्टाफ जेलों में भीड़-भाड़ आम बात है तथा जेल में कैदी और जेल के गार्ड दोनों के मानवाधिकारों का उल्लंघन समान रूप से होता है। अंडरट्रायल कैदी अदालत में बिना सुनवाई के वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं। जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात दोषियों के अनुपात से अधिक है।
- जेल विभाग में पिछले कुछ वर्षों से 30% से 40% रिक्तियाँ लगातार बनी हैं।
- समिति की रिपोर्ट में रसोई में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को अत्यंत प्राचीन बताया गया है। किचन कंजस्टेड और अनहेल्दी (Congested and Unhygienic) हैं तथा यह स्थिति जेलों में वर्षों से बनी हुई है।

समिति द्वारा जेल सुधार के लिये सुझाए गए मुख्य बिंदु

- समिति के अनुसार, प्रत्येक नए कैदी को जेल में उसके पहले सप्ताह के दौरान दिन में एक बार अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुझाए गए अन्य सुझावों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
  - जेल में खाना पकाने की आधुनिक सुविधाएँ होनी चाहिये।
  - आवश्यक वस्तुओं को खरीदने हेतु कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिये।
  - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल (Trial) की व्यवस्था होनी चाहिये।
- चूँकि जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात दोषियों के अनुपात से अधिक है इसलिये समिति ने इस संदर्भ में सुझाव दिया है कि प्रत्येक 30 कैदियों के लिये कम-से-कम एक वकील होना चाहिये।
- साथ ही त्वरित मुकदमा (Speedy Trial) जेलों में अप्रत्याशित भीड़ को कम करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।
- जेल विभाग में पिछले कुछ वर्षों से 30% से 40% रिक्तियाँ लगातार बनी हुई हैं इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।

आगे की राह

- न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है जिससे कि विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।
- चूँकि कैदी मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसलिये अक्सर वे राजनीतिक दलों के मुद्दों से बाहर रहते हैं, अत: समाज एवं राजनीतिक दलों को विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा एवं मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिये।
- जेल में मिलने वाली सुविधाओं को आधुनिक रूप दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में उन्हें उपलब्ध सुविधाएँ अत्यंत निम्न स्तर की हैं।

इसके अतिरिक्त उन्हें आवश्यक कौशल परीक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, साथ ही उनके लिये आवश्यक शिक्षा की प्राप्ति हेतु विशेष कक्षाएँ भी आयोजित की जा सकती है।

## आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयाँ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों (Civic Bodies) को मैनहोल (Manhole) और सीवर की सफाई करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों हेतु सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिये आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाईयाँ (Emergency Response Sanitary Units- ERSU) स्थापित करने का निर्देश दिया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- महाराष्ट्र सरकार ने कई मामलों में श्रमिकों के दम घुटने, खतरनाक गैसों के कारण साँस लेने में समस्या या मृत्यु की सूचना के बाद यह महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।
- इससे पहले भी हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा को रोकने के लिये समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रयास किये गए एवं विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

### क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग?

- किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों (Human Excreta) की सफाई करने या सर पर ढोने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) कहते हैं।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही भारत की जाति व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें यह माना जाता है कि यह तथाकथित निचली जातियों का कार्य है।

### आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयाँ (ERSU)

- ERSU की स्थापना संबंधी निर्देश में राज्य सरकार ने संबंधित निकाय के नगर आयुक्त को उत्तरदायी स्वच्छता प्राधिकरण (Responsible Sanitation Authority- RSA) की ज़िम्मेदारी सौंपी है।
- ERSU का नेतृत्व एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा और ERSU सलाहकार बोर्ड में भी अन्य नागरिक अधिकारी होंगे जो सफाई उद्देश्यों के लिये मैनहोल में प्रवेश करने वाले श्रमिकों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SoP) तय करेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, नागरिक निकाय को ERSU के लिये एक समर्पित टोल-फ्री नंबर भी शुरू करना होगा।
- यह इकाई स्वच्छता कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी तथा केवल ERSU द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित श्रमिक ही सीवर की सफाई करने के लिये पात्र होंगे। हालाँकि इस तरह के काम को करने के लिये मशीनों के उपयोग करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि किसी कर्मचारी की सीवर की सफाई करते समय मृत्यु हो जाती है तो नागरिक निकाय उस घटना की जाँच के जाएगी और पुलिस शिकायत दर्ज की जाएगी।

### PEMSR ACT, 2013

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act) वर्ष 2013 से प्रभाव में आया।
- यह कानून सुरक्षा उपकरण और इंसेंटरी शौचालय के निर्माण के बिना सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई करने वालों को नियोजित करने पर रोक लगाता है।
- इस कानून का उल्लंघन करने और बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करवाने वालों को दो साल तक की कैद या दो लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- दोबारा अपराध की स्थिति में अपराधियों को पाँच साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

## इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

- वर्ष 2014 में मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को समाप्त करना है और साथ ही आने वाली पीढ़ियों को इस अमानवीय प्रथा से बचाना है तो सीवर से होने वाली मौतों को कम करने के साथ-साथ हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिये बेहतर प्रबंध करना होगा।
- न्यायालय के अनुसार, आपात स्थितियों में भी सुरक्षा उपकरणों के बिना एक सफाई कर्मचारी को सीवर लाइनों में प्रवेश करने को अपराध माना जाना चाहिए।
- न्यायालय के अनुसार, यदि असुरक्षित परिस्थितियों के कारण किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने अधिकारियों को वर्ष 1993 से ही मैनहोल और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले स्वच्छता कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की पहचान करने तथा उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये आयोग ने विभिन्न निर्देश जारी किये हैं:

- आयोग के अनुसार, हाथ से सीवर को साफ करते समय श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण और ऑक्सीजन मास्क के साथ पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहिये।
- एक कर्मचारी को उचित उपकरण के बिना हाथ से सीवर को साफ करने के लिये भेजने हेतु ज़िम्मेदार अधिकारियों या ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज़ की जानी चाहिये।
- आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सभी नगर निगमों के लिये प्रति मज़दूर 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। ध्यातव्य है कि पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान नियोक्ताओं या नागरिक निकायों को करना होगा।

इस संदर्भ में राज्य सरकार के प्रयास

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी विकास विभाग ने नागरिक निकायों को निर्देश दिया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये और हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा में शामिल लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- साथ ही राज्य सरकार ने नागरिक निकायों को निर्देश दिया है कि वे सेप्टिक टैंक या मैनहोल को साफ करने वाले श्रमिकों की मृत्यु को रोकने के लिये सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिये।

## मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिये किये जा रहे अन्य प्रयास

- सभी नागरिक निकायों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिये कार्यशाला आयोजित करने के लिये निर्देशित किया गया है। ध्यातव्य है कि ये कार्यशालाएँ सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिये नवीनतम तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देंगी तथा इनका मुख्य उद्देश्य मशीनों के द्वारा सेप्टिक टैंक या मैनहोल को साफ करने का एक तरीका खोजना है।
- इन कार्यशालाओं में स्वच्छता कर्मचारियों से संबंधित कानूनों, ERSU की स्थापना और उनकी भूमिकाओं, नवीनतम उपकरणों, मशीनों एवं सुरक्षात्मक उपकरणों से संबंधित जानकारियाँ भी प्रदान की जाएँगी।
- इन कार्यशालाओं में स्वच्छता कार्यकर्त्ता, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन, हाउसिंग सोसायटी के सदस्य और सरकारी अधिकारी भाग लेंगे।

## आगे की राह

- ध्यातव्य है कि सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने की दिशा में अनेक प्रयास किये गए हैं किंतु सबसे बड़ी समस्या उनके क्रियान्वयन की है इसलिये मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने की दिशा में किये गए प्रयासों के सही क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है और इसमें जातीय विभेद प्रमुख तत्त्व है। अतः सामाजिक सुधारों एवं शिक्षा के माध्यम इन कुरीतियों एवं रूढ़िवादी विचारों को दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर रोक लगाने हेतु आमजन को इस संदर्भ में जागरूक करने के साथ ही आधुनिक उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता है।

---

नोट :

# SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018: SC का निर्णय

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून (SC/ST Atrocities Amendment Act), 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय देते हुए इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

### प्रमुख बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2018 के अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए स्पष्ट किया कि इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी से पूर्व प्राथमिक जाँच की ज़रूरत नहीं है।
- साथ ही इस तरह के मामलों में गिरफ्तारी से पूर्व किसी अथॉरिटी से अनुमति लेना भी अनिवार्य नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अपने विरुद्ध दर्ज़ FIR को रद्द कराने के लिये आरोपी व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि प्रथम दृष्टया एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता है तो किसी भी न्यायालय द्वारा FIR को रद्द किया जा सकता है।

### अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये तमाम सामाजिक आर्थिक बदलावों के बावजूद सिविल अधिकार कानून 1955 व भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान इस वर्ग के लोगों की समस्याओं को सही तरीके से संबोधित नहीं कर पा रहे थे, ऐसी परिस्थिति में संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित किया।
- राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद 30 जनवरी 1990 को यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया।

### प्रावधान

- यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, तो उसके विरुद्ध यह कानून कार्य करता है।
- इसके अलावा यह कानून पीड़ितों को विशेष सुरक्षा देता है। इस कानून के तहत पीड़ित को अलग-अलग अपराध से पीड़ित होने पर 75,000 रुपए से लेकर 8 लाख 50 हजार रुपए तक की सहायता दी जाती है।
- साथ ही ऐसे मामलों के लिये इस कानून के तहत विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं जो ऐसे प्रकरण में तुरंत निर्णय लेते हैं।
- इस कानून के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पीड़ित को राहत राशि और अलग से मेडिकल जाँच की भी व्यवस्था है।

### सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2018 को सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में निर्णय देते हुए यह प्रावधान किया कि-
  - एससी/एसटी कानून के मामलों की जाँच कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। पहले यह कार्य इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करता था।
  - यदि किसी आम आदमी पर एससी-एसटी कानून के अंतर्गत केस दर्ज होता है, तो उसकी भी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी बल्कि इसके लिये जिले के SP या SSP से अनुमति लेनी होगी।
  - किसी व्यक्ति पर केस दर्ज होने के बाद उसे अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है।
  - अग्रिम जमानत देने या न देने का अधिकार दंडाधिकारी के पास होगा। अभी तक अग्रिम जमानत नहीं मिलती थी तथा जमानत भी उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती थी।
  - किसी भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी पर केस दर्ज होने पर उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, बल्कि उस सरकारी अधिकारी के विभाग से गिरफ्तारी के लिये अनुमति लेनी होगी।
  - न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले। इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाई की जाएगी।

नोट :

### उत्पीड़न के ज़्यादातर मामले झूठे हैं

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज ज़्यादातर मामले झूठे पाए गए।
- न्यायालय द्वारा अपने फैसले में ऐसे कुछ मामलों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार 2016 की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए।
- वर्ष 2015 में एससी-एसटी कानून के तहत न्यायालय द्वारा कुल 15638 मुकदमों का निपटारा किया गया। इसमें से 11024 मामलों में या तो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया या फिर वे आरोप मुक्त साबित हुए। जबकि 495 मुकदमों को वापस ले लिया गया।

केंद्र सरकार द्वारा किये गए संशोधन

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 पारित करते हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के मूल प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया, जो इस प्रकार हैं -
  - एससी/एसटी संशोधन विधेयक 2018 के जरिये मूल कानून में धारा 18A जोड़ी गई, इसके अंतर्गत पुराने कानून को बहाल कर दिया गया।
  - नए प्रावधानों के अनुसार, अब इस तरह के मामले में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आरोपी को अग्रिम जमानत भी न देने की व्यवस्था की गई।
  - आरोपी को उच्च न्यायालय से ही नियमित जमानत मिल सकेगी। अब पूर्व की भाँति मामले की जाँच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी करेंगे।
  - जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल संबंधी शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज होगा।
  - एससी/एसटी मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी।
  - सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दायर करने से पहले जाँच एजेंसी को अथॉरिटी से अनुमति लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।

### आगे की राह:

- लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिये गए हैं और कानून के समक्ष भी सभी को समान माना गया है। ऐसे में किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन अनुचित है फिर चाहे वह सवर्ण हो या दलित। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भी इसी तर्क की पुष्टि करता है।
- यह शासनतंत्र की ज़िम्मेदारी है कि वह पिछड़े समुदायों और दलितों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों का ईमानदारीपूर्वक और भेदभाव रहित दृष्टिकोण अपनाकर अनुपालन सुनिश्चित करे, जिससे इन वर्गों के भीतर उत्पन्न असुरक्षा और उत्पीड़न का डर समाप्त हो सके एवं इनका शासनतंत्र और न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे।

## मानव तस्करी से प्रभावित व्यक्ति

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तस्करी और लैंगिक हिंसा के खिलाफ कार्य करने वाले कोलकाता स्थित एक तकनीकी संगठन 'संजोग' द्वारा 'UNCOMPENSATE VICTESS' नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

### मुख्य बिंदु:

- देश भर में पाँच वकीलों द्वारा दिये गए आवेदनों के आधार पर सूचना के अधिकार (Right to Information-RTI) के तहत तस्करों के चंगुल से बचाए गए लोगों को दिये गए मुआवज़े के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।
- उपर्युक्त रिपोर्ट में RTI के तहत दायर याचिका के जवाब में देश में मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए लोगों को दिये गए मुआवजे की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।
- ये आँकड़े 25 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों में मानव तस्करी की स्थिति के आधार पर एकत्रित किये गए हैं।

### क्या कहती है NCRB की रिपोर्ट?

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2018 के बीच देश में मानव तस्करी के कुल 35,983 मामले दर्ज किये गए।

### 'संजोग' द्वारा जारी रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, मानव तस्करी से छुड़ाए गए केवल 82 जीवित बचे लोगों को मुआवजा प्रदान करने की घोषणा की गई थी, जिनमें से केवल 77 व्यक्तियों को ही राहत राशि मिली।
- इसका अर्थ है कि NCRB द्वारा बताए गए मानव तस्करी से बचे लोगों के कुल मामलों में से केवल 0.2% लोगों को पिछले आठ वर्षों में सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया।

राज्यवार आँकड़े:

- वर्ष 2011 और 2019 के बीच मानव तस्करी से छुड़ाए गए व्यक्तियों को दिये गए मुआवज़े के राज्यवार विवरण के अनुसार, दिल्ली में 47, झारखंड में 17, असम में 8, पश्चिम बंगाल में 3, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मेघालय में 2-2 और हरियाणा में एक व्यक्ति को मुआवजा प्रदान किया गया था।
- इस रिपोर्ट में तस्करी से बचे लोगों की संख्या को भी दर्शाया गया है जिन्होंने पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया था।
- वर्ष 2011 और 2019 के बीच इस योजना के तहत 107 व्यक्तियों ने मुआवज़े के लिये आवेदन किया, जिनमें से 102 मामलों में न्यायालय ने अधिकारियों को मुआवज़ा जारी करने का निर्देश दिया।
- पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 28, कर्नाटक और झारखंड में 26 और असम में 14 व्यक्तियों ने मुआवज़े के लिये आवेदन किया, जबकि सात व्यक्तियों ने दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवेदन किया।
- दिल्ली का डेटा विसंगतिपूर्ण है क्योंकि यहाँ कुछ व्यक्तियों को घोषित मुआवज़े से अधिक मुआवज़ा मिला है।
- मणिपुर में वर्ष 2019 की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना में मानव तस्करी के मामले में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं हुई है।

दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान:

- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-A में अपराध पीड़ितों को मुआवज़ा देने का प्रावधान है।

### अन्य प्रावधान:

- निर्भया फंड (Nirbhaya Fund):
  - वर्ष 2012 में निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में राष्ट्रीय आक्रोश के बाद सरकार ने 1,000 करोड़ रूपए के फंड की घोषणा की थी जिसका उपयोग व्यक्तियों, बच्चों या वयस्कों के खिलाफ यौन हिंसा से निपटने के लिये किया जाता है।
  - निर्भया फंड के कुछ भाग को विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम (Victim Compensation Scheme) में प्रयोग किया जा रहा है जो कि पिछले कुछ वर्षों से बलात्कार, एसिड बर्न और ट्रैफिकिंग तथा अन्य प्रकार की हिंसा से बचे लोगों को मुआवज़ा देने की एक राष्ट्रीय योजना है।
  - मानव तस्करी के पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवज़े की राशि अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है।
- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (National Legal Services Authority-NALSA) को एक मानकीकृत पीड़ित मुआवजा योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

क्या हैं समस्याएँ?

- पीड़ित लोगों को प्रदान किये जाने वाले मुआवज़े के संदर्भ में जानकारी में कमी और कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से पहल की कमी के कारण बहुत कम लोगों की मुआवज़ा प्राप्त कर पाते हैं।
- कानूनी सहायता पर कम सरकारी निवेश के कारण भी बहुत कम लोगों की मुआवज़े तक पहुँच स्थापित हो पाती है।

- मानव तस्करों से छुड़ाए गए व्यक्ति अपने बचाव से पुनर्वास तक कई एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें मुआवज़ा दिलवाने में सहायता करने के लिये कदम नहीं उठाता है।
- राज्यों की लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी की मुआवज़े से संबंधित दावों पर प्रतिक्रिया धीमी रही है, और ये अथॉरिटी पीड़ितों पर ही सबूत एकत्रित करने का बोझ डालती हैं।

# विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल

## चर्चा में क्यों?

प्रतिवर्ष 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की पहुँच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Women and Girls in Science) मनाया जाता है।

### पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसम्बर 2015 को एक संकल्प पारित कर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की पहुँच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस का शुभारंभ किया गया। यह विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका का मूल्यांकन करेगा।
- इसका क्रियान्वयन यूनेस्को और यूएन वुमेन के सहयोग से कई अन्य अंतर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है।

### उद्देश्य

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान पहुँच एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त यह लैंगिक अंतराल को कम करने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कार्य करेगा।

### प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों की सूची में कुछ महिलाओं का नाम प्रमुखता से लिया जाता है परंतु उन्हें विज्ञान से जुड़े उच्च अध्ययन क्षेत्रों में शीर्ष वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करने वाले अपने पुरुष समकक्षों के सापेक्ष कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
- यूनेस्को द्वारा वैश्विक रूप से विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर तैयार की गई वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, शोधकर्त्ताओं में सिर्फ 28.8% महिलाएँ हैं। यह शोधकर्त्ताओं को "नए ज्ञान की अवधारणा या निर्माण में लगे पेशेवरों" के रूप में परिभाषित करता है।
- भारत के संदर्भ में शोध के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी गिरकर 13.9% पर पहुँच गई है।
- वर्ष 1901 से 2019 के बीच भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 616 विजेताओं को 334 नोबेल पुरस्कार दिये गए हैं, जिनमें से 20 नोबेल पुरस्कार सिर्फ 19 महिलाओं को प्राप्त हुए हैं।
- वर्ष 2019 तक भौतिकी के क्षेत्र में 3 महिलाओं, रसायन के क्षेत्र में 5 महिलाओं तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 12 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किये गए हैं, जिनमें मैडम क्यूरी को भौतिकी व रसायन विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2019 में अमेरिकी गणितज्ञ केरेन उहलेनबेक (Karen Uhlenbeck) गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित 'एबेल पुरस्कार (Abel Prize)' प्राप्त करने वाली पहली महिला बनीं।
- वर्ष 1936 से 2019 के बीच 59 पुरुष समकक्षों के सापेक्ष वर्ष 2014 में फील्ड्स मेडल प्राप्त करने वाली ईरान की एकमात्र महिला गणितज्ञ मरयम मिर्ज़ाखानी (Maryam Mirzakhani) थी।

### विज्ञान के पाठ्यक्रम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- यूनेस्को के अनुसार, वर्ष 2014 से 2016 के बीच केवल 30% छात्राओं ने उच्च शिक्षा में STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स) से संबंधित क्षेत्रों का चयन किया है।

- छात्राओं की नामांकन दर सूचना प्रोद्योगिकी (3%), प्राकृतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिकी (5%) तथा इंजीनियरिंग व संबंधित क्षेत्रों (8%) में अपेक्षाकृत रूप से कम है।
- भारत में वर्ष 2016-17 की नीति आयोग की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पिछले पाँच वर्षों में विभिन्न विषयों में महिला नामांकन की तुलना की गई है।
- वर्ष 2015-16 में स्नातक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 15.6% नामांकन दर के सापेक्ष छात्राओं की भागीदारी 9.3% रही। वहीं चिकित्सा विज्ञान में नामांकन दर 4.3% रही।
- रिपोर्ट के अनुसार कला के क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्राथमिकता प्रदर्शित की परंतु वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ा है।
- रिपोर्ट में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि 620 से अधिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों (IIT, NIT, ISRO और DRDO समेत) में महिलाओं की उपस्थिति वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच 20.0%, पोस्ट-डॉक्टोरल फैलोशिप में 28.7% और पीएचडी विद्वानों के बीच 33% है।

### विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल क्यों?

- विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि बालिकाएँ स्कूल में गणित और विज्ञान-उन्मुख विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण इन विषयों को उच्च शिक्षा के स्तर पर नहीं अपनाती हैं, जबकि बालकों में यह आत्मविश्वास होता है कि वे बेहतर कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास उन्हें उच्च शिक्षा के स्तर पर गणित और विज्ञान-उन्मुख विषय अपनाने के लिये प्रेरित करता है।

### आगे की राह

- नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि विज्ञान उन्मुख विषयों में महिलाओं के प्रवेश की समस्या प्रत्येक क्षेत्र में एक समान नहीं है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्कूल स्तर पर बालिकाओं के बीच इंजीनियरिंग या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान जैसे विषयों को लोकप्रिय बनाने के लिये हस्तक्षेप किया जा सकता है।
- बालिकाओं के बीच विज्ञान उन्मुख विषयों के प्रति आत्मविश्वास को बढ़ने के लिये गैर सरकारी संगठनों की सहायता प्राप्त की जा सकती है, जिससे उनकी समय-समय पर काउंसलिंग की जा सकती है।

---

## भारत में कुपोषण उन्मूलन

### चर्चा में क्यों?

स्टेट ऑफ़ इंडियाज़ एन्वायरनमेंटल रिपोर्ट 2020 (The State of India's Environment Report 2020) के अनुसार, भारत सरकार के पोषण अभियान को कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

### मुख्य बिंदु

- इस नवीनतम रिपोर्ट को 9 फरवरी, 2020 को जारी किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2022 तक भारत में कुपोषण उन्मूलन के लक्ष्यप्राप्ति में समस्याएँ आ सकती है।
- यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 की तुलना में दोगुनी वृद्धि हुई है और बाल कुपोषण से निपटने के लिये वर्ष 1975 से देश में 'एकीकृत बाल विकास सेवा' (Integrated Child Development Services-ICDS) लागू है जो कि कुपोषण से मुक्ति हेतु दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।

### भारत में कुपोषण की स्थिति:

- वर्ष 2017 मे पाँच वर्ष से कम उम्र के लगभग 1.04 मिलियन मौतों में से 68.2% से ज़्यादा मौतें कुपोषण के कारण हुई।
- 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' (Global Hunger Index) के नवीनतम संस्करण में 117 देशों की सूची में भारत 102वें स्थान पर रहा।
- पिछले दो दशकों में भारत के GHI स्कोर में केवल 21.9% का सुधार हुआ है, जबकि ब्राज़ील के स्कोर में 55.8%, नेपाल में 43.5% और पाकिस्तान में 25.6% का सुधार हुआ है।

नोट :

### भारत सरकार की पहल:

- इस चुनौती का सामना करने के लिये केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में 'प्रधानमंत्री पोषण अभियान' की शुरुआत की।
- सरकार ने वर्ष 2017-18 की शुरुआत में इस योजना हेतु तीन वर्ष के लिये 2,849.54 करोड़ रुपए आवंटित किये और वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' का लक्ष्य रखा।

### योजना से जुड़ी समस्याएँ:

- योजना द्वारा प्रवर्तित 'नवजात शिशु आहार कार्यक्रमों' का क्रियान्वयन खराब रहा है, परिणामस्वरूप ज़मीनी स्तर पर इसके प्रभाव नहीं दिखाई दिये।
- कुपोषण समस्या की गंभीरता पर विचार करने पर योजना का लक्ष्य, वर्ष-दर-वर्ष असंभव प्रतीत होता है।
- पूर्वानुमान बताते हैं कि मौजूदा दर पर स्टंटिंग (Stunting) के मानक पर SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंजाब को 23 वर्ष और झारखंड को 100 वर्ष लगेंगे।
- इसी तरह वेस्टिंग (Wasting) संबंधी SDG लक्ष्यों को पूरा करने में मध्य प्रदेश को 28 वर्ष और झारखंड को 88 वर्ष लगेंगे।

### आगे के प्रमुख कदम :

- आँगनवाड़ी केंद्रों को क्रेच (पालना-घर) में बदलना।
- सार्वभौमिक रूप से मज़दूरी क्षतिपूर्ति आधारित मातृत्व लाभ प्रदान करना।
- भोजन और पोषण सुरक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अपनाना।
- कुपोषण से लड़ने में समुदाय आधारित प्रबंधन के लिये प्रतिबद्धता।
- अत: आवश्यकता है कि हम अधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें परंतु साथ ही इस संबंध में की गई प्रगति के आकलन की प्रक्रिया को भी अपनाना चाहिये।

---

## दो बच्चों की नीति: समय की आवश्यकता

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा के एक सदस्य द्वारा दो बच्चों की नीति से संबंधित एक निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक (Private Member Bill) सदन में प्रस्तुत किया गया है।

### प्रमुख बिंदु

- इस संविधान संशोधन विधेयक में उन लोगों के लिये कराधान, शिक्षा और रोज़गार के प्रोत्साहन का प्रस्ताव है जो अपने परिवार का आकार दो बच्चों तक सीमित रखते हैं।
- विधेयक में संविधान के भाग-IV में एक नए प्रावधान को शामिल करने की मांग की गई है, जो ऐसे लोगों से सभी रियायतें वापस लेने से संबंधित हैं और जो 'छोटे-परिवार' के मानदंड का पालन करने में विफल रहते हैं।
- विधेयक संविधान में अनुच्छेद-47 के बाद अनुच्छेद-47A के सम्मिलन का प्रस्ताव करता है।
- प्रस्तावित अनुच्छेद 47A के अनुसार "राज्य, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने की दृष्टि से छोटे परिवार को बढ़ावा दें। जो लोग अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखते हैं उन्हें कर, रोज़गार और शिक्षा आदि में प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दिया जाए और जो लोग इस नीति का पालन न करें उनसे सभी तरह की छूट वापस ले ली जाए।
- इससे पूर्व मार्च 2018 में दो बच्चों की नीति की आवश्यकता पर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नीति निर्माण न्यायालय का कार्य नहीं है। यह संसद से संबंधित मामला है और न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता।

### निज़ी विधेयक से तात्पर्य

- इसे गैर सरकारी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। यह संसद के किसी भी सदन में मंत्रिपरिषद के सदस्य के अलावा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यह किसी सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।
- ऐसे प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिये 1 माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है।

नीति के पक्ष में तर्क

- जनसंख्या बढ़ने से बेरोज़गारी, गरीबी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य और प्रदूषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इसलिये दो बच्चों की नीति इस दिशा में एक कारगर उपाय सिद्ध होगा।
- वर्ष 2050 तक देश की शहरी आबादी दोगुनी हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी, साथ ही पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा।
- आय का असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगा।
- जहाँ एक ओर जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि तथा खाद्य फसल के उत्पादन में कमी हो रही है जिससे लोगों के समक्ष खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो रहा है।

### नीति के विपक्ष में तर्क

- नीति के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी और गर्भपात जैसे उपाय अपनाए जाने की आशंका है।
- इस नीति से वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तथा वृद्ध लोगों को सहारा देने के लिये युवा जनसंख्या में कमी आ जाएगी।
- इस नीति से हम जनसांख्यिकीय लाभांश की अवस्था को खो देंगे।

## जनसंख्या नियंत्रण के अन्य उपाय

- आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना।
- भारतीय समाज में किसी भी दंपत्ति के लिये संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है तथा इसके बिना दंपत्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है, यदि इस सोच में बदलाव किया जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने में सहायक होगा।

### आगे की राह

- जनसंख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है किंतु इसके नियंत्रण के लिये क़ानूनी तरीका एक उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता। भारत की स्थिति चीन से पृथक है तथा चीन के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है।
- भारत में कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभियान, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर तथा गरीबी को समाप्त करने जैसे उपाय अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण के लिये प्रयास करना चाहिये।
- परिवार नियोजन से जुड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा ऐसे परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिये।

## माधव राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापन संबंधी मुद्दा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान (Madhav National Park) में भूमि अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं।

## मुख्य बिंदु:

- माधव राष्ट्रीय उद्यान की तरफ से दावा किया गया है कि बाघ गलियारे के निर्माण हेतु ज़मीन अधिग्रहण किये जाने के कारण 20 वर्ष पहले विस्थापित हुए 39 आदिवासी परिवारों को आवंटित करने के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है।
- हालाँकि सैकड़ों अन्य लोग जिन्हें ज़मीन खाली करने पर मुआवज़ा दिया गया, वे अभी भी वहाँ कृषि कार्यों में संलग्न हैं तथा संबंधित बाघ गलियारे की भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं।
- अक्तूबर, 2019 में माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के मुख्य वन संरक्षक ने अपने एक पत्र में बताया कि कई लोगों ने मुआवज़ा प्राप्त करने के बाद भी गलियारे की ज़मीन खाली नहीं की और कई अतिक्रमण जारी रखा है जबकि कई विस्थापितों ने इस ज़मीन पर फिर से खेती करना प्रारंभ कर दिया है।
- 77 परिवारों ने मुआवज़ा लेने से इनकार कर दिया तथा इस ज़मीन पर पुन: कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया।

## पृष्ठभूमि:

- इस राष्ट्रीय उद्यान के बाघ गलियारे के अंतर्गत 15 गाँव आते हैं जहाँ बाघों को आखिरी बार 1970 के दशक में देखा गया था।
- इन गाँवों में से 10 गाँवों को वर्ष 2000 में दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया था।
- जबकि बचे हुए 468 परिवारों में से 391 ने मुआवज़ा स्वीकार कर लिया और कई व्यक्तियों ने अपनी भूमि को छोड़ने से इनकार कर दिया।

पुनर्वास पैकेज और उससे संबंधित समस्या?

- पुनर्वास पैकेज के रूप में प्रत्येक परिवार के लिये दो हेक्टेयर भूमि और पुनर्वास का वायदा किया गया था।
- जब बालापुर नामक गाँव के ग्रामीणों को स्थानांतरित किया जा रहा था, तब अधिकारियों ने 61 परिवारों को गलती से राजस्व भूमि के बदले वन भूमि आवंटित कर दी थी।
- अत: सरकार ने 39 स्थानांतरित परिवारों के लिये भूमि आवंटन की प्रक्रिया रोक दी, जो अभी भी दो हेक्टेयर भूमि के आवंटन की प्रतीक्षा में हैं।
- राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लंबित जमीन की अधिसूचना वापस लेने की मांग की है।

## जनजातीय संवेदनशीलता:

- विस्थापित 39 सहरिया जनजाति के परिवारों के पुरुष, विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह जो कि पारंपरिक रूप से वन उपज और खेती पर निर्भर हैं, ने अवैध रूप से संचालित पत्थर की खदानों में काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण वे तपेदिक रोग से पीड़ित हो गए तथा कई की मृत्यु हो गई। इसके परिणामस्वरुप लगभग 15 महिलाएँ विधवा हो गईं।
- इस स्थिति को देखकर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने सभी ज़िला प्राधिकरणों को उनके परिवारों को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।

## विधवाओं का गाँव:

- इस क्षेत्र में उपस्थित बुरी बड़ोद गाँव जिसे विधवाओं के गाँव की संज्ञा दी जाती है, के निवासियों ने लंबित कृषि भूमि के आवंटन की मांग करते हुए यह भी कहा है कि आवंटित भूमि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर होने के कारण कृषि योग्य नहीं है।
- इन विस्थापितों ने उपजाऊ और खेती योग्य भूमि की मांग करते हुए तर्क दिया है कि ये लोग जंगल में तेंदू पत्ते, महुआ और गोंद से अपनी आजीविका चला लेते थे परंतु अब ये लोग कृषि मज़दूरों के रूप में काम करने के लिये पलायन को बाध्य हैं।

## माधव राष्ट्रीय उद्यान:

- माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शिवपुरी शहर के पास ऊपरी विंध्यन पहाड़ियों के एक हिस्से के रूप में स्थित है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजा का शिकार-स्थल था।
- इसे वर्ष 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया।
- इस उद्यान में पारिस्थितिकी तंत्र के विविध आयाम जैसे-झीलें, जंगल और घास के मैदान शामिल हैं।
- इस उद्यान में नीलगाय, चिंकारा और चौसिंगा जैसे एंटीलोप (Antelope) तथा चीतल, सांभर और बार्किंग डीयर (Barking Deer) जैसे मृग पाए जाते हैं।
- इस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, साही, अजगर आदि जानवर भी देखे जा सकते हैं।

नोट :

# साक्षी के रूप में बच्चों की उपस्थिति संबंधी दिशा-निर्देश

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक के बीदर शहर में स्थित एक स्कूल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act-CAA) से संबंधित नाटक के मंचन के कारण देशद्रोह के आरोपों की जाँच के संदर्भ में उपस्थित बच्चों से पूछताछ की गई।

### प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Karnataka State Commission for Protection of Child Rights) ने बच्चों से बार-बार पूछताछ करने तथा उनका मानसिक उत्पीड़न करने के कारण ज़िला पुलिस की आलोचना की है।
- इसके अतिरिक्त कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर उन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है जिन्होंने स्कूल के बच्चों से उनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की अनुमति लिये बिना साक्षी के रूप में कई बार पूछताछ की।
- याचिका में यह भी बताया गया कि हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों द्वारा बच्चों से की गई पूछताछ भयभीत व भयपूर्ण वातावरण निर्मित करने वाला कार्य था।
- जनहित याचिका में किशोर न्याय अधिनियम और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आपराधिक कार्रवाई में नाबालिगों से पूछताछ करने के लिये पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

### अंतर्राष्ट्रीय कानून

- भारत, वर्ष 1992 से बाल अधिकारों पर निर्मित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, जिसे वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाया गया था।
- अभिसमय में कहा गया है कि सार्वजनिक, निजी या सामाजिक कल्याणकारी संस्थानों, विधि न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकारियों या विधायी निकायों द्वारा बच्चों के संरक्षण के लिये किये जाने वाले सभी कार्यों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वर्ष 2009 में निर्मित 'बच्चों को साक्षी और बाल पीड़ितों के रूप में न्याय' उपलब्ध कराने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय ने दिशा-निर्देशों के नए मानक प्रदान किये।
- इसके अनुसार बच्चों से साक्षी के रूप में पूछताछ करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित एक अन्वेषक को बच्चे के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए साक्षात्कार निर्देशित करने के लिये नियुक्त किया जाए।

### भारतीय कानून

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-118 के अंतर्गत साक्षी के रूप में प्रस्तुत होने के लिये कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है।
- न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय में तीन वर्ष के बच्चे को यौन शोषण के मामलों में साक्षी के रूप में विचारण न्यायालय (Trial Court) के समक्ष पेश किया गया था ।
- सामान्यत: विचारण के दौरान साक्षी के रूप में बच्चे के बयान दर्ज करने से पहले न्यायालय तर्कसंगत जवाब देने की उसकी क्षमता का निर्धारण करती है।
- एक बच्चे की योग्यता निर्धारित करने के लिये आमतौर पर उसका नाम, स्कूल का नाम और उसके माता-पिता के नाम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
- साक्षी के रूप में बच्चों को शामिल करने वाले परीक्षण मुख्य रूप से बाल यौन शोषण के मामलों में हुए हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित अन्य अपराधों में भी बच्चों को शामिल किया जा सकता है।

### न्यायालयों के निर्णय

- बच्चों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करते समय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्त्व को रेखांकित करते हैं, जिसमे कहा गया है कि बच्चों के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशीलता अतिआवश्यक है।

- न्यायालय ने बच्चों को सुभेद्य साक्षी (18 वर्ष से कम आयु के बच्चे) माना है, इसलिये इनसे प्रभावी संचार हेतु एक दक्ष अन्वेषक की नियुक्ति को अनिवार्य बताया है।
- वर्ष 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जब बच्चे सामान्य अवस्था में आ जाएँ तो सावधानीपूर्वक जाँच के बाद उनके बयान पर विचार किया जा सकता है।

### बच्चों के संरक्षण संबंधी अधिनियम

- किशोर न्याय अधिनियम:
  - यह अधिनियम विशेष रूप से बच्चों को साक्षी के रूप में पूछताछ या साक्षात्कार से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान नहीं करता है।
  - हालाँकि अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए मामले के निपटान में 'बाल-सुलभ दृष्टिकोण' का पालन किया जाना चाहिये ।
  - इसका मतलब है कि किशोर न्याय प्रणाली से संबंधित सामान्य दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिये, बच्चों के साथ संवाद करते समय पुलिसकर्मी को पुलिस वेश-भूषा में नहीं होना चाहिये ।
  - साथ में यह भी आवश्यक है कि बच्चों के साथ संवाद पुलिस की विशेष इकाइयों द्वारा किया जाना चाहिये, जो उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करने के लिये प्रशिक्षित हैं।
  - अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाना चाहिये।
  - अधिनियम में प्रत्येक ज़िले में एक बाल कल्याण समिति बनाए जाने का भी प्रावधान है। जिसका कार्य बच्चों के संरक्षण से संबंधित किसी नियम के उल्लंघन का तुरंत संज्ञान लेना है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम
  - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम का संक्षिप्त नाम पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act– POCSO) है।
  - POCSO अधिनियम, 2012 को बच्चों के हितों और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था।
  - अधिनियम में बच्चों से साक्षी के रूप में संवाद करने के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गए हैं।
  - अधिनियम में कहा गया है कि संवाद सुरक्षित, तटस्थ, बच्चों के अनुकूल वातावरण में आयोजित किये जाने चाहिये तथा बच्चों से एक ही प्रश्न को कई बार पूछकर उनका मानसिक शोषण नहीं करना चाहिये।

---

## मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि

### चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। स्टाफ की कमी, कम सामुदायिक रेफरल आदि इसके प्रमुख कारक के रूप में बताए गए हैं।

### मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद से देश भर में पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा संचालित बीमार शिशु देखभाल इकाइयों में कुल नवजातों के प्रवेश के मुकाबले मध्य प्रदेश में 11.5% नवजातों की मृत्यु दर्ज की गई।
- हालाँकि राज्य में नवजात शिशुओं (28 दिनों से कम) के प्रवेश में अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 के बीच गिरावट आई है जो कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना में अभी भी कम है।
- मध्य प्रदेश में नवजात मृत्यु (28 दिनों से कम) का प्रतिशत 12.2% है जो बिहार के पिछले वर्ष के आँकड़े से अधिक है।

नोट :

- अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में 34,344 नवजातों की मौत हुई जो देश में सबसे अधिक थीं। हालाँकि 2017 के 9.2% के स्तर के मुकाबले 2019 में वहाँ नवजात मृत्यु दर 8.9% के स्तर पर आ चुकी है।

### नवजात शिशु मृत्यु के मुख्य कारण:

- स्टाफ की कमी
- कम सामुदायिक रेफरल
- स्वास्थ्य केंद्रों के लिये एक विशेष नवजात परिवहन सेवा की अनुपस्थिति
- अंतिम उपाय के रूप में शहरों में इकाइयों पर निर्भरता
- संस्थागत प्रसव के लिये पर्याप्त इकाइयों की अनुपलब्धता ने मृत्यु के प्रतिशत में अधिक योगदान दिया है।
- अस्पतालों में पाँच सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों के स्थान पर केवल एक की ही उपलब्धता है (82% की कमी)।
- जहाँ गर्भवती महिलाओं को दूरदराज के क्षेत्रों से अस्पतालों तक ले जाने के लिये एक समर्पित सेवा मौजूद है वहीं नवजात शिशुओं के लिये इस प्रकार के किसी विशेष वाहन की व्यवस्था नहीं है साथ ही इन्हें अस्पताल ले जाने के लिये ज़्यादातर 108 एम्बुलेंस सेवा का ही प्रयोग होता है।
- मध्यप्रदेश में बालिका नवजातों के बीमार होने पर अस्पताल में उनके प्रवेश का औसत 663 (लड़कियों की संख्या 1,000 लड़कों के मुकाबले तीन साल में) है जो के देश के औसत 733 के मुकाबले कम है। हालाँकि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 था।
- नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, भारत में नवजात मृत्यु के कारण और उनसे होने वाली मौतों का प्रतिशत:
  - समय से पहले जन्म और कम वज़न के साथ जन्म (35.9%)
  - निमोनिया (16.9%)
  - जन्म के समय बर्थ एसफिक्सिया और जन्म के समय आघात (9.9%)
  - अन्य गैर-संचारी रोग (7.9%)
  - डायरिया (6.7%)
  - जन्मजात विसंगतियाँ (4.6%)
  - संक्रमण (4.2%)

### कुछ अन्य तथ्य:

- मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तीन सालों में एक यूनिट (अस्पताल या अन्य कोई स्वास्थ्य केंद्र) में भर्ती होने वाले हर पाँच बच्चों में से एक नवजात की मृत्यु हो गई। राज्य में 19.9% की उच्चतम मृत्यु दर, NHM के 2% से नीचे के अनिवार्य प्रमुख प्रदर्शन संकेतक से दस गुना अधिक है।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में ऐसी मौतों का प्रतिशत अधिक है क्योंकि वे तृतीयक देखभाल प्रदान करते हैं, साथ ही आस-पास के ज़िलों के कई गंभीर मामलों को स्वीकार करते हैं।
- प्रदेश के 51 ज़िलों में से 31 में खासतौर पर आदिवासी इलाकों में जहाँ पोषण और मातृ स्वास्थ्य निम्न स्तर पर हैं, वहाँ नवजात मृत्यु दर 10% से अधिक है।
- एनएचएम के चाइल्ड हेल्थ रिव्यू 2019-2020 में अंडर-रिपोर्टिंग के मामले को उजागर किया गया है। 43 ज़िलों में सरकारी अधिकारियों ने पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की 50% से अधिक मौतें दर्ज नहीं की हैं जिससे उनके स्कोर को गलत तरीके से बढ़ाया गया है।
- नवजात मृत्यु दर की स्थिति में सुधार दिखाने के लिये, कई कुख्यात अस्पताल स्वस्थ रोगियों को भर्ती कर लेते हैं ताकि रिपोर्ट में सब कुछ सही दिखे।
- वर्ष 2018 में जीवन के पहले महीने में वैश्विक रूप से 2.5 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो गई।

### नवजात शिशु मृत्यु दर: भारत की स्थिति

- नेचर पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 0.75 मिलियन नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक है।
- नवजात मृत्यु दर वर्ष 1990 में 52 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर वर्ष 2013 में 28 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई, लेकिन इस गिरावट की दर बेहद धीमी रही है।
- यूनिसेफ (UNICEF) के अनुसार भारत में प्रति हज़ार जन्म लेने वाले नवजातों पर मृत्यु की संख्या 23 है।
- देश में नवजात मृत्यु दर 7% है।

### आगे की राह:

- नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता और स्वास्थ्य में सुधार के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, जन्म के समय कुशल देखभाल, माँ और बच्चे के जन्म के बाद की देखभाल और छोटे तथा बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल जैसी सेवाओं के उच्च कवरेज़ को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- आशा (महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की सहायता से ग्रामीण समुदायों में नवजातों के स्वास्थ्य की निगरानी तथा सामुदायिक रेफरल प्रणाली का बेहतर प्रयोग किया जाना सुनिश्चित होना चाहिये।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जन्म के समय और जीवन के पहले सप्ताह के आसपास नवजात शिशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान देने से शिशु मृत्यु दर में गिरावट आएगी।
- गर्भावस्था से लेकर प्रसवोत्तर अवधि तक मातृ और नवजात शिशु की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना होगा।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के सिद्धांतों के अनुसार असमानता को कम करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- प्रत्येक नवजात शिशु और प्रसव को ट्रैक करने की बेहतर प्रणाली का विकास कर स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

## ऑनलाइन अपराध संबंधी रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'बाल अधिकार और आप' (Child Rights and You-CRY) नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा स्कूली छात्रों पर किये गए एक अध्ययन में पता चला है कि प्रत्येक तीन में से एक किशोर ऑनलाइन अपराध का शिकार है।

### प्रमुख बिंदु

- गैर सरकारी संगठन 'बाल अधिकार और आप' द्वारा 'फोरम फॉर लर्निंग एंड एक्शन विद इनोवेशन एंड रिगोर' (Forum for Learning and Action with Innovation and Rigour-FLAIR) के सहयोग से इंटरनेट उपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा के पैटर्न का आकलन करने हेतु दिल्ली-एनसीआर के 13 -18 आयु वर्ग के 630 स्कूली छात्रों पर एक सर्वेक्षण किया गया।
- अध्ययन से पता चलता है कि 93% छात्रों के घरों में इंटरनेट उपयोग संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध थी।
- इंटरनेट उपकरणों तक व्यक्तिगत पहुँच के संदर्भ में पर्याप्त लैंगिक असमानता देखी जा सकती है, आँकड़ों से पता चलता है कि 60% बालकों की इंटरनेट उपकरणों तक व्यक्तिगत पहुँच के सापेक्ष केवल 40% बालिकाओं की इंटरनेट उपकरणों तक व्यक्तिगत पहुँच है।
- अध्ययन से यह भी पता चला है कि इंटरनेट उपयोग के संदर्भ में 30% छात्रों का अनुभव नकारात्मक रहा।
- इंटरनेट अपराध की विभिन्न श्रेणियों के आँकड़ो से पता चलता है कि लगभग 10% किशोर साइबर बुलिंग (Cyberbullying), अन्य 10% किशोर सोशल मीडिया अकाउंट और प्रोफाइल के दुरुपयोग तथा 23% किशोर फोटो व वीडियो में छेड़छाड़ को घटना से पीड़ित थे।

### इंटरनेट उपयोग संबंधी आदत

- NCERT द्वारा विकसित इंटरनेट सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी के संबंध में जागरुकता का अभाव है। केवल 30% छात्रों को इंटरनेट सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी थी।

नोट :

- इंटरनेट उपयोग संबंधी एक टेस्ट में लगभग 48% छात्र सामान्य रूप से इंटरनेट के उपयोग से ग्रस्त पाये गए वहीं 1% छात्र इंटरनेट के उपयोग से अत्यधिक ग्रस्त थे।
- इंटरनेट तक पहुँच सभी के लिये हानिकारक नहीं है क्योंकि 40% छात्रों ने माना कि उन्होंने इसका प्रयोग अपने अध्ययन में मदद के लिये किया (जैसे कि शब्दों या सूचनाओं, ट्यूटोरियल और अपने स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम तक ऑनलाइन खोज)।
- लगभग 50% छात्रों ने पाठ्येतर गतिविधियों जैसे कि संगीत, पेंटिंग या खेल के लिये भी इंटरनेट का उपयोग किया।

### कानूनी प्रावधान

- भारत में ऑनलाइन अपराध के मामलों में सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 और सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 लागू होते हैं।
- भारत में बच्चों से संबंधित ऑनलाइन अपराध के मामले में कोई विशेष कानून नहीं है।
- सूचना प्रोद्योगिकी कानून की धारा 66(a)(b) साइबर बुलिंग पर लागू होती है, जिसके तहत तीन साल तक की सज़ा तथा जुर्माना हो सकता है।

### आगे की राह

- इंटरनेट उपयोग संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिये स्कूलों में वर्कशॉप आयोजित किये जाने चाहिये।
- किशोरों के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिये बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु केंद्र सरकार की बाल संरक्षण योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- पारिवारिक स्तर पर अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिये।

## बाल शोषण

### चर्चा में क्यों?

चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (CHILDLINE India Foundation-CIF) द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, आपातकालीन हेल्पलाइन 1098 पर की गई प्रत्येक दस कॉल में से एक में बच्चों द्वारा जीवित रहने हेतु मदद मांगी गई थी।

### चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन:

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चाइल्डलाइन हेल्पलाइन 1098 का प्रबंधन करने के लिये नियुक्त नोडल एजेंसी है।
- यह बच्चों की सुरक्षा में शामिल एजेंसियों का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है।

कैसे कार्य करता है CIF फाउंडेशन:

- किसी बच्चे या वयस्क द्वारा हेल्पलाइन के ज़रिये संपर्क करने पर हेल्पलाइन के स्थानीय सहयोगी से संपर्क किया जाता है तथा बच्चे के खतरे की स्थिति को देखते हुए स्थानीय सहयोगी उससे संपर्क करता है। यह कार्य 60 मिनट के भीतर कर लिया जाता है।
- इसके तुरंत बाद बच्चे को बचाकर खुले आश्रय (Open Shelter) में ले जाया जाता है और 24 घंटे के भीतर बाल CWC के सामने ले जाया जाता है।
- इसके बाद CWC के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जैसे- एफआईआर दर्ज करना, बच्चे को अस्पताल भेजना, बाल देखभाल संस्था में भेजना आदि।
- संस्था का अंतिम उद्देश्य बच्चे को फिर से उसके परिवार से मिलाना है, या दीर्घकालिक पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

हेल्पलाइन 1098:

यह बच्चों की मदद के लिये नि: शुल्क आपातकालीन फोन सेवा है।

### मुख्य बिंदु:

इन आँकड़ों का संकलन CIF फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2018-2019 की अवधि के दौरान किया गया।

नोट :

### कुल मामलों की संख्या:

- हेल्पलाइन को कुल 62 लाख कॉल प्राप्त हुए जिनके आधार पर कुल 3 लाख मामले दर्ज़ करवाए गए।
- दुर्व्यवहार संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये सबसे ज़्यादा 53,696 फोन कॉल किये गए थे जिनमें से 6,278 फोन कॉल में लोगों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
- दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों की प्रकृति के विश्लेषण से पता चलता है कि 37% शिकायतें बाल विवाह, 27% शारीरिक शोषण, 13% यौन शोषण तथा शेष 23% ने भावनात्मक, शारीरिक, घरेलू एवं साइबर अपराध से संबंधित थीं।
- कुल दर्ज़ मामलों की प्रकृति इस प्रकार है-
  - दुर्व्यवहार संबंधी 17%
  - बाल श्रम से संबंधित 13%
  - शिक्षा संबंधी 12%
  - भागने संबंधी 11%
  - लापता बच्चों संबंधी 11% मामले थे।

### पड़ोसी मुख्यत: दोषी:

- दुर्व्यवहार करने वालों की प्रोफाइल की जाँच करने के लिये डेटा को एकत्रित किया गया जिससे पता चला है कि यौन शोषण के कुल 8,000 मामलों की स्थिति इस प्रकार है-
  - 35% पड़ोसियों द्वारा
  - 25% अनजान लोगों द्वारा
  - 11% परिवार के सदस्यों द्वारा
  - शेष 29% अपराधी मित्र, रिश्तेदार, शिक्षक, संस्थागत कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी, पुलिस और सौतेले माता-पिता थे।

### आँकड़ों से जुड़े अन्य पक्ष:

- यौन शोषण से बचने वालों में से 80% लड़कियाँ थीं।
- हेल्पलाइन पर कॉल डायल करने वाले बच्चों ने भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यसन, परिवार से संबंधित मुद्दों में भी हस्तक्षेप की मांग रखी।
- अधिकांश मामलों (33%) में बच्चों को मौजूदा व्यवस्था में सहायता प्रदान की जा सकती थी, जबकि 12% मामलों में बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee-CWC) तथा 13% मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

### बाल कल्याण समिति:

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 जिसे किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक ज़िले में बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान करता है।
- जिसका कार्य बच्चों को संभालने में अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के नियम के उल्लंघन पर संज्ञान लेना है।

## सड़क सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्टॉकहोम में सड़क सुरक्षा पर तीसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा किया गया।

नोट :

- इसके अतिरिक्त केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की स्टॉकहोम यात्रा के दौरान स्वीडन-भारत परिवहन सुरक्षा और नवाचार भागीदारी पर बैठक भी आयोजित की गई।
- इसके पहले वर्ष 2015 में "ट्रैफिक सुरक्षा: परिणाम का समय" विषय पर दूसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

## सम्मेलन से संबंधित मुख्य बिंदु:

- इस सम्मेलन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के संबंध में तय वैश्विक लक्ष्य- 2030 को प्राप्त करना है।
- दो दिवसीय इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा सड़क सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता देना तथा सुरक्षित सड़कों के प्रति वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धता को पुन: दोहराना है।
- सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य- 2030 को प्राप्त करने के लिये रोडमैप तैयार करेंगे।
- इस सम्मेलन में विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य एजेंसियाँ विभिन्न संस्थानों की क्षमताओं को मज़बूत करने, जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित सड़कों के लिये उनके डिज़ाइन में सुधार लाने हेतु सक्रिय सहयोग कर रही हैं।
- सम्मेलन का एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण राष्ट्रों द्वारा विशेषज्ञताओं को साझा करना है। इस सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सड़क सुरक्षा से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर ज़ोर दिया गया।

## सम्मेलन के मायने

- सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच आपसी विमर्श एवं सहयोग द्वारा सड़क दुर्घटना से संबंधित घटनाओं को रोका जा सकता है।
- यह सम्मेलन सभी देशों को सड़क सुरक्षा से संबंधित रणनीतियाँ बनाने के लिये प्रेरित करेगा।

## सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण

- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शहरीकरण की तीव्र दर, सुरक्षा उपायों का अभाव, नियमों को लागू करने में विलंब, नशीली दवाओं एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाना, तेज़ गति से वाहन चलाते समय हेल्मेट और सीट-बेल्ट न पहनना आदि हैं।

## सड़क सुरक्षा की दिशा में उठाए गए कदम

- वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये दूसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में ब्रासीलिया घोषणा पेश की गई।
- वर्ष 2015 में भारत ब्रासीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्त्ता बन गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ध्यातव्य है कि इस वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी, 2020 तक आयोजित इस पहल की थीम "युवाओं के माध्यम से परिवर्तन लाना" है।
- इसके अतिरिक्त भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ट्रैफिक नियमों को कठोर बनाया गया है।

## आगे की राह

- सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
- सड़क सुरक्षा के को लेकर वैश्विक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है जिसमें देश आपस में तकनीक, संसाधन एवं अन्य सहायता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं।

# सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु निर्धारण संबंधी कार्यदल

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु के प्रश्न पर दायर एक याचिका का उत्तर देते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि इस विषय पर गहन विश्लेषण हेतु विशेष कार्यदल का गठन किया गया है।

### प्रमुख बिंदु

- विशेष कार्यदल महिलाओं के लिये विवाह योग्य न्यूनतम आयु की समीक्षा करने के साथ ही मातृत्व स्वास्थ्य पर इसके निहितार्थों का अध्ययन करेगा तथा छह माह के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- बज़ट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 1978 में पूर्ववर्ती शारदा अधिनियम द्वारा निर्धारित विवाह योग्य आयु को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था।
- आधुनिक समय में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्तर पर भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उच्च शिक्षा तथा कॅरियर निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं के लिये नए अवसर सृजित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मातृ मृत्यु दर को कम करना तथा पोषण स्तर में सुधार किया जाना आवश्यक है।
- याचिका में दावा किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक मान्यताओं पर आधारित था और इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है।
- याचिका में महिलाओं के विवाह हेतु निर्धारित 18 वर्ष की आयु का विरोध किया गया है, और उसे पुरुषों के विवाह हेतु निर्धारित आयु के समान करने की माँग की गई है।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- नेटिव मैरिज एक्ट (Native Marriage Act)
  - विवाह सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास बाल विवाह के तीव्र विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ। समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिये वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया।
  - इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया।
- सम्मति आयु अधिनियम (Age Consent Act)
  - नेटिव मैरिज़ एक्ट विवाह सुधार की दिशा में बहुत प्रभावी नहीं हो सका, अत: एक पारसी समाज सुधारक वी. एम. मालाबारी के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप वर्ष 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया।
  - इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई।
- शारदा अधिनियम (Sharda Act)
  - समाज सुधारक हर विलास शारदा के अथक प्रयासों से वर्ष 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया।
  - इस अधिनियम द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया।
- बाल विवाह निरोधक (संशोधन) अधिनियम
  - इस अधिनियम में बालक की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष एवं बालिका की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई।
  - अधिनियम में बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान है।
  - बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम
  - वर्ष 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम द्वारा इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया है। इसके अंतर्गत उन लोगों के विरुद्ध कठोर उपाय किये गए हैं जो बाल विवाह की अनुमति देते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं।
  - यह कानून नवंबर 2007 में प्रभावी हुआ।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बालविवाह के रुप में परिभाषित किया गया है।

### वैधानिक प्रावधान

- वर्तमान में पुरुष और महिला के लिये विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमश: 21 वर्ष व 18 वर्ष निर्धारित है।
- विदित है कि विवाह की न्यूनतम आयु ऐज ऑफ मेजोरिटी (Age Of Majority) से अलग है , जो लिंग-तटस्थ है।
- इंडियन मेज़ोरिटी एक्ट (Indian Majority Act),1875 के अनुसार, एक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त करता है।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) में महिला के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 सहमति से विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं और पुरुषों के लिये क्रमश: 18 और 21 वर्ष निर्धारित करता है।

### सामाजिक मान्यताएँ

- समाज में ऐसी मान्यता बनी हुई है कि बालिका का विवाह जल्दी कर देने से उसे पथ-भ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है।
- महिलाएँ पूर्ण रूप से परिवार की देखभाल करने तथा बच्चों को जन्म देने के लिये ही बनी हैं इसलिये उनका शीघ्र ही विवाह कर देना चाहिये।
- वर्ष 2018 में परिवार कानून में सुधार के संदर्भ में विधि आयोग ने तर्क दिया कि विवाह योग्य अलग-अलग कानूनी मानक होने से "उन रूढ़िवादी मान्यताओं को बल मिलता है जो पत्नियों को पति से कमतर आँकती हैं"।
- महिला अधिकार कार्यकर्त्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि कानून इस रूढ़ि को बनाए रखता है कि महिलाएँ समान आयु के पुरुषों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं और इसलिये उन्हें जल्द विवाह करने की अनुमति दी जा सकती है।

### सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु की आवश्यकता

- प्राय: देखा गया है कि कम आयु में विवाह हो जाने से महिलाओं को जीवन भर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: कम आयु में प्रजनन के दौरान माता या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिससे मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर अधिक बनी रहती है।
- याचिकाकर्त्ता के अनुसार, महिला और पुरुष की विवाह योग्य अलग-अलग आयु संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्राप्त गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। अत: समान परिस्थितियों में अधिकारों के समान रूप से क्रियान्वयन हेतु सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती दो निर्णय इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के वाद में ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक मनुष्य समान है, इसलिये समान परिस्थितियों में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा।
- वर्ष 2018 में जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि धारा 497 समानता के अधिकार तथा महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी कि महिला और पुरुष दोनों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाए, क्योंकि पति-पत्नी की आयु में अंतर का कानून में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

## विश्व सामाजिक न्याय दिवस

### चर्चा में क्यों:

20 फरवरी, 2020 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस (World Social Justice Day) मनाया गया।

### वर्ष 2020 सामाजिक न्याय दिवस की थीम:

"सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में असमानता अन्तराल को समाप्त करना" (Closing the Inequalities Gap to Achieve Social Justice)

नोट :

## सामाजिक न्याय की अवधारणा:

- सामाजिक न्याय का तात्पर्य देशों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विकास के लिये आवश्यक सिद्धांत से है, जो न केवल अंत:देशीय समानता अपितु अंतर्देशीय समानता की परिस्थितियों से भी संबंधित है।
- सामाजिक न्याय की संकल्पना को आगे बढ़ाने हेतु समाज में लिंग, उम्र, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या विकलांगता जैसे मानकों की असमानता को समाप्त करना होगा।
- संयुक्त राष्ट्र संघ 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन' (International Labour Organization- ILO) की 'निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिये सामाजिक न्याय पर घोषणा' जैसे उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहा है।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सर्वसम्मति से 10 जून, 2008 को निष्पक्ष न्याय के लिये सामाजिक न्याय पर घोषणा को अपनाया गया, यह वर्ष 1919 के ILO के संविधान निर्माण के बाद से इसके द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों और नीतियों में तीसरा प्रमुख प्रयास है।
- यह घोषणा वर्ष 1944 के 'फिलाडेल्फिया घोषणा' और वर्ष 1998 के 'कार्य में मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की घोषणा' को आधार बनाता है।
- वर्ष 2008 की घोषणा वैश्वीकरण के युग में ILO के जनादेश की सामाजिक न्याय की समकालिक अवधारणा को अभिव्यक्त करती है।

2008 की घोषणा का महत्त्व:

- यह वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर ILO की रिपोर्ट के मद्देनज़र शुरू हुई त्रिपक्षीय परामर्श का परिणाम है।
- यह घोषणा वर्ष 1999 के बाद से ILO द्वारा विकसित 'आदर्श कार्य अवधारणा' (Decent Work Agenda) को संस्थागत रूप प्रदान करती है।
- यह घोषणा वैश्विक वित्तीय संकट, असुरक्षा, गरीबी, बहिष्कार, सामाजिक असमानता और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण एवं पूर्ण भागीदारी जैसे लक्ष्यों कि प्राप्ति की दिशा में कार्य करती है।

## सामाजिक न्याय का महत्त्व:

- भारतीय संविधान कि प्रस्तावना में संविधान के अधिकारों का स्रोत, सत्ता की प्रकृति तथा संविधान लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जहाँ सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय को संविधान के लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है।
- सामाजिक न्याय की सुरक्षा मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों के विभिन्न उपबंधो के माध्यम से भी की गई है।
- भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय कि अवधारणा को न केवल विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति अपितु किसी वर्ग विशेष के लिये यथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के लिये विशेष व्यवस्था के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है।

## भारत में संवैधानिक और अन्य संस्थागत प्रयास:

- सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 21 की पुन: व्याख्या करते हुए इसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक सुरक्षा व परिवार के संरक्षण का अधिकार आदि को शामिल किया।
- अनुच्छेद 14 में 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों का समान संरक्षण' दोनों को स्थान दिया है तथा सकारात्मक विभेदन अर्थात तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत किया है।
- मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या की कि संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिये मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है, यदि ये संशोधन मूल ढ़ाँचे को क्षति नहीं पहुँचाते हो।

## चुनौतियाँ:

- भारतीय समाज की पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक, पितृस्थानिकता, जाति व्यवस्था जैसी विशिष्ट समस्याओं ने सामाजिक न्याय प्राप्ति के समक्ष नवीन चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं।
- 'ऑक्सफैम रिपोर्ट' के अनुसार, भारत और विश्व में आर्थिक असमानता निरंतर बढ़ रही है

- 'लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' के अनुसार, लैंगिक न्याय में भारत की स्थिति बहुत दयनीय है।
- 'गिग़ अर्थव्यवस्था' ने श्रम क्षेत्र के समक्ष नवीन चुनौतियाँ पेश की है।

आगे की राह:

- हमें अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ ही कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि मूल अधिकारों में उल्लेखित राजनैतिक न्याय के साथ ही नीति निदेशक तत्वों में उल्लेखित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति की जा सके।

# किशोर न्याय अधिनियम पर मंत्री समूह की बैठक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act], 2015 में संशोधन के संदर्भ में चर्चा करने हेतु मंत्री समूह (Group of Ministers-GoM) की बैठक का आयोजन किया गया।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस बैठक का आयोजन जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश के फलस्वरूप हुआ है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में उन अपराधों की श्रेणी का निर्धारण करने का निर्देश दिया था जो जघन्य अपराध तो नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके लिये 7 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018 पर मंत्रालयों के बीच अधिक तालमेल बनाने के लिये GoM की बैठक बुलाई गई थी।

मंत्री समूह की बैठक के मुख्य बिंदु

- मंत्री समूह की बैठक का मुख्य उद्देश्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में प्रस्तावित संशोधनों पर व्यापक चर्चा करना है।
- इस बैठक में ज़िला मजिस्ट्रेटों को नाबालिगों के विरुद्ध मामलों में प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त बनाने पर भी चर्चा की गई।
  - किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, कोई भी ज़िला अधिकारी जो राज्य के उपसचिव रैंक से नीचे का नहीं है और जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, प्रशासक की श्रेणी में आता है।
  - सरकार उपसचिव को जिला मजिस्ट्रेट के साथ प्रतिस्थापित करने पर विचार कर रही है जिससे कि मामलों का त्वरित निपटान किया जा सके।
- प्रशासक प्रारंभिक जाँच का हिस्सा होता है जिसका काम यह पता लगाना है कि कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति नाबालिग है या नहीं। ध्यातव्य है कि प्रशासक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इस संदर्भ में अपनी राय देता है।
- यदि प्रशासक, अपराध में किसी नाबालिग की संलिप्तता पाता है तो वह मामले को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजता है जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट किशोर की उम्र के साथ-साथ मामले के संदर्भ मंस अपना फैसला सुनाता है।

## किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- यह अधिनियम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लेता है। यह बिल उन बच्चों से संबंधित है जिन्होने कानूनन कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो।
- यह बिल जघन्य अपराधों में संलिप्त 16-18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। साथ ही कोई भी 16-18 वर्षीय जुवेनाइल जिसने कम जघन्य अर्थात् गंभीर अपराध किया हो उसके ऊपर बालिग के समान केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसे 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया हो।
- इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक ज़िले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (Juvenile Justice Board- JJB) और बाल कल्याण समितियों (Child Welfare Committees) के गठन का प्रावधान है।

- इस अधिनियम में बच्चे के विरुद्ध अत्याचार, बच्चे को नशीला पदार्थ देने और बच्चे का अपहरण या उसे बेचने के संदर्भ में दंड निर्धारित किया गया है।
- इस अधिनियम में गोद लेने के लिये माता-पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018

- यह विधेयक ज़िला मजिस्ट्रेट को बच्चे को गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ताकि गोद लेने संबंधी लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके।
- इस विधेयक में किसी भी अदालत के समक्ष गोद लेने से संबंधित सभी लंबित मामलों को ज़िला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इसके माध्यम से मामलों की कार्यवाही में तेज़ी लाने का प्रयास किया जा रहा है।

मंत्री समूह

### (Group of Ministers- GoM)

- विभिन्न मुद्दों/विषयों पर चर्चा करने के लिये समय-समय पर मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया जाता है।
- ये तदर्थ निकाय हैं जो उभरते मुद्दों और महत्त्वपूर्ण रूप से समस्या ग्रस्त क्षेत्रों पर कैबिनेट को सिफारिशें देने के लिये गठित किये जाते हैं।
- मंत्री समूह में मंत्रालयों के प्रमुखों को शामिल किया जाता है और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो उन मंत्री समूहों को भंग कर दिया जाता है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2015 में देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिये 16 अनौपचारिक मंत्री समूह (GoMs) बनाए गए थे।
- कुछ मंत्री समूहों को कैबिनेट की ओर से फैसले लेने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिन्हें शक्ति प्राप्त मंत्री समूह (Empowered Groups of Ministers- EGoMs) कहा जाता है।

## केरल में छात्र आंदोलनों पर प्रतिबंध

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

### प्रमुख बिंदु

- सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाएँ शिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिये होती हैं न कि विरोध प्रदर्शन के लिये और किसी को भी अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का हक नहीं है।
  - न्यायालय ने कहा कि "शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी उस अधिकार का उल्लंघन करने का हक नहीं है।"
- छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने के उच्च न्यायालय के निर्णय की चौतरफा आलोचना की जा रही है। छात्र संगठनों का कहना है कि "यह निर्णय उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। छात्र राजनीति/आंदोलन ही विद्यार्थियों में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को स्थापित करने में अहम भूमिका अदा करते हैं।"

### भारत में छात्र आंदोलन

- भारत के शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति का जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय से रहा है। विश्वविद्यालयों को राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है।
- भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालय सर्वाधिक सक्रिय राजनीतिक अखाड़ों में से एक थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जब भी कोई आंदोलन छेड़ा तो उनके पास हमेशा छात्रों के लिये एक राजनीतिक संदेश होता था।
- आज़ाद भारत में भी देश में कई महत्त्वपूर्ण छात्र नेता हुए। 1960 से 70 के दशक में भारतीय छात्र और आंदोलनों और राजनीति में आदर्शवाद की भावना काफी प्रबल थी।

- वर्ष 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान भारतीय छात्र भ्रष्टाचार और राजनेताओं तथा काला बाज़ार के मध्य संबंध का विरोध करने के लिये एक साथ सड़कों पर आए। देखते-ही-देखते यह आंदोलन मुख्य रूप से हिंदी पट्टी के राज्यों में काफी व्यापक हो गया।
- 25 जून, 1975 को तत्कालीन सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया। इस दौरान आपातकाल का विरोध करने वालों में विभिन्न छात्र नेताओं की अहम भूमिका थी। देश भर में कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और संकाय सदस्यों ने व्यापक स्तर पर भूमिगत विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया।
  - इस दौरान तत्कालीन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के अध्यक्ष अरुण जेटली और छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण सहित 300 से अधिक छात्र संघ नेताओं को जेल भेज दिया गया।
- असम में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के विरुद्ध वर्ष 1979 में 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' (All Assam Students Union-AASU) ने एक आंदोलन की शुरुआत की। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्यवाही की शुरुआत हुई तब लाखों की संख्या में लोग अवैध रूप से असम में शरण लेने लगे। इन अवैध प्रवासियों के कारण असम के मूल निवासियों में भाषायी, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई जिससे इस आंदोलन की शुरुआत हुई।
  - असम गण परिषद के तत्कालीन नेता और आदोलन के पश्चात् हुए असम समझौते के हस्ताक्षरकर्त्ता प्रफुल्ल महंत वर्ष 1985 में 35 वर्ष की उम्र में असम के मुख्यमंत्री भी बने।
- इस प्रकार भारत में छात्र आंदोलनों का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास मौजूद है, जिन्होंने देश को कई बड़े राजनेता प्रदान किये हैं।

## छात्र आंदोलन के पक्ष में तर्क

- भारत के कुल मतदाताओं में युवा मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग मौजूद है, जिसके कारण यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें देश के राजनीतिक मुद्दों की संपूर्ण जानकारी हो।
- राजनीतिक निर्णय प्रत्यक्ष तौर पर देश के नागरिकों को प्रभावित करते हैं। और देश का नागरिक होने के नाते छात्रों का यह हक है कि वे अनुचित राजनीतिक निर्णयों और मुद्दों को प्रभावित कर सकें।
- राजनीति छात्रों को उनके अधिकारों के समुचित उपयोग को लेकर जागरूक करती है।
- यदि छात्रों को इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिये तैयार किया जा सकता है, तो उन्हे एक अच्छा राजनीतिज्ञ बनने के लिये भी तैयार किया जा सकता है।
- राजनीति में अपराधी तत्त्वों के प्रवेश को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जीवन से ही छात्रों को राजनीति की शिक्षा प्रदान की जाए।

## छात्र आंदोलन के विपक्ष में तर्क

- मौजूदा शिक्षा महज सूचनात्मक न होकर प्रभावात्मक अधिक है, जिसके कारण शिक्षकों द्वारा छात्रों को राजनीतिक रूप से प्रभावित करने का संदेह बना रहता है।
- कुछ प्रशासकों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिये छात्रसंघ चुनाव बंद कर देना चाहिये। इससे विश्वविद्यालय परिसरों में राजनीतिक दलों का दखल बढ़ता है और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- छात्र संघों को उनके मूल राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन दिया जाता है। अत: अधिकांश समय वे छात्र हितों के स्थान पर अपने दलगत हितों के लिये कार्य करते हैं। यही छात्र संगठन राजनैतिक विरोधियों के लिये आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों के राजनीतिकरण का परिणाम प्राय: यह होता है कि अकादमिक नियुक्तियाँ दलगत आधार पर होने लगती हैं और पाठ्यक्रम का निर्धारण पार्टी लाइन के आधार पर किया जाने लगता है।

## निष्कर्ष

देश के लगभग सभी सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में छात्रों की काफी अहम भूमिका रही है। ये आंदोलन कभी विशुद्ध रूप से छात्र मुद्दों तो कभी आम सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित थे। छात्र आंदोलनों ने देश को कई प्रमुख राजनेता और समाज सुधारक दिये हैं। अत: कहा जा सकता है कि छात्र राजनीति और आंदोलनों के महत्त्व को पूर्णत: नज़रअंदाज़ करना सही नहीं है। हालाँकि छात्र आंदोलनों के साथ कई नकारात्मक पक्ष भी निहित हैं, किंतु इन पर विचार विमर्श कर इन्हें दूर किया जा सकता है।

नोट :

# सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेरोगेसी की प्रक्रिया को विनियमित करने से संबंधित सेरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 [Surrogacy (Regulation) Bill, 2020] को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

## महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ध्यातव्य है कि नवीनतम विधेयक अगस्त 2019 में लोकसभा से पारित सेरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 का संशोधित संस्करण है क्योंकि 2019 के विधेयक को राज्यसभा में प्रवर समिति (Select Committee) को भेज दिया गया था।
- मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंज़ूरी देने से पहले राज्यसभा की प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया है।
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना और परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देना है।
    - मानव भ्रूण की बिक्री और खरीद सहित वाणिज्यिक सरोगेसी निषिद्ध होगी और नि:संतान दंपतियों को नैतिक सरोगेसी की शर्तों को पूरा करने पर ही सेरोगेसी की अनुमति दी जाएगी।
- इस विधेयक के 'करीबी रिश्तेदारों' (Close Relatives) वाले खंड को हटा दिया गया है तथा अब यह विधेयक किसी 'इच्छुक' (Willing) महिला को सरोगेट मदर बनने की अनुमति देता है जिससे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के अलावा नि:संतान भारतीय जोड़ों को लाभ प्राप्त होगा।

## विधेयक के मुख्य बिंदु

- यह विधेयक सेरोगेसी से संबंधित प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेरोगेसी बोर्ड (National Surrogacy Board ) एवं राज्य स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड (State Surrogacy Board) के गठन का प्रावधान करता है।
- विधेयक के अनुसार, केवल भारतीय दंपति ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं।
- यह विधेयक इच्छुक भारतीय नि:संतान विवाहित जोड़े जिसमें महिला की उम्र 23-50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26-55 वर्ष हो, को नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है।
- इसके अतिरिक्त यह विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि इच्छुक दंपति किसी भी स्थिति में सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़े नहीं। नवजात बच्चा उन सभी अधिकारों का हकदार होगा जो एक प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध होते हैं।
- यह विधेयक सरोगेसी क्लीनिकों को विनियमित करने का प्रयास भी करता है। सरोगेसी या इससे संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये देश में सभी सरोगेसी क्लीनिकों का उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
- यह विधेयक सरोगेट मदर के लिये बीमा कवरेज सहित विभिन्न सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है। ध्यातव्य है कि सरोगेट मदर के लिये प्रस्तावित बीमा कवर को पहले के संस्करण में प्रदान किये गए 16 महीनों से बढ़ाकर अब 36 महीने कर दिया गया है।
- यह विधेयक यह भी निर्दिष्ट करता है कि सरोगेसी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का लिंग चयन नहीं किया जा सकता है।
- यह विधेयक नि:संतान दंपति के लिये सरोगेसी की प्रक्रिया से पहले आवश्यकता और पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है।

## विधेयक के निहितार्थ

- इस विधेयक से व्यावसायिक सेरोगेसी को प्रतिबंधित किये जाने से सेरोगेसी के व्यापार को रोका जा सकता है क्योंकि इसमें महिलाओं (सेरोगेट मदर) के अधिकारों का उल्लंघन होता था।
- विधेयक में सेरोगेट मदर के लिये बीमा कवर को 16 माह से बढ़ाकर 36 माह कर दिया गया है जिससे सेरोगेट मदर के हितों की रक्षा की जा सकेगी।
- सेरोगेसी बोर्ड के गठन के फलस्वरूप सेरोगेसी की प्रक्रिया का विनियमन बेहतर तरीके से संभव होगा।

- सभी सरोगेसी क्लीनिकों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है जिससे सेरोगेसी के गैर-कानूनी प्रयासों को रोका जा सकेगा।
- साथ ही विधेयक में नवजात शिशु के अधिकारों को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है जो कि बाल अधिकारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

## आगे की राह

- विधेयक में निहित प्रावधानों का बेहतर क्रियान्वयन सबसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी कानून में उल्लिखित बातों के धरातल पर क्रियान्वयन से ही कानून के उद्देश्य पूरे किये जा सकते हैं।
- सेरोगेसी से संबंधित जटिलताओं और चुनौतियों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा इस प्रक्रिया से संबंधित सभी शब्दावलियों को परिभाषित किया जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision

# कला एवं संस्कृति

## राखीगढ़ी

### चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय बजट-2020 में हरियाणा राज्य के राखीगढ़ी (Rakhigarhi) नामक हड़प्पा स्थल को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई तथा यहाँ एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जायेगा।

### मुख्य बिंदु:

- हड़प्पा सभ्यता (Harappan Civilisation) के सबसे बड़े स्थलों में से एक राखीगढ़ी भारत में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।

हड़प्पा सभ्यता (Harappan Civilisation):

- इसे सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilisation) भी कहा जाता है।
- यह लगभग 2,500 ईसा पूर्व में यह समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई।
- वर्ष 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्त्व विभाग (Indian Archeological Department) ने सिंधु घाटी में खुदाई की जिसमें दो पुराने शहरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडहर का पता चला।
- राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है इसे पूर्व-हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रुप में जाना जाता है।
- यह स्थल घग्घर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी।
- राखीगढ़ी के साथ उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर (Hastinapur), असम में शिवसागर (Shivsagar), गुजरात में धौलावीरा (Dholavira) और तमिलनाडु में आदिचनल्लूर (Adichanallur) को भी राष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

### हस्तिनापुर (Hastinapur):

- उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित हस्तिनापुर महाभारत काल में पांडवों एवं कौरवों की प्राचीन राजधानी थी। प्राचीन काल में यह कई धर्मों का संगम स्थल था।
- यहाँ स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर (Shri Digamber Jain Bada Mandir) सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जबकि अन्य मंदिरों में जंबूद्वीप जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर और अस्तपद जैन मंदिर भी है।
- हस्तिनापुर को पंच प्यारे भाई धर्म सिंह के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है जो गुरु गोविंद सिंह (दसवें सिख गुरु) के शिष्य थे।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1950-52 में हस्तिनापुर में उत्खनन किया था और इसमें तीर, भाला, चिमटा, हुक, कुल्हाड़ी, चाकू आदि शामिल थे।

### शिवसागर (Shivsagar):

- असम में स्थित यह स्थान वर्ष 1699 से 1788 ईस्वी के मध्य अहोम साम्राज्य की राजधानी था और पहले इसे रंगपुर के नाम से भी जाना जाता था।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कारेनघर (तलातलघर) परिसर जो अहोम शक्ति का गढ़ था, में उत्खनन के दौरान रास्ते के संरचनात्मक अवशेषों के साथ, लंबी दीवारें, नालियों के लिये टेराकोटा पाइप, फूलदान और कुछ पात्र मिले थे।
- यहाँ स्थित अन्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल रंग घर (Rang Ghar) है, जो अहोम राजाओं के लिए एक रंगभूमि था, जिसे खेल के लिये उपयोग किया जाता था।

### धौलावीरा (Dholavira):

- हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।
- 100 हेक्टेयर ने फैले इस स्थल की खोज वर्ष 1967-68 ईस्वी में जे. पी. जोशी ने की थी।
- यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था जो तीन भागों में विभाजित था- दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर।
- इस स्थल की सबसे महत्त्वपूर्ण खोज यहाँ विश्व की सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणाली मिली है जहाँ वर्षा जल का संचयन किया जाता था।

आदिचनल्लूर (Adichanallur):

- तमिलनाडु के थूथुकुडी (Thoothukudi) ज़िले में इस पुरातात्विक कलश-दफन स्थल को पहले जर्मन प्रकृतिवादी डॉ. जागोर (Jagor) और बाद में एक अंग्रेज पुरात्तवविद अलेक्जेंडर रे (Alexander Rea) ने वर्ष 1876 और 1905 के बीच खुदाई का कार्य करवाया था।
    - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वर्ष 1902-03 की वार्षिक रिपोर्ट में अलेक्जेंडर रे ने दक्षिणी भारत में खोजे गए इस स्थल को सबसे व्यापक प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में बताया है।

---

## पूम्पुहार- एक चोलकालिक बंदरगाह शहर

### चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु में एक विलुप्त चोलकालिक बंदरगाह शहर पूम्पुहार का डिजिटल रूप से पुनर्निर्माण के लिये 'प्रोजेक्ट डिजिटल पूम्पुहार' (Project Digital Poompuhar) का प्रारंभ किया जाएगा।

### मुख्य बिंदु:

- यह पुनर्निर्माण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के एक कंसोर्टियम द्वारा डिजिटल रूप से किया जाएगा।
- पूम्पुहार परियोजना के तहत DST ने इस प्राचीन शहर के इतिहास का पता लगाने के लिये 13 शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।
- इनमें 'स्कूल ऑफ मरीन साइंसेज़' (School of Marine Sciences), 'अलगप्पा यूनिवर्सिटी' (Alagappa University), 'एकेडमी ऑफ मरीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी' चेन्नई (Academy of Marine Education and Training University in Chennai), 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी'(National Institute of Ocean Technology) आदि शामिल हैं।

### पूम्पुहार शहर:

- DST के अनुसार, संगम तमिल साहित्य की रचनाओं में इस शहर के बारे में यह विवरण है कि यह शहर दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित मौजूदा पूम्पुहार शहर से 30 किमी. की दूरी पर स्थित था।
- यह शहर समुद्र के बढे हुए जल-स्तर या 'कडालकोल' की घटना के कारण डूब गया था।

डिजिटल पुनर्निर्माण संबंधी प्रक्रिया:

- इस अध्ययन में निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी-
    - सुदूर संचालित वाहनों द्वारा पानी के नीचे सर्वेक्षण और फोटोग्राफी करना।
    - समुद्र तल की ड्रिलिंग (Drilling) करना।
    - समय श्रंखला विकास और विलुप्त होने से संबंधित व्यापक जानकारी सामने लाने के लिये रिमोट सेंसिंग-आधारित भू-वैज्ञानिक अध्ययन करना।
    - भूमि उपखंड, समुद्र जलस्तर में वृद्धि, कावेरी के प्रवास, बाढ़, सुनामी, चक्रवात और कटाव जैसी- पिछली 20,000 वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।

### पूम्पुहार शहर के पुनर्निर्माण का उद्देश्य:

- तमिल साहित्य, पुरातत्व (Archaeology), इतिहास, पुरालेख (Epigraphy), भू-विज्ञान और पानी के नीचे की खोज करने संबंधी कई अध्ययनों के बावजूद अभी तक पूम्पुहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि नहीं हो सकी है-
    - प्रारंभिक स्थापना संबंधी निश्चित स्थान
    - इसकी आयु
    - इसकी उत्तरोत्तर स्थिति
    - वर्तमान में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित होने के साथ-साथ समय के साथ स्थानिक विकास।
    - इसके विलुप्त होने के कारण और अवधि
- इस पुनर्निर्माण संबंधी परियोजना के माध्यम से इन सभी तथ्यों का उत्तर प्राप्त किया जा सकेगा।
- इन अध्ययनों से प्राप्त जानकारी डिजिटल रूप से पूम्पुहार के जीवन इतिहास को पहचानने में सहायता करेगी।
- DST के अनुसार ऐसा ही एक परियोजना गुजरात के द्वारका में संचालित की जा रही है।

### अन्य तथ्य:

- पूम्पुहर का पुनर्निर्माण DST की 'भारतीय डिजिटल विरासत पहल' (Indian Digital Heritage project) का हिस्सा है।
- इस परियोजना के तहत एक 'डिजिटल हंपी' (Digital Hampi) नामक प्रदर्शनी वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित की जा रही है।
- भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों द्वारा किये गए शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि इस शहर की स्थापना लगभग 15,000 साल पहले वर्तमान शहर से लगभग 30 किमी. दूर कावेरी के डेल्टा में हुई थी।
- लगभग 3,000 वर्ष पहले कावेरी नदी के मुहाने पर वर्तमान स्थान पर स्थापित हुआ।
- यह शहर समुद्र जलस्तर में निरंतर वृद्धि और डेल्टा के जलमग्न होने के कारण कई परिवर्तनों के बाद अपनी वर्तमान स्थिति पर स्थापित हुआ।
- अन्य अध्ययनों में एक बंदरगाह जैसी संरचना के साथ-साथ समुद्र की दीवारों और एक पुल जैसी संरचना की खोज की गई।

## बयाद-ए-गालिब समारोह

### चर्चा में क्यों?

मिर्ज़ा गालिब द्वारा अपनी पेंशन के बारे में पता लगाने के लिये कोलकाता आने के लगभग 190 वर्ष बाद 21 फरवरी, 2020 से कोलकाता में बयाद-ए-गालिब नामक समारोह आयोजित किया जा रहा है।

### मुख्य बिंदु:

- इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (21 फरवरी) के अवसर पर प्रारंभ किया गया है।
- मिर्ज़ा गालिब 20 फरवरी, 1828 से 1 अक्तूबर, 1829 के बीच कोलकाता में किराएदार के रूप में रहे।
- मिर्ज़ा गालिब ने गवर्नर हाउस, राइटर बिल्डिंग और राष्ट्रीय पुस्तकालय सहित महत्त्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया, जो वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करता था।

### कार्यक्रम का आयोजन:

- पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा इस अवसर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में उन स्थानों का भ्रमण किया जाएगा जहाँ गालिब का निवास स्थान था और जहाँ वे आते-जाते रहते थे, जिनमें शिमला बाज़ार और मध्य कोलकाता स्थित कथल बागान शामिल थे।
- मिर्ज़ा गालिब की कोलकाता यात्रा की जानकारी को जन-सामान्य तक पहुँचाने के लिये एक स्मारक टिकट जारी किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में गालिब को केंद्रीय विषय के रूप में रखते हुए पाँच नाटकों का मंचन किया जाएगा।

- इन पाँच नाटकों के मंचन में 'गालिब और कोलकाता मुशायरा' नामक नाटक को भी शामिल किया जाएगा जो वर्ष 1828 में कलकत्ता मदरसा में आयोजित किये गए एक मुशायरे पर आधारित है जिसमें मिर्ज़ा गालिब ने भाग लिया था।
- इस समारोह में शिक्षाविदों से लेकर छात्रों और आम लोगों को सम्मिलित किया जाएगा।

### मिर्ज़ा गालिब की रचनाओं का बांग्ला में अनुवाद:

- इस अवसर पर आयोजित अन्य कार्यक्रमों में बनारस में गालिब द्वारा लिखित चराग-ए डायर (Charagh-e Dair) के बांग्ला अनुवाद और उर्दू एवं बंगाली के आठ लघु कथाकारों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने लघु कथाओं के रूप में गालिब के जीवन का काल्पनिक संस्करण पेश किया है।

### मिर्ज़ा गालिब:

- मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर, 1797 को तुर्की वंश के एक अभिजात परिवार में आगरा में हुआ था।
- मिर्ज़ा गालिब का मूल नाम मिर्ज़ा असदउल्लाह बेग खान था, गालिब नाम को उन्होंने बाद में अपनाया। उन्होंने इस नाम के साथ अत्यधिक प्रसिद्धि हासिल की।
- मिर्ज़ा गालिब का विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था।
- मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह ज़फर II के दरबार के महत्त्वपूर्ण कवियों में से एक थे।
- मुगल सम्राट जो कि उनका छात्र भी था, ने गालिब को डब्बर-उल-मुल्क (Dabber-ul-Mulk) और नज्म-उद-दौला (Najm-ud-Daulah) के शाही खिताब से सम्मानित किया।
- उन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी पहली शायरी लिखी थी और वे उर्दू, फारसी एवं तुर्की आदि कई भाषाओं के जानकार थे।
- 15 फरवरी, 1869 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई।
- मिर्ज़ा असदउल्लाह बेग खान 'गालिब' का स्थान उर्दू के सर्वोच्च शायर के रूप में सदैव अक्षुण्ण रहेगा।
- उन्होंने उर्दू साहित्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। उर्दू और फारसी के एक बेहतरीन शायर के रूप में उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली तथा अरब एवं अन्य राष्ट्रों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय हुए।
- गालिब की शायरी में बेहतरीन भाषाई पकड़ मिलती है जो सहज ही पाठक के मन को छू लेती है।

## दारा शिकोह

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह (1615-59) की कब्र का पता लगाने के लिये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) का सात सदस्यीय पैनल गठित किया। ऐसा माना जाता है कि दारा शिकोह (Dara Shikoh) को दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे के परिसर में कहीं दफनाया गया था, जो मुगल वंश की लगभग 140 कब्रों में से एक है।

- इसके लिये पैनल को तीन महीने का समय दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इस समय को तीन महीने के लिये और बढ़ाया भी जा सकता है। इस विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिये पैनल उस समय के वास्तुशिल्प साक्ष्यों, लिखित इतिहास और अन्य जानकारी, जिसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, का उपयोग करेगा।

### दारा शिकोह का परिचय

दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र (जीवनकाल 1615 ई. से 1659 ई. तक) था। शाहजहाँ उसे अपना राजपद देना चाहता था लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में दाराशिकोह के भाई औरंगज़ेब ने उसकी हत्या कर दी। दारा शिकोह ने अपने समय के श्रेष्ठ संस्कृत पंडितों, ज्ञानियों और सूफी संतों की सत्संगति में वेदांत तथा इस्लाम के दर्शन का गहन अध्ययन किया साथ ही फारसी एवं संस्कृत में इन दोनों दर्शनों की समान विचारधारा को लेकर विपुल साहित्य लिखा।

## दारा शिकोह की विरासत (Dara Shikoh's legacy)

- औरंगज़ेब के खिलाफ उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह मारा गया। इतिहास में दारा शिकोह को एक "उदार मुस्लिम" के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएँ खोजने का प्रयास किया।
- कुछ विशेषज्ञों दारा शिकोह को "उस समय के सबसे महान मुक्त विचारकों में से एक" के रूप में वर्णित करते है।
- फारसी में उसके ग्रंथ हैं- सारीनतुल् औलिया, सकीनतुल् औलिया, हसनातुल् आरफीन (सूफी संतों की जीवनियाँ), तरीकतुल् हकीकत, रिसाल-ए-हकनुमा, आलमे नासूत, आलमे मलकूत (सूफी दर्शन के प्रतिपादक ग्रंथ), सिर्र-ए-अकबर (उपनिषदों का अनुवाद)। उसने श्रीमद्भगवद्गीता और योगवासिष्ठ का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया। 'मज्म-उल्-बहरैन्' फारसी में उसकी अमर कृति है, जिसमें उसने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएँ बताई हैं। दाराशिकोह ने 'समुद्रसंगम' (मज़्म-उल-बहरैन) नाम से संस्कृत में भी रचना की। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद 'सिर्र-ए-अकबर' नाम से किया।

## दारा शिकोह और औरंगज़ेब (Dara Shikoh & Aurangzeb)

- कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यदि औरंगज़ेब के बजाय मुगल सिंहासन पर दारा शिकोह का राज होता तो धार्मिक संघर्ष में मारे गए हज़ारों लोगों की जान बच सकती थी। अविक चंदा की किताब 'दारा शिकोह, द मैन हू वुड बी किंग' में कहा गया है कि 'दारा शिकोह का व्यक्तित्व बहुत बहुमुखी था। वह एक विचारक, विद्वान, सूफी और कला की गहरी समझ रखने वाला शख्स था। लेकिन इसके साथ साथ वह एक उदासीन प्रशासक और युद्ध के मैदान में अप्रभावी भी था। जहाँ एक ओर शाहजहाँ ने दारा शिकोह को सैन्य मुहिमों से दूर रखा वहीं औरंगज़ेब को 16 वर्ष की आयु में एक बड़ी सैन्य मुहिम की कमान सौंप दी।

दारा शिकोह के अवशेष

- शाहजहाँनामा के अनुसार, औरंगजेब द्वारा पराजित होने के बाद दारा शिकोह को जंजीरों में बाँधकर दिल्ली लाया गया। उसका सिर काट कर आगरा किले में शाहजहाँ के पास भेज दिया गया, जबकि उसके धड़ को हुमायूँ के मकबरे के परिसर में दफनाया गया।
- हालाँकि इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि वास्तव में दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था। अभी तक केवल यही पता है कि हुमायूँ के मकबरे के परिसर में एक छोटी सी कब्र है, जिसे दारा की कब्र बताया जाता है। यह हुमायूँ के मकबरे के पश्चिमी हिस्से में है। इस इलाके में रहने वाले लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी यही बात सुनते आ रहे हैं और पुरातत्त्व विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी ऐसा ही मानते हैं, लेकिन इसके अलावा इस विषय में कोई और साक्ष्य नहीं है।
- इतिहासकारों के अनुसार, वर्ष 1857 तक मुगल परिवार के सभी सदस्यों को इसी परिसर में दफनाया गया था, यूरोपीय इतिहासकारों के साथ-साथ फारसी भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि दारा शिकोह को वास्तव में हुमायूँ के मकबरे में ही दफनाया गया था।

## ASI की समस्या तथा आगे की राह

- ASI की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस परिसर में मौजूद कब्रों पर कोई नाम उल्लेखित नहीं है। पैनल के एक सदस्य के अनुसार, "मुहम्मद सालेह कम्बोह द्वारा संकलित शाहजहाँनामा ने दारा शिकोह के अंतिम दिनों के विषय में कम से कम दो पृष्ठों में यह बताया है कि किस प्रकार उसकी निर्मम हत्या की गई और फिर उसे परिसर में कहीं दफना दिया गया।" हालाँकि इस विषय में प्रमाणिक साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त होंगे इसके विषय में अभी संशय बना हुआ है। निश्चित रूप से पैनल इस संदर्भ में आवश्यक शोध, अनुसंधान और अध्ययन करेगा ताकि किसी प्रमाणिक परिणाम तक पहुँचा जा सकें।

# आंतरिक सुरक्षा

## सैन्य उपकरणों पर CAG की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद के समक्ष प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG) की रिपोर्ट से पता चला है कि सियाचिन या अन्य ऊँचे क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को प्रदान किये जाने वाले उपकरण कम गुणवत्ता के हैं।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- CAG की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान 3 फरवरी, 2020 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- CAG की रिपोर्ट के अनुसार, सियाचिन सहित उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिये विशेष कपड़े, राशन और आवास की गुणवत्ता में कमी पाई गई।

### इस संदर्भ में CAG की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान खरीद के प्रावधान और प्रदर्शन पर CAG की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार,
  - अधिक ऊँचाई क्षेत्रों हेतु कपड़ों और उपकरणों की खरीद में देरी के कारण वर्तमान समय में आवश्यक कपड़ों और उपकरणों की भारी कमी दर्ज की गई है।
  - बर्फ में उपयोग होने वाले चश्मे की आपूर्ति में लगभग 62% से 98% की कमी देखी गई है।
  - सैनिकों को नवंबर 2015 से सितंबर 2016 तक बर्फीले क्षेत्रों में उपयोग होने वाले जूते उपलब्ध नहीं कराए गए थे और जिसके कारण उन्हें उपलब्ध जूतों की रीसाइक्लिंग का सहारा लेना पड़ा।
  - इसके अलावा फेस मास्क, जैकेट और स्लीपिंग बैग के पुराने मॉडल खरीदे जाने के कारण सैनिकों को बेहतर उत्पाद प्रदान नहीं किये जा सके।
  - सियाचिन या अन्य ऊँचे क्षेत्रों में रहने वाले सैनिकों को उनकी कैलोरी की मात्रा पूरी करने के लिये विशेष भोजन दिया जाता है किंतु विशेष भोजन की सप्लाई में कमी की वजह से जवानों को लगभग 82% तक कम कैलोरी वाला भोजन दिया जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा प्रयोगशाला (Defence Laboratory) द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान और विकास के अभाव में आयात पर निरंतर निर्भरता बढ़ी है।
- उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की रहने की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से हाउसिंग प्रोजेक्ट को एक तदर्थ तरीके से निष्पादित किया गया था। इस संदर्भ में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था जो कि असफल रहा।
- CAG ने सरकार से भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (Indian National Defence University- INDU) की स्थापना में देरी किये जाने पर भी सवाल किया है, ध्यातव्य है कि वर्ष 1999 में कारगिल समीक्षा समिति ने इस विश्वविद्यालय की सिफारिश की थी। इसके निर्माण में देरी के कारण इसकी लागत लगभग 914% बढ़ चुकी है, गौरतलब है कि मई 2010 में इस प्रोजेक्ट की लागत 395 करोड़ रुपए थी जो संशोधित होकर दिसंबर 2017 में बढ़कर 4007.22 करोड़ रुपए हो गई है।

CAG की रिपोर्ट के मायने

- चूँकि CAG सरकार के व्यय का लेखा परीक्षण करता है, इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार की नीतियों की सफलता एवं विफलता की मुख्य संकेतक होती है।
- सियाचीन एवं अन्य ऊँचे क्षेत्रों में सैनिकों को प्रदान की जाने वाली सामग्री और उपकरणों की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी इस क्षेत्र में सरकार की विफलता को प्रदर्शित करती है।

### इस संदर्भ में सरकार के तर्क

- थल सेना प्रमुख ने CAG की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा है कि यह रिपोर्ट 2015-16 से 2017-18 की अवधि की है जिससे यह वर्तमान समय में सेना की स्थितियों का सही मूल्यांकन नहीं करती है, वर्तमान समय में सेना को प्रदान किये जाने वाले उपकरण बेहतर गुणवत्ता वाले हैं।
- इसके अतिरिक्त सरकार ने इस संदर्भ में तर्क दिया है कि वर्ष 2017 में बर्फीले इलाकों में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों और सामान की मांग में वृद्धि हुई है जिसके कारण इन क्षेत्रों में सैन्य उपकरणों में कमी दर्ज की गई।
- इसके अतिरिक्त सरकार ने बजट में रक्षा व्यय में कमी को भी बर्फीले एवं ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य सामग्री एवं उपकरणों में कमी कारण माना है।

### आगे की राह

- सरकार को CAG की रिपोर्ट को ध्यान रखकर सैन्य सामग्रियों की मात्रा एवं गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिये।
- भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का निर्माण अतिशीघ्र किया जाना चाहिये ताकि सैन्य क्षेत्र में व्यापक अनुसंधानात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियाँ सुनिश्चित की जा सकें।

---

## मेडिकल डेटा लीक

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक जर्मन साइबरसिटी फर्म ग्रीनबोन सस्टेनेबल रेज़िलिएंस (Greenbone Sustainable Resilience) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 120 मिलियन से अधिक भारतीय रोगियों का चिकित्सा विवरण लीक हुआ है।

### मुख्य बिंदुः

- रिपोर्ट के अनुसार, लीक हुए चिकित्सीय विवरण को इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, रोगियों के चिकित्सा विवरण से संबंधित डेटा के लीक होने के मामले में महाराष्ट्र देश में शीर्ष पर है।
- ग्रीनबोन सस्टेनेबल रेजिलिएंस द्वारा प्रथम रिपोर्ट अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित की गई थी जिसमें बड़े पैमाने पर डेटा लीक का खुलासा किया गया था, इनमें सीटी स्कैन (CT scans), एक्स-रे, (X-rays) एमआरआई (MRIs) और यहाँ तक कि रोगियों की तस्वीरें भी शामिल थीं।

### रिपोर्ट के आधार पर देशों का वर्गीकरणः

- नवंबर में प्रकाशित इसकी एक फॉलो रिपोर्ट विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा डेटा लीक की घटनाओं को रोकने के लिये की गई कार्यवाही के आधार पर देशों को अच्छा (Good), बुरा (Bad) और बदसूरत (Ugly) तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है।
- भारत को रिपोर्ट में 'बदसूरत' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जो कि अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्तूबर में प्रकाशित पहली रिपोर्ट के 60 दिनों बाद ही मरीज़ों के बारे में सूचना देने वाले डेटा ट्रावरों (Data Troves) की संख्या 6,27,000 से बढ़कर 1.01 मिलियन हो गई है तथा मरीज़ों के विवरण का आँकड़ा 105 मिलियन से बढ़कर 121 मिलियन हो गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मौजूदा सिस्टम जो डेटा संग्रहण के लिये उत्तरदायी हैं डेटा के 100% अभिगमन (Access) की अनुमति देते हैं।
- रिपोर्ट चिकित्सा डेटा लीक से प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखती है। जिसकी उपलब्ध ऑनलाइन डाटा ट्रावरों (Data Troves) की सर्वाधिक संख्या है। महाराष्ट्र में 3,08,451 ट्रॉव्स 6,97,89,685 छवियों (Images) तक पहुँच प्रदान करते हैं।
- चिकित्सा डेटा लीक के मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, जहाँ 1,82,865 डेटा ट्रावरस 37,31,001 छवियों तक पहुँच प्रदान करते है।

### प्रभावः

- चिकित्सा डेटा का लीक होना चिंताजनक है क्योंकि इसमें सामान्य कामकाजी आदमी से लेकर राजनेता तथा मशहूर हस्तियाँ सभी शामिल है।

- डेटा के लीक होने से समाज में उन लोगों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिनका लोग अनुसरण करते है।
- किसी की नकली पहचान बनाकर अन्य किसी भी तरीके से चिकित्सा विवरण का गलत उपयोग किया जा सकता है।
- मरीज़ एवं डॉक्टर के बीच हुई कोई भी बातचीत दोनों का विशेष अधिकार है अत: इस प्रकार डॉक्टर या अस्पताल किसी भी मरीज़ की गोपनीयता बनाए रखने के लिये कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य होता है।

पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशंस सिस्टम्स सर्वर:

- ग्रीनबोर्न द्वारा प्रकाशित मूल रिपोर्ट में बताया गया है कि पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशंस सिस्टम्स (Picture Archiving and Communications Systems- PACS) सर्वर, जहाँ विवरण संग्रहीत होता हैं, सुरक्षित नहीं है। साथ ही यह बिना किसी सुरक्षा के सभी सार्वजनिक इंटरनेट से जुड़ा है। अत: किसी भी गलत तरीके से डेटा तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।
- अतीत में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर भी यह तथ्य सामने आया है कि PACS सर्वर किसी भी सर्वर आक्रमण के प्रति सुभेद्य है।

# असम का बोडो समुदाय

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बोडो क्षेत्रीय परिषद् (Bodo Territorial Council- BTC) ने 27 जनवरी, 2020 को हुए बोडो समझौते का विरोध किया है।

- साथ ही समझौते में निहित पहाड़ी क्षेत्र के बोडो समुदाय को जनजातीय दर्जा दिये जाने के प्रावधान का असम के कार्बी समुदाय ने भी विरोध किया है।

### महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में दशकों से चले आ रहे आतंरिक संघर्ष पर विराम लगाने के लिये 27 जनवरी, 2020 को केंद्रीय गृहमंत्री की उपस्थिति में राजधानी दिल्ली में भारत सरकार, असम राज्य सरकार एवं बोडो समुदाय के बीच एक महत्त्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता हुआ।
- विभिन्न गैर बोडो समुदायों ने हाल ही में हुए बोडो समझौते का विरोध किया है तथा इस समझौते को राजनीति से प्रेरित एवं अहितकर बताया है।

### बोडो समझौते के विरोध के कारण

- बोडो समझौते को मानने से इनकार करते हुए BTC चीफ ने तर्क दिया है कि यह समझौता केवल BTC का नाम परिवर्तित कर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (Bodoland Territorial Region- BTR) करता है।
- समझौते के संदर्भ में कहा गया कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (National Democratic Front of Boroland-NDFB) एवं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (All Bodo Students Union- ABSU) ने अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा के चलते यह समझौता किया है।
- इस समझौते के विपक्ष में तर्क देते हुए कहा गया है कि यह समझौता नाम में बदलाव के अतिरिक्त और कोई लाभ प्रदान नहीं करता है। इसलिये हम इस समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते तथा BTR नाम का उपयोग भी नहीं करेंगे।
- इसके अतिरिक्त गैर-बोडो समुदाय ने इस समझौते को अशांति कारक एवं एकतरफा समझौता बताया। उनका कहना है कि इस समझौते में बोडोलैंड में रहने वाले केवल बोडो समुदाय के लिये अधिकारों एवं नीतियों का प्रावधान किया गया है, इसमें गैर बोडो समुदायों के लिये कोई प्रावधान नहीं है जिससे गैर-बोडो समुदायों के अधिकारों का हनन होगा।

### प्रभाव:

- इससे बोडो समुदाय एवं गैर-बोडो समुदायों के बीच संघर्ष में वृद्धि हो सकती है जिससे बोडोलैंड क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न होगी तथा दोनों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
- हालिया बोडो समझौते से जहाँ समस्या खत्म होती नज़र आ रही थी, इन संघर्षों के कारण यह समस्या यथावत बनी रह सकती है।
- आपसी संघर्षों के कारण क्षेत्रीय आर्थिक हित प्रभावित होंगे तथा विकास की प्रक्रिया में बाधा आएगी।

नोट :

**समाधान:**

- बोडोलैंड क्षेत्र में निवास करने वाले सभी समुदायों को विश्वास में लेना चाहिये तथा उन सभी के हितों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।
- आपसी संघर्ष के निवारण एवं क्षेत्रीय विकास के लिये राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर कार्य किया जाना चाहिये।
- किसी भी प्रकार के समझौते में सभी हितधारकों को शामिल कर व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के निवारण का प्रयास किया जाना चाहिये।

पहाड़ी बोडो समुदाय को ST का दर्जा दिये जाने के विरोध का कारण

- असम के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले कार्बी समुदाय ने बोडो समझौते के तहत पहाड़ी बोडो समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने का विरोध किया है।
- कार्बी समुदाय का मानना है कि पहाड़ी बोडो समुदाय को जनजातीय दर्जा दिये जाने से बोडो समुदाय के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कार्बियों की पहचान का संकट उत्पन्न हो जाएगा।
- ध्यातव्य है कि असम के मैदानी क्षेत्र में 14 और पहाड़ी क्षेत्र में 15 जनजाति समुदाय रहते हैं तथा असम में 16 अनुसूचित जाति समुदाय भी हैं।
- कार्बी समुदाय का कहना है कि बोडो समुदाय की प्राथमिक मांग अलग राज्य की थी अत: उनको जनजातीय दर्जा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

**प्रभाव:**

- यह विरोध असम के पहाड़ी क्षेत्रों में कार्बी-बोडो समुदायों के बीच नृजातीय संघर्ष का कारण बन सकता है।
- इससे पृथक राज्य की मांग पुन: उठ सकती है जो क्षेत्रीय संप्रभुता के लिये एक बड़ा खतरा होगा।

**समाधान:**

- नृजातीय संघर्ष को कम करने के लिये कार्बी एवं बोडो समुदायों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई जानी चाहिये।
- बोडो समुदाय को जनजातीय दर्जा दिये जाने से संबंधित कार्बी समुदाय की चिंताओं का निराकरण किया जाना चाहिये ताकि दोनों समुदायों की पहचान एवं हित प्रभावित न हों।

## आगे की राह

- असम में व्याप्त विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय, नृजातीय, भाषायी चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर व्यापक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में उनकी भाषा एवं संस्कृति को नुकसान पहुँचाए बिना विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से इन क्षेत्रों में व्याप्त संघर्ष को कम करने का प्रयास करना चाहिये।
- इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिये तथा राष्ट्र के विकास से संबंधित मुद्दों पर इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

# अशांत क्षेत्र अधिनियम

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य के आनंद ज़िले के खम्भात शहर में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम (Disturbed Areas Act) के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है।

**मुख्य बिंदु:**

23 फरवरी, 2020 को आनंद ज़िले के अकबरपुर क्षेत्र में भूमि-विवाद के एक मामले में दो समुदायों के लोगों के बीच हिंसा बढ़ गई जिसमें कई लोग घायल हुए।

इसके साथ ही ज़िले के कुछ अन्य हिस्सों में भी हिंसा के मामले दर्ज किये गए ।

### क्या है अशांत क्षेत्र अधिनियम-1991 ?

- राज्य में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के अशांत क्षेत्रों को चिह्नित करने तथा इन क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिये वर्ष 1986 में इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया।
- गुजरात सरकार द्वारा अशांत क्षेत्र अधिनियम को वर्ष 1991 में लागू किया गया था।
- वर्ष 2010 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किये गए तथा इसका नाम बदल कर 'अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और परिसर से बेदखली से किरायेदारों के संरक्षण के लिये प्रावधान अधिनियम' कर दिया गया।
- इस अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा शहर या जिले के किसी भाग को अशांत घोषित किये जाने के बाद संबंधित क्षेत्र में अचल संपत्ति (घर,प्लाट आदि) की बिक्री, अनुबंध, पुनर्निर्माण आदि के लिये दोनों पक्षों को कलेक्टर की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।
- अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के तहत किसी अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति की बिक्री की अनुमति के लिये विक्रेता को प्रमाण-पत्र यह लिखकर देना होता है कि वह स्वेच्छा से अपनी संपत्ति बेच रहा है तथा उसे इसके लिये उसे सही मूल्य प्राप्त हुआ है।
- संपत्ति के हस्तांतरण में अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने की स्थिति में आरोपी व्यक्ति पर 6 माह के कारावास के साथ 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत राज्य के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, हिम्मतनगर, गोधरा आदि शहरों के विभिन्न क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है।

### अधिनियम का उद्देश्य:

- इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नियंत्रण करना था।
- इसके साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से अचल संपत्ति के हस्तांतरण के दौरान लोगों के शोषण को कम करना था।

### अधिनियम की आलोचना:

- विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने इस अधिनियम को सामाजिक सद्भाव की भावना के विपरीत बताकर इसकी आलोचना की है।
- इस अधिनियम के माध्यम से सरकार पर अनावश्यक बल प्रयोग के आरोप लगते रहते हैं।
- संपत्ति के विवादों का निपटारा अन्य कानूनों से भी किया जा सकता है।

### निष्कर्ष:

अशांत क्षेत्र अधिनियम में स्पष्टता की कमी के कारण इस अधिनियम के क्रियान्वयन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अत:अधिनियम अधिनियम के संदर्भ में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने के लिए अधिनियम उपयुक्त संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

## असम-मिज़ोरम सीमा संशोधन

### चर्चा में क्यों ?

मिज़ोरम सरकार ने वर्ष 1873 के 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन' (Bengal Eastern Frontier Regulation- BEFR) और वर्ष 1993 के 'लुशाई हिल्स अधिसूचना' (Lushai Hills Notification) की इनर लाइन के आधार पर असम के साथ सीमा संशोधन की माँग की है।

### पृष्ठभूमि

- वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश और वर्ष 1987 में राज्य बनने से पहले मिज़ोरम असम का लुशाई हिल्स ज़िला था।
- स्वतंत्रता के बाद से असम को विभाजित कर मिज़ोरम और नगालैंड जैसे नए राज्यों का गठन किया गया।
- चूँकि राज्यों की सीमाएँ जनजातीय क्षेत्र एवं पहचान का अनुसरण नहीं करती हैं जिसके कारण विभिन्न जनजातियों के मध्य आपसी संघर्ष उत्पन्न होता है और राजनीतिक एवं सीमा विवाद का कारण बनता है।

### विवाद का कारण

- मिज़ोरम दक्षिणी असम के साथ 123 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और असम के 509 वर्ग मील के हिस्से पर यह कहकर दावा करता है कि पड़ोसी राज्य ने इस पर कब्ज़ा कर लिया है। दोनों राज्यों के बीच इस सीमा के विस्तार को लेकर विवाद है।
- इस सीमा पर कई हिंसक घटनाएँ भी हो चुकी हैं जो विवाद को बढ़ावा देने का कार्य करती रही हैं।

### इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit- ILP):

- ILP एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ है जिसे भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिये आंतरिक यात्रा की मंज़ूरी देने हेतु जारी किया जाता है।
- इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के आधार पर लागू किया गया था।
    - यह अधिनियम पूर्वोत्तर के पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिये बनाया गया था क्योंकि वे ब्रिटिश नागरिकों (British Subjects) के संरक्षित क्षेत्रों में प्राय: घुसपैठ किया करते थे।
    - इसके तहत दो समुदायों के बीच क्षेत्रों के विभाजन के लिये इनर लाइन (Inner Line) नामक एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया गया ताकि दोनों पक्षों के लोग बिना परमिट के एक-दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश न कर सकें।
- आगंतुकों को इस संरक्षित क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होता है।
- अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड तथा मिज़ोरम राज्यों के मूल निवासियों की पहचान को बनाए रखने के लिये यहाँ बाहरी व्यक्तियों का ILP के बिना प्रवेश निषिद्ध है।
- इस दस्तावेज़ की सेवा-शर्तें और प्रतिबंध राज्यों की अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार लागू किये गए हैं।
- BEFR अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नगालैंड में अनिवासी भारतीयों को अस्थायी प्रवास के लिये आंतरिक लाइन परमिट के बिना अनुमति नहीं देता है।

### विवाद का प्रभाव:

- यह सीमा विवाद राज्यों के आपसी सहयोग को प्रभावित करेगा तथा नृजातीय संघर्ष को बढ़ावा देगा।
- इससे विवादित क्षेत्र की विकास प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे वहाँ के लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करेंगे।

### समाधान के उपाय:

- दोनों राज्यों को आपसी वार्ता के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।
- दोनों राज्यों में आपसी सहमति न बनने की स्थिति में केंद्र सरकार की मदद से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

### आगे की राह

- बदलते परिदृश्य में सरकारों को क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझना होगा। यदि यह विकास की मांग तक सीमित है तो उचित है, परंतु यदि क्षेत्रीय टकराव को बढ़ावा देने वाला है तो इसे रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- वर्तमान में क्षेत्रवाद संसाधनों पर अधिकार करने और विकास की लालसा के कारण अधिक पनपता दिखाई दे रहा है। इसका एक ही उपाय है कि विकास योजनाओं का विस्तार सुदूर तक हो।

# चर्चा में

## सोमेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य

सोमेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य (Someshwara Wildlife Sanctuary), कर्नाटक के उडुपी ज़िले में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 88.4 वर्ग किलोमीटर है।

पश्चिमी घाट में स्थित इस अभयारण्य को वर्ष 1974 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य के दो अलग-अलग भाग हैं और छोटा भाग, मुख्य भाग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।

- कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान (Kudremukh National Park) इस अभयारण्य के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

### कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान

- इसे वर्ष 1987 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है।
- मोंटेन घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की प्रचुरता से परिपूर्ण यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट के भीतर सबसे बड़ा संरक्षित ब्लॉक है।
- गौरतलब है कि कुद्रेमुख, कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में स्थित एक पर्वत श्रृंखला और एक चोटी का नाम है। कुद्रेमुख कर्नाटक में मुल्लायनगिरि (Mullayangiri) और बाबा बुदानगिरि (Baba Budangiri) के बाद तीसरी सबसे ऊँची चोटी है।

सोमेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख वनस्पति:

- इस अभयारण्य में ज़्यादातर सदाबहार वन, अर्द्ध सदाबहार और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
- इस अभयारण्य में वनस्पतियों की कुछ प्रजातियाँ जैसे- माचिलस माक्रेन्था (Machilus Macrantha), लोफोपेटलुम विघटानियम (Lophopetalum Wightanium) और अर्टोकार्पुस हिर्सुटा (Artocarpus Hirsuta) पाई जाती हैं।

### सोमेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख जीव-जंतु:

- इस अभयारण्य के स्तनधारियों में बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ता, सियार, गौर, बार्किंग डियर, लायन टेल्ड मकॉक, बोनट मकॉक और लंगूर आदि एवं सरीसृपों में किंग कोबरा, पायथन तथा मॉनिटर छिपकली पाई जाती है।

## मिज़री इंडेक्स

हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिज़री इंडेक्स (Misery Index) के आधार पर मापने की मांग की गई है।

### मुख्य बिंदु:

- मिज़री इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन (Arthur Okun) द्वारा विकसित किया गया था। यह इंडेक्स 1970 के शुरुआती दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापने के कारण लोकप्रिय हुआ।
  - यह इंडेक्स किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी की दर को जोड़कर निकाला जाता है।
  - इस सूचकांक का स्कोर जितना अधिक होगा देश के नागरिकों की स्थिति उतनी ही दयनीय होगी।
- हाल के दिनों में इस सूचकांक में व्यापक रूप से अन्य आर्थिक संकेतकों जैसे बैंक ऋण दरों को शामिल किया गया है।
- पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने के लिये मिज़री इंडेक्स लोकप्रिय हो रहा है।
- मूल मिज़री इंडेक्स का एक रूप ब्लूमबर्ग मिज़री इंडेक्स (Bloomberg Misery Index) है जिसे ऑनलाइन पब्लिकेशन (Online Publication) द्वारा विकसित किया गया है।

नोट :

## वर्चुअल पुलिस स्टेशन

ओडिशा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन (Virtual Police Station) की शुरुआत की, जहाँ लोग बिना ज़िले के पुलिस स्टेशनों में गए वाहन चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

### मुख्य बिंदु:

- ओडिशा सरकार ने सड़क दुर्घटना मामले के दस्तावेज़ मॉड्यूल और ओडिशा पुलिस की मेडिको लीगल ओपिनियन सिस्टम परियोजनाओं (Medico Legal Opinion System Projects) के साथ वर्चुअल पुलिस स्टेशन की सुविधा शुरू की।
- यह वर्चुअल पुलिस स्टेशन (ई-पुलिस स्टेशन) ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत कार्य करेगा।
- इस पहल से स्थानीय नागरिकों के पुलिस स्टेशन आने-जाने में लगने वाले समय की बचत होगी।
- इस सुविधा से मोटर वाहन चोरी मामलों में बीमा का दावा करने वाले लोगों को लाभ होगा।

## विश्व आर्द्रभूमि दिवस

पूरे विश्व में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetland Day) मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन, आर्द्रभूमि की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये किया जाता है।

थीम: इस वर्ष 2020 के लिये विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम 'आर्द्रभूमि और जैव विविधता' (Wetlands and Biodiversity) थी।

- आर्द्रभूमि/वेटलैंड्स पर रामसर अभिसमय/कन्वेंशन की स्थायी समिति द्वारा 2021 के लिये स्वीकृत की गई थीम आर्द्रभूमि और जल (Wetlands and Water) है।

### क्या है आर्द्रभूमि (Wetland)?

- रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा में दलदल, बाढ़ के मैदान, नदी एवं झीलें, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (जो 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं हैं) तथा मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ जैसे- तालाब और जलाशय शामिल हैं।

### प्रमुख बिंदु:

- 2 फरवरी, 1971 में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय (Convention on Wetlands) को अपनाया गया था।
- अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forests and Climate Change) ने घोषणा की थी कि रामसर अभिसमय (Ramsar Convention) ने देश की 10 आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में घोषित किया जिससे देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 37 हो गई।
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी, 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था।
- जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (Biodiversity and Ecosystem Services) पर अंतर-सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म (The Intergovernmental Science Policy Plateform-IPBES) ने वैश्विक मूल्यांकन में आर्द्रभूमि को सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पहचान की है।

### इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES):

- IPBES जलवायु परिवर्तन पर बेहतर जानकारी हेतु एक वैश्विक वैज्ञानिक निकाय है। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है।
- IPBES, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के संदर्भ में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के जलवायु में होने वाले परिवर्तन संबंधी अनुमान लगाने तथा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
- वर्ष 2012 में गठित IPBES द्वारा पेश की गई यह पहली वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है।
- यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार विश्व के 40% पौधों एवं जीवों की प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं।

- भारत में वर्ष 2017 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन नियम) 2017 (Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017) नामक एक नया वैधानिक ढाँचा (Legal Framework) लाया गया है।

## फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल

फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल (Flame-Throated Bulbul) जिसे रूबिगुला (Rubigula) भी कहा जाता है, को 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में चुना गया है।

- गौरतलब है कि 36वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2020 में 20 अक्तूबर से 4 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा।

### फ्लेम-थ्रोटेड बुलबुल:

- यह गोवा का राजकीय पक्षी है। यह प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, पूर्वी केरल और उत्तरी तमिलनाडु में पाई जाती है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में 'संकट बहुत कम' (Least Concern) श्रेणी में रखा गया है।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची- IV में रखा गया है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूचियाँ

- अनुसूची I के अंतर्गत शामिल प्रजातियों को सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनका शिकार करने वालों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत कड़ी सजा दिये जाने का प्रावधान है।
- अनुसूची II, III एवं IV में शामिल जंगली जानवरों से होने वाले मानव एवं संपत्ति के नुकसान को देखते हुए अधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट क्षेत्र में जंगली जानवर के शिकार की अनुमति दे सकता है।
- अनुसूची V के तहत रहने वाली प्रजातियों को हिंसक की श्रेणी में शामिल किया गया है जिसके तहत कौआ और फ्रूट बैट आते हैं।

## बांदीपुर टाइगर रिज़र्व

हाल ही में भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार और रजनीकांत ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिज़र्व (Bandipur Tiger Reserve) में एक डिस्कवरी चैनल कार्यक्रम 'इन टू द वाइल्ड विद बीयर ग्रिल्स (Into the Wild with Bear Grylls)' को फिल्माया है।

### बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान:

- यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर-1973 (Project Tiger-1973) के तहत वर्ष 1974 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था।
- बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी से घिरा हुआ है। नुगु नदी पार्क से होकर बहती है।
- यह निकटवर्ती नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलकर यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है जो इसे दक्षिण भारत में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान है।
- बांदीपुर टाइगर रिज़र्व देश के सबसे धनी जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है जो '5 बी पश्चिमी घाट पर्वत जीव विज्ञान क्षेत्र (5 B Western Ghats Mountains Biogeography Zone)' का प्रतिनिधित्व करता है।
    - पेंच टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) के बाद भारत में इस स्थान पर बाघों की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-766 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रि के समय यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

## 34वाँ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 फरवरी, 2020 को हरियाणा के सूरजकुंड में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले (34th Surajkund International Crafts Mela) का उद्घाटन किया।

### मुख्य बिंदु:

- प्रत्येक वर्ष 1 से 15 फरवरी तक हरियाणा के सूरजकुंड में भारत का एक पारंपरिक शिल्प उत्सव आयोजित किया जाता है। यह शिल्प मेला वर्ष 1987 में शुरू किया गया था।
- देश के सभी हिस्सों के पारंपरिक शिल्पकार (कलाकार, चित्रकार, बुनकर और मूर्तिकार) इस वार्षिक उत्सव में भाग लेते हैं जिसे 'सूरजकुंड शिल्प मेला' या 'सूरजकुंड डिज़ाइनरों का गाँव' नाम दिया गया है।
- सूरजकुंड मेला साधारण कारीगरों को उनके कौशल के लिये वास्तविक पहचान और मूल्य प्रदान करता है। यह उन्हें अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित करने और बेचने का एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान करता है।
- सूरजकुंड मेले ने भारत की विभिन्न उल्लेखनीय शिल्प परंपराओं को संरक्षित किया है। कई कारीगरों और बुनकरों के लिये यह मेला उनकी वार्षिक आय का प्रमुख स्रोत है।

## मुक्ति कारवाँ

हाल ही में राजस्थान सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिये मुक्ति कारवाँ (Mukti Caravan) अभियान को हरी झंडी दिखाई।

### उद्देश्य:

- इस अभियान का उद्देश्य बाल तस्करी, ज़बरन श्रम एवं बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से निपटने के लिये निवारक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों में जागरूकता का प्रसार करना है।

### क्षेत्र:

- यह कारवाँ अगले दो महीने तक राजस्थान के आठ ज़िलों की यात्रा करेगा। इनमें जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बाँसवाड़ा ज़िले शामिल हैं जो मानव तस्करी से ग्रस्त हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में राजस्थान को मानव तस्करी के मामले में छठे स्थान पर रखा गया है।

### कारवाँ में शामिल गतिविधियाँ:

- इस कारवाँ में भाग लेने वाले प्रतिभागी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और उन्हें मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक करने के लिये चर्चाएँ, मेले, कविता पाठ और लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन करेंगे।

कारवाँ का नेतृत्त्व:

- इस अभियान का नेतृत्त्व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन (KSCF) और राजस्थान पुलिस द्वारा किया जा रहा है।
  - KSCF के कार्यकर्त्ता पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर लोगों को बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से निपटने के साथ-साथ बाल अपराध के लिये कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जागरूक करेंगे।
- बचपन बचाओ आंदोलन के अनुसार, पुलिस प्रशासन और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के साथ साझेदारी से राजस्थान को बाल-सुलभ राज्य बनाने में मदद मिलेगी।

हालाँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत भारत में मानव तस्करी प्रतिबंधित है।

नोट :

## बूढ़ी दिहिंग नदी

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) की भूमिगत तेल पाइपलाइन से रिसाव होने के कारण असम के डिब्रूगढ़ ज़िले में नाहरकटिया के पास बूढ़ी दिहिंग नदी (Burhi Dihing River) में आग लग गई।

### बूढ़ी दिहिंग नदी के बारे में-

- बूढ़ी दिहिंग नदी, पूर्वोत्तर भारत के ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसे दिहिंग नदी भी कहा जाता है।
- उद्गम: यह नदी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय (पटकाई पहाड़ियों) से निकलती है और असम में तिनसुकिया एवं डिब्रूगढ़ ज़िलों से होकर बहती है। इसकी लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है।
- बूढ़ी दिहिंग नदी द्वारा निर्मित आकृति: यह नदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई जगहों पर गोखुर (Oxbow) झीलों का निर्माण करती है।
- अपवाह क्षेत्र में अद्वितीय परिदृश्य: इसके अपवाह क्षेत्र में जेपोर-दिहिंग वर्षावन (Jeypore-Dihing Rainforest), पेट्रोलियम क्षेत्र, धान के खेत, बाँस और चाय के बागान जैसे कई अद्वितीय परिदृश्य हैं।
- बूढ़ी दिहिंग नदी घाटी में शहरीकरण: इसकी घाटी में कई छोटे शहर जैसे- लेडो, मार्घेरिटा, डिगबोई, दुलियाजन और नाहरकटिया हैं।
- इसके मैदानी इलाकों में बेटेल नट (सुपारी) का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है।
  - सुपारी, अरेका कटेचु (Areca Catechu) नामक पौधे के फल का बीज है जो दक्षिणी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के अनेक भागों पाई जाती है।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय तेल कंपनी है जो कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के साथ-साथ कच्चे तेल के परिवहन एवं एलपीजी के उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है।
  - हाल ही में क्रिसिल-इंडिया टुडे के एक सर्वेक्षण में ऑयल इंडिया लिमिटेड को देश के पाँच सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों में तथा तीन सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में से एक के रूप में चुना गया था।

## क्लासिकल स्वाइन फीवर

आईसीएआर और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (Indian Veterinary Research Institute) ने क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन (IVRI-CSF-BS) विकसित की।

- गौरतलब है कि क्लासिकल स्वाइन फीवर एक संक्रामक बुखार है जो सुअरों के लिये जानलेवा साबित होता है, इसके कारण देश में सुअरों की संख्या में कमी आ रही है।

### मुख्य बिंदु:

- क्लासिकल स्वाइन फीवर की वजह से देश को लगभग 4.299 बिलियन रुपए का वार्षिक नुकसान होता है।
- भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिये वर्ष 1964 से एक लैपिनाइज़्ड क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है।
- इस वैक्सीन का निर्माण बड़ी संख्या में खरगोशों को मार कर किया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पहले सेल कल्चर लैपिनाइज़्ड वैक्सीन वायरस को अपनाकर एक क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन विकसित की थी। इसमें खरगोशों को मारना नहीं पड़ता था।
- नई वैक्सीन सुरक्षित एवं प्रभावशाली है, यह संक्रामक बुखार को दोबारा वापस आने से रोकती है।
- नई वैक्सीन भारत सरकार की 'एक स्वास्थ्य पहल' (One Health Initiative) का हिस्सा है।

## परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) ने परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (Sophisticated Analytical & Technical Help Institutes-SATHI) नामक एक योजना शुरू की।

### उद्देश्य

इसका उद्देश्य शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिये एक ही छत के नीचे उच्च दक्षता से युक्त तकनीकी सुविधाएँ मुहैया कराना है। जिससे शिक्षा, स्टार्ट-अप, विनिर्माण, उद्योग और आरएंडडी लैब आदि की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकें।

- इन केंद्रों में उच्च विश्लेषणात्मक परीक्षण द्वारा सामान्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरणों को विकसित किया जाएगा जिससे विदेशी उपकरणों पर निर्भरता में कमी आएगी।
    - इनका संचालन ओपन एक्सेस पॉलिसी के तहत पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले ही देश में तीन ऐसे केंद्र स्थापित किये हैं जो IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित हैं।

### SATHI के कार्य:

- यह संस्थानों उपकरणों का रखरखाव, अतिरेक एवं महँगे उपकरणों के दोहराव की समस्याओं का समाधान करेगा।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में विकास, नवाचार और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिये संस्थानों के बीच सहयोग की एक मज़बूत संस्कृति विकसित करेगा।

## उझ बहुउद्देशीय परियोजना

सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत भारत ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उझ बहुउद्देशीय परियोजना (Ujh Multipurpose Project) की समीक्षा की।

### मुख्य बिंदु:

- 5850 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से उझ नदी पर 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडारण किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने में होगा।
- स्थिति: इस परियोजना का निर्माण जम्मू और कश्मीर के कठुआ ज़िले में उझ नदी पर करने की योजना है।
    - गौरतलब है कि उझ नदी, रावी की सहायक नदी है।
- इस परियोजना को तकनीकी मंज़ूरी जुलाई 2017 में ही दी जा चुकी है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसका वित्तपोषित केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- इस परियोजना से उझ नदी पर 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडारण किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन में होगा।
- इस जल से जम्मू-कश्मीर के कठुआ, हीरानगर और सांभा ज़िलों में 31 हज़ार 380 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और वहाँ के लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति हो सकेगी।

## संतुष्ट पोर्टल

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने ज़मीनी स्तर पर श्रम कानूनों के कियान्वयन की निगरानी के लिये संतोष पोर्टल (Santusht Portal) शुरू किया है।

### उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी वितरण तथा नीतियों का क्रियान्वयन, निरंतर निगरानी के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर श्रम और रोज़गार मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ावा देना।

### भारत सरकार का उद्देश्य:

- भारत सरकार का उद्देश्य मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी परिस्थितियों पर सभी चार कोडों को लागू करना है। इससे व्यापार में सुगमता के साथ ही श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी।

गौरतलब है कि जन शिकायतों के लिये केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System- CPGRAMS) पोर्टल पहले से ही काम कर रहा है।

## विक्रम साराभाई शताब्दी कार्यक्रम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) और परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy- DAE) द्वारा डॉ. विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन किये जा रहे हैं।

### मुख्य बिंदु:

- यह उत्सव 12 अगस्त, 2019 को अहमदाबाद में शुरू हुआ था, जहाँ 12 अगस्त, 1919 को साराभाई का जन्म हुआ था।
- डॉ. विक्रम साराभाई ने गुजरात के अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (Physical Research Laboratory- PRL) की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। इस प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी।
- इस समारोह का समापन 12 अगस्त, 2020 को केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा जहाँ उन्होंने भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया था।
- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाले पत्रकारों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करने के लिये 'विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार' की घोषणा की है।

## रथ सप्तमी

आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम ज़िले के अरसाविल्ली (Arasavilli) में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में रथ सप्तमी (Ratha Saptami) के अवसर पर सूर्यनारायण स्वामी की पूजा की जाती है।

### मुख्य बिंदु:

- रथ सप्तमी दो शब्दों (रथ और सप्तमी) से बना है- रथ का अर्थ एक प्रकार की गाड़ी और सप्तमी का अर्थ 7वें से है।
- प्रतीकात्मक रूप से यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है, इसमें सात घोड़ों वाले रथ को उत्तर-पूर्व दिशा में उत्तरी गोलार्द्ध की ओर ले जाते हैं। ये सात घोड़े इंद्रधनुष के सात रंगों या सप्ताह के सात दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - रथ में 12 पहिये होते हैं जो राशि चक्र (360 डिग्री) के 12 चिंहों (प्रत्येक 30 डिग्री) का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक पूरे वर्ष का गठन करते हैं जिसे संवत्सर (Samvatsara) कहा जाता है।

### रथ सप्तमी क्या है?

- रथ सप्तमी जिसे माघ सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में 7वें दिन आता है।
- माघ महीने का 7वाँ दिन भी सूर्य के जन्म का प्रतीक है, इसलिये इसे सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।
- रथ सप्तमी को सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी के दो दिन बाद मनाया जाता है जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है।

## अमराबाद टाइगर रिज़र्व

हाल ही में तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिज़र्व (Amrabad Tiger Reserve) में आग लग गई।

### अमराबाद टाइगर रिज़र्व के बारे में

- क्षेत्रफल: 2,800 वर्ग किलोमीटर
- भौगोलिक स्थिति: यह नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है।
- क्षेत्रीय स्थिति: तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा ज़िलों में स्थित।
- यह नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।
- अमराबाद टाइगर रिज़र्व पहले नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व का हिस्सा था, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व के उत्तरी भाग को तेलंगाना राज्य में अमराबाद टाइगर रिज़र्व के नाम से सम्मिलित कर दिया गया।
  - दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश के साथ नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व के रुप में अभी भी स्थापित है।
  - नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व और अमराबाद टाइगर रिज़र्व में भारत के सबसे बड़े संरक्षित सूखे वन (Dry Forest) पाए जाते हैं।
- यहाँ लगभग 23 बाघ हैं, जबकि अन्य स्तनधारियों में तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, जंगली कुत्ता, सियार, चित्तीदार हिरन, सांभर आदि भी पाये जाते हैं।

## डेफएक्सपो 2020

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा विकसित सामरिक एवं टैक्टिकल हथियार प्रणाली, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी की एक विस्तृत श्रृंखला का डेफएक्सपो 2020 (DefExpo 2020) में प्रदर्शन होगा।

### डेफएक्सपो 2020 के बारे में

- इसका 11वाँ द्विवार्षिक संस्करण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 से 8 फरवरी, 2020 तक चलेगा।
- यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है।
- थीम: इसकी थीम 'इंडिया: द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब' (India: The Emerging Defence Manufacturing Hub) है।
- इस एक्सपो में मुख्य फोकस 'रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन' (Digital Transformation of Defence) पर किया जाएगा।
- इसके पिछले दो संस्करण चेन्नई और गोवा में आयोजित किये गए थे।

### डेफएक्सपो 2020 का महत्त्व:

- यह एक्सपो प्रमुख विदेशी 'मूल उपकरण निर्माताओं' (Original Equipment Manufacturers) को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ सहयोग करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।

## श्री बृहदेश्वर मंदिर

तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में हज़ारों लोग श्री बृहदेश्वर मंदिर (Sri Brihadeeswarar Temple) में कुम्भाभिषेगम (जलाभिषेक) समारोह के गवाह बने।

- गौरतलब है कि यह समारोह 23 वर्षों बाद आयोजित किया गया है क्यों कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने एक पुराने मामले (जो तमिलनाडु राज्य में संस्कृत भाषा और तमिल परंपराओं के बीच वर्चस्व को लेकर था) में 31 जनवरी को निर्णय दिया था।

### श्री बृहदेश्वर मंदिर:

- श्री बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित कई प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसे पेरुवुदैयार कोयिल (Peruvudaiyar Koyil) के नाम से भी जाता है।

नोट :

- यह विश्व के सबसे बड़े एवं भव्य मंदिरों में से एक है, इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजाराज प्रथम द्वारा 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य कराया गया था। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर नाम भी दिया गया है।
- यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और इसमें अधिकांशत: बड़े शिला-खण्डों का इस्तेमाल किया गया है।
- इस मंदिर की निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती।
- इसके शिखर पर एक स्वर्णकलश स्थित है और जिस पत्थर पर यह कलश स्थित है, उसका वज़न अनुमानत: 80 टन है।
- इस मंदिर की उत्कृष्टता के कारण ही यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। वर्ष 2010 में श्री बृहदेश्वर मंदिर का 1000वाँ स्थापना वर्ष मनाया गया था।

### कुम्भाभिषेगम समारोह:

- इस समारोह में पवित्र जल को यज्ञ सलाई (Yaga Salai) से लाकर स्वर्ण कलश में डाला जाता है, जो पवित्र गर्भगृह के 216 फुट ऊपर विमानम में है। मंदिर की अन्य मूर्तियों का भी पवित्र जल से जलाभिषेक किया जाता है।
  - यज्ञ सलाई (Yaga Salai) श्री बृहदेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक जलकुंड है।
- अंतिम बार वर्ष 1997 में कुम्भाभिषेगम समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें आग की घटना के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी।

विवाद:

- कुम्भाभिषेगम समारोह में श्लोकों का उच्चारण किस भाषा में किया जाना चाहिये?
  - थंजै पेरिया कोइल उरीमाई मीतपु कुझु (Thanjai Periya Koil Urimai Meetpu Kuzhu) नामक संगठन जिसका उद्देश्य श्री बृहदेश्वर मंदिर में तमिल परंपराओं को बहाल करना है, ने मांग की थी कि कुम्भाभिषेगम समारोह केवल तमिल भाषा में आयोजित किया जाए।
- इस विवाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के हलफनामे पर सहमति जताई जिसमें कहा गया है कि समारोह संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में होना चाहिये।

## वधावन बंदरगाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानु (Dahanu) के पास वधावन बंदरगाह (Vadhavan Port) स्थापित करने के लिये सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।

### मुख्य बिंदु:

- वधावन बंदरगाह को 'लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल' (LandLord Port Model) के तहत विकसित किया जाएगा।
  - लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय तथा ज़मीन के मुखिया के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियाँ बंदरगाह के संचालन (मुख्य रूप से कार्गो-हैंडलिंग गतिविधियाँ) का काम करती हैं।
- इस पोर्ट के विकास के लिये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के साथ एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा जो परियोजना में 50% या उससे अधिक के बराबर इक्विटी भागीदार होगा।
- स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV), बंदरगाह अवसंरचना का विकास करेगा बाकी सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ निजी डेवलपर्स द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत की जाएंगी।

### जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT)

- नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पूर्व में न्हावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 26 मई, 1989 को हुई थी।
- महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत में सबसे बड़ा तथा विश्व का 28वाँ सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जिसमें 5.1 मिलियन टीईयू (Twenty-Foot Equivalent Units-TEUs) ट्रैफिक वहन करने की क्षमता है।

- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के चौथे टर्मिनल के पूरा होने के बाद तथा वर्ष 2023 तक 10 मिलियन टीईयू तक की क्षमता में वृद्धि के साथ यह विश्व में 17वाँ सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन जाएगा।
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का विस्तार: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश को विश्व से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है।
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंद्रा, भारत के दो सबसे बड़े कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट (केवल मध्य आकार के कंटेनर जहाज़ों के लिये) हैं जिनकी गहराई क्रमश: 15 मीटर और 16 मीटर है, जबकि विश्व के सबसे बड़े कंटेनर में आधुनिक डीप पोर्ट का संचालन करने के लिये 18-20 मीटर की गहराई की आवश्यकता होती है।
- गौरतलब है कि मुख्य (Major) पोर्टस का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

### लाभ:

- वधावन बंदरगाह के विकास के चलते 16000-25000 टीईयू क्षमता के कंटेनर जहाज़ों का परिचालन आसान हो जाएगा जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी।
- वाधवन बंदरगाह के विकास के साथ भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों में शामिल हो जाएगा।
- लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, मेक इन इंडिया पहल को निर्यातोन्मुखी बनाने तथा भारत में सोर्सिंग के निर्माण से संबंधित योजनाओं के बाद कंटेनर ट्रैफिक की मांग में और तेजी आएगी।

## इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो

इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो (India International Seafood Show-IISS) के 22वें संस्करण का आयोजन कोच्चि (केरल) में किया जा रहा है।

### मुख्य बिंदु:

- इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो- 2020 का आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority- MPEDA) द्वारा किया जा रहा है जो समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (Seafood Exporters Association of India- SEAI) के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अंतर्गत आता है।
- थीम: इस वर्ष के सीफूड शो की थीम 'नीली क्रांति- मूल्यवर्द्धन से परे उत्पादन' (Blue Revolution- Beyond Production to Value Addition) है।
- यह भारतीय निर्यातकों और भारतीय समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के मध्य सहभागिता के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- यह द्विवार्षिक शो है, इस बार कोच्चि में इसका आयोजन 12 वर्षों बाद किया जा रहा है, इसका 21वाँ संस्करण जनवरी 2018 में गोवा में आयोजित किया गया था।
- इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े सीफूड शो में से एक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य देशों के प्रमुख बाज़ारों के समुद्री उत्पाद के व्यापारियों को आकर्षित करता है।

समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (Seafood Exporters Association of India- SEAI)

- इसकी स्थापना वर्ष 1973 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ एक्ट, 1956 के तहत पंजीकृत संगठन के रूप की गई थी।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य उद्योग के हितों की रक्षा करना एवं उनको बढ़ावा देना तथा भारत के समुद्री खाद्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित करना है।

नोट :

### भारत द्वारा समुद्री उत्पादों का निर्यातः

- वर्ष 2018-19 के दौरान भारत ने 14,37,000 टन से अधिक समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जो अंतिम आँकड़ों के अनुसार 6.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
- लक्ष्यः बहु-आयामी रणनीति के तहत समुद्री उत्पादों के निर्यात से अगले पाँच वर्षों में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

## औद्योगिक पार्क

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) द्वारा भारत में स्थापित कुल औद्योगिक पार्कों की संख्या के बारे में जानकारी साझा की गई है।

### मुख्य बिंदुः

- वर्ष 2014 के बाद देश में बनाए गए औद्योगिक पार्कों की संख्या राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है।
- हालाँकि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा औद्योगिक पार्कों की सूचना से संबंधित एक केंद्रीकृत सिस्टम विकसित किया गया है जो औद्योगिक सूचना प्रणाली (Industrial Information System- IIS) पर उपलब्ध है और इस विवरण को संबंधित राज्यों द्वारा नियमित अंतराल पर अपडेट किया जाता है।
- संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और विनिर्माण क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिये DIPP ने मई 2017 में औद्योगिक सूचना प्रणाली (Industrial Information System- IIS) लॉन्च की थी, जो देश भर में फैले औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टरों के लिये GIS आधारित डेटाबेस है।
    - यह पोर्टल कच्चे माल यथा- कृषि, बागवानी, खनिजों एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केंद्रों से दूरी, भू-भाग की परतों और शहरी बुनियादी अवसंरचना सहित समस्त औद्योगिक सूचनाओं की निःशुल्क एवं आसान पहुँच प्रदान करने वाला एकल स्थल केंद्र है।

### औद्योगिक पार्क योजना-2002

- यह योजना ऐसे किसी भी उपक्रम पर लागू होती है जिसने 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2006 की अवधि तक औद्योगिक पार्क का विकास, संचालन तथा रखरखाव किया।
    - कुछ अन्य मामलों में जहाँ एक उपक्रम 1 अप्रैल, 1999 को या उसके बाद एक औद्योगिक पार्क विकसित करता है और ऐसे औद्योगिक पार्क के संचालन एवं रखरखाव को किसी अन्य उपक्रम को स्थानांतरित कर देता है, इस तरह के स्थानांतरित उपक्रम को लगातार दस वर्षों तक शेष अवधि के लिये लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी जबकि ऑपरेशन और रखरखाव का काम स्थानांतरित उपक्रम को नहीं दिया गया था।
- भारत में कुछ प्रमुख औद्योगिक पार्कः महाराष्ट्र (447), कर्नाटक (370), राजस्थान (364), गुजरात (351), उत्तर प्रदेश (342), आंध्र प्रदेश (330)

## एंगुइला

एंगुइला (Anguilla), कैरेबियन सागर में एक द्वीप है जिसने दो नवीन प्रौद्योगिकियों (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैनिटी यूआरएल) के माध्यम से वित्तीय लाभ कमाया है।

### मुख्य बिंदुः

- 'AI' एंगुइला का 'कंट्री कोड' है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का एक संक्षिप्त रूप भी है।

नोट :

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंगुइला को वित्तीय लाभ: जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप या कोई बड़ी कंपनी या कोई निवेशक द्वारा इंटरनेट एड्रेस जो कि '.ai' के साथ समाप्त होता है, पंजीकृत या नवीनीकृत करवाया जाता है तो इस द्वीप को वार्षिक रूप से 50 डॉलर का शुल्क उन स्टार्टअप्स, कंपनियों या निवेशकों से मिलता है जो ज़्यादातर एंगुइला के सरकारी राजकोष में जमा होता है।
  - वैनिटी यूआरएल (Uniform Resource Locator- URL) एक अनूठा वेब एड्रेस है जिसका उपयोग मार्केटिंग उद्देश्यों को पूरा करने के लिये किया जाता है। वैनिटी यूआरएल एक प्रकार का कस्टम यूआरएल है जो उपयोगकर्त्ताओं को किसी एक वेबसाइट के विशिष्ट पृष्ठ को याद रखने और खोजने में मदद करता है।

### एंगुइला के बारे में

- यह पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक ब्रिटिश समुद्रपारीय द्वीप है अर्थात इस पर ब्रिटेन का अधिकार है।
  - कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का एक भाग है जो मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में है।
- इसका निर्माण मूँगा एवं चूना पत्थर से हुआ है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है।
- अन्य द्वीप: इस क्षेत्र में कई छोटे निर्जन अपतटीय द्वीप हैं जिनमें से कुछ बड़े द्वीप डॉग (Dog), स्क्रब (Scrub) और सोम्ब्रेरो (Sombrero) और प्रिकली पीयर काय्स (Prickly Pear Cays) हैं।
- जनसंख्या: एंगुइला की अधिकांश आबादी अफ्रीकी मूल की है जिनमें अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं।
- अर्थव्यवस्था: यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन और वित्तीय सेवाओं पर आधारित है, जबकि कृषि का महत्त्व बहुत कम है।

## मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व

हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व (Mudumalai Tiger Reserve) में बंदी हाथियों के लिये कायाकल्प शिविर का शुभारंभ किया गया।

### मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व के बारे में

- अवस्थिति: मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरि ज़िले में तीन राज्यों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) के त्रि-जंक्शन पर स्थित है।
- इसका क्षेत्रफल 321 वर्ग किमी. है। यह वर्ष 1986 में घोषित भारत के पहले बायोस्फीयर रिज़र्व (नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व) का हिस्सा है।
- सीमा विस्तार: इसकी सीमा पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल), उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिज़र्व (कर्नाटक) और दक्षिण-पूर्व में नीलगिरि उत्तर प्रभाग और दक्षिण-पश्चिम में गुडालुर (Gudalur) वन प्रभाग से मिलकर टाइगर और एशियाई हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिये एक बड़े संरक्षण परिदृश्य का निर्माण करती है।
- मोयार (Moyar) नदी मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व से होकर बहती है और मुदुमलाई तथा बांदीपुर अभयारण्य के बीच प्राकृतिक विभाजन रेखा का निर्माण करती है।
- टाइगर रिज़र्व की घोषणा: तमिलनाडु राज्य सरकार ने अप्रैल 2007 में मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व में बाघों की घटती आबादी के कारण इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम- 1972 के तहत टाइगर रिज़र्व घोषित किया था।
- वनस्पति: मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व में लंबी घास पाई जाती है, जिसे आमतौर पर 'एलीफेंट ग्रास' कहा जाता है। यहाँ बाँस, सागौन, रोज़वुड जैसी मूल्यवान वृक्षों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।
- जीव-जंतु: इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं में बाघ, हाथी, इंडियन गौर, पैंथर, बार्किंग डियर, मालाबार विशालकाय गिलहरी और हाइना आदि हैं।

## नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जानकारी दी है कि नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme- NMMSS) से सीनियर एवं सीनियर सेकेंड्री कक्षाओं में ड्रॉप-आउट दर को कम करने में मदद मिली है।

### मुख्य बिंदु:

- यह स्कीम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) के अंतर्गत मई 2008 में लागू की गई थी।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- स्कॉलरशिप से संबंधित प्रावधान: इस योजना के तहत राजकीय विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय वाले स्कूलों में अध्ययन कर रहे कक्षा नौ के चयनित छात्रों को दसवीं से बारहवीं कक्षा तक पढाई जारी रखने के लिये एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ (12000 रुपए प्रति छात्र प्रतिवर्ष) प्रदान की जाती है।
    - इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये छात्रों का चयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

### योजना का मूल्यांकन:

- इस योजना के तहत देश भर के लगभग 16.93 लाख छात्रों को अब तक छात्रवृत्तियाँ दी जा चुकी हैं।
- सभी संस्थानों के प्रमुखों ने बताया है कि NMMS योजना ने सीनियर एवं सीनियर सेकेंड्री कक्षाओं में ड्रॉप-आउट दर को कम कर दिया है।

## लखनऊ घोषणा

06 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रथम भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 (1st India-Africa Defence Ministers Conclave- IADMC 2020) में लखनऊ घोषणा (Lucknow Declaration) को अपनाया गया।

### मुख्य बिंदु:

- यह कॉन्क्लेव लखनऊ में आयोजित डेफएक्सपो-2020 (DefExpo-2020) का ही एक भाग था।
- इस कॉन्क्लेव में पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के पारंपरिक भागीदारों के अलावा पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों ने भी अपने अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण सहित संयुक्त रक्षा अभ्यास और भारत के साथ रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने की मांग की।
- दोनों देशों के नेताओं ने भारत और अफ्रीकी देशों के लिये शांति और सुरक्षा के महत्त्व को पहचाना जिसके तहत 'साइलेंस द गन्स: अफ्रीकी विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण' (Silence the Guns: Creating Conducive Conditions for African Development) नामक थीम को अफ्रीकी संघ के 'थीम आफ द ईयर' के रूप में शामिल किया गया।
- दोनों देशों के नेताओं ने अफ्रीका में शांति एवं सुरक्षा के लिये अफ्रीकी संघ के विज़न का स्वागत किया जो भारत के 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास- Security and Growth for all in the Region) के विज़न से मेल खाता है।
- इस अवसर पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने निवेश, रक्षा उपकरण सॉफ्टवेयर में संयुक्त उद्यम, डिजिटल रक्षा क्षेत्र, पारस्परिक रूप से लाभप्रद शर्तों पर अनुसंधान एवं विकास सहित रक्षा क्षेत्र के उद्योगों में गहन सहयोग का आह्वान किया।
- भारत-अफ्रीकी विकास साझेदारी: भारत ने अपनी मज़बूत भारत-अफ्रीकी विकास साझेदारी (India-Africa Development Partnership) के माध्यम से अफ्रीकी देशों को रक्षा उपकरण, अनुदान और लाइन आफ क्रेडिट उपलब्ध कराए हैं।

## शारंग

ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (Ordnance Factory Board) ने भारतीय सेना को पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन शारंग (155एमएम/45 कैलिबर) सौंपी।

नोट :

### मुख्य बिंदु:

- 130 एमएम वाली एम-46 आर्टिलरी गन को अपग्रेड करके 155 एमएम तक किया गया।
- अपग्रेड होने के बाद इस आर्टिलरी गन की रेंज 27 किलोमीटर से बढ़कर 36 किलोमीटर हो गई।
- अनुबंध के तौर पर ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड अगले चार वर्षों में 130 एमएम वाली 300 आर्टिलरी गनों को 155 एमएम तक अपग्रेड करेगा।
- गौरतलब है कि भारत ने 130 एमएम आर्टिलरी गन को रूस से आयात किया था। इस आर्टिलरी गन में 130 एमएम बैरल लगी थी। इस आर्टिलरी गन की मारक क्षमता 27 किलोमीटर थी।

## काकीनाडा पोर्ट

काकीनाडा पोर्ट (Kakinada Port) भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थित है।

### मुख्य बिंदु:

- काकीनाडा पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट के दक्षिण में 170 किमी. की दूरी पर स्थित है।
- काकीनाडा पोर्ट पूर्व और पश्चिम गोदावरी ज़िलों, कृष्णा, गुंटूर और पूरे तेलंगाना क्षेत्र को सुविधा प्रदान करता है।
- इस क्षेत्र से आयात-निर्यात किये जाने वाले उत्पादों में कृषि उत्पाद, खनिज, कोयला और उर्वरक शामिल हैं।
- यह नवंबर 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था किंतु वर्ष 1999 में इसका निजीकरण कर दिया गया।

## भारत-बांग्लादेश रेल लिंक

पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाली रेल लाइन वर्ष 2021 तक बन कर तैयार होगी।

### मुख्य बिंदु:

- भारतीय क्षेत्र में 5.46 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाने की लागत का वहन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region) द्वारा जबकि बांग्लादेशी क्षेत्र में 10.6 किलोमीटर ट्रैक बिछाने की लागत विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) द्वारा वहन की जा रही है।
- त्रिपुरा राज्य के अगरतला और बांग्लादेश के अखौरा के बीच यह रेल लाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र से बांग्लादेश तक चलने वाली पहली ट्रेन का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- यह रेल लिंक बांग्लादेश के गंगासागर (Gangasagar) को भारत के निश्चिन्तपुर (Nischintapur) और वहाँ से अगरतला को जोड़ेगा।

## माउंट एकांकागुआ

12 साल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन (Kaamya Karthikeyan) माउंट एकांकागुआ (Mount Aconcagua) पर चढ़ने वाली विश्व में सबसे कम उम्र की लड़की बन गई।

### माउंट एकांकागुआ के बारे में

- यह दक्षिण अमेरिका की एंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी है। यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है।

### एंडीज़ पर्वतमाला:

- एंडीज़ पर्वतमाला एक नवीन मोड़दार तथा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला (7200 किमी.) है।
- इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के सात देशों (वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना) में है।
- माउंट एकांकागुआ की ऊँचाई 6962 मीटर है जबकि 8,850 मीटर की ऊँचाई के साथ माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है।
- यह एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत भी है तथा दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में स्थित है।

नोट :

## ग्रांड इथियोपियन रेनेसां डैम

अफ्रीकी देश इथियोपिया विश्व के सबसे बड़े बाँधों में से एक ग्रांड इथियोपियन रेनेसां डैम (Grand Ethiopian Renaissance Dam- GERD) का निर्माण कर रहा है जो सूडान सीमा के पास नील नदी पर है।

### मुख्य बिंदु:

- यह अफ्रीका की सबसे बड़ी बाँध परियोजना है और इसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
- इथियोपिया के तराई क्षेत्रों में नील नदी (अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली नदी) पर पनबिजली बाँध बनाया जा रहा है।
- संकट: नील नदी अत्यधिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मिस्र की बढ़ती आबादी के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही है।
    - मिस्र पृथ्वी पर सबसे शुष्क देशों में से एक है जिसकी 95% आबादी नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में निवास करती है।
    - यह देश अपनी जल आपूर्ति के लिये लगभग पूरी तरह से नील नदी पर निर्भर है और इस बाँध के निर्माण से मिस्र की जल आपूर्ति में 12-25% की कमी आएगी।

## सोलर ऑर्बिटर प्रोब

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) ने सूर्य के ध्रुवों के मापन के लिये एक नए सोलर ऑर्बिटर प्रोब (Solar Orbiter probe) को लॉन्च किया है।

### मुख्य बिंदु:

- सूर्य के ध्रुवों के संबंध में अध्ययन के लिये नासा और ESA ने 9 फरवरी, 2020 को सोलर ऑर्बिटर प्रोब मिशन लॉन्च किया।
- इसे फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस सेंटर (Cape Canaveral Space Center) से लॉन्च किया गया।

### मिशन का उद्देश्य:

- इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की सतह पर लगातार उड़ने वाले आवेशित कणों, सौर हवा, सूर्य के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है।

### सौर हवा (Solar Wind):

- सौर हवा आवेशित कणों का मिश्रण है जो हमारे सौरमंडल के माध्यम से ध्रुवों और बीम पर अत्यधिक केंद्रित है।
- यह पृथ्वी पर उपग्रहों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करती है।
- यह ऑर्बिटर सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजेगा।
- पृथ्वी और शुक्र से गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का उपयोग करके या सूर्य और पृथ्वी के बीच की 95% दूरी का उपयोग करके यह ऑर्बिटर सूर्य के ध्रुवों की जाँच करेगा।

## सरस

कोल इंडिया की प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने सरस (SARAS) नाम से एक केंद्र स्थापित किया है।

### सरस (SARAS) के बारे में

- सरस (SARAS) का पूर्ण रूप 'साइंस एंड एप्लाइड रिसर्च एलायंस एंड सपोर्ट' (Science and Applied Research Alliance and Support) है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य कंपनी की परिचालन दक्षता में सुधार करना तथा इष्टतम स्तर पर संसाधनों का उपयोग करने के साथ-साथ नवाचार, R&D एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

नोट :

- सरस खानों में कोयला उत्पादन, उत्पादकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिये नवाचार एवं अनुसंधान के एकीकरण में कंपनी को मदद करेगा।
- इसके अलावा सरस कंपनी के परिचालन क्षेत्र में एवं उसके आसपास स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास तथा रोज़गार पर ज़ोर देने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास हेतु तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा।

### नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL)

- भारत के कोयला उत्पादन में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) का योगदान 15% का है तथा देश के लगभग 10% तापीय विद्युत उत्पादन में भारत सरकार की यह मिनीरत्न कंपनी एक अहम भूमिका निभाती है।
- यह कंपनी प्रत्येक वर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती है तथा इसने चालू वित्त वर्ष में 107 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया है।

## रेम्डेसिविर

चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेम्डेसिविर (Remdesivir) पर पेटेंट के लिये आवेदन किया है, यह दवा नॉवेल कोरोनावायरस (nCoV-2019) के इलाज में मदद कर सकता है।

### मुख्य बिंदु:

- रेम्डेसिविर एक प्रायोगिक दवा है और वैश्विक स्तर पर कहीं भी इसका लाइसेंस या अनुमोदन नहीं किया गया है। अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि इसका उपयोग सुरक्षित या प्रभावी है या नहीं।
- इसे वर्तमान में इबोला वायरस से संक्रमण के उपचार के लिये विकसित किया जा रहा है।
- रेम्डेसिविर और क्लोरोक्वीन (Chloroquine) में हाल ही में उभरे नॉवेल कोरोनावायरस (nCoV-2019) को प्रभावी ढंग से रोकने की क्षमता है।
  - क्लोरोक्वीन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मलेरिया-रोधी और स्व-प्रतिरक्षित रोग की दवा है जो हाल ही में एक संभावित एंटीवायरल दवा के रूप में प्रकाश में आई है।

गौरतलब है कि अब तक नॉवेल कोरोनावायरस के लिये कोई ज्ञात उपचार नहीं है और इसके लिये एक उपयुक्त एंटीवायरल दवा की आवश्यकता होती है।

## गुरु रविदास जयंती

9 फरवरी, 2020 को देशभर में गुरु रविदास जयंती मनाई गई।

### मुख्य बिंदु:

- हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार, माघ महीने में पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है।
- गुरु रविदास 14वीं सदी के संत तथा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन (Bhakti Movement) से संबंधित प्रमुख सुधारकों में से एक थे।

### भक्ति आंदोलन:

- भक्ति आंदोलन का विकास तमिलनाडु में सातवीं एवं नौवीं शताब्दी के बीच हुआ।
- यह आंदोलन नयनार (शिव के उपासक) और अलवार (विष्णु के उपासक) संतों की भावनात्मक कविताओं से परिलक्षित हुआ। इन संतों ने धर्म को एक मात्र औपचारिक पूजा के रूप में नहीं बल्कि पूज्य और उपासक के बीच प्रेम पर आधारित एक प्रेम बंधन के रूप में स्वीकार किया।
- समय के साथ दक्षिण भारत में पनपे इन विचारों का उत्तर भारत में भी प्रसार हुआ।
- भक्ति विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिये स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया गया था। भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं में ही अपने छंदों की रचना की।

- भक्ति आंदोलन के दौरान धार्मिक विचारधारा के बारे में लोगों को समझाने के लिये संस्कृत में लिखे ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया जैसे- सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ने हिंदी में, ज्ञानदेव ने मराठी में, शंकरदेव ने असमिया में, चैतन्य और चंडीदास ने बंगाली में, मीराबाई ने हिंदी एवं राजस्थानी भाषा में।
- माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में एक मोची परिवार में हुआ था। एक ईश्वर के प्रति उनकी आस्था और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण उन्हें प्रमुखता मिली।
- उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिये समर्पित कर दिया और खुले तौर पर ब्राह्मणवादी समाज की धारणा को समाप्त किया।

उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर त्वरित प्रभाव डाला और उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' में शामिल किया गया।

## सुपरकैम

नासा (NASA) मार्स 2020 रोवर के लिये सात उपकरणों में एक नया लेज़र-टोटिंग रोबोट सुपरकैम (SuperCam) भेजेगा।

### मुख्य बिंदु:

- इस रोबोट का उपयोग खनिज विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिये किया जाता है।
- इस रोबोट द्वारा वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवाश्म खोजने में मदद मिलेगी जिससे माइक्रोबियल जीवन के संकेतों का पता लगाया जा सकता है।

नासा ने कुछ तथ्यों को सूचीबद्ध किया है:

- यह रोबोट चट्टान के छोटे हिस्सों को पिघलाने के लिये 7 मीटर की दूरी से एक स्पंदित लेज़र बीम भेज सकता है जिससे यह जानकारी मिलती है कि उस चट्टान में जीवाश्म हैं या नहीं।
- सुपरकैम उन चट्टानी संरचना एवं रसायनों का अध्ययन करेगा जो कई वर्षों पहले मंगल ग्रह पर जल में गठित या परिवर्तित हुए थे।
- सुपरकैम विभिन्न चट्टानों एवं मिट्टी के प्रकारों को खोजने में मदद करेगा जो मंगल ग्रह पर कई वर्षों पहले माइक्रोबियल जीवन के संकेतों को संरक्षित कर सकते हैं।
- आने वाले समय में खोजकर्त्ता इसकी सहायता से मंगल ग्रह की धूल में निहित हानिकारक तत्त्वों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- सुपरकैम में एक माइक्रोफोन भी शामिल है जिसकी सहायता से वैज्ञानिक हर बार लेज़र बीम के चट्टान से टकराने की ध्वनि सुन सकेंगे।
  - गौरतलब है कि लेज़र बीम के लक्ष्य से टकराने से निकलने वाला पॉपिंग साउंड चट्टान के भौतिक गुणों के आधार पर आसानी से परिवर्तित हो जाता है।

## अजेय वारियर-2020

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वारियर-2020 (AJEYA WARRIOR-2020) का पाँचवां संस्करण 13-26 फरवरी, 2020 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में आयोजित किया जाएगा।

**उद्देश्य: इसका उद्देश्य शहरी तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में विद्रोह तथा आतंकवादी क्रियाकलापों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु संयुक्त सामरिक स्तर पर अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ावा प्रदान करना है।**

### मुख्य बिंदु:

- यह अभ्यास दो साल में एक बार (बारी-बारी से एक बार भारत में तथा एक बार यूनाइटेड किंगडम में) आयोजित किया जाता है।
- इसमें सैन्य अभ्यास के दौरान आधुनिक हथियार प्रणाली, उपकरण एवं सिम्युलेटर प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है।

- इस अभ्यास के अंतर्गत दोनों देशों की सेनाओं द्वारा आपसी कौशल में वृद्धि करने तथा अनुभवों के आदान-प्रदान पर बल दिया जाता है।
- इस सैन्य अभ्यास द्वारा भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के बीच सकारात्मक सैन्य संबंधों को स्थापित करने तथा बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है।

## राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) ने 30 करोड़ बच्चों और किशोर-किशोरियों को लाभान्वित करने के लिये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day) का 10वाँ चरण आयोजित किया।

### मुख्य बिंदु:

- कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मनाया जाता है।
- इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, आँगनवाड़ियों, निजी स्कूलों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में 1-19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोर-किशोरियों को कृमि से बचाव हेतु सुरक्षित दवा अलबेंडेज़ौल (Albendazole) दी जाती है।
- उद्देश्य: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के संक्रमण से आंतों में उत्पन्न होने वाले परजीवी कृमि को खत्म करना है।
- राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस सभी स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य सरकारों और दूसरे हितधारकों को मिट्टी-संचारित कृमि संक्रमण के खात्मे के लिये प्रयास करने हेतु प्रेरित करता है।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) की वर्ष 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 22 करोड़ से अधिक बच्चों को मिट्टी-संचारित कृमि संक्रमण का खतरा है।
- कृमि मुक्ति अभियान वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। अब तक इसके नौ चरण पूरे हो चुके हैं, यह 10वाँ चरण है। इस वर्ष 19 राज्यों की 9.35 करोड़ आबादी तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) के सहयोग से कार्यान्वित राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस का मुख्य लक्ष्य एनीमिया मुक्त भारत का निर्माण करना है। इस मिशन की सफलता और प्रभाव स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप है।

## चिंदू यक्षगानम्

तेलंगाना (Telangana) में प्रचलित चिंदू यक्षगानम् (Chindu Yakshaganam) एक प्राचीन लोकनाट्य है।

### मुख्य बिंदु:

- यह प्राचीन कला दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुई। यह कर्नाटक के यक्षगान से मिलती- जुलती है।
- यह लोकनाट्य कला नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीकों को आपस में एक साथ संकलित करती है।
- तेलुगू भाषा में 'चिंदु' शब्द का अर्थ 'कूदना' है। यक्षगान को प्रस्तुत करने वाला प्रस्तुति के दौरान बीच-बीच में छलांग लगाता एवं कूदता है, इसी वजह से इसे चिंदू यक्षगानम् कहा जाता है।
    - माना जाता है कि 'चिंदू' शब्द यक्षगान कलाकारों की जाति चिंदू मडिगा (Chindu Madiga) से आया है, जो मडिगा (Madiga) अनुसूचित जाति की एक उप-जाति है।
- चिंदू यक्षगानम् को 'चिंदू भागवतम्' भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्णित अधिकांश कहानियाँ 'भागवतम्' (Bhagavatam) से संबंधित हैं।
    - भागवतम् का संबंध भागवत पुराण से है जो भगवान विष्णु के उपासकों के इतिहास पर आधारित है।

नोट :

## थ्वाइट्स ग्लेशियर

न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं ने अंटार्कटिका क्षेत्र में थ्वाइट्स ग्लेशियर (Thwaites Glacier) के नीचे गर्म जल का पता लगाया है जिसके कारण यह ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है।

### मुख्य बिंदु:

- इस ग्लेशियर का आकार लगभग ब्रिटेन के आकार के बराबर है, इस ग्लेशियर के सबसे विस्तृत स्थान की अधिकतम चौड़ाई 120 किलोमीटर है।
- इसका क्षेत्रफल 1.9 लाख वर्ग किमी. है, अपने विस्तृत आकार के कारण इसमें समुद्री जल स्तर को आधा मीटर से अधिक बढ़ाने की क्षमता है।
- अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 30 वर्षों में इसकी बर्फ पिघलने की दर लगभग दोगुनी हो गई है। प्रतिवर्ष बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर के बढ़ने में इसका 4% का योगदान है।
- शोधकर्त्ताओं ने अनुमान लगाया गया है कि यदि इसके पिघलने की दर इसी तरह रही तो यह 200-900 वर्षों में समुद्र में समा जाएगा।

### ग्राउंडिंग लाइन और ग्लेशियर के पिघलने का अध्ययन:

- शोधकर्त्ताओं ने थ्वाइट्स ग्लेशियर के 'ग्राउंडिंग ज़ोन' (Grounding Zone) या 'ग्राउंडिंग लाइन' (Grounding Line) पर हिमांक बिंदु से सिर्फ दो डिग्री ऊपर जल होने की सूचना दी।
    - अंटार्कटिक, आइस शीट की ग्राउंडिंग लाइन वह हिस्सा है जहाँ ग्लेशियर महाद्वीप सतह के साथ स्थायी न रह कर तैरते बर्फ शेल्फ बन जाते हैं। ग्राउंडिंग लाइन का स्थान ग्लेशियर के पीछे हटने की दर का एक संकेतक है।
    - जब ग्लेशियर पिघलते हैं और उनके भार में कमी आती है तो वे उसी स्थान पर तैरते हैं जहाँ वे स्थित थे। ऐसी स्थिति में ग्राउंडिंग लाइन अपनी यथास्थिति से पीछे हट जाती है। यह समुद्री जल में ग्लेशियर के अधिक नीचे होने की स्थिति को दर्शाता है जिससे संभावना बढ़ जाती है कि यह तेज़ी से पिघल जाएगा।
    - परिणामस्वरूप पता चलता है कि ग्लेशियर तेज़ी से बढ़ रहा है, बाहर की ओर खिंचाव हो के साथ पतला हो रहा है, अत: ग्राउंडिंग लाइन कभी भी पीछे हट सकती है।

### आइसफिन (Icefin):

- वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर की सतह के नीचे गर्म जल का पता लगाने के लिये आइसफिन नामक एक महासागर-संवेदी उपकरण का प्रयोग किया जिसे 600 मीटर गहरे और 35 सेंटीमीटर चौड़े छेद के माध्यम से बर्फ की सतह के नीचे प्रवेश कराया गया।

  थ्वाइट्स ग्लेशियर का महत्त्व:
- थ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका क्षेत्र के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्र में स्वतंत्र रूप से बहने वाली बर्फ की गति को धीमा कर देता है।

---

## थानाटोथेरिस्तेस

वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कनाडा के अल्बर्टा (Alberta) में वर्ष 2010 में पाया गया डायनासोर का एक जीवाश्म इसकी नई प्रजाति टायरानोसोर (Tyrannosaur) की है।

### मुख्य बिंदु:

- वैज्ञानिकों ने इसे थानाटोथेरिस्तेस (THANATOTHERISTES) अर्थात् 'रीपर ऑफ डेथ' नाम दिया है।
- टायरानोसोर बड़े मांसाहारी डायनासोरों में से एक थे जिनकी खोपड़ी बड़ी एवं ऊँची थी। इनमें प्रमुख रूप से टायरानोसोरस रेक्स (Tyrannosaurus Rex) प्रसिद्ध थे।

नोट :

- शोधकर्त्ताओं ने उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तर में टायरानोसोर का जीवाश्म पाया है जो 79 मिलियन वर्ष पुराना है। इसी जीवाश्म के आधार पर कनाडा के अल्बर्टा (Alberta) में वर्ष 2010 में पाए गए डायनासोर के जीवाश्म के बारे में पता लगाया गया।
- टायरानोसोर के जीवाश्म से क्रिटेशियस युग (Cretaceous Period) को समझने में आसानी होगी क्योंकि इसी काल में टायरानोसोरस पृथ्वी पर घूमते थे।
  - क्रेटेशियस एक भूवैज्ञानिक अवधि है जो लगभग 145-66 मिलियन वर्ष पहले तक थी। यह मेसोज़ोइक युग की तीसरी और अंतिम अवधि है।

## नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट

पंजाब के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (MGSIPA) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG) ने पंजाब में ई-गवर्नमेंट सेवाओं हेतु क्षमता निर्माण के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

### मुख्य बिंदु:

- NISG राज्य में डिजिटल परिवर्तन के बुनियादी ढाँचे में कंप्यूटर हार्डवेयर, विशेष कर्मियों एवं सिविल सेवकों तथा अन्य संगठनों के सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये सॉफ्टवेयर जैसी कंप्यूटर और इंटरनेट-आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग में प्रशिक्षण देगा।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG) के बारे में

- NISG को वर्ष 2002 में कंपनी अधिनियम 1956 (Companies Act 1956) की धारा 25 के तहत एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी के रूप में बनाया गया था। इसमें 51% हिस्सा निजी क्षेत्र का और 49% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र का है।
- NISG केंद्र एवं राज्य सरकारों को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर सेवा देने में मदद के लिये परामर्श प्रदान करता है।

### विज़न:

- ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में स्वयं को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- ई-गवर्नेंस को जन केंद्रित बनाना जिससे उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

### मिशन:

- सार्वजनिक और निजी संसाधनों के अनुप्रयोग को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सुविधाजनक बनाने के लिये-
  - रणनीतिक योजना बनाना।
  - परियोजना परामर्श देना।
  - क्षमता निर्माण।
  - अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना।
- गौरतलब है कि NISG ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम सरकार के साथ भी काम किया है।

## सिद्दी जनजाति

भारतीय संसद में लोकसभा ने ध्वनि-मत से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019) पारित कर दिया।

### मुख्य बिंदु:

- इस विधेयक में परिवारा (Parivara) और तलवारा (Talawara) समुदायों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने का प्रयास किया गया है ताकि उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त हों।
- बेलागवी (Belagavi) और धारवाड़ (Dharwad) की सिद्दी जनजातियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

### सिद्दी जनजाति के बारे में

- सिद्दी लोग इंडो-अफ्रीकी आदिवासी समुदाय से हैं। इन्हें हब्शी (Habshi) और बादशा (Badsha) जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है।
- सिद्दी लोग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में निवास करते हैं। ये मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में निवास करते हैं
- सिद्दी लोग ज़्यादातर रोमन कैथोलिक हैं किंतु कुछ लोग हिंदू और इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इनका पहनावा पारंपरिक हिंदू और मुस्लिम पहनावे का संयोजन है।
- भारत सरकार ने 8 जनवरी, 2003 को सिद्दी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में वर्गीकृत किया था। सिद्दी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) में से एक है।

## डार्क फाइबर

तीन प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (रिलायंस जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया) ने डार्क फाइबर (Dark Fibre) का उपयोग करने के लिये राज्य द्वारा संचालित भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) से संपर्क किया है। यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके पूंजीगत व्यय में कटौती करने में मदद करेगा।

### मुख्य बिंदु:

- BBNL की अप्रयुक्त अवसंरचना का उपयोग ग्रामीण भारत में इंटरनेट का विस्तार करने और 4G सेवाओं के साथ-साथ मोबाइल टेलीफोनी सेवाओं जैसी अन्य दीर्घकालिक विकास (Long-Term Evolution- LTE) योजनाओं के लिये किया जाएगा।

  डार्क फाइबर (Dark Fibre) के बारे में
- यह एक अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर है जिसे बिछाया जा चुका है किंतु वर्तमान में फाइबर-ऑप्टिक संचार में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। चूँकि फाइबर-ऑप्टिक केबल प्रकाश पुंज के रूप में सूचना प्रसारित करता है, जबकि डार्क केबल उसको संदर्भित करता है जिसके माध्यम से प्रकाश पुंजों को प्रेषित नहीं किया जा रहा है।
- अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होने पर लागत पुनरावृत्ति से बचने के लिये कंपनियाँ अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर बिछाती हैं।
- इसे अनलिट फाइबर (Unlit Fibre) के रूप में भी जाना जाता है।

### भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL)

- यह भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) है।
- यह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Communications and Information Technology) के अंतर्गत आता है।
- इसे भारत में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (National Optical Fiber Network- NOFN) बनाने के लिये गठित किया गया है और यह भारतनेट परियोजना (BharatNet Project) के लिये कार्यान्वयन एजेंसी है।

## मन कृष्णा

आंध्रप्रदेश सरकार ने 'क्लीन कृष्णा-गोदावरी कैनाल्स मिशन' और 'प्लास्टिक विरोधी अभियान' के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा (Mana Krishna) अभियान लॉन्च किया।

### मुख्य बिंदु:

- इस अभियान की शुरुआत आंध्रप्रदेश के रामावारप्पडू (Ramavarappadu) पंचायत से की गई।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य स्वच्छता को लेकर स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और नहरों की सफाई करना है।

नोट :

- लक्ष्य: आंध्रप्रदेश सरकार ने कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में कृष्णा, गुंटूर, पश्चिम गोदावरी तथा प्रकाशम ज़िलों की लगभग 7,000 किलोमीटर लंबाई की नदी एवं नहरों को प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है।
- क्लीन कृष्णा-गोदावरी कैनाल्स मिशन (Clean Krishna-Godavari Canals Mission) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। यह नहरों एवं नदियों को साफ रखने का एक सतत् मिशन है।

## मुक्तोश्री

पश्चिम बंगाल सरकार ने शोधकर्त्ताओं द्वारा खोजी गई चावल की नई किस्म मुक्तोश्री (Muktoshri) के व्यवसायीकरण की अनुमति दी गई, जो आर्सेनिक प्रतिरोधी (Arsenic-Resistant) है।

### मुख्य बिंदु:

- मुक्तोश्री को आईईटी 21845 (IET 21845) नाम से भी जाना जाता है। इसे पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले राइस रिसर्च स्टेशन, चिनसुराह और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- चावल की इस नई किस्म को वर्ष 2013 में विकसित किया गया था जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2019 में मुक्तोश्री के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी थी।

### महत्त्व:

- पश्चिम बंगाल भूजल में आर्सेनिक की उच्चतम सांद्रता वाले राज्यों में से एक है जिसके सात ज़िलों के 83 ब्लॉकों में आर्सेनिक का स्तर सामान्य सीमा से अधिक है।
- कई अध्ययनों से पता चला है कि भूजल और मिट्टी के द्वारा आर्सेनिक धान के माध्यम से खाद्य शृंखला में प्रवेश कर सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लंबे समय तक आर्सेनिक-युक्त जल के पीने एवं खाना पकाने में उपयोग करने से विषाक्तता हो सकती है। आर्सेनिक के कारण त्वचा क्षतिग्रस्त एवं त्वचा कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।

## यारावायरस

शोधकर्त्ताओं ने ब्राज़ील की एक झील में एक वायरस की खोज की है, जिसे उन्होंने यारावायरस (Yaravirus) नाम दिया है।

### मुख्य बिंदु:

- इस वायरस का नामकरण एक पज़लिंग ओरिजिन एंड फिलोजेनी (Puzzling Origin And Phylogeny) के साथ अमीबा वायरस का एक नई वंशावली के रुप में किया गया है।
- इसे यारावायरस नाम ब्राज़ील की देशज जनजाति टूपी-गुआरानी (Tupi-Guarani) की पौराणिक कहानियों में 'मदर आफ वाटर्स' (Mother Of Waters) जिसे 'यारा' (Yara) कहा जाता है, की याद में दिया गया है।
- यारावायरस के छोटे आकार के कारण यह अन्य वायरस से अलग है। यह अमीबा (Amoeba) को संक्रमित करता है और इसमें ऐसे जीन होते हैं जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- यारावायरस के जीनोम का 90% से अधिक हिस्से को पहले नहीं देखा गया, शोधकर्त्ताओं ने आनुवंशिक विश्लेषण के लिये मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करने तथा किसी भी 'क्लासिकल वायरल जीन्स' को खोजने में असमर्थ होने के बाद इसके बारे में बताया।
- शोधकर्त्ताओं का कहना है कि अमीबा को प्रभावित करने वाले अन्य विषाणुओं में कुछ समानताएँ हैं जो यारावायरस में नहीं हैं। यह वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करता है।

## बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force- NDRF) बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन आपदा प्रबंधन अभ्यास (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Disaster Management Exercise) के दूसरे संस्करण की मेजबानी ओडिशा में करेगा।

नोट :

### मुख्य बिंदु:

- थीम: इस अभ्यास की थीम 'एक सांस्कृतिक विरासत स्थल जो भूकंप और बाढ़ या तूफान से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है' (A cultural heritage site that suffers severe damage in the earthquake and flooding or storm) है।
- उद्देश्य: इस अभ्यास का उद्देश्य मुख्य प्राकृतिक आपदा के दौरान अधिसूचना, तैयारी एवं त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिये मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है।
- इस अभ्यास में बिम्सटेक के सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्याँमार और नेपाल भाग ले रहे हैं जबकि अन्य दो सदस्य देश भूटान तथा थाईलैंड अभ्यास में भाग नहीं ले रहे हैं।

## जल जीवन मिशन

राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission- JJM) के लिये केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों में बदलाव की मांग की है।

### जल जीवन मिशन:

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की योजना है ताकि राज्यों पर वित्तीय बोझ कम हो सके।
- वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच योजना लागत की हिस्सेदारी को 50:50 के अनुपात में निर्धारित किया गया है।
- जल जीवन मिशन को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय (Union Ministry for Jal Shakti) के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है।
- जल जीवन मिशन विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण जैसे- जल संभरण, लघु सिंचाई टैंकों की गाद निकलना, कृषि के लिये ग्रे-वाटर का उपयोग और जल स्रोतों के सतत् विकास) के प्रयासों पर आधारित है।

राजस्थान में जल जीवन मिशन का क्रियांवयन:

- वर्तमान में राजस्थान में केवल 12% घरों में पाइप से जलापूर्ति हो रही है। अत: राजस्थान सरकार ने लगभग 98 लाख घरों को जलापूर्ति प्रदान करने के लिये जल के स्रोतों का कायाकल्प करके जल जीवन मिशन को लागू करने के लिये नई कार्य योजना तैयार की है।
- राजस्थान में जल जीवन मिशन को 'राज्य जल और स्वच्छता मिशन' (State Water and Sanitation Mission) के तहत लागू किया जा रहा है।
  - राज्य जल और स्वच्छता मिशन पहले से ही लागू है और इसके लिये विभिन्न जल स्रोतों का दोहन करने के साथ वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- राजस्थान में केवल 1.01% सतही जल मौजूद है और यहाँ भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति करना कठिन है जिसके कारण जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये केंद्र से अधिक सहायता की उम्मीद की थी।

## वैनगंगा नदी

महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau- ACB) ने वैनगंगा नदी (Wainganga River) पर गोसेखुर्द सिंचाई परियोजना (Gosekhurdh Irrigation Project) हेतु निविदाओं में अनियमितता के लिये विदर्भ सिंचाई विकास निगम (Vidarbha Irrigation Development Corporation- VIDC) के 12 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

### वैनगंगा नदी के बारे में

- वैनगंगा नदी (Wainganga River) का उद्गम मध्य प्रदेश के सिवनी (Seoni) ज़िले में स्थित महादेव पहाड़ियों से होता है।

नोट :

- यह गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। महादेव पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती है और वर्धा नदी (Wardha River) से मिलने के बाद इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी (Pranahita River) कहलाती है और आगे चलकर यह नदी तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी से मिल जाती है।

### गोदावरी नदी

- इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है।
- अपवाह बेसिन: इस नदी बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी के कुछ क्षेत्रों में है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किमी. है।
- सहायक नदियाँ: प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी।
- इस नदी बेसिन का विस्तार मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र  में है। इसकी कुल लंबाई लगभग 569 किमी
- इसकी सहायक नदियाँ थांवर, कठानी, हिर्री, चंदन, बवांथाडी, कन्हन आदि हैं।

## हम्पी

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के विरुपापुरा गद्दी (Virupapura Gaddi) में निर्मित रेस्तराँ, होटल, गेस्ट हाउस एवं अन्य इमारतों को ध्वस्त करने हेतु कर्नाटक सरकार के निर्णय की पुष्टि की।

- गौरतलब है कि विरुपापुरा गद्दी, तुंगभद्रा (Tungabhadra) नदी द्वारा निर्मित एक अंडाकार आइलेट है जो हम्पी विश्व धरोहर स्थल के पश्चिम में स्थित है।

### हम्पी के बारे में

- चौदहवीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है।
- हम्पी, उत्तर में तुंगभद्रा नदी और अन्य तीन ओर से पथरीले ग्रेनाइट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। हम्पी के चौंदहवीं शताब्दी के भग्नावशेष यहाँ लगभग 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- विजयनगर शहर के स्मारक जिन्हें विद्या नारायण संत के सम्मान में विद्या सागर के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 1336-1570 ईस्वी के बीच हरिहर-I से लेकर सदाशिव राय आदि राजाओं ने बनवाया था। यहाँ पर सबसे अधिक इमारतें तुलुव वंश (Tuluva Dynasty) के महान शासक कृष्णदेव राय (1509 -30 ईस्वी) ने बनवाई थीं।
- हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी विमाओं, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, विशाल खम्भों, भव्य मंडपों एवं मूर्ति कला तथा पारंपरिक चित्र निरुपण के लिये जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय शामिल किये गए हैं।
- हम्पी में मौजूद विठ्ठल मंदिर विजय नगर साम्राज्य की कलात्मक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक पत्थर से निर्मित देवी लक्ष्मी, नरसिंह तथा गणेश की मूर्तियाँ अपनी विशालता एवं भव्यता के लिये उल्लेखनीय हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में कृष्ण मंदिर, पट्टाभिराम मंदिर, हजारा राम चंद्र और चंद्र शेखर मंदिर प्रमुख हैं।

---

अपिअरी आन व्हील्स

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (Union Minister of MSME) ने दिल्ली में अपिअरी आन व्हील्स (APIARY ON WHEELS) को हरी झंडी दिखाई।

### मुख्य बिंदु:

- यह मधुमक्खियों को पालने एवं उनके बक्सों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) की एक अनूठी पहल है।

- ◆ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने वर्ष 2017 में 'शहद मिशन' (Honey Mission) की शुरुआत की थी ताकि इसके तहत मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया जा सके, इस मिशन को पूरा करने के लिये ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन करने वाले बक्से वितरित किये जा रहे हैं और शिक्षित किंतु बेरोज़गार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद की जा रही है।

### खादी और ग्रामोद्योग आयोग

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम-1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।
- अपिअरी ऑन व्हील्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मधुमक्खियों के 20 बॉक्सों को बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है।
- इसे देश में मधुमक्खियों के बक्सों का रखरखाव तथा रखरखाव में आने वाली लागत को कम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- अपिअरी ऑन व्हील्स में एक सौर पैनल प्रणाली है जो बक्सों का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर पहुँचते ही स्वचालित तरीके से बक्सों के अंदर लगे पंखों को चालू कर देता है। इसके साथ ही इसमें गर्मियों में मधुमक्खियों को खिलाने के लिये शुगर ड्रिप प्रणाली भी है।

## कोणार्क सूर्य मंदिर

केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने बताया कि ओडिशा में लगभग 800 वर्ष पुराने कोणार्क सूर्य मंदिर (Konark Sun Temple) को संरक्षित करने की योजना जल्द ही तैयार की जाएगी।

### कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में

- बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी ज़िले में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है।
- रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिज़ाइनों से सजाया गया है और सात घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है।
- भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, मंदिर वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। अंग्रेज़ी भाषा में इसे 'ब्लैक पैगोडा' कहते हैं।
- कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था।
  - ◆ गौरतलब है कि ओडिशा वास्तुकला की अपनी अलग पहचान है जिसमें देउल (गर्भगृह के ऊपर उठता हुआ विमान तल), जगमोहन (गर्भगृह के बगल का विशाल हॉल), नटमंडप (जगमोहन के बगल में नृत्य के लिये हॉल), भोगमंडप के निर्माण के साथ-साथ परकोटा तथा ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर इस शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है।
- ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) इस मंदिर का संरक्षक है।

## विवाद से विश्वास योजना

विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2020 को अपने बजट भाषण के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित प्रत्यक्ष कर के मामलों को निपटाना है।

### विवाद से विश्वास योजना:

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अंतर्गत आने वाली इस योजना के तहत करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी और उसे ब्याज तथा दंड से पूरी तरह छूट मिलेगी।

- हालाँकि यह आवश्यक है कि करदाता देय करराशि का भुगतान 31 मार्च, 2020 से पहले कर दें। 31 मार्च, 2020 के बाद जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे, उन्हें 10% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगी।
- इस योजना में आयुक्त (अपीलीय), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (Income Tax Appellate Tribunals- ITAT) उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के स्तर पर लंबित विवादों को शामिल किया गया है।
  - इस योजना का उद्देश्य विभिन्न अपीलीय स्तरों पर लंबित 483000 प्रत्यक्ष कर-संबंधी विवादों को हल करना है।
- एक अनुमान के मुताबिक 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष कर विवाद अदालतों में लंबित हैं।

### प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल

- इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को तेज़ी से निपटाना है।
- गौरतलब है कि बजट-2019 में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिये 'सबका विश्वास योजना' लाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1,89,000 से अधिक मामलों को निपटाया गया था।
- 'विवाद से विश्वास योजना' प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों के लिये है, जबकि 'सबका विश्वास योजना' अप्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों से संबंधित थी।

## एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (Conservation of Migratory Species of Wild Animals- CMS) पर 13वें COP (Conference of Parties) की मेज़बानी भारत करेगा।

- इस सम्मेलन में एशियाई हाथी (Asian Elephant) और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) को वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा।

### मुख्य बिंदु:

- इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 17-22 फरवरी, 2020 तक किया जाएगा।
- भारत को अगले तीन वर्षों के लिये कान्फ्रेंस आफ पार्टीज़ (COP) का अध्यक्ष नामित किया गया है।
- इस सम्मेलन के तहत ऐसी प्रजातियाँ, जो विलुप्ति के कगार पर हैं या जिनका अस्तित्व संकट में है, को परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध किया जाता है। वे प्रजातियाँ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद की ज़रूरत है, उन्हें परिशिष्ट-II में शामिल किया गया है।

### वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण (Conservation of Migratory Species of Wild Animals- CMS):

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nation Environment Programme-UNEP) के तत्त्वावधान में एक पर्यावरण संधि के रूप में CMS प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिये एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसे बॉन कन्वेंशन (Bonn Convention) के नाम से भी जाना जाता है।
- CMS वैश्विक एवं संयुक्त राष्ट्र आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसे विशेष रूप से स्थलीय, जलीय और एवियन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये स्थापित किया गया है।

### प्रवासी प्रजातियाँ:

- वे जीव जो भोजन, धूप, तापमान, जलवायु आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण वर्ष की विभिन्न अवधि में एक निवास स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। निवास स्थानों के बीच की यह यात्रा कुछ किलोमीटर से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक की हो सकती है।

## इंडियन पैंगोलिन

मध्य प्रदेश वन विभाग ने पहली बार एक इंडियन पैंगोलिन (Indian Pangolin) को रेडियो-टैग किया है।

नोट :

### मुख्य बिंदु:

- रेडियो-टैगिंग में एक ट्रांसमीटर द्वारा किसी वन्यजीव की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। इससे पहले कई वन्यजीवों जैसे- बाघ, तेंदुआ और प्रवासी पक्षियों को भी टैग किया जा चुका है।
- इंडियन पैंगोलिन की पारिस्थितिकी विशेषताओं एवं प्रभावी संरक्षण योजना विकसित करने के तरीके के बारे में जानने के लिये इसे रेडियो-टैग किया गया है।
- रेडियो-टैगिंग, वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट (WCT) नामक गैर-लाभकारी संगठन की एक संयुक्त परियोजना का हिस्सा है।

### पैंगोलिन:

- पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में इंडियन पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन भारत में पाए जाते हैं।
- इंडियन पैंगोलिन एक बड़ा चींटीखोर (Anteater) है जिसकी पीठ पर शल्कनुमा संरचना की 11-13 पंक्तियाँ होती हैं।
- इंडियन पैंगोलिन की पूँछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल स्केल मौजूद होता है जो चीनी पैंगोलिन में नहीं मिलता है।

### आवास:

- इंडियन पैंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय एवं पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है।
- चीनी पैंगोलिन पूर्वी नेपाल में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिणी चीन में पाया जाता है।

### IUCN में स्थिति:

- इंडियन पैंगोलिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में संकटग्रस्त (Endangered), जबकि चीनी पैंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
- इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के भाग-I की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

### विश्व पैंगोलिन दिवस:

- विश्व पैंगोलिन दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य पैंगोलिन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिये विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने का एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है।
- इस वर्ष नौवाँ विश्व पैंगोलिन दिवस 15 फरवरी, 2020 को मनाया गया।

## दिशा पुलिस स्टेशन

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिये आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम् शहर में पहले दिशा पुलिस स्टेशन (Disha Police Station) की स्थापना की गई।

### मुख्य बिंदु:

- इस पुलिस स्टेशन की स्थापना आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) बिल, 2019 (Andhra Pradesh Criminal Law (Amendment) Bill, 2019) के तहत की गई है। इसे 'दिशा एक्ट' के रूप में भी जाना जाता है। इस मसौदा कानून पर अभी राष्ट्रपति की सहमति मिलनी शेष है।
    - इस एक्ट की धारा 354 F के अनुसार, बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में 10-14 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।
- इसके अंतर्गत अपराध से संबंधित पूरी जाँच को 7 दिनों के भीतर और अदालती ट्रायल को 14 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- 'दिशा' नाम 26 वर्षीय महिला पशुचिकित्सक को दिया गया एक प्रतीकात्मक नाम है जिसकी 27 नवंबर को हैदराबाद में बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई थी।
- महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों से निपटने के लिये प्रत्येक ज़िले में एक विशेष अदालत के अलावा कुल 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाएंगे।

नोट :

- इसी के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन दिशा एप (Disha App) भी लॉन्च किया गया। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति यदि वह फोन को ऑपरेट नहीं कर सकता है तो संकट की स्थिति में सिर्फ अपने फोन को हिलाकर चेतावनी दे सकता है।

## राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development- MoWCD) और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI) द्वारा 21-23 फरवरी, 2020 के बीच नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव (National Organic Food Festival) की मेज़बानी की जाएगी।

### उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य जैविक बाज़ार को मज़बूत करना और जैविक उत्पादों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है।

### थीम:

- भारत की जैविक बाज़ार क्षमता को उन्मुक्त करना (Unleashing India's Organic Market Potential)

### मुख्य बिंदु:

- इस अवसर पर देश भर में विभिन्न क्षेत्रों की महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help groups- SHGs) द्वारा निर्मित जैविक खाद्य उत्पादों जैसे- फल एवं सब्ज़ियाँ, रेडी-टू-इट उत्पाद, मसाले, शहद, अनाज, सूखे मेवे आदि का प्रदर्शन किया जाएगा।
- इस अवसर पर पहले से व्यवस्थित बी2बी (Business to Business- B2B) और बी2जी (Business to Government- B2G) बैठकों के माध्यम से व्यावसायिक संपर्कों को सुविधाजनक बनाने एवं महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- जैविक कृषि भूमि मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है और यहाँ जैविक उत्पादकों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में सिक्किम राज्य विश्व का पहला जैविक राज्य है।

गौरतलब है कि भारत सरकार महिला उद्यमियों को मुद्रा (Micro Units Development and Refinance Agency- MUDRA) और स्टार्टअप इंडिया जैसी वित्तीय योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है।

## मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान

तमिलनाडु वन विभाग ने मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान (Mukurthi National Park) के एक हिस्से में 20 किलोमीटर लंबी फायर लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया।

- गौरतलब है कि पिछले वर्ष गर्मियों में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के कई इलाकों में आग लग गई थी।

### फायर लाइन (Fire Line):

- फायर लाइन वनों में लगने वाली आग को रोकने के लिये वन क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पतियाँ जिनमें आग लगने की संभावना अधिक होती है, की मात्रा को सीमित करके कृत्रिम रूप से निर्मित दीवार है। इसे फायर ब्रेक (Fire Break) भी कहा जाता है।

### मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान को पहले नीलगिरि तहर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। यह राष्ट्रीय उद्यान 78.46 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है।
- इस उद्यान को की-स्टोन प्रजातियों जैसे- नीलगिरि तहर की रक्षा के लिये बनाया गया था।
- इस उद्यान की मुख्य विशेषताएँ मॉन्टेन (Montane) घास के मैदान और ऊँचाई पर स्थित उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शोला झाड़ियाँ, ठंडी एवं तेज़ हवाएँ हैं।

नोट :

- यह रायल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी सहित संकटग्रस्त वन्यजीवों का निवास है किंतु यहाँ मुख्य रुप से स्तनपायी नीलगिरी तहर पाई जाती है।
- यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व के साथ-साथ मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य एवं साइलेंट वैली का हिस्सा है।

## कोरकू जनजाति

- कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिज़र्व (Melghat Tiger Reserve) के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है।
- 'कोरकू' नाम की उत्पत्ति दो शब्दों 'कोरो' जिसका अर्थ 'व्यक्ति' होता है और 'कू' जिसका अर्थ जीवित होता है, से मिलकर हुई है।
- यह जनजाति कोरकू भाषा बोलती है जिसका संबंध मुंडा भाषायी समूह से है और इसकी लिपि देवनागरी है।
- भारत सरकार द्वारा कोरकू जनजाति को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कोरकू जनजाति घास और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहती है। प्रत्येक घर की संरचना में सामने वाला हिस्सा एलिवेटेड स्टेज की तरह होता है, इस एलिवेटेड स्टेज का उपयोग कृषि उपज के भंडारण हेतु किया जाता है।
- वे स्थानीय रूप से तैयार की गई महुआ के फूलों से बनी शराब का सेवन करते हैं। इनकी अधिकांश आबादी कृषक है।
- इस जनजाति के पारंपरिक त्योहार हरि एवं जिटोरी हैं जिनमें एक महीने तक पौधा रोपण अभियान चलाया जाता है। इस तरह ये लोग कुपोषण एवं पर्यावरण क्षरण का मुकाबला करते हैं।

### मेलघाट टाइगर रिज़र्व के बारे में

- यह टाइगर रिज़र्व महाराष्ट्र राज्य के अमरावती ज़िले में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 1677 वर्ग किमी. है।
- यह वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित किये गए पहले नौ टाइगर रिज़र्व में से एक है।
- यह टाइगर रिज़र्व ताप्ती नदी और सतपुड़ा रेंज की गवलीगढ़ रिज से घिरा हुआ है।

## रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल

रेड-व्हिस्कर्ड बुलबुल (Red-whiskered Bulbul) को आमतौर पर उद्यानों में गीत गाने वाले पक्षी के रुप में जाना जाता है।

### मुख्य बिंदु:

- इसे क्रेस्टेड बुलबुल (Crested Bulbul) भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पायक्नोनोटस जोकोसस (Pycnonotus Jocosus) है।
- यह पक्षी विश्व के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तथा मुख्य रुप से एशिया में पाया जाता है।
- इसकी लंबाई 20 सेमी. होती है। इसके ऊपरी हिस्से का रंग गहरा भूरा, जबकि निचले हिस्से का रंग सफेद होता है। इसके गाल पर एक सफेद पैच और सिर पर एक काली शिखा होती है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में संकटमुक्त (Least Concern) की श्रेणी में रखा गया है।

## केव फिश

भारत में विश्व की सबसे बड़ी केव फिश (Cave Fish) खोजी गई।

### मुख्य बिंदु:

- इस केव फिश को पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य की जयंतिया पहाड़ी में स्थित उम लाडाव (Um Ladaw) गुफा से खोजा गया है।

नोट :

- पृथ्वी पर भूमिगत मछली (Subterranean Fish) की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कम भोजन की उपलब्धता होने के कारण ये बहुत छोटी (औसतन 8.5 सेमी.) होती हैं।
- जबकि पूर्वोत्तर भारत में पाई गई इस केव फिश की लंबाई लगभग एक फुट तक है और यह अब तक ज्ञात केव फिश से 10 गुना भारी है।
- इस प्रजाति की आँखें नहीं है और यह गोल्डन महसीर (Golden Mahseer) के समान प्रतीत होती है।
  - गोल्डन महसीर को भारतीय नदियों के बाघ के रूप में जाना जाता है।
  - इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में संकटग्रस्त (Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
  - गोल्डन महासीर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली मीठे पानी की मछली है जो पहाड़ों एवं उप-पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है।

## स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का सचिवालय

असम में एक नवगठित राजनीतिक दल असोम संग्रामी मंच (Asom Songrami Mancha) ने मानव अधिकारों के तहत नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) की वैधता की जाँच करने के लिये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR) और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच के सचिवालय (Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues- SPFII) को पत्र लिखा है।

### मुख्य बिंदु:

- स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का सचिवालय (Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues-SPFII) या स्वदेशी लोगों और विकास शाखा (Indigenous Peoples and Development Branch-IPDB) की स्थापना वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र के तहत आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (The Department of Economic and Social Affairs- DESA) के अंतर्गत समावेशी सामाजिक विकास (Division for Inclusive Social Development-DISD) हेतु एक प्रभाग है।
- IPDB/SPFII संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्वदेशी मुद्दों के लिये मूल इकाई भी है। यह अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं एवं स्वदेशी मुद्दों से संबंधित निकायों के लिये सहायता प्रदान करता है।
- यह स्वदेशी लोगों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी सहायता समूह का सह-अध्यक्ष भी है।

## रैपिडजेन

इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) ने फसल चक्रों के समय को कम करने के उद्देश्य से भारत की पहली सार्वजनिक अनुसंधान सुविधा रैपिडजेन (RapidGen) शुरू की।

### मुख्य बिंदु:

- रैपिडजेन (रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट के लिये एक उपनाम) तकनीक पौधों के जीवन चक्र के दौरान प्रकाश, तापमान और आर्द्रता नियंत्रित करने वाली स्थितियों में तेज़ी लाएगी।
- इस सुविधा से फसल उत्पादन के समय एवं लागत में कमी आएगी।
- वर्तमान में एक नई फसल की किस्म तैयार करने में लगभग एक दशक या उससे अधिक समय लगता है, जबकि नई सुविधा से यह कार्य 6-7 वर्षों में ही पूरा हो जाएगा।
- विशेषज्ञों ने बताया है कि इस सुविधा से नई फसल की किस्म तैयार करने का समय कम हो जाएगा जो अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाली होती हैं और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिये अधिक उपयुक्त हैं।

नोट :

### इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT):

- ICRISAT एक गैर-लाभकारी कृषि अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय हैदराबाद (तेलंगाना) में है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1972 में फोर्ड एवं रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा बुलाए गए संगठनों के एक संघ द्वारा की गई थी।
- इसके चार्टर पर खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) ने हस्ताक्षर किये थे।
- इसके दुनिया भर में कई क्षेत्रीय केंद्र हैं- निआमी (नाइजीरिया), नैरोबी (केन्या) और रिसर्च स्टेशन बामाको (माली), बुलावायो (ज़िम्बाब्वे)।

गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR), राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों, औद्योगिक भागीदार और कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर फसल उत्पादन के समय में कमी लाने का प्रयास कर रहा है।

## काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य के गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नागाँव ज़िलों में है।

### मुख्य बिंदु:

- इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय (Water Bodies) हैं, इसके अलावा डिफहोलू नदी (Dipholu River ) इसके मध्य से होकर बहती है।

### काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

- मैरी कर्ज़न ने अपने पति लॉर्ड कर्ज़न के साथ इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने की पहल की थी। वर्ष 1905 में काज़ीरंगा प्रस्तावित रिज़र्व फॉरेस्ट (Kaziranga Proposed Reserve Forest) की स्थापना की गई थी।
- वर्ष 1950 में इस क्षेत्र का नाम काज़ीरंगा वन्यजीव अभयारण्य रखा गया। जबकि वर्ष 1974 में भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक दर्जा दिया।
- इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था।
- वर्ष 2006 में इस उद्यान को टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था। यह विश्व में टाइगर के सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है।
- इस राष्ट्रीय उद्यान का प्रशासन असम सरकार के वन विभाग के अंतर्गत आता है।
- विश्व के दो-तिहाई एक सींग वाले गैंडे काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-37 इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुज़रता है।
- काज़ीरंगा में जीव-जंतुओं के संरक्षण प्रयासों के तहत चार मुख्य प्रजातियों- राइनो (Rhino), हाथी (Elephant), रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger) और एशियाई जल भैंस (Asiatic Water Buffalo) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में धारीदार बिल्लियों की तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है ।
- इस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इस स्थान को बर्डलाइफ इंटरनेशनल (BirdLife International) द्वारा एक 'महत्त्वपूर्ण बर्ड एरिया' (Important Bird Area) के रूप में नामित किया गया है।

## कंबाला

कर्नाटक के कंबाला (Kambala) सुपर स्प्रिंटर श्रीनिवास गौड़ा (Srinivasa Gowda) कीचड़ युक्त खेतों में विश्व के सबसे तेज़ धावक उसेन बोल्ट (Usain Bolt) की तुलना में अधिक तेज़ दौड़ने के कारण चर्चा में रहे।

नोट :

**मुख्य बिंदु:**

- कंबाला (Kambala) त्योहार भारत के कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली दो दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है।
- इस प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर से मार्च तक होता है, इसमें किसान हल के साथ भैंसों के जोड़े को बाँधकर कीचड़ के समानांतर पथों (Parralel Muddy Tracks) पर दौड़ते हैं। इसमें सबसे तेज़ भागने वाली टीम विजयी होती है।
- इस त्योहार को कृषक समुदाय अच्छी फसल प्राप्त करने हेतु ईश्वर को खुश के लिये मनाता है। यह त्योहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्योहार जैसा है किंतु इसमें भैंसों को शामिल किया जाता है जबकि जल्लीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है।
- वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा दायर मुकदमों के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कंबाला और जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
- 3 जुलाई, 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (कर्नाटक संशोधन) अध्यादेश, 2017 [11] की घोषणा को मंज़ूरी दे दी और कर्नाटक में कंबाला उत्सव को वैध कर दिया गया है।

## ईज़ ऑफ डूइंग हज

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बताया है कि भारत में हज यात्रियों के लिये डिजिटल/ऑनलाइन व्यवस्था हेतु 'ईज़ ऑफ डूइंग हज' (Ease of Doing Haj) के लक्ष्य को पूरा किया गया है।

**मुख्य बिंदु:**

- भारत हज तीर्थयात्रियों की पूरी प्रक्रिया को पूर्णरुप से डिजिटल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
- इस व्यवस्था के ज़रिये भारत से मक्का-मदीना जाने वाले हज यात्रियों को ऑनलाइन आवेदन, ई-वीज़ा, हज पोर्टल, हज मोबाइल एप, भारतीय तीर्थयात्रियों के लिये ई-चिकित्सा सहायता प्रणाली हेतु ई-मसीहा (E-MASIHA), मक्का और मदीना में आवास एवं परिवहन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिये 'ई-लगेज प्री टैगिंग' (E-Luggage Pre-Tagging) नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
    - 'ई-मसीहा' स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से प्रत्येक हज यात्री की सेहत से जुड़ी सभी जानकारियाँ ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। इससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मेडिकल सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
    - पहली बार हज तीर्थयात्रियों के सामान की डिजिटल प्री-टैगिंग की सुविधाएँ प्रदान की गईं।
    - इसके अंतर्गत हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स (Haj Group Organisers- HGOs) का एक पोर्टल भी विकसित किया गया है जिसमें हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स एवं उनके पैकेज से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध होंगे।

गौरतलब है कि भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय वार्षिक हज 2020 समझौते पर वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किये थे।

## रानी कमलापति

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोंड रानी कमलापति (Rani Kamlapati) की 32 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया गया।

**मुख्य बिंदु:**

- 1710 के दशक में भोपाल की ऊपरी झील के आसपास के क्षेत्र को मुख्य रूप से भील एवं गोंड जनजातियों द्वारा बसाया गया था।
- स्थानीय गोंड सरदारों में सबसे शक्तिशाली निज़ाम शाह ने अपने क्षेत्र पर गिन्नौर किले से शासन किया था। वर्तमान में गिन्नौर का किला मध्य प्रदेश के सिहोर ज़िले में है।
- गिन्नोर को एक अभेद्य किला माना जाता था जो लगभग 2000 फुट ऊँची चट्टान के शिखर पर स्थित था और घने जंगलों से घिरा हुआ था।
- चौधरी कृपा-रामचंद्र की बेटी रानी कमलापति निज़ाम शाह की सात पत्नियों में से एक थी। वह अपनी सुंदरता एवं प्रतिभा के लिये प्रसिद्ध थी। स्थानीय किवदंतियों में उन्हें परी से भी अधिक सुंदर बताया गया है।

- निज़ाम शाह की मृत्यु के बाद कुछ समय तक रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान (Dost Mohammad Khan) की मदद से इस क्षेत्र पर शासन किया।

## अर्बन लिज़ार्ड

असम के गुवाहाटी में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट- टोऐड गेको (Urban Bent-Toed Gecko) की खोज की गई।

### मुख्य बिंदु:

- इसका वैज्ञानिक नाम सिरोटोडैक्टाइलस अर्बनुस (Cyrtodactylus urbanus) है। अर्बन बेंट- टोऐड गेको को पहले खासी हिल्स छिपकली (Khasi Hills lizard) के समान माना जाता था।
- पूर्वोत्तर भारत की सभी बेंट- टोऐड गेको को एकल प्रजाति माना जाता था। सिरटोडैक्टाइलस खासीनेसिस (Cyrtodactylus Khasiensis) मुख्य रूप से मेघालय की खासी पहाड़ियों में पाई जाती है।
- यद्यपि अर्बन बेंट- टोऐड गेको खासीनेसिस समूह के अंतर्गत आती है। यह इस समूह के अन्य सदस्यों से माइटोकॉन्ड्रियल अनुक्रम डेटा और आकृति विज्ञान (जीव विज्ञान की शाखा जो पौधों और जानवरों के रूप और संरचना से संबंधित है) के पहलुओं में भिन्न होती है।
- छिपकली की नई प्रजाति साइरोडोडैक्टाइलस गुवाहाटीन्सिस (Cyrtodactylus Guwahatiensis) या गुवाहाटी बेंट- टोऐड गेको (Guwahati Bent-Toed Gecko) से आणविक संरचना, पीठ पर धब्बों एवं रंग में भिन्न है। साइरोडोडैक्टाइलस गुवाहाटीन्सिस को दो वर्ष पहले खोजा गया था।
- शहरीकरण और संकट: बढ़ता शहरीकरण गेकोस (Geckos) के अस्तित्व के लिये एक बड़ा खतरा है।
- असम का गुवाहाटी शहर कई महत्त्वपूर्ण प्रजातियों का निवास है। इस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा 18 पहाड़ियाँ, 8 आरक्षित वन, 2 वन्यजीव अभयारण्य और एक रामसर स्थल (दीपोर बील- Deepor Beel) होने के कारण शहरी जैव विविधता (Urban Biodiversity) को पनपने का अवसर मिल जाता है।

## एसपीआईसीई+

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने कंपनियों के निगमन के लिये एसपीआईसीई+ (SPICe+) नामक एक नया वेब फॉर्म लॉन्च किया है।

### मुख्य बिंदु:

- एसपीआईसीई+ का पूर्णरूप 'कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिये सरलीकृत प्रोफार्मा' (Simplified Proforma for Incorporating a Company Electronically Plus- SPICe+) है।
- एसपीआईसीई+ कंपनी के निगमन से संबंधित कई सेवाएँ जैसे- पैन की अनिवार्यता, बैंक खाता खोलना, जीएसटीआईएन (GSTIN) का आवंटन आदि प्रदान करने वाला एक एकीकृत वेब फॉर्म है।
- यह केंद्रीय सरकार के तीन मंत्रालयों एवं विभागों (कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग) तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) को सेवाएँ प्रदान करेगा।
- इसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) पहल के तहत लॉन्च किया गया है।

## बेटेल्गेयूज़

बेटेल्गेयूज़ (Betelgeuse) तारे की उत्पत्ति लाखों वर्ष पहले एक सुपर स्टार के रूप में हुआ था। खगोलविदों ने पता लगाया है कि पिछले छह महीनों से बेटेल्गेयूज़ नाटकीय एवं रहस्यमय तरीके से धुँधला हो रहा है।

### मुख्य बिंदुः

- खगोलविदों ने यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइज़ेशन (European Space Organisation- ESO) के वेरी लार्ज टेलीस्कोप (Very Large Telescope- VLT) का उपयोग करके बेटेल्गेयूज़ के धुँधले होने की इस अभूतपूर्व घटना का पता लगाया है।
- बेटेल्गेयूज़ नक्षत्र मंडल (Constellation) में एक लाल महाकाय तारा है जो सूर्य से 20 गुना बड़ा है।
    - यह नक्षत्र मंडल सितारों का एक समूह है जो एक पैटर्न या चित्र बनाता है, जैसे- ओरियन द ग्रेट हंटर (Orion the Great Hunter), लियो द लायन (Leo the Lion) या टॉरस द बुल (Taurus the Bull)।
- पूर्णिमा के दौरान सबसे चमकने वाले तारों में बेटेल्गेयूज़ तारा 10वें स्थान पर होता है जबकि दिसंबर, 2019 के अंतिम हफ्ते में अध्ययन करने पर यह 21वें स्थान पर पहुँच गया।
- रिपोर्ट बताती है कि इस बेटेल्गेयूज़ तारे का व्यवहार सामान्य से अलग है किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इस तारे में कोई सुपरनोवा विस्फोट (अंतरिक्ष में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट) होने वाला है क्योंकि खगोलविदों ने अगले 1 लाख वर्षों के बाद तारे में विस्फोट होने की भविष्यवाणी की है।

## कला कुंभ

भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) भौगोलिक संकेत (Geographical Indication-GI) शिल्प को बढ़ावा देने के लिये कला कुंभ (KALA KUMBH) हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है।

### उद्देश्यः

- इसे भौगोलिक संकेत (GI) शिल्प एवं भारत की विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

### मुख्य बिंदुः

- एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स (EPCH) द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनियाँ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं।
- ये प्रदर्शनियाँ बंगलूरू, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित की जाती हैं। ये प्रदर्शनियाँ 14-23 फरवरी, 2020 तक बंगलूरू और मुंबई में आयोजित की जाएंगी और मार्च 2020 में इनका आयोजन कोलकाता एवं चेन्नई में भी किया जाएगा।

## दीनदयाल बंदरगाह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने से पहले गुजरात के कच्छ ज़िले में दीनदयाल बंदरगाह (कांडला बंदरगाह) के पास पपरवा द्वीप (Paparva Island) पर एक सैटेलाइट फोन मिला।

### दीनदयाल बंदरगाह के बारे में

- यह पश्चिम भारत में गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में गांधीधाम शहर के निकट स्थित एक समुद्री बंदरगाह है।
- यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक ज्वारीय पत्तन है जिसे कांडला बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है।
- दीनदयाल पोर्ट कांडला क्रीक में स्थित है और यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर की दूरी पर है।
- वर्ष 1947 में विभाजन के बाद देश के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह 'कराची बंदरगाह' पाकिस्तान में चला गया, जिसके बाद वर्ष 1950 में भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। यह बंदरगाह भारत सरकार के जहाज़रानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- 4 अक्तूबर, 2017 को इसका नाम 'कांडला बंदरगाह' से बदल कर 'दीनदयाल बंदरगाह' कर दिया गया था।

- दीनदयाल बंदरगाह पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 256 समुद्री मील (दक्षिण-पूर्व में) एवं मुंबई बंदरगाह से 430 समुद्री मील (उत्तर-पश्चिम में) की दूरी पर अवस्थित है।
- पपरवा द्वीप दीनदयाल बंदरगाह के पास कच्छ की खाड़ी में स्थित है।

## भारत-नार्वे डायलॉग

व्यापार एवं निवेश पर भारत-नॉर्वे डायलॉग के पहले सत्र का आयोजन 15-16 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में किया गया।

### मुख्य बिंदुः

- यह सत्र नॉर्वे के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में 8 जनवरी, 2019 को भारत और नॉर्वे के बीच हस्ताक्षरित संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference- ToR) पर आधारित था।
- पहला सत्र 15 जनवरी, 2020 को भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत से शुरू हुआ जिसमें आपसी हित जैसे- नीली अर्थव्यवस्था, शिपिंग एवं समुद्री सुरक्षा, आईसीटी, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य और MSME के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई।
- दोनों पक्षों ने अपने देशों में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिये सरकारों द्वारा दी जा रहीं सुविधाओं से संबंधित जानकारियों का आदान-प्रदान किया।
- इस अवसर पर दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DMICDC) और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी गईं।
  - गौरतलब है कि अप्रैल 2000 से सितंबर 2019 के दौरान नॉर्वे से भारत में आने वाला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) 257 मिलियन अमेरिकी डालर के आसपास था।
- भारत ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े की समस्या से निपटने के लिये नॉर्वे के साथ महासागर वार्ता शुरू की है।

### हिमाद्रि- ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशनः

- वर्ष 2008 में भारत ने नॉर्वे में अपना पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्रि खोला।
- इस स्टेशन के मुख्य अनुसंधान फूड-वेब डायनेमिक्स, स्पेस वेदर (Space Weather), एरोसोल विकिरण (Aerosol Radiation), ग्लेशियर, सूक्ष्मजीव समुदाय (Microbial Communities), कार्बन पुनर्चक्रण और सेडिमेटोलॉजी पर आधारित है।

### IndARC के बारे में

- IndARC आर्कटिक क्षेत्र में भारत की पहली अंडरवाटर वेधशाला है। यह नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में है।
- इस वेधशाला का उद्देश्य आर्कटिक की जलवायु का अध्ययन करना है और पता लगाना है कि यह मानसून को कैसे प्रभावित करती है?

### नॉर्वे: एक नज़र में

- उत्तरी यूरोपीय देश नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप (Scandinavian Peninsula) के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी ओस्लो (Oslo) है। यह यूरोप का दूसरा न्यूनतम घनत्व वाला देश है।
- इसके उत्तर में बारेंट्स सागर (Barents Sea) एवं नॉर्वेजियन सागर (Norwegian Sea) तथा पश्चिम में उत्तरी सागर (North Sea) एवं दक्षिण में स्कागेर जल संधि (Skager Strait) के साथ इसकी सीमा पूर्व में स्वीडन और उत्तर में फिनलैंड एवं रूस से लगती है।
- नॉर्वे की तटीय भूमि फियोर्ड तटों (Fiord Coast) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विश्व में फियोर्ड तटों का संकेंद्रण सबसे अधिक नॉर्वे में है।
- यहाँ औरोरा बोरेलिस (Aurora Borealis) नामक एक प्राकृतिक घटना आमतौर पर शरद और वसंत ऋतु के बीच आर्कटिक वृत्त के ऊपर देखी जाती है।
- गर्मियों में सूर्य आर्कटिक वृत्त के उत्तर में अस्त नहीं होता है जिसके कारण नार्वे को 'मध्यरात्रि के सूर्य का देश' कहा जाता है।

## हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका - द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के प्राचीन खाद्य इतिहास पर 19-25 फरवरी तक एक अनूठी प्रदर्शनी 'ऐतिहासिक गैस्ट्रोनोमिका - द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस' का आयोजन कर रहा है।

### मुख्य बिंदु:

- यह प्रदर्शनी भारत के 5000 वर्ष पुराने इतिहास के बारे में बताती है। राष्ट्रीय संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों का एक अद्भुत संग्रह है।
- इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति (Bronze Dancing Girl) को भी प्रदर्शित किया गया है जिसे मोहनजोदड़ो नामक हड़प्पा स्थल से प्राप्त किया गया था।
    - मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु सभ्यता (हड़प्पा सभ्यता) का एक पुरातात्त्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है- 'मुर्दों का टीला'। इसे विश्व का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है।
- 'इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस' पुरातात्त्विक अनुसंधान, राष्ट्रीय संग्रहालय की कलाकृतियों एवं उनकी विशेषताओं पर आधारित है। इसे संयुक्त रूप से राष्ट्रीय संग्रहालय और वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज़ (One Station Million Stories- OSMS) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
    - वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज़ (OSMS) दिल्ली की एक टीम है जो व्यापक तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कहानी कहने की कला में पारंगत है।
- इस प्रदर्शनी की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
    - मानव के उद्भव से लेकर सिंधु-सरस्वती सभ्यता तक उसका विकास और मानव के खाद्य इतिहास की उदाहरणात्मक कहानी का प्रस्तुतिकरण
    - हड़प्पाकालीन मृद्भांड और कलाकृतियाँ
    - भोजन: फिंगर-फूड सैंपलर और डिनर
    - हड़प्पा सभ्यता की रसोई का एक मॉडल और वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज़ (OSMS) द्वारा डिज़ाइन की गई कलाकृतियाँ।
- यह प्रदर्शनी खाद्य आदतों के कारण मनुष्य का विकास कैसे हुआ और कैसे उसने गैर-खाद्य पदार्थों एवं खाद्य पदार्थों में भेद करना सीखा तथा उनकी खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्या थी एवं उनकी वास्तुकला को दर्शाती है।
- इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है।
- विविध दक्षिण एशियाई लोगों के जीनोमिक डेटा (Genomic Data) से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों में एक निरंतरता है जो हमें ईरानी कृषिविदों और दक्षिण एशिया में खाद्य संग्रहण करने वाले शिकारियों से जोड़ती है।
    - राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सिंध और बलूच के वर्तमान गाँवों में खाना पकाने के तरीकों के पारंपरिक ज्ञान पता चलता है कि हमारे मूल आहार और वर्तमान आहार में अधिक समानताएँ हैं।

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST) का 16वाँ स्थापना दिवस 19 फरवरी, 2020 को मनाया गया।

### मुख्य बिंदु:

- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 में जनजातीय मामलों के लिये एक अलग मंत्रालय बनाया था।
- स्थापना: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान (89वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके की गई थी।

- इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग आयोगों में प्रतिस्थापित किया गया।
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes- NCSC)
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST)
- इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) शामिल हैं।
- कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और NCST के सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर तीन वर्ष तक का होता है।
- इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा दिया गया है।

### NCST के कार्य एवं शक्तियाँ:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के खंड (5) के तहत आयोग को निम्नलिखित कर्त्तव्य एवं कार्य सौंपे गए हैं-
  - NCST को संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत या अनुसूचित जनजाति के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जाँच एवं निगरानी का अधिकार है।
  - अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना एवं सलाह देना तथा संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- रिपोर्ट: आयोग अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित प्रोग्रामों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये किये गए आवश्यक उपायों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।

## 22वाँ भारतीय विधि आयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिये भारत के 22वें विधि आयोग (22nd Law Commission of India) को मंज़ूरी दे दी।

### निकाय की स्थिति:

- भारतीय विधि आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। यह प्रमुख रूप से कानूनी सुधारों हेतु कार्य करता है।
- आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिये होता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिये परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करता है।

### सांगठनिक ढाँचा:

- 22वें विधि आयोग का गठन, आधिकारिक गजट में सरकारी आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा। इसमें निम्मलिखित शामिल होंगे
  - एक पूर्णकालिक अध्यक्ष
  - चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
  - सचिव, कानूनी मामलों के विभाग पदेन सदस्य के रूप में
  - सचिव, विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में
  - अधिक-से-अधिक पाँच अंशकालिक सदस्य
- इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा।

### विधि आयोग: संक्षिप्त में

- प्रथम आयोग का गठन वर्ष 1834 में चार्टर एक्ट- 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था जिसने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की।

नोट :

- भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम.सी. शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया। तब से 21 विधि आयोग गठित किये जा चुके हैं जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष था।
- 21वें विधि आयोग जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. एस. चौहान द्वारा की गई, ने 31 अगस्त, 2018 को अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था।

### भारतीय विधि आयोग निम्न कार्य करेगा:

- यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है या वे अप्रासंगिक हो चुके हैं और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में मौजूदा कानूनों की जाँच करना तथा सुधार के सुझाव देना और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिये आवश्यक कानूनों के बारे में सुझाव देना एवं संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना जिसे सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है।
- विश्व के देशों को अनुसंधान प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करना क्योंकि इसे सरकार द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है।
- वे सभी उपाय करना जो गरीबों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया के लिये आवश्यक हो सकते हैं।
- सामान्य महत्त्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों, अस्पष्टताओं एवं असमानताओं को दूर किया जा सके।

अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग नोडल मंत्रालयों/विभागों तथा ऐसे अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेगा जिन्हें वह इस उद्देश्य के लिये आवश्यक समझे।

## वन सलाहकार समिति

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee-FAC) ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) के लिये मौजूदा लागत मॉडल में पॉलिथीन बैग के स्थान पर वैकल्पिक बायोडिग्रेडेबल बैग की लागत को शामिल किया जाए।

### मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार ने वर्ष 2016 में संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (Plastic Waste Management Rules) के तहत 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही कई राज्य सरकारों ने पॉलिथीन बैग के साथ-साथ एकल उपयोग प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2018-19 में बताया कि भारत प्रतिवर्ष लगभग 3.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है।
  - भारत कचरा संग्राहकों और पुनर्चक्रण करने वालों के अनौपचारिक नेटवर्क की एक शृंखला के माध्यम से 60% कचरे का पुनर्नवीनीकरण करता है जो वैश्विक औसत के 20% से तीन गुना अधिक है।

### प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation):

- प्रतिपूरक वनीकरण का आशय आधुनिकीकरण तथा विकास के लिये काटे गए वनों के स्थान पर नए वनों को लगाने से है। अर्थात् उद्योगों द्वारा वनों के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिये वैकल्पिक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तथा उसमें अधिक-से-अधिक पेड़ लगाने के लिये वे राज्य के वन विभाग को भुगतान करते हैं।

### प्रतिपूरक वनीकरण फंड (Compensatory Afforestation Fund):

- इसके तहत गैर-वानिकी गतिविधियों के लिये उपयोग की जाने वाली वन भूमि को परिवर्तित करने के लिये परियोजनाओं के समर्थकों से धन एकत्र किया जाता है। यह वृक्षारोपण के लिये धन का एक प्रमुख स्रोत है।

- अगस्त 2019 तक प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के लिये 47,436 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को भेजी जा चुकी है।

वन सलाहकार समिति (FAC) के बारे में

- वन सलाहकार समिति (FAC) एक शीर्ष निकाय है जो औद्योगिक गतिविधियों के लिये वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति पर निर्णय लेता है।
- वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee-FAC) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MOEF&CC) के अंतर्गत काम करती है जिसमें केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं।

## तिरूर वेटिला

वर्ष 2019 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने केरल के तिरूर वेटिला (Tirur Vettila) को भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) टैग दिया।

### मुख्य बिंदु:

- तिरूर वेटिला एक प्रकार का पान (Betel Leaf) है जो केरल के मलप्पुरम ज़िले के तिरूर और आस-पास के इलाकों में उगाया जाता है।
- तिरूर वेटिला के ताज़े पत्तों में क्लोरोफिल और प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है।
- तिरूर वेटिला में अद्वितीय स्वाद एवं सुगंध जैसी कुछ विशेष जैव रासायनिक विशेषताएँ होती हैं।
- इसकी तीक्ष्णता का कारण इसमें उपस्थित यूजेनॉल (Eugenol) नामक प्रमुख तेल है।
- इसके पत्ते पौष्टिक होते हैं और इसमें एंटीकार्सिनोजेंस (Anticarcinogens) होता है जो कैंसर प्रतिरोधी दवाओं में प्रयोग किया जाता है।
- बेटेल वाइन (Betel Vine) में इम्युनोसप्रेसिव (Immunosuppressive) गतिविधि और रोगाणुरोधी जैसी विशेषताएँ भी पाई जाती हैं।
- केरल कृषि विश्वविद्यालय की बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights- IPR) सेल को जीआई पंजीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने के कारण भारत सरकार का राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार, 2019 (National IP Award, 2019) मिला है।

केरल के अन्य जीआई उत्पाद:

- कैपड़ चावल (Kaipad Rice), पोक्कली चावल (Pokkali Rice), वायनाड जीराकसला चावल (Wayanad Jeerakasala Rice), वायनाड गंधकसाला चावल (Wayanad Gandhakasala Rice), वाझाकुलम अनन्नास (Vazhakulam Pineapple), मरयूर गुड़ (Marayoor Jaggery), सेंट्रल त्रावणकोर गुड़ (Central Travancore Jaggery) और चेंगालिकोडन नेन्ड्रान (Chengalikodan Nendran)।

## राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (National Rail & Transportation Institute-NRTI) में अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों के विकास के लिये बर्मिंघम विश्वविद्यालय (University of Birmingham) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

### मुख्य बिंदु:

- इस समझौते के तहत अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों के विकास के लिये एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) की स्थापना की जाएगी।
- यह पहल राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान के छात्रों को बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन (BCRRE) में रेलवे सिस्टम संबंधी विश्व स्तर की विशेषज्ञता और सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करके लाभान्वित करेगी।

राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (National Rail & Transportation Institute)

- राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (NRTI) वड़ोदरा (गुजरात) में स्थित भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है जो परिवहन प्रणाली से संबंधित शिक्षा, बहु-विषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
- इस विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. की नोवो श्रेणी (Novo Category) नियमन (Institutions Deemed to be Universities, Regulations), 2016 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (NRTI) का उद्देश्य अंत:विषयक केंद्रों का विकास करना है जो परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। इस संस्थान को विशेष रूप से रेलवे तथा अन्य परिवहन क्षेत्र के लिये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के पेशेवरों का पूल निर्मित करने के लिये स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (NRTI) भारत के परिवहन क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किये गए कार्यक्रमों को लागू करने की पेशकश करता है। यह संस्थान उद्योगों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मांग आधारित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देता है।
- राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (NRTI) विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं संगठनों के साथ वैश्विक तथा राष्ट्रीय साझेदारी विकसित करने पर केंद्रित है।

### बर्मिंघम विश्वविद्यालय (University of Birmingham):

- बर्मिंघम विश्वविद्यालय (यूनाइटेड किंगडम) में स्थापित बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन (BCRRE) में 150 से अधिक शिक्षाविद, शोधकर्त्ता और पेशेवर कर्मचारी काम करते हैं जो वैश्विक रेल उद्योग के लिये विश्व स्तरीय अनुसंधान, शिक्षा और नेतृत्व प्रदान करते हैं।
- BCRRE यूरोप में विश्वविद्यालय आधारित रेलवे अनुसंधान एवं शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, वायुगतिकी (Aerodynamics) और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग, पावर सिस्टम और ऊर्जा उपयोग प्रणाली, रेलवे नियंत्रण एवं संचालन सिमुलेशन में उच्च शैक्षिक कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं नवाचारों के साथ-साथ विश्व की अग्रणी नई तकनीकों को विकसित करना है।

## मातृभाषा दिवस

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) द्वारा पूरे देश में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस (Matribhasha Diwas) मनाया जाता है।

थीम:

- इस वर्ष मातृभाषा दिवस की थीम 'हमारी बहुभाषी विरासत का उत्सव मनाना' (Celebrating our Multilingual Heritage) है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाती है।

### उद्देश्य:

- मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिये प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

1. भारत की भाषायी विविधता को चिंहित करना।
2. न केवल संबंधित मातृभाषा बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के भी उपयोग को प्रोत्साहित करना।
3. भारत में संस्कृतियों की विविधता और साहित्य, शिल्प, प्रदर्शन कला, लिपियों एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों को समझना तथा ध्यान आकर्षित करना।
4. अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को सीखने के लिये प्रोत्साहित करना।

### मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षण संस्थानों और भाषा संस्थानों के साथ मिलकर पिछले तीन वर्षों से (वर्ष 2017 से) मातृभाषा दिवस मना रहा है।

नोट :

- इस वर्ष भी शैक्षणिक संस्थान वक्तृत्व, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, गायन, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं, चित्रकला प्रतियोगिताओं, संगीत एवं नाट्य मंचनों, प्रदर्शनियों, ऑनलाइन संसाधन एवं क्रियाकलापों जैसी गतिविधियों के साथ-साथ संज्ञानात्मक, आर्थिक, सामाजिक एवं बहुभाषी सांस्कृतिक क्रियाकलापों और कम-से-कम दो या अधिक भाषाओं में भारत की भाषायी एवं विविध संपदा को दर्शाने वाली प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा।

### अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (International Mother Language Day):

- भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को के कैलेंडर कार्यक्रमों का एक हिस्सा है।
- इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर, 1999 को की गई थी जिसे औपचारिक रूप से वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) ने मान्यता दी।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने सदस्य राष्ट्रों से विश्व भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

## किलिकी भाषा

राजामौली के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म 'बाहुबली' में कालकेय जनजाति (Kaalakeya Tribe) की भाषा 'किलिकी' (Kiliki) को लोकप्रिय बनाने के लिये एक वेबसाइट की शुरुआत की गई।

### वेबसाइट:

किलिकी भाषा को विकसित करने एवं जन-जन तक पहुँचाने के लिये www.kiliki.in वेबसाइट शुरू की गई है।

### मुख्य बिंदु:

- इस वेबसाइट में लगभग 3,000 शब्दों से युक्त अंग्रेज़ी-किलिकी-अंग्रेज़ी शब्दकोश, इस भाषा में परिवर्तित करने से संबंधित टूल, वीडियो और शब्दावली गेम इत्यादि सुविधाएँ हैं।
- ध्यातव्य है कि यह एक काल्पनिक भाषा के रूप में शुरू हुई थी किंतु वर्तमान समय में यह भाषा व्याकरण के साथ विकसित हुई है और इसमें वार्तालाप के लिये 3000 से अधिक शब्द उपयोग किये गए हैं।
- इस भाषा को बाहुबली फिल्म में गीतकार एवं फिल्म संवाद लेखक 'मधन कार्की' ने लगभग 750 शब्दों और 40 व्याकरण के नियमों द्वारा विकसित किया था।
    - मधन कार्की ने अंक और अक्षरों को मिलाकर कुल 22 प्रतीक बनाए हैं। जिनको आसानी से रिकॉल किया जा सकता है।
- कार्की रिसर्च फाउंडेशन (Karky Research Foundation) किलिकी भाषा सीखने वालों के लिये नौकरी के अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है और उसका यह प्रयास है कि किलिकी भाषा जाति, धर्म, नस्ल या देश की बाधाओं से परे दुनिया को जोड़ने में महत्त्वपूर्ण साबित होगी।

### कालकेय जनजाति (Kaalakeya Tribe) के बारे में

- कालकेय (Kaalakeya) हिंदू पौराणिक कथाओं में असुरों का एक वर्ग है। यह दानवों का एक शक्तिशाली, क्रूर एवं हिंसक कबीला था।
- कालकेय वैश्वानर (दानू का पुत्र) की पुत्री 'कालका' के वंशज थे। दानू एक आदिम देवी थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि असुरों की माँ थी।
- बौद्ध धर्म में इन्हें कालकांजक (Kalakanjaka) कहा जाता है। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महासमय सुत्त (Mahasamaya Sutta) में किया गया है।

## खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी, 2020 को देश में पहली बार आयोजित किये जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (Khelo india University Games) का शुभारंभ भुवनेश्वर (ओडिशा) में किया।

### उद्देश्य:

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्देश्य युवाओं को खेल एवं शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।

प्रतिभागी एवं टीमें:

- इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 159 विश्वविद्यालयों के 3400 एथलीट 17 विभिन्न विधाओं में हिस्सा लेंगे।
    - ये 17 विधाएँ हैं- तीरंदाज़ी, एथलेटिक्स, मुक्केबाज़ी, तलवारबाज़ी, जूडो, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, रग्बी और कबड्डी। ध्यातव्य है कि इन विधाओं में रग्बी खेल भी शामिल है जो छह टीमों के बीच खेला जाएगा।
- पंजाब विश्वविद्यालय (चंडीगढ़) और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (अमृतसर) क्रमश: 191 और 183 एथलीटों के साथ इस प्रतियोगिता में सबसे बड़े प्रतियोगी संस्थान होंगे।

यह प्रतियोगिता युवाओं के लिये एक बहुत बड़ा मंच साबित हो सकती है जहाँ पर अच्छे प्रदर्शन की बदौलत युवा ओलंपिक जैसे बड़ी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

## आस्कदिशा

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (Indian Railways Catering & Tourism Corporation Limited- IRCTC) ने ग्राहकों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने और ई-टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in का उपयोग आसानी से करने के लिये आस्कदिशा (ASKDISHA) का उन्नयन किया है।

### मुख्य बिंदु:

- रेल यात्रियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संबंध में इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिये भारतीय रेलवे ने अक्तूबर 2018 में कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence- AI) आधारित आस्कदिशा नामक एक चैटबॉट की सुविधा शुरू की थी।
- इस चैटबॉट की शुरुआत टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in एवं IRCTC की पर्यटन वेबसाइट www.irctctourism.com के उपयोगकर्त्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये की गई है।

### चैटबॉट (ChatBot):

- चैटबॉट एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे मुख्य रूप से इंटरनेट पर उपयोगकर्त्ताओं के साथ वार्तालाप करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह निर्धारित संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी उपयोगकर्त्ताओं को प्रदान करता है।
- चैटबॉट के उदाहरण गूगल असिसटेंट, अलेक्सा और आस्कदिशा इत्यादि हैं।
- ध्यातव्य है कि आस्कदिशा को पहले केवल अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था किंतु ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने हेतु अब इसे हिंदी भाषा में भी शुरू किया गया।
- आस्कदिशा पर प्रतिदिन हिंदी भाषा में औसतन 3000 फोन काल की जाती हैं और यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है जो ग्राहकों में इसकी स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है।
- IRCTC की निकट भविष्य में कई अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अधिक-से-अधिक भाषाओं में इसकी शुरुआत करने की योजना है।
- ASKDISHA को लॉन्च किये जाने के बाद से टिकट जारी करना, आरक्षण रद्द करना, रिफंड की स्थिति की जाँच करना, किराया, PNR सर्च, ट्रेन का रनिंग स्टेटस, रिटायरिंग रूम और पर्यटन संबंधी उत्पादों के बारे में पूछताछ के संबंध में 150 मिलियन से अधिक यात्रियों को लाभान्वित किया गया है।

नोट :

## 5जी हैकथॉन

केंद्रीय संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) ने शिक्षाविदों और औद्योगिक हितधारकों के साथ मिलकर 5जी हैकथॉन (5G Hackathon) लॉन्च किया है।

### उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारत के मुख्य अत्याधुनिक विचारों को शॉर्टलिस्ट करना है जिन्हें व्यावहारिक रूप से 5G उत्पादों एवं उनके समाधान के लिये उपयोग किया जा सकता है।

### मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम का समापन 16 अक्तूबर, 2020 को इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस में एक भव्य समारोह के साथ होगा।
- इस हैकथॉन का आयोजन तीन चरणों में होगा। विभिन्न चरणों के विजेताओं को कुल 2.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
- 5G तकनीक गति, पीक डेटा रेट, स्पेक्ट्रम दक्षता और संयोजन घनत्व (Connection Density) के मामले में 4G तकनीकी से उत्तम है।
- हैकथॉन अलग-अलग क्षेत्र में उत्पादों एवं उनके समाधानों में नवोन्मेषी विचारों को लागू करेगा और भारत में 5G तकनीकी को विकसित करने में सहायक होगा।
- 5G हैकथॉन भारत और विदेशी तकनीकी डेवलपर्स, छात्रों, स्टार्ट-अप संचालकों, एसएमई, शैक्षणिक संस्थानों तथा पंजीकृत कंपनियों के लिये एक अवसर प्रदान करता है।
- इसमें विदेशी हितधारक भारतीय संदर्भ में 5G नेटवर्क के उपयोग के मामलों को प्रस्तुत करने के लिये व्यक्तिगत तौर पर या एक टीम के रूप में भाग ले सकते हैं।

## स्वर्ण भंडार

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में लगभग 160 किलोग्राम स्वर्ण भंडार की खोज की है।

### मुख्य बिंदु:

- विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council) के अनुसार, भारत में 600 टन से अधिक का स्वर्ण भंडार है, जो दुनिया में 10वाँ सबसे बड़ा भंडार है।
- सोने का वज़न ट्रॉय औंस (Troy Ounces) में मापा जाता है (1 ट्रॉय औंस = 31.1034768 ग्राम), हालाँकि इसकी शुद्धता को कैरेट (Carats) में मापा जाता है। 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है जिसमें किसी अन्य धातु की मिलावट नहीं होती है।

### सोनभद्र:

- लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला (क्षेत्रफल में) है। यह देश का एकमात्र ज़िला है जो चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
- इसके पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण-पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार राज्य है।
- सोनभद्र ज़िला एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ कई खनिजों के भंडार जैसे- बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना आदि हैं।
- यह बेलन और कर्मनाशा नदियों सहित गंगा की सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है। इस जिले से होकर सोन नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।
- रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के सर्गुजा ज़िले की उच्च भूमि से होता है और यह उत्तर की ओर बहकर सोनभद्र में सोन नदी से मिलती है।

नोट :

- रिहंद नदी पर स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर (जिसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है) एक जलाशय है जो आंशिक रूप से सोनभद्र ज़िले में और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है।

- कैमूर वन्यजीव अभयारण्य: कैमूर वन्यजीव अभयारण्य (Kaimoor Wildlife Sanctuary) का अधिकांश हिस्सा सोनभद्र ज़िले में आता है जो सोन नदी के पूर्वी छोर पर सामान्यत: कैमूर रेंज के साथ पूर्व से पश्चिम तक फैला है।
- गुफा चित्रकला: सोनभद्र विंध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले कई गुफा चित्रकला स्थलों के लिये जाना जाता है।

लखानिया गुफाएँ कैमूर पर्वतमाला में स्थित हैं और अपने सुंदर चिरनूतन शैल चित्रों के लिये जानी जाती हैं। ये ऐतिहासिक पेंटिंग लगभग 4000 वर्ष पुरानी हैं।

- खोडवा पहार (Khodwa Pahar) या घोरमंगर (Ghoramangar) यहाँ एक और प्रसिद्ध प्राचीन गुफा चित्रकला स्थल है।

## हैबिटेबल ज़ोन प्लैनेट फाइंडर

हैबिटेबल ज़ोन प्लैनेट फाइंडर (Habitable-zone Planet Finder- HPF) ने G9-40b नामक अपने पहले ग्रह (एक्सोप्लैनेट-Exoplanet) होने की पुष्टि की है जो 6 दिनों (1 दिन = 24 घंटा) की कक्षीय अवधि में कम द्रव्यमान वाले चमकीले तारे एम-ड्वार्फ (M-dwarf) की परिक्रमा करता है जो कि पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

- इससे पहले नासा के केपलर मिशन (Kepler Mission) ने मेजबान तारे के प्रकाश का पता लगाया था और यह बताया था कि ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान तारे के सामने से होकर गुज़रता है। HPF द्वारा एक्सोप्लैनेट की पुष्टि करने के लिये इस जानकारी का इस्तेमाल किया गया।

### G 9-40b:

- G 9-40b शीर्ष 20 निकटतम पारगमन ग्रहों में से एक है।

### हैबिटेबल ज़ोन प्लैनेट फाइंडर:

- HPF एक खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसे पेन स्टेट यूनिवर्सिटी (Penn State University) के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है और यह हाल ही में अमेरिका में स्थित मैकडॉनल्ड ऑब्ज़र्वेटरी में हॉबी-एबरली टेलीस्कोप (Hobby-Eberly Telescope) पर स्थापित किया गया है।
- HPF डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect) का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करता है।

### डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect):

- जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉप्लर प्रभाव (Doppler effect) कहते हैं।
- यही प्रभाव प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति के कारण भी होता है, जिसमे प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन का अनुभव नही होता है क्योंकि प्रकाश की गति की तुलना में उन दोनों की आपेक्षिक गति बहुत ही कम होती है।

### स्पेक्ट्रोग्राफ:

- स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश को उसके घटक तरंग दैर्ध्य में विभाजित करता है। वैज्ञानिक स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट हिस्से पर प्रकाश के गुणों को मापते हैं और प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करते हैं।
- HPF आस-पास के कम-द्रव्यमान वाले तारों से आ रही अवरक्त किरणों के संकेतों की स्पष्ट माप प्रदान करता है।
- HPF को वासयोग्य क्षेत्र (Habitable-Zone) में ग्रहों का पता लगाने और उन्हें चिह्नित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है जिसे गोल्डीलॉक्स ज़ोन के रूप में भी जाना जाता है। यह तारे के आसपास का क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह पर जल की उपस्थिति का पता लगा है।
- HPF वर्तमान में निकटतम कम-द्रव्यमान वाले तारों का सर्वेक्षण कर रहा है जिन्हें एम-ड्वार्फ भी कहा जाता है।

### एक्सोप्लैनेट (Exoplanet):

- एक एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रासोलर ग्रह सौरमंडल के बाहर का ग्रह है। एक्सोप्लैनेट की पुष्टि पहली बार वर्ष 1992 में हुई।
- एक्सोप्लैनेट को दूरबीन से देखना बहुत कठिन है। ये उन तारों की तेज़ चमक के कारण दिखाई नहीं देते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसलिये खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और अध्ययन करने के लिये अन्य तरीकों का उपयोग किया है जैसे कि इन ग्रहों का उन तारों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके।

## नई एंटीबायोटिक

कनाडा के मैकमास्टर विश्वविद्यालय (McMaster University) में वैज्ञानिकों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का एक नया समूह खोजा गया जो प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance- AMR) से निपटने में सहायक हो सकता है।

### मुख्य बिंदु:

- कॉर्बोमाइसिन और कॉम्पलेस्टिन बैक्टीरियल वाल (Bacterial Wall) को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करते हैं इस प्रकार बैक्टीरियल कोशिकाओं का विभाजन रोका जाता है।
    - बैक्टीरियल वाल- बैक्टीरिया की कोशिकाओं के बाहर चारों ओर एक दीवार होती है जो उन्हें आकार देती है और शक्ति का स्रोत होती है।
- वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह पेनिसिलिन जैसे पुराने एंटीबायोटिक्स के विपरीत काम करती है जो बैक्टीरियल वाल को पहले ही स्थान पर बनने से रोककर बैक्टीरिया को मारती है।

शोध से संबंधित जानकारी:

- अपने शोध के लिये वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोपेप्टाइड्स (Glycopeptides) नामक एंटीबायोटिक दवाओं के एक वर्ग का अध्ययन किया जो मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होते हैं।
- सेल इमेजिंग तकनीक (Cell Imaging Technique) का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पाया कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल सेल वाल (Bacterial Cell Wall) पर हमला करने के बाद कार्य करते हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने बताया कि ये एंटीबायोटिक्स (स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus Aureus)) चूहों में संक्रमण को रोकने में सक्षम हैं।
- स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus Aureus) दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का एक वर्ग है। बैक्टीरिया के इस वर्ग को गंभीर संक्रमण का कारक माना जाता है।

### प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance- AMR):

- AMR एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्यों, जानवरों और जलीय कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग AMR में योगदान देता है। इसके अलावा इस समस्या का कारण खेतों, कारखानों, मेडिकल एवं घरेलू अपशिष्टों का खराब प्रबंधन है।
- 26 जुलाई, 2019 को AMR का प्रबंधन करने हेतु एक कार्ययोजना विकसित करने में केरल के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया।
- AMR से निपटने के तरीकों का पता लगाने के लिये 10 अफ्रीकी देशों के विशेषज्ञों ने 22-24 जनवरी, 2020 को ज़ाम्बिया के लुसाका में मुलाकात की।

गौरतलब है कि एंटीबायोटिक दवाओं के नए वर्ग की खोज से संबंधित अध्ययन का निष्कर्ष 12 फरवरी, 2020 को 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।

नोट :

## कवाल टाइगर रिज़र्व

कवाल टाइगर रिज़र्व (Kawal Tiger Reserve) भारत के तेलंगाना राज्य में मनचेरियल ज़िला (पुराना नाम आदिलाबाद ज़िला) के जन्नाराम मंडल में स्थित है।

### मुख्य बिंदु:

- यह सह्याद्रि पहाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र के ताडोबा वन तक 893 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह अभयारण्य गोदावरी और कदम नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में है जो अभयारण्य के दक्षिण में बहती हैं।
- कवाल टाइगर रिज़र्व की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और इसे वर्ष 1999 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कवाल वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व घोषित किया था।

वनस्पति:

- यह अभयारण्य सागौन वनों के लिये प्रसिद्ध है। शुष्क पर्णपाती सागौन वनों के अलावा यहाँ बाँस, टर्मिनलिया (Terminalia), पेरोकार्पस (Pterocarpus), एनोगाइसिस (Anogeisus) और कैसियास (Cassias) के भी वृक्ष पाए जाते हैं।

जीव-जंतु:

- यहाँ पाए जाने वाली स्तनधारी प्रजातियों में बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय, बार्किंग डियर और स्लॉथ बियर आदि शामिल हैं।

## मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य (Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary) को टाइगर रिज़र्व घोषित कर सकता है।

### मुख्य बिंदु:

- मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य या माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में पूर्वी घाट का एक संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है।
- इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम इस अभयारण्य में स्थित प्रसिद्ध मलई महादेश्वरा हिल्स मंदिर के प्रमुख देवता 'भगवान माले महादेश्वर' के नाम पर रखा गया है।
- इस अभयारण्य को वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 906.187 वर्ग किलोमीटर है।
- इस अभयारण्य के उत्तर-पूर्व में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य (कर्नाटक), दक्षिण में सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु) और पश्चिम में बिलिगिरिरंगास्वामी मंदिर टाइगर रिज़र्व (कर्नाटक) स्थित है।
- यह अभयारण्य बाघों का निवास स्थान है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के त्रि-जंक्शन के बहुत करीब स्थित है।

## क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटाथनबर्गी

हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने ब्रुनेई में घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है।

### मुख्य बिंदु:

- इस प्रजाति का नाम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करने वाली स्वीडन की एक कार्यकर्त्ता ग्रेटाथनबर्ग के सम्मान में क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटाथनबर्गी (Craspedotropis Gretathunbergae) रखा गया है।
- यह नई प्रजाति उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करती हैं और सूखे एवं अत्यधिक तापमान के प्रति संवेदनशील है।
- हाल ही में बीटल की एक छोटी प्रजाति का नाम भी उनके नाम पर नेलोप्टोडे ग्रेटे (Nelloptodes Gretae) रखा गया था।
- वर्ष 2018 में बीटल की एक नई प्रजाति (ग्रोवेल्लिनस लियोनार्डोडिकैप्रियो-Grouvellinus Leonardodicaprioi) का नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो (एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता और पर्यावरणविद्) के नाम पर रखा गया था।

नोट :

## बभनियाव: पुरातात्त्विक स्थल

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University- BHU) के सर्वेक्षणकर्त्ताओं की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 13 किमी. दूर बभनियाव (Babhaniyav) गाँव में लगभग 4,000 वर्ष पुरानी शहरी बस्ती का पता लगाया गया है।

### मुख्य बिंदु:

- अनुमान लगाया गया है कि यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शिल्प ग्रामों में से एक हो सकता है।
  - बुद्ध के काल में वाराणसी के आसपास कई उपनगरीय शिल्प ग्राम थे। जैसे- बढ़ई का गाँव या रथ बनाने वाला गाँव।
  - उत्तर प्रदेश में शिल्प ग्राम सारनाथ, तिलमापुर और रामनगर जिन्हें पहले खोजा जा चुका हैं।
- बभनियाव गाँव में पुरातात्त्विक स्थल के प्रारंभिक सर्वेक्षण में 8वीं शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच एक मंदिर का पता चला है। यहाँ से प्राप्त मिट्‌टी के बर्तन लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं, जबकि मंदिर की दीवारें 2000 वर्ष पुरानी हैं।
- सर्वेक्षणकर्त्ताओं ने एक स्तंभ का भी पता लगाया है। जिसमें कुषाण-ब्राह्मी लिपि में दो-पंक्तियाँ लिखी हैं।
  - कुषाण वंश ने पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया।
  - कुषाण शासकों द्वारा जारी किये गए शिलालेख या उनके शासन क्षेत्रों में ग्रंथ बैक्ट्रियन भाषा (ग्रीक लिपि) में एवं प्राकृत भाषा (ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि) में लिखे गए हैं।
- इस स्थल की वाराणसी से निकटता के कारण इसका महत्त्व अधिक है जिसे 5,000 वर्ष पुराना माना जाता है, हालाँकि आधुनिक विद्वानों का मानना है कि यह लगभग 3,000 वर्ष पुराना है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थल वाराणसी का एक छोटा उप-केंद्र हो सकता है जो एक नगरीय कस्बे के रूप में विकसित हुआ होगा। बभनियाव एक अनुषंगी शहर और वाराणसी-सारनाथ क्षेत्र के लिये एक निर्यातक केंद्र हो सकता है।

### वाराणसी:

- वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है और हिंदू धर्म के सात पवित्र शहरों में से एक है।
- यह विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका प्रारंभिक इतिहास मध्य गंगा घाटी में पहली आर्य बस्ती से शुरू होता है।
- बुद्ध के समय (6वीं शताब्दी ईसा पूर्व) में वाराणसी, काशी राज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था।
- प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनज़ांग (Xuanzang) जिसने लगभग 635 ईस्वी में इस शहर का दौरा किया था, ने इस शहर को धार्मिक, शैक्षिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया।
- वर्ष 1194 में जब इस उपमहाद्वीप पर मुस्लिम आक्रमण हुए तब से वाराणसी के शहरीकरण में गिरावट आनी शुरू हुई।
- 18वीं शताब्दी में वाराणसी एक स्वतंत्र राज्य बना और बाद के ब्रिटिश शासन के तहत यह एक वाणिज्यिक और धार्मिक केंद्र बना रहा।
- वर्ष 1910 में अंग्रेज़ों ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बनाया जिसमें रामनगर (गंगा के विपरीत तट पर स्थित है ) को मुख्यालय बनाया गया था।
- वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया।

## ओलिव रिडले कछुआ

ओडिशा के समुद्री तट के पास रुशिकुल्या नदी के मुहाने पर सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं जहाँ विश्व के सबसे छोटे समुद्री कछुए ओलिव रिडले (Olive Ridleys) प्रत्येक वर्ष अंडे देने के लिये आते हैं।

### मुख्य बिंदु:

- ओलिव रिडले समुद्री कछुओं (Lepidochelys olivacea) को 'प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं' के नाम से भी जाना जाता है।

नोट :

- ये मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं।

### आईयूसीएन स्थिति:

- पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े संगठन आईयूसीएन (International Union for Conservation of Nature- IUCN) द्वारा जारी रेड लिस्ट में इसे अतिसंवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।
- ओलिव रिडले कछुए हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर ओडिशा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं और फिर इन अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हज़ारों किलोमीटर दूर अपने निवास-स्थान पर चले जाते हैं।
  - उल्लेखनीय है कि लगभग 30 साल बाद यही कछुए जब प्रजनन के योग्य होते हैं, तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने आते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ था।
- दरअसल अपनी यात्रा के दौरान वे भारत में गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से गुज़रते हैं, किंतु प्रजनन करने और घर बनाने के लिये ओडिशा के समुद्री तटों की रेत को ही चुनते हैं।

## विट्टल मंदिर

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) ने हम्पी (Hampi) के विट्टल मंदिर (Vittala Temple) परिसर के अंदर स्थित पत्थर के रथ को सुरक्षित करने के लिये इसके चारों ओर एक लकड़ी का बाड़ा स्थापित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि विट्टल मंदिर हम्पी में सबसे अधिक देखे जाने वाले संरक्षित स्मारकों में से एक है।

### विट्टल मंदिर के बारे में:

- हम्पी में विट्टल मंदिर एक प्राचीन स्मारक है जो अपनी असाधारण वास्तुकला और बेजोड़ शिल्प कौशल के लिये जाना जाता है। इसे हम्पी में सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध संरचना में से एक माना जाता है।

### अवस्थिति:

- विट्टल मंदिर हम्पी के उत्तर-पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है।

### मुख्य आकर्षक:

- इस मंदिर में अद्भुत पत्थर की संरचनाएँ हैं जैसे- पत्थरों से निर्मित रथ व संगीतमय स्तंभ।

### निर्माण कार्य:

- विट्टल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में कराया गया था। यह विजयनगर साम्राज्य के शासकों में एक प्रमुख राजा देवराय द्वितीय (1422 - 1446 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था।
- विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय (1509-1529 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान इस मंदिर के कई हिस्सों का विस्तार किया गया। उन्होंने स्मारक को उसका वर्तमान स्वरूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### विठ्ठल मंदिर समर्पित है:

- विट्टल मंदिर को 'श्री विजया विठ्ठला मंदिर' के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के एक अवतार 'भगवान विठ्ठल' को समर्पित है। इस मंदिर में विठ्ठल-विष्णु की एक मूर्ति विराजमान है।

### मंदिर की वास्तुकला शैली:

- विट्टल मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है।

### पत्थर का रथ:

- विट्टल मंदिर परिसर में स्थित पत्थर के रथ को विजयनगर साम्राज्य का सबसे आश्चर्यजनक वास्तुकला माना जाता है।
- यह भारत के तीन प्रसिद्ध पत्थर के रथों में से एक है। अन्य दो पत्थर के रथ कोणार्क (ओडिशा) और महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में स्थित हैं।
- विट्टल मंदिर में स्थित पत्थर का रथ वास्तव में एक मंदिर है जिसे एक सजावटी रथ के आकार में डिज़ाइन किया गया है।
  - यह मंदिर गरुड़ पक्षी को समर्पित है और गरुड़ की एक आकृति इस मंदिर के गर्भगृह में है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है।

### रंगा मंडप के संगीतमय स्तंभ

- रंगा मंडप विट्टल मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह विशाल मंडप अपने 56 संगीतमय स्तंभों के लिये प्रसिद्ध है।
- इन संगीतमय स्तंभों को सा, रे, गा, मा (SAREGAMA) स्तंभों के रूप में भी जाना जाता है जिनसे संगीत सुरों की ध्वनि प्रवाहित होती हैं।
- मंडप के अंदर मुख्य स्तंभों और छोटे स्तंभों के कई सेट मौजूद हैं। प्रत्येक मुख्य स्तंभ रंगा मंडप की छत को सहारा देता है। मुख्य स्तंभों को संगीत वाद्ययंत्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- प्रत्येक मुख्य स्तंभ 7 छोटे स्तंभों से घिरा हुआ है। ये 7 स्तंभ प्रतिनिधि संगीत वाद्ययंत्रों से 7 अलग-अलग संगीत की ध्वनि निकलती है।

## कलसा-बंडूरी नाला प्रोजेक्ट

महादयी नदी बेसिन पर कलसा-बंडूरी नाला प्रोजेक्ट (Kalasa-Banduri Nala Project) की मौजूदा लागत अंतर-राज्य नदी जल विवाद के कारण लगभग 94 करोड़ रुपए (2000 में) से बढ़कर 1,677.30 करोड़ रुपए (2020 में) हो गई है।

### उद्देश्य:

- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कर्नाटक के तीन ज़िलों (बेलगावी, धारवाड़ और गडग) में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है।

### मुख्य बिंदु:

- 1990 के दशक में कर्नाटक सरकार ने राज्य की सीमा के अंदर महादयी नदी से नहरों और बाँधों की श्रृंखला द्वारा 7.56 TMC (Thousand Million Cubic Feet) पानी मलप्रभा बाँध में लाने के लिये कलसा-बंडूरी नाला प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था।
- मलप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कलसा और बंडूरी इस परियोजना में प्रस्तावित दो नहरों के नाम हैं। मलप्रभा नदी धारवाड़, बेलगाम और गडग ज़िलों को पेयजल की आपूर्ति करती है।
- वर्ष 1989 में जब कलसा-बंडूरी नाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तब गोवा राज्य ने इस पर आपत्ति जताई थी।
- महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र इस न्यायाधिकरण के पक्षकार हैं।

## एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार- 2020

सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Drug Research Institute- CDRI), लखनऊ की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नीति कुमार को एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार- 2020 (SERB Women Excellence Award- 2020) के लिये चुना गया है।

### मुख्य बिंदु:

- 28 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day- NSD) समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा।

### राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

- भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।

**थीम:**

- इस वर्ष के लिये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएँ' (Women in Science) है।

**उद्देश्य:**

- इसका मूल उद्देश्य छात्रों को विज्ञान के प्रति आकर्षित एवं प्रेरित करना तथा लोगों को विज्ञान व वैज्ञानिक उपलब्धियों से अवगत कराना है।
- 28 फरवरी को रमन प्रभाव (Raman Effect) की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन (Sir CV Raman) ने की थी।

**रमन प्रभाव (Raman Effect):**

- रमन प्रभाव के अनुसार, प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुज़रता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय, कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं।
- रमन प्रभाव के लिये सी.वी. रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु की उन महिला वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्हें किसी एक या अधिक राष्ट्रीय अकादमियों जैसे- युवा वैज्ञानिक मेडल, युवा एसोसिएट आदि से सम्मानित किया जा चुका हो।

**अनुदान:**

- इसके तहत महिला शोधकर्त्ताओं को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board- SERB) द्वारा 3 वर्षों के लिये 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा।

**अनुसंधान कार्य:**

- डॉ. नीति कुमार का अनुसंधान समूह मलेरिया के निवारण के लिये वैकल्पिक दवा लक्ष्यों की खोज हेतु मानव मलेरिया परजीवी में प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण मशीनरी को समझने का प्रयास कर रहा है।
- डॉ. नीति कुमार पहले भी कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। इसमें इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड, इंडियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा यंग साइंटिस्ट (2010) के लिये आईएनएसए मेडल, रामलिंगस्वामी फेलोशिप (2013-2018), ईएमबीओ पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (2010-2012), अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फेलोशिप (2010), मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री (2009) में मैक्स प्लैंक पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप व 6वें फ्रेमवर्क प्रोग्राम के तहत यूरोपीय संघ द्वारा मैरी क्यूरी अर्ली रिसर्च फेलोशिप (2005-2006) शामिल हैं।

## मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व (Mukundara Hills Tiger Reserve) राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में स्थित है।

**मुख्य बिंदु:**

- मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व राजस्थान के चार ज़िलों- कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला हुआ है।
- यह टाइगर रिज़र्व 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 417 वर्ग किलोमीटर का एक मुख्य क्षेत्र और 342 वर्ग किलोमीटर का एक बफर ज़ोन शामिल है।
- इसे वर्ष 1955 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ के वन में पेड़ बहुत मोटे और घने हैं।
- यह टाइगर रिज़र्व चार नदियों रमज़ान, आहू, काली और चंबल से घिरा हुआ है और यह दो समानांतर पहाड़ों मुकुंदरा एवं गगरोला के बीच स्थित है। यह चंबल नदी की सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।
- राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) के सहयोग से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वर्ष 2013 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया था।

नोट :

## उल्सूर झील

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) की दक्षिणी पीठ ने बंगलूरू की उल्सूर झील (Ulsoor Lake) और आसपास क्षेत्रों से पानी के नमूने इकट्ठा करने एवं उसकी जाँच करने के लिये एक संयुक्त समिति के गठन का निर्देश दिया है।

### समिति की संरचना:

- इस समिति में बंगलूरू शहर के डिप्टी कमिश्नर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय एवं कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, ब्रुहट (Bruhat) बंगलूरू महानगर पालिका के कमिश्नर इत्यादि लोग शामिल होंगे।

### समिति के कार्य:

- इस समिति को उल्सूर झील एवं इसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने, प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने एवं प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही समिति को उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिये भी कहा गया है।
- उल्सूर झील के जल में न केवल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (Biochemical Oxygen Demand- BOD) एवं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (Chemical Oxygen Demand-COD) की जाँच की जाएगी अपितु आर्सेनिक एवं फॉस्फोरस जैसे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों की भी जाँच की जाएगी।

### उल्सूर झील (Ulsoor Lake) के बारे में

#### अवस्थित:

- यह बंगलूरू (कर्नाटक) की बड़ी झीलों में से एक है तथा यह झील बंगलूरू शहर के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है।

#### क्षेत्रफल:

- यह झील 50 हेक्टेयर (123.6 एकड़) क्षेत्र में फैली हुई है तथा इसमें कई द्वीप भी हैं।

#### अन्य नाम:

- इस झील को हलासुरु झील (Halasuru Lake) भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि इसका यह नाम बंगलूरू के हलासुरु क्षेत्र में इसकी अवस्थिति के कारण पड़ा है।
- इस झील को केंपे गौड़ा (Kempe Gowda) के बनवाया था। केंपे गौड़ा विजयनगर साम्राज्य (1336-1646 ईस्वी) के एक सामंत थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू शहर की स्थापना केंपे गौड़ा ने वर्ष 1537 में की थी।
- वर्ष 2016 में इस झील में ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण हजारों मछलियों के मरने की घटना सामने आई थी।

## हेनेगुया सालमिनिकोला

इज़राइल में तेल अवीव विश्वविद्यालय (Tel Aviv University) के शोधकर्त्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुया सालमिनिकोला (Henneguya Salminicola) की खोज की।

### मुख्य बिंदु:

- हेनेगुया सालमिनिकोला जेलीफिश के आकार का एक छोटा परजीवी है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है।
- यह परजीवी सालमन मछली (Salmon Fish) के अंदर पाया जाता है तथा यह अवायवीय श्वसन पर निर्भर रहते हैं। इस परजीवी में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है।
- कवक एवं अमीबा जैसे जीव अवायवीय वातावरण में पाए जाते हैं तथा समय के साथ साँस लेने की क्षमता खो देते हैं। नए अध्ययन से संभावना है कि जानवरों के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है।

इस परजीवी की खोज ने जीव जगत के बारे में विज्ञान की धारणाओं को चुनौती दी है क्योंकि सभी जीव वायवीय श्वसन करते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।

नोट :

## इन्द्रधनुष

24 फरवरी, 2020 को भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) और ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स (Royal Air Force) ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के हिंडन वायु सेना स्टेशन पर इंद्रधनुष युद्धाभ्यास (Indradhanush Exercise) के पाँचवें संस्करण की शुरुआत की।

### सहभागी देश:

- यह युद्धाभ्यास भारत एवं ब्रिटेन की वायु सेना के बीच किया जा रहा है।

### मुख्य बिंदु:

- युद्धाभ्यास इस संस्करण में 'बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन' (Base Defence and Force Protection) पर ज़ोर दिया गया है।
- यह युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स को अपने-अपने देश के प्रतिष्ठानों को आतंकी खतरों से निपटने हेतु मान्य रणनीतियों और युक्तियों को साझा करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

भारत एवं ब्रिटेन के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यास

- अजेय वारियर- सैन्य अभ्यास
- कोंकण- नौसेना अभ्यास

## आयुष शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति एवं शब्दावली के मानकीकरण पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Standardisation of Diagnosis and Terminologies in Ayurveda, Unani and Siddha Systems- ICoSDiTAUS-2020) का 26 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में समापन हुआ।

### आयोजन:

- इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 25-26 फरवरी, 2020 के दौरान आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

सम्मेलन में शामिल देश

- इस सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा (Traditional Medicine) को महत्त्व देने वाले श्रीलंका, मॉरीशस, सर्बिया, कुराकाओ, क्यूबा, म्याँमार, इक्वेटोरियल गिनी, कतर, घाना, भूटान, उज़्बेकिस्तान, भारत, स्विट्ज़रलैंड, ईरान, जमैका और जापान समेत 16 देशों ने भाग लिया।

### मुख्य बिंदु:

- ICoSDiTAUS-2020 अब तक के सभी महाद्वीपों को कवर करने वाली व्यापक स्तर की भागीदारी के संदर्भ में पारंपरिक चिकित्सा के निदान एवं शब्दावली के मानकीकरण के लिये समर्पित सबसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
- इस सम्मेलन में सभी देशों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा निदान डेटा के संग्रह और वर्गीकरण पर नई दिल्ली घोषणा (New Delhi Declaration on Collection and Classification of Traditional Medicine (TM) Diagnostic Data) को अपनाया गया।
    - नई दिल्ली घोषणा में स्वास्थ्य देखभाल के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पारंपरिक चिकित्सा के लिये देशों की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया।
- इस सम्मेलन में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भविष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

## यार्ड 45006 वज्र

27 फरवरी, 2020 को चेन्नई में तटीय सुरक्षा बढ़ाने हेतु 6वें तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत (Offshore Patrol Vessel- OPV-6) 'यार्ड 45006 वज्र' (Yard 45006 VAJRA) को लॉन्च किया गया।

### उद्देश्य:

- इस पोत द्वारा लगभग 7500 किमी. विशाल भारतीय तटरेखा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के लगभग 20 लाख वर्ग किमी. के विशाल क्षेत्र को सुरक्षित करने की कोशिश की जाएगी।

### मुख्य बिंदु:

- 6वें अपतटीय गश्ती पोत 'यार्ड 45006 वज्र' (Yard 45006 VAJRA) को पहली बार समुद्र म् उतारा गया। यह पोत केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित की जा रही सात अपतटीय गश्ती पोत प्रोजेक्ट की श्रृंखला में 6वाँ है।
- विशेष रूप से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ) में आतंकवाद विरोधी एवं तस्करी विरोधी अभियानों के साथ-साथ इसका इस्तेमाल दिन व रात के समय गश्त के लिये किया जाएगा।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र ( Exclusive Economic Zone-EEZ): EEZ बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।

- यार्ड 45006 वज्र वैश्विक व्यापार हेतु प्रत्येक वर्ष भारतीय जल क्षेत्र से पारगमन करने वाले लगभग एक लाख व्यापारी जहाज़ों के लिये सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करेगा।

## स्थानीय स्व शासन में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण का कार्यक्रम

भारत सरकार के जनजाति मामलों के मंत्री ने 27 फरवरी, 2020 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में 'स्थानीय स्व शासन में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम' (Programme for Capacity Building of Scheduled Tribe Representatives in Local Self Governments) का शुभारंभ किया।

### उद्देश्य:

- इस क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय प्रतिनिधियों के निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार करके उनको सशक्त बनाना है।

### मुख्य बिंदु:

- यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो जनजातीय लोगों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- यह कार्यक्रम सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा निगरानी के कार्य में पंचायती राज संस्थाओं के जनजाति प्रतिनिधियों की अधिक-से-अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
- इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के मॉड्यूल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) के संयोजन में विकसित किया गया है।

## 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स

भारत सरकार के जनजाति मामलों के मंत्री ने 27 फरवरी, 2020 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में 'स्थानीय स्व- शासन में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम' के अवसर पर '1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स' (1000 Spring Initiatives) और जीआईएस-आधारित स्प्रिंग एटलस से संबंधित सूचनाओं के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया।

### उद्देश्य:

- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत के कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिये सुरक्षित एवं पर्याप्त जलापूर्ति में सुधार करना है।

### स्प्रिंग्स (Springs):

- स्प्रिंग्स मूल रूप से भूजल निर्वहन के प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका उपयोग विश्व में पर्वतीय क्षेत्रों के साथ-साथ भारत में भी बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है।
- स्प्रिंग्स वह स्रोत बिंदु है जहाँ किसी जलभृत (Aquifer) से जल निकलकर पृथ्वी की सतह पर बहता है। यह जलमंडल का एक घटक है।
- हालाँकि 75% से अधिक जनजातीय आबादी वाले मध्य एवं पूर्वी भारत में स्प्रिंग्स का कम उपयोग किया जाता है।

### मुख्य बिंदु:

- इस पहल में पेयजल के लिये पाइपों से जलापूर्ति हेतु बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना शामिल है। जिससे सिंचाई और बैकयार्ड पोषण उद्यान (Backyard Nutrition Gardens) के लिये जल की व्यवस्था हो सके, परिणामतः जनजातीय लोगों के लिये स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न किये जा सकेंगे।
- यह पहल बारहमासी स्प्रिंग्स के जल का उपयोग करने में सहायता करेगी जिसका उपयोग जनजातीय क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिये किया जाएगा।

जीआईएस आधारित स्प्रिंग एटलस पर ऑनलाइन पोर्टल

- इस ऑनलाइन पोर्टल को स्प्रिंग्स पर आधारित डेटा तक पहुँच में सुधार करने हेतु लॉन्च किया गया है।
- वर्तमान में स्प्रिंग एटलस पर 170 से अधिक स्प्रिंग्स का डेटा उपलब्ध है।

## स्यनेचोकॉकस एसपी. पीसीसी 7002

जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology- ICGEB) के शोधकर्त्ताओं ने एक समुद्री सूक्ष्मजीव की विकास दर एवं शुगर की मात्रा को बेहतर करने के लिये एक विधि विकसित की है। जिसे स्यनेचोकॉकस एसपी. पीसीसी 7002 (Synechococcus sp. PCC 7002) कहा जाता है।

### मुख्य बिंदु:

- बायोफ्यूल उत्पादन सहित अधिकांश जैव-प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएँ कम लागत, शुगर की सतत् आपूर्ति एवं नाइट्रोजन स्रोत की उपलब्धता पर निर्भर हैं। शुगर सामान्यतः पेड़-पौधों से मिलती है।
  - पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा, प्रोटीन और लिपिड जैसे जैविक घटकों में परिवर्तित करने के लिये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
  - हालाँकि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि सायनोबैक्टीरिया (जिसे नीले-हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है) भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करके शुगर का उत्पादन कर सकते हैं।
- सायनोबैक्टीरिया से शुगर की प्राप्ति भूमि आधारित फसलों की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरियल बायोमास प्रोटीन के रूप में एक नाइट्रोजन स्रोत प्रदान करता है।
- सायनोबैक्टीरिया ताज़े एवं खारे जल दोनों में पाए जाते हैं। समुद्री साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करना बेहतर हो सकता है क्योंकि ताज़े जल के स्रोतों में तेज़ी से कमी हो रही है।
  - हालाँकि समुद्री सायनोबैक्टीरिया आधारित शुगर उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता मंइ सुधार हेतु उनकी विकास दर एवं शुगर प्राप्ति में उल्लेखनीय सुधार करने की आवश्यकता है।

- शोधकर्त्ताओं ने एक समुद्री सायनोबैक्टीरियम को सफलतापूर्वक स्यनेचोकॉकस एसपी. पीसीसी 7002 (Synechococcus sp. PCC 7002) विधि से निर्मित किया है। इनमें उच्च विकास दर तथा शुगर (ग्लाइकोजन-Glycogen) प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। हवा की उपस्थिति में इनकी विकास दर दोगुनी हो गई जबकि इनकी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन की मात्रा में लगभग 50% की वृद्धि हुई।
  - ग्लाइकोजन ग्लूकोज़ की बहुशाखा वाला एक पॉलीसेकेराइड है जो जीव-जंतुओं, कवक एवं बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। पॉलीसेकेराइड संरचना जीवों के शरीर में ग्लूकोज़ के मुख्य भंडारण का प्रतिनिधित्व करती है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

### (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology- ICGEB):

- ICGEB एक विशिष्ट अंतर सरकारी संगठन है जिसे शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization- UNIDO) की विशेष परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। किंतु वर्ष 1994 के बाद यह पूरी तरह से स्वायत्त हो गया।
- इसकी इटली, भारत और दक्षिण अफ्रीका में 46 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ हैं और 65 से अधिक सदस्य देशों के साथ एक परस्पर संवादात्मक नेटवर्क बनाता है।
- यह विश्व भर में सतत् वैश्विक विकास की सफलता में योगदान करने हेतु उद्योगों के लिये जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत कार्य करता है।

## नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (Union Power Minister) ने 11 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT CENTERs-REMCs) को राष्ट्र को समर्पित किया।

### मुख्य बिंदु:

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वानुमान एवं शेड्यूलिंग टूल से युक्त हैं और ये केंद्र ग्रिड ऑपरेटरों को विज़ुअलाइज़ेशन एवं संवर्द्धित स्थितिजन्य अधिक-से-अधिक जागरूकता प्रदान करते हैं।
- भारत सरकार ने REMCs को केंद्रीय योजना के रूप में लागू करने की मंजूरी दे दी है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पावरग्रिड (जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है।) को विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अनिवार्य माना है।
- इन REMCs का प्रावधान क्षेत्रीय स्तर पर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POSOCO) और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर राज्य भार प्रेषण केंद्र (State Load Dispatch Centres- SLDC) द्वारा किया जा रहा है।
- वर्तमान में 11 REMCs द्वारा 55 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर एवं पवन ऊर्जा) की निगरानी की जा रही है।
- गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य तय किया है।

## विज्ञान ज्योति और जीएटीआई

हाल ही में 28 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science & Technology) की दो पहलों- विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti) और जीएटीआई (GATI) का उल्लेख किया गया।

### विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti):

- भारत सरकार ने छात्राओं को स्टेम (STEM- Science, Technology, Engineering and Mathematics) शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti) नामक पहल की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी।

नोट :

- इस पहल के माध्यम से वर्ष 2020-2025 तक 550 ज़िलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन छात्राओं का चयन उनके अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इस पहल में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाएगा।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में स्टेम शिक्षा में केवल 24% महिलाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं की भागीदारी स्नातकोत्तर स्तर पर 22%, एम फिल में 28%,पीएचडी स्तर पर 35% और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में मात्र 10% है।

जीएटीआई (Gender Advancement for Transforming Institutions- GATI):

- जीएटीआई (GATI) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिये एक व्यापक चार्टर एवं रूपरेखा विकसित करेगा।

## मिशन पूर्वोदय

पूर्वी भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिये इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) ने मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya) की शुरुआत की।

### उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से विकास में तेज़ी लाना है।

### मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार लॉजिस्टिक और ढाँचागत उपयोग में बदलाव लाना चाहती है जिससे पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदल सकता है।
- पूर्वी भारत में इस्पात क्षमताओं में 75% वृद्धि की संभावना, जिसमें अकेले ओडिशा का योगदान 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक है।
- इस मिशन को पूरा करने के लिये जापान, भारत का सहभागी देश है। जापानी तकनीकी विशेषज्ञता एवं निवेश से ओडिशा में इस्पात क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करने में मदद मिलेगी जिससे पूर्वी भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति दी जा सकेगी।

ओडिशा: महत्त्वपूर्ण क्यों?

- कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति और सुदृढ़ एवं विकसित कनेक्टिविटी के साथ ओडिशा पूर्वी भारत के इस्पात हब का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा।

कलिंग नगर: एक उपकेंद्र के रूप में

- ओडिशा में कलिंग नगर (Kalinga Nagar) को मिशन पूर्वोदय के एक उपकेंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इसके लिये भारत सरकार, ओडिशा सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत सरकार का उद्देश्य कलिंग नगर को वैश्विक इस्पात उद्योग का एक जीवंत केंद्र बनाना है।

## पीएमजी पोर्टल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (Minister of Commerce & Industry) ने पीएमजी पोर्टल (PMG Portal) के माध्यम से बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की।

### पीएमजी पोर्टल के बारे में:

- परियोजना निगरानी समूह (PMG) उद्योग संवर्द्धन एवं आतंरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) की संस्थागत व्यवस्था है।

### उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारत में पाँच सौ करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान करना और नियामक बाधाओं को दूर करना है।

नोट :

### कार्य:

- पीएमजी सभी सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के अनसुलझे विषयों को देखता है और यह परियोजनाओं को मिलने वाली स्वीकृति में तेजी, क्षेत्रीय नीतिगत मुद्दों एवं बाधाओं को दूर करने का काम करता है।
- इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) राज्यों के साथ मुद्दों की पहचान करने तथा उनका अनुसरण करने में पीएमजी को कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करती है।

### मूल्यांकन:

- अब तक पीएमजी पोर्टल ने 809 परियोजनाओं की 3500 से अधिक समस्याओं का समाधान किया है और 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्याशित वित्तीय निवेश का मार्ग प्रशस्त किया है।

## सामाजिक सशक्तीकरण के लिये ज़िम्मेदार एआई

भारत सरकार ने नई दिल्ली में मेगा इवेंट 'सामाजिक सशक्तीकरण के लिये ज़िम्मेदार ए.आई' (Responsible AI for Social Empowerment- RAISE 2020) के आयोजन की घोषणा की है।

### RAISE 2020 के बारे में

- यह सामाजिक सशक्तीकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर आधारित पहला मेगा इवेंट है, इसका आयोजन नई दिल्ली में अप्रैल 2020 में किया जाएगा।
- इस इवेंट में भारत के विज़न और ज़िम्मेदार एआई के माध्यम से सामाजिक सशक्तीकरण, समावेश और परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोड मैप बनाने के लिये एक वैश्विक बैठक का आयोजन किया जाएगा।
- यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन है जिसे सरकार द्वारा उद्योग एवं शिक्षा जगत के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा।
- इस शिखर सम्मेलन में एआई को सामाजिक सशक्तीकरण हेतु उपयोग करने के लिये एक पाठ्यक्रम चार्टर और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समावेश एवं परिवर्तन के लिये विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- यह डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैतिक रूप से विकसित एवं अभ्यास करने की आवश्यकता के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिये विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।

# विविध

- 2017-18 की GDP वृद्धि दर का आँकड़ा संशोधित होकर 7.2 प्रतिशत पर पहुँच गया है। पहले इसके 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) के अनुसार, 2017-18 और 2016-17 में वास्तविक यानी 2011-12 के स्थिर मूल्य पर GDP क्रमशः 131.80 लाख करोड़ रुपए और 122.98 लाख करोड़ रुपए रही। यह 2017-18 में 7.2 प्रतिशत और 2016-17 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 2017-18 के लिये पहला संशोधित अनुमान अब उद्योगवार और संस्थानों के आधार पर विस्तृत सूचना को शामिल करते हुए जारी किया गया है। जबकि इससे पहले 31 मई, 2018 को जारी अस्थायी अनुमान उस समय प्रयोग में लाए गए बेंचमार्क संकेतक तरीके के आधार पर जारी किया गया था।

- देश में रोज़गार से जुड़ी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (NSSO) की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक, 2017-18 में बेरोज़गारी दर 45 साल में सबसे ज़्यादा 6.1% के स्तर पर पहुँच गई। 2017-18 में बेरोज़गारी दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.3% और शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 7.8% रही। इनमें नौजवान बेरोज़गार सबसे ज़्यादा थे, जिनकी संख्या 13% से 27% थी। 2011-12 में बेरोज़गारी दर 2.2% थी। लेकिन नीति आयोग ने इन आँकड़ों को अपुष्ट बताते हुए कहा कि ये आँकड़े सरकार ने जारी नहीं किये हैं। विमुद्रीकरण के बाद देश में बेरोज़गारी को लेकर NSSO का यह पहला सर्वे है।

- रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों- बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA) के दायरे से बाहर कर दिया है। इसके बाद इन बैंकों द्वारा कर्ज़ बाँटने पर लगा प्रतिबंध हट गया हैं। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नियामकीय बाध्यताओं को पूरा कर लिया है। इसमें पूंजी संरक्षण कोष भी शामिल है तथा इसके अलावा तीसरी तिमाही के परिणामों में इन बैंकों का नेट NPA 6 प्रतिशत के स्तर से कम रहा है। इसलिये इन्हें PCA के दायरे से बाहर निकला गया है। इसके अलावा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सरकार की ओर से पर्याप्त पूंजी डाले जाने के बाद बैंक का नेट NPA 6 प्रतिशत से नीचे आ गया, जिसके चलते इस बैंक को भी PCA के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया।

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी गरीबों के लाभ के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत और 4,78,670 किफायती मकानों के निर्माण को मंज़ूरी दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 72,65,763 हो गई है। नई मंज़ूरी के तहत आंध्र प्रदेश के लिये 1,05,956 और पश्चिम बंगाल के लिये 1,02,895 मकानों को स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिये 91,689 और तमिलनाडु के लिये 68,110 मकानों को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश के लिये 35,377, केरल के लिये 25,059, महाराष्ट्र के लिये 17,817 और ओडिशा के लिये 12,290 मकानों को मंज़ूरी दी गई है। बिहार के लिये 10,269 और उत्तराखंड के लिये 9,208 मकानों को मंज़ूरी दी गई है।

- केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने FDI वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये संशोधित नियमों को 1 फरवरी से लागू कर दिया है। गौरतलब है कि एमेज़ॉन, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने 1 फरवरी की समय-सीमा को बढ़ाने के लिये कहा था। इन नए नियमों के तहत उन फर्मों के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है जिनमें इन ई-कॉमर्स कंपनियों की हिस्सेदारी है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों पर उत्पादों की एक्सक्लूसिव बिक्री के लिये करार करने पर भी रोक लगाई गई है। संशोधित नियमों के अनुसार, कोई वेंडर उसी मार्केटप्लेस के समूह की कंपनियों से 25 प्रतिशत से अधिक की खरीद नहीं कर सकता, जहां से उसे उन उत्पादों की बिक्री करनी है।

- 1 फरवरी से देशभर में ट्राई की नई ब्रॉडकास्टिंग नीति लागू हो गई है। इसके तहत DTH और केबल ग्राहकों को पसंदीदा चैनल व मनचाहे पैक चुनने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा ट्राई ने DTH सेवा प्रदाताओं को लंबी अवधि के प्री-पेड पैक जारी रखने की छूट दे दी है। इस नई नीति का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जो अब तक DTH और केबल ऑपरेटर के मुताबिक ही चैनल देख सकते थे। नई नीति से न देखे जाने वाले चैनलों पर होने वाला खर्च बचेगा। इन नए नियमों से ग्राहक, सेवा प्रदाताओं और चैनलों के बीच संतुलन बना रहेगा।

नोट :

- केंद्रीय मंत्रियों-नितिन गडकरी और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले यात्रा-वृत्तांत कार्यक्रम रग-रग में गंगा तथा क्विज-शो मेरी गंगा की शुरुआत की। इन्हें दूरदर्शन ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सहयोग से बनाया है। इस धारावाहिक में 21 कड़ियाँ हैं, जो गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी की यात्रा को दिखाते हैं। इस धारावाहिक में गंगा संरक्षण की आवश्यकता का संदेश दिया गया है और गंगा को स्वच्छ करने के लिये सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी गई है।

- राजस्थान सरकार ने 1 मार्च से युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने के घोषणा की है। इसके तहत लड़कियों को 3500 रुपए और लड़कों को 3000 रुपए प्रति माह बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। यह भत्ता स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद दो वर्ष तक दिया जाएगा। इस भत्ते को पाने के लिये राजस्थान का निवासी होना ज़रूरी है। बेरोज़गार युवाओं को राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना ज़रूरी है। इसके अलावा, बेरोज़गार युवाओं के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक या उससे कम होनी चाहिये।

- सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों की अवधि और एक वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2454 को सर्वसम्मति से पारित किया, जिसके तहत 31 जनवरी, 2020 तक हथियार एवं यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति ज़ब्त करने से जुड़े प्रतिबंध नवीनीकृत हो गए हैं। सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख मानदंड स्थापित करने पर विचार करता है। गौरतलब है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 2012 से गृहयुद्ध चल रहा है।

- जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव कम करने में सहायक एक भुगतान चैनल इन्सटैक्स बनाया है। यह विशेष भुगतान व्यवस्था ईरान के साथ महाशक्तियों के हुए परमाणु समझौते को बनाए रखने में सहायक होगी। इसके अलावा पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा फिर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और यूरोपीय संघ की कंपनियों के बीच कारोबार में रुकावट नहीं आएगी।

- लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा की नियुक्ति NCC के महानिदेशक के पद पर की गई है। दिसंबर 1980 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं। आपको बता दें कि 16 अप्रैल, 1948 को National Cadet Crops Act, 1948 के तहत NCC का गठन किया गया था। NCC में स्कूल तथा कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को सेना के तीनों अंगों (थल सेना, नौसेना वायु सेना) के लिये सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद योग्यतानुसार सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।

- केंद्र सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगाए गए प्रतिबंध को और पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया है। सिमी पर देश में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल करते हुए अधिसूचना जारी कर यह प्रतिबंध लगाया है।

- गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला परिसर में 26 से 31 जनवरी तक आयोजित हुए भारत पर्व का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। इसमें त्रिपुरा के सांग्रेन नृत्य, बंगाली नृत्य, छत्तीसगढ़ का लोक धरोहर, तमिलनाडु का डम्मी हॉर्स, मिज़ोरम का चिरो नृत्य, तेलंगाना का पेरिनी नृत्य व उग्गू डोलू की प्रस्तुति हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित महोत्सव में देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली।

- पंजाब के ग्रामीण इलाकों की हालत सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने स्मार्ट विलेज कैम्पेन पहल की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से गाँवों को आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना के लिये वित्तपोषण 14वें वित्त आयोग तथा मनरेगा के कार्यों से किया जाएगा। लगभग 384.40 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढाँचों में सुधार के लिये चल रही सरकारी योजनाओं का समर्थन करना है।

- पंजाब सरकार ने लुप्तप्राय (Critically Endangered) रिवर वाटर डॉल्फिन को राजकीय जल जीव का दर्जा देने का फैसला किया है। पंजाब में ब्यास नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। पिछले वर्ष WWF-India और पंजाब सरकार द्वारा कराए गए Indus River Dolphin Survey में इनकी संख्या 5 से 11 के बीच बताई गई थी। राजकीय जल जीव का दर्जा मिल जाने के बाद यह ब्यास नदी की पर्यावरण प्रणाली के संरक्षण का काम करेगी।

नोट :

- देश के जाने-माने औद्योगिक घरानों में शामिल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कंम्युनिकेशंस लिमिटेड (RComm) ने दीवालिया घोषित करने के लिये अर्जी दाखिल की है। कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के प्रावधानों के तहत डेब्ट रिज़ॉल्यूशन प्लान पर काम करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा है कि कानूनी चुनौतियों की वज़ह से कर्ज़ चुकाने में कठिनाई हो रही है और उधार देने वालों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।

---

- चीन ने पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिये 2.5 अरब डॉलर का कर्ज़ देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते जाने और विदेशी कर्ज़ के बढ़ने की समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 8.12 अरब डॉलर पर रह गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सुझाए न्यूनतम स्तर से भी कम है तथा इससे केवल सात सप्ताह के आयात का भुगतान किया जा सकता है। इससे पहले चीन ने पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान को दो अरब डॉलर का कर्ज़ दिया था।

---

- UAE और सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी अबेर (Aber) लॉन्च की है। इस संयुक्त डिजिटल मुद्रा का उपयोग दोनों देशों के मध्य ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी के बीच वित्तीय भुगतान के लिये किया जाएगा। दोनों देशों को इस डिजिटल मुद्रा से वित्तीय विनिमय के लिये एक और विकल्प उपलब्ध होगा। शुरुआत में इस मुद्रा का उपयोग सीमित बैंकों में किया जाएगा, बाद में इसे धीरे-धीरे अन्य स्रोतों द्वारा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस मुद्रा की तकनीकी, आर्थिक तथा कानूनी आवश्यकता का अध्ययन करने के बाद इसके उपयोग का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल मुद्रा 'अबेर' केंद्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों के बीच डिस्ट्रिब्यूटेड डेटा के उपयोग पर निर्भर है और यह ब्लॉकचेन पर आधारित है।

---

- IIT पटना के सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और सिविल एंड एन्वायरनमेंट इंजीनियरिंग विभाग ने एक शोध करके सेंसरयुक्त ऐसी तकनीक का विकास किया है, जिसके ज़रिये पुलों की हालत की जाँच की जा सकती है। पुल बनाते समय उसका जो मॉडल बनाया जाता है, उसमें पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का आकलन पहले ही कर लिया जाता है। IIT पटना द्वारा विकसित सेंसर से इसमें आने वाले किसी भी बदलाव का पता चल जाता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कंपन के रूप में मापा जाता है।

---

- पाकिस्तान ने कम दूरी की सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 'नस्र' का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तानी सेना के अनुसार, लगभग 70 किमी. दूरी तक मार करने वाली यह मिसाइल हमलावर मिसाइल को नष्ट करने के साथ ही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर लक्ष्य तक पहुँच सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले ही इस मिसाइल का परीक्षण किया था।

---

- भारत और न्यूज़ीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले गए तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज़ भारत ने 2-1 से जीती। न्यूज़ीलैंड में खेली गई इस सीरीज में पहले दो मैच भारत ने जीते, जबकि तीसरे मैच में न्यूज़ीलैंड ने जीत हासिल की। भारत की बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज़' चुना गया। इस सीरीज़ का आखिरी मैच भारतीय कप्तान मिताली राज का 200वाँ एकदिवसीय मैच था। 36 साल की मिताली राज यह उपलब्धि हासिल करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर हैं।

---

- कतर ने जापान को 3-1 से पराजित कर पहली बार AFC एशियन कप जीत लिया। जापान इस प्रतियोगिता को पहले चार बार जीत चुका है। अबुधाबी में खेले गए इस फाइनल मैच से पहले कतर कभी भी इस प्रतियोगिता में क्वॉर्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन इस बार उसने फाइनल से पहले 16 गोल दागे। सूडान में जन्मे कतर के स्ट्राइकर अलमोज अली ने इस टूर्नामेंट में नौ गोल किये और वह किसी एक एशियाई कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। गौरतलब है कि फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में ही होना है।

---

## पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़े पैमाने पर टिड्डियों के हमले के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। इन टिड्डियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगभग संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह

नोट :

पहली बार हुआ है जब सिंध और पंजाब में हमले के बाद टिड्डी दल ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश किया है। टिड्डियों के हमले से पाकिस्तान को लाखों रुपए की फसल के नुकसान का सामना करना पड़ा है। मुख्यत: टिड्डी एक प्रकार के बड़े उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। यदि अच्छी बारिश होती है और परिस्थितियाँ इनके अनुकूल रहती हैं तो इनमें तेज़ी से प्रजनन करने की क्षमता भी होती है और ये तीन महीनों में 20 गुना तक बढ़ सकते हैं।

### जसवंत सिंह कंवल

प्रसिद्ध पंजाबी लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 1919 में पंजाब के ढुडीके गांव में जन्मे जसवंत सिंह कंवल को वर्ष 1996 में साहित्य अकादमी ने उनकी पुस्तक 'पाखी' पर साहित्य अकादमी ने फेलोशिप दी और दो वर्ष बाद वर्ष 1998 में उपन्यास 'तौशाली दी हांसो' पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उन्हें वर्ष 2007 में पंजाब सरकार द्वारा 'साहित्य शिरोमणि अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।

## राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ मालदीव

मालदीव को राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में आधिकारिक रूप से पुन: शामिल कर लिया गया है। मालदीव ने लगभग 3 वर्ष पूर्व मानवाधिकार के मुद्दे पर राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था। मालदीव राष्ट्रमंडल में ऐसे समय फिर से शामिल हुआ है जब ब्रिटेन 47 वर्ष सदस्य रहने के बाद यूरोपीय संघ (EU) से अलग हुआ है। राष्ट्रमंडल उन देशों का एक समूह है जो अतीत में कभी-न-कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्यों ने लोकतंत्र, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

## मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड

देश के शीर्ष कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल की किताब 'ब्लू इज लाइक ब्लू' को पहले मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को यह अवार्ड बुकर पुरस्कार के ज्यूरी सदस्य मार्गरिट बसबाई द्वारा दिया जाएगा। इसके तहत विनोद कुमार शुक्ल को सम्मान पत्र और 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जायेगी। उनकी किताब का चयन जिस निर्णायक मंडल द्वारा किया गया उनमें शशि थरूर, चंद्रशेखर कंबार और डॉ सुमना रॉय शामिल थे। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी, 1937 को मध्यप्रदेश में हुआ था।

## नाविकों के क्षमता प्रमाणपत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाविकों के लिये प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं निगरानी मानक, 1978 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विनियम 1/10 के अनुरूप नाविकों की क्षमता के प्रमाणपत्रों की मान्यता के लिये समझौता ज्ञापन को अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस समझौते के माध्यम से भारतीय नाविकों को जहाज़रानी महानिदेशालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को दूसरे देशों से मान्यता मिलना आसान होगा। इससे भारतीय नाविक रोज़गार के लिये अन्य देशों में भी जा सकेंगे और इस तरह रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।

## कोरोना वायरस- केरल में राज्य आपदा घोषित

केरल सरकार ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। ध्यातव्य है कि राज्य में इस घातक वायरस के संक्रमण संबंधी 3 मामलों की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया गया है। कोरोना वायरस से प्रभावित चीन सहित अन्य देशों से आए लगभग 2,239 लोगों पर राज्य सरकार द्वारा निगरानी रखी जा रही है। कोरोना वायरस एक विशिष्ट वायरस फैमिली से संबंधित है। इस वायरस फैमिली में कुछ वायरस सामान्य रोगों जैसे- सर्दी, जुकाम और कुछ गंभीर रोगों जैसे श्वसन एवं आँत के रोगों का कारण बनते हैं। कोरोना वायरस की सतह पर क्राउन (Crown) जैसे कई उभार होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप में देखने पर सौर कोरोना जैसे दिखते हैं। इसलिये इसका नाम 'कोरोना वायरस' है।

## 'संतुष्ट' पोर्टल

केंद्रीय श्रम व रोज़गार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोज़गार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिये 'संतुष्ट' नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employment Provident Fund Organization-EPFO) की सेवाओं के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employment State Insurance Corporation-ESIC) की सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी।

## ऑस्ट्रेलियन ओपन

नोवाक जोकोविच ने आठवीं बार वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर यह जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही नोवाक जोकोविक नवीन विश्व रैंकिंग में राफेल नडाल को हटाकर विश्व के शीर्ष खिलाड़ी बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन चार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है, अन्य तीन ग्रैंड स्लैम- फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन हैं। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) द्वारा संचालित किया जाता हैं।

## राम मंदिर निर्माण के लिये ट्रस्ट का गठन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिये एक ट्रस्ट के गठन का फैसला किया है। इस कार्य के लिये ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस कार्य के लिये लगभग 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। यह ट्रस्ट मंदिर निर्माण से संबंधित फैसले स्वयं लेगा।

## सतत् विकास कर

भूटान सरकार ने भारत समेत बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले यात्रियों का अपने देश में निशुल्क प्रवेश बंद करने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार, तीनों देशों से भूटान जाने वाले यात्रियों को 1200 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। भूटान सरकार ने तीन देशों (भारत, बांग्लादेश और मालदीव) से आने वाले यात्रियों पर लगने वाले कर को सतत् विकास कर नाम दिया है।

## किशोर कुमार सम्मान-2018

हाल ही में बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को 'किशोर कुमार सम्मान-2018' से सम्मानित किया गया है। गायक किशोर कुमार के नाम पर दिया जाने वाला यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर उन्हें सम्मान स्वरूप दो लाख रुपए, शाल-श्रीफल और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की गई। ज्ञात हो कि किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त, 1929 को खंडवा में हुआ था। वर्ष 1955 में तेलुगु फिल्म के जरिये अभिनय की दुनिया में शुरुआत करने वाली वहीदा रहमान की फिल्मों में किशोर कुमार ने कई गीत गाए थे।

## जयपुर को विश्व धरोहर स्थल का प्रमाणपत्र

हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) की महानिदेशक ऑड्रे अज़ाउले ने ऐतिहासिक एलबर्ट हॉल में आयोजित एक समारोह में राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल को जयपुर के लिये 'विश्व धरोहर स्थल' का प्रमाणपत्र प्रदान किया। ज्ञात हो कि अपनी प्रतिष्ठित स्थापत्य विरासत और जीवंत संस्कृति के लिये प्रसिद्ध जयपुर को बीते वर्ष (2019) जुलाई में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को विश्व धरोहर या विरासत कहा जाता है। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज़ से भी काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं। इनके अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व को देखते हुए इनके संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्रदान करती है। जुलाई 2019 में जयपुर को एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल करने के साथ ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भारत के स्थलों की कुल संख्या 38 हो गई थी। इसमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक तथा 1 मिश्रित स्थल हैं। जयपुर को वर्ष 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के संरक्षण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह राजस्थान की राजधानी है।

नोट :

## राष्ट्रीय बागवानी मेला-2020

बंगलुरू स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान परिषद द्वारा 5 फरवरी से 8 फरवरी, 2020 तक राष्ट्रीय बागवानी मेला-2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन तथा अन्य प्रदर्शनियों के माध्यम से बागवानी के नवाचारों के संदर्भ में जानकारी का आदान-प्रदान करना है। साथ ही इस मेले का उद्देश्य किसानों से परिचर्चा के लिये बागवानी क्षेत्र के विभिन्न सेवादाताओं जैसे- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, विकास विभाग, निजी उद्योग, वित्तीय संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन, कृषक उत्पादक संगठन और बाज़ार पदाधिकारियों को एक मंच पर लाना भी है। वर्ष 2020 का यह मेला 'बागवानी : कृषि को उद्यम बनाती हुई' थीम पर आधारित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान परिषद (बंगलूरू) की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। वर्तमान में यहाँ 54 प्रकार की बागवानी फसलों पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें 13 फल, 26 सब्जियां, 10 पुष्प और 5 औषधीय फसलें शामिल हैं।

## किर्क डगलस

हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता किर्क डगलस (Kirk Douglas) का 103 वर्ष की उम्र में कैलीफोर्निया में निधन हो गया। किर्क डगलस की प्रसिद्धि का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्होंने वर्ष 1940 से वर्ष 2000 के मध्य 6 दशक तक 90 से अधिक फिल्मों में काम किया था। किर्क डगलस को मुख्य रूप से 'स्पार्टाक्स' (Spartacus) नामक फिल्म में उनकी यादगार भूमिका के लिये जाना जाता है। डगलस का जन्म वर्ष 1916 में न्यूयार्क में हुआ था। डगलस ने हॉलिवुड के स्वर्ण युग में ख्याति प्राप्त की और 4 ऑस्कर पुरस्कार भी जीते।

## अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किये गए प्रयासों के लिये डॉ एन.एस धर्मशक्तु को व्यक्तिगत श्रेणी तथा कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। कुष्ठ रोग दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, जो मुख्यत: माइकोबैक्टेरियम लेप्री (Mycobacterium leprae) के कारण होता है। संक्रमण के बाद औसतन पाँच साल की लंबी अवधि के पश्चात् रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टेरियम लेप्री धीरे-धीरे बढ़ता है। यह मुख्यत: मानव त्वचा, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मिका, परिधीय तंत्रिकाओं, आँखों और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। यह पुरस्कार महात्मा गांधी द्वारा कुष्ठ रोग से लड़ने में किये गए योगदान को देखते हुए उनके नाम पर दिया जाता है।

## बिहार में 15 वर्ष से पुराने डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध

बिहार सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये बढ़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में 15 वर्ष से पुराने सरकारी डीज़ल वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा राजधानी पटना और उसके आस-पास के नगर निकाय क्षेत्र जैसे- दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ में 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक डीज़ल वाहनों पर भी मार्च 2021 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में सूचना देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार डीज़ल या पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को CNG में बदलने के लिये 40,000 रुपए और बैटरी में बदलने के लिये 25,000 रुपए भी देगी।

## फिलिप बार्टन

ब्रिटेन ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के मौजूदा उच्चायुक्त डोमिनिक एस्क्विथ का स्थान लेंगे। बार्टन 1986 में विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय (FCO) से जुड़े थे और अप्रैल 2017 से लेकर जनवरी 2020 के मध्य तक FCO में दूतावास एवं सुरक्षा मामलों के महानिदेशक रहे। वे इससे पूर्व वेनेज़ुएला की राजधानी कराकस और नई दिल्ली में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। फिलिप बार्टन वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक पाकिस्तान में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के पद पर भी रह चुके हैं।

नोट :

## तकनीकी विकास के लिये समझौते

DRDO की हाई एनर्जी मैटिरियल रिसर्च लेबोरेटरी (HEMRL) ने डेफएक्सपो 2020 (DefExpo 2020) के दौरान अत्याधुनिक पायरोटेक्नीक ज्वलन प्रणाली विकसित करने के लिये रूस की कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (Rosoboronexport) के साथ तकनीकी विकास समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस समझौते के माध्यम से पायरोटेक्नीक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति हो सकेगी जिससे अत्याधुनिक ज्वलन प्रणाली का विकास संभव हो सकेगा। यह उच्च प्रदर्शन वाली प्रोपल्शन प्रणालियों की भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, जो कि रॉकेटों और मिसाइलों की ताकत होती हैं।

## जल शक्ति विभाग

जम्मू-कश्मीर की राज्य प्रशासकीय परिषद ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रशासकीय परिषद ने जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक घर में दिसंबर 2021 तक नलों के जरिये पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक घर में नल-पाइप के जरिये जलापूर्ति को सुनिश्चित बनाना है। ज्ञात हो कि इस मिशन को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत लागू किया जाएगा जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक गाँव में प्रत्येक परिवार के लिये नल-पाइप के जरिये जलापूर्ति सुनिश्चित करना है।

## बासमती की दो किस्मों का जीनोम निरूपण

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बासमती की दो किस्मों की जीनोम श्रृंखला का पूरा निरूपण करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें से एक है बासमती 334 और दूसरी है ईरान की दोम सुफीद। इस प्रकार के शोध से फसलों की नई और बेहतर उपज देने वाली किस्मों के विकास में मदद मिलेगी। 'जीनोम बायोलॉजी' नामक पत्रिका में प्रकाशित इस शोध के अनुसार, बासमती चावल दो प्रकार के चावल समूहों का हाइब्रिड उत्पाद होता है। इस चावल का नामकरण हिंदी के शब्द 'बास' से हुआ है, जिसका अर्थ खुशबू होता है। यह लंबे दाने वाला चावल होता है और मुख्यत: दक्षिण एशिया में उगाया जाता है। भारत में बासमती धान की खेती बीते सैकड़ों वर्षों से की जा रही है, भारत तथा पाकिस्तान को बासमती धान का जनक माना जाता है।

## 'पार्थ' गन शॉट लोकेटर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे डेफएक्सपो 2020 के दौरान भारतीय सेना ने 'पार्थ' नाम से एक गन शॉट लोकेटर प्रस्तुत किया है। इस उपकरण का निर्माण आर्मी इंस्टीट्यूट और एक निजी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह गन शॉट लोकेटर 400 मीटर की दूरी से किये गए फायर की सटीक लोकेशन का पता लगाने में सक्षम है। इस उपकरण के माध्यम से सुरक्षाबलों पर छिपकर हमला करने वाले आतंकियों का पता लगाना आसान हो जाएगा। इस उपकरण की एक खास बात यह है कि स्वदेश में निर्मित यह गन शॉट लोकेटर विदेश में निर्मित गन शॉट लोकेटर से 20 गुना किफायती है। महाभारत के चर्चित पौराणिक किरदार अर्जुन को श्रीकृष्ण अक्सर 'पार्थ' के नाम से पुकारते थे। उन्हीं के नाम पर इस गन शॉट लोकेटर उपकरण का नाम भी रखा गया है।

## गिरिराज किशोर

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार और कालजयी रचना 'पहला गिरमिटिया' के लेखक गिरिराज किशोर का 83 वर्ष की उम्र में 9 फरवरी, 2020 को निधन हो गया। गिरिराज किशोर हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार होने के साथ-साथ एक सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक भी थे। गिरिराज किशोर का जन्म 8 जुलाई, 1937 को उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर में हुआ था। वर्ष 1966 से 1975 तक वे कानपुर विश्वविद्यालय में सहायक और उपकुलसचिव के पद पर रहे। इसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1975 से 1983 तक IIT कानपुर में कुलसचिव के पद पर भी कार्य किया। गिरिराज किशोर का उपन्यास 'ढाई घर' काफी प्रसिद्ध हुआ और वर्ष 1991 में प्रकाशित इस कृति को वर्ष 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा गिरिराज किशोर कृत 'पहला गिरमिटिया' उपन्यास भी खासा चर्चित रहा, जो कि

नोट :

महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित है। गिरिराज किशोर को 23 मार्च, 2007 में साहित्य और शिक्षा के लिये उनके योगदान को देखते हुए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाओं में 'पेपरवेट', 'नीम के फूल', 'चार मोती बेआब', 'शहर दर शहर' तथा 'हम प्यार कर लें' कहानी संग्रह और 'इन्द्र सुनें', 'दो यात्राएँ', 'यथा प्रस्तावित', 'चिड़ियाघर', 'असलाह', 'ढाई घर' तथा 'पहला गिरमिटिया' उपन्यास प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नाटकों जैसे- प्रजा ही रहने दो, नरमेध, घास और घोड़ा, चेहरे-चेहरे किसके चेहरे नाटकों की रचना भी की थी।

## 15 जनवरी के बाद चीन गए विदेशियों का भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध

भारत सरकार देश में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिये अनवरत प्रयास कर रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए नागर विमान महानिदेशालय (DGCA) ने 15 जनवरी या उसके पश्चात् चीन जाने वाले विदेशियों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। DGCA ने सभी एयरलाइंस को सूचना जारी करते हुए कहा है कि 5 फरवरी से पहले चीनी नागरिकों को जारी सभी वीज़ा निलंबित कर दिये जाएँ। हालाँकि चीन से आने वाले विमानों के चालक दल में शामिल चीनी या विदेशी नागरिकों को इस नियम से छुट दी गई है।

## गगनयान हेतु यात्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत

भारत के पहले मानव मिशन 'गगनयान' (Gaganyaan) के लिये चयनित चार अंतरिक्ष यात्रियों के 12-माह के प्रशिक्षण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। चयनित सभी उम्मीदवारों को यह प्रशिक्षण रूस की राजधानी मॉस्को स्थित गगारिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर (Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Centre-GCTC) में दिया जा रहा है। गगनयान मिशन के लिये जिन चार उम्मीदवारों का चयन किया गया है वे सभी भारतीय वायु सेना के पायलट हैं। रूस में प्रशिक्षण के पश्चात् चयनित उम्मीदवारों को भारत में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत और रूस के सभी प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पूरा करने के पश्चात् अंत में चार में से एक या दो उम्मीदवारों को अंतिम मिशन के लिये नामित किया जाएगा। अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'गगनयान' मिशन की घोषणा की थी। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि 'गगनयान' भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है।

## 92वें अकादमी पुरस्कार

अमेरिका के लॉस एंजिल्स में डोल्बी थियेटर में 92वें अकादमी पुरस्कारों के आयोजन के दौरान ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष हॉलीवुड अभिनेता वॉकिन फीनिक्स (Joaquin Phoenix) को फिल्म 'जोकर' के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री रेनी ज़ेल्वेगर (Renée Zellweger) को फिल्म 'जूडी' के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष दक्षिण कोरियाई फिल्म 'पैरासाईट' (Parasite) ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सहित तमाम प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार अपने नाम किये। साथ ही दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता बोंग जून-हो (Bong Joon-ho) को फिल्म 'पैरासाइट' के लिये मौलिक स्क्रीन प्ले का पुरस्कार दिया गया। सुपरस्टार ब्रैड पिट को फिल्म 'वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड' (Once Upon a Time in Hollywood) में स्टंटमैन 'क्लिफ बूथ' (Cliff Booth) की भूमिका के लिये सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और लॉरा डर्न को 'मैरिज स्टोरी' के लिये सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) द्वारा फिल्म जगत् में उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी।

## खानों को रेटिंग के लिये वेब पोर्टल

एक साधन के रूप में तकनीक का प्रयोग करते हुए सुरक्षित और सतत् खनन को प्रोत्साहन देने के लिये केंद्रीय कोयला मंत्रालय (MoC) ने कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल पर पूर्व परिभाषित तंत्र के माध्यम से प्राप्त स्टार रेटिंग के आधार पर देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली खानों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सभी खानों को कोल नियंत्रक संगठन (Coal Controller's Organization-CCO) द्वारा उनकी रेटिंग और रेटिंग वर्ष का उल्लेख करते हुए एक आधिकारिक प्रमाण पत्र भी दिया

जाएगा। पोर्टल पर निर्धारित की गई प्रणाली के अनुसार, 91 से 100 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 5 स्टार रेटिंग, 81 से 90 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 4 स्टार, 71 से 80 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 3 स्टार, 61 से 70 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 2 स्टार और 41 से 60 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 1 स्टार रेटिंग दी जाएगी, जबकि 0 से 40 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को कोई भी रेटिंग नहीं दी जाएगी। पोर्टल के अंतर्गत प्रत्येक कोयला खदान को स्व-मूल्यांकन के लिये लॉगिन प्रदान किया जाएगा। साथ ही CCO के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी वेब पोर्टल पर एक अलग लॉगिन प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से वे खानों द्वारा किये गए स्व-मूल्यांकन की पुष्टि कर सकेंगे। अंत में CCO के माध्यम से गठित एक सत्यापन समिति निर्धारित नीति के आधार पर अंतिम टिप्पणी करेगी और पोर्टल पर खानों को स्टार रेटिंग देगी।

## क्षमता निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन

10 फरवरी, 2020 को पंजाब के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (MGSIPA) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG) ने राज्य में ई-गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस संदर्भ में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन लोक सेवाओं के प्रशिक्षण में बुनियादी ढाँचे, हार्डवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर (Proprietary Software) के साझाकरण के माध्यम से राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में NISG की भूमिका को सुगम बनाएगा। NISG एक गैर-लाभकारी कंपनी है जिसका गठन सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यबल (The National Taskforce on Information Technology and Software Development) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2002 में एक सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) के तहत किया गया था।

## निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

आधिकारिक सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने बीते 10 महीनों में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (Investor Education and Protection Fund-IEPF) के माध्यम से 6000 से अधिक निवेशकों के दावों को मंज़ूरी दी है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205C के तहत कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से स्थापित किया गया है। अधिनियम के अनुसार, भुगतान के लिये दी गई तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिये लावारिस और अनपेड (Unpaid) राशि जैसे- कंपनियों के अनपेड लाभांश खाते, परिपक्व डिपाज़िट, परिपक्व डिबेंचर (ऋण पत्र), केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनियों या किसी अन्य संस्थानों द्वारा अनुदान और दान, फंड से किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय आदि को IEPF में जमा किया जाएगा। कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निवेशक शिक्षा, जागरुकता और सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करना है।

## एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा देश भर में 10 फरवरी से 28 फरवरी तक 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य देश की विविधता में एकता को दर्शाना तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत समग्र शिक्षा अभियान द्वारा कई पहलें की जा रही हैं। इसके माध्यम से असम और राजस्थान के बीच सदियों पुराने संबंधों को प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के मध्य सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया था।

## उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिये इंटर्नशिप

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने की घोषणा की है। गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में आयोजित रोज़गार मेले में राज्य सरकार के इस कदम की सूचना देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "राज्य सरकार एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 6 महीने और 1 वर्ष की इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को प्रतिमाह ढाई हज़ार रुपए दिये जाएंगे। इसके तहत 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं को विभिन्न तकनीकी संस्थानों एवं उद्योगों से जोड़ा जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को मिलने वाली कुल राशि (2500 रुपए) में से 1500 रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जबकि शेष राशि (1000 रुपए) राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

नोट :

## काम्या कार्तिकेयन

मुंबई की रहने वाली 12 वर्ष की छात्रा काम्या कार्तिकेयन अर्जेंटीना स्थित एकांकागुआ (Aconcagua) पर्वत को फतह कर दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। काम्या मुंबई के नेवी चिल्ड्रेन स्कूल (Navy Children School) में सातवीं कक्षा की छात्रा हैं। ज्ञात हो कि अर्जेंटीना की एंडीज़ पर्वतमाला में स्थित एकांकागुआ पर्वत दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे ऊँचा पर्वत है, यह पर्वत कुल 6962 मीटर ऊँचा है। इसके अतिरिक्त काम्या ने 24 अगस्त, 2019 को लद्दाख में 6260 मीटर ऊँचे पर्वत मेंटोक कांग्री II पर चढ़ाई पूरी की थी। ऐसा करने वाली वह सबसे युवा पर्वतारोही थीं।

## जम्मू-कश्मीर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष परिषद

जम्मू-कश्मीर के नए उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष परिषद (Jammu and Kashmir Science Technology and Innovation Council) का गठन हुआ है। उपराज्यपाल के अतिरिक्त परिषद में सरकार के प्रतिनिधियों में मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, विज्ञान और तकनीकी विभाग के प्रशासनिक सचिव को शामिल किया गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के कुछ चुनिंदा शिक्षण संस्थानों के उपकुलपति भी इस परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। यह परिषद सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करने का प्रयास करेगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष केवल प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित न रहें बल्कि ज़मीनी स्तर पर पहुँचे, ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सके।

## हेल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत स्कूल 'हेल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर' पहल लॉन्च की है, इस पहल के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल में दो अध्यापकों को 'हेल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर' के रूप में चुना जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से 12 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में स्कूल 'हेल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर' पहल के लिये पाठ्यक्रम जारी किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस एम्बेसडर पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों के विकास और शैक्षिक उपलब्धियों को प्रोत्साहन देना है। इस पहल को ईट राईट अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट और पोषण अभियान इत्यादि से भी जोड़ा जाएगा।

## महाराष्ट्र में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह

महाराष्ट्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है। महाराष्ट्र में यह व्यवस्था 29 फरवरी, 2020 से लागू होगी। आँकड़ों के अनुसार, राज्य में सरकारी अर्द्धसरकारी और स्थानीय निकायों में कुल 20 लाख से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों पर भी लागू है। मौजूदा व्यवस्था के तहत मुंबई में सरकारी कर्मचारियों के लिये कार्य के घंटे प्रात: 9.45 से शाम 5.30 बजे तक हैं। वहीं शेष महाराष्ट्र में यह समयावधि प्रात: 10 बजे से शाम 5.45 बजे तक की है। इसमें 30 मिनट का लंच टाइम भी शामिल है। कर्मचारियों को अभी हर दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है। नई व्यवस्था के तहत कार्यावधि प्रात: 9.45 से शाम 6.15 बजे तक रहेगी और लंच ब्रेक दोपहर 1 से 2 बजे तक होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, नई व्यवस्था संपूर्ण राज्य पर लागू होगी।

## अतुल कुमार गुप्ता

CA अतुल कुमार गुप्ता को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट (ICAI) का नया अध्यक्ष चुना गया है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व वह संस्थान के उपाध्यक्ष थे। ICAI द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, CA निहार निरंजन जंबूसारिया को संस्थान का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। दोनों सदस्यों का चयन इन पदों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये किया गया है। अतुल कुमार गुप्ता ICAI की केंद्रीय परिषद में वर्ष 2013 में शामिल हुए थे। वे लगातार दो कार्यकाल के लिये परिषद से जुड़े रहे और बीते वर्ष उन्हें संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया था।

नोट :

## राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस

12 फरवरी, 2020 को देश भर में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का आयोजन किया गया। इसका आयोजन देश भर में उत्पादकता संस्कृति को बढावा देने के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council-NPC) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का उद्देश्य उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता का प्रचार करना है। NPC की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। NPC टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (APC) का एक घटक है। NPC सरकार और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को कृषि-व्यवसाय, गुणवत्ता प्रबंधन, औद्योगिक इंजीनियरिंग, आर्थिक सेवा, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान करता है।

## रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर समूह का गठन

15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया है। 5 सदस्यों वाले इस समूह की अध्यक्षता स्वयं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह द्वारा की जा रही है। एन.के. सिंह के अतिरिक्त समूह में ए.एन. झा (15वें वित्त आयोग के सदस्य), गृह मंत्रालय के सचिव, रक्षा मंत्रालय के सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित इस समूह का उद्देश्य यह परीक्षण करना होगा कि 'क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिये एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये, और यदि ऐसा है, तो इस तरह के तंत्र का संचालन किस प्रकार किया जा सकता है।

## प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम परिवर्तन

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में सूचना देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अमूल्य योगदान को देखते हुए भारतीय प्रवासी केंद्र को सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस के रूप में जाना जाएगा। ज्ञात हो कि 14 फरवरी को सुषमा स्वराज की जयंती है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि 'वे सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में गरिमा, शालीनता और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारतीय मूल्यों और लोकाचार से गहरे जुड़े रहते हुए हमारे राष्ट्र के लिये उन्होंने महान सपने संजोए थे। वह एक असाधारण सहयोगी और एक उत्कृष्ट मंत्री थीं।' ध्यातव्य है कि सुषमा स्वराज का 6 अगस्त, 2019 को 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था।

## राजीव बंसल

वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव बंसल को एयर इंडिया (Air India) का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया गया है। बंसल वर्ष 1988 बैच के नगालैंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं। वह अभी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस संदर्भ में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार उनका पद और वेतनमान अतिरिक्त सचिव के समकक्ष होगा। ध्यातव्य है कि अश्वनी लोहानी का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् से एयर इंडिया के CMD का पद खाली था। हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया का 100 प्रतिशत विनिवेश करने का निर्णय लिया था।

## पुलेला गोपीचंद

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को 2019 कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया है। पुलेला गोपीचंद को पुरुष वर्ग में 'ऑनरेबल मेंशन' से नवाजा गया है। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय हैं। IOC कोच 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' विश्व भर के ऐसे कोचों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने में योगदान देता है, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को विकसित करने तथा प्रोत्साहित करने हेतु कार्य किया है।

## आर. के. पचौरी

पर्यावरणविद और द एनर्जी ऐंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (टेरी) के संस्थापक डॉ. आर. के. पचौरी का 13 फरवरी, 2020 को निधन हो गया। पचौरी IPCC के वर्ष 2002 से 2015 तक चेयरमैन भी रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2007 में IPCC को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

## राष्ट्रीय महिला दिवस

भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारत में (आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत) पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू के जन्दिवास को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में महिलाओं के विकास के लिये सरोजनी नायडू द्वारा किये गए योगदान को मान्यता देने के लिये उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्यों द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।

## डैन डेविड पुरस्कार

हाल ही में भारत की गीता सेन ने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता। गीता सेन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निदेशक हैं। गीता सेन को 'वर्तमान– लैंगिक समानता' श्रेणी में ब्राज़ील की देबोरा दिनीज़ के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। डैन डेविड पुरस्कार तेल अवीव विश्वविद्यालय में स्थित डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है इस पुरस्कार का नामकरण प्रसिद्ध परोपकारी तथा बिजनेसमैन डैन डेविड के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष तीन श्रेणियों: वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य, में प्रदान किया जाता है। 'भूतकाल: सांस्कृतिक संरक्षण व जीर्णोधार' श्रेणी में यह पुरस्कार अमेरिका के लोनी जी. बंच III तथा बारबरा किर्शेनब्लाट-गिम्ब्लेट को पुरस्कार प्रदान किया गया जबकि 'भविष्य– आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' श्रेणी में यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के देमिस हैसाबिस और प्रोफेसर अमनोन शाशुआ को प्रदान किया गया।

## मनप्रीत सिंह:

हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। मनप्रीत पहले भारतीय हैं जिन्हें FIH द्वारा प्लेयर ऑफ ईयर चुना गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी। मनप्रीत को सबसे अधिक 35.2 प्रतिशत वोट के साथ विश्व चैंपियन बेल्जियम के विक्टर वेगनेज और आर्थर वान डोरेन, ऑस्ट्रेलिया के अरान जालेवस्की और अर्जेंटीना के लुकास विला को पीछे छोड़ा।

## न्यूज़ीलैंड की पहली AI-आधारित पुलिस अधिकारी

हाल ही में न्यूज़ीलैंड पुलिस ने एला (Ella) नाम की अपनी पहली AI-आधारित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे वेलिंगटन स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है। एला कमोबेश इंसानों की तरह ही दिखती है और इसे विश्व के 26 लोगों की विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है। वेलिंगटन स्थित पुलिस मुख्यालय में एला आने वाले लोगों का स्वागत करेगी और आए हुए पुलिसकर्मियों की सूचना भी देगी। एला की कार्यावधि 3 महीनों की है और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् इसकी सेवाओं को जारी रखने या न रखने का निर्णय लिया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) वह गतिविधि है जिसके माध्यम से मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य किया जाता है। वर्ष 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था, इसीलिये इन्हें 'फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' भी कहा जाता है।

## हाफिज़ सईद को सज़ा

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंक के वित्तपोषण के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात उद दावा चीफ हाफिज़ सईद को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई है। हाफिज़ सईद पर लाहौर और गुजराँवाला में दर्ज दो टेरर फंडिंग मामलों में सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने हाफिज़ सईद को दोनों मामलों में साढ़े पाँच- साढ़े पाँच साल की सज़ा सुनाई है जो साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा हाफिज़ सईद पर प्रत्येक मामले में 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि हाफिज़ सईद पर यह कार्यवाही FATF के दबाव के कारण की गई है। FATF यानि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य मनी लॉड्रिंग, आतंवादियों को वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाए रखने से जुड़े खतरों से निपटना है। इन खतरों से निपटने के लिये यह नीतियाँ बनाता है साथ ही यह संस्था इन खतरों से निपटने के लिये कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है।

## भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई के 90 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र (Air Quality Monitoring Network) की स्थापना के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। 90 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना के पश्चात् BMC, दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र बन जाएगा, ज्ञात हो कि दिल्ली में मौजूदा समय में 38 मॉनिटर लगे हुए हैं। यह परियोजना BMC और निजी भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित की जाएगी और अगले पाँच वर्षों में इसके समाप्त होने की संभावना है। वर्तमान में मुंबई में 30 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से 5 स्टेशन बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अंतर्गत, 10 स्टेशन सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अंतर्गत और 15 स्टेशन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) के अंतर्गत आते हैं।

## INS शिवाजी को प्रेसीडेंट्स कलर

हाल ही में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने लोनावाला में INS शिवाजी को प्रेसीडेंट्स कलर (President's Colour) प्रदान किया। INS शिवाजी को वर्ष 1945 में कमीशन किया गया था। यह भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में से एक है। 75 वर्षों की अपनी सेवा के दौरान INS शिवाजी ने भारतीय नौसेना, तटरक्षक, मित्र देशों के नेवल ऑफिसर को इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्रदान प्रदान किया है। INS शिवाजी अब तक भारतीयों और विदेशियों सहित 2 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दे चुका है। प्रेसीडेंट्स कलर एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे किसी भी सैन्य इकाई को उत्कृष्ट कार्य के लिये राष्ट्रपति की ओर से प्रदान किया जाता है।

## सिल्वर' पुरस्कार

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने वर्ष 2019-20 के संबंध में डिजिटल परिवर्तन की सरकारी प्रक्रिया में उत्कृष्टता के लिये भारत निर्वाचन आयोग को 'सिल्वर' पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार उन परियोजनाओं के लिये दिया जाता है, जिनमें कार्य प्रणाली का मूल्यांकन शामिल होता है तथा जिनके तहत कुशलता, प्रक्रिया, गुणवत्ता और सेवा के क्षेत्र में सुधार किया जाता है। यह पुरस्कार 7-8 फरवरी, 2020 को मुंबई में आयोजित ई-प्रशासन पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया। सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने किया था।

## अरब का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिये परिचालन लाइसेंस जारी किया है, जिससे इस वर्ष के अंत तक उत्पादन शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। UAE ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया है, ज्ञात हो कि इसके माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) परमाणु ऊर्जा प्लांट संचालित करने वाला क्षेत्र का पहला अरब देश बन जाएगा। कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (KEPCO) द्वारा निर्मित और UAE की राजधानी आबु धाबी में स्थित बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत मूल रूप से वर्ष 2017 में की जानी थी, किंतु अब तक इसके पहले रिएक्टर ने भी काम करना शुरू नहीं किया है। ध्यातव्य है कि अभी इस संयंत्र के मात्र एक रिएक्टर को ही लाइसेंस जारी किया है, पूरी तरह से संचालित होने के पश्चात् संयंत्र के चार रिएक्टरों से 5,600 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी।

## 14 समझौतों पर हस्ताक्षर

लखनऊ में डेफएक्सपो 2020 (DefExpo 2020) के दौरान आयोजित 5वें भारत-रूस सैन्य उद्योग सम्मेलन के दौरान भारत और रूस की रक्षा कंपनियों के बीच अस्त्र तथा सैन्य प्रणालियों के कलपुर्जे बनाने हेतु 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इस अवसर पर देश के रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि भारत ने भारतीय और रूसी कंपनियों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाए हैं और वह भारत में रक्षा उपकरणों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने पर ध्यान दे रहा है। ध्यातव्य है कि भारतीय सशस्त्र बलों को रूस में निर्मित सैन्य प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियों के कलपुर्जों की आपूर्ति में विलंब का सामना करना पड़ रहा है। रूस बीते छह दशकों से भारत को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने में अग्रणी रहा है।

## लिथियम का भंडार

भारतीय परमाणु उर्जा आयोग के अनुसंधानकर्त्ताओं ने मंड्या (कर्नाटक) में 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है। हालाँकि भारत में खोजा गया यह लिथियम भंडार विश्व के अग्रणी लिथियम उत्पादक देशों की अपेक्षा काफी कम है। ज्ञात हो कि चिली 8.6 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया 2.6 मिलियन टन और अर्जेंटीना 1.7 मिलियन टन लिथियम का उत्पादन करता है। मंड्या, कर्नाटक में बंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। लिथियम एक दुर्लभ धातु है, इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत् वाहनों की बैटरी के निर्माण में किया जाता है।

## 'हिम्मत प्लस' एप

दिल्ली पुलिस ने उबर (Uber) के साथ मिलकर कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये 'हिम्मत प्लस' नाम से एक एप लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में पुलिस मुख्यालय को संदेश भेजा जा सकता है, जिससे चालक या सवार की वास्तविक स्थिति (Location) का पता चल जाएगा और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिये एक पीसीआर (PCR) वैन भेजी जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

## एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक

भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन श्रेणी के 87 किग्रा भार वर्ग में देश के लिये 27 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। पहलवान सुनील कुमार ग्रीकों रोमन श्रेणी में स्वर्ण जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पूर्व वर्ष 1993 में पहलवान पप्पू यादव ने ग्रीको रोमन श्रेणी 48 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ज्ञात हो कि बीते वर्ष भी सुनील कुमार ने चीन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान बनाया था, किंतु वे फाइनल में ईरान के हुसैन अहमद नौरी से मुकाबला हार गए थे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन प्रत्येक वर्ष एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी (Asian Associated Wrestling Committee) द्वारा किया जाता है।

## पाकिस्तान की राद II मिसाइल

हाल ही में पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर रेंज वाली राद II (Ra'ad II) क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण किया है। इस परीक्षण के साथ ही पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस संबंध में पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, राद II मिसाइल प्रणाली अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है जिससे अधिक स्पष्टता के साथ निशाना साधा जा सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान की राद II मिसाइल को भारत की ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल के समकक्ष देखा जा सकता है। क्रूज़ मिसाइल आकार में बहुत छोटी होती है जिसके कारण उन्हें आसानी से छुपाया जा सकता है। क्रूज़ मिसाइल को पृथ्वी की सतह के समानांतर छोड़ा जाता है और उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। क्रूज़ मिसाइलों को पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिये ही कारगर माना जाता है।

नोट :

## INS कवरत्ती

रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम शिपयार्ड गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना (Indian Navy) को पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती (INS Kavaratti) प्रदान किया है। INS कवरत्ती भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 28 के तहत डिलीवर की जाने वाली चौथी व अंतिम पनडुब्बी है और इसके 90 प्रतिशत पुर्ज़े स्वदेशी हैं। भारतीय नौसेना की इस परियोजना के तहत निर्मित INS कामोरता, INS कदमत्त और INS किल्तान की डिलीवरी पहले ही की जा चुकी है। वर्तमान में ये तीनों भारतीय नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा हैं। ध्यातव्य है कि प्रोजेक्ट 28 को वर्ष 2003 में मंज़ूरी दी गई थी। इसके तहत निर्मित युद्धपोतों का नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह के टापुओं के नाम पर रखा गया है।

## पक्षियों की दो नई प्रजातियाँ

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में तीन दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की दो नई प्रजातियाँ पाई गई हैं। यह गणना वन्यजीव संरक्षण और लद्दाख पक्षी क्लब ने आयोजित की थी। लाल गले वाली सारिका और सुरमीला जल-पक्षी लद्दाख क्षेत्र में पहली बार पाई गई। दूसरी तरफ, कॉमन रोज़ फिंच और ग्रे हेरान प्रजातियाँ लद्दाख में इस बार पहले आ गई हैं। पक्षीविदों के तीन समूहों और वन्यजीव विशेषज्ञों ने लद्दाख में पक्षियों की कुल 87 तरह की विभिन्न प्रजातियों की गिनती की है।

## अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) की 'ग्रासरूट्स चार्टर ब्रोंज़ लेवल' (Grassroots Charter Bronze Level) सदस्यता प्राप्त कर ली है। इसके माध्यम से AIFF को अपने सभी बुनियादी आयोजनों को एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में बढ़ावा देने की अनुमति मिल गई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2014 में AIFF को फिलीपींस और ताजिकिस्तान के साथ प्रेसिडेंट रिकग्निशन अवार्ड फॉर ग्रासरूट्स फुटबाल (President Recognition Award for Grassroots Football) भी प्राप्त हुआ था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना वर्ष 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। एक महासंघ के रूप में यह देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। AIFF एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया में फुटबॉल का प्रबंधन करता है।

## मिकी राइट

सबसे सफल महिला गोल्फरों में से एक, मिकी राइट (Mickey Wright), का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मिकी राइट ने वर्ष 1954 से वर्ष 1969 तक के अपने पेशेवर कैरियर कुल 13 मेजर और 82 LPGA टूर खिताब जीते थे। मिकी राइट का जन्म कैलीफोर्निया के सैन डिएगो (San Diego) में वर्ष 1935 में हुआ था। अपने शानदार गोल्फ कैरियर में मिकी राइट ने कई पेशेवर खिताब जीते, जिनमें वर्ष 1952 का यू.एस. गर्ल्स जूनियर चैंपियनशिप भी शामिल है। ज्ञात हो कि मिकी राइट ने मात्र 34 वर्ष की उम्र में 1969 में रिटायरमेंट ले लिया था।

## वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस 'एथनोलॉग'

हाल ही में वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस 'एथनोलॉग' (Ethnologue) का 22वाँ संस्करण जारी किया गया है, जिसके अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और विश्व में लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। 'एथनोलॉग' के मुताबिक अंग्रेज़ी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और विश्व के लगभग 1132 मिलियन लोग अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करते हैं। जबकि मैन्डरिन (Mandarin) विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और विश्व के लगभग 1117 मिलियन लोग इसका उपयोग करते हैं। इस डेटाबेस के अनुसार, बांग्ला विश्व की 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और 228 मिलियन लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं। 'एथनोलॉग' दुनिया की जीवित भाषाओं का एक वार्षिक डेटाबेस है, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। वर्तमान में इस डाटाबेस के अंतर्गत दुनिया की 7,111 जीवित भाषाएँ शामिल हैं।

नोट :

## अशरफ गनी- अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति

अफगानिस्तान में लगभग पाँच महीने पहले राष्ट्रपति पद के लिये हुए मतदान के बाद वहाँ के चुनाव आयोग ने अशरफ गनी को वर्ष 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किया। चुनाव आयोग के अनुसार चुनावों में डॉ. अब्दुल्ला-अबदुल्ला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चुनाव आयोग के प्रमुख हावा आलम नूरिस्तानी ने कहा कि अशरफ गनी को 50.64 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हैं। अशरफ गनी के प्रतिद्वंदी डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि मतदान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गईं और इसीलिये वे इन नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिये अफगानिस्तान में पिछले वर्ष 28 सितंबर को मतदान हुआ था।

## मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

केंद्र सरकार ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की 'प्रतिबद्धता और विरासत' के सम्मान में सरकारी थिंक टैंक रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (Institute for Defence Studies and Analyses-IDSA) का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया है। ज्ञात हो कि मनोहर पर्रिकर 9 मार्च, 2014 से लेकर 14 मार्च, 2017 तक रक्षा मंत्री रहे थे। बीते वर्ष 17 मार्च को कैंसर के कारण उनका निधन हो गया था। वह भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने IIT से स्नातक किया। मनोहर पर्रिकर ने वर्ष 1978 में IIT बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया था। IDSA एक सरकारी थिंक टैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में रक्षा एवं सुरक्षा के सभी पहलुओं में नीति संबंधी अध्ययनों के लिये की गई थी।

## तिलहन मिशन

देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये केंद्र सरकार जल्द ही तिलहन मिशन की शुरुआत करेगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने इस विषय पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने पर गंभीरता से काम कर रही है। ज्ञात हो कि आज देश किसानों की मेहनत के कारण खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और यह उत्पादन देश की समग्र आवश्यकताओं से अधिक है। वर्ष 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के बाद से मिट्टी की उर्वरता में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक फसल उत्पादन में मदद मिली है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्तंभ है और यह देश की जीडीपी में कुल 14 प्रतिशत का योगदान देती है।

## फूड प्लेनेट प्राइज़

हाल ही में स्वीडन ने 'फूड प्लेनेट प्राइज़' नाम से 1 मिलियन डालर के पुरस्कार की घोषणा की है। स्वीडन द्वारा घोषित इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति पर उत्पन्न खतरों का समाधान करने के लिये कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत करना है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन (Curt Bergfors Foundation) द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा मुख्य रूप से दो श्रेणियों में की जाएगी (1) सतत् भोजन के लिये एक मौजूदा स्केलेबल समाधान (2) वैश्विक खाद्य क्षेत्र को बदलने के लिये अभिनव पहल। ज्ञात हो कि वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7.8 अरब है, जो कि वर्ष 2050 तक अनुमानत: 10 अरब हो जाएगी। इतनी बढ़ी आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नीति निर्माताओं के लिये बड़ी चुनौती होगी, जिसे अभी से गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।

## भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारत और श्रीलंका ने भारतीय क्षेत्र के संपदा कामगारों के लिये श्रीलंका के कृषि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त विनोद के. जैकब और श्रीलंका के शिक्षा मंत्री ने 20 फरवरी 2020 को कोलंबो में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस परियोजना के तहत भारत की 30 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से श्रीलंका के 9 कृषि स्कूलों के बुनियादी ढाँचे का उन्नयन किया जाएगा। ज्ञात हो कि भारत सरकार श्रीलंका में शिक्षा क्षेत्र के सहयोग के लिये कई परियोजनाएं चला रही है।

नोट :

## संजय कोठारी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मौजूदा सचिव संजय कोठारी को देश अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner) नियुक्त किया गया है। संजय कोठारी का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने किया। संजय कोठारी हरियाणा कैडर के वर्ष 1978 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। संजय कोठारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में सचिव रह चुके हैं। उन्हें नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार का सर्वोच्च सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना फरवरी 1964 में के. संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये की गई थी।

## श्री रामायण एक्सप्रेस

हाल ही में IRCTC ने घोषणा की है कि भगवान राम से जुड़े स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिये भारतीय रेलवे 28 मार्च, 2020 से 'श्री रामायण एक्सप्रेस' नाम से विशेष पर्यटक ट्रेन चलाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, 'श्री रामायण एक्सप्रेस' में कुल 10 कोच होंगे जिसमें पाँच स्लीपर क्लास के गैर-वातानूकूलित कोच और पाँच AC के 3-टीयर कोच होंगे। यह ट्रेन भगवान राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों को कवर करेगी। IRCTC के अनुसार, बुकिंग पूरी तरह से 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी। यह ट्रेन 28 मार्च, 2020 को सफदरजंग रेलवे स्टेशन (नई दिल्ली) से यात्रा शुरू करेगी।

## बुड्ढा नाला का नवीनीकरण

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने लुधियाना में अत्यंत प्रदूषित बुड्ढा नाला के नवीनीकरण हेतु 650 करोड़ रुपए की परियोजना को मंज़ूरी प्रदान की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के तहत 27.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता के साथ एक अतिरिक्त सीवेज निस्तारण संयंत्र लगाया जाएगा और जिससे नाले के प्रदूषित होने की समस्या दूर होगी और सतलुज नदी का प्रदूषण भी घटेगा। ज्ञात हो कि इस नाले का उद्गम लुधियाना के कोउम कलां गाँव में होता है और वलीपुर कलां तक 47 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के पश्चात् यह सतलुज नदी में विलीन हो जाता है। इस नाले के कारण सतलुज नदी में काफी ज़्यादा प्रदूषण होता है, इस प्रकार बुड्ढा नाला के नवीनीकरण से सतलुज नदी के प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

## मोहल्ला मार्शल

दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने महिला सुरक्षा के मद्देनज़र राजधानी में मोहल्ला मार्शल तैनात करने और SC/ST महिला कल्याण सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में तकरीबन 6,000-7,000 मोहल्ले हैं। प्रत्येक मोहल्ले में चार मार्शल तैनात किये जाएंगे। इनकी शिफ्ट आठ-आठ घंटे की होगी। दिन की शिफ्ट में एक-एक मार्शल रहेगा, जबकि रात की शिफ्ट में दो की तैनाती होगी। इस काम में सिविल डिफेंस या होमगार्ड के जवानों को लगाया जाएगा। इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग में विशेष SC/ST महिला कल्याण सेल स्थापित किया जाएगा। यह सेल SC/ST समुदाय से संबंधित महिलाओं और लड़कियों के कल्याण की दिशा में कार्य करेगा।

## प्रधानमंत्री सलाहकार

सेवानिवृत IAS अधिकारियों भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा को प्रधानमंत्री का सलाकार नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार दोनों अधिकारियों को 'कैबिनेट की नियुक्ति समिति' (ACC) ने सचिव के समकक्ष पद एवं वेतनमान पर प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति को मंज़ूरी प्रदान की है। दोनों अधिकारियों की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये की गई है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा दोनों ही 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। भास्कर खुल्बे पश्चिम बंगाल कैडर और अमरजीत सिन्हा बिहार कैडर से हैं। बीते वर्ष अमरजीत सिंहा ग्रामीण विकास सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि खुलबे PMO में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं।

नोट :

## रॉस टेलर

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में रॉस टेलर ने भारत के खिलाफ अपना 100वाँ टेस्ट मैच खेला था। इसके अलावा उन्होंने न्यूज़ीलैंड के लिये कुल 231 वनडे और 100 T20 भी खेले हैं। वर्ष 1984 में न्यूज़ीलैंड में पैदा हुए रॉस टेलर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1 मार्च, 2006 को वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध खेला था। रॉस टेलर के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की बात करें तो उन्होंने कुल 100 टेस्ट मैचों में 7219 रन, 231 वनडे में 8565 रन और 100 T20 में 1909 रन बनाए हैं। ध्यातव्य है कि रॉस टेलर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की ओर से खेलते हैं।

## अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन

हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन (International Judicial Conference) का आयोजन किया गया। वर्ष 2020 के लिये सम्मेलन की थीम 'जेंडर जस्ट वर्ल्ड' (Gender Just World) रखा गई थी। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार द्वारा सैन्य सेवाओं में महिलाओं को भर्ती करने, लड़ाकू पायलटों की चयन प्रक्रिया में समानता लाने हेतु किये जा रहे बदलावों पर चर्चा की गई और त्वरित न्याय के लिये प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत की न्यायिक प्रणाली में 'न्यायपूर्ण विश्व' की अवधारणा प्रस्तुत की गई। 'न्यायपूर्ण विश्व' की अवधारणा शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रति निष्पक्ष कार्यवाही से संबंधित है।

## पाकिस्तान की ट्रांजिट कार्गो ट्रेन सेवा

पाकिस्तान रेलवे ने कराची (पाकिस्तान) और कंधार (अफगानिस्तान) को जोड़ने वाली ट्रांज़िट कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। यह कराची से अफगानिस्तान के लिये पहली मालगाड़ी सेवा है। पाकिस्तान रेलवे के चेयरमैन हबीब-उर-रहमान गिलानी ने इस मालगाड़ी सेवा का उद्घाटन किया। पहली ट्रेन कराची के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल से 35 कंटेनरों के साथ रवाना हुई। यह ट्रेन अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी शहर चमन तक जाएगी। वहाँ से कंटेनरों को सड़क के रास्ते अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। हबीब-उर-रहमान गिलानी के अनुसार, इस परियोजना से पाकिस्तान रेलवे के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सेवा में मालगाड़ी 48 घंटे में अफगानिस्तान सीमा तक पहुँचेगी।

## कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता

भारत के 13 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी. गुकेश ने फ्राँस में 34वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। गुकेश ने अंतिम रॉउंड में 7.5 अंक लेकर मेजबान देश फ्राँस के हरुतुन बार्गेसेयन को मात दी। ज्ञात हो कि डी. गुकेश बीते वर्ष विश्व के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंडमास्टर बने थे। उन्होंने शनिवार को 50वीं चाल में फ्राँसीसी खिलाड़ी को हराकर यह खिताब जीता। तमिलनाडु के खिलाड़ी ने पिछले हफ्ते डेनमार्क में हिलेरोड 110वीं वर्षगांठ ओपन स्पर्द्धा में जीत के साथ अपना पहला ओपन टूर्नामेंट जीता था। वह इस टूर्नामेंट में अजेय रहे और उन्होंने अन्य खिलाडियों के अलावा चीन के शीर्ष खिलाडी़ चॉन्शेंग ज़ेंग और बार्गेसेयन को हराकर जीत दर्ज की थी।

## घोंघे की एक नई प्रजाति

हाल ही में वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे क्रैसेपोट्रोपिस ग्रेथथुनबेर्गे (Craspedotropis Gretathunbergae) नाम दिया गया है। यह प्रजाति मुख्यत: तापमान-संवेदनशील प्रजातियों के परिवार का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने यह नाम पर्यावरण कार्यकर्त्ता ग्रेटा थनबर्ग के सम्मान में दिया है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने में ग्रेटा थनबर्ग के प्रयासों को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। घोंघे की यह प्रजाति कैनेओगैस्ट्रोपोडा (Caenogastropoda) समूह से संबंधित है। यह प्रजाति भूमि पर रहती है और तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव तथा वनों की कटाई से प्रभावित हो सकती है।

नोट :

## विश्वकर्मा पुरस्कार 2019

हाल ही में अलग-अलग क्षेत्रों में इनोवेशन करने वाले छात्रों की 23 टीमों को 'विश्वकर्मा' अवार्ड से सम्मानित किया गया, इन 23 टीमों को 8 अलग-अलग उप-श्रेणियों के तहत पुरस्कार के लिये चुना गया और प्रत्येक उप-श्रेणी में शीर्ष तीन टीमों को प्रशंसा प्रमाण पत्र और नकद धनराशि (51,000 रुपए, 31,000 और 21,000 रुपए) दी गई। इन टीमों के नवाचारों का उपयोग ऐसी परियोजनाएँ बनाने में किया जाएगा जो आम आदमी के जीवन की समस्याओं को हल करती हो। इस पुरस्कार की शुरुआत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा वर्ष 2017 में की गई थी। 'विश्वकर्मा' अवार्ड के 2019 के संस्करण के लिये इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (ISTE) और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भी AICTE के साथ सहयोग किया था।

## लैरी टेस्लर

कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस कमांड के आविष्कारक और मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर (Larry Tesler) का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 1945 में न्यूयॉर्क में जन्मे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट लैरी ने वर्ष 1973 में जेरॉक्स पालो अल्टो रिसर्च सेंटर से कैरियर की शुरुआत की थी। टेस्लर को ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में विशेषज्ञता प्राप्त थी तथा उन्होंने अमेज़न, एप्पल, याहू जैसी संस्थाओं में भी काम किया था।

## सतत् विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को गति देने तथा इनके समाधान तलाशने के उद्देश्य से असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर सतत् विकास लक्ष्य सम्मेलन-2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन पूर्वोत्तर विकास परिषद, असम सरकार तथा टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी, सहयोग और विकास पर आधारित इस तीन दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र के बाद सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, आर्थिक समृद्धि और सतत् आजीविका, जलवायु के अनुकूल कृषि, स्वास्थ्य और पोषण आदि विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किये जा रहे हैं।

## दिल्ली विधानसभा स्पीकर

दिल्ली विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत के साथ ही शाहदरा से निर्वाचित विधायक राम निवास गोयल को एक बार पुन: सदन का अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ राम निवास गोयल लगातार दूसरी बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। पिछले पाँच वर्ष में उन्होंने विधानसभा में बहुत से कार्य करवाए हैं। राम निवास गोयल के कार्यकाल में ही क्रांतिकारियों की गैलरी बनवाई गई और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमाओं को लगवाने का कार्य किया गया। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) को कुल 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर विजय मिली है।

## महातिर मोहम्मद

हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने राजनीतिक कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ध्यातव्य है कि 94 वर्ष के महातिर मोहम्मद दुनिया के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते थे। वे 1981 से 2003 तक लगातार मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे, इसके बाद 2018 में इन्होंने नजीब रज्ज़ाक को हराकर सत्ता में वापसी की थी। महातिर मोहम्मद का जन्म 10 जुलाई, 1925 को मलेशिया में हुआ था। ज्ञात हो कि महातिर मोहम्मद ने अनुच्छेद-370 को निलंबित किये जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा कश्मीर पर 'आक्रमण करने और कब्ज़ा' करने के आरोप लगाए थे। इसके पश्चात् भारत ने मलेशिया से धीरे-धीरे पाम आयल का आयात कम कर दिया। इसका मलेशिया के पाम आयल बाज़ार पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है।

## कॉमनवेल्थ निशानेबाज़ी और तीरंदाज़ी चैंपियनशिप

जनवरी 2022 में कॉमनवेल्थ निशानेबाज़ी और तीरंदाज़ी चैंपियनशिप की मेजबानी के लिये चंडीगढ़ (भारत) को चुना गया है। इन दो प्रतिस्पर्द्धाओं का आयोजन अलग से भारत में किया जाएगा। बर्मिंघम में होने वाले खेलों में इसके पदकों को 'प्रतिस्पर्द्धी देशों की रैंकिंग' के लिये शामिल किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ (Commonwealth Games Federation-CGF) ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इन दोनों प्रतिस्पर्द्धाओं के पदकों को कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन के एक सप्ताह बाद अंतिम तालिका में जोड़ा जाएगा। CGF के इस फैसले को भारत की जीत के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि भारत ने निशानेबाज़ी को कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाए जाने के बाद वर्ष 2022 में होने वाले बर्मिंघम गेम्स के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। ध्यातव्य है कि इन दोनों स्पर्द्धाओं का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स से 6 महीने पहले जनवरी 2022 में भारत में होगा, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त तक बर्मिंघम में होगा।

## बिहार विधानसभा में NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित

बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) में संशोधन के लिये भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। NPR को लेकर पारित प्रस्ताव के तहत वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी इसमें माता-पिता संबंधी विवरण देना ज़रूरी नहीं होगा। NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। वहीं NPR 'देश के सामान्य निवासियों' की एक सूची है। गृह मंत्रालय के अनुसार, 'देश का सामान्य निवासी' वह व्यक्ति है जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशिष्ट स्थान पर रहने का इरादा रखता है।

## नेशनल वॉर मेमोरियल की पहली वर्षगाँठ

25 फरवरी, 2020 को नेशनल वॉर मेमोरियल (National War Memorial) की पहली वर्षगाँठ मनाई गई। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सशस्त्र सेवाओं के सभी तीनों विंग्स के अधिकारियों के साथ शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञात हो कि नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन 25 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह स्मारक देश के लिये शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में समर्पित है। नेशनल वॉर मेमोरियल में उन 25,942 सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं, जो आज़ादी के पश्चात् शहीद हुए हैं। यह मेमोरियल उन सभी सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने भारत-चीन युद्ध (1962), भारत-पाकिस्तान युद्ध (1947-48, 1965, 1971 और 1999) तथा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचालन के दौरान अपने प्राण न्योछावर कर दिये।

## मोहम्मद होस्नी मुबारक

मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति और तीस वर्ष तक सत्ता में रहे मोहम्मद होस्नी मुबारक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मिस्र के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष मोहम्मद होस्नी मुबारक 14 अक्तूबर, 1981 को देश के उपराष्ट्रपति बने और मात्र 8 दिन बाद एक सैन्य परेड के दौरान पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की इस्लामी विद्रोहियों द्वारा हत्या किये जाने के पश्चात् उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लगभग तीन दशक तक सत्ता में बने रहने के बाद मोहम्मद होस्नी मुबारक को देश भर में 18 दिन चले विरोध प्रदर्शनों के पश्चात् 11 फरवरी, 2011 को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में मुबारक को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 दिन चले विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत तथा भ्रष्टाचार के मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 2012 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई किंतु वर्ष 2017 तक उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। मोहम्मद होस्नी मुबारक का जन्म 4 मई, 1928 को मिस्र के एक गाँव में हुआ था।

## फ्लोटिंग दर ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश

रिज़र्व बैंक ने देश भर के सभी बैंकों को फ्लोटिंग दर पर मझौले उद्यमों (Medium Enterprises) को दिये जाने वाले ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश दिया है। बेंचमार्क दर वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक ऋण दे सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में जारी

विज्ञप्ति में कहा है कि यह निर्देश 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। ज्ञात हो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये फ्लोटिंग ऋण दरें पहले से ही एक्सटर्नल बेंचमार्क दरों से जोड़ी जा चुकी हैं। इस निर्णय का उद्देश्य मौद्रिक नीति के प्रभाव को सशक्त बनाना है ताकि ऋण दरों में कटौती का लाभ मझौले उद्यमों को मिल सके। रिज़र्व बैंक के अनुसार, उन क्षेत्रों में मौद्रिक नीति हस्तांतरण में सुधार हुआ है जहाँ फ्लोटिंग दर पर नए ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ा गया है।

## EASE 3.0

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EASE 3.0 रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया है। इसे EASE 2.0 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है। EASE 3.0 का मुख्य उद्देश्य सार्वजानिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को सक्षम और स्मार्ट बनाना तथा ग्राहकों के लिये बैंकिंग में आसानी सुनिश्चित करना है। EASE का विस्तृत रूप 'एनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सिलेंस' (Enhanced Access and Service Excellence) है। ये प्रौद्योगिकी-आधारित बैंकिंग सुधारों का संग्रह है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के बैंकिंग में क्षेत्र में सुधार लाना है ताकि बेहतर बैंकिंग अनुभव, व्यापक वित्तीय समावेशन और आसान ऋण वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ज्ञात हो कि इस पहल के माध्यम से देश में पेपरलेस और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा।

## जावेद अशरफ

राजनयिक जावेद अशरफ को फ्राँस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अशरफ 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त हैं। इस संदर्भ में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, जावेद अशरफ जल्द ही पद संभाल लेंगे। जावेद अशरफ, फ्राँस में भारत के मौजूदा राजदूत विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों के मद्देनज़र यह एक अहम पद है। विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जावेद अशरफ को नवंबर 2016 में सिंगापुर के भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व वह वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 1999 तक फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में स्थित भारतीय दूतावास में भी तैनात रहे। इसके पश्चात् वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अमेरिका डिवीज़न में भी कार्य किया। इसके अतिरिक्त जावेद अशरफ ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।

## मारिया शारापोवा

5 ग्रैंड स्लैम विजेता रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने 32 वर्ष की उम्र में सन्यास लेने की घोषणा की है। मारिया शारापोवा का जन्म 19 अप्रैल, 1987 को साइबेरिया के न्यागन शहर में हुआ था। मारिया शारापोवा ने वर्ष 2004 में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को हरा कर विंबलडन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। इसके अलावा वर्ष 2012 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीतकर अपने कैरियर स्लैम भी पूरा किया था। वर्ष 2012 के पश्चात् उन्होंने वर्ष 2014 में फ्रेंच ओपन जीता। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में मारिया शारापोवा को डोपिंग के आरोप में 15 माह के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके पश्चात् अप्रैल 2017 में उन्होंने वापसी की थी। ध्यातव्य है कि मारिया शारापोवा वह पहली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीती है।

## भारत और म्याँमार के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

म्याँमार के राष्ट्रपति यू विन मियंट चार दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के मध्य 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं। अधिकतर समझौतों में मुख्य रूप से म्याँमार के संघर्ष प्रभावित रखाइन प्रांत में भारत की सहायता के तहत चल रही विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन समझौतों में 'मानव तस्करी' की रोकथाम के लिये सहयोग, तस्करी पीड़ितों को बचाने, खोजने, वापसी और पुन: मुख्यधारा में लाना भी शामिल है। साथ ही समझौतों में आपूर्ति प्रणालियों के निर्माण, सौर ऊर्जा द्वारा प्राप्त बिजली के वितरण के साथ-साथ रखाइन प्रांत में सड़कों और स्कूलों के निर्माण पर ध्यान दिया गया है। म्याँमार के रखाइन प्रांत में बौद्ध समुदाय और रोहिंग्या समुदाय के बीच संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान शुरू हुआ था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों ने एक अलग मुस्लिम प्रांत के बदले में रखाइन के बौद्धों के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी।

## बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी, 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे। यह एक्सप्रेस-वे फरवरी 2018 में सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे सहमति के बिंदुओं को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जा रहा यह एक्सप्रेस-वे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन ज़िलों से होकर गुज़रेगा। यह एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे से जोड़ेगा। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा ज़िलों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

## मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा

महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मराठी को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा देने का आग्रह किया है। विधानसभा में यह प्रस्ताव राज्य सरकार के मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि मराठी एक प्राचीन भाषा है और दावा किया कि यह संस्कृत से भी पुरानी है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में छः भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार हैं- तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगू (2008), मलयालम (2013), ओडिया (2014)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं- (1) भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिये दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण (2) शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करता है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिये पेशेवर अध्यापकों के कुछ पदों की घोषणा करें।

## राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ज्ञात हो कि भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन (Sir CV Raman) ने 28 फरवरी, 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएँ' (Women in Science) है। इसका मूल उद्देश्य छात्रों को विज्ञान के प्रति आकर्षित एवं प्रेरित करना तथा लोगों को विज्ञान व वैज्ञानिक उपलब्धियों से अवगत कराना है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की कम संख्या भागीदारी पर अफसोस प्रकट किया। आँकड़ों के अनुसार, देश में महिला वैज्ञानिक मात्र 15 प्रतिशत हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह औसत 30 प्रतिशत है।

## जॉन टेनिएल का 200वाँ जन्मदिवस

सर जॉन टेनिएल (Sir John Tenniel) का जन्म 28 फरवरी, 1820 को लंदन में हुआ था। जॉन टेनिएल 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी चित्रकार, ग्राफिक हास्यकार और राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे। 28 फरवरी, 2020 को उनका 200वाँ जन्मदिवस मनाया जा रहा है। सर जॉन टेनिएल की जीवन परिस्थितयाँ अत्यंत कठिन रहीं, 20 वर्ष की उम्र में एक हादसे की वजह से उनकी दाएँ आँख की रोशनी चली गई। लेकिन फिर भी सर जॉन टेनिएल ने हार नहीं मानी और एलिस इन वंडरलैंड (Alice in Wonderland) जैसे प्रसिद्ध कैरेक्टर्स को चित्रित किया। वर्ष 1893 में उनकी कलात्मक उपलब्धियों के लिये उन्हें नाइट की उपाधि दी गई।

## पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक

पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक भुवनेश्वर में 28 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई। पूर्वी आंचलिक परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल होते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसके उपाध्यक्ष थे। परिषद की बैठक के दौरान लगभग 4 दर्जन 40 से अधिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें परस्पर अंतर-राज्य जल मुद्दे, कोयले की खानों और उनके परिचालन पर रॉयल्टी, रेल परियोजनाओं की भूमि एवं वन मंजूरी, जघन्य अपराधों की जाँच और देश की सीमाओं के रास्ते मवेशियों की तस्करी आदि प्रमुख हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 1957 में पाँच आंचलिक परिषदों की स्थापना की गई थी।

नोट :

## एस. एन. श्रीवास्तव

दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) एस. एन. श्रीवास्तव को राजधानी का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक 29 फरवरी, 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1985 बैच के IPS अधिकारी एस. एन. श्रीवास्तव अभी तक CRPF (ट्रेनिंग) जम्मू-कश्मीर में तैनात थे। दिल्ली में हो रही हिंसा के बीच उन्हें दिल्ली का स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) बनाया गया था। इससे पूर्व एस. एन. श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में भी कार्य कर चुके हैं। स्पेशल सेल में रहते हुए उन्होंने दिल्ली में IPL मैच में फिक्सिंग का खुलासा किया था।

## ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी

उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के नाम में बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी यूनिवर्सिटी का नया नाम 'ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय' किया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय कानून-1973 में संशोधन कर दिया है। नाम परिवर्तन को लेकर सरकार का तर्क है कि ऐसा करने से छात्रों के लिये रोज़गार सृजन का विस्तार होगा। ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी यूनिवर्सिटी एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी।

## लीप वर्ष (Leap Year)

लीप वर्ष (अधिवर्ष) हर चार वर्ष बाद आने वाला वर्ष है जिसमें वर्ष में 366 दिन तथा फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। दरअसल पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और करीब 6 घंटे लगते है। ऐसा होने से हर चार साल में एक दिन अधिक हो जाता है, अत: प्रत्येक चार साल बाद फरवरी माह में एक अतिरिक्त दिन को जोड़कर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अगला लीप वर्ष 2024 में मनाया जाएगा।

नोट :